राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-5 दशम् विधान सभा के पंचम सत्र का सातवां दिवस संख्या-5

बुधवार,

1 नवम्बर, 1995

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : वे सीटें खाली नहीं रहती हैं, तो पहले उधर।

श्री अध्यक्ष : नहीं, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बराबर देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे लिये सब बराबर ही हैं। आप सब बड़े बुजुर्ग हैं_(व्यवधान)_ मैं तो आप ही को, सबको वंदन कर रहा हूं और जब तक जिन्दा रहूंगा तब तक करूंगा। यह अध्यक्ष की बात नहीं है_(व्यवधान)_मैं तो इसीलिये घर भी हाजिर हुआ चाय पीने आपके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : + + + साहब, कोई कुछ भी कहे लेकिन नियम तो यह है कि + + + सज्जनं तदनन्तरं_(व्यवधान)_

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात सही है कि हम + + + लोगों में से हैं_(व्यवधान)_

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। प्रश्न संख्या 109.

राजकीय महाविद्यालय, डीग (भरतपुर) में विज्ञान संकाय

109. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय, डीग को यू. जी. सी. से मान्यता मिल गयी है? यदि हां, तो यू. जी. सी. द्वारा आर्थिक सहायता क्यों नहीं उपलब्ध करायी जा रही है?

(2) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, डीग में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। यू. जी. सी. ने दिनांक 22.2.1991 को महाविद्यालय को मान्यता दे दी थी तथा 22.9.1993 को महाविद्यालय को विकास सहायता भी स्वीकृत की, किन्तु बाद में स्थायी सम्बद्धता न होने का कारण बताते हुए 22.2.1994 को पूर्व स्वीकृत विकास सहायता निरस्त कर दी।

समन्वयक, महाविद्यालय विकास परिषद,

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 29.4.1994 को पुनः यू. जी. सी. को प्रस्ताव भेजकर महाविद्यालय को धारा 12(बी) के तहत सम्मिलित कर विकास सहायता निरस्त नहीं करने का निवेदन किया गया। यू. जी. सी. दल के मई 1995 में जयपुर आगमन पर उनके सम्मुख पुनः प्रस्ताव रखे गये। इस दल ने विकास सहायता राशि पांच लाख रुपये स्वीकृत करने की सिफारिश की है। यह राशि प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

(2) जी नहीं। महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ विषय खोलने के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है जैसे भवन, फीडिंग स्कूल एवं पर्याप्त छात्र संख्या नहीं होने के कारण फिलहाल विज्ञान संकाय खोलने का कोई विचार नहीं है।

श्री अरुण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री से 2-3 प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह गर्ल्स कॉलेज 1977 में ठाकुर भैरोंसिंह शेखावत के पहले के राज में खोला गया। 19 साल हो गये, यह विलम्ब क्यों ? डीग सब डिवीजन की कन्याओं को विज्ञान शिक्षा के लिये या तो अलवर जाना पड़ता है, जो 70 किलोमीटर दूर है, या भरतपुर जाना पड़ता है। माननीय मंत्रीजी, मैं शिष्य तो आपका ही हूं.....

श्री अध्यक्ष : अब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा।

श्री अरुण सिंह : और आपको आज घोषणा ही करनी पड़ेगी.....(व्यवधान).....

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : एक शिष्य को तो मरवा दिया इन्होंने.....

श्री अरुण सिंह : मंत्रीजी, मैं तो आपका शिष्य हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : धन्य हो ! आपने ऐसा शिष्य पैदा किया।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : धन्य हों ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य !

श्री अरुण सिंह : इस जिले के और मेरे डेढ़ लाख वोटर बड़े प्रसन्न होंगे, आप आज ही घोषणा कर दो कि विज्ञान की क्लासेज डीग में शुरू होंगी। भरतपुर में साक्षरता अभियान चल रहा है, पूरे राजस्थान में साक्षरता पर जोर लगा रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है कि डीग सब डिवीजन की कन्याओं के लिए विज्ञान क्लासेज शुरू कर दो ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गर्ल्स कॉलेज नहीं है, यह बॉयज कॉलेज है और इसमें दोनों पढ़ते हैं.....(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इन्होंने शादी नहीं की, अभी तक कुंआरे हैं इसलिये उनका ध्यान गर्ल्स की तरफ ही है। इसलिए आप उसको शुद्ध कर लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने प्लान में इस प्रकार का उपयोग किया है कि हम महिलाओं की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और इसीलिये, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष एक कन्या महाविद्यालय स्थापित किया, इस बार 4 स्थापित किये हैं और हम धीरे-धीरे सभी जिला केन्द्रों पर कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की योजना बना चुके हैं। आखिर साधन सीमित हैं इसीलिये

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जब महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने का विचार राजस्थान भर में किया हुआ है तो उस नाते से यह प्रयत्न है।

अब यह एस. डी. एम. क्षेत्र है। मैं जानता हूं कि माननीय विधायक महोदय डेढ़ लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, किन्तु आज जिला केन्द्र भी अभी कितने ही ऐसे बचे हुए हैं जहां विज्ञान संकाय नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केवल 315 विद्यार्थी इस डीग महाविद्यालय में इस बार हैं और अगर आप देखेंगे तो पार्ट फर्स्ट में कला संकाय में केवल 71 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के-लड़कियां शामिल हैं, प्रवेश लिया है। और वाणिज्य में तो एक ने भी नहीं लिया है।

श्री अरुण सिंह : मंत्रीजी।

अनेक माननीय सदस्य : गुरुजी।

श्री अरुण सिंह : गुरुजी, यह युग कला का नहीं है, यह युग विज्ञान का है, कम्प्यूटर युग है। माननीय ठाकुर साहब, बैठिये, एक मिनट। 1977 में आपने इस डीग कॉलेज की स्थापना की, 19 साल हो गये। मैं अपने गुरु श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी से आग्रह कर रहा हूं कि गर्ल्स और बॉयज के लिए साइंस की क्लास की इजाजत तो आप दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : गुरु-शिष्य के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी + + + हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आपके + + + भी ऐसे ही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि आज जिला केन्द्र भी कई ऐसे हैं जिनमें विज्ञान संकाय नहीं है क्योंकि विज्ञान संकाय खोलने के लिये लैबोरेटरीज की स्थापना करनी पड़ती है, भवन बनाना पड़ता है, उसी के साथ रीज़ेन्ट्स के लिये और उपकरणों के लिये पैसा भी देना पड़ता है। जो साधन हैं उनसे महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने का इस नाते प्रयत्न है। फिर जैसा मैंने बताया कि अभी संख्या इतनी कम है फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक्सपैरीमेंट किया। नोहर वालों ने विज्ञान मांगा, हमने कहा कि आप लैबोरेटरी बना दो। उन्होंने लैबोरेटरी बना दी, रीजेन्ट्स का खर्चा दे दिया, हमने वहां इस साल खोल दी। मैं अभी नाथद्वारा कल-परसों गया था, उन्होंने कहा कि टैम्पल बोर्ड लैबोरेटरी बनाएगा, तीन साल के लिये रीजेन्ट्स के खर्चे दे देगा। हम वहां बना रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी कम होने के बाद भी क्योंकि उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया है, अगर वे लैबोरेटरी बनाने की व्यवस्था लोकली करा देंगे और रीजेन्ट्स का खर्चा दे देंगे तो मैं अपनी सीमा से बाहर जाकर भी विज्ञान संकाय खोलने पर भी विचार कर सकता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह डीग से संबंधित मामला है और डीग में वे संतुष्ट हो गये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : डीग से ही संबंधित है। आज मंत्री महोदय ने जो विद्यार्थियों की संख्या कम बतायी है उसमें कारण यह है कि उच्च शिक्षा में 48 परसेन्ट का रेस्ट्रिक्शन कर दिया है एडमिशन के लिए। मंत्री महोदय, जितना स्टाफ है उतना ही खर्चा हो रहा है और 48 परसेन्ट से नीचे वाले को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर इसको तोड़ दिया जाए तो बहुत-से विद्यार्थियों को एडमिशन मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा इश्यु है। श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह : प्रश्न संख्या 110

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसा कि उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि कोई भी वहां अनुदान दे दे तो हम खोल देंगे, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि पैसा भी हम दे देते हैं__

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें। बहुत अच्छी बात है।

श्री राधेश्याम : कल यहां पर, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर कॉलेज से 50 लड़कियां आयी थीं। आपने हाउस में घोषणा की थी कि 33 प्रतिशत जो लड़कियों का रिजल्ट होगा उनको भी एडमिशन देंगे, लेकिन 60 परसेन्ट वाली लड़कियों को भी एडमिशन नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से सवाल है।

श्री राधेश्याम : यह अलग से सवाल नहीं है, इसी से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें।

श्री राधेश्याम : होम साइन्स के अन्दर आपने फर्माया था कि लैबोरेटरी नहीं है। हमने कहा कि हम अपने खर्चे से बनवाते हैं, और आपने__

श्री अध्यक्ष : राधेश्याम जी, आप विराजिये।

श्री राधेश्याम : इसका जवाब तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हर प्रश्न का जवाब यहां पर कैसे आएगा?

श्री अमराराम (धोद) : यह हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। राजस्थान सरकार को एडमिशन देने में क्या दिक्कत है? केवल एडमिशन देने में कोई खर्चा नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : I'll not compel minister concerned to give answer, फिर भी यदि मिनिस्टर साहब चाहें तो दे दें, क्योंकि यह इससे रिलेटेड सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप आदेश दें, आपको आदेश देने का तो अधिकार है। हम मनवाएंगे आपके आदेशों को।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल किया परसेन्टेज कम करने का। मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे विश्व के प्रांगण में जो चल रहा है कि Higher education is not for all, इस बात की निश्चित रूप से अभिज्ञान रखने की आवश्यकता है और तभी टैक्नीकल एजुकेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 40 परसेन्ट, 45 परसेन्ट या 48 परसेन्ट क्रमशः कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के लिये तय किये हैं। 55 परसेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिये तय किये हैं। हम निश्चित रूप से अड़े हैं। हम शिक्षा का डाइल्यूशन नहीं होने देना

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चाहते हैं और इसीलिए इस बात पर मैं उनका सहयोग करने में असमर्थ हूं। जहां तक गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज की इस साल बात की। भवन अभी नहीं था, सम्भव नहीं था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर होम साइन्स की लैबोरेटरी आप अगले साल तक बनाकर देंगे और उसका एक साल का खर्चा स्वीकार करेंगे तो मैं निश्चित रूप से होम साइन्स विषय गर्ल्स कॉलेज में अगले साल खोल दूंगा।

श्री राधेश्याम : मुझे आपने बताया था कि 600 लड़कियों का एडमिशन नहीं हुआ जिनके 60 परसेन्ट नम्बर थे। गर्ल्स कॉलेज बल्लूराम मौजूद है, प्राइवेट व्यक्ति ने बनाकर दिया है। गवर्नमेन्ट का उसमें क्या योगदान है ?

श्री अध्यक्ष : आप बात भी कर लें। सब बातें यहां पर तो क्लीयर नहीं हो पाएंगी। श्री लक्ष्मण सिंह।

पिछड़ी जातियों को सहायता

110. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति सुधारने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये ?

(2) भविष्य में सरकार उक्त जातियों के कल्याणार्थ क्या योजनाएं बनाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के संबंध में गत दो वर्षों में निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(अ) मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान के लिये बनाई गई पिछड़े वर्गों की सूची समस्त प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर वर्ष 1993 में अधिसूचित की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पिछड़े वर्गों की सूची में पिछड़े वर्गों के नाम जोड़ने-हटाने हेतु राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। जिसका प्रथम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार करने के पश्चात् उक्त सूची को विखण्डित करते हुए वर्ष 1994 में पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित की गई।

(ब) राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21 प्रतिशत अंश पिछड़े वर्गों के लिये वर्ष 1993 में आरक्षित किया गया एवं अपवर्जन के मापदण्ड निर्धारित किये गये।

(स) विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों के 21 प्रतिशत पद पिछड़े वर्गों के लिये वर्ष 1993 में आरक्षित कर दिये गये हैं।

(द) पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची, प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया संबंधी निर्देश वर्ष 1993 में जारी किये गये।

(इ) सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पिछड़े वर्गों के लिए वर्ष 1994 में रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया गया।

(ए) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम से पिछड़े वर्गों को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम को चैनलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया।

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(2) पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक योजनाएं सरकार द्वारा विचार कर तैयार की जाएंगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया वह पूर्णतया निराशाजनक है। मैंने प्रश्न पूछा था कि पिछले दो वर्षों में क्या किया तो मंत्री महोदय 1993 में जो राज्यपाल शासन में 21 प्रतिशत आरक्षण था उसका जिक्र कर रहे हैं। अब आयोग बनाने की बात कर रहे हैं जिसका कार्य यह है कि वह पिछड़े वर्ग की सूची को बनाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला स्पेसिफिक प्रश्न है मंत्री जी से। मंत्री जी, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के समान सुविधाएं दी जा रही हैं और राजस्थान में पिछड़े वर्ग की संख्या 40-42 प्रतिशत है। उनको छात्रावासों की सुविधा, छात्रवृत्ति की सुविधा अभी मात्र सीमान्त जिलों–गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में दी जा रही है। छात्र-वृत्ति के साथ ही साथ स्कालरशिप, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, उच्च कक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व का प्रशिक्षण, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए बेराजगारी भत्ता और कम ब्याज पर लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण प्रदान करने की कोई योजना सरकार रखती है? साथ ही साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पंजाब, हरियाणा, यू. पी., हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा और गुजरात के समान ही मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज और बी. एड. में भी पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने छात्रावासों में जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को सुविधाएं दी जा रही हैं उसी प्रकार से सुविधाएं देने के लिये आग्रह किया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण हुआ तब से नहीं बल्कि उसके पहले से ही समाज कल्याण के छात्रावासों में 10 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने के लिये आरक्षित किया हुआ है। इन्होंने जो स्कालरशिप की बात की है, यह भी पहले से ही, जब पिछड़ा वर्ग के लिए यह नियम लागू नहीं हुए थे आरक्षण के तब से ही सीमान्त जिलों में उनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया हुआ है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अन्य जिलों में?

श्री मदन दिलावर : अन्य जिलों के ऊपर, तो विचार करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक संसाधन जैसे ही होंगे। यह एक नीतिगत प्रश्न है इस पर विचार किया जाएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न और है जो कि इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 1989 में राजस्थान के अन्दर एक अन्य पिछड़ा जाति मण्डल था। राज्य सरकार ने उसको भंग कर दिया और उसके बदले में अन्य पिछड़ा जाति आयोग की स्थापना की जिसका कार्य सिर्फ जातियों का वर्गीकरण करने, जातियों को जोड़ने और निकालने का है। पहले वाले निगम का कार्य था कि राज्य की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका समुचित लाभ प्रदान किया जाए और पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाए। तो जो पिछड़ा वर्ग मण्डल आपने

(श्री लक्ष्मण सिंह)

भंग किया था क्या उसको आप वापस स्थापित करना चाहेंगे? और अभी आपने कहा कि चैनलाइजिंग एजेन्सी बनाई है तो राजस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त एवं विकास निगम की एजेन्सी के माध्यम से आपने कितना पैसा खर्च किया? आप केन्द्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं, आप पहले अपने गिरेबान में झांककर देखिये। डाइरेक्शन केन्द्र सरकार के हैं कि जितना पैसा आप ईयरमार्क करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उतना ही पैसा केन्द्र सरकार भी देगी। आपने पिछले दो वर्षों में एक पैसा पिछड़ी जाति के लिए ईयरमार्क नहीं किया तो कहां से आप चैनलाइजिंग एजेन्सी को पैसा देंगे? केन्द्र सरकार के ऊपर इस बात को डालकर अपने दायित्व से अगर मंत्री महोदय बचना चाहें तो यह राजस्थान की 40-43 प्रतिशत पिछड़ी जाति के प्रति घोर अन्याय होगा। आप यह बताइये कि आप कितना प्रावधान करना चाहेंगे और कितना प्रावधान आपने किया है जो पिछड़े वर्ग को चैनलाइजिंग एजेन्सी के माध्यम से आप लगाना चाह रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न में जवाब दिया है कि केन्द्र सरकार ने राशि उपलब्ध नहीं कराई है, उस पर माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति निगम हमारे यहां है उसको चैनलाइजिंग एजेन्सी बनाया है। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को हमने एक आग्रह किया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए यह रिस्क फण्ड है, कुछ पैसा रिटर्न नहीं होता है उसके लिए आधा-आधा भरपाई कर लें। लेकिन केन्द्र सरकार उसका ठीक प्रकार से कोई उत्तर नहीं दे पा रही है। इससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार केवल घोषणा ही करना चाहती है....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : यह बिलकुल गलत उत्तर दे रहे हैं। राज्य सरकार का दायित्व है कि पहले अपनी राशि बताए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह हो जाता है कि रिस्क फण्ड बनेगा तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बराबर रिस्क फण्ड में डालें। उससे ओ. बी. सी. के लोग जो वास्तव में गरीब हैं, जिस प्रकार वे प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जितनी उसकी यूनिट कास्ट होगी उसके लिए धन उपलब्ध कराने के लिए हम सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री खोईवाल जी।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़े समुदाय के लोगों को फाइनेंशल असिस्टेंस के लिये जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है, एस. सी. वित्त निगम को चैनलाइज किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अतिरिक्त राशि देकर उनको अधिकृत किया है या जो उपलब्ध राशि है एस. सी. के लोगों के लिये उसी राशि में से इस तरह की व्यवस्था की है? यह बड़ा पर्टीनेंट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आपकी चिट्ठी पहले आ गई थी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिजर्वेशन ओ. बी. सी. के

(श्री जगदीप धनखड़)

लिए किया गया है उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि उपयुक्त कैंडीडेट अवेलेबल नहीं हैं। रिजर्वेशन का उद्देश्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह था कि इन लोगों का स्तर इतना हो जाए कि कम्पीटीशन की मेन धारा में आ जाएं। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इतना ज्यादा प्रतिशत इस वर्ग का है, साधन आपके पास उपलब्ध हैं आप केन्द्र सरकार की तरफ क्यों देखते हैं? पैसा आपको मिला हुआ है लेकिन आपके उत्तर से साफ जाहिर है कि आपने कुछ नहीं किया। आपने जो चार कदम उठाये हैं वे महज कागजी हैं। जो आपका उत्तरदायित्व था आप न उठाते तो आपका कोई बस नहीं चलता, वह करना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े वर्ग के साथ न्याय क्यों नहीं किया गया है? ओ. बी. सी. को सही स्थान देने के लिए जो भी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स के लिए तैयारी की जाती है क्या उसको आप एस. सी./एस. टी. के समकक्ष मानेंगे? क्या उनको अन्य रिजर्वेशन्स की फैसिलिटी दी जाती है या देंगे? क्या एक ऐसी समिति का गठन करेंगे जो इस प्रकार का जायजा ले कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में उनके अनुपात के हिसाब से उन पर खर्चा किया जाए? क्या सरकार की इस प्रकार की योजना है?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का रेस्पांस आने दीजिये। एक-एक उत्तर आने दीजिये। मैंने तो दो ही सवाल पूछे हैं। क्या विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे? क्या समिति का गठन कर उस अनुपात में पैसा खर्च करवाएंगे?

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, इनका तो उत्तर दिलवा दीजिये, बाद में जो बोलेंगे उनका उत्तर आता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, बात समझ में आने वाली है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति निगम को ओ. बी. सी. की चैनलाइजिंग एजेन्सी बनाया है और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जो बजट दिया जाता है उसमें से खर्च करेंगे क्या। इसके लिये अलग से होगा। अभी इस प्रकार की केवल एजेन्सी बनायी है। केन्द्र सरकार ने कोई धन उपलब्ध नहीं करवाया है इसलिये अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह सवाल नहीं है, उनका सवाल ही और है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं आया है। अन्य पिछड़े वर्ग के साथ....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आलरेडी एलोकेशन है उसमें से उनका जो शेयर है, उसको खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह राजस्थान सरकार की घोषणा मात्र थी कि ओ. बी. सी. के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जाए? यदि सुविधा के नाम पर इसके साथ पैसा उपलब्ध नहीं कराया तो इस घोषणा की क्या मान्यता रहती है?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो सीधे सवाल पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। यह ऐसा इश्यू है जिस पर सभी माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, कोई सक्षम मंत्री जवाब दे दे।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में ज्यादा समय खराब नहीं करें, और भी प्रश्न हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान अपनी ओर भी इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय धनखड़ जी ने जो प्रश्न पूछा वह मंत्री जी ने नोट नहीं किया और वे जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपसे पूछें तब जवाब दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की स्थापना सरकार ने नहीं की और सरकार के नेक इरादे नहीं हैं। एस. सी., एस. टी. के रूप में चैनलाइजिंग एजेन्सी की उन्होंने घोषणा कर दी। केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये इस साल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित किए लेकिन दुःख की बात यह है कि राजस्थान अपनी कोई चैनलाइजिंग एजेन्सी नहीं बना पाया इसलिये इस फण्ड में से हमें कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिये, डाइल्यूट करने के लिये इसे एस. टी. वित्त निगम के साथ जो जोड़ा गया है यह अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ घोर अन्याय हुआ है। केन्द्र सरकार ने मैचिंग ग्रांट की बात की है....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री भीमराज भाटी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट। आप मैचिंग ग्रान्ट क्रीएट करिये और राजस्थान का पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की स्थापना करने की घोषणा करिये। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में जो पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण निर्धारित किया है उसमें यह तय किया गया है कि सर्विसेज में पिछड़ा वर्ग के जो इन्टेलीजेंट लड़के हैं और जो जनरल मैरिट में आ रहे हैं उनको पहले जनरल मैरिट में काउंट किया जाए। उसके बाद जनरल मैरिट का जो लास्ट लड़का है वहां से लास्ट व्यक्ति के बाद में पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाए। यह केन्द्र सरकार का है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लेकिन पुलिस ने और आर. ए. सी. ने जो भर्ती की है उसमें पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जनरल में काउंट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनुपालना राजस्थान सरकार ने नहीं की।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। हो गई आपकी बात।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अक्षरशः अनुपालना राजस्थान में आरक्षण के लिये करवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के पड़ौसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है तो वह कितने प्रतिशत है? पड़ौसी राज्यों में

(श्री भीमराज भाटी)

पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो राजस्थान में क्यों नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : एक-एक सप्लीमेंटरी में चार-चार सप्लीमेंटरी हो रही हैं।

श्री भीमराज भाटी : क्या केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में जो कम्पीटीटिव एग्जाम्स हैं, कम्पीटीटिव पोस्ट हैं उसके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था है? अगर संघ लोक सेवा आयोग में कोई व्यवस्था है तो राजस्थान के लोक सेवा आयोग में क्या राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम में यदि राजस्थान के लिये कोई राशि आबंटन नहीं की गयी तो समाज कल्याण विभाग और राजस्थान सरकार ने अब तक उसकी राशि मांगने के लिए क्या कार्यवाही की है? अन्य पिछड़ा वर्ग शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है इसलिये उसको शिक्षा के अन्दर आरक्षण मिलना चाहिए, यह मांग पिछले काफी समय से होती रही है। राजस्थान सरकार को पहली बार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर राजस्थान सरकार के प्रति जो पिछड़ा वर्ग की आशा है, उम्मीद है उसको पूरा करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय कालूलाल जी गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी तक भी अन्य पिछड़ा वर्ग को बी. एड., एस. टी. सी. और टैक्नीकल एजुकेशन के एडमिशन के अन्दर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, यह कब से शुरू करेंगे? नम्बर दो, न्यायिक सेवाओं में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिये वह शुरू नहीं हुआ। नम्बर तीन, अध्यक्ष महोदय, आई. ए. एस., आर. ए. एस. और आर. टी. एस. की परीक्षाओं में जिस तरह से एस. सी./एस. टी. के आदमियों को अवसर की छूट है उसी तरह की छूट अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलनी चाहिए। वह अभी तक नहीं दी गयी है तो यह कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कालूलाल गूजर : एक अन्तिम और है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वह पदोन्नति के मामले में अभी तक लागू नहीं हुआ है, यह कब तक लागू कर देंगे?

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है इसलिये इस पर आप आधे घण्टे की चर्चा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : यह लिमिटेड तीन दिन का ही है। माननीय मंत्री जी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मैचिंग ग्रांट का मतलब तो बता दें मंत्री जी कि मैचिंग ग्रांट क्या होती है?

श्री मदन दिलावर : मैचिंग ग्रांट तो जैसे कपड़े का होता है, सूट सिलता है वैसे ही....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।....(व्यवधान) आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैचिंग

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

ग्रांट का मतलब होता है Equal contribution from the centre side and the state side.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अपने शब्द वापस लें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। ...(व्यवधान)...जवाब आने दीजिये। लक्ष्मण सिंह जी, आपका जवाब आ रहा है, आप विराजें...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से खेद व्यक्त करवाया जाए...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : He should apologise.

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय का भाषण खेदजनक है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको शायद ज्यादा ज्ञान है इसलिये ज्यादा बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। जवाब आने दें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : यह राजस्थान सरकार का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान) आप विराजें। मेरी बात सुनें। ...(व्यवधान) माननीय लक्ष्मण सिंह जी, विराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्रीजी, कोई कटपीस की मैचिंग की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : पहले मंत्रीजी माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतना + + + राजस्थान विधान सभा का...(व्यवधान) आपको + + + (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा करवाइये। मंत्रीजी इसमें सक्षम नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी इस पर जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत खेद की बात है, उप मुख्य मंत्री जी हंस रहे हैं...(व्यवधान)।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देंगे, आधे घण्टे की चर्चा करवाइये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न पुकारिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : इस प्रकार के + + + मंत्री का जवाब...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, अगला प्रश्न लीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन का समय नष्ट हो रहा है। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। लक्ष्मण सिंह जी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक-एक प्रश्न के लिये इतना समय....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह एक प्रश्न नहीं है। ....(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : यह बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले अगला प्रश्न लीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा करवाइये। यह कोई जवाब नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अंकित मत करिये। विराजिये आप।

श्री राधेश्याम : XXX

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्री जी बात कह रहे हैं। आप विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरे यह बात समझ में नहीं आयी कि मंत्रीजी ने क्या कहा और कैसे माफी मंगा रहे हैं। क्या कहा इन्होंने ? ....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्रीजी ने कहा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक + + + बोले। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वे मंत्री रहे हुए हैं और सदन की गरिमा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बात ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि सदन में उप मुख्य मंत्री जी इस प्रकार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, शिवनाथ सिंह जी। माननीय उप मुख्य मंत्री जी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मंत्रीजी ने यह कहा कि मैचिंग ग्रांट का मतलब यह होता है जैसे कोट और पैण्ट का कपड़ा मैच करता है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उप मुख्य मंत्री महोदय ने जो बात कही....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका यही स्टैण्डर्ड हो गया....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आप सुन तो लो हमारी बात को....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उन्होंने मैचिंग का मतलब यह बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह : वे बोलते हैं और आप...(व्यवधान) आपको + + +(व्यवधान) You should be ashamed of yourself.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जबरदस्ती कह रहे हैं कि माफी मांगें। किस बात की माफी मांगें? कोई माफी नहीं मांगेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : ऐसे हाउस चला नहीं सकते। हम देखते हैं कि कैसे चलाएंगे हाउस को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। बात क्या हो गयी? आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, हम सत्ता में हैं इसलिये माफी मांगें? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : किस बात के लिये क्या...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : पिछड़े वर्ग का अपमान करते हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : + + + हम सत्ता में हैं। इसलिये माफी मांगें? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके तो हजार खून माफ। जो बात मन में आयी वह हमेशा करें। आप कोई भी अभिव्यक्ति करें, आपको माफ है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : गलती ही नहीं तो माफी कैसे? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, आप विराजिये, हम कोई बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : आप मन में आये जो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप हमारी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, बात जहां से चली थी उसको उस वक्त इतना सीरियस नहीं लिया जा सकता था लेकिन उप मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर जो बात कही है, बहुत + + + बात कही है। ...(व्यवधान) आप सुनिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इनको नियंत्रित कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : हमेशा ही इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + होती तो एक साथ बीच में खड़े होकर क्यों बोलते? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, इनकी तैयारी तो है नहीं, यूं ही + + + टाइम निकालना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते हैं, हमेशा + + + कर रहे हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : नेता विहीन, नेता विहीन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनकी हमेशा की यह नीति है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका नेता कौन है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने अपनी यही नीयत बना रखी है.....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह झगड़ा जनरल है, आगे चलाइये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : यह रोजाना माफी मांगने का आप लोगों को चस्का लग गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न लीजिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : .....ऐसे कर्म करोगे तो रोजाना माफी मांगोगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। अब हो गयी चर्चा, काफी हो गयी चर्चा। विराजें आप (व्यवधान) विराजें, विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये उत्तर सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये हाउस को प्रोवोक कर रहे हैं। विधान सभा अध्यक्ष की गरिमा को गिराया है इसलिये.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें सब। अब कोई बात, न बात का नाम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इनको आप प्रताड़ित करिये और क्वेश्चन आवर को ठीक प्रकार से संचालित करिये। यदि इनकी मंशा यह है कि किसी प्रकार सदन नहीं चले तो विपक्ष.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, हो गया। विराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : यदि मजाक की जाती है तो मजाक का बदला भी लिया जा सकता है.....(व्यवधान) अध्यक्ष जी, देखिये ये फिर खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये आप। (व्यवधान) मेरी बात भी नहीं सुनेंगे अब? आपकी-आपकी ही सुनता रहूंगा, मेरी बात तो सुनेंगे भी नहीं। (व्यवधान) आप विराजिये। मैं यह कह रहा हूं कि पहले पूरी बात सुन लें। यह बात किसी माननीय सदस्य ने पूछ ली कि मैचिंग ग्रांट क्या है, मैचिंग क्या है। जिसने भी पूछी.....(व्यवधान).....आप विराजें। अब आप फिर खड़े नहीं हों। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्या : आपने इशारे में कहा कि मैचिंग क्या होती है, मैचिंग पीस के लिए कह दिया कि क्या होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात सुनते रहें, सुनने की क्षमता रखिये सब। इन्होंने कह दिया कि जैसे पैंट और बुशर्ट की मैचिंग है, इसका मतलब ही यही है कि दोनों को मिलाकर ही काम करना चाहिये, मैचिंग करनी चाहिए काम में। इसमें ऐसी कोई असंसदीय बात नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सब-स्टैण्डर्ड मार्क है, माननीय अध्यक्ष महोदय। पैंट-बुशर्ट से क्या मतलब हुआ ? यह सदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप सबको कष्ट हुआ, उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। अब आप बैठिये। मैंने खेद प्रकट कर लिया। अब आप चलिए आगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसमें कपड़ा क्या है ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, ये सदन के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं—(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यहां पर सदन की गरिमा मेंटेन नहीं रहेगी (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय को इस समय खुला छोड़ दिया तो मन में आये जब बेइज्जती करेंगे ये सदन में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी बात भी सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन ली। आप विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर कोई जवाब आ रहा है, आप आने दें। अध्यक्ष के खेद के बाद अब क्या खेद होना है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल——(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं इसलिये मैं अपनी बात पूरी कर लूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का बहुमूल्य समय— (व्यवधान) माननीय सदस्य तैयारी के साथ आते हैं और राजस्थान की गरीब जनता का करोड़ों रुपया इन प्रश्नों के माध्यम से खर्च होता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पुराने-पुराने और वरिष्ठ लोग—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिना कारण उत्तेजना का माहौल क्यों बना रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिनको इस हाउस में बहुत अनुभव है, ऐसे लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि बहुमूल्य समय को बर्बाद करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या बोल रहे हैं वे ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई वो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब तो शान्ति हो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप यह क्या परम्परा डाल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैंने खेद तो प्रकट कर दिया (व्यवधान) मेरा गला तो थक गया, अब मैं व्हिसिल और घण्टी से बात कर रहा हूं। अब विराजिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : गलत बयानी उन्होंने की है और उप मुख्य मंत्री जी ने लेकिन उनकी

(श्रीमती कमला)

तरफ से माफी आप मांग रहे हो, यह क्या परम्परा डाल रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। इस सर्वोच्च आसन से....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय माफी मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप कोई जवाब देना चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी क्या जवाब देंगे ? पैंट और बुशर्ट का मैचिंग कलर....

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्रीजी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, मुख्य मंत्री से जवाब दिलवाइये। (व्यवधान) आधे घण्टे की चर्चा करवाइये इसके ऊपर, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : आधे घण्टे की चर्चा करवाइये इसके ऊपर।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : आधे घण्टे की चर्चा करवाइये, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) आधा घण्टे की चर्चा करवाइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : प्रश्न संख्या 111.

श्री अध्यक्ष : हां, वह देख लेंगे, बैठिये आप। ये तो बाद में रखेंगे। (व्यवधान) जुबेर खान जी, बैठिये। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आधा घण्टे की चर्चा करवाइये।

एक माननीय सदस्य : इनको प्रताड़ित करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : रूल 49 के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय, इस पर आधा घण्टे की चर्चा करवाइये। मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बाद में विचार करेंगे। अभी इसमें क्या हो रहा है ? बिना काम से (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अन्य पिछड़ी जातियों को अपमानजनक बात कहने और इस सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण नहीं करने पर मैं सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(श्री लक्ष्मण सिंह का सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : प्रश्न संख्या 111.

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मण सिंह जी, विराज जाइये। बिना काम के वाक-आउट नहीं करें आप। विराजिये आप। मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी ने अन्य पिछड़ी जातियों का अपमान किया है, कोई उत्तर नहीं आया है, इसलिये मैं इस कार्यवाही का बहिष्कार करता हूँ। (व्यवधान)

(श्री हरिसिंह (महुआ) का सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : पधारिये। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सिधारो, सिधारो।

श्री रामगोपाल बैरवा : मैं भी वाक-आउट करता हूँ।

(श्री रामगोपाल बैरवा का सदन से बहिर्गमन)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : प्रश्न संख्या 111.

श्री अध्यक्ष : अब आप लोग चुप रहें। बिना काम के बोले जा रहे हैं सब।

एक माननीय सदस्या : जाओ ना, फटाफट जाओ सब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे भी सदन चलाना है।

(श्री अध्यक्ष)

पक्ष और विपक्ष, दोनों के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ, बिना मेरी अनुमति के अब कोई खड़ा नहीं होगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मंत्रीजी से पूछा था, उसका उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहनलाल जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूँ कि आप बैठ जाइये।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं भी वाक-आउट करता हूँ इस पर।

(श्री मोहनलाल मोदी का सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आप वाक-आउट करेंगे तो करिये आप। जाइये, आप बाहर जाइये। (व्यवधान) बैठ जाइये आप।

एक माननीय सदस्य : जाइये, जाइये।

श्री अध्यक्ष : बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : प्रश्न संख्या 111.

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बीच में नो डिस्टर्बेन्स। मेरी बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे। हाथ खड़े करिये आप। बैठ जाइये आप कृपा करके।

डा. शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष : मुझे भी हाउस चलाना है पक्ष और विपक्ष दोनों की भावना को ध्यान में रखकर। मंत्रीजी को जवाब देने दें आप। यह क्या मजाक की स्थिति कर रखी है आपने? श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) में बांधों/नहरों का पुनर्निर्माण

111. श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994 की अतिवृष्टि में विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के कितने बांध व नहरें क्षतिग्रस्त हुईं?

(2) क्या उन बांधों व नहरों की मरम्मत करवाकर पिलाई योग्य बना दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अब इन्हें कब तक ठीक करवा दिया जाएगा?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) वर्ष 1994 की अतिवृष्टि में विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के 19 बांध व नहरें क्षतिग्रस्त हुईं जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

(अ) बांध व उनकी नहरें क्षतिग्रस्त—13

(ब) केवल बांध क्षतिग्रस्त हुए—3

(स) केवल नहरें क्षतिग्रस्त हुईं—3

(2) 15 क्षतिग्रस्त बांधों व नहरों की आंशिक मरम्मत कर उन्हें अस्थाई तौर पर पिलाई योग्य बना दिया गया है। 4 बांध जो टूटे उनमें से तीन बांधों को सुरक्षित स्तर पर आंशिक मरम्मत कर ठीक कर लिया गया है। एक टूटे बांध "सुपेठा" का कार्य नहीं कराया जा सका क्योंकि ठेकेदार ने कार्य अलाट होने के पश्चात् शुरु नहीं किया। टूटी हुई व क्षतिग्रस्त नहरों को आंशिक एवं अस्थाई मरम्मत कर पिलाई योग्य बनाया गया है। नहरों की पूर्ण मरम्मत का कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर करवाया जा सकेगा।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था 1994 की अतिवृष्टि का। इस वर्ष नहीं गत वर्ष अतिवृष्टि हुई—

श्री अध्यक्ष : गत वर्ष कहें, अगले वर्ष में भी झगड़ा पड़ जाएगा।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : नहीं, नहीं जिसमें नहरें और बांध क्षतिग्रस्त हुए थे।

माननीय मंत्री महोदय ने करीब 80 लाख रुपये वहां दिये भी हैं। बांध ठीक हो गये हैं, इसके लिये तो मैं आभारी हूं कि इन्होंने बांध ठीक कराये हैं परन्तु जो नहरें क्षतिग्रस्त हुईं, पूरी नहर साफ हो गयी है। अभी पाइप डामदी खोंखरा में पूरी नहर साफ हो गयी है, अनवासा में पूरी नहर साफ हो गयी है, पचारपुरा में पूरी नहर साफ हो गयी है तथा बल्लियों में पाइप लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था वहां पिलाई की की है। मैं यह बात बराबर इनसे करता रहा हूं, विभाग के अधिकारियों से करता रहा हूं—

श्री अध्यक्ष : अब आप केवल प्रश्न पूछें। पाइंटेड प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : मैं तो पाइंटेड प्रश्न ही कर रहा हूं, भाषण थोड़े ही दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

मुझे हर बार विभाग ने यही कहा कि बजट उपलब्ध होने दो। दो साल से बजट उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो क्षतिग्रस्त नहरें हैं इनके लिये बजट उपलब्ध होने में कोई समय सीमा तो होगी? दो साल से मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बजट उपलब्ध हो जाएगा। यह समय-सीमा हमें बता दें कि कब तक आप इन नहरों के लिये बजट उपलब्ध करा दोगे और कब तक इनको पूर्ण करवा दोगे?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बात तो मान रहे हैं कि जो भी बजट राशि हमें आबंटित की गयी उससे मात्र दो माह के समय में एक को छोड़कर सारे बांधों और नहरों के अन्दर जो आंशिक मरम्मत की आवश्यकता थी, वह पूर्ण करवाकर उससे सिंचाई का काम शुरू कर दिया। जैसा आपने मुझे एक के लिये बताया, वहां एक अड़चन आयी थी लेकिन एक्वे डैम जहां टूट गया था, वहां हमने जी. आई. पाइप लगाकर पिलाई का काम शुरू कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम सिंचाई के अन्दर कहीं भी काम में बाधा नहीं आने देंगे। जैसा आपने राशि के लिये कहा है, इसके लिये आधी राशि तो आबंटित कर दी जाएगी। इसके लिये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने प्रस्ताव भेजे हैं, स्वीकृति आते ही आपके क्षेत्र में काम तुरन्त गति से शुरू हो जाएगा।—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह केवल वहां की बात हो रही है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय, मैं एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, अभी नीतिगत बात नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले में 1994 में बांध और नहरें क्षतिग्रस्त हुई थीं। उसका विभाग ने जो एस्टीमेट बनाकर दिया उसके अनुसार पूरी राशि स्वीकृत न होकर अधूरी-अधूरी राशि को उन्होंने स्वीकृत किया है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब।

श्री रतनलाल ताम्बी : कई नहरें टूटी-फूटी अभी पड़ी हुई हैं, बांधों की हालत सुरक्षित स्थिति में अभी भी पूरी नहीं है, अच्छी बरसात होने पर वापस टूट सकते हैं इसलिये मेरा आग्रह यह है कि इन बांधों को भीलवाड़ा जिले में__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मरम्मत करा दी है और बाकी की होगी तो मरम्मत करा देंगे। बिराजें आप। श्री परसादीलाल जी। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : __ के अन्दर भी यह स्थिति बनी है, मंत्री महोदय अभी तक मरम्मत नहीं करवाई है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : गंगानगर जिले से संबंधित__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह माण्डलगढ़ की बात हो रही है।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह सिंचाई से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित।

श्री अध्यक्ष : माण्डलगढ़ की बात हो रही है, पाइंटेड प्रश्न है, बिराजिये आप। आप मंत्री जी से बात कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप मेहरबानी करके__(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : पल्लीवाल जी, बिराजें आप। श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न संख्या 112.

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कह दिया है हाथ खड़ा करें, अनुमति दूंगा तभी खड़े होंगे।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा__

श्री परसादीलाल मीणा : यह चीफ व्हिप को कहें कि इनके सदस्यों को काबू में रखें।

श्री अध्यक्ष : कन्हैयालाल जी मीणा, आप विराज जाइये। कल भी आपका नाम लिया था और आप एबसेंट थे। बैठ जाइये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : आप आसन का कहना नहीं मानते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न संख्या 112.

श्री अध्यक्ष : कल आपका नाम लिया, आप नहीं थे यहां। बैठ जाइये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : सत्ता पक्ष अनुशासनहीन हो रहा है।

जिला दौसा की उचित मूल्य की दुकानें

112. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की वस्तुओं के अधिकृत विक्रेता नियुक्त नहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की वस्तुओं के अधिकृत विक्रेता नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव आने के बाद भी अधिकृत विक्रेता नियुक्त नहीं किये गये हैं ?

(3) क्या जिला रसद अधिकारी, दौसा के कार्यालय में उचित मूल्य की दुकानों के अधिकृत विक्रेता नियुक्त करने के आवेदन विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किन-किन के कितने ? विचाराधीन आवेदकों की सूची ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसादीलाल मीणा)

(4) आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद भी अधिकृत विक्रेता नियुक्त नहीं करने का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री रामप्रताप) : (1) दौसा जिले की निम्नलिखित 16 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की वस्तुओं के अधिकृत विक्रेता नियुक्त नहीं हैं : —

1. चावण्डहेडा	2. डूंगरावता
3. कुण्डल	4. कालीपहाड़ी
5. कालोता	6. गोलाडा
7. दौलतपुरा	8. डीगो
9. पट्टीकिशोरपुरा	10. मीनासीमला
11. निहालपुरा	12. जयसिंहपुरा
13. मरियाडा	14. सलेमपुर
15. खेडलागदाली	16. पाखर

(2) जी हां।

(3) जिला रसद अधिकारी, दौसा के कार्यालय में उचित मूल्य की दुकानों के अधिकृत विक्रेता नियुक्त करने के 21 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। 9 आवेदन पत्र 6 रिक्त पंचायतों के लिये तथा 12 आवेदन पत्र 9 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त डीलर नियुक्त करने हेतु विचाराधीन हैं। पंचायतवार विचाराधीन आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) 19 आवेदन पत्र प्रवर्तन निरीक्षकों के पास विभागीय निर्देशों के अनुरूप वास्ते जाँच भिजवाये हुए हैं। बाद जाँच नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी। 2 आवेदन पत्र ग्राम पंचायत डीगो एवं निजामपुरा की आबंटन कमेटी को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने हैं।

(सूची के लिये परिशिष्ट–1 देखें)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया भाग संख्या दो में कि विचाराधीन होने के बाद भी, आवेदन पत्र निर्धारित नियमों के अनुसार आने के बाद भी बहुत लम्बे समय पर भी इनके वहां पर डीलर नियुक्त नहीं कर सके, उसका मंत्रीजी ने कारण नहीं बताया है कि क्यों नहीं आप डीलर नियुक्त कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। क्या यह सही है, मंत्रीजी, कि पहले जो आपकी आबंटन कमेटी थी उसमें माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र की कमेटियों का मैम्बर नियुक्त किया गया था? क्या आप ने उस आबंटन कमेटी के विधायकों को हटा दिया? क्या आपका सारे राजस्थान के एम. एल. एज. पर विश्वास नहीं है? आपने उसका बीजेपीकरण करने के लिये अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वहां पर फिट कर दिया जिसके कारण आबंटन कमेटी की मीटिंग समय पर नहीं होती है और उसके कारण ये डीलर अपाइंट नहीं हो रहे हैं। क्या यह सही है? मंत्रीजी, कृपया ध्यान दें। खेडलागदाली ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव आबंटन कमेटी में पास होने के बाद भी आपने किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की शिकायत पर उस फाइल को आपके यहां मंगवाकर बहुत लम्बे समय से डाल रखा है। आप यह बताइये, मंत्रीजी, कि आपने क्यों फाइल मंगवायी? आपने आबंटन कमेटी बना दी, क्या उस आबंटन कमेटी को अधिकार नहीं है डीलर अपाइंट करने का? आपने एक व्यक्ति विशेष की सिफारिश पर फाइल यहां मंगा ली और आप राजनीतिक आधार पर इन ग्राम पंचायतों में डीलर नियुक्त नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय, पाइंटेड प्रश्न पूछें। बिराजें आप। मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने कहा कि विधायकों पर विश्वास नहीं है__

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं है।

श्री रामप्रताप : मुझे खेदपूर्वक__

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुनें।

श्री रामप्रताप : मुझे पूरा सुन लें, उसके बाद में आप पूछ लेना।

ऐसी कोई भावना इसके पीछे नहीं थी। मूल मुद्दा यह था कि ज्यादातर विधायकगण व्यस्त रहते हैं और आबंटन कमेटी में थोड़ा समय लगता था इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उनकी जगह पर दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : केवल बी. जे. पी. के।

श्री रामनारायण चौधरी : केवल आर. एस. एस., बी. जे. पी. के।

श्री रामप्रताप : दो सामाजिक कार्यकर्ता__(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : आपके अनुसार विधायक व्यस्त होंगे, हम लोग तो इस कमेटी में रहना चाहते हैं।

श्री रामप्रताप : आप मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री हीरालाल विश्नोई : विधायक व्यस्त हो गये, आप विधायकों की राय मांग लेते।

श्री परसादीलाल मीणा : सारे विधायक यदि इस कमेटी में रहना चाहते हैं तो आपको क्या एतराज है ?

श्री हीरालाल विश्नोई : आप विधायकों की राय मांग लेते कि व्यस्त हैं या नहीं हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सारे विधायक रहना चाहते हैं। आप तो हाउस से पूछ लो सारे से, सारे मैम्बर कमेटी में रहना चाहते हैं। आप हमसे पूछो न।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप असत्य बोल रहे हैं सरासर__(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आप थोड़ा बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, विश्नोई जी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अपने लोगों को फायदा देने के लिये आपने विधायकों को इस कमेटी से हटाया है__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी, विराजें आप। मैंने आपसे निवेदन किया है कि इस तरह से तो हाउस चलेगा नहीं। हाथ खड़े कर दीजिये, मैं आपको कह दूंगा कि हां, आप बोलिये। मैं जब खड़ा होने की अनुमति दूं तब ही खड़े हों आप।

एक माननीय सदस्य : उधर अनुमति लिये बिना खड़े होते हैं।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने खेड़लागदाली के बारे में पूछा है, खेड़लागदाली पंचायतों के पुनर्गठन से पहले दूसरी पंचायत के साथ में था। जब इसका अलग से पंचायत मुख्यालय बना और उसकी विज्ञप्ति निकली तो जो पूर्व डीलर था उसका यह कहना था कि चूंकि मेरा गांव खेड़लागदाली की पंचायत में है और गांव का नाम लालपुर है इसलिये मुझे खेड़लागदाली की डीलरशिप दी जाए। इस बात को लेकर के ग्रामवासियों में विवाद हुआ दोनों तरफ से।

(श्री रामप्रताप)

आपका फरमाना है कि किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से, व्यक्ति विशेष नहीं, उस डीलर की तरफ से भी शिकायत यहां पर आई और ग्रामवासियों की तरफ से भी यह शिकायत आई कि अगर इसे डीलरशिप दी गई तो हम यह सामान नहीं लेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर फाइल मंगवाई गई है और उचित कार्यवाही करके जब भी अगली आपकी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें यह तय कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, खेड़लागदाली पंचायत समिति महुआ का गांव है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि पूर्व डीलर खेड़लागदाली जो नयी पंचायत बनी है उसके क्षेत्राधिकार का रहने वाला ही है, नम्बर एक। नम्बर दो, आपकी जानकारी में यह भी है कि पूर्व डीलर के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, उसकी जाँच भी आपके आदेश से हुई है और उसको दोषी भी पाया गया है। उसके बाद में कौन से कारण हैं कि आप पूर्व डीलर को ही कन्टीन्यू करना चाह रहे हैं?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कहां चाहते हैं ये? ये तो हटाना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सैकण्ड। सरपंच की शिकायत है। इसी ढंग से सलेमपुर आपने लिस्ट दी है, सलेमपुर में भी सरपंच की सिफारिश आप नहीं मान रहे, वहां दो को आपने कमेटी का मैम्बर बना दिया। क्या कारण है, आप जवाब दीजिये?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दें अब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक प्रश्न मेरा भी है छोटा-सा। विधायक कमेटी के मैम्बर थे और ऐसी मीटिंग सब डिवीजन लेवल पर हुई। कितने विधायक नहीं आये और कितने विधायकों की अनुपस्थिति के कारण दूसरा निर्णय लेना पड़ा? एक दूसरा सवाल इसके साथ-साथ, अगर मान लो यही कारण था तो विधायक को रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी नियुक्त किये जा सकते थे, उसमें क्या आपत्ति थी?

श्री भंवरलाल शर्मा : बैठो, मैम्बर ज्यादा हो जाएंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कहां मैम्बर ज्यादा हो जाते हैं?

श्री अध्यक्ष : अब आने दें उत्तर, नहीं तो मेरे पास आधा मिनट बचा है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय शक्तावत साहब ने जो सवाल पूछा है वह पाइंटेड क्वेश्चन है। मैं सारी डिटेल लेकर के कि कौन-कौन से विधायक नहीं आते, शक्तावत साहब—

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो बराबर मीटिंगों में गया हूं वहां पर, श्रीमानजी। कौन से विधायक नहीं गये?

श्री रामप्रताप : मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपके पक्ष के भी जाते हैं—

एक माननीय सदस्य : विधायकों को बुलाते नहीं हैं, सूचना देते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दें।

श्री रामप्रताप : मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। शक्तावत साहब ने पूछा है उसकी जानकारी मैं पूरी मंगवा कर आपको दे

(श्री रामप्रताप)

दूंगा। खेड़लागदाली के बारे में जो कहा गया है कि सरपंच उपस्थित था, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, मेरी मंशा है कि वहां गरीब को उचित मूल्य पर सामान मिले। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिये। मैं पार्टी लाइन से हटकर यह बात कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी कोई शिकायत होगी मैं भरपूर प्रयास करूंगा उसको दूर करने का। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : एम. एल. ए. को कमेटी में रखने में क्या एतराज है इसमें ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत :सभी विधायकों को पुनः कमेटी में रखने का सरकार का विचार है या नहीं है ?

श्री रामप्रताप : मैं विचार नहीं करूंगा इस बात के ऊपर जब तक पूरी संतुष्टि नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभी विधायकों को इस कमेटी का मैम्बर जैसे अन्य कमेटियों के मैम्बर हैं उस तरह का रखने का इरादा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। विराजें।

12.00

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिकाओं में कर निर्धारकों की नियुक्ति

178. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की नगरपालिकाओं का श्रेणी विभाजन है ? यदि हां, तो किस-किस नगर पालिका में कितने अधिकारी किस श्रेणी के अनुसार कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य की कतिपय नगरपालिकाओं में कर निर्धारकों की नियुक्ति विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में अधिशाषी अधिकारी के पद के विपरीत की गई है ?

(3) क्या कर निर्धारकों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार अधिशाषी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कर निर्धारकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कौन सा कर निर्धारक वर्तमान में कहां नियुक्त है ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिकाओं में नियुक्त अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार प्रशासनिक दृष्टि से पदस्थापित किये जाते हैं।

(4) कर निर्धारकों के वर्तमान पदस्थापन की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 179

(स्थगित)

नगर निगम जयपुर के दैनिक वेतन-भोगी सफाई कर्मचारी

180. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर निगम जयपुर के किस-किस वार्ड में कितने दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मार्गों व नालियों की सफाई का कार्य ही इन सफाई कर्मचारियों को सौंपा गया है ? यदि हां, तो गलियों व रास्तों की सफाई व नालियों की सफाई की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा, मुरलीपुरा स्कीम आदि विभिन्न कालोनियों के रास्तों व नालियों की सफाई नहीं की जाती है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की वार्डवाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि इन सफाई कर्मचारियों को मुख्य मार्गों व रास्तों की सफाई व नालियों की सफाई का कार्य ही सौंपा गया है। इन कर्मचारियों द्वारा मुख्य मार्ग एवं नालियों की सफाई के साथ-साथ गलियों व रास्तों की सफाई आदि कार्य भी लिये जाते हैं।

(3) मुरलीपुरा स्कीम की सफाई हेतु 10 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी तथा 26 कर्मचारी स्थाई तौर पर लगा रखे हैं। जिससे क्षेत्र में सफाई रखी जा रही है। कचरा उठाने के लिए भी सप्ताह में दो दिन कचरा वाहन भेजे जा रहे हैं। झोटवाड़ा के वार्ड नं. 8, 9, 10 में 50 दैनिक वेतन भोगी व 80 स्थायी कर्मचारी हैं।

(सूची के लिये परिशिष्ट–3 देखें)

जयपुर शहर में सिनेमाघरों को भूमि का बेचान

181. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में किन-किन सिनेमाघरों को किस-किस दर पर भूमि बेची गयी ? संबंधित सिनेमा से किये गये अनुबन्ध पत्र की प्रति और दर के दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सिनेमाघरों को जनता के मनोरंजन, सरकार व स्थानीय निकाय की टैक्स की आय को मध्य नजर रखकर भूमि दी गई ? यदि हां, तो क्या सिनेमाघरों को तुड़वा कर कम्प्लेक्स बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उससे सरकार व स्थानीय निकाय को क्या लाभ होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक जो सिनेमा हाल टूट चुके हैं और कम्प्लेक्स बने हैं उन सिनेमा हालों से सरकार को अब तक कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भंग नगर विकास न्यास द्वारा एक सिनेमा भूखण्ड लालकोठी कामर्शियल काम्प्लैक्स योजना में नीलाम किया गया था। आबंटन-पत्र की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है जिसमें आवंटन की शर्तें आदि का पूर्ण विवरण दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी, नहीं। सिनेमा भूखण्डों का बेचान खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। सिनेमाघर तोड़कर वाणिज्यिक उपयोग के निर्माण की स्वीकृति वाणिज्यिक दर से रूपान्तरण शुल्क की राशि लेकर दी जाती है। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि का विवरण संलग्न सूची "ख" में अंकित है।

(3) शालीमार सिनेमा, संगम एक्जीबीटर्स कामर्शियल काम्प्लैक्स, चर्च रोड जयपुर तथा अम्बर सिनेमा, संसार चन्द्र रोड, जयपुर सिनेमा हाल टूटे जिनसे प्राप्त आय का ब्यौरा प्रश्न के भाग दो में संलग्न सूची से स्पष्ट है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर नगर निगम द्वारा गृहकर निर्धारण

182. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में गृहकर निर्धारण का मानदण्ड क्या है? क्या इस संबंध में कोई नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनिता कालोनी, सरस्वती कालोनी, न्यूलाइट कालोनी जयपुर क्षेत्र के किस-किस भवन का कितना-कितना गृहकर कब-कब से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के एक मंजिले भवन का गृहकर अधिक व दो मंजिले भवन का गृहकर कम लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त क्षेत्र के आवासीय व व्यावसायिक भवनों के गृहकर के आंकलन की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में गृहकर का निर्धारण भवन के वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये हुए हैं, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनिता कालोनी, सरस्वती कालोनी, न्यू लाईट कालोनी में बकाया गृहकरदाताओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) उक्त क्षेत्रों में नियमानुसार गृहकर वार्षिक किराये के आधार पर लिया जाता है। यदि एक मंजिले भवन का वार्षिक किराया दो मंजिले भवन से अधिक है तो स्वतः ही कर में अन्तर आता है। अतः गृहकर का आधार केवल वार्षिक किराया है न कि भवन की मंजिल।

(4) उक्त क्षेत्र के आवासीय व व्यावसायिक भवनों में गृहकर के आकलन की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका, नगर (भरतपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

183. श्री गोपी चन्द (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका, नगर (भरतपुर) द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने के किन-किन व्यक्तियों को नोटिस दिये गये? सूची मय नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उन नोटिसों के

(श्री गोपी चन्द)

जवाब मिले? यदि हां, तो जवाबों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अतिक्रमण हटाने के नोटिस जिन-जिन व्यक्तियों को दिये गये हैं, उनकी सूची मय नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिये गये नोटिसों का जवाब तीन व्यक्तियों द्वारा दिया गया उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विकास न्यासों द्वारा भूमि का आबंटन

184. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नगर विकास न्यासों द्वारा आवासीय/व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भूखण्डों के आबंटन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रक्रियानुसार आवेदक को भूखण्ड का आबंटन कितने समय में किया जाना चाहिए?

(3) यदि कोई आवेदक/आबंटी अपनी जमा राशि वापस लेना चाहे तो उसे क्या औपचारिकताएं पूर्ण करनी पड़ती हैं?

(4) आबंटी द्वारा समय पर पैसा जमा नहीं करा पाने की स्थिति में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है एवं आबंटित भूखण्ड का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है?

उत्तर

(1) राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में व्यावसायिक संस्थाओं को भूमि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। पब्लिक एवं चेरिटेबल संस्थाओं की सार्वजनिक एवं लोक प्रयोजनार्थ रियायती दर पर भूमि का आबंटन नियम 18(1) के तहत एवं अन्य संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि का आबंटन नियम 19 के तहत किया जा सकता है।

(2) भूमि आबंटन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) पूर्ण राशि जमा होने पर कोई संस्था/आबंटी भूखण्ड पुनः न्यास को समर्पित करना चाहे तो जमा राशि में से 5% राशि काटकर शेष राशि लौटा दी जाती है।

(4) आबंटी द्वारा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर जमा राशि जब्त कर भूखण्ड आबंटन स्वतः निरस्त हो जाता है, परन्तु आबंटी के अनुरोध पर बकाया राशि नियमानुसार ब्याज व शास्ति सहित जमा करवा कर आबंटन नियमित किया जा सकता है। जब्त भूखण्ड का न्यास द्वारा नियमानुसार लाटरी/नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाता है।

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा स्वीकृत कार्य

185. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास के गठन के बाद पिछले पांच वर्षों में कितनी बैठकें हुई? किस-किस बैठक में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये एवं इनके स्वीकृति के क्या आधार रहे?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(2) कौन-कौन सी कच्ची बस्तियों में कौन-कौन से विकास कार्य पूर्व में करवाये गये एवं किन-किन बस्तियों में वर्तमान में न्यास ने कार्य कराने के निर्बन्ध किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर न्यास द्वारा कौन-कौन से स्वीकृत विकास कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुए उनके क्या कारण रहे एवं अब कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास के गठन के बाद पिछले 5 वर्षों में 20 बैठकें आयोजित की गई। बैठकों की तिथि व बैठक वार स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1 से 2 तक संलग्न है। विकास कार्यों की स्वीकृति क्षेत्र की आवश्यकता व बजट प्रावधानों के आधार पर की जाती रही है। विकास कार्यों की स्वीकृति न्यास बैठक के अलावा अध्यक्ष नगर सुधार न्यास जो इस हेतु अधिकृत है के द्वारा भी की जाती रही है।

(2) राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार चिन्हित कच्ची बस्तियों में पूर्व में करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। वर्तमान में ऐसी कच्ची बस्तियों में निर्बन्ध किये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(3) स्वीकृत विकास कार्य जो अपूर्ण है, उनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर (भरतपुर) की पेयजल योजनाएं

186. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्राम सोगर मोरौली कलां, तालफ्ग, पढोला, नराला, हरचन्द, घानोता ग्रामों को पेयजल उपलब्ध किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजनाओं से कितना लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त व्यवस्था से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसमें सुधार कब और किस प्रकार से विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट–"क" पर उपलब्ध है।

(2) सूचना परिशिष्ट–"क" पर उपलब्ध है।

(सूचना के लिये परिशिष्ट-4 देखें)

प्रश्न संख्या 187

(स्थगित)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बीकानेर द्वारा जारी आदेश प्रकरण

188. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 67-84 दिनांक 2 अप्रेल, 1991 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो आदेश जारी करने से पूर्व उपखण्ड सुजानगढ़ एवं श्रीडूंगरगढ़ के अधीनस्थ स्टोर मुन्शी के कितने पद उपलब्ध थे एवं कौन-कौन सी योजनाओं

(28)

(श्री हरजीराम बुरडक)

पर? आदेश की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त आदेश जारी करने के लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई और विभागीय आदेश व नियमों के तहत क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये थी?

(3) क्या यह सही है कि आदेश से खण्ड रतनगढ़ में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों को स्टोर मुन्शी के पदों पर नियुक्त करने से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों तथा किस प्रक्रिया से?

(4) क्या सरकार बकाया रह गये वरिष्ठ सहायकों को स्टोर मुन्शी के पदों का लाभ देगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध किसी कर्मचारी ने विभाग को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त चूरू के पत्रांक 16340 दिनांक 25.3.91 से निम्न पद कार्य प्रभारित स्टोर मुंशियों से रिक्त बताये गये थे—

(अ) खण्ड सरदारशहर के अन्तर्गत :

1. जलयोजना श्री डूंगरगढ़ :- 1.8.85 रिक्त पद एक (उपखण्ड श्री डूंगरगढ़)

2. जलयोजना सोमासर :- 10.5.88 से रिक्त एक (उपखण्ड श्री डूंगरगढ़)

(ब) खण्ड रतनगढ़ :-

1. जलयोजना सेठों की ढाणी 31.8.88 से रिक्त एक पद (उपखण्ड सुजानगढ़) उपरोक्त बतायी रिक्तियों के विरुद्ध वृत्त चूरू के पत्रांक 13003 दिनांक 24.1.91 के अभिशंषा के आधार पर अति. मुख्य अभियंता क्षेत्र बीकानेर के आदेश क्रमांक 67-84 दिनांक 2.4.91 से पद रिक्त होने की तिथि से कार्य प्रभारित वेतन श्रृंखला का लाभ देकर स्टोर मुंशी पद पर दिया गया था। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)

इन आदेशों को मुख्य अभियन्ता जयपुर के निर्देशानुसार अति. मुख्य अभियंता बीकानेर के आदेश क्रमांक 8786-8886 दिनांक 25.9.91 द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसका उक्त कर्मचारियों ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से स्टे ले लिया तथा वाद न्यायालय में लंबित है, तथा वर्तमान में स्टोर मुंशी के पद पर कार्यरत है।

(2) उपरोक्त आदेश जारी करने से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों का सेवा अभिलेख का सत्यापन जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता तथा वरिष्ठता एवं पदों की रिक्तियों की सूचना संबंधित अधीक्षण अभियंता से प्राप्त कर दी जाती है। अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता से अभिशंषा प्राप्त की जाती है। विभागीय आदेश एवं नियमों के तहत भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित कर वेतन श्रृंखला प्रदान की जाती है। उपरोक्त आदेश करते समय भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

(3) जी नहीं। वरिष्ठता के अनुसार ही अधीक्षण अभियंता की अभिशंषा के आधार पर प्रश्न के भाग दो में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर आदेश किये गये थे।

(4) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(5) उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध इस कार्यालय में किसी भी कर्मचारी ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है।

(आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर शहर की सीवरेज योजना

189. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान जल प्रदाय एवं मल निकासी (सीवरेज) निगम की स्थापना कब हुई ? स्थापना के बाद राज्य में किन-किन शहरों में सीवरेज की योजना उक्त निगम द्वारा बनाई गई तथा उन योजनाओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भरतपुर शहर में भी मल निकासी (सीवरेज) के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब एवं इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान जल प्रदाय एवं मल निकासी (सीवरेज) निगम की स्थापना वर्ष 22 अगस्त, 1988 में हुई थी। निगम की स्थापना के बाद उक्त निगम द्वारा किसी भी शहर के लिए सीवरेज योजना ना तो बनाई गई है ना ही क्रियान्वयन की गई है। क्योंकि यह निगम योजना बनाने व क्रियान्वयन का कार्य नहीं करता है।

(2) भरतपुर शहर हेतु कोई भी सीवरेज (मल निकासी योजना) स्वीकृत नहीं हुई है।

विधान सभा आमेर (जयपुर) के हैण्डपम्प

190. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजीव गांधी फाउन्डेशन द्वारा विधान सभा क्षेत्र आमेर में कितने हैण्डपम्पों की स्वीकृति दी गई और उसमें से कितने हैण्डपम्प लगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, आमेर के पूर्वी हिस्से में जो ग्राम व ढाणियां हैं, में हैण्डपम्प स्वीकृत हुए हैं जब कि पश्चिमी हिस्से व झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में फाउण्डेशन का एक भी हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं हुआ ? यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकार वंचित क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र आमेर में राजीव गांधी टेक्नोलोजी मिशन के तहत 101 हैण्डपम्पों की स्वीकृति दी गई उनमें से 37 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं। विवरण प्रपत्र "अ" के अनुसार है।

(2) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र आमेर में कुल 101 हैण्डपम्प अभी तक राजीव गांधी टेक्नोलोजी मिशन के तहत स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 35 हैण्डपम्प झोटवाड़ा पंचायत समिति के हैं तथा 9 हैण्डपम्प आमेर पंचायत समिति के पश्चिमी क्षेत्र ग्राम हरमाड़ा के तरफ के क्षेत्र में हैं तथा शेष 57 हैण्डपम्प आमेर शहर की तरफ के पूर्वी क्षेत्र के ग्रामों के हैं। समस्या की प्राथमिकता के अनुसार ही हैण्डपम्प स्वीकृत किये जा रहे हैं अतः कोई असमानता नहीं रखी गई हैं।

(3) जी, हां। मापदण्डों के अनुरूप स्वीकृत एवं धन उपलब्धता के अनुसार हैण्डपम्प लगाया जाना संभव हो सकेगा। समस्याग्रस्त हेबीटेशन में राज्य सरकार प्राथमिकता के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आधार पर हैण्ड पम्प लगाने हेतु प्रयासरत है। विधानसभा क्षेत्र आमेर में शेष बची 182 हेबीटेशन में हैण्डपम्प/योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है, शीघ्र स्वीकृत की जाकर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निर्वाचन क्षेत्र श्रीगंगानगर की पेयजल योजनाएं

191. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र श्रीगंगानगर में कितने गांव ऐसे हैं जिनको अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कौन से ऐसे गांव हैं जिनकी हरिजन बस्तियों में पानी उपलब्ध करने के कोई साधन नहीं हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र के ऐसे ग्राम जिनमें पाइप लाइन लगी हुई है, में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी छोड़ा है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के 35 गाँवों को अभी तक पाइप लाईन से नहीं जोड़ा गया है। ये सभी गाँव हैण्डपम्प एवं सेनेटरी डिग्गी योजना से लाभान्वित हैं। सूची परिशिष्ट-'क' पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के सभी गांवों की हरिजन बस्तियों में विभागीय मापदण्ड के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के जिन गांवों में क्षेत्रीय योजना/पनघट योजना तथा पाइप्ड योजना से जुड़े हैं इनमें वितरित किये जा रहे शुद्ध पेयजल की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ (अलवर) की पेयजल योजनाएं

192. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के कस्बे रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ के लिए विभाग की कोई पेयजल योजना सरकार के विचारार्थ है ? यदि हां, तो दोनों कस्बों की पेयजल योजनाओं की विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कस्बों की योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जाएंगी ?

उत्तर

(1) जिला अलवर के कस्बा रामगढ़ के लिये संवर्धन योजना बनाई जा रही है तथा कस्बा गोविन्दगढ़ के लिये संवर्धन योजना बनाई जा चुकी है जिसकी अनुमानित लागत 97.19 लाख रुपये है जिसकी तकनीकी जाँच की जा रही है। बनाई गई योजना का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) कस्बा गोविन्दगढ़ की संवर्धन योजना बनाई गई है। तकनीकी औचित्यता के पश्चात् वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर बजट का आवंटन पश्चात् कार्य करवाया जायेगा। कस्बा रामगढ़ की योजना बनाने की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रक्रिया में है। अतः बनने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-6 देखें)

सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति

193. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से अन्य विभागों, निगमों, मण्डलों में सहायक अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है? यदि हां, तो क्या प्रतिनियुक्ति पर भेजने के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन सालों में कितने सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों, निगमों, मण्डलों में भेजा गया? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन सहायक अभियंताओं को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्य प्रभावित होता है? यदि हां, तो क्या ऐसे सभी सहायक अभियंताओं को वापस बुलाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि दो वर्ष से अधिक किसी भी सहायक अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता? यदि हां, तो ऐसे कितने सहायक अभियन्ता हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर गये दो वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें तथा उन्हें कब तक वापस बुलानें का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां, जन स्वा. अभि. विभाग में सहायक अभियंताओं को अन्य अर्द्ध सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी निगमों, मण्डलों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। इस संबंध में इस विभाग के लिए पृथक नियम नहीं बने हुए हैं अपितु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.2.86 को प्रस्तावित आम आदेश ही लागू होते हैं। इन आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) पिछले तीन वर्षों में (दि. 1.11.92 से 30.10.95 तक) कुल 23 सहायक अभियंता प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये जिनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब") इनमें से 11 स. अभियंता तो प्रतिनियुक्ति से लौट आये हैं और 12 आज भी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(3) जी नहीं। विभाग में सहायक अभियंताओं के करीब 611 पद हैं जिनमें से यदि 12 सहायक अभियंता प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं तो विभाग के कार्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता।

(4) उपरोक्त आदेश दि. 22.2.86 के अनुसार प्रशासनिक विभाग किसी को 4 वर्ष तक की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेज सकता है और आगे एक वर्ष की वृद्धि वित्त विभाग की सहमति से ही की जा सकती है इस समय केवल एक सहायक अभियंता श्री उमेश कुमार धींगरा ही 4 वर्ष से अधिक अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर है। दो वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति वाले सहायक अभियंताओं को वापस विभाग में बुलाने की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिये परिशिष्ट-7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मकराना (नागौर) के हैण्डपम्प

194. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1993 से 1995 तक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मकराना के किन-किन ग्रामों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मौहल्लों/ढाणियों में पीने के पानी की पाइप लाइन डाली गई ? इन मौहल्लों व ढाणियों में कितने हैण्डपम्प पिछले एक वर्ष में लगाये गये ? गांव के नाम व हैण्डपम्पों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1993 से 95 तक विधान सभा क्षेत्र मकराना में किसी भी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मौहल्लों/ढाणियों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई ना ही पिछले एक वर्ष में उन ढाणियों व मौहल्लों में कहीं भी हैण्डपम्प लगाया गया है। माह जून 95 में ग्राम बिनजारी में 30 जिला 30 काम के अन्तर्गत एक हैण्ड पम्प स्वीकृत है जिसको लगाने की कार्यवाही जारी है।

ग्राम ओडिट (नागौर) में अवैध खनन

195. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ओडिट तहसील लाडनूं, जिला नागौर में जो इमारती पत्थर की खानें चल रही थीं उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से उक्त खानों को खोद रहे थे तथा विभाग ने किस-किस को कब-कब इजाजत दी, उनमें किस-किस की खानें बन्द कर दी गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन व्यक्तियों की खानें बन्द करने के आदेश विभाग ने दिये हैं उनका कब्जा विभाग ने कब लिया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जो खानें बन्द करने के आदेश दिये गये हैं उनमें से कई खानें आज भी चालू हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और क्यों, तथा आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम ओडिट तहसील लाडनूं जिला नागौर में इमारती पत्थर की कुल 32 खानें (क्वारी लाइसेन्स) हैं, उनमें से खान नं. 2-ए व 2-बी को दिनांक 8.8.95 को खान नं. 1, 1-ए, 2, 3, निल, 5-ए, 5-बी, 6, 8-ए, 18, 19, 20, 21, 22 को दिनांक 27.9.95 को तथा खान नं. 5, 5-सी, 6-ए, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 24-ए, 25 व 26 को दिनांक 29.9.95 को स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करने के कारण निरस्त किया गया।

(2) कुल 32 क्वारी लाइसेन्सधारियों को समय-समय पर इजाजत दी गई, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट में है। सभी 32 क्वारी लाईसेन्स निरस्त किये जा चुके हैं।

(3) विभाग द्वारा खानों का कब्जा दिनांक 11.10.95 को लिया गया है।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में कोई भी खान चालू नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट-8 देखें)

अजीतगढ़ (सीकर) का अपहरण प्रकरण

196. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(1) क्या यह सही है कि शंकरलाल सैनी नामक युवक का उसकी जीप सहित अजीतगढ़ (जिला सीकर) से अपहरण हुआ ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या शंकरलाल सैनी की हत्या कर दी गई और इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि कार्यवाही की गई है तो उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या उक्त प्रकरण में पुलिस अब कोई कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या इस प्रकरण में पुलिस की अकर्मण्यता के लिये किसी को दोषी ठहराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दि. 23.10.94 की रात्रि को 11 बजे कमाण्डर जीप संख्या : आर. जे.-14 सी-5752 को मय उसके चालक श्री शंकरलाल सैनी को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया।

(2) श्री शंकरलाल सैनी के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अतः उसकी हत्या के सम्बन्ध में सुनिश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में पंजीवद्ध अभियोग संख्या : 163/94 धारा 365, 379 भा. द. सं. थाना अजीतगढ़ के अन्वेषण के दौरान अपहृत चालक एवं जीप बरामदगी व अभियुक्तों की खोज के लिए हर संभव प्रयास किये गये, परन्तु सफलता नहीं मिल पाई है।

(3) जी, हां अभियोग का अन्वेषण जारी है एवं हर संदिग्ध स्थान से अभियुक्तों की खोज की जा रही है।

(4) जी, नहीं। अभियोग अन्वेषणाधीन है।

ग्राम गागरड़ू (जयपुर) का बलात्कार प्रकरण

197. श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के थाना दूदू में ग्राम गागरडू की एक बैरवा जाति की महिला के साथ बलात्कार किये जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त महिला का डाक्टरी मुआयना कराया गया था ? यदि हां, तो कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि थाने पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा इस संबंध में शिथिलता बरती गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1.8.95 को श्रीमती कमला पुत्री घीसा बैरवा निवासी गागरडू थाना दूदू की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या-369/95 अन्तर्गत धारा 376 ता. हि. एवं 3(11) अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पुलिस थाना दूदू पर पंजीवद्ध हुआ है।

(2) जी हां। श्रीमती कमला की चोटों का मेडीकल मुआयना दिनांक 1.8.95 को एवं उम्र तथा बलात्कार संबंधी मुआयना दिनांक 19.8.95 को कराया गया था। मेडीकल

(3A)

(गृह मंत्री)

मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(3) बलात्कार बाबत मेडिकल परीक्षण में विलम्ब हुआ है जिसके लिए दोष निर्धारण हेतु जांच की जा रही है।

(4) उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अभियोग का अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को सुपुर्द किया गया है। अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कर समुचित कार्यवाही नहीं करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पदमनाथ के गढा (बांसवाड़ा) का गो-हत्या प्रकरण

198. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 10 सितम्बर, 1995 को ग्राम पदमनाथ के गढ़ा, जिला बांसवाड़ा में गाय चोरी कर उसकी हत्या करने संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज हुई? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुलिस ने उक्त प्रकरण में पंचनामा बनाया? यदि हां, तो पंचनामें की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि मुल्जिमान को पुलिस ने गाय के मांस के साथ गिरफ्तार किया? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कौनसी धारा में कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुनः निष्पक्ष जाँच करवाकर मुल्जिमान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्यवाही करने के साथ ही इस प्रकरण में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस बाबत कोई सूचना अथवा रिपोर्ट आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) पुलिस विभाग को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अथवा परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

पुलिसकर्मियों के निजी वाहनों पर लाल रंग की पट्टी

199. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों पर राजकीय वाहनों पर अंकित लाल रंग की पट्टी की नम्बर प्लेट के अनुसार नम्बर प्लेट लिखवाने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग/होमगार्ड में कार्यरत राजकीय सेवकों के निजी वाहनों पर लाल रंग की पट्टी नम्बर प्लेट लिखे जाने हेतु महानिदेशक, पुलिस ने आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। किसी राज्य सेवक द्वारा निजी वाहन पर निर्धारित नम्बर प्लेट के अलावा कोई अन्य नम्बर प्लेट लगाया पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

थाना हरमाड़ा (जयपुर) में पंजीबद्ध प्रकरण

200. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि थाना हरमाड़ा, जयपुर में मुकदमा नं. 189/95 दर्ज हुआ है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमें के संबंध में पटवारी हल्का ने भूमि के बारे में रिपोर्ट की है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।,

(3) क्या यह सही है कि विवादित स्थल पर जांच के समय जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आया है? यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) अनुसंधान के दौरान पटवारी हल्का से नाप करवाया गया लेकिन आबादी की जमीन का रिकार्ड पटवारी के पास नहीं होने की वजह से उन्होंने विवादग्रस्त जमीन का नाप तहसीलदार आमेर से करवाने के लिए अनुरोध किया। तहसीलदार आमेर को अनुसंधानकर्ता द्वारा निवेदन किया गया लेकिन बावजूद तलबी के तहसीलदार अभी तक नाप हेतु उपस्थित नहीं आये हैं जिन्हें शीघ्र ही तलब कर नाप करवाया जायेगा।

(3) जी नहीं। अभियोग के अन्वेषण से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर में राशन की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण

201. श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) निर्वाचन क्षेत्र श्रीगंगानगर में चीनी, तेल और अनाज वितरण करने के लिये कितनी राशन की दुकानें कहां-कहां निर्धारित की हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशन की दुकानों को प्रतिमाह कितनी-कितनी मात्रा में राशन में वितरण हेतु उपरोक्त वस्तुएं सरकार द्वारा आवंटित की जाती हैं और उनके वितरण का कितने-कितने समय में निरीक्षण किया जाता है?

(3) अधिकारियों ने उक्त दुकानों में से किस-किस दुकान का गत छः माह में कब-कब निरीक्षण किया और निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) गत छः माह में उक्त दुकानों के विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में की गई अनियमितताओं के बारे में कितने शिकायती

(श्री राधेश्याम)

पत्र सरकार को प्राप्त हुए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र श्रीगंगानगर में चीनी, तेल और अनाज वितरण करने के लिए 74 राशन की दुकानें जहां-जहां निर्धारित की हुई हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त राशन की दुकानों को प्रतिमाह जितनी-जितनी मात्रा में राशन में वितरण हेतु उपरोक्त वस्तुएं सरकार द्वारा आवंटित की जाती हैं, का वितरण प्रश्न के भाग (1) में प्रस्तुत सूची में अंकित है। इनके निरीक्षण हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

(3) अधिकारियों ने उक्त दुकानों में से जिस-जिस दुकान का गत छः माह में जब-जब निरीक्षण किया, की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। निरीक्षण के दौरान केवल एक दुकान देव सहकारी उपभोक्ता भण्डार, वार्ड नं. 37-39 बन्द पाई गई।

(4) गत छः माह में उक्त दुकानों के विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में की गई अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार को चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में विद्युत आपूर्ति

202. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में विद्युत सप्लाई में व्यवधान के कारण गम्भीर रूप से बीमार रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होने तथा जान-माल का नुकसान होने के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने उक्त मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में निरन्तर अबाध रूप से विद्युत सप्लाई होती रहे इस सम्बन्ध में वर्तमान में क्या व्यवस्था कर रखी है? अब सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार हेतु क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में बिजली के उपकरण कई दिनों तक ठीक नहीं कराने से रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली के उपकरणों को तुरन्त ठीक कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में विद्युत व्यवधान के कारण रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाऐं विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुई हैं। अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की हुई है तथा जानमाल के नुकसान होने के प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) मेडिकल कॉलेजों एवं संलग्न चिकित्सालयों में विद्युत सप्लाई की आपात व्यवस्था के लिए जनरेटर उपलब्ध है जिनसे विद्युत व्यवस्था सुचारू रखी जाती है। आवश्यक होने पर इस व्यवस्था में और सुधार की कार्यवाही यथा समय कर ली जाएगी।

(3) जी नहीं। कोई विद्युत उपकरण लम्बे समय तक खराब नहीं रहते, खराब होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेजों एवं संलग्न चिकित्सालय प्रशासन द्वारा तत्काल ठीक करा लिया जाता है।

ग्राम नागेलाव (अजमेर) में चिकित्सा सुविधा

203. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नागेलाव (अजमेर) में ग्रामवासियों को डिस्पेंसरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की काफी लम्बे समय से मांग चली आ रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में विभागीय मानदण्डों के अनुरूप जनसहयोग से भवन का निर्माण कार्य भी करवाया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम में ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से डिस्पेंसरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जन सहयोग से निर्मित भवन विभागीय मापदण्ड के अनुसार नहीं है न ही विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध है। पंचायत समिति पीसांगन में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप आवश्यकता से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, अतः वर्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना संभव नहीं है।

राजकीय चिकित्सालय, पुष्कर की एक्स-रे मशीन एवं रोगी वाहन का रख-रखाव

204. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, पुष्कर में एक्स-रे मशीन एवं रोगी वाहन (एम्बुलेंस) काफी पुरानी होने की वजह से आये दिन खराब रहती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इनकी मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1995-96 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित बजट को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय चिकित्सालय, पुष्कर में नई एक्स-रे मशीन एवं रोगी वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एक्स-रे मशीन एवं रोगी वाहन पुराने हैं, गत तीन वर्ष से एक्स-रे मशीन कार्यरत है। रोगी वाहन की मरम्मत हेतु गत तीन वर्षों में रुपये 3192.25 व्यय किये गये हैं।

(2) जी हां। एक्स-रे मशीन एवं रोगी वाहन उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

38

राजकीय चिकित्सालय, टोंक

205. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक मुख्यालय पर अस्पताल किस श्रेणी का है तथा इस अस्पताल में डॉक्टरों के कितने सृजित पद हैं उनमें कितने विशेषज्ञ हैं? क्या इन सब पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति है? यदि हां, तो नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अस्पताल में रोगियों की संख्या औसत क्या है तथा रोगी शैयाएं कितनी हैं?

(3) क्या सरकार इस अस्पताल का भवन अपर्याप्त मानती है? यदि हां, तो उसके लिए क्या उपाय करने का विचार है?

उत्तर

(1) टोंक मुख्यालय का सआदत अस्पताल "बी" श्रेणी का चिकित्सालय है। विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के स्वीकृत तथा रिक्त पदों की नामवार सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) टोंक चिकित्सालय में औसत रोगियों की संख्या आउटडोर में 324 एवं इन्डोर में 53 प्रतिदिन है।

वर्तमान में सआदत चिकित्सालय टोंक में 150 रोगी शैयाएं स्वीकृत हैं।

(3) समुचित वित्तीय प्रावधान अथवा जन सहयोग प्राप्त होने पर ही भवन विस्तार की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिये परिशिष्ट-9 देखें)

उदयपुर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

206. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में कहां-कहां, किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद सृजित हैं? सूची चिकित्सालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में वर्तमान में विभिन्न पदों पर कौन-कौन चिकित्सक कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विभिन्न चिकित्सालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(4) रिक्त पदों को विभाग द्वारा कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों में सृजित पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(4) वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने के लिए रोक है। नर्सिंग संवर्ग के पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाएगा एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। सीधी भर्ती से चिकित्सकों के भरे जाने वाले पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा हुआ है। चिकित्सा अधिकारी के कुछ पद जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं। पदोन्नतियाँ भी की जा रही हैं। शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बांसवाड़ा जिले में वाहन दुर्घटना

207. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 10 जुलाई, 1995 को बांसवाड़ा जिले में कितने लोग मोटर दुर्घटना में मारे गये तथा कितनों को चोटें आई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के इलाज पर कितना खर्चा आया ?

(3) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा में घायलों की समुचित चिकित्सा नहीं होने पर उन्हें अन्य राज्य गुजरात में इलाज के लिये जाना पड़ा ? क्या उन्हें कोई अनुग्रह राशि दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 10 जुलाई, 1995 को थाना कलिंजरा, कुशलगढ़ के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं 70 व्यक्तियों को चोटें आई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में उपलब्ध औषधियां दी गई एवं बाजार से चोटग्रस्त व्यक्तियों के लिये रुपया 2321.21 की दवाईयां क्रय कर इलाज किया गया तथा राजकीय चिकित्सालय कुशलगढ़ से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के उपचार के लिये प्लास्टर, दवाइयों आदि पर रुपया 9395.00 व्यय किये गये हैं।

(3) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा एवं राजकीय चिकित्सालय, कुशलगढ़ से गुजरात राज्य में इलाज कराने के लिये किसी रोगी को रैफर नहीं किया गया है।

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को किसी प्रकार की अनुग्रह राशि विभाग द्वारा नहीं दी गयी है।

(सूची के लिये परिशिष्ट-10 देखें)

चिकित्सा विभाग के दैनिक वेतनकर्मियों का नियमितिकरण

208. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कितने व्यक्ति कब-कब से 200/- रु. प्रति माह वेतन पर अंशकालिक (पार्टटाइम) कार्यरत हैं ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अल्प वेतन भोगियों को नियमित करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अधीन (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर एवं जैसलमेर को छोड़कर) 147 अंशकालिक (पार्टटाईम) व्यक्ति कार्यरत हैं, जिन्हें 200/- रु. प्रति माह दिये जाने के आधार पर रखा गया है। कार्यरत अंशकालिक व्यक्तियों की जिलावार सूची संलग्न है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जावेगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। वेतन श्रृंखला (1) से (6) तक के पदों की नियुक्तियों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। नियुक्ति से रोक हटने पर तथा पूर्णकालीन पद उपलब्ध होने पर यदि नियमों के अन्तर्गत पात्र है, तो उनके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम, देवगढ़ (राजसमन्द) में सड़क निर्माण पर व्यय

209. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कौन-कौन सी सड़क पर, कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त सड़कों पर अब तक कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद पर (कार्यपर) किस प्रकार से खर्च की जा चुकी है ? विवरण सदन का मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों पर डामरीकरण हेतु स्वीकृत राशि क्या मार्च, 1996 तक "रोड रोलर्स" की कमी के बावजूद भी खर्च की जा सकेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रोड रोलर्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समितियों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में कुल 32 कार्य 168.07 लाख रुपये के एवं वर्ष 1995-96 में कुल 25 कार्य 109.10 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों पर वर्ष 1994-95 में 65.18 लाख राज्य योजनाओं की सड़कों पर तथा 69.00 लाख रु. केन्द्रीय योजना मद पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिये खर्च किये एवं वर्ष 1995-96 में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 29.90 लाख रुपये तथा केन्द्र योजना मद के अन्तर्गत 48.00 लाख रु. खर्च किये, इस प्रकार कुल 212.08 लाख रुपये खर्च किये गये इसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त सड़कों पर डामरीकरण हेतु उपलब्ध राशि का उपयोग मार्च, 1996 तक कर लिया जावेगा। डामरीकरण के कार्य के लिये रोड रोलर्स की उपब्लधि आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कर ली जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर के विद्यालय भवनों का रख-रखाव

210. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में कितने विद्यालय भवन विभाग के अधीन हैं ? इन भवनों की मरम्मत कब-कब की गई व इन पर कितना-कितना व्यय किया गया ? वर्ष 1985 से आज तक कितना व्यय स्कूलों की मरम्मत पर किया गया ?

(2) क्या राजमहल सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय व किसान कन्या सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय एवं नवीन सीनियर

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

हायर सैकेण्डरी विद्यालय जोधपुर एवं बनाड़ रोड़ पर मिडिल विद्यालय के भवन क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में 27 विद्यालय भवन इस विभाग के रख-रखाव में हैं। इन विद्यालय भवनों पर वर्ष 1985 से आज तक किये गये मरम्मत कार्य व खर्चे का प्रतिवर्ष विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजमहल सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय, किसान कन्या सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय, नवीन सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय एवं बनाड रोड पर मिडिल विद्यालय के भवन बहुत पुराने हैं तथा इन भवनों की सालाना मरम्मत आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित किये जाते हैं। विशेष मरम्मत का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रावधान उपलब्ध कराने पर करवाया जाना संभव होगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर शहर के सार्वजनिक पार्कों पर अतिक्रमण

211. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर शहर में कितने सार्वजनिक पार्क हैं एवं उनमें से किस-किस पर किस-किस द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सार्वजनिक पार्कों पर किस-किस पार्क में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(3) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किस-किस पार्क पर कितनी-कितनी राशि रख-रखाव व सौन्दर्यकरण हेतु व्यय की गई ?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर में इस विभाग द्वारा कुल चार सार्वजनिक पार्कों का संधारण किया जा रहा है जो निम्न प्रकार हैं—

1. कम्पनी बाग
2. गोरधन गेट उद्यान
3. फूलबाडी पार्क (रमेश स्वामी पार्क)
4. गांधी पार्क।

इन सार्वजनिक उद्यानों में किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया हुआ है लेकिन :—

(अ) गांधी पार्क भरतपुर में जलदाय विभाग को पानी की टंकी बनाने की राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक एफ. 14(31) पी.डब्ल्यू/92 दिनांक 4.2.93 से अनुमति प्रदान की गई थी।

(ब) फूलबाडी पार्क, भरतपुर में श्री हनुमानजी का मन्दिर पुराने समय से ही स्थित है जिसकी बाउण्ड्रीवाल अलग से बनी हुई है। इसके साथ और कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया हुआ है।

(2) भरतपुर के सार्वजनिक उद्यानों में निम्नानुसार कर्मचारी कार्यरत हैं :—

1. निरीक्षक उद्यान	1
2. कनिष्ठ लिपिक	1
3. पम्प ड्राईवर	3
4. हाली/माली/मेट	24

(3) भरतपुर सार्वजनिक उद्यानों पर अधीक्षक उद्यान, अलवर द्वारा गत तीन वर्षों में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वेतन/मजदूरी एवं उद्यान संधारण पर निम्नानुसार व्यय किया गया है : —

क्र.सं. उद्यान का नाम	वर्ष		
	1992-93	1993-94	1994-95
1. कम्पनी बाग	1,04,253	91,346	1,25,429
2. गोरधन गेट	2,57,416	2,29,750	3,20,477
3. फूलवाडी पार्क (रमेश स्वामी पार्क)	3,00,767	2,77,451	3,87,077
4. गांधी पार्क	75,825	70,305	95,494

इसके अतिरिक्त भरतपुर के तीन सार्वजनिक पार्कों क्रमशः कम्पनी बाग, गांधी पार्क एवं फूलबाडी पार्क की चार दीवारी के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने अपने पत्रांक पं. 13(13) सानि/90 दिनांक 3.8.91 से वर्ष 91-92 में रुपये 5.63 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके तहत उक्त तीन पार्कों की चार दीवारी का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा पूरा कर दिया है जिस पर कुल व्यय 5.69 लाख का हुआ है।

वर्ष 1995-96 में गोवर्धन गेट पार्क की चार दीवारी हेतु रुपये 1.00 लाख एवं कम्पनी बाग में एक बोरिंग हेतु 2.50 लाख रुपये की स्वीकृति पत्रांक प. 2(12) सानि/ए.एस/95/डी-219 एस दिनांक 20.6.95 से स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत गोवर्धन गेट पार्क की चार दीवारी का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कर दिया है एवं कम्पनी बाग में बोरिंग का कार्य दिनांक 30.11.95 तक पूर्ण करने बाबत अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. ने अवगत कराया है।

मंत्रियों द्वारा जांच हेतु प्रेषित प्रकरणों की जांच

212. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मंत्रियों द्वारा उनको प्राप्त शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए शिकायतें विभाग के विभागाध्यक्षों को भेजी जाती हैं और विभागाध्यक्ष उन शिकायतों का उत्तर नहीं देते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री के कार्यालय से पत्र संख्या एफ. 11-14 सानि.प./95/2301 दिनांक 16.6.1985 द्वारा मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को जो शिकायत भेजकर एक माह में रिपोर्ट मांगी गई थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा जांच रिपोर्ट कब मिली ?

(3) इस संबंध में मंत्री महोदय द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा अब क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

माननीय सा. नि. मंत्री से प्राप्त शिकायतों को उनकी जांच करने हेतु सम्बन्धित सम्भागीय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं अथवा अधीक्षण अभियन्ताओं को भिजवायी जाती है व उनसे प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां।

सा. नि. मंत्री के पत्र क्रमांक एफ 11-14/सानि.प./95/2301 दिनांक 16.6.95 द्वारा प्राप्त शिकायत जो इस विभाग में दिनांक 4.4.95 को प्राप्त हो गई थी, की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. सम्भाग बीकानेर से करवाई गई थी उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.10.95 को प्राप्त हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री जी. सी. भार्गव

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, सा. नि. वि. उपखण्ड सुजानगढ़ को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दि. 30.10.95 को आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(3) इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है। आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

झुन्झुनूं (उदयपुरवाटी) में विकास कार्य

213. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति उदयपुरवाटी क्षेत्र में वर्ष 1995-96 की योजनाओं में कौन-कौन सी सड़कों, नालियों, रपटों आदि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा इन कार्यों में सितम्बर 1995 के अन्त तक क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों की प्रगति अति धीमी रही है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत-अवधि में इन कार्यों को पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(3) इन कार्यों के निर्माण को गति प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में वर्ष 1995-96 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 7 कार्य स्वीकृत हुए हैं। जिनका विवरण एवं माह सितम्बर 95 तक की प्रगति परिशिष्ट "अ" में दर्शाई जाकर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सभी 7 स्वीकृत कार्य 95-96 में स्वीकृत हुए हैं और यह सभी कार्य जून 96 तक पूर्ण करवाया जाना संभावित है।

(3) स्वीकृत 7 कार्यों में से संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शायेनुसार तीन कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, एक कार्य की निविदा की स्वीकृति जारी की जा रही है, दो कार्यों की निविदायें 10.11.95 को प्रातः होगी और एक कार्य की निविदा 30.11.95 को प्राप्त होगी और जैसा कि उपरोक्त उत्तर में बताया, जून 1996 तक सभी कार्य पूर्ण कराना सम्भावित है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट–11 देखें)

ग्राम कोटडी सीकर के बरसाती नाले पर पुल निर्माण

214. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के कोटडी ग्राम के पास बरसाती नदी बहती है, जिससे वर्षा के मौसम के दौरान उदयपुरवाटी-खण्डेला सड़क पर कई घण्टों तक यातायात रुक जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस नदी पर रपट अथवा पुलिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सही है कि सीकर जिले के ग्राम कोटडी के पास एक बरसाती नदी (कोटडी नदी) बहती है जो रींगस उदयपुरवाटी सड़क के कि.मी. 48 में क्रास करती है इस नदी पर कोई क्रास डेनेज कार्य नहीं होने के कारण वर्षा के दिनों में इस मार्ग का यातायात लगभग तीन-चार घण्टे के लिये अवरुद्ध रहता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) इस नदी पर रुपये 15.00 लाख की अनुमानित लागत से एक वेन्टेड काजवे बनाने का कार्य की स्वीकृति 96-97 के प्लान प्रस्ताव में स्वीकृत कर कार्य कराया जायेगा।

कुशलगढ़ (अलवर) जिले का विक्रय प्रकरण

215. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किला कुशलगढ़ (अलवर) को बेचने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्ताव का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ऐतिहासिक किले की सरकार द्वारा कितनी कीमत आंकी गई है?

(3) क्या सरकार अलवर के ऐतिहासिक बाला किले को भी बेचने या लीज पर देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, किला कुशलगढ़ अलवर को बेचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी कीमत चार लाख रुपये आंकी गई है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

भरतपुर जिले के बांधों से क्षति

216. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर-जयपुर राष्ट्रीय मार्ग नं. 11 पर बाणगंगा नदी पर मोलोनी ग्राम के नजदीक बने पुराने पुल के मोरे रेत से बन्द होने के कारण नदी का पानी रुका हुआ है जिससे नदी में अवरोध उत्पन्न हुआ और नदी ने रास्ता बदल दिया जिस कारण नदबई व कुम्हेर क्षेत्रों में तबाही हुई?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में बांधों की मोरियां बाढ़ के आने से पूर्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा तेल इत्यादि लुबरीकेशन पदार्थ लगाकर खोलने व बन्द करने हेतु तैयार नहीं की गई और उनमें लगे दरवाजे बाढ़ आने पर भी जल होने के कारण खोले नहीं जा सके? जिससे बांध टूट गये तथा गांवों में पानी भर गया और तबाही हुई? क्या सरकार इसमें किन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी मानती है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी नहीं, नदी में बाढ़ आने के समय पुराने मोलोनी पुल के मोरे रेत से बन्द नहीं थे, बाढ़ का कारण नदी का रास्ता बदलना तथा नदी में पानी की अत्यधिक आवक थी।

(2) भरतपुर जिले में कुछ बांधों की मोरियों के गेट में ओयलिंग ग्रीसिंग करवा ली गई थी परन्तु समस्त गेटों की ओयलिंग-ग्रीसिंग नहीं हो सकी थी। कोई भी बांध गेट नहीं उठने के कारण नहीं टूटा। सभी गेट बांधों का जल स्तर पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंचने से पहले खोल दिये गये थे सारे गेटों की ओयलिंग ग्रीसिंग नहीं करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच की जा रही है तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सागवाड़ा कैनाल (माही परियोजना) पर व्यय

217. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सागवाड़ा केनाल (माही परियोजना, बांसवाड़ा) आर. डी. 14 से 15 कि. मी. पर मिट्टी के कार्य हेतु किए गए अनुबन्ध की वर्ष 1993-94 की राशि कितनी थी ?

(2) उक्त कार्य पर वास्तविक व्यय कितना किया गया ?

(3) उक्त कार्य के साथ अतिरिक्त आइटमों पर कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(4) मूल कार्य एवं साथ के एक्सट्रा आइटम की राशि का सामान्य अनुपात विभाग द्वारा क्या निर्धारित किया गया है ? क्या उक्त कार्य पर किया गया कार्य व्यय उक्त निर्धारण को पूरा करता है ?

(5) उक्त केनाल पर विभिन्न अनुबंधों द्वारा कराये गये कार्यों पर कितनी राशि के आदेश दिये गये तथा उनमें कितनी राशि के एक्सट्रा आईटमों का भुगतान किया गया ? अनुबंधों का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सागवाड़ा कैनाल आर. डी. 14 कि.मी. से 15 कि.मी. पर मिट्टी के कार्य हेतु अनुबंध संख्या : 73/93-94 का निष्पादन किया गया, जिसकी कुल राशि रु. 8,17,819.00 (रु. आठ लाख सत्रह हजार आठ सौ उन्नीस) थी।

(2) उक्त कार्य पर (उक्त अनुबंध के तहत) अब तक रु. 92,37,898.00 (बानवे लाख सैंतीस हजार आठ सौ इठ्यानवे) रुपये व्यय किये गये।

(3) उक्त कार्य पर रु. 32,99,258.00 (बत्तीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ अट्ठावन) रुपये का अतिरिक्त आईटमों पर भुगतान किया गया।

(4) सामान्यतया अनुबंध की राशि से 20% अधिक की राशि तक का कार्य अनुबंध में दी गई दरों पर करवाया जा सकता है। इससे अधिक राशि का कार्य ठेकेदार एवं प्रभारी इंजीनियर द्वारा परस्पर मान्य दरों पर कराया जा सकता है। अनुबंध में विशेष शर्त होने की स्थिति में अधिक राशि का कार्य करवाने का प्रावधान किसी विशेष निश्चित सीमा तक रखा जा सकता है। मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को एक्स्ट्रा आईटम स्वीकृत करने की पूर्ण वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त हैं। उक्त कार्य के एक्स्ट्रा आईटमों की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा दी जा चुकी हैं।

(5) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायत समिति, आनन्दपुरी के निर्माण कार्यों की जाँच

218. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तालाब झेर बडलिया पंचायत समिति आनन्दपुरी का निर्माण कडाना परियोजना द्वारा पूर्व में कराया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति आनन्दपुरी द्वारा दोबारा निर्माण के नाम पर 1,50,000/- रुपया स्वीकृत करा कर

(श्री भवानी जोशी)

घोटाला किया गया? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा झेर बड़लिया तालाब का कार्य नहीं कराया गया।

(2) पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 5051 दिनांक 30.10.95 जो अतिरिक्त कलेक्टर, विकास, डी. आर. डी. ए., बांसवाड़ा को सम्बोधित है, द्वारा सूचित किया गया है कि झेर बड़लिया तालाब के नाम से उक्त पंचायत समिति के द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया।

पलाना फीडर परियोजना (उदयपुर) पर व्यय

219. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के अन्तर्गत पलाना फीडर के नाम से लघु सिंचाई परियोजना का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो इस योजना में अब तक कितना व्यय हुआ व कितना व्यय और किया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह सही है कि इस परियोजना को बीच में ही रोक दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस परियोजना के लिए निर्धारित व्यय किसी अन्य योजना पर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पलाना फीडर लघु सिंचाई परियोजना का कार्य 31.3.95 तक पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान में इस परियोजना पर कार्य नहीं चल रहा है। इस परियोजना पर 31.3.95 तक 106.00 लाख का खर्च हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जयपुर व दौसा खण्ड कर्मियों के प्रकरण

220. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई खण्ड जयपुर एवं दौसा डिवीजनों में वर्ष 1989 में नोर्म्स बनने के बाद अधिशेष (सरप्लस) की कार्यवाही क्यों की गई?

(2) वर्ष 1987 एवं 1989 के अलग-अलग आधार पर, कितने-कितने श्रमिकों को सरप्लस कर किस-किस विभाग में भेजा गया? पृथक्-पृथक् नामजद एवं विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नोर्म्स बनने के बाद भी वरिष्ठता सूची को बदलकर अधिशेष के लिये वर्ष 1987 का आधार क्यों माना गया? क्या सरकार नोर्म्स बनने से पूर्व की स्थिति को बनाये रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) किन कारणों से कितने श्रमिकों को सरप्लस से बचाने के लिये 5 वर्ष की सेवा का अनुभव के आधार पर पदोन्नति एवं आर्थिक लाभ भी दिया गया? यदि हां, तो क्यों? इनसे वरिष्ठ श्रमिकों को पदोन्नति क्यों नहीं दी गई? अब इन्हें कब तक पदोन्नत कर दिया जायेगा?

(5) उक्त प्रकरण में किसे एवं कब जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है? जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड, जयपुर एवं दौसा डिवीजन में वर्ष 1989 में नोर्म्स स्वीकृत होने के पश्चात नोर्म्स (में स्वीकृत पदों) से अधिक कर्मचारियों के कार्यरत होने के कारण अधिशेष की कार्यवाही की गई।

(2) वर्ष 1987 व 1989 के आधार पर सरप्लस किये गये कर्मचारियों की वांछित सूचना क्रमशः परिशिष्ट-"अ" और "ब" पर है।

(3) वर्ष 1987 से 1989 के बीच सिंचाई खण्ड प्रथम जयपुर एवं सिंचाई खण्ड द्वितीय, जयपुर (वर्तमान सिंचाई खण्ड, दौसा) के कार्य क्षेत्र में कई बार परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरुप उपखण्ड एवं अनुभागों में कार्यरत कार्यप्रभारी कर्मचारियों का भी एक खण्ड से दूसरे खण्ड में जाने से उनकी वरिष्ठता सूची पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि 1987 में कोई कार्यक्षेत्र नहीं बदला था, इसलिए कार्यप्रभारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची 1987 वर्ष के मुताबिक रखी गई।

जी नहीं, नार्म्स कार्य की अधिकतम आवश्यकता को देखते हुए बनाये गये हैं, एवं इससे अधिक कार्य प्रभारी कर्मचारियों को रखकर पूर्व स्थिति में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है एवं न ही सरकार ऐसा कोई विचार रखती है।

(4) किसी भी श्रमिक को सरप्लस से बचाने के लिए 5 वर्ष की सेवा का अनुभव के आधार पर पदोन्नति एवं आर्थिक लाभ नहीं दिया गया अतः वरिष्ठ श्रमिक को पदोन्नति नहीं दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(5) उक्त प्रश्न के भाग संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में कोई जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 221

(स्थगित)

अनुसूचित जाति की सूची में गुरु शब्द सम्मिलित किया जाना

222. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अनुसूचित जाति की सूची में अंकित गरो, गरूड़ा, गरोडा शब्दों के साथ गुरु शब्द भी सम्मिलित किये जाने हेतु सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों के माध्यम से सर्वेक्षण करवाकर भारत सरकार को उचित अनुशंसा किया जाना प्रस्तावित था?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रस्ताव की पूर्ति हेतु माननीय मंत्री महोदय ने शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये थे? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस सम्बन्ध में समस्त जिला कलेक्टरों को आवश्यक परीक्षण करवाकर अपनी सिफारिश पूर्ण विवरण के साथ भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(प्रति के लिये परिशिष्ट-13 देखें)

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सहायता

223. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि. नामक संस्था कार्यरत है ? यदि हां, तो यह निगम अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की किन-किन कार्यों में सहायता करता है ?

(2) इस निगम के पास पूंजी की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम पूंजी के अभाव में अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. संस्था कार्यरत है। वर्तमान में यह निगम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लाभार्थ भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि से व्यक्तिगत लाभ की निम्नांकित योजनायें संचालित कर रहा है—

1. शहरी क्षेत्र की योजनाएं–पैकेज आफ प्रोग्राम, शहरी दुकान, स्काईट, आटोरिक्शा

2. ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं–पैकेज ऑफ प्रोग्राम, ग्रामीण दुकान, कार्यशाला, सामूहिक एवं व्यक्तिगत पम्प सैट योजना, आधुनिक कृषि यंत्र कुंओं का ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करना, कुओं का विद्युतिकरण, उन्नत नस्ल की गाय व भैंस।

3. प्रशिक्षण योजनायें–बी.एड., एस.टी.सी., कम्प्यूटर, स्कंध सहायक, गलीचा प्रशिक्षण, आई.टी.आई., मछली पालन, कुक्कुट पालन आदि प्रशिक्षण योजनाऐं संचालित की जा रही हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजनान्तर्गत मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिलाकर पुनर्वासित किये जाने का कार्य भी निगम द्वारा किया जा रहा है।

निगम द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत पेयजल, सम्पर्क सड़क एवं समेकित विकास के अन्तर्गत भी कार्य किया जाता है। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता राशि में से सम्पर्क सड़क व पेयजल की आधारभूत सुविधाओं में व्यय करने पर रोक लगा दी गई है।

(2) निगम की अधिकृत पूंजी 15.00 करोड़ रुपये है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. "अ" श्रेणी—139000 शेयर प्रति शेयर 1000 कुल राशि 13,90,00,000.00 (राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से 51:49 अनुपात में)

2. "ब" श्रेणी—200000 शेयर प्रति शेयर रुपये 50, कुल राशि 1,00,00,000.00 (प्राथमिक एवं जिला स्तरीय सहकारी समितियां वित्तीय संस्थायें, वाणिज्य बैंक, स्वायत्तशासी संस्थायें एवं अर्द्ध स्वायत्तशासी संस्थायें)

3. "स" श्रेणी—100000 शेयर प्रति शेयर रुपये 10 कुल राशि 10,00,000.00

कुल राशि 15,00,00,000.00

निगम की अब तक की चुकता हिस्सा पूंजी का विवरण निम्नानुसार है—

राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	चुकता पूंजी
		(राशि लाखों में)	
297.74	304.18	0.08	602.00

(3) जी नहीं।

घुमक्कड़ जाति के लिए छात्रावास निर्माण

224. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के अस्वच्छ कार्य करने वाले तथा घुमक्कड़ जाति के लिये राजकीय व अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों पर छात्रावास चलाये जा रहे हैं?

(2) प्रत्येक छात्रावास में कितने छात्र लाभ उठा रहे हैं तथा सरकार उनको क्या-क्या सुविधाएं दे रही हैं?

(3) क्या विगत वर्षों में किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाये जा रहे अनुदानित छात्रावास को बन्द किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट अ, ब एवं स पर संलग्न है।

(2) छात्रावास में लाभ उठाने वाले छात्रों की सूचना परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गई है। विभाग द्वारा संचालित राजकीय तथा अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को आवास, भोजन, बिस्तर आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिसके लिये 350/- रु. प्रति छात्र प्रतिमाह साढे नौ माह के लिए भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, जूते, बाल कटिंग, समाचार पत्र, विद्युत एवं पानी आदि के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रु. तथा 9 से 12 तक की कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को 60/- रु. प्रति छात्र प्रति सत्र स्टेशनरी एवं पुस्तकों के लिये एक मुश्त नकद भुगतान किया जाता है। अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान जैसे कठिन विषय के लिये माह नवम्बर से फरवरी 4 माह के लिये छात्रावासी छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग दिलाई जाती है। जिसके लिये 200/- रुपये प्रति विषय प्रति माह का प्रावधान है।

(3) विभाग द्वारा अथवा संस्थाओं द्वारा विगत वर्षों में बन्द किये गये छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिये परिशिष्ट–14 देखें)

जिला बूंदी के ग्राम दुगारी (बूंदी) में कुओं पर हुए व्यय की जांच

225. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दुगारी (जिला बूंदी) में निजी कुएं "बड़ा धाना गुजरों का मोहल्ला दुगारी" को गहरा करवाये जाने के लिए वर्ष 1990 में ग्राम पंचायत द्वारा अकाल राहत के नाम पर रुपये 3285/- व्यय किए गए हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य से संबंधित मस्ट्रोल बिल वाउचर सहित पूरे रेकार्ड की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य सरपंच ग्राम पंचायत दुगारी की लिखित अभिशंसा तथा प्रस्ताव के आधार पर पंचायत समिति स्तर पर निर्णय लेने

(श्री रघुवीर सिंह)

के पश्चात् जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो पंचायत द्वारा प्रेषित पत्र तथा स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है किन्तु ग्राम दुगारी तहसील नैनवां में सार्वजनिक कुआं बड़ा घाना गुजरों का पाडा दुगारी को गहरा करवाने हेतु विकास अधिकारी नैनवां के आदेश क्रमांक 550-60 दिनांक 12.3.90 द्वारा स्वीकृत किया गया था। राशि व्यय की गई थी। मस्टर-रोल बाउचर की छाया प्रति संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत दुगारी तहसील नैनवां द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नैनवां की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा चयन किया जाकर कार्य स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति आदेश दिनांक 12.3.90 की छाया प्रति संलग्न है।

(छाया प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति

226. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले एक वर्ष में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रदेश में जान-माल की कितनी हानि हुई थी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस हानि से पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा क्या राहत प्रदान की गई ?

(3) हानि कब हुई और राहत कब प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या हानि के मुकाबले सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता पर्याप्त है ?

(5) जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है क्या उनसे लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उनका लगान माफ करने का सरकार इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पीडित परिवारों की आवश्यकतानुसार भोजन, आवास, चिकित्सा एवं नकद राशि की सहायता दी गई।

(3) हानि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से माह अगस्त एवं सितम्बर में हुई थी। राहत देना तत्काल प्रारम्भ कर दिया गया था।

(4) सरकार द्वारा सहायता राशि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दी जाती है। नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है।

(5) जिला कलेक्टरों के माध्यम से फसल गिरदावरी करवाई जा रही है। गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जायेगा। बारानी भूमि पर लगान पहले से ही माफ है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-15 देखें)

स्टोन क्रेशर का बकाया ऋण

227. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 1 जनवरी, 1991 से अब तक की अवधि में खादी ग्रामोद्योग द्वारा बूंदी जिले में स्टोन क्रेशर इकाई की स्थापना के लिए

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

ऋण उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितना ऋण जमा हो चुका है तथा कितना किस-किस में बकाया है?

(3) क्या ऋण एवं अनुदान से स्टोन क्रेशर क्रय किये गए? यदि हां, तो क्या मशीनरी एवं सामान मौजूद है? यदि हां, तो क्या-क्या तथा नहीं, तो कितनी मशीनरी खुर्द बुर्द की जा चुकी है?

(4) उक्त सामानों एवं मशीनरी को खुर्द-बुर्द करने तथा मौके पर से हटाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस बाबत क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संदर्भित अवधि में बून्दी जिले में स्टोन क्रेशर इकाई की स्थापना के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री रामनारायण मीणा एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के लघु सीमान्त कृषकों के हितार्थ निर्मित किये जाने वाले विषधारी बांध के निर्माण में बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उत्पादन पर आधारित ग्वार गम उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कच्चे माल के रूप में काम आने वाले ग्वार पर वाणिज्य कर समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर स्थित जसवन्त प्रदर्शनी एवं पशु मेला की गिरती स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल बछेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले विशेषकर दूदू विधान सभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की देख-रेख में जनता पर हो रहे जुल्म के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली नियंत्रित वस्तुओं में अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका बालोतरा की पट्टाशुदा आबादी भूमि पर जल प्रदूषण संयंत्र नहीं लगाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सरकारी नियमों का पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में 31.12.94 को मित्तल भवन में ज्वलनशील

52

पदार्थ के ढोलों में विस्फोट हो जाने से तीन व्यक्तियों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोतीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाते समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के अस्पतालों में डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स के पद रिक्त पड़े होने से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम माचवा तहसील जयपुर की 12 बीघा जमीन पर कथित भू-माफिया द्वारा जबरन कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर स्थित सार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल में व्याप्त भारी अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(12) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य विधान सभा की ओर से नारकोटिक्स कमिश्नर, ग्वालियर द्वारा 9 मार्च एवं 15 मार्च, 1995 को भयंकर ओलावृष्टि से नष्ट फसल के काश्तकारों को पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि नियम 295 के अन्तर्गत बाढ़ एवं अकाल के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में माह अगस्त-सितम्बर, 1995 में आई बाढ़ का पानी कतिपय क्षेत्रों में अभी भी भरा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के कतिपय गांवों में बाढ़ का पानी अभी तक भरा रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में अनावृष्टि व अकाल की विभीषिका के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में बाढ़ से हुई क्षति का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि नियम 295 के अन्तर्गत पंचायतों के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा राज्य की पंचायतों के साथ कथित भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत राज विभाग की संस्थाओं को व्यापक अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति परबतसर व

53

(श्री अध्यक्ष)

मकराना (नागौर) में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उपरोक्त के सम्बन्ध में आज बाढ़ एवं अकाल पर चर्चा तथा अनुपूरक अनुदान की मांग "सामुदायिक विकास" पर विचार के समय इनकी विषय-वस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी को 26.10.95 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने पिताजी की अस्वस्थता के कारण दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रेवती प्रसाद कोली को 27.10.95 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 27 अक्टूबर, 95 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर ख़ान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 3-4 दिन पहले और आज तक भी अखबारों में जिस तरह से दो माननीय सदस्य एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : अभी आप विराजें। मैंने अभी—

श्री जुबेर ख़ान : मुख्य मंत्री जी ने कहा था, सरकार वक्तव्य देगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों हाउस को रोक करना चाहते हो? सब आ जाएगा।

श्री जुबेर खान : वक्तव्य कब आ जाएगा? उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार अपना वक्तव्य देगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी कोई तो कहता है कि जीरो आवर चलाओ। (व्यवधान) श्री मिर्धा जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप समय निश्चित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं थोड़ी देर में बताऊं, आप विराजें। अभी चैम्बर में आप मिल लें। मैं अभी तय करके बता दूंगा, विराजें आप। (व्यवधान) श्री रिछपाल जी मिर्धा। (व्यवधान) आप जीरो आवर करने देंगे या नहीं? आप विराजें। (व्यवधान) अभी आप विराजें, दो मिनट विराजें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से__

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय__

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरा नाम पुकारा है और आप अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : नाम पुकारा है तो बोल लीजिये, साहब, क्या एतराज है ? मैंने नहीं सुना आपका नाम, पहले बोल लीजिये। मैं तो अपना ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्री जी का ध्यान नागौर जिला तहसील डेगाना के गांव कीतलसर की एक अनुसूचित जाति की महिला सरपंच पर हो रहे अत्याचार की तरफ ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, तहसील डेगाना ग्राम कीतलसर में अनुसूचित जाति की महिला सरपंच है। (व्यवधान) हां, मेघवाल ही है। 26.9.95 को जिला कलेक्टर, नागौर के आदेशानुसार तहसीलदार डेगाना के गांव कीतलसर में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उस गांव में गये थे। उन्होंने महिला सरपंच को कहा कि हमको मजदूर उपलब्ध करवाइये, तो महिला सरपंच 8-10 मजदूर लेकर उनके साथ गयी। तहसीलदार, डेगाना अतिक्रमण हटाकर वहां से चले गये। एक ही जाति विशेष के लोगों के वहां अतिक्रमण थे। उनके चले जाने के बाद उन लोगों ने सरपंच के साथ जो मजदूर गये, उनको और महिला सरपंच को डराया, धमकाया और 10 दिन तक गांव से बाहर नहीं निकलने दिया। 29.9.95 को पुलिस स्टेशन डेगाना में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया जिसकी न तो कोई कार्यवाही हुई, न पुलिस वहां गयी और न कोई तफ्तीश की। मुकदमा नम्बर 156/95 पुलिस स्टेशन डेगाना दर्ज होने के बावजूद भी उन लोगों ने उनके घर जाकर मारपीट की, धमकियां दीं। जान से मारने की धमकियां दीं। वह फिर पुलिस स्टेशन गयी मुकदमा दर्ज करवाने तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। उसने कोर्ट के जरिये मुकदमा दर्ज करवाया। अत: मैं राजस्थान के गृह मंत्री से यह मांग करता हूं कि समय रहते उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी तो वहां झगड़े का दूसरा रूप हो जाएगा जिसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री जगदीप जी धनखड़। सब का आ जाएगा। हाथ खड़ा नहीं करें आप।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी मांग वाजिब है और कानूनन यथोचित और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और जिस सरपंच का आप जिक्र कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। एक साल में हेपेटाइटिस बी और सी से पांच सरकारी डाक्टर हैं उनकी मौत हुई है। स्थगन प्रस्ताव का आपका विचार कब है ? यह आये या नहीं आये। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री दलजीत सिंह (बाडी) : अध्यक्ष महोदय, 5 डाक्टर मरे हैं। बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान) इसका जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने जवाब मंगवाया है, आप विराजें।

श्री अरुण सिंह : मंत्रीजी बिलकुल तैयार हैं जवाब देने के लिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, मैंने सरकार को कमैण्ट्स के लिये भेज दिया है।

श्री अरुण सिंह : कमैण्ट्स आ गये हैं आपके पास—

श्री दलजीत सिंह : कमैण्ट्स क्या, साहब, डाक्टर मरे तो कमैण्ट्स क्या हैं? मरे या नहीं मरे, जवाब तो यह है। यहां जी. बी. पन्त हॉस्पीटल का रिकार्ड भी है कि ये मरे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, कि इन पर इन्फेक्शन हुआ है व्हाइल आपरेटिंग ए केस।

श्री अरुण सिंह : माननीय डाक्टर हरिसिंह जी बोलेंगे। ये वरिष्ठ डाक्टर भी हैं, सदस्य भी हैं। (व्यवधान) डाक्टर जितेन्द्रसिंह जी बोलेंगे, वरिष्ठ सदस्य भी हैं।

श्री दलजीत सिंह : यह तो बहुत सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अरुणसिंह जी, विराजें। आपने 131 में ध्यान आकर्षण दिया था, उस ध्यान आकर्षण को सरकार के पास कमैण्ट्स के लिये भेजा है।

श्री अरुण सिंह : सैक्शन 50 में भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब दोनों में ही देना चाहें तो You cannot ride on two horses simultaneously.

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय— (व्यवधान) हमें तो इसका जवाब चाहिये।

श्री दलजीत सिंह : हम तो पूछ रहे हैं कि जवाब कब तक देंगे। —(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ दो घोड़ों पर सवारी नहीं हो सकती, विराजें आप।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 डाक्टर्स मरे हैं तो बाकी पेशेण्ट्स का क्या हुआ होगा जिनका कि किसी को पता नहीं है? (व्यवधान) वैक्सीन का इंतजाम करवाएं डाक्टर्स के लिये, पेशेण्ट्स के लिये।

स्पष्टीकरण

श्री गोपीचन्द का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विषय में आज फिर प्रश्न उठा है, मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाए। डीग से आने वाले माननीय विधायक ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है और सदन में चर्चा हुई है तो मुझे स्पष्टीकरण देने का जरूर मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जरूर देंगे। (व्यवधान) अवश्य, विराजें आप।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सैकिण्ड में आपको बात बता दूं कि जो स्थगन प्रस्ताव माननीय अरुणसिंह जी ने दिया है—

श्री अध्यक्ष : वे दो हैं, ध्यान आकर्षण हैं। (व्यवधान)

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : उसमें सरकार के जवाब की कोई खास अहमियत नहीं है क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है—

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आये माननीय सदस्य श्री अरुणसिंह द्वारा मेरे विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चला है। मैं प्रेस के माध्यम से पहले ही इस घटनाक्रम का खण्डन कर चुका हूं। इस सदन को भी बताना चाहता

56

(श्री गोपीचन्द)

हूं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। यह बेबुनियाद एवं षड्यन्त्रपूर्ण प्रकरण है। माननीय सदस्य श्री अरुणसिंह पूर्व में भी गलत एवं तथ्यहीन मामलों को लेकर सरकार के लिये समस्यापूर्ण तनाव पैदा करते रहे हैं; जैसे भरतपुर पटपड़ा कांड, कुम्हेर स्कूल में जातिगत झगड़ा, कुम्हेर कांड और हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में हरिजन एवं सवर्णों के मध्य संघर्ष कराने का असफल प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त इस समय माननीय सदस्य भरतपुर के विवादस्पद जिला कलेक्टर एवं डीग में फर्जी फर्निश आयल कांड के अपराधियों के संरक्षक भी हैं। मैं सदन की जानकारी में निवेदन करना चाहता हूं कि—

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, हो गया।

श्री गोपीचन्द : इस समय भरतपुर राजपरिवार में चल रहे आपसी द्वन्द्व के अन्तर्गत किसी भी घटनाक्रम में षड्यन्त्र के तहत फंसाया जा सकता है। (व्यवधान) मैं सदन को यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के बेबुनियाद एवं षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहारों से मुझे अहसास होता है कि मेरी हत्या कराने की किसी भी समय कोई घटना घट सकती है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का स्टेटमेंट आ गया, इनका आरोप आ गया—(व्यवधान)—क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : वह दिला देंगे, अब बैठिये ना आप। यह क्या हो जाता है आपको? (व्यवधान) यह जीरो आवर है। जीरो आवर में लोगों की महत्त्वपूर्ण कोई बात कह रहे हैं, वह बात ही नहीं कहने देना चाहते हैं आप। मैंने कहा कि अभी दिलवाएंगे।

श्री गोपीचन्द : यह भी कहना है कि सुरक्षा प्रदान की जाए।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह जी भी तो कुछ कहें। —(व्यवधान)—

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब एक माननीय सदस्य ने इस बारे में चर्चा की तो उसमें चर्चा हो जाए—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ी देर ठहरें। मैंने कहा, अभी वेश्म में जाकर के 10-15 मिनट बाद तय करके बता दूंगा। (व्यवधान) श्री जगदीप धनखड़।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह भी बताइये कि इनमें से किस के खिलाफ कितने-कितने फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं? (व्यवधान) आपका रिकार्ड क्या कहता है?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। (व्यवधान) श्री जगदीप धनखड़।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकारी रिकार्ड क्या कहता है? सरकारी रिकार्ड के मुताबिक इनकी क्या स्थिति है, वह भी बताइये।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्षजी, आरोप और प्रत्यारोप इतने गम्भीर हैं— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये, डाक्टर साहब। ये आरोप-प्रत्यारोप हो जाएंगे। अभी यह जीरो आवर तो हो जाए, बाद में कर देना आप।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : मेरा सुझाव है कि सदन की एक कमेटी बैठा दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आ जाए। (व्यवधान) आरोप और प्रत्यारोप थोड़े गम्भीर हैं—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप जी धनखड़। बहुत अच्छी बात है, विराजिये आप।

श्री गोपीचन्द : माननीय गृहमंत्री जी जवाब दें और इस तरह के षड्यन्त्र से मेरी सुरक्षा की व्यवस्था भी करें।

श्री अध्यक्ष : जरूर करेंगे। विराजिये आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों के सामने जो संकट है, समस्याएं हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या घट रही है और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। अधिकांश 70 साल से ऊपर हैं और राजस्थान में उनकी संख्या दो हजार से ज्यादा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार जहां 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देती है और अन्य प्रान्तों ने भी इसको बढ़ा दिया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पर, वहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस ओर पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी है। आज भी उनको 500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। कहा तो जाता है कि यह सम्मान पेंशन है परन्तु इससे उनका भारी अपमान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जब उनकी संख्या इतनी कम हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और जो बजटरी एलोकेशन आप करते हैं वह भी पूरा खर्च नहीं हो पाता है, उनकी सम्मान पेंशन को पूरी तरह से बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि उनको जो चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं वे इनको अत्यन्त परेशानी में डालती हैं। 70 साल का व्यक्ति पहले डाक्टर के पास जाएगा, फिर सर्टिफिकेट लेगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा और फिर ट्रेजरी में जाएगा। यहां सब जगह वह अपनी पेंशन फाइल लेकर जाएगा, इस इंतजार में कि 500 रुपये अगले महीने मिलेंगे। उनको सारी भाग-दौड़ स्वयं ही करनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहता हूं कि उनको चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर आप हैल्थ-केयर अलाउंस दें। 70 साल की उम्र के पश्चात् आदमी बीमार हो और आप उसकी मदद करें, यह जरूरी नहीं है। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं भी दूं, मेरी एक महीने की तनख्वाह मैं इस फण्ड में इसी समय देने की घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रमाकान्तजी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्री जी को उनसे कोई सहानुभूति नहीं है क्योंकि ये तो स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष में पुलिस के डण्डे चला रहे थे उन पर।

श्री जगदीप धनखड़ : यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कुछ करवाएं। अध्यक्ष महोदय, हम से जब स्वतन्त्रता सेनानी मिलते हैं– हमारे दादा की उम्र के लोग हैं, वे कहते हैं कि क्या आप हमारी इतनी भी मदद नहीं कर सकते। वे हाथ फैलाएं, यह उचित नहीं है। यह सर्वथा अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, अलवर के जो किसान हैं उनकी जो दयनीय स्थिति हो रही है, उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रबी की फसल बोई जा चुकी है परन्तु आज तक अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक से न तो उनको खाद का ऋण मिला है, न बीज का मिला है और न दवाइयों का मिला है। किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं मिला है। ऋण इसलिये नहीं मिल सकता, क्योंकि बोर्ड ने कोई

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रस्ताव पास किया नहीं है। इसलिये नाबार्ड ने उसको क्रेडिट दी नहीं है। इसी प्रकार से जो बैंक हैं उसने न तो ट्रैक्टर का कोई लोन दिया है इस पूरे साल के अन्दर, न स्प्रिंकलर का दिया है, न यातायात वाहन का दिया है और न बेरोजगार लोगों को दिया है। किसी प्रकार का कोई ऋण किसानों को अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं दे पा रहा है। नाबार्ड ने 30 करोड़ रुपये की एक लिमिट दी थी। उसके तहत एक एम. ओ. यू. साइन हुआ था पर उसको भी यूटिलाइज नहीं किया। तीन करोड़ की उनकी अपनी निजी सम्पत्ति है, उसको उन्होंने बिल्कुल गलत-सलत करके बैंक की आर्थिक स्थिति भी इतनी दयनीय बना रखी है कि आज वह बैंक स्वयं कुछ काम नहीं कर सकता है। एक गलत अधिकारी के कारण लाखों किसानों की क्या स्थिति हो सकती है, यह अलवर के किसानों से आप पूछें तो पता लग सकता है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों पर दया की जाए और जो कुछ कार्यवाही हो सकती है शीघ्र करके उनको ऋण दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह जी।

श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में जोधपुर-जैसलमेर को ब्रॉड गेज से जोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जो 55 साल से चला आ रहा है पोकरण स्टेशन, वह वहां से हटाकर के 7-8 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। इससे पोकरण तहसील की 70-80 हजार की जनता पर बहुत ही भारी असर पड़ेगा, रामदेवरा मेला के जो लाखों यात्री आते हैं उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया? स्टेट टाइम से, 55 साल से जो स्टेशन चलता आ रहा है उसको हटाने की क्या साजिश है? मेरे ख्याल से सरकार को रेलवे विभाग द्वारा सही आंकड़ों से, सही बातों से नहीं समझाया गया है इसीलिये हमारे यहां दुःखद घटना घटी। इसी स्टेशन पर हमारे नमक के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जहां से 20 हजार टन का लदान होता है, वह अब सात-आठ किलोमीटर दूर जाकर लदान होने में बहुत ही दिक्कत आएगी। स्टेशन हटने से गोदाम वाले भी कह रहे हैं कि हम यहां से उठेंगे। पोकरण तहसील के साथ यह कुठाराघात क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा एक्सचेंज बोर्ड पोकरण से उठा, एक्सचेंज गोदाम पोकरण से उठ रहा है, रेलवे स्टेशन पोकरण से उठ रहा है। सरकार से निवेदन है कि पोकरण, जैसलमेर की जनता को लाभ दिया जाए। पोकरण स्टेशन उठने से गोमड़ स्टेशन पर भी असर पड़ रहा है, दोनों स्टेशन हमारे उठ रहे हैं और इससे हमें बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। पूरा व्यापारिक वर्ग चिन्तित है। जो अभी स्टेशन बन रहा है, जहां इसका प्रपोजल रखा हुआ है, वह फील्ड फायरिंग रेंज के एन कार्नर से चलता आ रहा है और बीच में कहीं कब्रिस्तान है, कहीं खाले-नाले हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में भारत सरकार से पहल करें या दबाव देकर हमारे स्टेशन को कायम रखने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी निवेदन किया है यह बात बिलकुल सही है कि जैसलमेर जिले का पोकरण दूसरे नम्बर का शहर है। सब

(श्री खेतसिंह राठौड़)

डिवीजनल हैडक्वार्टर है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का वहां आफिस है तथा और भी कई आफिसेज हैं। शहर की आबादी भी अच्छी है, बहुत पुराना शहर है। यहां पर व्यापारिक केन्द्र भी है और नमक भी यहां काफी निकलता है, नमक बहुत चढ़ता है। ये सारे हालात देखते हुए इस स्टेशन को हटाकर दूर ले जाने से तो स्थानीय जनता के लिये भी बहुत परेशानी हो जाएगी और आवागमन के साधनों में भी गड़बड़ी हो जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे रेलवे मिनिस्टर साहब से बात करें कि इसमें अड़चन कहां आ रही है। वहां पर यूं ही बहुत जगह पड़ी है, उसी स्टेशन को कायम रखते हुए वे अपना गोदाम बनाना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप उसके आधार पर लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि यह स्टेशन वहीं रह जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सारी जानकारी करने के बाद मैं रेलवे मंत्रालय से बात भी करूंगा और रेलवे मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखवाऊंगा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी. ए. डी. मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा बैराज से निकाली गयी राइट मेन कैनाल और लैफ्ट मेन कैनाल का जो 100 और 150 किलोमीटर की लम्बाई में पानी का बहाव है, इसमें से काफी नहरें और वितरिकाएं निकाली गयी हैं। इन निकाली गयी नहरों एवं वितरिकाओं की आज दुर्दशा हो रही है। इनको पूरा बजट नहीं मिलने के कारण से समय पर इनकी सफाई नहीं हो पाती है और ये नहरें जगह-जगह से टूटी हुई हैं, जिससे किसानों के खेतों में समय पर पानी नहीं पहुंच पाता है। प्रति वर्ष काफी किसानों की फसलें पानी नहीं पहुंच पाने के कारण सूख जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इटावा ई. बी. सी. में, जिसकी पानी की क्षमता 460 क्यूसेक्स है लेकिन नहर की सफाई नहीं होने के कारण उसमें हमेशा 360 से 380 फीट पानी ही चल पाता है और 100 से 80 क्यूसेक्स पानी प्रति वर्ष हमें कम मिलता है। पानी नहीं पहुंचने के कारण अन्तिम छोर के किसानों की फसलें सूख जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़ौती के किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, हाड़ौती के किसानों के हितों को देखते हुए इस सी. ए. डी. की राइट मेन कैनाल और लैफ्ट मेन कैनाल की सफाई के लिये और बजट स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामस्वरूप जी। सबका नम्बर आ रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक ऐसी अनहोनी घटना आज हमारे क्षेत्र के अन्दर घटी है जो शायद कभी आपने नहीं सुनी होगी। चिकित्सालय इसलिये बनाये जाते हैं ताकि वहां पर आकर मरीजों का इलाज हो, जो मरने वाले हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन हमारे क्षेत्र टोडाभीम का जो रैफरल अस्पताल है, उसके अन्दर चिकित्सा कराना तो दूर रहा, खुद रैफरल अस्पताल ही गिर गया और उसने खुद ही वहां लोगों को मरीज बना दिया। इतनी बड़ी घटना जो शायद हिन्दुस्तान में कभी नहीं घटी होगी। वहां की बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी जिसके बारे में बार-बार कहा जाता रहा था कि,

(60)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय मंत्री महोदय, हमारी बिल्डिंग को आप पैसा दो, यह कभी भी गिर सकती है। लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि चिकित्सा को आज आप बजट दे रहे हो पर चिकित्सा को चाहने वाले मरीज खुद ही बीमार हो जाएं और रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या होगा, बताइये आप ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप धीरे कहेंगे तो भी सुन लेंगे वे सब।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे चिकित्सालय के लिये आप पैसे की घोषणा करें, रक्षा करें, मरीज बाहर पड़े हुए हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोग बीमार पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात, आपकी बात पहुंच गयी, आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, घोषणा करें। मेरे अस्पताल का क्या होगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने टोडाभीम रैफरल अस्पताल के भवन के लिये जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिये हम लोगों ने तखमीना बना लिया है और इसी वित्तीय वर्ष में पन्द्रह लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। डॉ. जितेन्द्र सिंहजी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के एडहॉक बेसिस पर कार्य कर रहे लैक्चरर्स जो दो से आठ वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उनको रैगुलराइज करने की दरख्वास्त करता हूं। महोदय, आयुर्वेद और यूनिवर्सिटी के लैक्चरर्स को बगैर पी. एस. सी. के रैगुलराइज कर दिया जाता है पर गत दस वर्ष से इनके साथ यह अन्याय हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के लैक्चरर्स 110 की संख्या में हैं, सी. एस. सी. के थ्रू सलैक्ट हुए हैं और काम्पीटेंट हैं मोर देन पी. एस. सी.। मेरी दरख्वास्त है कि उनको रैगुलराइज किया जाए क्योंकि वे लैक्चरर्स का काम करते हैं और मेडिकल कॉलेज में भी काम देख रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : यह ऐसी अरजेंसी वाली बात नहीं है, आप विराजिये।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : एक महत्त्वपूर्ण इश्यू और है कि मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के रीडर का पद समाप्त किया जा रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज का यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठा का विभाग है, जिसमें 25 वर्षों से एक भी पद नहीं बढ़ाया गया है। अब उसमें अन्यथा एक पद रीडर का खत्म कर दिया गया तो निश्चित रूप से बड़ी दयनीय स्थिति होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप देखें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बीस लाख रुपये की जो घोषणा की है, उसके लिये मैं क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : पन्द्रह लाख की है।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान राजकीय हास्पिटल की अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस अस्पताल में आज से पांच-छह वर्ष पहले सरकार ने एक एक्सरे मशीन सात-आठ लाख रुपये में खरीद कर भेजी थी लेकिन वह मशीन आज तक चालू नहीं हुई। चालू नहीं होने का मेन कारण यह है कि वहां पर जो प्राइवेट एक्सरे मशीनों वाले हैं वे सी. एम. एच. ओ. से मिलकर वहां एक्सरे टैक्निशियन की नियुक्ति ही नहीं होने देते हैं। बार-बार यह कहा जाता है कि एक्सरे टैक्निशियन नहीं हैं इसलिये इस मशीन को चालू नहीं किया जा सकता। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू कराएं।

दूसरा निवेदन यह है कि वहां एक डाक्टर इन्चार्ज थीं, राजवंशी। उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी प्राइवेट मशीन लगाकर सोनोग्राफी का काम चालू किया, कई वर्ष हो गये। स्वास्थ्य मंत्रीजी को बार-बार कहने के बाद में उनका स्थानान्तरण कर दिया और आज चार महीने हो गये उनको रिलीव किये लेकिन आज तक वे सरकारी बिल्डिंग में मशीन चला रही हैं और रोजाना कम से कम चार-पांच हजार कमा रही हैं। मंत्रीजी इसमें कोई कार्यवाही करें।

तीसरा मेरा निवेदन यह था कि अस्पताल के पास में ही एक धर्मशाला है, उसको वहां के डॉक्टरों ने किराये पर लेकर अपना एक प्राइवेट हास्पीटल खोल रखा है। जिन लोगों के ऑपरेशन होने हैं, वे सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कर देते हैं। रिकार्ड में उनको दिखाते नहीं हैं और प्राइवेट लाखों रुपये महीने में कमा रहे हैं। पहले एक दो बार शिकायत की तो मंत्रीजी ने जांच के लिये भेजा। वहां से सी. एम. एच. ओ. से मिल-मिलाकर उसमें कोई आना-जाना कुछ भी नहीं हुआ। वे जांच करने गये तब उस एक दिन के लिये खाली कर दिया। मंत्रीजी से निवेदन है कि जो शिकायतकर्ता हैं उनके सामने उसकी जांच करें और इसमें तत्परता से तत्काल कोई कदम उठाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी। मान्यवर, जीरो आवर का मतलब यह है कि जो इमीजिएट अरजेंट नेचर की बात है, वह आप फरमाएं तो ठीक रहेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में अजमेर रोड पर स्थित गोयल फैशन्स के 400 कर्मचारियों के द्वारा 4.10.1995 से धरना दिया जा रहा है। वे अपनी मांगों के लिये धरना दे रहे हैं, उनको प्रबन्धकों द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। धरने का एक संवैधानिक अधिकार है, उसके बाद भी जयपुर की पुलिस प्रबन्धकों से मि[illegible] हुई है और उनके डंडे मारती है। धरने के स्थ[illegible] से बाहर भगा देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 350-400 मजदूरों ने जिसमें अधिकांशतः महिलाएं हैं, विधान सभा के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया है। उनकी मांग है कि उनको वेतनमान दिया जाए, बोनस दिया जाए और अपने अधिकार दिये जाएं। साथ ही श्रमिक संगठन द्वारा जो उनका पंजीकरण होता है उसकी व्यवस्था की जाए। किन्तु सरकारी मिलीभगत से और जयपुर जिले के प्रशासन की मिलीभगत से उनको बेरहमी से मारा-पीटा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है और किसी भी तरह की उनकी संवैधानिक सुरक्षा नहीं की जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार अपने गुड ऑफिसेज यूज करके उन्हें जो हक हैं वे उनको दिलवाने के लिए सद्प्रयास करे।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जो संवेदनशील सरकार है उससे निवेदन करना चाहता हूं कि सांचोर पंचायत समिति में जो पार्षद चुनी गयी थी पूनम, उसको घर से बेदखल करके उसका पूरा सामान प्रशासन ने पुलिस थाने में लाकर के बंद कर दिया और 151 में उसको भी बंद कर दिया। आज दिन तक उसका सामान नहीं दिया। उसका कारण यह था कि पूनम म्यूनिसिपैलिटी में निर्दलीय चुनाव जीती थी और बी. जे. पी. को साथ नहीं दिया था। उसकी वजह से वहां के प्रशासन ने उसको अपने घर से बेदखल कर दिया। 20 साल से वह अनुसूचित जाति की महिला अपनी जमीन पर बैठी थी, पूरा एरिया अनुसूचित जाति का है, उसको बेदखल कर दिया। उसको कानून की कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है, आज दिन तक वह बेदखल है। क्या सरकार उसको जमीन देकर कहीं बैठाने की व्यवस्था करेगी? क्या सरकार उसके साथ न्याय करेगी? ऐसा व्यवहार अगर जन प्रतिनिधियों के साथ यह सरकार करेगी, डरा-धमकाकर के किसी पार्षद को या किसी सरपंच को अपने पक्ष में करना चाहते हैं यह कहां का न्याय है? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस महिला को न्याय दिलाए। वह महिला आज दिन तक बिना जमीन के बैठी है। उसके पास जमीन ही नहीं है तो वह कहां बैठेगी? सरकार उसको क्या जमीन देने की व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बूंदी में पुलिस द्वारा एक जाति विशेष के लोगों के साथ ज्यादती की गयी। अध्यक्ष महोदय, जब हम जयपुर से चलते हैं बाइपास रोड, पर, वहां सबसे पहले मस्जिद है दाहिनी तरफ, उसके बाद गुरुद्वारा है, उसके बाद बैरवा समाज का छात्रावास है और उसके बाद गूजर समाज का छात्रावास है। और इसी के साथ मीणा समाज के लोगों का भी कुछ दो बीघा जमीन पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। मस्जिद 30 साल पहले की बनी हुई है, इसी तरह से 30 बीघा में वह छात्रावास है। इस तरह से कब्जे के आधार पर धार्मिक स्थान बने हुए हैं, छात्रावास बने हुए हैं। मैं बहुत दुःखी और चिंतित इसलिये हूं कि दूसरे समाज के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की गयी पर इनके झूठे मुकदमे बनाये गये और सरकारी सम्पत्ति और वहां जो मंदिर बना हुआ है, जो चबूतरा बना हुआ है उसको तोड़ने की बात की गयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस जमीन पर दूसरे लोग यदि कोई कब्जा करते तो कोई बात नहीं होती। मैं मुख्य मंत्रीजी से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन को हिदायत दें कि वह वहां लोगों के साथ इस तरह से ज्यादती से पेश नहीं आए और वहां मस्जिद से लगाकर गुरुद्वारे तक सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। किसी भी समाज के प्रति, धर्म विशेष के प्रति इस तरह की ज्यादती आइन्दा से नहीं हो। जो मुकदमे दर्ज किये गये हैं उन मुकदमों की फाइलों को तलब किया जाए। निर्दोष आदमियों पर झूठे मुकदमे बनाये गये हैं, उनके किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो, इसका प्रबन्ध राज्य सरकार करे। मैं यही आशा करूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल जी।

श्री नन्दलाल मीणा : धारीदार हैं ये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मीणा नहीं हूं, धारीवाल हूं।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले और मध्य प्रदेश के बीच में कोटा जिले का एक आखरी थाना है खातोली। यह खातोली थाना हमेशा ट्रूबलसम थाना रहा है। डकैतों का इलाका भी है, भिंड मुरैना भी पास में आ जाते हैं और चोरियां, डकैती वगैरह कई तरह के क्राइम होते हैं। पिछले एक महीने में ही वहां पर कम से कम चार या पांच कत्ल के केस रजिस्टर हुए हैं।

अभी कुछ दिन पहले एक 25-30 आदमियों की गैंग थाने में पहुंची। पांच-छह आदमी तो थाने के अन्दर बिल्डिंग में घुस गये और 20-25 आदमी बाउंड्रीवाल के आस-पास घूमते रहे जिनके पास पूरे अस्त्र-शस्त्र मौजूद थे और जो शराब के नशे में धुत्त थे। उन्होंने वहां हैड-कांस्टेबल मिला उसके साथ मारपीट की, रोजनामचा उसके हाथ से छीन लिया और उसमें अपनी ही कलम से लिखना चालू कर दिया। यह वाकया आधा पौन घंटे तक उस थाने में होता रहा। थाने में जितने भी बाकी के संतरी और कांस्टेबल थे वे सब थाना छोड़कर भाग गये।

अध्यक्ष महोदय, अब अगर ऐसा वाकया हो जाता है और उसको करने वाले आदमी भारतीय जनता पार्टी के उप जिला प्रमुख, कोटा बजरंग लाल, जिनके खिलाफ यह नामजद रिपोर्ट उसी तारीख को की गयी......

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : वह शराब पीता ही नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मिनरल वाटर पीता होगा। जो आप पीते हैं वो वह पीता होगा।...(व्यवधान)...

चतुर्वेदी जी का उस व्यक्ति को पूरा प्रोटेक्शन मौजूद है और चतुर्वेदीजी की वजह से ही इस एफ. आई. आर. पर जो कि 14.9.1995 को लिखी गयी थी, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : मैं तो समझा अभी अरजेंट नेचर की कोई बात कह रहे हैं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आधा घंटे तक वह पुलिस के इस रोजनामचे में मर्जी आये जो कुछ फिल्मी गीत लिखता रहा। थाने के सारे कर्मचारी, संतरी, कांस्टेबल वगैरह भाग छूटे। अब तो, मुख्य मंत्री जी, यह बता दो कि हम कोटा जिला कब छोड़ें, इस अपराधीकरण की राजनीति में ? जो कि आपकी आंखों के सामने बढ़ती जा रही है इस भारतीय जनता पार्टी में और आप इसे रोक नहीं रहे हो। आपके मंत्रिमण्डल में बैठे हुए लोग इन अपराधियों को पूरा का पूरा संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : संरक्षण के साथ-साथ इनको चुनाव में टिकिट दे रहे हैं, उनके चुनाव के लिये गांव-गांव घूमते रहते हैं और ये मदन दिलावर...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब। विराज जाएं।

श्री राजेन्द्रजी गहलोत, 295। आप विराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्री जी, कभी आपसे निवेदन करूंगा, अब सदन के सामने इनकी उतारने में मुझे आनंद नहीं आएगा। इनके किस्से मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। धारीवालजी, विराजें आप।...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + आपने इस मंत्रिमण्डल में।

श्री अध्यक्ष : धारीवालजी, आप विराज जाएं। विराज जाएं।...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपके प्रतिपक्ष के नेता को एकान्त में बता देना।...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी बढ़ावा देती हो ऐसी बातों को ? इन गुण्डों को बढ़ावा देना चाहती हो आप ?...(व्यवधान)...

श्रीमती तारा भण्डारी : यह + + + शब्द...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। बिना अनुमति के कोई खड़े नहीं हों, विराज जाएं। धारीवालजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे स्वभाव में किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्रय देने का विचार नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गोयल साहब का आदमी है या आपका आदमी है, यह बता दो आप।...(व्यवधान)...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आ गये न अपनी पर। आ गये ये अब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गोयल साहब आपका बताते हैं, आप उनका बताते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कोई भी आरोप निराधार किसी के नाम पर लगा देना और फिर दूसरी बात कर देना, धारीवालजी...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप आपके दिल पर हाथ धर के बता दो कि यह वाकया आपकी जानकारी में है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप दिल पर हाथ रखकर बता दो, श्री राम की कसम है आपको, आप यह बता दो कि यह वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाइये, हो गया राम कसम।...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी जानकारी में आया कि नहीं आया ? और अगर आपकी जानकारी में आया है तो आपने क्या कार्यवाही की ?...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, स्वयं लिप्त रहते हैं, यह भी आपकी जानकारी है जो बता देना।...(व्यवधान)...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहली बार किसी बात की सूचना माननीय सदस्य महोदय ने दी है कि यह घटना हुई है कि नहीं। यह आज पहली बार आपके मुंह से सुनने के लिये मिली है। क्षमा करेंगे मुझे...(व्यवधान)...मेरे नाम से हो तो...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने दो-दो घंटे तक कोटा के सर्किट हाउस में बजरंग लाल मीणा की आलोचना की और आलोचना करने के बाद में फिर उसको आशीर्वाद भी दिया।...(व्यवधान)...और आप आज यह कह रहे हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अब यह और नयी बात कह दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही है, जिनका सोच यह रहा है और पूर्व में उनके सोच में इस प्रकार की बात कहने का उदाहरण यहां प्रस्तुत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। अब आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया, विराजें आप। (व्यवधान) नहीं, अब विराज जाएं। गहलोत साहब, विराजें आप। आप विराजिये, गोविन्द सिंहजी। मुझे दूसरा बिजनस भी लेना है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल :मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह से जीरो आवर बंद करूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : इन पर शुरु से अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त होने का आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां अरजेंसी की बात है ? (व्यवधान) आपने कहां अरजेंट नैचर की बात की है। आप विराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे पूछना चाहता हूं कि निर्माण मंत्री जी ने जो आखिरी में बात कही, क्या उसमें मुझे अपराधी बताया ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल :अपराधी बताया है या नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं बताया। विराज जाइये आप। (व्यवधान) आपको कुछ नहीं बताया, विराजें आप। आपको कोई नहीं बता सकता।

श्री गहलोत साहब, 295. (व्यवधान) कृपया शान्ति बनाये रखें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

ग्वार पर वाणिज्य कर मुक्ति

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उत्पादन पर आधारित ग्वार गम उद्योग को प्रोत्साहित करनें हेतु कच्चे माल के रूप में काम आने वाले ग्वार पर वाणिज्य कर समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यानार्षण कर रहा हूं। महोदय, उपरोक्त विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्रीजी एवं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान के असिंचित कृषि उत्पादन ग्वार पर आधारित ग्वार गम उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु ग्वार के क्रय पर वाणिज्य कर पूर्ण समाप्त करने का कष्ट करें, क्योंकि यह पश्चिमी राजस्थान की बारानी जमीन पर उत्पादित होता है। बारानी जमीन का सरकार द्वारा लगान माफ कर किसानों को राहत दी गयी है। इस फसल का पूरा लाभ किसानों व राजस्थान के उद्यमियों को मिल सके।

जोधपुर ग्वार गम के अन्तरराष्ट्रीय बाजार के रूप में उभरा है। जोधपुर ग्वार गम उद्योग की ख्याति को देखते हुए पड़ौसी राज्यों- गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि पड़ौसी देश पाकिस्तान में भी बड़ी तीव्र गति से ग्वार गम उद्योग स्थापित हुए हैं जिससे इस उद्योग का कच्चा माल राजस्थान से निर्यात होने लगा है क्योंकि पड़ौसी राज्यों में ग्वार क्रय-विक्रय पर कोई कर नहीं है जबकि राजस्थान में चार प्रतिशत कर चुकाना पड़ता है। इसलिये यहां के किसान अपना ग्वार वहां

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सप्लाई करने लगे हैं जिससे किसानों को उनकी वाजिब कीमत भी नहीं मिल पाती है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार को भी 1.6 प्रतिशत की दर से मण्डी टैक्स के रूप में होने वाले सरकारी राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।

राजस्थान राज्य की नई उद्योग नीति के अनुसार सरकार ने 15 करोड़ से अधिक की लागत के उद्योगों को क्रय कर से मुक्त कर दिया है, इससे भी इस लघु उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है।

उल्लेखनीय है कि ग्वार की देश की कुल उपज की 70 प्रतिशत उपज राजस्थान में होती है। राजस्थान में पशु आहार को कर मुक्त रखा है। जब ग्वार को पीसा जाता है तो उसमें 70 प्रतिशत पशु आहार होता है और ग्वार गम शुद्ध टुकड़ियों के रूप में बनता है जो कि पूर्ण रूप से निर्यात योग्य होता है।

राजस्थान में कार्यरत लघु उद्योग इकाइयां 80 प्रतिशत के लगभग हैं जो राज्य वित्त निगम से लिया गया ऋण भी बड़े व्यवस्थित ढंग से चुका रही हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि उनको प्रोत्साहित करने के लिये 4 प्रतिशत वाणिज्य कर पूर्णतः समाप्त करें, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि 4 प्रतिशत वाणिज्य कर समाप्त कर ग्वार गम उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

भरतपुर की जसवन्त प्रदर्शनी एवं पशु मेले की गिरती दशा

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत उपरोक्त सम्बन्धित लोक महत्व के विषय का सदन में निम्न प्रकार विशेष उल्लेख करना चाहता हूं :—

1. यह कि भरतपुर कस्बे में अनेकों वर्षों से, भरतपुर रियासत के जमाने से उत्तरी भारत में मशहूर प्रदर्शनी एवं पशु मेले का आयोजन क्वार के महीने में आने वाले दशहरा के आसपास प्रत्येक वर्ष होता चला आ रहा है। भरतपुर रियासत के जमाने में रियासत का प्रशासन इस मेले का आयोजन करता था और राजस्थान बनने के पश्चात् यह मेला स्टेट कैपिटल फेयर एक्ट के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा लगाया जाता है। मेले के स्थल पर 70-80 के करीब पक्की दुकानें बनी हुई हैं तथा टिन शेड इत्यादि भी बने हुये हैं।

2. इस मेले में कुश्ती, दंगल, कवि सम्मेलन, कव्वाली, मुशायरा, संगीत प्रतियोगिता आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आये हैं तथा जनता के मनोरंजन के लिये सर्कस, खेल, तमाशे, नौटंकी इत्यादि की व्यवस्था प्रतिवर्ष होती रही है।

3. इस मेले व प्रदर्शनी से कई लाख रुपये की आय प्रति वर्ष सरकार को होती है। आज से 10-15 वर्ष पूर्व तक यह मेला उत्तरी भारत में एक विख्यात मेला रहा है। किन्तु अब बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की लापरवाही से यह मेला गिरता जा रहा है और अपना महत्व खो रहा है। इस मेले की प्रबंध समिति में जिले के जन-प्रतिनिधि तथा विधायकों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। पशुपालन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न ही जन प्रतिनिधियों एवं विधायकों का सहयोग लिया जाता है। दुकानें टूट चुकी हैं तथा मेला स्थल के रख-रखाव का कोई प्रबन्ध नहीं है। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम कम

(श्री हरिसिंह)

होते जा रहे हैं और मनोरंजन के आयोजन समाप्त-से हो गये हैं।

4. इस वर्ष मेले का आयोजन बड़ी लापरवाही के साथ किया गया और अच्छी नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहन देने के लिये कोई सुचारु कार्यक्रम नहीं किये गये। मेले की दुकानों की मरम्मत, स्थल के रख-रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेला स्थल पर निरन्तर अतिक्रमण हो रहे हैं, उन्हें हटाने की कोई योजना नहीं है। सरकार मेले की आय को मेले की तरक्की पर खर्च नहीं करती और न ही जैसे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ प्रदर्शनी और मेलों में कर की छूट देकर प्रोत्साहन दिया जाता है उस प्रकार का प्रोत्साहन देकर मेले की बढ़ोतरी का कोई कार्य कर रही है। नतीजा यह है कि भरतपुर का एक प्रसिद्ध मेला व प्रदर्शनी सुव्यवस्था व सरकार के प्रोत्साहन देने के अभाव में समाप्त होने जा रहा है जिससे भरतपुर जिले की जनता में अत्यधिक असंतोष व आक्रोश है। इसलिये मैं यह विषय सदन के समक्ष विशेष उल्लेख के रूप में रख रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी बछेर।

दूदू और जयपुर में पुलिस की देखरेख में जनता पर हो रहे जुल्म

श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान अपने दूदू विधानसभा क्षेत्र और जयपुर जिले में पुलिस प्रशासन की देखरेख में हो रहे जनता पर जुल्म के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे दूदू क्षेत्र में करीब डेढ़ साल से आपराधिक घटनाओं में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सब कुछ ग्रामीण पुलिस एस.पी. की मिलीभगत से हो रहा है। कुछ प्रकरणों की थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं :—

(1) सबसे पहली और अहम् समस्या जिसके लिये मैंने विधानसभा में भी आवाज उठायी है वह यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर अनैतिक देह व्यापार ग्रामीण एस.पी. की नाक के नीचे उसकी देखरेख में बड़े धड़ल्ले से चल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए अभी तक बार-बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(2) थाना रेनवाल में दर्ज मुकदमा नं. 35/95 का अभियुक्त पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। उक्त अभियुक्त ने खाड़ी देशों में नौकरियां दिलवाने का झांसा देकर अनेक लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिये थे। इसी तरह का दूसरा प्रकरण 27.9.95 की रात ग्राम नरैना थाने से फरार बलात्कारी अभियुक्त का है। हथकड़ी सहित उसको फरार करने में ग्रामीण एस.पी. का हाथ रहा है। इन दोनों प्रकरणों में किसी भी पुलिस कर्मी और अधिकारी की लापरवाही के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(3) 24.8.95 को थाना बगरु के तहत ग्राम कालवाड़ के किले के ऊपर से बरामद लाश की बगैर मेडिकल जांच कराये ही प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

(4) दिनांक 1.8.95 को थाना दूदू स्थित ग्राम गागरडू में एक महिला से बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें उक्त महिला का लम्बे समय तक डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया क्योंकि यह आपसी रंजिश का मामला था जिसमें रुपये ऐंठकर पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया है।

(श्री बाबूलाल बछेर)

(5) दिनांक 16.1.95 को दर्ज मुकदमा थाना नरैना का एक प्रकरण जहां पर जमाल खां नामक व्यक्ति की लाश कुएं से बरामद हुई, लेकिन उचित जांच न करके पुलिस मोटी रकम लेकर अपराधियों का साथ दे रही है।

(6) थाना जोबनेर के एक प्रकरण में दिनांक 12.1.95 को कुएं में डालकर आनंदी देवी नामक महिला की हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या प्रकरण को भी एस.पी. द्वारा दबाया जा रहा है।

(7) यह प्रकरण 13 अक्टूबर का है, सिपाही यादराम पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) का खासमखास है जो अपनी ड्यूटी लाइन में देने की बजाय दिन भर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पास रहता है और आने-जाने वाले लोगों से पैसा ऐंठकर उन्हें देता है। 13 अक्टूबर को इस सिपाही ने ग्रामीणों से 15,000 रुपये ऐंठे और आपस में बांट लिये। यह प्रकरण 14 अक्टूबर के समाचार पत्र में भी प्रकाशित हो चुका है।

(8) पिछले हफ्ते दूदू थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह द्वारा सरपंच, दांतरी राधेश्याम शर्मा के पास रात को ग्यारह बजे घर जाकर 20,000 रुपये की मांग की गयी और न देने पर थाने में बंद कर इज्जत खराब करने की धमकी दी गयी। इस प्रकार के अनेकों मामले सामने आ रहे हैं।

थाना दूदू प्रभारी, सुरेन्द्र सिंह और थाना नरैना के प्रभारी, दिनेश शर्मा की शिकायतें माननीय गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक भी दोनों ने जनता में आतंक मचा रखा है। लोगों से पैसा मांगने, दुकानदारों से चौथ वसूली करने एवं कमजोर वर्ग पर जुल्म करने के अनेकों मामले सामने आये हैं।

उक्त सभी प्रकरण तो चन्द ही नमूने हैं। अनेकों आपराधिक मामले हैं जिनकी शिकायत करने पर पुलिस ग्रामीण एस.पी. द्वारा जनता को आतंकित किया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है, बल्कि यहां तक कहा गया है कि जहां मर्जी हो, शिकायत करो, पुलिस राज तो ऐसा ही चलेगा।

मैं इन सभी बातों से बेहद तनावग्रस्त हूं। जहां जाता हूं जनता द्वारा ग्रामीण एस.पी. व थाना प्रभारियों की शिकायतें मिलती हैं। जगह-जगह अपराधी सिर उठा रहे हैं और प्रशासन की कमजोरी से सरकार की साख बेहद गिरती जा रही है।

अन्त में आपसे मेरा निवेदन है कि क्षेत्र में सरकार की साख बनाये रखने और सरकार की छवि उज्ज्वल रहने के लिये बेहद जरूरी है कि ग्रामीण एस.पी. एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए जिससे पुलिस जुल्म समाप्त हो और जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

नियंत्रित वस्तुओं का अव्यवस्थित वितरण

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में बहुत बड़ी अनियमितता एवं गम्भीर अव्यवस्था है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियंत्रित वस्तुओं में चीनी, केरोसीन, गेहूं, चावल आदि हैं। चीनी काफी गांवों में 6-7 महीने तक नहीं मिलती है। भोजासर गांव में आठ महीने से चीनी नहीं मिल रही थी। जिला कलेक्टर के आदेश पर दीपावली पहले दो महीने की चीनी 800 ग्राम के बजाय 600 ग्राम बांटी गयी। चीनी की कीमत 9 रुपये पांच पैसे प्रति किलो निर्धारित

(श्री रामनारायण चौधरी)

है परन्तु भोजासर गांव में चीनी के रु. 9.25 पैसे वसूल किये गये हैं। चीनी की तादाद तथा कीमत राशन कार्डों में दर्ज नहीं करते हैं। गेहूं भोजासर गांव में कभी नहीं वितरित किया गया है, केरोसीन नहीं मिलता है और चावल तो किसी ने देखा ही नहीं है। ऐसा सभी गांवों में होता है। एक भोजासर गांव का ही सवाल नहीं है, सभी गांवों में उपरोक्त वस्तुओं का वितरण सही प्रकार से नहीं होता है। सरकार ने छात्रावासों में रह रहे छात्र/छात्राओं के लिये उपरोक्त वस्तुओं के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं की है। उनके छात्रावासों के राशन कार्ड नहीं बनाये जाते हैं। चीनी, गेहूं, चावल आदि उन्हें प्राप्त नहीं होता है।

सरकार से अनुरोध है कि जिले के सभी गांवों में नियंत्रित वस्तुओं का मासिक वितरण करवाया जाए तथा पीछे की बकाया चीनी, गेहूं आदि दिलवायी जाए। केरोसीन के डीलरों की नियुक्ति की जाए।

श्री अध्यक्ष : अमरा राम जी।

आवासीय भूखण्ड पर प्रस्तावित जल प्रदूषण निवारण संयंत्र

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बालोतरा शहर के खसरा नम्बर 628, 629 और 632 में करीबन चालीस पट्टे आबादी के रहवास हेतु दिये गये हैं, जिनका विकास शुल्क भी नगर पालिका में जमा हुआ है। खसरा नम्बर 628, 629 और 632 बालोतरा से खेड़ रोड जाने वाली सड़क के बायीं ओर स्थित हैं एवं दाहिनी ओर इण्डस्ट्रियल एरिया है। खसरा नम्बर 628, 629, 630 आबादी की ओर है एवं यहां आबादी कॉलोनी। जल प्रदूषण संयंत्र आबादी के बीच लगने से वहां पर लोग आबाद नहीं हो सकते एवं कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसका ताजा उदाहरण पाली का जल प्रदूषण संयंत्र है।

खसरा नम्बर 632 से आगे चुंगी चौकी है एवं 631 में एक सार्वजनिक टांका एवं पक्की प्याऊ बनी हुई है।

जल प्रदूषण संयंत्र के लिये प्रस्तावित भूमि में से नगर पालिका बालोतरा द्वारा जन हितार्थ रास्ता निकालना भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित जल प्रदूषण संयंत्र बालोतरा नगरपालिका सीमा के मास्टर प्लान में भी नहीं है।

खसरा नम्बर 628, 629 और 632 के पीछे की ओर रेलवे लाइन है एवं उसके आगे आबादी आयी हुई है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सरकार को यह निर्देश दें कि पट्टा शुदा आबादी भूमि, नगरपालिका, बालोतरा में प्रदूषण संयंत्र नहीं लगाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर जी गर्ग।

अनुदानित संस्था द्वारा सरकारी नियमों की अवहेलना

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में ग्रामोत्थान विद्यापीठ नामक संस्था कार्यरत है। इस संस्था द्वारा अनेक शिक्षण संस्थाएं चलायी जा रही हैं। इस संस्था द्वारा छात्रों एवं छात्राओं के लिये अलग-अलग प्राथमिक शालाएं, वरिष्ठ माध्यमिक शालाएं, स्नातक महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चलाये जा रहे हैं। इन सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ छात्रावास भी चलाये जा रहे हैं।

70

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उपरोक्त सभी संस्थाओं को राजस्थान सरकार नियमानुसार नब्बे प्रतिशत आर्थिक अनुदान राजकीय कोष से प्रदान करती है। इतनी अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं को प्रत्येक मामले में सरकारी नियमों का पालन करना होता है। किन्तु उपरोक्त संस्थाएं नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। विशेषकर कर्मचारियों की भर्ती के मामले में इन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की मनमर्जी चलती है। इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों को पूरी योग्यता के बावजूद भर्ती नहीं किया जाता है। जबकि भाई-भतीजावाद एवं जातिवाद के आधार पर कई ऐसे व्यक्तियों को भर्ती कर लिया गया है जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता को भी पूरा नहीं करते हैं।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उपरोक्त संस्थाओं को निर्देश जारी करे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती निर्धारित मापदण्डानुसार की जाए। जब तक ये संस्थाएं ऐसा नहीं कर लेतीं तब तक इनको दिये जाने वाले अनुदान एवं सहायता पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

ज्वलनशील पदार्थ के ढोलों में विस्फोट से मृत्यु

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में दिन के 2.00 बजे दिनांक 31.12.94 को मित्तल भवन में से जो कि धर्मशाला व राजकीय बालिका शाला के पास स्थित है, अति ज्वलनशील पदार्थों से भरे हुए तीन ढोल लुढ़ककर सड़क पर आ गये तथा उनमें भयंकर विस्फोट हो गया। मौके पर मौजूद श्री लालचन्द रेगर व श्री सीताराम नाई बुरे तरीके से झुलस गये और उनकी मृत्यु हो गयी। एक बालक श्री अतुल शर्मा भी बुरी तरह झुलस गया और उसके माता-पिता द्वारा भरपूर इलाज कराने पर भी वह बच्चा नहीं बच सका तथा दिनांक 2.1.95 को एस.एम.एस. अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी जिसकी एफ.आई.आर. नम्बर 90/94 थाना निवाई जिला टोंक है। किन्तु पुलिस को बार-बार कहने के बावजूद भी इस केस की जांच पूर्ण नहीं हुई है। पुलिस एफ.एस.एल. रिपोर्ट का बहाना बनाकर इसमें अग्रिम कार्यवाही नहीं कर रही है तथा राजनैतिक दबाव के कारण मुलजिमान को बचाने में लगी है, केस को समाप्त करना चाहती है।

मैं नियम 295 के अन्तर्गत उपरोक्त घटना का विशेष उल्लेख कर गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी प्रकार के राजनैतिक दबाव में आकर तीन निरपराध गरीब व्यक्तियों की मौत को दबाने में भागीदार न बनें बल्कि उनके परिवारों को न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

(13.00)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की उपेक्षा

श्री मोतीलाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाते समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ हुए

(श्री मोतीलाल)

उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गत 21.7.95 को एक आदेश जारी कर विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया। इस आदेश के द्वारा कुल 12 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गयी। किन्तु आश्चर्य की बात है कि इन 12 में एक भी कर्मचारी अनुसूचित जाति का नहीं है। जबकि विभाग के द्वारा दिनांक 22.5.95 को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम सं. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 एवं 20 पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के नाम हैं। कुल 24 कर्मचारियों की इस सूची में से सामान्य श्रेणी के उन कर्मचारियों को पदोन्नति मिल गयी है जिनके नाम क्रम संख्या 13, 21, 22 एवं 23 पर अंकित हैं। दूसरी तरफ क्रम संख्या 4, 8, 9, 10, 11 एवं 12 पर अंकित अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

उपरोक्त पदोन्नति प्रकरण का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभाग के अधिकारियों ने पूर्वाग्रहों एवं दुर्भावना से ग्रस्त होकर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को उनके वाजिब हक से वंचित रखने का अपराध किया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अनियमितता एवं अत्याचार की ओर आकर्षित कर मांग करता हूं कि इस सारे प्रकरण पर पुनर्विचार कर वंचित कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान कर उनके प्रति न्याय किया जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि वे मुझे जानकारी देंगे तो भी, उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी फिर भी जो अभी प्रमोशन हुए हैं उनकी पूरी जांच की जाएगी। रोस्टर प्रणाली का अगर हनन हुआ है तो ठीक रूप से उनको पदोन्नति दी जाएगी और जिन्होंने इस प्रकार का गलत निर्णय लिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम जी अहारी।

डूंगरपुर में डॉक्टरों-कम्पाउण्डरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में मेडिकल विभाग की अधिकांश जगह रिक्त होने से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है कि मेडिकल विभाग में अधिकांश डॉक्टरों, कम्पाउण्डरों के स्थान रिक्त होने से डूंगरपुर जिले में भारी समस्या खड़ी हो गयी है। मुख्य चिकित्सालय डूंगरपुर में भी कई डॉक्टरों के स्थान रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार रैफरल हॉस्पिटल, पी. एच. सी., डिस्पेन्सरी आदि में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थान रिक्त हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमार होते हैं वे भी मुख्य चिकित्सालय में भर्ती हो रहे हैं। कई वार्डों में एक खाट पर दो-तीन मरीज सुलाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान 295 के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी डूंगरपुर जिले में खाली स्थानों को भरने की कृपा करें। साथ ही राजनैतिक स्तर पर जो स्थानान्तरण किये हैं उन्हें शीघ्र कैंसिल करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

माचवा, जयपुर में भू माफिया का आतंक

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : महोदय,

(72)

(श्री गोपीराम जाट)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कर के कथन करना चाहूंगा कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर की 12 बीघा जमीन की श्री लादू पुत्र गणेश के नाम खातेदारी थी। इस नाम का कोई व्यक्ति माचवा में नहीं है। इस भूमि पर श्री नारायण, जगन्नाथ वगैरह काबिज काश्त हैं। लादू के नाम से एक फर्जी इकरारनामा काश्त का करा करके भू-माफिया जबरन इस भूमि पर काबिज होना चाहता था। इसी के सन्दर्भ में श्री नारायण पुत्र श्री जगन्नाथ जाट माचवा के नाम थाना पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर में मु. नं. 249/95 में दर्ज कराकर के पीलीबंगा ले गये। उसके साथ मारपीठ की और असत्य कागज बनाना चाहा। इस प्रकार जगदीश रसवा व मदन भादू, श्री कल्याण पुत्र नारायण धानका आदि एक गिरोह बनाकर असत्य मुकदमें दर्ज कराने, लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। रात को माचवा स्टैण्ड पर लाठी-सरिया लेकर घूमते हैं और लोगों में भय पैदा करके जबरदस्ती दबाव डालकर रजिस्ट्रियाँ करवा कर जमीनें हड़प रहे हैं। अतः इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी विश्नोई।

सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में सुविधाओं का अभाव

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना देते हुए निवेदन है कि :

(1) राज्य का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में स्थित है, जिसकी हालत प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है।

(2) सर्वप्रथम इसके भवन को लिया जाए। करीब 100 एकड़ भूमि पर इसका ऐतिहासिक भवन है, मगर जमीन के चारों ओर दीवार नहीं होने से लोग जमीन दबा रहे हैं तथा अतिक्रमण बढ़ रहा है क्योंकि यह बहुमूल्य जमीन आजकल शहर के बीच में आ गयी है। साथ ही भवन की मेन्टिनेन्स की केवल योजना बनायी जाती है। उचित रख-रखाव के अभाव में भवन तथा छात्रावास जर्जर हो रहे हैं। मामूली मेन्टिनेन्स के अभाव में लाखों रुपये का स्वीमिंग पूल बेकार पड़ा है तथा भविष्य में बिल्कुल टूट-फूट जाएगा। इसी प्रकार ट्यूबवैल कनेक्शन के अभाव में टैंक तैयार नहीं हो पा रहा है। उक्त दोनों चीजें इस प्रकार के स्कूल के लिये निहायत जरूरी हैं। गत दो वर्षों से मोटर पानी में पड़ी हुई है। जल्दी ही बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया तो 2 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा।

(3) इसी प्रकार प्रत्येक छात्र 30 रुपये प्रतिदिन मैस भत्ता दिया जा रहा है जो आज की मंहगाई में खिलाड़ियों के लिये बिल्कुल ही कम है। स्पोर्टस आथोरिटी आफ इण्डिया प्रति छात्र प्रतिदिन 50 रुपये उपलब्ध कराती है तो फिर राज्य के एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल में यह कमी क्यों?

(4) इसी प्रकार गणवेशादि के लिये प्रति छात्र प्रति वर्ष रुपये 1000 सन् 1982 से ही देय हैं जो आज की महंगाई में नगण्य हैं। गवर्निंग कौंसिल की प्रत्येक मीटिंग में इसे बढ़ाने के लिये लिखा गया है, परन्तु इसे बढ़ाया नहीं गया है। केवल मात्र 44 छात्रों का 2000 रुपये किया गया है जबकि 150 छात्रों को 1000 रु. ही दिया जा रहा है। एक ही साथ पढ़ने वाले छात्रों के साथ यह दुहरी नीति क्यों अपनायी जा रही है? इस भत्ते को 5000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र किया जाना निहायत

(श्री हीरालाल विश्नोई)

जरूरी है। गत दो वर्षों से इस सम्बन्ध में खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया जा रहा है तथा न ही खेलों में भाग लेने टीम को बाहर भेजा जाता है। विद्यालय के पास एक ही जवाब है कि बजट नहीं है। इसी प्रकार जहां रोज कई क्विंटल आटा लगता हो वहां मैस में आटा पिसाई की चक्की भी नहीं है। बाजार से महंगे भाव का खराब आटा खरीद कर लाया जाता है। मैस में चक्की खरीदने के आदेश नहीं होने से यह परेशानी हो रही है।

(5) इस स्कूल की मूल योजना राज्य सरकार द्वारा पारित है तथा राज्य सरकार ही मूल योजना में परिवर्तन कर सकती है। गवर्निंग कौंसिल केवल सुझाव दे सकती है। आज तक गवर्निंग कौंसिल की तीनों मीटिंगों में से राज्य सरकार द्वारा किसी भी निर्णय को नहीं माना गया है, परन्तु फिर भी मनमाने तरीके से स्कूल में डे-स्कालर प्रणाली लागू कर दी गयी है। राज्य सरकार का निर्णय नहीं होने के बावजूद प्रधानाचार्य तथा कुछ ट्यूशन व्यवसायी लोग एकमात्र विद्यालय को बन्द करवाना चाहते हैं। लिहाजा खिलाड़ियों को खेलने के लिये महीना भर बाहर रहना पड़ता है, जबकि डे-स्कालर बच्चों को खेल से कोई सरोकार नहीं। दोनों का सामंजस्य कैसे बैठ सकता है? न ही कोई डे-स्कालर बच्चा कभी खेलने के लिये आता है और मूल योजना में भी यह स्कूल केवल मात्र आवासीय खिलाड़ियों के लिये ही है। जब तक नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाए तब तक डे-स्कालर लागू नहीं किया जा सकता है। छात्रों का मनोरंजन कक्ष (कॉमन रूम) नहीं है। 200 छात्रों का आवासीय विद्यालय है, छात्रावास का अपना कामन रूम तथा उसमें टी. वी., वी. सी. आर. व पत्र-पत्रिकाओं की सुविधाएं छात्रों को अवकाश के दिन में उपलब्ध होनी चाहिये।

मैदानों के स्तर को सुधारने के लिये 1982 से आज तक कोई प्रयत्न नहीं किये गये, इस हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आज कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट तथ हैण्डबाल के लिये कोई मैदान नहीं है।

खेल सामग्री हेतु 31 हजार रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है जो केवल ऊंट के मुंह में जीरा है। इस राशि से तो वर्ष पर्यन्त दो खेल भी जारी नहीं रखे जा सकते। खेल सामग्री हेतु कम से कम 2 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाना चाहिये।

विद्यालय में डिस्पेन्सरी तो है परन्तु इस वर्ष से जहां कार्यरत दोनों कम्पाउण्डरों के पद भी समाप्त कर दिये गये हैं जबकि खिलाड़ियों के लिये पूर्णकालिक डाक्टर की परम आवश्कयता है।

विद्यालय में किसी प्रकार का वाहन नहीं है जबकि इसकी महत्ता को देखते हुए मैटाडोर की परम आवश्यकता है क्योंकि यह राज्य का एकमात्र खेल का आवासीय विद्यालय है।

कुश्ती के लिए कुश्ती हाल, जिमनास्टिक, जिमनेजियम के अभाव में उक्त खेल वर्षों से—

श्री अध्यक्ष : प्रिंट में गड़बड़ है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री हीरालाल विश्नोई : हां, जी। थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं चल रहे हैं। इनको ये सुविधाएं दी जानी चाहिये। प्रधानाचार्य की हठधर्मिता की वजह से गत दो

(श्री हीरालाल विश्नोई)

वर्षों में छात्रों को गर्म कोट व जर्सियां नहीं दी जा रही हैं जबकि कोट के लिये ब्लेजर व जर्सियां खरीद कर स्कूल में रखे हुए हैं।

कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट एवं हैण्ड बाल खेलों हेतु प्रत्येक खेल में केवल 11 छात्र ही हैं। ऐसी स्थिति में खेल कभी कोई परिणाम नहीं दे पाएंगे। छात्रों की संख्या टीम संख्या से तीन गुनी होनी चाहिये तभी खेलों का परिणाम सामने आएगा।

छात्रावासों की सफाई, सुचारू रूप से नहीं हो रही है। छात्रावासों की नालियां गंदी पड़ी रहती हैं। शौचालय की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिनायल, कपूर तो दूर की बात यहां नियमित सफाई वाला ही नहीं आता है जिसके अभाव में प्रताप हाऊस तो बन्द-सा हो गया है। राज्य सरकार ने नियमों को ताक में रखकर इस विद्यालय को बन्द करने की ठान ली है। इसी प्रकार मूल योजना के विरुद्ध आवासीय छात्रों से 125/- रुपया फीस भी वसूली जा रही है। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी एक साल के लिये असफल भी हो जाता है तो स्कूल के प्राचार्य द्वारा उसे टी. सी. लेने के लिये बाध्य किया जाता है, जैसा कि प्राचार्य के आदेश क्रमांक एस. ए. एस/बीका/सामान्य/अनुत्तीर्ण/छात्र/94 दिनांक 16.6.94 के क्रम में कई छात्रों को टी. सी. जबरदस्ती दे दी गयी जबकि गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग 16.5.94 में यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये निर्णय एक कमेटी द्वारा किया जाएगा।

मूल योजना में स्कूल के प्राचार्य एवं आवासीय गृहपति का एक पद शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का होना चाहिये मगर 1982 से आज तक ऐसा नहीं हुआ है। वर्तमान में प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षकों में कतई तालमेल नहीं है जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ता है तथा स्कूल में डिसिप्लिन नाम की कोई वस्तु नहीं है। विद्यार्थी कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।

उपरोक्त कारणों से स्थानीय जनता एवं छात्रों में भारी रोष है, इसलिए यह मामला नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये उठाने की अनुमति दी जाए। यह मामला शिक्षा मंत्री जी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

अफीम के पट्टे

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि इस वर्ष नारकोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर ने अफीम के जो पट्टे दिये हैं, उनमें उन तहसीलों के गाँवों को पट्टे नहीं दिये गये हैं, जहां दिनांक 9 मार्च एवं 15 मार्च, 1995 को भयंकर ओलावृष्टि, तेज हवा एवं वर्षा होने के कारण अफीम की फसल नष्ट हो गयी थी। 9 मार्च से पहले जिस अफीम के काश्तकारों ने चीरे लगा दिये थे, बरसात में ओलावृष्टि धुल जाने की वजह से उनकी अफीम की औसत पूरी नहीं हो पायी। ऐसे काश्तकारों को पट्टा नहीं दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने अफीम में चीरा नहीं लगाया उनको भी अफीम नहीं दी जा रही है। पिछले वर्ष 43 किलोग्राम पर हैक्टेयर पर पट्टे दिये गये थे और इस वर्ष प्राकृतिक आपदा हो जाने के बावजूद भी अफीम के पट्टे 46 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर औसत पर दिये गये हैं जो किसानों के साथ अन्याय है।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा,

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

झालावाड़ के करीब 50,000 किसान अफीम की खेती करते हैं। इन जिलों के किसानों के पास कम जमीनें (छोटी-छोटी) हैं। अफीम की खेती से काश्तकारों को और फसल के मुकाबले में अच्छी आय होती है एवं प्रदेश के 50,000 किसान परिवार इससे अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार अपनी तरफ से पहल कर केन्द्र सरकार से नियम में शिथिलता बरत कर प्रदेश के किसानों को अफीम के पट्टे दिलवाने के लिये मांग करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेशजी, थोड़ा शीघ्रता करें।

परबतसर व मकराना में तालाब निर्माण में अनियमितता

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा पंचायत समिति परबतसर व पंचायत समिति मकराना जिला नागौर में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विकास अधिकारी, पटवारी व ग्राम सेवकों द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएं की गयी हैं :—

(1) **तालाब खारिया** : यह तालाब परबतसर शहर के अन्दर स्थित है। इस तालाब को बनाने में काफी अनियमितताएं हुई हैं जिससे यह जगह-जगह से टूट गया और सरकार के पांच लाख रुपये अनाश्वयक रूप से व्यय हुए। तालाब में मिट्टी की सही कुटाई नहीं हुई। इस तालाब के अन्दर भारी घोटाला हुआ। इस संबंध में जांच करवायी जाए और दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(2) **तालाब अलतवा** : तालाब अलतवा को बनाने में काफी अनियमितताएं हुई हैं जिसके कारण तालाब के बनते ही टूट जाने की खबर मिली। ऐसा कार्य करवाने से सरकार को हानि का सामना करना पड़ता है और अधिकारी व कर्मचारी का घर बनता है।

(3) **तालाब भूतास** : तालाब भूतास के बनाने में भी भारी असावधानियां बरती गयी हैं जिससे तालाब में बाहर की तरफ पानी का रिसाव हो रहा है। इस कार्य में भी सरकार का पैसा व्यर्थ खर्च हुआ है।

उक्त तीनों तालावों की जांच करवा कर दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध जांच करवा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करें जिससे कि कोई दूसरा अधिकारी व कर्मचारी ऐसा दुबारा नहीं कर सके। इनके विरुद्ध कार्यवाही होना अति आवश्यक है।

श्री नाथूसिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह लिखित में मुझे शिकायत कर दे, मैं तुरन्त जांच करवा कर—

श्री राकेश मेघवाल : इनको बार-बार लिख कर दिया है, मैंने भी बार-बार लिख कर दिया है और इनका कागज आफिस में जरूर जाता है लेकिन फाइल हो जाता है। इनका कागज फाइल नहीं होना चाहिये। नागौर जिले में अलग से कोई स्पेशल समिति भेज कर जांच करवाएं या मैं इनको प्रोग्राम देता हूं, ये खुद ही मेरे साथ जाकर देख लेंगे। मेरे क्षेत्र का॰ एक प्रोग्राम देता हूं, जाकर देखेंगे तो इनको खुद को पता लगेगा कि कितनी अनियमितताएं हुई हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लिखित में जो भी बोले हैं वह मुझे दे दें, तुरन्त आप जिस आफिसर से चाहेंगे उससे जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें। हो गयी बात।

श्री नाथू सिंह : एक मिनट, जिस आफिसर से जांच करवाएंगे मैं उसी को जांच के लिये भेज दूंगा और तुरन्त करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी, आप कुछ फर्माना चाह रहे थे।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य विन्यास और कार्य सूची

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अन्दर जो बिजनेस आपने हमें दिया है उसकी आपैचारिक स्वीकृति इस सदन से हो गयी। जिन परिस्थितियों में उसका वर्णन मैंने कल किया था, आपने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद आपने जो बिजनेस आज के लिए बुक किया है उसमें विद्युत पर अग्रेत्तर विचार है जिसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर होगा और उनसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। वित्तीय कार्य भी इसके बाद हैं। It will take a lot of time. अनुदान और पंचायती राज के सम्बन्ध में सामुदायिक पर है, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है और हमने जो सरकार को मेमोरैण्डम दिया है उसमें भी यह एक इम्पोर्टेन्ट आइटम है, उसमें काफी टाइम लगेगा और उसके बाद वित्तीय विधेयक है, माननीय मुख्य मंत्री जी उसको मूव करेंगे, उस पर जनरल डिस्कशन होगा, आपकी अनुमति से। अगर आप उदारता बरतेंगे तो सब लोग इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कल भी सबको बुलाया, जो आपने लिस्ट दी थी ड्योढी लिस्ट हो गयी तो भी बुलवाया।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर राज्य में अकाल और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार होगा। अतिवृष्टि इसमें नहीं है वह बाढ़ का ही एक हिस्सा है। मान्यवर, आपको मालूम है कि अतिवृष्टि ने राजस्थान में कहर ढाया है, बाढ़ ने तो सत्यानाश कर दिया और अकाल, दो-तिहाई राजस्थान के हिस्से में अकाल है। हमने सरकार को जो स्मरण पत्र दिया है, उसमें यह भी एक आइटम है। अब यह जो बिजनेस है, इस बिजनेस पर आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। मान्यवर, आपका ध्यान मैं नियम 22 की तरफ आकर्षित करता हूं।

Arrangement of Business and list of Business : "On days allotted for the transaction of Government business such business shall have precedence and the Secretary shall arrange that business in such order as may be determined by the House on the recommendation of the B. A. C. मैं आपका ध्यान नियम 218 की तरफ भी आकर्षित करता हूं, वेरीएशन इन दी एलोकेशन ऑफ टाइम आर्डर का लास्ट प्रोवीजो "provided further that the Speaker may, on being satisfied as to the urgent need therefor, make such variation in the allocation of time-order as he may deem appropriate."

सर, मैं आपका ध्यान इन्हीं नियमों के नियम 307 की रेजीड्युअरी पावर की तरफ आकर्षित करता हूं :—

(श्री रामनारायण चौधरी)

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time direct."

इन नियमों के अन्दर आपको वाइड पावर्स हैं सदन के सुचारू संचालन में, प्रतिपक्ष और पक्ष, दोनों पक्षों को विचार करने के बाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने यह जो शिड्यूल रखा है, मान्यवर यह बहुत टाइट है और इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है। पांच और छह बजे के बाद में किसी भी माननीय सदस्य की बैठने की इच्छा नहीं होती। सब थक जाते हैं, भागना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बाढ़, अतिवृष्टि और अकाल यदि रात के 10 और 11 बजे आये तब तक सब थक जाएंगे। अगर सरकार की यही मंशा हो कि कोई कह नहीं पाये, सब थक-थका जाएं और अपने घरों पर भाग जाएं, तो आप हमारा मुंह बंद कर दीजिये, हम बैठे रह जाएंगे, मूक दर्शक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा तो मान्यवर, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे और लोग हमें पूछेंगे कि विधान सभा गये थे, बाढ़ पर क्या किया, अतिवृष्टि में क्या किया, अकाल पर हमने क्या किया, बिजली पर हमने क्या किया। यह अहम और ज्वलंत समस्या है।

अब आप यदि प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आप उदारता नहीं बरतेंगे तो सरकार की जो + + + है आपकी उदारता से उसका उपार्जन हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप बिजनस एडवाइजरी कमेटी को बुलायें या लीडर आफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजीशन, दोनों से बात करके, दोनों व्हिपों से बात करके कोई ऐसा समाधान निकालिये। आज का बिजनस बहुत हैवी है। इसको मुख्य मंत्री जी भी पसन्द करेंगे क्योंकि आप आप ही का सबसे ज्यादा बिजनस है, आप ही का भाषण होगा, उस भाषण के बाद में महत्त्वपूर्ण जानकारियां बिजली के बारे में मांगी जाएंगी। पंचायती राज का राजस्थान ने जो श्रेय लिया है आपके नेतृत्व में कि आपने सबसे पहले पास करवाया, उसके बारे में प्रश्न उठेंगे वक्तव्य भी होंगे, स्टेटमेंट भी होंगे तो सबको अकोमोडेट करने के लिये मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसकी रीशिड्यूलिंग कीजियेगा ताकि सब लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले। पांच बजे के बाद में हाउस चलाने का कोई मकसद नहीं होता।

अब आपके माननीय मुख्य मंत्री जी और सत्ता पक्ष का महत्त्वपूर्ण अधिवेशन बम्बई में है तो बम्बई में तो तैयारी बम्बई वाले कर रहे हैं, आप इनके ऑनरेबल गेस्ट होंगे। आप हमारे + + + कि इसमें हमको मौका नहीं मिले? आप कृपया थोड़ी उदारता बरतिये और हाउस को यदि जरूरत पड़े तो सोमवार तक चलाइयेगा, यह हमारा आपसे अनुरोध है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस बिजनस की रीशिड्यूलिंग के लिये आप लीडर ऑफ दी हाउस, लीडर ऑफ दी अपोजीशन से बात करके कोई रास्ता निकालिये। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज के हाउस का बिजनस रखा हुआ है वह बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने ही रखा है। आपकी बात को मैं मान

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी लूं कि बहुत हैवी शिड्यूल है तो भी इस हैवी शिड्यूल को अपन चाहें तो बहुत ही कम समय में निपटा सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : यही तो सरकार की मंशा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है कि हरियाणा की नकल नहीं कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : लोग कह रहे हैं कि आप भी दूसरे भजनलाल बन रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो स्वयं मौलिक विचारक हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि वहां बैठकर के मैं जो करता था, वह यदि आप काम करने लग जाओ तो समय की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन समस्या तो यह है कि वहां बैठकर अभी तक आपका मानस विपक्ष का नहीं बना।

श्री विष्णु मोदी : जिम्मेदारी का है और हम विपक्ष में भी जिम्मेदारी वहन करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि...(व्यवधान)...मेरी सुन लीजिये।

राजस्थान का विपक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष के लिये तो आपने बहुत सर्टीफिकेट दिये हैं कभी मेरा नाम लेकर, कभी राजेन्द्र का नाम लेकर, कभी ललितजी का नाम लेकर, कि सरकार में ये मंत्री तो ठीक काम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो हुआ है। ऐसी बात नहीं है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तीन इश्यू ही हैं। पहला इश्यू तो बिजली का है जो परसरामजी बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा इसके बाद में निपट जाएगा। दूसरा इश्यू आता है सप्लीमेंटरी डिमांड्स का। आप सप्लीमेंटरी डिमांडस को पास करवा दीजिये और पास करवाने के बाद अप्रोप्रियेशन बिल जो आता है उसके ऊपर यह सारी चर्चा शुरू करवा दीजिये। इसमें पंचायती राज भी आ गया, अकाल भी आ गया, बाढ़ भी आ गया। इसमें आप थोड़ा-सा इतना सीमित रखिये कि जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि बाढ़ पर बोलें, अकाल से प्रभावित हैं, वे दो-चार अकाल पर बोलें और जो पंचायत में एक्सपर्ट हैं रामनारायणजी जैसे, वे पंचायत पर बोल कर हमारा मार्गदर्शन करें, वह तो ठीक होगा। अब पंचायत से तो सभी सम्बन्धित हैं, सब माननीय सदस्य बोलने लग जाएंगे तो मैं तो तैयारी करके आया हूं कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप कहें तो मैं तो सुनने के लिये तैयार हूं। पहले भी हाउस चला है। अब कहा कि क्या किया जाए तो मैंने बिजनस एडवाइजरी कमेटी में और लीडर ऑफ द अपोजीशन दोनों को बताया कि मेरी मजबूरी है वरना आगे चलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो समय निर्धारित है उसमें किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें चीफ व्हिप महोदय बहुत एक्सपर्ट हैं, ये काम का इस ढंग से बँटवारा करते हैं। लेकिन इनका विरोध भी पार्टी में है, कई बार, इनका कहना नहीं मानते हैं तो बहुत परेशान होते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे तो खेतसिंह जी जिन्दाबाद।

श्री विष्णु मोदी : आपने आदरणीय रामनारायण जी की बात को जिस स्टाइल से खेतसिंह जी पर टाला, उन पर टाल कर आप यह नहीं मानना चाहते हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं बताऊं आपको, आप खेतसिंह जी का आदर करना स्वीकार कर लें।

श्री विष्णु मोदी : खेतसिंह जी का आदर हमारी पार्टी में सब करते हैं। आप उस पर कहां प्रश्नचिन्ह लगा रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हमसे उनका आदर करने के लिये फरमा रहे हैं और खुद निरादर कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कभी नहीं करता। खेतसिंह जी कभी नहीं कह सकते कि मैं उनका निरादर करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा-सा निवेदन करूँ—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं खतम कर देता हूं। इसलिये आप तो उनको कन्ट्रोलिंग पावर दे दें, ये सबको कंट्रोल कर लेंगे। अभी दो माननीय सदस्यों ने कहा है, एक तो मोदीजी ने और एक धारीवालजी ने, कम से कम ये दो तो आपके कंट्रोल में आ गये। ये यदि आपका हुक्म नहीं मानें तो मैं आपकी मदद करूंगा, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं।

ऐसी स्थिति में इसी समय में रामनारायणजी एडजस्ट करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा यह निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी ने बार-बार बिजनस एडवाइजरी की बात कह कर हाउस के सामने यह रखा कि बिजनस एडवाइजरी में यह बात तय हो गयी, हकीकत यह है कि यह बिजनस एडवाइजरी में विपक्ष पहुँच भी नहीं पाया था और आपने बिजनस एडवाइजरी कमेटी की बैठक को समाप्त कर दिया। यह मेरा ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है। वर्षों से मैं भी चीफ व्हिप रहा हूं, ऐसा कभी हमने मौका नहीं दिया। जब कभी भी, मान लीजिये, आपकी पार्टी की मीटिंग होती थी, उन दिनों, आपके तो चीफ व्हिप चीफ चीफ ही हैं, मैं तो मिनिस्टर कम चीफ व्हिप था। फिर भी आपके चैम्बर में आकर आपसे निवेदन करके, आपको साथ ले जा कर कमेटी की मीटिंग करवाते थे। आपके चीफ व्हिप साहब का तो छोड़िये, इनकी आदत में ही नहीं है हमसे बात करने का। जब हम यहां पर पहुँचे तो कैलाश जी मेघवाल ने कहा कि मीटिंग तो खतम हो गयी अब आप अपने घर पधारो तो बिजनस एडवाइजरी कमेटी एक तरफा हुई है, हम इसमें शरीक नहीं थे। अब हो गयी सो हो गयी और वह यहां हाउस में पास भी हो गया। आपका बहुमत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आज चूंकि आपका जवाब होगा, प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से 2 घण्टे तो आप लेंगे ही। सवाल-जवाब पूछे जाएं तो ज्यादा भी समय लग जाए—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितना विपक्ष के नेता बोलेंगे उतना ही मैं बोलूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो दोनों बराबर ही बोलेंगे। मेरा यह निवेदन था कि अनुपूरक मांगें तो आप आज रख लीजिए लेकिन फेमिन को कल रख दीजिये। फेमिन तो अलग से हो सकता है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आज फ्लड और पंचायती राज पर बुला दीजिये और क्योंकि आप 3 से आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो कल आप फेमिन को रख लीजिये। बाढ़ और फेमिन यों भी हिसाब में बैठते नहीं हैं और कल भारी बिजनस भी नहीं है इसलिये आप फेमिन को कल ले लेंगे। बहुत मामूली-सा अमेन्डमेन्ट है इसमें, कोई बहुत बड़ा अमेन्डमेन्ट भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय विपक्ष के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य सचेतक महोदय ने बिजनस एडवाइजरी कमेटी की बात की। आप यह मानकर चलेंगे कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आप ही नहीं मैं भी नहीं गया था और आपकी प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन अन्दर से मुझे जानकारी मिली कि वहां पर बड़ा युद्ध हो रहा है और युद्ध में आपके लीडर ने इस्तीफे देने तक की धमकी दे दी और यह भी कहा कि—

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये हमारे घर की बातें हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ही नहीं जाएंगे, जब यह बात हमारे कानों में पड़ी तो एक घण्टा 40 मिनट तक तो हमने इंतजार किया। मुझे कहा गया—

श्री मोहनलाल मोदी : 15 मिनट

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, 1 घण्टा और 40 मिनट इन्तजार किया। जब मुझे कहा गया—

श्री खेतसिंह राठौड़ : छोड़िये अब, गयी वह बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, वह गयी बात। आपने मना लिया अच्छा किया। मैं इसलिये कह रहा हूं कि फेमिन में तो कोई विशेष बात नहीं है—

श्री खेतसिंह राठौड़ : विशेष बात कैसे नहीं है? कमाल कर रहे हैं आप। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान बुरी तरह से फेमिन में इफेक्टेड है, आधा राजस्थान है और आप कह रहे हैं कि विशेष बात ही नहीं है। कमाल की बात हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अलग से क्या बात करोगे? बात नहीं करनी है। जो कहना है वह हाउस में कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे पता नहीं है कि कल बिजनस किस प्रकार का है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजनस में दो बातें हैं और कुछ भी नहीं है। एक तो भारतीय भागीदारी वाला है, उसमें मामूली अमेन्डमेन्ट्स हैं, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा कानून और व्यवस्था का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक तय कर लीजिये कि ये जो विधेयक हैं इसमें कितना समय लेंगे आप? विधेयक तीन हैं—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ज्यादा क्या? कोई बोलेगा ही नहीं। जब पार्टनरशिप तय हो गयी तो बोलेगा ही नहीं। फिर क्या दिक्कत है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी बैठकर बात कर लेंगे। अभी तो आपके नेता जी का भाषण होगा, उस समय के बीच में बैठकर सब बात कर लेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप अकाल के मुद्दे को गौण नहीं समझें। पश्चिमी राजस्थान में और खास तौर से मेरे क्षेत्र और इनके क्षेत्र में 40 प्रतिशत ही वर्षा हुई है। दूसरी जगह भी जो वर्षा हुई वह बहुत लेट हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : फलौदी ही नहीं, राजस्थान के दो तिहाई में, मुख्य मंत्री जी, अकाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल को मैं गंभीरता से ही ले रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मेरी तरफ से कोई गम्भीरता नहीं है। इसीलिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो चर्चा रखी है। चर्चा रखी है तो देख लेते हैं अभी, हल निकाल लेते हैं या तो गैर सरकारी दिन है वह 3 तारीख को है, उस दिन देख लेंगे या कल देख देंगे।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में सड़कों की स्थिति

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री विष्णु मोदी राज्य में सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। पूरे प्रदेश में सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर करोड़ों रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाता है—

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण हो गया बस।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य में सड़कों की दयनीय स्थिति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय विधायक श्री विष्णु जी मोदी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है :—

प्रदेश में सड़कों का निर्माण विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिकाएं, यू. आई. टी., ग्राम पंचायतें इत्यादि हैं। सारी सड़कों के निर्माण मापदण्ड भी एक से नहीं होते। पूर्व में कई सड़कें जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में हैं, अकाल राहत के अन्तर्गत बनी थीं। उस समय की आवश्यकता को देखते हुए इनके स्पेसिफिकेशन कम रखे गये थे। बाद में यातायात बढ़ने पर कई सड़कों का उन्नयन भी किया गया परन्तु सभी सड़कों पर धन की सीमित उपलब्धि के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। इस कारण आज के बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप सड़कों की मोटाई एवं उन्नयन न होने से बरसात में और बरसात के अलावा भी टूट-फूट अधिक होती रहती है।

प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में लगभग 65000 किलोमीटर सड़कें 31 मार्च, 1995 तक विद्यमान थीं, जिनमें लगभग 50000 किलोमीटर डामरीकृत हैं। कई जगह ये सड़कें नगरों-कस्बों में से निकल रही हैं जहां जल निकास की उचित व्यवस्था का स्थानीय नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर पालिका का उत्तरदायित्व है। नालियों की समय पर सफाई न होने से सड़कों पर पानी भर जाता है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर जहां सड़कों के सहारे रिबन डवलपमेंट होता रहता है वहां दुकानदार, होटल, ढाबे वाले आदि लोग नालियों के निर्माण में गतिरोध उत्पन्न करते हैं या नालियों को भर देते हैं। फलस्वरूप सारा पानी बहकर सड़कों पर आ जाता है और उस पर यातायात का अनवरत प्रवाह टूट-फूट को जन्म देता है। अब पिछले दो-तीन वर्षों से विभाग स्वयं ही अधिकाधिक इस प्रकार के निकास के कार्यों को करने के कार्य हाथ में ले रहा है, परन्तु पर्याप्त धन के अभाव में यह कार्य केवल विभाग की संधारण सूची में ली गई सड़कों पर भी करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राज्य में अन्य कई क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली इत्यादि में भी प्रदेश को योजना और गैर योजनागत धन की आवश्यकता है। इस कारण जहां नवें वित्त आयोग के मापदण्डों के अनुसार सड़कों के संधारण के लिये विभाग को लगभग 200 करोड़ रुपये मिलने चाहिये वर्ष 1990-91 से वर्ष 1995-96 तक संधारण के लिये वांछित प्रावधान के विरुद्ध जो राशि उपलब्ध हुई है वह निम्न प्रकार है—

वर्ष	वांछित प्रावधान (करोड़ रु. में)	उपलब्ध धनराशि (करोड़ रु. में)
1990-91	86	77
1991-92	105	88
1992-93	146	97.78
1993-94	174	110.00
1994-95	196	110.00
1995-96	200	118.25

राज्य के सीमित संसाधनों के परिवेश में वांछित प्रावधान के अनुरूप धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भी सड़कों का पूर्णरूपेण रख-रखाव, उन्नयीकरण एवं संधारण नहीं हो पा रहा है। सीमित साधनों में जितना सम्भव हो पाता है, किया जा रहा है।

यह भी एक वास्तविकता है कि नगरों, कस्बों में सड़कों पर अतिक्रमणों एवं कब्जों की भरमार है। पानी, टेलीफोन, सीवरेज इत्यादि के कारण भी हर कभी सड़कों को दूसरे विभागों द्वारा खोद दिया जाता है जिसका फिर ठीक प्रकार से सुधार बहुत कठिन होता है। बरसात में यही भाग टूट-फूट को जन्म देते हैं। कस्बों में विशेषकर सड़क सुधार एवं संधारण चलते यातायात में करना पड़ता है क्योंकि डामर का कार्य रात में नहीं हो पाता। इस कारण सुधार किये गये भाग में उत्पन्न कठिनाई के फलस्वरूप गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

वर्षा का औसत प्रदेश में पिछले सालों में बढ़ा है। इस वर्ष 11 जिले अतिवृष्टि से प्रभावित हुए, जिनमें सबसे अधिक हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं दौसा थे। यहां बांधों के टूटने से सड़कों को भयंकर क्षति हुई है। कुल 125 बांध प्रदेश में इस वर्ष टूटे एवं सभी ऐसी जगहों पर सड़कें पानी में डूबी रहीं, उन पर कटाव हुए एवं कई स्थानों पर पानी के निकास हेतु सड़कें ग्रामीणों ने स्वयं काट दीं। केवल इन 11 जिलों में ही विभाग की सड़कों को 42 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया, जिसको अभी हाल ही में क्षति के आंकलन हेतु आयी भारत सरकार की टीम को भी बताया गया।

(13.40)
(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार की क्षति पिछले 1992 से लेकर 1994 तक अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदेश में होती रही है। संधारण हेतु दी गयी राशि इस क्षति के लिये पूरी नहीं पड़ती है। काफी प्रयत्नों के बाद दो वर्ष पहले केवल 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त इस टूट-फूट की मरम्मत हेतु मिल पाये थे, पर ये बिलकुल अपर्याप्त थे।

यह सही है कि सड़कें टूटती हैं, किन्तु उसके साथ-साथ यह कहना भी समीचीन होगा कि सुधार के लिये विभाग साथ ही साथ व्यवस्था भी करता है। गुणवत्ता में कमी की जहां शिकायतें आती हैं वहां तत्काल परीक्षण करके निवारणात्मक एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं। ऐसा भी परीक्षण परिणामों से परिदृश्य सामने आया है कि डामर की ही सब स्टैण्डर्ड की स्थिति भी कहीं-कहीं बनी है। ऐसे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मामलों में रिफाइनरी से कार्यवाही की जा रही है। वहीं तत्काल सुधार करवाकर लैप्सेज का दायित्व निर्धारित करने की भी प्रक्रिया की जाती है।

इन सब विषम परिस्थितियों के होते हुए भी सार्वजनिक निर्माण विभाग सीमित वित्तीय संसाधनों में अधिकाधिक कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है। वर्ष 1990 से वर्ष 1995 तक 8731 किलोमीटर सड़कें नयी बनायी गयी हैं और इस पर 399.42 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। 4141 गाँवों को इस अवधि में सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया है। इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना में बड़े पुलों का निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया गया, जिस पर बड़ी मात्रा में विनियोजन करना आवश्यक था।

इसी तरह बाह्य सहायता प्राप्त राज्य उच्च मार्गों के उन्नयन और चौड़ा करने की प्रक्रिया भी हाथ में ली गयी, जिसमें अब तक लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। बाह्य सहायता के अन्तर्गत निर्मित निर्माणाधीन राज्य उच्च मार्गों पर जो कार्य हो रहा है वह माननीय सदस्यगण ने देखा है और उस पर वर्षा के कारण नगण्य क्षति हुई है। इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए अब कुछ राज्य उच्च मार्गों को बाह्य सहायता के अन्तर्गत कार्यक्रमों में शामिल करना प्रस्तावित है और हमें आशा है कि इस प्रकार सुधार की प्रक्रिया हम निरन्तर जारी रख सकेंगे।

मण्डी समितियों एवं कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के बारे में समय-समय पर जो चिन्ता सदन में माननीय सदस्य व्यक्त करते रहे हैं उससे मैं भी परिचित हूं। हमारा प्रयास है कि इन सड़कों की एक बार पूरी मरम्मत करवाकर क्रमिक रूप से इन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में ले लिया जाए। इस वर्ष 2000 किलोमीटर की सड़कें मरम्मत के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में लेने की योजना है और अगले दो वर्षों में शेष सड़कों को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग अपनी सूची में ले सकेगा। इससे इन सड़कों की मरम्मत का कार्य भी नियमित रूप से होता रहेगा।

पिछले दो-तीन वर्षों से मेरा यह निरन्तर प्रयास रहा है कि वर्षा से पूर्व और वर्षा के बाद सड़क पर होने वाले पैचेज की पूर्ण रूप से मरम्मत कर दी जाए। पिछले दो वर्षों में इस प्रयास से सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था सुधरी है। इस वर्ष भी हमने यह कार्य प्रारम्भ किया है और 15 नवम्बर तक सड़कों के सभी पैच मरम्मत करने की व्यवस्था हम कर देंगे। हमने यह निश्चय किया है कि 15 नवम्बर के बाद संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके क्षेत्र की सभी सड़कों का पैच-मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस सन्दर्भ में मैं सदन के माननीय विधायकगण से भी यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे उक्त तिथि के बाद जहां कहीं भी सड़कों पर पैचेज बड़ी मात्रा में दिखाई दें उसकी सूचना मुझे देने की कृपा करें ताकि मरम्मत की व्यवस्था की जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को चलने लायक बना दिया गया है और उनकी बाढ़ पूर्व स्थिति के स्तर तक मरम्मत जून, 1996 तक करा दी जाने की योजना है।

सड़कों के निर्माण और संधारण दोनों ही की भागीदारी के क्रम में मेरा यह अनुभव रहा है कि विभाग का कनिष्ठतम कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता एवं उसके नीचे काम करने वाला गैंग

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मैन नियमित रूप से कार्य नहीं करता। इनकी कार्य के प्रति भागीदारी बढ़ाने और इनको इस क्रिया में जागृत करने हेतु मैंने जिला स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता स्तर तक की बैठकें लेने की योजना बनायी है। अभी तक 29 जिलों में इस प्रकार की बैठकें मैंने ली हैं और उसके परिणाम आने की भी मुझे पूरी आशा है। विश्व बैंक की सहायता से चल रहे सड़क कार्यों से हमें कुछ दिशा मिली है।

विभाग में पहले ठेकेदारों की पोस्ट क्वालिफिकेशन अथवा प्री-क्वालिफिकेशन की कोई परम्परा नहीं थी। फलस्वरूप सभी प्रकार के ठेकेदार कार्य पर आ जाते थे और काम घसीटते रहते थे। टाइम ओवररन और कास्ट ओवररन के कारण सारा आयोजन गड़बड़ा जाता था और जो वांछित लाभ हम जनता को देना चाहते थे वह लाभ भी लोगों को समय पर उपलब्ध नहीं होता था। इसके साथ-साथ सड़कों की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता था। अतः हमने यह निश्चय किया है कि 25 लाख से ऊपर के सभी कामों के लिये पोस्ट क्वालिफिकेशन की व्यवस्था की जाए। इसी तरह विश्व बैंक योजना के अनुरूप 200 लाख रुपये से अधिक लागत के कामों पर प्री-क्वालिफिकेशन की व्यवस्था भी की है ताकि केवल ऐसे लोग सड़क निर्माण कार्य में आ सकें जो कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने की क्षमता और दक्षता रखते हैं और जो उनके पिछले 5 वर्षों के कार्यों में परिलक्षित हुए हों। इसी प्रकार निर्मित सड़कों के संधारण हेतु भी विश्व बैंक के दृष्टान्त के अनुसार 12 महीने तक निर्माणकर्त्ता को ही ऐसा संधारण अपने खर्चे पर करने की बाध्यता अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एवं प्री-क्वालिफिकेशन में रखी गयी है। इससे एक या दो बरसात के मौसम निर्माण के पश्चात निर्मित सड़कों को झेलने पड़ेंगे। अगर कोई निर्माण में न्यूनता रह गयी हो तो वह सामने आ सकेगी और ठेकेदारों को उसे मरम्मत करने की बाध्यता होगी।

सड़क नीति में वर्णित अनुसार अब रिन्यूअल हेतु हाट-मिक्स प्लान्ट एवं पेवरों का अधिकाधिक प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि पेवर निर्मित सड़कें अच्छी बनती हैं और अधिक चलती हैं। इस नीति के कारण पिछले वर्ष लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों के संधारण अर्थात् कुल संधारण के आधे पेवर से हुए। ठेकेदारों ने इस विश्वास के कारण ही कि संधारण अब पेवर से होंगे, पिछले लगभग डेढ़ वर्ष में 60 हाट मिक्स प्लान्ट एवं पेवर क्रय कर प्रदेश में स्थापित किये हैं जो कि सीधा-साधा लगभग 60 करोड़ रुपये का निजी निवेश सड़क निर्माण के क्षेत्र में हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हो पाया था। इसी प्रकार सड़क निर्माण में अब मशीनों का उपयोग भी अधिकाधिक किया जा रहा है। इन सब से आशा है कि उत्तरोत्तर सुधार सड़क निर्माण एवं संधारण में आएगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा था तो मुझे पता था कि मुझे यह मेरा वर्बेटिम पढ़ना नहीं है। लेकिन मुझे पूर्व में ऐसा अनुभव हुआ पिछले सत्र में एक साल पहले इन्हीं सड़कों के बारे में। बारिश पिछले साल बहुत हुई थी कुछ जिलों में और उसमें सड़कें टूटी थीं और उसके अलावा, मैंने माननीय मंत्रीजी का भाषण कई जगह पढ़ा था कि इतने दिन में पैच रिपेयर, इतने दिन में वह रिपेयर, तो मैंने एक कालिंग अटैंशन लगाया

(श्री विष्णु मोदी)

था। उस वक्त वर्षा से खराब हुई प्रदेश की विभिन्न सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, पुलियाओं आदि की मरम्मत बाबत मैंने नियम 131 में ध्यान आकर्षण लगाया था। अभी जो इन्होंने लम्बा चौड़ा लेखा-जोखा पढ़ा....

श्री उपाध्यक्ष : अब वक्तव्य हो चुका, आप क्या चाहते हैं, पूछें।

श्री विष्णु मोदी : बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं।

एक साल बाद में उस ध्यान आकर्षण का जवाब आया और वह जवाब आया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का गोमती चौराहा, अजमेर-उदयपुर सैक्शन, किलोमीटर इतने से इतना अजमेर तक का, इस वर्ष वर्षा लगातार दो माह सामान्य से बहुत अधिक होने के कारण सड़क के इस भाग में जगह-जगह पैच हो गये। मैंने पूछा था कि पूरे राज्य में नेशनल हाई-वे और पुलियाओं का कितना नुकसान हुआ और उसमें मेरे पास एक साल बाद में जवाब आया सिर्फ स्टेट हाई-वे नाम के एक टुकड़े का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बयान तो लम्बा-चौड़ा पढ़ दिया लेकिन आप भी अपने क्षेत्र से आते हैं और मैं सभी माननीय विधायकों से ईमानदारी से पूछना चाहता हूं। पिछली साल जो सड़कें टूटी थीं वह भी ठीक नहीं हो पाईं और इस साल की पहले तो 15 अक्टूबर सुनी थी कि 15 अक्टूबर तक ठीक हो जाएंगी, उसके बाद में 31 अक्टूबर सुनी और अब 15 नवम्बर सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सवाल पूछिये....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : ऐसे + + + मंत्री को कैसे टालरेट कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी ?

श्री विष्णु मोदी : पेड़ देखना है तो आप सीधे जंगल में जाकर पेड़ नहीं देखेंगे, First you have to get acquaintted with the forest. Only then you can indentify the tree. तो मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह यह हालत है और मेरा यह आरोप है कि पिछले दो साल में जो सड़कें बनी हैं वे इतनी सब-स्टैण्डर्ड बनी हैं कि 10 साल पुरानी सड़कें तो नहीं टूटीं लेकिन जो दो साल में या पिछले साल में सड़कें बनीं उनका टूटकर सत्यानाश हो गया। उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि पी. डब्लयू. डी. में एक सैक्रेटरी को पिछले तीन साल से एक्सटेंशन दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर चर्चा कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? केवल सवाल पूछ सकते हैं आप।

श्री विष्णु मोदी : मैं सवाल पर आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत पिन पाइंटेडली सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न के अन्दर समय सीमा भी बंधी हुई है।

श्री विष्णु मोदी : मैं पिन पाइंटेडली आ रहा हूं कि इस विभाग का सत्यानाश हो गया सड़कें बनाने में, सड़कें टूट गयीं और उसमें एक सैक्रेटरी को तीन साल से एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि उससे विभाग के अन्दर टोटल पैरेलाइसिस हो गया है। उसके अन्दर मंत्री ने इतना कर रखा है कि हैड ऑफ द डिपार्टमेंट एक ओवरसियर का तबादला नहीं कर सकता।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

96

(श्री विष्णु मोदी)

यह मूल भावना है इस डिपार्टमेंट के सत्यानाश में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की सड़कों की बात को छोड़ दीजिये, नेशनल हाइवे नम्बर 8 राजस्थान की लाइफ लाइन है, आज नेशनल हाइवे नम्बर 8 राजस्थान का टोटल डवलपमेंट है। रेलवे का तो ब्राडगेज अब हो रहा है लेकिन राजस्थान का जितना विकास हुआ वह एन एच 8 के कारण हुआ है। वह एन एच 8 पिछले साल टूटा और इस साल हालत यह हुई कि एन एच 8 को बन्द करना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो बारिश आयी उसमें 107 से 115 किलोमीटर में 13.3.95 को डेढ़ करोड़ रुपये का काम कराया। एन एच 8 पर और अब 50 लाख रुपये के काम की एन. आई. टी. लगायी। उसी जयपुर-दिल्ली रोड पर 150 से 162 किलोमीटर में 18.4.95 को 50 लाख रुपया पिछली बारिश में मेंटिनेंस पर दिया। उसी 150 से 162 किलोमीटर पर इस बार सड़क टूटी और इसमें 40 लाख रुपये की अब एन. आई. टी. लगायी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर-अजमेर रोड जो सबसे बढ़िया सड़क कहलाती थी, उसकी आज स्थिति यह है कि जहां से पिछली बारिश में टूटी वहीं इस बार फिर टूटी। जयपुर-अजमेर रोड की इतनी बुरी दुर्गति इस वक्त है कि अभी नीमकाथाना में 24 तारीख को जब सूर्यग्रहण देखने दुनिया के वैज्ञानिक आये तो कम से कम एक हजार लोग फॉरेन से आये और एक हजार आदमी दिल्ली और हिन्दुस्तान के कोने-कोने से आये, उनका सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या राजस्थान में आप सड़कों को ठीक नहीं रख सकते?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने क्या जवाब दिया उनको?

श्री विष्णु मोदी : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल जो टूटी—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। कृपया—

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं। जो पिछले साल टूटी वही सड़क फिर टूटी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पैच रिपेयर की बात करते हैं। आप जयपुर शहर के अन्दर देख लें, और बाकी किसी सड़क को देख लें, जो पैच रिपेयर कर रहे हैं उलटा वहां पर ऊपर सतह हो गयी—

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया था कि केवल सवाल कीजिये। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जहां खड्डा हो गया, वहां इस तरह से पैच रिपेयर हो रहा है कि वह सतह से ऊपर हो गया और उल्टा उसमें रगड़न हो गयी और वह वापस टूटेगा। वह बम्प हो गया, उसके कारण कितने ही तो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और कितने ही लोग रोज मर रहे हैं। यह जो पैच रिपेयर आप करा रहे हैं वह क्या साइंटिफिक तरीके से कराएंगे? या जिस तरह से आपने पैच रिपेयर किये—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री विष्णु मोदी : विभाग का सत्यानाश किया है और सड़कों के अन्दर राजस्थान की + + + कर दी है। आप कृपा कर बताएं कि

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

कितनी तारीख तक, कब तक? और वह साइंटिफिक तरीके से होगा या क्या होगा ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर-लुहारू जो स्टेट हाइवे है और उस पर आपने जो काम किया है उससे पहले यह वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था। पिछले बजट सैशन में मान्यवर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि विगत जून तक इस काम को पूरा करवा देंगे। जब बजट सैशन में काम चल रहा था तब मंत्री जी का ध्यान हमने आकर्षित किया था कि जो मैटीरियल डालना चाहिये वह नहीं डालकर वहां बालू मिट्टी डाल रहे हैं। आपने काग्नीजेंस लिया था, नोटिस दिया था। अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि साहब डाल देते हैं, पड़ता है। उनको वार्निंग दी थी कि बालू मिट्टी नहीं डलेगी वह डली। अब हुआ क्या ? कि इस बरसात में वह सारी सड़क टूट गयी। आज सीकर से झुंझुनूं तक मोटरेबल सड़क नहीं है, वहां पहुंचने में नवलगढ़ और सीकर के बीच में एक घंटा लगता है जो 15 मिनट का रास्ता है। जो पहले थी उससे भी ज्यादा खराब हो गया। जो रिपेयर हुई वह इतनी घटिया हुई और इतना हल्का मैटीरियल लगाया आपने सीकर-झुंझुनूं में, उस पर कृपा कर आप ध्यान दीजिये, उसको ठीक कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन कारण सड़कों के खराब होने के बताये—

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, इस पर जनरल चर्चा नहीं हो रही है, आप स्पेसिफिक सवाल उठाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल है मेरा सीधा। स्पेसिफिक सवाल है। मंत्री महोदय ने तीन कारण बताये कि एग्जिस्टिंग रोड्स क्यों खराब होती हैं। एक तो आपने बताया कि नालियाँ—

श्री महावीर प्रसाद जैन : सिर्फ प्रश्न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वही तो प्रश्न है + + + ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + क्या होता है। आप तो लोक सभा में भी गये बताये। आपको परम्परा का ही पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महावीर जी, यह प्रश्न सड़कों के बारे में—

श्री महावीर प्रसाद जैन : न तो आपको प्रश्न पूछना आता है, न आपको बोलना आता है। किसने आपको संसद में और यहां भेजा है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + + का मतलब होता है मित्र, दुश्मन थोड़े ही होता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यदि मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल जी, बाईपास कर रहे हैं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, लेकिन यह सवाल सड़कों का था, गोबर का नहीं था। नाली न बनना—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आपने महावीर जी को ही + + + क्यों बनाया? और भी बहुत बैठे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं जात का जैनी हूं, महावीर भगवान को रोज याद करता हूं।

तीन कारण बताये एक तो नाली रुकी हुई रहती है। नालियों की सफाई नहीं होती और सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। कई जगह नालियां बनी हुई नहीं हैं जिससे पानी सड़क पर जमा हो जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी नयी सड़कें आप बनाने वाले हैं या जितनी भी सड़कें आपने आज तक बनायी हैं, क्या वहां पर आप सड़क के दोनों तरफ नालियों का प्रोविजन रखना चाहेंगे भविष्य के लिये ?

दूसरा आपने कारण बताया अतिक्रमण का। माननीय मंत्री महोदय, कोटा के हालात आपको अच्छी तरह से याद हैं, जितने भी अतिक्रमण हैं वे सब आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रति माह चन्दा लेकर जमाये हुए हैं। वहां पर नगर निगम आपके कब्जे में, वहां का नगर विकास न्यास आपके कब्जे में, कौन रोकता है ? आज तक किसी कांग्रेसी ने, किसी अतिक्रमण को तोड़ने से रोकने के लिये कभी कहा हो तो आप फरमाएं।

श्री मदन दिलावर : शॉपिंग सेन्टर किसका है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शॉपिंग सेन्टर मेरे बाप का है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक आखरी सवाल है मेरा। डामर के बाबत आपने फरमाया कि सब-स्टैण्डर्ड डामर आ रहा है। सब-स्टैण्डर्ड भी आ जाए, वही ठीक है। डामर के घोटाले को तो आप खूब अच्छी तरह से समझ बैठे हो, भीलवाड़ा का डामर घोटाला कांड, बूंदी का डामर घोटाला कांड, कोटा का डामर घोटाला कांड। एक-एक चीज कहां से आयी और कहां गयी और कितना बंटा और कितना नहीं बंटा, सारी आपको जानकारी है। अब उसको सब-स्टैण्डर्ड बताकर बहाना बनाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने डामर घोटाला कांड की जाँच क्यों नहीं करवायी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका सवाल समझ में आ गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सड़कों का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि जयपुर से आगरा की तरफ जब हम जाते हैं तो घाट की गूणी पर हर बार जब भी बरसात होती है वह सड़क टूटती है। ऐसी सड़कें जो हर बार टूटती हैं, क्या राज्य सरकार का विचार उनको सीमेंटेड रोड बनाने का है ?

(14.00)

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है। पिछले सालों में डी. आर. डी. ए. के जरिये जो सड़कें बनी हैं, पहले उनका प्रावधान यह था कि गिट्टी की सड़क डी. आर. डी. ए. बना देगा और उसका डामरीकरण पी. डब्लयू. डी. के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अभी जो सड़क नीति बनी है उसके तहत यह हो गया है कि सड़क नीति के अन्तर्गत जो

(श्रीमती कमला)

सड़कें नहीं आ रही हैं, उनका डामरीकरण पी. डब्ल्यू. डी. नहीं कराएगा। नतीजा यह हुआ कि गिट्टी की बनी हुई जो डी. आर. डी. ए. की सड़कें थीं, कुछ तो इस बाढ़ में और पहले जो निरन्तर दो माह तक बरसात हुई उसके अन्दर उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। बाकी डामरीकरण नहीं हुआ तो वे सड़कें सारी की सारी बरबाद हो जाएंगी और प्रदेश का जो धन है उसका दुरुपयोग होगा। कोई और एजेंसी भी नहीं है जो उसकी मरम्मत करे या उसका डामरीकरण करे इसलिये या तो आप उसको विशेष तौर पर लें या उसके लिये विशेष कोई धनराशि का अलग से प्रावधान करें जिससे उन सड़कों की मरम्मत और डामरीकरण किया जा सके। क्या आप इसकी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय पिछले महीने नीमकाथाना कालेज के फंक्शन में गये थे और शाहपुरा और नीमकाथाना की रोड पर से पास हुए थे। उस रोड की जो स्थिति थी आज भी तो वो की वो स्थिति है, कहीं खड्डे में पत्थर भी नहीं डाले गये। आपको याद दिलाना चाहता हूं, घासीपुरा के पास एक नाला आता है, उसमें जब आप गये तो वहां पूले डालकर आपकी कार को पास कर दिया था, लेकिन आज वहां गाड़ियां पास नहीं हो सकतीं। मंत्री महोदय, आपने वहां यह कहा था कि 30 अक्टूबर तक सारी सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष ध्यान देकर के इसको कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट (व्यवधान), उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंट पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इस पर आम चर्चा नहीं होगी। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इस पर आम चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड क्वेश्चन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। कृपया विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड क्वेश्चन।

श्री उपाध्यक्ष : सबका एक-एक ही है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है और महिला तो एक ही खड़ी हुई है, महिला को तो बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज़िये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला को तो बोलने दीजिये। (व्यवधान) ऐसा + + + तो मत कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जब से हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक महिला को तो बोलने दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत + + + है। बताइये, एक को भी नहीं बोलने देंगे आप?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, निश्चित रूप से—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात सुनिये, एक जरूरी बात बोलनी है। इस सम्बन्ध में हमारी जरूरी बात ही बता रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपाया विराजें। माननीय सदस्या, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, समय सीमा में बंधा हुआ है। स्पेसिफिक सवाल इसमें पूछ लिये गये हैं, अब माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, कृपया सुनें। माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसमें सवाल ही पूछना है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी इजाजत से इतना पूछना चाह रहा हूं—

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इजाजत दे ही नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : — मेरा निवेदन सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा। कृपया विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : . . . ट्रैफिक बन्द है, मंत्री महोदय, थोड़ा-सा इस पर ध्यान तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इतना तो कर दें कि उस पर ट्रैफिक चालू हो जाए। छह जगह से रोड टूटी हुई है, तीन जिलों को जोड़ने वाली रोड है—

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है—

श्री हरिसिंह (महुआ) : दो माह से ट्रैफिक बन्द है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के लिये कोई सिद्धान्त तय किया है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का निवेदन अपने वक्तव्य में किया था कि 31 अक्टूबर पहले तिथि तय की गयी थी कि जिसमें इस प्रकार के पैचेज की सारी रिपेयर हो जाएंगी किन्तु बरसात की जो अधिकता रही और टूट-फूट हुई उस वजह से इतना मैं मानता हूं कि 15 नवम्बर तक उस तिथि को मैंने बढ़ाया था। 15 अक्टूबर आप कह रहे थे, वह कभी नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि 15 नवम्बर के बाद, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि, मैं उनके साथ हूं, निश्चित रूप से सूचना आने के पश्चात् वे चाहेंगे तो वहां एक्स. ईएन. की पेशी उनके साथ होगी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, सूचना का क्या सवाल है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : निश्चित रूप से होगी। मेरी दृष्टि से तो सारी रिपेयर हो गयी, किन्तु अगर कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा, कहीं कोताही किसी प्रकार नहीं की जाएगी, यह गारंटी करना चाहता हूं। (व्यवधान)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् विष्णु मोदी ने जो बातें रखीं, आप जयपुर में रिपेयर की चर्चा कर रहे हैं, बाहर की रिपेयर की चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है, कहीं 2-4 स्थानों पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जो रिपेयर किये हैं, उन पर आये हों किन्तु आज इस रिपेयर की, मुझे पता है। अपोजीशन के एक माननीय सदस्य जिनका नाम नहीं लेना चाहता, दिल्ली गये थे। पांच दिन बाद जब वे लौटकर आये तो कहने लगे, चतुर्वेदीजी! इतनी जल्दी सड़कों की मरम्मत हो जाएगी, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। मैं आपको और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने यह भी तय किया है, जैसा विष्णु मोदी बता रहे थे कि अगर पिछले वर्ष में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। धारीवाल जी, विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं दिल्ली जाना ही नहीं चाहता। जयपुर और दिल्ली की सड़कों के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल जी, आप बिना आसन की अनुमति के बार-बार खड़े हो जाते हैं। विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...मरम्मत करवानी है। इनको दिल्ली जाना है, मुझे नहीं जाना है दिल्ली।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो निर्माण कार्य हुए थे, पिछले वर्ष जो रिन्यूअल हुए थे, पिछले वर्ष जो पैच-वर्क हुए थे, एक-दो उदाहरण माननीय मोदीजी ने प्रस्तुत किये हैं। आज से 25 दिन पहले यह आदेश मैंने दिये हैं कि जो पिछले वर्ष रिन्यूअल किये हैं, रिपेयर किये हैं, निर्माण किये हुए हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान इस बरसात के कारण आया हो, तो 15 नवम्बर तक प्रत्येक एडीशनल चीफ इंजीनियर जांच करें, निर्णय करें, अधिकारियों को दण्डित करें और वह कैसेट मुझे कम्युनिकेट करें। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। झुंझुनूं से आने वाले माननीय विधायक ने चर्चा की, मैं मानता हूं कि सीकर से नवलगढ़ के बीच में जो ठेकेदार आया, इतना गड़बड़ था कि उससे काम वापस ले लिया। किन्तु नवलगढ़ से लेकर झुंझुनूं तक आपको पता होगा आज जो सड़क रिपेयर हुई है उसकी स्थिति क्या है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : रतनगढ़ से सरदारशहर का क्या हाल है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए कहीं न कहीं व्यक्ति आ जाता है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं? 10 प्रतिशत की पैनल्टी लगा रहे हैं, उससे काम छीन रहे हैं और दूसरे उपयुक्त व्यक्ति को काम दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी करना चाहता हूं। आज प्रदेश में निर्माण के लिये और रिपेयर के लिये 1000 ड्रम्स बिटुमन की आवश्यकता है और आ रहा है केवल 300 ड्रम्स। रिफाइनरी फरनेस ऑयल बना रही है, जो बिटुमन नहीं दे रहा है। केन्द्र में सत्ता आपकी है, इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं, कृपया इसमें सहयोग करिये। वरना मेरे कुछ करने के बाद भी, अधिकारियों की इच्छा करने के पश्चात् भी अगर बिटुमन 1000 ड्रम्स प्रति माह नहीं आये, तो इनकी रिपेयर करने में बहुत बड़ी बाधा हो रही है। हमने दो अफसरों को वहां बैठा रखा है। एक को रिफाइनरी में और दूसरे को कोलरी में। वे लगातार हर दिन डिस्पैच कराते हैं डामर की वहां से, लेकिन क्योंकि उसकी कठिनाई उपस्थित हो रही है इसलिये मैं चाहता हूं, प्रदेश आपका भी है, हमारा भी है, प्रदेश की बहबूदी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हम भी चाहते हैं, प्लान का उपयोग भी करना चाहते हैं, रिपेयर्स भी करना चाहते हैं, किन्तु डामर नहीं आएगा तो क्या होगा? विपक्ष के माननीय नेता बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जोइंट प्रयास इस डामर को लाने के लिये निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि 15 नवम्बर के बाद आपके ध्याम में कोई भी कोताही का विषय आये, मुझे बताइये। मेरी दृष्टि से तो पूरी रिपेयर हो गयी, मैं निश्चित रूप से उसको ठीक करूंगा और एक्शन लूंगा उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने कहीं भी कोताही करने की कोशिश की है। इन्डिविजुअली जिन सड़कों का वर्णन यहां आया है, जैसे शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां चर्चा की, आपने चर्चा की है, हमने तय किया है कि घाट की गूणी को हम सीमेंट से बना रहे हैं, शुरू हो गया है काम। हमको भी ध्यान में आता है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय, आपकी चिट्ठी रोज गोनेर के बारे में मिलती है कि बन रही है, बन रही है किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। मंत्री महोदय, गोनेर के लिये रोज आपके पत्र मिल जाते हैं कि सड़क बन रही है__

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिये इसके माध्यम से इस विषय पर पूरी चर्चा आपके सामने रखी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री **गुलाब** सिंह शक्तावत, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1995-96 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। श्री गुलाब सिंह जी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था (व्यवधान) जो पिछले साल टूटी, वही इसी साल टूटी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : **चर्चा** समाप्त। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय, गोनेर के लिए आपकी तीन चिट्ठी मेरे पास आयीं__(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 131 की चर्चा समाप्त। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : __सड़क बिल्कुल खराब पड़ी है, टूटी पड़ी है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : रतनगढ़ से सरदारशहर सड़क टूटी हुई है, 8-10 साल से ठीक नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय, डी. आर. डी. ए. की रोड्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, कृपया उनके बारे में बताएं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : काम शुरू कब कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, चर्चा समाप्त। श्री गुलाब सिंह जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, गोनेर के बारे में जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री विष्णु मोदी : मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था। जो पिछले साल टूटी वही इस साल टूटी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, इन पैच-वर्क की मरम्मत कराने के बारे में कहें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : डी. आर. डी. ए. की रोड्स के बारे में—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गोनेर के बारे में जवाब देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप कहें तो मुझे—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : — अब भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ?—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप पहले बताइये कि मंत्री महोदय की तीन चिट्ठी आयी हैं, गोनेर के बारे में—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई उत्तर नहीं आएगा। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान समिति, 1995-96 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सभापति, अधीनस्थ विधान समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1995-96 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई उत्तर नहीं आएगा, चर्चा समाप्त, विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जो भी अनुशासन में रहता है उसका तो उत्तर नहीं आएगा और जो अनुशासन नहीं करे तो उत्तर आएगा, अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, महाराज। श्री गुलाब सिंह जी।

एक माननीय सदस्य : बोल दिया, बोल दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कर दिया साहब मैंने।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो पर कल इस सदन के 38 माननीय सदस्यों ने अपने रचनात्मक सुझाव सदन में प्रस्तुत किये। एक मोटी बात उभर कर सामने आयी जिसे राजस्थान की सरकार और राजस्थान का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भली-भाँति जानता है कि वृहत् राजस्थान का निर्माण होने के बाद में विद्युत विकास की अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने रही हैं, चाहे कोई भी सरकार शासन में रही हो। राजस्थान के विकास का इतिहास 1949 के बाद में प्रारम्भ होता है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त राजस्थान का निर्माण हुआ 1950 में, हमारे राज्य की इंस्टाल्ड कैपेसिटी 13.12 मेगावाट थी। शनैः शनैः उसमें बढ़ोत्तरी होती गयी। आज जब हम कन्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि तमाम प्रकार की विकास की गतिविधियों के लिये अगर कोई बेस है, कोई फाउण्डेशन है तो वह एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। माननीय उपाध्यक्षजी, भारत सरकार ने इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो पर एक किताब प्रसारित की है, इसका पहला अनुच्छेद इस प्रकार है :—

(श्री परसराम मदेरणा)

For a developing country like India electricity is the most commonly used form of energy. Indeed it is the fulcrum, is foundation base. Indeed it is the fulcrum on which rests the future pace of growth and development. As the tempo of development increases the demand for electricity also increases. Since Independence. India has multiplied electricity generation capacity over 55 times India's generating capacity has been increased from a meagre 1362 MW in 1947 to 76 thousand MW.

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बनने के वक्त जो हमारी अधिशासित क्षमता थी वह 13.12 मेगावाट थी और वर्तमान में इंस्टाल्ड कैपेसिटी 3054 मेगावाट के आसपास है जो 1950 के मुकाबले 232 गुना है। इस उत्पादन में और इंस्टाल्ड कैपेसिटी में बढ़ोत्तरी होने के बाद में आज भी डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में भारी गैप है। और क्योंकि डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में भारी गैप है इसलिये आज जो बिजली सभी सैक्टर्स में दी जाती है चाहे वह कृषि का क्षेत्र को, चाहे वह डोमेस्टिक क्षेत्र हो, चाहे वह इण्डस्ट्रियल क्षेत्र हो, चाहे वह पब्लिक यूटिलिटीज हों उसमें रैगुलर, अनइंट्रप्टेड एण्ड एडीक्वेट बिजली नहीं मिल रही। जब सुचारू और पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है तो कई प्रकार के उसमें व्यवधान आते हैं और कन्ज्यूमर्स को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यह गैप आज प्रारम्भ नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. इस बात से भली-भांति परिचित है। जो अभी इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को 7 मई, 1990 को सर्कुलेट किया था जिसकी एक प्रतिलिपि मुझे मिली थी कि प्रदेश में ऊर्जा की उपलब्धि और मांग दोनों में भारी अन्तर है। यहां पर पिछले साल में और 94 में तीन स्टेटमेंट ऊर्जा मंत्रीजी के हुए हैं, उन्होंने भी यही बात दोहराई है बार-बार कि राज्य में विद्युत की मांग एवं उत्पादन में अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री जी, जो अखिल भारतीय कांफ्रेंसेज में जाते हैं, इन्होंने भी अपने भाषण में 19 फरवरी, 1991 को चीफ मिनिस्टर्स और पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में जो अपने विचार व्यक्त किये थे वे मैं उद्धृत कर रहा हूं। "The future of power sector in Rajasthan is rather alarming, as already pointed out in the last conference held in Sep. 90. Rajasthan would be the only state in the Northern Region to face the maximum shortage of energy to the extent of 7038 million units by the end of the 8th Five Year Plan."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार 4 मार्च, 1990 को सत्तारूढ़ हुई है और इनको करीब-करीब पौने छह साल हो गये हैं सत्ता में रहते हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बीच का जो झटका लगा वह ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस वक्त आपने सरकार सम्भाली थी उस वक्त राजस्थान की इंस्टाल्ड कैपेसिटी 2672.57 मेगावाट थी और पिछले 6 साल के अन्दर यह कैपेसिटी बढ़ करके अब आज जो स्थिति है, 1995-96 के एक नवम्बर को, वह 3053.85 मेगावाट है।

श्री उपाध्यक्ष : आज का दिन भी शामिल है ?

श्री परसराम मदेरणा : आज के दिन में दो मेगावाट कम हो जाएगी इंस्टाल्ड कैपेसिटी, अभी कारण बता दूंगा आपको। इस प्रकार राजस्थान सरकार के भारी प्रयत्नों के बाद बिग लीप की बात करते हैं कि हम लम्बी छलांग भर रहे हैं, पिछले छह साल में जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी उन्होंने बढ़ायी है, वह 381.27 मेगावाट है। अब 3053.85 मेगावाट में से 379.25 अगर आप घटाते हैं तो बाकी बचती है 2.035 मेगावाट, यह आपकी 379.25 मेगावाट इंस्टाल्ड कैपेसिटी में कमी आ गयी है, यह डिक्रीज हो गयी है। मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे क्योंकि वे जवाब दे रहे थे परसों तब कह रहे थे कि ए. पी. पी. के दोनों यूनिट, एक और दो, इनका उत्पादन बंद हो गया है इसलिये आज डिमाण्ड और सप्लाई के अन्दर यह अन्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 13 साल पहले, 1982 में जब मैं ऊर्जा मंत्री का दायित्व सम्भाले हुए था, उस वक्त भी राज्य सरकार को इस बात का भान था, रियलाइजेशन था कि आर. ए. पी. पी. यूनिट एक और दो की परफोरमेंस बहुत अनसैटिस्फैक्ट्री है। उस वक्त आर. एस. ई. बी. ने एक स्टेटस पेपर बनाया था। 14.11.82 को, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि "Seeing the record of performance of this power station in recent years much relevance cannot be placed in future on any improvement in the performance of this power station. Practically it means the reduction of sizeable amount in installed capacity of Rajasthan. The performance of RAPP unit 1 and 2 is self-explanatory." इन्होंने आगे दिया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मुख्य मंत्रीजी, 2.035 यूनिट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी में बढ़ोत्तरी हुई है उसके लिये वे रीजन एडवांस करेंगे लेकिन जब इनको यह मालूम था कि ये लंगड़े हुए चल रहे हैं इनमें डिस्टार्शन आ रहा है, ये बन्द होंगे तो आपने प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग क्यों नहीं की ? प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग आपने नहीं किया। राजस्थान के जनरेशन के मामले में मैं देख रहा हूं बराबर पिछले डेढ़ साल से कि तीन व्यक्तियों का अखबारों में प्रचार आ रहा है। ऊर्जा मंत्री जी, राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उद्योग मंत्री जी जहां कहीं भी जा रहे हैं और मुख्य मंत्री जी स्वयं भी हर पब्लिक मीटिंग में तो नहीं लेकिन करीब-करीब 90 प्रतिशत पब्लिक मीटिंग में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : चौथा और है चीफ सैक्रेटरी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं अधिकारियों के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। They are not answerable to this House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ज्ञान दिया आपने।

श्री परसराम मदेरणा : कि 4300 मेगावाट बिजली हम ला रहे हैं, 40 साल में बिजली पैदा नहीं हुई उससे डेढ़ी दुगनी पैदा कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कभी शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं, कभी इण्टरनेशनल काम्पीटीटिव बिडिंग की बात करते हैं, कभी टेण्डर खोलने की तारीख मुकर्र करते हैं। मैं समझता हूं कि आज माननीय सदस्य नहीं हैं लेकिन चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री परसराम मदेरणा)

होंगे, यहां उपस्थित हैं। दूसरे उस हाई पावर कमेटी के मैम्बर नहीं हैं। जब मार्च,95 में अपनी मीटिंग हुई थी, माननीय सदस्य, उस वक्त शॉर्ट लिस्ट होकर अपने को यह बता दिया था कि यह तो करीबन मई और जून तक हम यह सब एग्रीमेंट वगैरह कर लेंगे। आज उसमें 8 महीने से ऊपर का समय निकल गया है।

श्री चन्दनमल बैद : 15 नवम्बर का टाइम दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आ नहीं सका था। आपको 15 नवम्बर का टाइम दिया है। मुझे तो कन्ट्री का जो पोलिटिकल सिनेरियो दिख रहा है इसमें केन्द्र सरकार भी और राज्य सरकारों की हालत और भी बदतर है, यह डैफर करते हुए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं या नेगोशिएशन की बात करते हैं। कल भी मैंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का मैं हामी हूं लेकिन हम जिस स्टेल पेस से चल रहे हैं बिजली के उत्पादन में, मैं ऐसा मानता हूं कि डिमाण्ड एण्ड सप्लाई का गैप निरन्तर बढ़ता जाएगा। इस साल की इलेक्ट्रिक पावर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 1995-96 में डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में जो गैप रहेगा वह 46 परसेंट रहेगा। मुख्य मंत्रीजी, पन्द्रहवीं पावर सर्वे की रिपोर्ट जो अभी जुलाई में आयी है इसमें परसेंटेज तो नहीं दी है लेकिन नार्थन जोन के बारे में उन्होंने अलग-अलग सेक्टर के जो आंकड़े बताये उससे यह मालूम हो रहा है कि यह कमी 46 परसेंट से भी ऊपर जाएगी। मेरा ऐसा अनुमान है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की इंस्टाल्ड कैपेसिटी की आज घटकर वही स्थिति है जो 1990 में थी और इंस्टाल्ड कैपेसिटी का कभी मतलब नहीं है कि फर्म कैपेसिटी आपके पास में अवेलेबल है और फर्म कैपेसिटी का भी यह कभी भी मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक और एनर्जी की सप्लाई कंज़ूमर को आप फर्म कैपेसिटी की ही पूरी की पूरी कर देंगे। उसमें लाइन लोसेज भी होंगे और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमीशन सिस्टम गड़बड़ है, स्ट्रैन्थन नहीं है तो इसमें भी भारी कमी आएगी। इसलिये मैं ऐसा मानता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर सप्लाई और डिमाण्ड में जो अन्तर है, वह सौ प्रतिशत से कम नहीं है। यह हमारी एलारमिंग स्थिति है, इस एलारमिंग स्थिति के अन्दर यह बात सामने आती है। कल जो माननीय सदस्य बोल रहे थे एग्रीकल्चर और इर्रिगेशन के उस सेक्टर में जिसको टैक्निकली भारत सरकार और सी. ई. ए. इर्रिगेशन सेक्टर मानते हैं, पम्प वगैरह और दूसरे लिफ्ट इर्रिगेशन का सब मानते हैं उसमें, ज्यादातर माननीय सदस्यों की चिन्ता थी एग्रीकल्चर सेक्टर के 5 लाख उपभोक्ताओं की। अभी आपकी संख्या 5 लाख की हो गयी है। अगर मैं इस साल जो आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिये हैं 9,356 और कुछ उनको इनक्लूड करता हूं तो चार लाख निन्यानवे हजार और कुछ हैं। कोई 90 कनेक्शन बाकी हैं। शायद दे भी दिये हों। यह इन्फार्मेशन जो आपने सर्कूलेट की है वह हमको 10 अक्टूबर को दी थी। 20 दिन के अन्दर हो सकता है आपने इतने कनेक्शन दे दिये हों। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं आप। 5 लाख कंज़ूमर्स हैं।

जैसा कि मुख्य मंत्रीजी, आप जानते हैं कि इस साल भयंकर बाढ़ आयी है। बाढ़ पहले भरतपुर में आती थी और बाढ़ आने के बाद में जो इर्रिगेशन सिस्टम है, आलरेडी वहां पर, उसमें सब कैनाल्स में गेट खोलकर आप चैनल्स में पानी ले जाकर रवाना कर देते थे।

97

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ दिन पड़ा रहता है तो क्योंकि वहां की जो क्ले है, बहुत बढ़िया और फर्टाइल है, रबी की फसल जोरदार होती है। लेकिन अभी पानी भरा पड़ा है। बहुत-सा क्षेत्र है जिसमें नदी ने कोर्स चेंज कर दिया है और वहां पर रेत आ गयी है इसलिये उसमें रबी की काश्त हो नहीं सकती। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जहां तक एग्रीकल्चर सैक्टर का प्रश्न है, राजस्थान के अन्दर खास तौर से जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, चूरू में भी कुछ एरिया है और पूरा का पूरा उदयपुर डिवीजन भयंकर अकाल की चपेट में है। एक तरफ बाढ़ से नुकसान हुआ उसको कम्पनसेट करना चाहते हैं कुंओं से सिंचित एरिया पर रबी की फसल पैदा करके और दूसरी तरफ वैस्टर्न राजस्थान के अन्दर या उदयपुर डिवीजन में जहां भी ट्यूबवैल हैं वे चाहते हैं कि इन ट्यूबवैल्स को एडीक्वेट, अनइन्ट्रप्टेड और रेगुलर सप्लाई मिले। यही प्रश्न था जिसको ज्यादातर माननीय सदस्यों ने यहां पर उठाया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्क्रीजिंग गैप है डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में उसको एक दिन में आप पूरा नहीं कर सकते, यह असम्भव है। क्योंकि आपके पीछे जो लगे हुए हैं, काश्तकारों के कम्पीटिशन में जो लगे हुए हैं वे राजस्थान के उद्योग मंत्री जी हैं जो सभी को इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाइये। गले पड़ रहे हैं कि 4300 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा हूं, राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो में बदलकर अप्स एण्ड डाउन कर दूंगा मैं। बिजली इतनी हो जाएगी कि कंजूमर कोई लेने वाला नहीं रहेगा।

मेरा निवेदन है कि स्थिति बहुत गम्भीर है। आज अगर अपन एवरेज देखते हैं, तो 15th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे की रिपोर्ट, उद्योग मंत्रीजी, शायद आपने पेसेज कर ली होगी। अभी जुलाई में आयी है। इसमें आल इण्डिया की जो एवरेज होती है उसमें एग्रीकल्चर सैक्टर केवल 27 प्रतिशत है और नॉर्थ जोन के जो आंकड़े दिये गये हैं, जहां राजस्थान आता है, वह 31 प्रतिशत है। मतलब एक तिहाई से कम बिजली का यूटिलाइजेशन या उसका कंजम्पशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। यह तो इस कण्ट्री का अच्छा भाग्य है और राजस्थान का भी, मुख्य मंत्रीजी, नरसिंह रावजी भी भाग्यशाली हैं और आप भी भाग्यशाली हैं कि पिछले 6 साल लगातार मानसून इतना बढ़िया रहा है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि देश की आजादी के बाद कभी लगातार अच्छा मानसून रहा हो। लेकिन अगर आज 950 मिलियन पापुलेशन की कण्ट्री में कोई अकाल पड़ जाए, आधे हिन्दुस्तान में भी अकाल हो और 10 करोड़ टन का भी अगर स्टॉक हो तो भी आप लोगों को मरने से नहीं बचा सकते। आज 3 करोड़ टन से ऊपर का स्टॉक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि हिन्दुस्तान में ऋतुएं हैं, अलग-अलग क्षेत्र हैं। इस साल अच्छी बरसात हो गयी लेकिन कई बार बरसात में उसके प्रोफाइल में इस प्रकार के चेंजेज होते हैं कि बायोलोजीकल बरसात खूब होगी पर फसल उगेगी नहीं। उगी तो पीली-पीली फसल। दूसरी फसल और पहली फसल के बीच में करीबन 3 सप्ताह का अन्तर हो गया तो यह कोई जरूरी नहीं है कि कण्ट्री में 1938 की स्थिति नहीं आ सकती हो। इसलिये एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर हम जितनी भी नयी टेक्नोलोजी ला रहे हैं उस टेक्नालोजी को ध्यान में रखते हुए कण्ट्री में ऑइल सीड का, सीरियल

98

(श्री परसराम मदेरणा)

का, शुगरकेन का और फलों का उत्पादन हमको लगातार बढ़ाते हुए चले जाना चाहिये। इसके रिसर्च में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी स्टेट्समैन पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकता या नहीं सोच सकता। मैं तो कई बार सोचता हूं इस बात को कि कण्ट्री के सामने बढ़ती हुई पापुलेशन के एक्सप्लोजन में एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसका कोई समाधान नहीं होगा और जितना भी आप इम्पोर्ट करें–एक करोड़ टन कर लें, दो करोड़ टन कर लें, संसार में भी आपको कोई मार्केट नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज सब जानते हैं कि अमरीका दुनिया का सबसे धनाढ्य देश है, वहां की एग्रीकल्चर को हाइली सब्सिडाइज करता है। यूरोपियन कम्युनिटी वाले देश...(व्यवधान)...पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि 250 टाइम्स सब्सिडाइज कर रहा है। यह बहुत ज्यादा है। अगर यह स्थिति है कुल मिलाकर के आपकी जो रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे सामने प्रतिवेदन रखते हैं वे एक ही बात करते हैं कि हमको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और वह है टैरिफ का डिस्टार्शन। काश्तकार को हम 51 पैसे में बिजली देते हैं। कुल मिलाकर के हमारा एवरेज खर्चा आ रहा है, पनबिजली का, थर्मल का और दूसरा, एक रुपये और 50 पैसे। और एवरेज जब कम देते हैं तो इसका एवरेज आ रहा है एक रुपये 29 पैसे। कल चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने 20 पैसे का उसमें अंतर बताया। आर. एस. ई. बी. वाले कह रहे हैं कि 20 पैसे का नहीं है, 23 पैसे का अंतर है। मैं 23 पैसे ही मान लेता हूं। लेकिन आज और जिस वक्त भी जो इन्फार्मेशन आप हमको दे रहे हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि उस इन्फार्मेशन के अन्दर उन्हीं स्टेट्स का नाम दे रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर सैक्टर में टैरिफ राजस्थान से ज्यादा है। लेकिन कल कई माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया कि आज एग्रीकल्चर सैक्टर में टैरिफ की जो पर यूनिट रियलाइजेशन है, इसमें 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर टैरिफ राजस्थान से कम है। तमिलनाडु पूरी मुफ्त में सप्लाई कर रहा है। कर्नाटक के अन्दर 10 हार्स पावर तक एक पैसा भी नहीं है। आन्ध्र और केरल के अन्दर 5 हार्स पावर फ्री है। उसके बाद आप बड़े राज्य भी लें, तो आन्ध्र प्रदेश में 5 तक तो फ्री हैं और उसके बाद में 50 पैसे हैं। 33 पैसे बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में 50 हैं, मेघालय में 50 हैं, महाराष्ट्र में 50 हैं, हरियाणा में 50 हैं और गुजरात में 50 हैं। 6 राज्य जहां ज्यादा है, बार-बार आप इन्फार्मेशन दे रहे हैं, वैस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा और पंजाब दो पैसे हमसे ज्यादा हैं लेकिन नॉर्थ जोन में अगर हरियाणा है तो हरियाणा का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर 50 पैसे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अब जब यह बात ही आ गयी तो 51 नहीं है, यह एक रुपये साढ़े सत्रह पैसे हैं।

नर्सरी कनेक्शन की कल बात चल रही थी, नर्सरी कनेक्शन के अन्दर जिस तरह से आपने किसान को लूटने की व्यवस्था की है, यह तो मैं कहूंगा कि वर्तमान जो चेयरमैन हैं आर. एस. ई. बी. के, उनका सोच तो इनोवेटिव है। पहले जब चेयरमैन बने उस वक्त उन्होंने तुरन्त प्राथमिक योजना चालू की, यह योजना भी इनकी बुद्धि की बहुत बड़ी उपज है और अब सामान्य श्रेणी की बात ही नहीं कर रहे हैं, 20 तारीख को ही एक आदेश निकाला है कि एस. सी. और एस. टी. की मार्च, 1990 तक की जो अर्जी दी हुई हों उनको साधारण श्रेणी का कनेक्शन दिया जाएगा। अभी 20 अक्टूबर को निकाला है। इसका मतलब कि एस. टी. को छोड़ दिया जो

(श्री परसराम मदेरणा)

शिड्यूल्ड कास्ट से ज्यादा गरीब हैं, मेघवाल जी। दूसरे सामान्य श्रेणी के लोग भी हैं जिनकी पन्द्रह-पन्द्रह साल से एप्लीकेशंस पड़ी हैं, उस स्कीम को ही इन्होंने ड्राप कर दिया। एक और दो पोल की स्कीम थी जिसको इन्होंने ड्राप कर दिया और अब नर्सरी पर इनका जोर है। हालत यह है कि पचास रुपये ले रहे हैं। एप्लीकेशन फार्म के, पांच हजार रुपये ले रहे हैं एडवान्स के, नौ हजार रुपये ले रहे हैं यह प्रति पोल, 1250 रुपये ले रहे हैं प्रति हार्स पावर और सेवा शुल्क ले रहे हैं 1500 रुपये से लेकर 2200 रुपये और अलग-अलग हार्स पावर की कैपेसिटी के ऊपर 102.50 रुपये से लेकर 117.50 रुपये प्रति यूनिट ले रहे हैं चार्जेज, कनेक्शन टैरिफ। यह बात भी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, जो काश्तकार फसल ले लेगा, उसको बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, तो भी उसको प्रति महीने 825 रुपये मीटर बन्द होने के बाद में भी, आफ सीजन में भी पेमेंट करने पड़ेंगे। इसलिये उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करता चाहता हूं कि नर्सरी टैरिफ के अन्दर किसानों की लूट का धन्धा प्रारम्भ किया है। क्योंकि अकाल है, ओपन वैल, ट्यूबवैल लोगों ने खुदवाये। मुझे ओसियां का अच्छी तरह से मालूम है, अगर पांच पोल का डिस्टेंस है और 10 हार्स पावर की मोटर है तो उसको 65,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मुझे यह भी जानकारी मिली है बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से भी और बीकानेर के एक उपभोक्ता से भी कि जो कनेक्शन लेना चाहता है उसने सात लाख रुपये जमा करवाये। तो यह रेंज कर रहा है 65,000 से 7,00,000 रुपये के बीच में। ओसियां में डेढ़-डेढ़ लाख, सवा-सवा लाख की रेट है। आपकी कान्स्टीट्युएंसी में है वहां भोपालगढ़ में। मैं यह निवेदन कर रहा था कि नर्सरी के नाम पर आप उपरोक्त तुरन्त प्राथमिकता के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमको तो इन्फार्मेशन थोड़ी-सी है लेकिन इनके पास पैसा जमा हो गया है करीबन 53 करोड़ रुपये। अगर काश्तकार के सामने आप एक प्रोस्पैक्ट रखें कि बिजली मिलेगी, ढाई लाख एप्लीकेशंस आपके पास पैंडिंग पड़ी हैं। लेकिन आपको बिजली तब मिलेगी जब आप नर्सरी के अन्दर कनेक्शन लेंगे। इसके अलावा काश्तकार को बिजली मिलने का कोई उपाय नहीं सिवाय शिड्यूल्ड कॉस्ट के और वह भी 1990 तक। मैंने थोड़ी बहुत जानकारी की थी, भण्डारीजी तो बताएंगे नहीं लेकिन मुझे अन्दरूनी यह बात मालूम हुई है कि ये तो कुल 223 आदमी हैं 1990 के, बाकी का रैगुलर में से कनेक्शन हो गया। किसी कारण से रह गये होंगे। और पूरा का पूरा एरिया शिड्यूल्ड ट्राइब्स का पड़ा हुआ है जहां पर एक-एक जिले के अन्दर पापुलेशन 76 परसेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब है—71 या 72 परसेन्ट पापुलेशन शिड्यूल्ड ट्राइब की है डूंगरपुर में और 76 परसेन्ट है आपके बांसवाड़ा में। वहां जरूर लोगों को कनेक्शन के अन्दर कोई डेट वगैरह है। पहले की एप्लीकेशन्स हैं उन पर बिजली बोर्ड का ध्यान ही नहीं गया। यह जो हरी किताब निकाली है, यह इतनी कन्फ्यूजिंग है कि कन्फ्यूजन इज मोस्ट कन्फाउण्डेड (Confusion is most confounded)। आप उसको पढ़ते जाओ, तुरन्त प्राथमिक योजना को बीस जगह रिपीट किया है। अलग-अलग उसके सब-पाइंट बनाये हैं और यह तो फुर्ती दिखायी है कि यह जो डिमाण्ड लोड है वह तो सर्व हो जाएगा पन्द्रह दिन के अन्दर। बिजली कब दी जाएगी? पैरा नम्बर नौ में इन्होंने उल्लेख किया है-नर्सरी श्रेणी के अन्तर्गत प्रार्थी से पांच हजार

(180)

(श्री परसराम मदेरणा)

रुपये प्राप्त होने की तिथि से डिमाण्ड नोट पन्द्रह दिन में जारी कर दिया जाएगा, सामान्यतया। यह ऐसा शब्द है, मुख्य मंत्रीजी, सामान्यतया कि डिमाण्ड नोट की राशि जमा होने पर दो माह में नर्सरी श्रेणी के कनेक्शन दे दिये जाएं, यह आर. एस. ई. बी. के इंजीनियर्स को निर्देश हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एप्लीकेशंस अभी आयी हैं। 11,000 के आस-पास। 6000 लोगों ने उसमें पैसे जमा करवा दिये हैं। 10 अक्टूबर तक इन्होंने 1800 कनेक्शन दिये नर्सरी के अन्दर। कई लोगों के पैसे जमा हुए हैं जिन्हें दो महीने नहीं, दो महीने से ज्यादा समय हो गया है। ऐसी सूरत में कोई भी काश्तकार जो नर्सरी कनेक्शन लेना चाहता है, 15 नवम्बर से पहले रबी के उत्पादन के लिये उत्सुक है, उसने उधार लिया है, खेत अपना गिरवी रखा है, परिवार का गहना गिरवी रखा है। आप यह समझते हों कि काश्तकार इतना मालदार हो गया है तो आप बहुत गलतफहमी में हैं क्योंकि उसका दूसरा कोई आकुपेशन ही नहीं है इसलिये उसको मजबूरी की हालत में कृषि पर रहना पड़ता है। कृषि पर अगर वह नहीं रहता है, पढ़े-लिखे जो लोग हैं, मैट्रिक या मैट्रिक फेल हो गये हैं, वे जीपें खरीदते हैं और उनको किराये पर चलाते हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं और तीसरे-चौथे दिन मरते हैं। ये वे ही लोग हैं जो बेकार हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो भी आपके डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हो गये हैं उनको 15 नवम्बर तक कनेक्शन रिलीज करना चाहिये।

यहां पर एक बात लोड एक्सटेंशन की भी आयी, सदन के माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। इण्डस्ट्री के प्रेमीसेज के अन्दर 200 हार्स पावर का जो इंसटालेशन है, उसके अन्दर पांच-पांच हार्स पावर के चालीस पम्प लगा सकते हैं। लेकिन काश्तकार का खसरा नम्बर एक, खेत वही, उसका खातेदार वही और आज पानी की स्थिति यह है। शायद मुख्य मंत्रीजी जानते हैं, या नहीं जानते हैं कि जब बिजली आयी थी 1972 में भोपालगढ़ में उस वक्त पानी था 80 या 90 फीट गहरा और आज वहां पर पानी है 600 फीट गहरा नीचे चला गया। मथानिया में बिजली आयी थी 1965 में, वहां भी पानी 600-750 फीट गहरा चला गया। बोरिंग कराया लोगों ने 800-800, 900-900 और 1000-1000 फीट का। फिर जितना गहरा पानी होगा, उतना ही कुएं में भी पानी कम हो गया तो उसी खेत में एक दूसरा कुआं खोद लिया उन्होंने। ओपन वैल खोद लिया लेकिन उसका कनेक्शन अलग रहेगा। यह डिस्क्रिमिनेशन जो इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच, काश्तकारों एवं उद्योगपतियों के बीच में कर रखा है, मुख्य मंत्री जी, इस पर आप गौर करेंगे और आप यह देखेंगे कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। यह पहले नहीं था लेकिन यह तुरत-फुरत की योजनां आते ही तुरत-फुरत में किया है, मामला इन्होंने। यह तुरत-फुरत वाला जो है + + + करेगा, आप तुरत-फुरत कीजिये। इसलिये, मुख्य मंत्रीजी, पावर जनरेशन जो आप प्राइवेट सेक्टर में लेना चाहते हैं उन प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि टंग टेस्टर की बात कल यहां पर आयी थी और मैं पूछ भी रहा था कि यह क्या है। इन्होंने कहा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

कि यह ज्यादा कैपेसिटी की हार्स पावर की मोटर लगा दी है। मुख्य मंत्रीजी, मैंने इसकी टैक्निकल जानकारी की है। मुझे जानकारी मिली कि जो आपका वोल्टेज कम होगा तो इम्पेयर के अन्दर उसमें कम होने की वजह से वह इंडीकेट बैरोमीटर उसमें ज्यादा विजली दिखायेगा। आई. एस. आई. का मार्क है, उसने खरीदा है नहीं। उसके 20 हार्स पावर का पम्प है तो यह देखने की बात है कि नहीं, लोग उसमें चेन्ज कर देते हैं। यह बिलकुल निराधार बात है। इस प्रकार की जो शिकायतें आयी हैं, उसके ऊपर आई. एस. आई. का मार्क लगा हुआ है, टेक्निकल आदमी को भेज कर उसका आप एग्जामिन करवा सकते हैं। इसमें नहीं जिस जगह मार्क लगा है सभी पम्पिंग सैट पर उसी जगह वह मार्क लगा हुआ है। इसलिए यह टोंग टेस्टर से आप लोगों को लूटना चाहते हैं, मेहरबानी करके आप उनको लूटिये मत। एक बार टोंगा के बादशाह यहां पर आये थे। शायद बहुत छोटा देश है एक-दो लाख की पापुलेशन है मैं उनके साथ मालपुरा फार्म में गया था, वहां पर शीप का फार्म है उसको वह देखना चाहते थे कि रशिया से जो आयी है—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नर्सरी में कांग्रेस पार्टी ने कनेक्शन देना शुरू किया था। उसमें इतना भ्रष्टाचार था कि नर्सरी की एन. ओ. सी. लेने के लिये पैसे देने पड़ते थे। यह आपका ही शुरू किया हुआ है, कांग्रेस का ही शुरू किया हुआ है और एडवांस प्रायोरिटी का सिस्टम भी कांग्रेस पार्टी का ही प्रारम्भ किया हुआ है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात ला रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : कांग्रेस करती थी वही करोगे क्या? —(व्यवधान)—

श्री परसादी लाल मीणा : कांग्रेस में कभी भी इस तरह की योजना नहीं थी। कभी भी इस तरह की योजना नहीं आएगी जैसी आपके राज में आयी है—(व्यवधान)—

श्री रामस्वरूप मीणा : आप चौमूं से आये हो इसलिये + + + की बात करने लग गये। आप असत्य बोल रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब यह भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : यह तो आपको अगली बार चुनाव लड़ने जाएंगे तब पता लग जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो लग चुका है कई बार। अभी पंचायत चुनावों में लगा है न पता। अभी लोक सभा में और लग जाएगा। —(व्यवधान)—

श्री खेतसिंह राठौड़ : लोक सभा के चुनाव में आप देख लेना, जिस तरह से आपके ये हालात हैं, आप साफ हो जाओगे—(व्यवधान)—

श्री रामनारायण डूडी : आप एक बीघा पर एक हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से लेना चाहते हैं क्या काश्तकारों से? इस नर्सरी योजना के अन्दर एक हजार रुपये प्रति बीघा पड़ता है।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी ने तो आजकल भ्रष्टाचार की बात बंद कर दी। मुख्य मंत्री जी तो पहले हर वक्त भ्रष्टाचार की बात करते थे और आजकल इन्होंने बंद कर दिया। इसलिये बंद कर दिया कि हाथ ऊँचे कर दिये इन्होंने तो कि उनके बस में भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : एम्फोर्ट घोटाले में एक करोड़ लूट लिया और क्या चाह रहे हो ?

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : अब तिवाड़ी जी भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने तुरत-फुरत नर्सरी योजना के सम्बन्ध में कुछ बात कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो आगे चलो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आगे चलूं लेकिन इन्होंने करप्शन की बात कही। यह बात बहुत ठीक है, सामयिक बात कही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह योजना पहले से ही है न ?

श्री परसराम मदेरणा : करप्शन के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन यह पूरा आर. एस. ई. बी. डिपार्टमेंट आकंठ करप्शन के अन्दर डूबा हुआ है। ऊपर वाले ऑफिसर का नहीं कह रहा हूं क्योंकि चेयरमैन का तो मैं यहां डिफैंड कर चुका हूं। जब ये मुख्य मंत्री थे, इनको और डी. आर. मेहता को मैंने इस सदन के प्रांगण पर कोई चार्ज लग रहे थे तो डिफैंड किया था।

श्री शिवनाथ सिंह : वह पुरानी बात हो गयी, कोई नई बात कहो न।

श्री विष्णु मोदी : ईमानदारी में कोई शक नहीं है। —(व्यवधान)—

श्री परसराम मदेरणा : इंटीग्रिटी की बात में मेरे सामने कोई भी प्रश्न कहीं किसी क्वार्टर से नहीं आया है।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : मनुष्य बदलता रहता है। वाल्मीकि जी बदले।

श्री परसराम मदेरणा : तुरत-फुरत में किसानों को लूटने का इंतजाम जरूर किया है इन्होंने लेकिन इस सम्बन्ध में कोई इनकी शिकायत नहीं है और इसलिये उस आसपेक्ट से आदमी में क्वालिटी है। लेकिन हालत यह है कि आपके इन कनेक्शन के नीचे से ऊपर तक पैसा है। नर्सरी के लोग देने को भी तैयार हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि 15 नवम्बर के बाद में तो फसल होने वाली नहीं है और इण्डस्ट्री की बात कल आपको बता ही दी थी पाली से आने वाले और पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने। हाई कोर्ट से कोई स्टे लाये थे, यह इन्होंने बताया।

श्री विष्णु मोदी : 500 रुपये पर के. वी. इंटरेस्ट फ्री।

श्री परसराम मदेरणा : 500 रुपये पर के. वी. ए. रिश्वत मांग रहे हैं। यह क्या टोंगा के बादशाह के राज में हो रहा है क्या ?

मैं यह नहीं कह रहा था कि टोंगा के बादशाह के साथ जब मैं गया तो वे इतने मोटे हैं कि उनके लिए अलग से कुर्सियां बनानी पड़ीं। मैं मिनिस्टर इन्चार्ज था उनके साथ। उधर मैं गया तो वह भेड़ें हांक रही थीं और इधर टोंगा के बादशाह का सांस हांफ रहा था। तो यह टंग टेस्टर है इसमें काश्तकारों को सांस ही नहीं आ रहा है। उसका क्यों गला घोंट रहे हो आप लेकर के ? यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और अन्याय यही नहीं है, आप उनसे एक सौ साढ़े सत्रह नये पैसे टैरिफ वसूल करेंगे, यह भी अन्याय है।

मुख्य मंत्रीजी, आपकी स्थिति बड़ी चिंतनीय है क्योंकि आप दूरद्रष्टा हैं। अलार्मिंग सिचुएशन राजस्थान में रहने वाली है, पूरे नोर्थ जोन में आज अलार्मिंग सिचुएशन डवलप हो रही है और राजस्थान उससे अछूता रह ही नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

सकता। मैं तो यह कह रहा हूं कि आंकड़ों का कितना भी आप जोड़-तोड़ कर दीजिये, डिमाण्ड एण्ड सप्लाई में जो गैप है वह तो 100 प्रतिशत है। 100 प्रतिशत है तो मुझे यह नहीं कहना है कि तुरत-फुरत की योजना वाला जो आदमी है, इसकी वह बिजली गिराएगा। वह इन पांच लाख काश्तकारों के ऊपर गिरने वाली है और यही एक चिन्ता का विषय है। मैं इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि चाहे कोई भी कट करना पड़े और चाहे आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उद्योग लगाने में आज तुरत-फुरत दौड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा डेफर करना पड़े आपको अगर आपने उनकी सलाह पर काम किया तो "हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम को भी ले डूबेंगे"—(व्यवधान)—।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज यह मुख्यमंत्रीजी पर गाज कैसे गिर रही है?

श्री परसराम मदेरणा : जो आप चाहते हैं कि वह मैं करना नहीं हूं। अगर आप चाहते भी हैं और अगर आपकी दिल से इच्छा है, सदन में बोलने में तो आपकी मेडूला ओब्लेंगेटा (Medula oblengta) में क्या फंसा हुआ है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है लेकिन आप मुझ से बात कर लेना बैठ कर के। अगर है कोई इरादा तो फिर बात करें, नहीं तो हम बात करना नहीं चाहते वैसे। क्योंकि आप यों ही डरा-धमका कर चीफ मिनिस्टर को कुछ न कुछ—हां, यह नहीं, इसमें हम पार्टी नहीं होंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : "जा पर कृपा राम की होई", उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।

श्री परसराम मदेरणा : उसका कौन बिगाड़ सकता है "जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो"। इसलिये जानकीनाथ पर रहो आप तो, माला हाथ में लो, यह काश्तकारों के गले में फांसी मत लगाओ आप।

रोज उद्योग भवन में जाकर "एक विण्डो" और सब को तंग कर रखा है। बिजली इनके पास में है नहीं और जब बिजली पास में नहीं है, तो दिखती बात है कि यह गाज तो काश्तकार पर गिरेगी। यह काश्तकार पर गाज नहीं गिरनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से कोई चैलेंज नहीं करता हूं, आप चाहते हो कि यहां मैं चुनौती दूं। मुझे उन पांच लाख को मरवाना थोड़े ही है? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 8 घण्टे बिजली काश्तकार को मिलनी चाहिए। अगर आठ घण्टे बिजली नहीं मिलती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय तो, मैं चौमूं वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन कर रहा हूं कि और तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, चौमूं के काश्तकार बिजली के मामले में बहुत ही पोलिटिकल कान्शस हैं। (व्यवधान) मैं आपकी + + + के लिये आऊंगा।

(15.00)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके हाथ से यह काम शोभादायक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मेरी शोभा नहीं, मैं यह चाहता हूं, मैं आपकी थोड़ी बहुत वहां आलोचना करूंगा। —(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो बिजली आएगी?

श्री परसराम मदेरणा : आप पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिये सरकार के ऊपर आप यह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(104)

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रैशर लगाएंगे कि आठ घण्टे बिजली मिलनी चाहिये। मैं काश्तकारों से यही कहूंगा कि हमारी तो सरकार है नहीं, हमारे पास में बिजली नहीं है, (व्यवधान) बिजली है और आगे भी कट किये गये हैं। चौमूं के लोगों ने कई दफे यहां पर डिमोंस्ट्रेशन किये हैं_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने अपने आपको चौमूं तक ही सीमित क्यों कर लिया?

श्री परसराम मदेरणा : एक दफे नहीं किया है बीसियों दफे किया है। इसलिये मैं कह रहा हूं, बिजली के मामले में चौमूं के लोग जितने इकट्ठे होकर यहां आते हैं हजारों की तादाद में, वह किसी भी एक तहसील से नहीं आते। मैं निवेदन कर रहा था इसलिये नहीं कि आप वहां के प्रतिनिधि हैं। मेरी जो पालिटिकल कांशसनेस है, वहां जाते ही लोग मेरी बात सुनेंगे। अगर मेरी बात सही है और उसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर वे आपके बंगले पर आकर बंगले को घेरेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे आने के बाद में मैंने वहां पर एक 220 के. वी. का स्टेशन बना दिया, तीन 33 के. वी. के सब-स्टेशन बना दिये, 132 का एक तैयार हो गया। वे कांग्रेस पार्टी के राज में आते थे अब उनको बिजली मिल रही है, वे यहां नहीं आएंगे_(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : 500 के. वी. का आप लगाओ लेकिन आठ घण्टे की बिजली दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिजली तभी मिली है जब 220 के. वी. का वहां लगा है। अब मिलेगी।

श्रीमती कमला : राजस्थान में एक वही क्षेत्र रह गया और बाकी की जरूरत नहीं है? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है। मुख्य मंत्रीजी, आपका ध्यान राज्याध्यक्ष कमेटी की सिफारिशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। थम्ब रूल का एक स्पेसिफिक कार्डिनल स्थापित किया है जितना जनरेशन में खर्च हो उतना ही पचास प्रतिशत आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करने में खर्च होना चाहिये। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने चौमूं के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, लेकिन यह किन लोगों की कीमत पर किया है? एक ही एम. एल. ए. के क्षेत्र में इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर देना, या तो स्ट्रेंथन किया हुआ है जयपुर शहर में। इसके कंडक्टर हैं वे सबसे पावरफुल कंडक्टर्स हैं यहां जयपुर शहर के लिये। जैब्रा से भी हाई क्वालिटी के हैं। या तो जयपुर शहर के कंडक्टर का स्ट्रेंथनिंग हुआ है या चौमूं के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है। यह डिस्क्रिमिनेशन है आपका कि एक एम. एल. ए. के वहां पर सभी कुछ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दो।

जैसा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, चाहे आप पावर की रैगुलर सप्लाई करने की कोशिश करो तो भी पावर की रैगुलर सप्लाई कंजूमर तक पहुँचाना, यह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर डिपेण्ड करता है। चाहे उसके लिये जी. एस. एस. की आवश्यकता है, चाहे 33 के. वी. लाइन की आवश्यकता है, चाहे 11 के. वी. की आवश्यकता है, चाहे छोटी लाइन की अवश्यकता है और चाहे बड़े ट्रांसफार्मर्स लागने की आवश्यकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लगातार देखते रहना चाहिये। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी कि आप प्राइवेट सैक्टर में 4300 मेगावाट

(श्री परसराम मदेरणा)

बिजली उत्पादन करने की सोच रहे हैं, इसका जेस्टेशन पीरियड काफी बड़ा है। जितने भी फ्यूल की जरुरत पड़ती है बिजली के उत्पादन में, वे सात तरह के हैं–कोल है, लिग्नाइट है, गैस है, यूरेनियम है, डीजल है, नेफ्था है, सोलर है और विंड है। इशारे में समझा दिया चौमूं के माननीय सदस्य को कि आप बोलना मत, नहीं तो ये ज्यादा टाइम ले लेंगे। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप दूसरे के ह्रदय की बात समझते हो।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं साइकेट्रिस्ट हूं। मैं कई बातें चेहरे से भांप जाता हूं और मेरे दिमाग के अन्दर अनकैनी सैंस है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन कर रहा था, जेस्टेशन पीरियड कम हो। हमारे यहां सोलर की पासिबिलिटी है। तिरुपति का एक उदाहरण पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया, खेमका जो राजस्थान के रहने वाले हैं नयी टैक्नोलोजी विंड में लाये हैं। वह वेलोसिटी, मैं यह नहीं चाहता कि जो वैलोसिटी आज भी शोर पर है उतनी हमारे यहां अवेलेबल होगी क्योंकि वे वैलोसिटी 20 या 25 की चाहते हैं, लेकिन अरावली के ऊपर वह मिल सकती है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं समझता हूं उसमें जल्दी से जल्दी आपको, जेस्टेशन पीरियड कम है उन प्रोजैक्ट्स को हाथ में लेना चाहिये।

दूसरा, आप लघु विद्युत गृहों का निर्माण करना चाहते हैं। पहले तो आप 100 और 200 मेगावाट के कर रहे थे 6 शहरों में, अब 100 मेगावाट वाले में तो कोई आया नहीं। अभी आपने निविदाएं आमंत्रित की हैं वे 25 की की हैं और 105 भावी उद्यमियों ने रुचि दिखायी है। निविदाएं प्राप्त कर खोलने की तिथि 31 अक्टूबर, 1995 थी जो कल खुल गयी होंगी। मैं समझता हूं छोटे-छोटे 25 मेगावाट के, जिसमें आपको सी. ए. के क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है, अगर ये छोटे प्रोजैक्ट भी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बिजली की सप्लाई और डिमाण्ड के अन्दर जो गैप है उस गैप को ब्रिज करने में आपको मदद मिलेगी।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आपको प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर, पब्लिक सैक्टर में आर. एस. ई. बी., इन दोनों के बीच में बिजली के जनरेशन के लिये बैलेंस रखना पड़ेगा।

कल किसी माननीय सदस्य ने एक वार्निंग दी और निश्चित तौर पर यह वार्निंग मैं एक अखबार में भी पढ़ चुका हूं। मुख्य मंत्रीजी, आपके पढ़ने के लिये बताऊं, मार्च में "हिन्दू" में आयी है शायद कि अगर प्राइवेट सैक्टर के ऊपर आप टोटली डिपोन्डेंट रह गये और एस. ई. बीज. को आपने कमजोर कर दिया तो जनरेशन करने के बाद वे बचेंगे इलेक्ट्रिसिटी किसको? जब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचेंगे तो उस वक्त स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोम्पीटेंट नहीं है, एफिशियेंट वर्किंग नहीं है और अगर कर्जा उसको चुकाना है, उसका पेमेण्ट करना है क्योंकि सप्लाई ले रहा है ये कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर राज्य सरकार पर इसका बोझ आएगा। राज्य सरकार पर इसका बोझ नहीं पड़े इसके लिये मेरा एक सुझाव है आपसे। वह सुझाव यह है कि इस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आप आपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाइये। इसकी आपरेशनल एफिशिएंसी से मुझे सन्तोष नहीं है। तुरत-फुरत

(श्री परसराम मदेरणा)

वाले छोटे-मोटे मामले तो वे निकाल देते हैं लेकिन उसकी पूरी आपरेशनल एफिशिएंसी जो है वह बिलो स्टैण्डर्ड है। एक के बाद एक टेक्नोक्रेट्स रिटायर हो रहे हैं। आप जब तक टैक्नीकल काम्पीटेंस आपकी नहीं बनाते हैं। तब तक आपके सामने जो चुनौतियाँ हैं चाहे वे प्रोडक्शन की हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की हैं, वे लगातार बनी रहेंगी। इसलिये मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यहां के जो इंजीनियर्स हैं उनकी टेक्नीकल काम्पीटेंस के संबंध में बराबर टेलिंग और उसमें आपको मानिटरिंग करना चाहिये। मैन और मैटीरियल का बैटर मैनेजमैंट हो यह पाइण्ट भी ओझल नहीं होना चाहिये क्योंकि मैन पावर का आप्टिमम यूटिलाइजेशन आप अगर नहीं करेंगे तो सब कुछ होते हुए भी आप इस सिस्टम को ठीक तरह से नहीं चला सकेंगे।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने बिजली की बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती को हम अभी मीट आउट नहीं कर पाये हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, हम एडहाक बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं। पावर जनरेशन मुझे पांच साल तक होता दिखायी नहीं देता। मुख्य मंत्रीजी, मैं एक बात आपसे निवेदन करूं कि के. टी. पी. एस. की यूनिट एक और यूनिट तीन का इनोवेशन एण्ड माडर्नाइज़ेशन अगर आपने नहीं किया है तो उसका भी थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे उसका प्लांट लोड फैक्टर कम हो गया है। आप यह बात निश्चित तौर पर कहेंगे कि प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है लेकिन आपके खुद के स्टेटमेंट से तो ऐसा मालूम हुआ है। पहली दफा तो आपने अपना इकोनोमिक सर्वे भारत सरकार की तरह जो प्रस्तुत किया है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे थोड़े ही मानना है। आपने खुद ने यह बात बतायी, पेज 39 पर कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में पिछले साल से 8.23 परसेन्ट का लॉस हुआ है। यह है आपका प्लांट लोड फैक्टर।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि केवल प्लांट लोड फैक्टर्स की दुहाई से सेण्ट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशन से बिजली 450 मेगावाट आयी नहीं, तीन सौ कुछ ही आयी और अब मेरी समझ में वहां पर स्थिति बहुत गम्भीर है। मैं इतना निवेदेन करना चाहता हूं कि आगे आने वाले इस सीजन के अन्दर इमीजिएटली भारत सरकार सेण्ट्रल में से आपको ज्यादा से ज्यादा बिजली दे। उस ओर अगर हमारे सहयोग की आपको आवश्यकता हो तो आप यह कहेंगे कि आपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिये हैं। राजस्थान की विषम परिस्थितियों को देखकर मेरा निश्चित मत है, अभिमत है और मेरी धारणा है कि डिमाण्ड एण्ड सप्लाई के अन्दर आप चाहे कितने भी आंकड़े दो, आज गैप हन्ड्रेड परसेन्ट है। इसको मीट आउट करने के लिये और आठ घण्टे बिजली देने के लिये रातों-रात आप बिजली पैदा नहीं कर सकेंगे यहां पर। दूसरा आपके पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं सिवाय इसके कि आप परचेज करें बिजली और वह सेण्ट्रल सैक्टर में से करनी पड़ेगी। उसमें आपको अगर हमारे किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो उस सम्बन्ध में हम तैयार हैं। आप काश्तकारों के ऊपर ठंडी ऑख रखिएगा, तुरत-फुरत में ही आर. एस. ई. बी. वाले पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जिनकी डिमांड नोट के बाद में डिपोजिट हो गयी है

(श्री परसराम मदेरणा)

उनके कनेक्शन 15 नवम्बर तक आप रिलीज करवा दीजिएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में पिछले बजट अधिवेशन में भी चर्चा हुई थी और कल भी इस पर चर्चा का एक रिकार्ड कायम हुआ है। जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 38 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है उतना शायद कभी भी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग नहीं लिया।

श्री शिवनाथ सिंह : इतनी पीड़ा पहले थी ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनते जाओ। आप सुनोगे तो मैं आपकी भी पीड़ा खतम कर दूंगा और मेरी भी पीड़ा खतम हो जाएगी।

श्री चन्दनमल बैद : पीड़ा तो मृत्यु के बाद ही खतम होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना पीड़ित नहीं हूं आपकी तरह से कि उस पीड़ा का समाधान जिन्दगी में नहीं हो सकता। मैं इतना निराश नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज संयोग से विद्युत मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, किसी ऐसे ही कारण से उनको बाहर जाना पड़ा। यहां सभी माननीय सदस्यों की बातों का विस्तार से मैं उत्तर दे सकूं इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है लेकिन प्रयत्न मैं यह करूंगा कि जो मोटे-मोटे प्रश्न खुली चर्चा में और आज प्रतिपक्ष के नेता के भाषण में इस सदन में आये हैं उनका संक्षिप्त उत्तर दे सकूं। अध्यक्ष महोदय, आज और कल की चर्चा में एक तो पच्चीस हजार कनेक्शन्स दिए जाएं, इस मांग को दोहराया गया। नर्सरी स्कीम की आलोचना की गयी, वन पोल-टू पोल स्कीम की आलोचना हुई। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, समय पर उनको बदला नहीं जाता। यह प्रश्न उठाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भ्रष्टाचार है इसका जिक्र किया गया। बिजली की छीजत और चोरी हो रही है उसको रोकने के सम्बन्ध में जिक्र किया गया। नयी परियोजनाओं का जिक्र किया गया और अन्य बातों का भी उल्लेख आया है। मैं इन सब बातों का संक्षेप में उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि किसानों को आठ घण्टे बिजली मिलनी चाहिये। मैं भी इस पक्ष में हूं और इस सदन को आश्वासन देता हूं कि मुझे चाहे कहीं भी कटौती करनी पड़े, मैं किसानों को निश्चित रूप से आठ घण्टे बिजली दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो पिछले बजट सत्र में पच्चीस हजार कुओं को कनेक्शन दिने की बात कही थी वह पच्चीस हजार कनेक्शन भी निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। —(व्यवधान)— आप बैठ जाइये। आप बीच में बोलकर मुझे कुछ नहीं कह सकते, आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। मैं सब बता दूं उसके बाद आपको कोई बात कहनी हो तो कह देना।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न आया कि नर्सरी के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है वह उचित नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज ही नर्सरी स्कीम और वन पोल टू पोल स्कीम को बंद करने के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहूंगा। अब प्रश्न यह आता है कि जिन लोगों ने पैसे जमा करा दिये—(व्यवधान)—

श्री रामनारायण चौधरी : बंद करने का क्यों कहते हो, बंद क्यों कराओ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहोगे तो चालू रख दूंगा__(व्यवधान)__मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुनिये। कृपया बीच में व्यवधान नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप चाहेंगे तो मैं चालू रख दूंगा।

श्रीमती कमला : कनेक्शन दिलाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि जो नर्सरी के अन्दर पैसा इकट्ठा किया गया, किसानों को लूटा गया। अगर यह लूटने की स्कीम है तो मैं इसको बंद करने के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहूंगा__(व्यवधान)__आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे। हमने तो कल आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है, कहीं टोकाटाकी नहीं की।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी नहीं सुनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सबकी, आपकी भी सुनी है। मैं टोकता ही नहीं हूं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बोलता हूं तो प्रत्येक व्यक्ति मुझे टोकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आनन्द आता है आपको टोकने में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप उठा लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसलिये कह रहा था, अब जो रुपया जमा हो गया है उसके सम्बन्ध में मैं प्रतिपक्ष के नेता से इस सैशन के एडजोर्न होने पर चार या पांच तारीख को चर्चा करूंगा और इनके सामने सारी स्थिति रखूंगा। नर्सरी में, वन पोल या टू पोल में जो पैसा जमा हुआ है, मैं इनको बता दूंगा कि किस तारीख तक कितने कनेक्शन मैं दे सकता हूं। बैठने के बाद छिपाकर कोई भी बात नहीं रखी जाएगी। फिर इसके बाद यह लगता है कि कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे तो इसके लिये मैं विपक्ष के नेता से सलाह करूंगा। चाहें तो काश्तकारों को मैं ब्याज सहित रुपया वापस चुका दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : वापस कोई लेना चाहे तो।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी, आप बीच-बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। आप बाद में पूछ लीजिये। आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई काश्तकार ब्याज सहित वापस लेना चाहे तो उसको वापस दे दो और जो कनेक्शन लेना चाहे उसको कनेक्शन दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं दूंगा, मैं यही कहूंगा कि जो ले सकते हैं, अगर वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में विश्वास नहीं करते हैं कि ये बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे तो ब्याज सहित अपना रुपया वापस ले लें। इससे बड़ा न्याय तो धर्मराज के यहां ही नहीं हो सकता।

मैं इसलिये ही तो कह रहा हूं कि मोटे रूप से तीन-चार बातों का जिक्र किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजिलेंस से पूरे परेशान हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है, खेतसिंह जी। जैसा स्वभाव होता है वैसी आपत्ति होती है। विजिलेंस किस बात की? मेरी सुन लीजिये। जैसे परसराम जी समझ जाते हैं मैं भी समझ जाता हूं। विजिलेंस का मतलब चोरी पकड़ी न जाए? यही है ना?__

श्री खेतसिंह राठौड़ : चोरी पकड़ी जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चोरी पकड़ी जाए तो विजिलेन्स होगी। ___(व्यवधान)___अब बताओ कौनसी बात स्वीकार करूं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम यह थोड़े ही कह रहे हैं कि विजिलेंस खतम कर दें। हम यह कह रहे हैं कि विजिलेंस वाले लूटते हैं। कल से एक ही बात कह रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे दूं, खेतसिंह जी भी बराबर के ही सदस्य हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विजिलेंस में लूटपाट की कोई शिकायत है। माननीय सदस्यों ने पर्टीकुलरली कोई स्टांस देकर शिकायत नहीं की। आप कोई भी शिकायत करें, आपको जिससे भी सन्तोष होगा उससे मैं जांच करवा दूंगा जिससे भी आपको सन्तोष हो। मैं नहीं चाहता कि बिजिलेंस के नाम पर लूट मचाएं। लेकिन मैं भी लोगों से मिलता रहता हूं, बिजिलेंस के नाम पर किसी से पैसे लिये हों, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी। हो सकता है कि माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी हो, माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मोटी बातों का उत्तर तो लगभग मैं दे चुका हूं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में जो आम बातें कही जा रही हैं उनके सम्बन्ध में थोड़ा-सा समय लेकर मैं इस सदन के अन्दर राजस्थान बिजली बोर्ड की क्या स्थिति है और बिजली की कितनी समस्याएं हैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। यह बात सही है, जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि राजस्थान के अन्दर डिमाण्ड और सप्लाई में अन्तर है और वह अन्तर बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्तर है। और यह भी गलत नहीं होगा कि हमने पावर का जनरेशन नहीं किया तो यह अन्तर और बढ़ेगा। डिमाण्ड बढ़ रही है इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह डिमाण्ड एक विकास का भी लक्षण है। आप यह मत समझिये कि डिमाण्ड हमारे ऊपर एक जरूरी का, कमजोरी का या उसका लक्षण है। डिमाण्ड किसी राज्य में ऊर्जा के लिये बढ़ती है तो प्रगति का भी लक्षण उसको हम मानकर चलें। इस डिमाण्ड को हम किस प्रकार से पूरा करें, इसके लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। वे प्रयास मैं अभी आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान में अभी अकाल और बाढ़ की चर्चा होगी लेकिन प्रकृति कई बार हमारे साथ एक प्रकार से निर्ममता का सा व्यवहार करती है। बाढ़ से भी तबाही हुई और कई क्षेत्रों में एक साथ वर्षा हुई। बाद में वर्षा नहीं हुई, उसके कारण से अकाल हुआ। प्रकृति की देन है यह। हमें जिस प्रकार के मिनरल रिसोर्सेज दिये हैं, यह प्रकृति की देन है। लेकिन जहां ऊर्जा उत्पादन करने का प्रश्न आता है हमारे पास कोयला नहीं, हमारे पास गैस नहीं है। जो गैस जैसलमेर में मिली है 3 मेगावाट पावर हम जनरेट कर रहे हैं। और 32 मेगावाट पावर जनरेट करने की हम कार्यवाही कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें जल्दी ही हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन आज हमारे पास कोई गैस के भण्डार नहीं हैं। हमारे पास हाइडल पावर जनरेट करने की गुंजाइश नहीं है। चम्बल को जितना टैप कर सकते थे हमने टैप कर लिया, माही को जितना टैप कर सकते थे हमने टैप कर लिया और बाकी ऐसी कोई गुंजाइश कहीं नहीं है कि हम हाइडल पावर को टैप करने की कोई योजना बनाएं और टैप कर सकते हों। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमार पास कोयला नहीं है। दूसरे राज्यों में जहां पावर स्टेशन्स लग रहे हैं वहां आजकल पिटहैड पर लगाने की योजना बनी है। हमारे न तो पिट है न हैड है न कोयला है। ...(व्यवधान)... आप बीच में मत बोलिये। आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता था कि हमारे

(110)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां नेचर ने जो कमियां दी हैं उन कमियों की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, इसके लिये हम व्यवस्था चाहते हैं। उस व्यवस्था को करने में यदि कोई कमी आ रही हो तो मैं निश्चित रूप से आपके सुझावों के अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया है कि वहां उस राज्य में तो सस्ती बिजली दे रहे हैं, उस राज्य के अन्दर 5 हार्स पावर की छूट दे दी, किसी राज्य में 15 हार्स पावर की छूट दे दी, किसी राज्य में कुछ दे दी। आप थोड़ा-सा अन्दाजा लगा कर चलें कि उनके हाइडल पावर का जनरेशन बहुत ज्यादा है। कई राज्यों में तो केवल हाइडल पावर है और कई राज्यों में थर्मल और हाइडल मिक्स्ड है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में जहां थर्मल और हाइडल मिक्स्ड है, बदलते-बदलते अब थर्मल पावर हो गयी 70 परसेन्ट और हाइडल पावर रही है 30 परसेन्ट। इसके कारण से हमारा जो भी जनरेशन होगा, जो भी पावर होगी वह अन्य राज्यों की तुलना में महंगी होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा उस आधार के ऊपर चर्चा करने के लिये जो इन्होंने सहयोग देने की बात कही है मैं उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। उनसे बैठकर चार इश्यूज के ऊपर मैं भारत सरकार से बात करना चाहता हूं। पहला इश्यू तो आर. ए. पी. पी. के दो यूनिट हैं, वे दो यूनिट चालू किये जाएं। 300 मेगावाट बिजली हमको मिले। 300 मेगावाट बिजली हमको नहीं मिलती है तो भारत सरकार उस रेट पर हमको कम्पनसेट करे। आपको मालूम है इसी विधान सभा में कई बार चर्चा हुई है और मैंने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखा है। जिस समय एटोमिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी उस समय कहा गया था कि साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। साढ़े तीन रुपये से बढ़ते-बढ़ते आज हम 48 और 53 के बीच में पहुँच गये। लेकिन बाकी जो हमारा पावर का जनरेशन है उस ओर जनरेशन सस्ता है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। आज 300 मेगावाट पावर चली गयी। मैं और मदेरणा साहब दोनों जाएंगे। इस सदन के माध्यम से मैं संसद के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी इस डैपुटेशन में शामिल हों और शामिल होकर भारत सरकार से कहें कि 300 मेगावाट की क्षतिपूर्ति की जाए। जितने भी भारत सरकार के प्रोजेक्ट हैं, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट हो, चाहे थर्मल प्रोजेक्ट हो, उन प्रोजेक्ट्स के आधार पर हमें जिस कीमत के ऊपर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट से बिजली मिल रही थी उतनी बिजली की क्षतिपूर्ति उसी रेट के ऊपर की जाए। वहां यदि रेट कम होगी तो आज जो रेट बढ़ाने का दबाव आ रहा है उस दबाव में निश्चित रूप से कमी आएगी। उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल पावर प्रोजेक्ट्स में जिनसे हम बिजली ले रहे हैं, 1994 में शायद 1994 ही होगा, ढाई सौ मेगावाट हमने एन. टी. पी. सी. से बिजली ली। जिन कारखानों से हमको बिजली मिल रही है ज्यादा वे कारखाने गैस बेस्ड हैं, वहां पर गैस की पूरी सप्लाई नहीं होती। और गैस की सप्लाई नहीं होती है उसके कारण से जो हमारा हिस्सा बनता है वह हिस्सा कम बनता है। और कम बनता है तो बिजली की उपलब्धि में निश्चित रूप से कमी आती है।

दूसरी मेरी रिक्वैस्ट भारत सरकार से यह होगी कि नॉर्थर्न ग्रिड के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें दो-तीन राज्यों का हिस्सा है, शेयर है या एलोकेशन है उस एलोकेशन की पूर्ति करने के लिये उनको गैस सप्लाई की जाए। माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, यह आज जो कमी आ रही है इसलिये नहीं कि हिन्दुस्तान में कमी है बल्कि फर्टिलाइजर कम्पनी को गैस दी जा रही है। उस गैस के देने के कारण से जो गैस की कमी आ रही है वह अन्ता में कमी आ रही है, दादरी में कमी आ रही है, औरैया में कमी आ रही है और यहीं से हमें बिजली का हिस्सा मिलता है। वहां बिजली का उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से हमारे हिस्से में बिजली कम आएगी। कल एक माननीय सदस्य यहां भाषण दे रहे थे कि पंजाब से हम बिजली नहीं ले रहे हैं। सबको मालूम है कि पंजाब में भी बिजली का उत्पादन कम हो रहा है और कोयले के कारण से उत्पादन लगभग बन्द हो गया, कोयला नहीं मिल रहा है। कोयले की कमी आज सारे हिन्दुस्तान में है। जैसा आज के दो दिन पहले प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि कोलरीज में कई प्रकार के संकट खड़े हैं, कहीं पर मजदूरों का संकट है, कहीं पर पानी भर गया उसका संकट है, कहीं ट्रांसपोर्ट के बाटलनैक्स क्रिएट हो गये। कहीं क्वालिटी गिर गई, कहीं क्वांटिटी जिस मात्रा में हम चाहते हैं नहीं मिलेगी। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि राजस्थान हो या नार्थर्न ग्रिड पूरा हो, उसके अन्दर यदि कोयला सप्लाई करने में भारत सरकार ने कोताही की तो राजस्थान में भी संकट होगा और बाकी के राज्यों में भी संकट होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि कोयला सप्लाई भारत सरकार करवाये, गैस सप्लाई करे और एटोमिक पावर प्रोजेक्ट की दोनों यूनिट की जो हमें क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति करे। यदि राजस्थान विधान सभा की ताकत लेकर विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोग भारत सरकार के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका ठीक प्रभाव पड़ेगा और हमारी कुछ समस्या का समाधान होगा।

श्री चन्दनमल बैद : सब भारत सरकार करे, आपको कुछ नहीं करना?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा–(व्यवधान)–मैं वह भी बता दूंगा, भारत सरकार क्यों करेगी। जिम्मेदारी क्यों है, मैं वह भी बता दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : –उन्होंने ईस्टर्न कण्ट्रीज से अपने प्रदेशों से मंगवाया है, आप नहीं मंगवा सकते क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात कर लेंगे आपसे। नहीं मिलेगा तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बुद्धिमान हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन आप दूसरों को भी इतना मत समझो कि उनको कुछ नहीं आता। दूसरों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ये सवालात आप बाद में ही पूछ सकते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको तो जरुरत से ज्यादा बुद्धिमान समझता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं हूं, जरुरत से ज्यादा नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरुरत से ज्यादा बुद्धिमान समझता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपसे ज्यादा नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हैं, आप जरुरत से ज्यादा हैं।

इसलिये मैं कह रहा था कि ऐसी स्थिति में विचार करना पड़ेगा कि हम पावर का किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं। माननीय बैदजी

(112)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने कहा कि सारा काम भारत सरकार करे और राजस्थान की सरकार नहीं करे। राजस्थान की सरकार कर सकती है। 1984 आपको याद होगा, 1984 में हमने धौलपुर का पावर प्रोजेक्ट बनाया, 1984 में हमने माण्डलगढ़ का पावर प्रोजेक्ट बनाया, 1984 में ही हमने चित्तौड़गढ़ के पावर प्लांट की योजना बनायी और 1984 में सूरतगढ़ का प्रोजेक्ट बनाकर हमने भारत सरकार को दिया। क्या नतीजा निकला? मैं तो 1990 में आया और 1990 में आया उसके पहले सूरतगढ़ की क्लीयरेंस नहीं, धौलपुर की क्लीयरेंस नहीं और माण्डलगढ़ को तो उन्होंने रिजैक्ट ही कर दिया। 1984 के अन्दर अगर धौलपुर का प्रोजेक्ट स्वीकार हो जाता तो उस समय धौलपुर के प्रोजेक्ट पर, आंकड़ों में थोड़ी गलती हो जाए तो आप बता देना, करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होते। 1984 से लेकर आज तक 11 वर्ष निकल गये और 11 वर्ष के अन्दर उसकी कीमत 2350-2400 करोड़ रुपये हो गयी। यह गलती किसकी है? आज उन्होंने मेरे आने के बाद उनका क्लीयरेंस किया तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ेगी। सूरतगढ़ का क्लीयरेंस 1991 में मैंने प्लानिंग कमीशन से मंजूर करवाया। प्लानिंग कमीशन से मंजूर होने के बाद उसका एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस नहीं हुआ। हमने एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस लिया और उसी के साथ सिविल वर्क्स चालू करवा दिये। लेकिन 1993 में जब राष्ट्रपति का शासन आया तब विथड्रा कर ली एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस। 1994 में आये तो फिर उसकी क्लीयरेंस ली। तो, भारत सरकार की जिम्मेदारी इसलिये है कि सारे अधिकार भारत सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं। मैं इसी सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 जिस समय बना था उस समय के और आज के कंसेप्ट में रात-दिन का अन्तर हो गया है। उस समय कंसेप्ट केवल यह था कि पब्लिक सैक्टर में ही पावर का जनरेशन हो, प्राइवेट सैक्टर में पावर का जनरेशन नहीं हो। लेकिन जब से 1990 के बाद में प्राइवेट सैक्टर में पावर जनरेशन करने की बात आयी है उस समय के कानून और पावर जनरेशन जब प्राइवेट सैक्टर में एनकरेज कर रहे हैं उस समय के कानून में विरोधाभास निश्चित रूप से होगा। आज कोई स्कीम नहीं है—

श्री परसराम मदेरणा : यह अमेंडमेंट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अमेंडमेंट तो कर दिया लेकिन 43(1) का अमेंडमेंट जो किया है वह उलटा किया है। कई योजनाओं के हम टेंडर इंवाइट कर रहे हैं, हमें फाइनल करने के अधिकार होने चाहिये लेकिन वे हमें सी. ई. ए. को भेजनी पड़ेंगी और सी. ई. ए. में कोई कंसल्टेंसी नहीं है। 43(1) में इतने अधिकार ले लिये कि हम अपनी इच्छा से उस प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं करवा सकते और न उसको चालू करवा सकते हैं। आप कह रहे थे कि जैस्टेशन पीरियड ज्यादा है। जैस्टेशन पीरियड ज्यादा होने का एक कारण यह भी है कि सारी योजनाएं भारत सरकार के पास जाएंगी। भारत सरकार में मैं नहीं मानता कि कोई इस प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं जिन एक्सपर्ट्स की तुलना में राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक्सपर्ट्स नहीं हों। यहीं से जाते हैं। कोई दूसरे स्टेट से आये, किसी तीसरे स्टेट से आये और आकर कोई सी. ई. ए. का चेयरमैन हो गया। आवश्यकता इस बात की है कि आज भारत सरकार इस कंसेप्ट को कानून में स्वीकार करे कि हम प्राइवेट सैक्टर में बिजली पैदा करना चाहते हैं। केवल मात्र यह कहने से काम नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चलेगा कि पहले प्राइवेट सैक्टर में बिजली जनरेशन बंद था और अब प्राइवेट सैक्टर में बिजली जनरेशन करने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन सारा कंसेप्ट और उसकी इच्छा वही है कि भारत सरकार की बिना अनुमति के कुछ हो नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। मुझे इस बात की खुशी है कि उस पत्र के आधार पर उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनायी और हाई पावर कमेटी बना कर इस सारे विषय की जांच कर रहे हैं कि कौन-कौन से मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहने चाहिंये और किन मामलों में भारत सरकार को दखल करना चाहिये। मैंने भारत सरकार से कहा भी था और मैं आज भी कहता हूं कि आज जितने भी पावर प्रोजैक्ट्स हैं हम ही नहीं ले रहे हैं, सारे हिन्दुतान में पावर प्रोजैक्ट लगाये जा रहे हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में, मोदीजी, आप ताज्जुब करेंगे कि सारे पावर प्रोजैक्ट्स के लिये टैक्नीकल एडवाइज लेने के लिये, टैक्नीकल कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आदमी उपलब्ध नहीं हैं। हमने भारत सरकार से कहा कि आपने कानून बना लिया बहुत अच्छी बात है लेकिन आप संसार में कोई दो-तीन आदमी मिलते हों उनको लाकर दिल्ली में बैठा कर उनको जो कुछ तनख्वाह देनी हो वह तनख्वाह दें। हर राज्य सरकार से कहिये कि आपको कंसल्टेशन करना है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरुरत नहीं है, जापान के और बाकी के मुल्कों से बुला कर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये कंसल्टेंट्स यहां बैठें, और इन कंसल्टेन्ट्स की राय के आधार पर स्कीम के संबंध में कंसल्ट करना चाहिये। वह कंसल्टेशन होगा तो उस कंसल्टेशन का तो कोई लाभ होगा लेकिन सी. ई. ए. में किस प्रकार का लाभ है यह मैं नहीं समझा हूं। कोई नहीं समझ पाया। जिन परियोजनाओं को सी. ई. ए. ने रिजैक्ट किया था वही परियोजनाएं वापस मंजूर करवा लीं। सी. ई. ए. ने कहा था कि इकोनोमिक वायेबिलिटी नहीं है वह इकोनोमिक वायेबिलिटी फिर आ गयी। इसका मतलब कागज पर कागज चलाते रहो, योजना बना कर इधर से उधर भेजते रहो। इससे काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं और इस सदन के माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि यदि पावर प्रोजैक्ट में भारत सरकार का दखल रहा तो राजस्थान ही नहीं पूरा हिन्दुस्तान जितनी भी डिमाण्ड रखता है उस डिमाण्ड की पूर्ति नहीं हो पाएगी। राज्य सरकारों को खुली छूट दी जाए कि वे बिजली पैदा करें। यदि हमारी गारंटी भारत सरकार लेती हो, यदि भारत सरकार यह कहती हो कि पावर प्रोजैक्ट में जिस कम्पनी को पैसा चुकाना है वह पैसा नहीं चुका पाये हैं और भारत सरकार उसकी गारंटी लेती है तब तो क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि भारत सरकार ने गारंटी ली आठ फास्ट ट्रैक प्रोजैक्ट के मामले में, क्या हालत हुई है उनकी? एक फास्ट ट्रैक प्रोजैक्ट नहीं चल रहा है। जब मैंने इंटरनेशनल बिडिंग के लिये टेण्डर इंवाइट किये उस समय मुझे कहा था कि इसमें देरी होगी। 263 के करीब एम. ओ. यू. किये। आज एम. ओ. यू. जिन्होंने किये उनमें इंटरनेशनल बिडिंग राजस्थान ने किया है। मदेरणा साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन्होंने एम. ओ. यू. किये हैं वे आज हमसे पीछे हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल काम्पीटीटिव बिडिंग किया है उनमें उस स्टेज के ऊपर पहुंच गये हैं कि कोई नवम्बर में फाइनल हो, कोई दिसम्बर में फाइनल हो और कोई जनवरी में फाइनल हो। और भारत सरकार से हमने काउण्टर गारंटी नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मांगी है। किसी ने भी काउण्टर गारंटी नहीं मांगी है। ऐसी स्थिति में काउण्टर गारंटी के बिना ही अगर काउण्टर गारंटी दे, भारत सरकार अपने ऊपर रेस्पोंसिबिलिटी ले तो इस बात की मैं आवश्यकता महसूस करता हूं कि भारत सरकार कुछ अनुबंध लेकर उसकी वायेबिलिटी को देखे, उसकी सारी इकोनोमिक्स की स्टडी करे, उसका इकोनोमिक सर्वे करे। ये सब चीजें तुरन्त हो सकती हैं, बिना वजह उसमें दखल देकर उसको रोकने की आवश्यकता क्यों है? यहां पर मदेरणा साहब कह रहे थे कि हमने 25 मेगावाट के पावर जनरेशन के मामले में टेण्डर इंवाइट किये। हमने 100 मेगावाट में भी किये हैं लेकिन 25 में जितने ज्यादा बिड्स आये हैं 100 वाले में कम आये हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 25 पर भारत सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है और 100 में भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिये वहां 6 जगहों के लिये हमने टेण्डर इंवाइट किये तो 7 आये और यहां पर हमने 25 मेगावाट पावर जनरेशन की जाए उसके लिये टेण्डर इंवाइट किये तो लगभग 60 टेण्डर आये। इससे आप अन्दाजा लगा लें कि भारत सरकार से लोग कितने डर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 105 आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 105, अब इससे आप अन्दाजा लगा लें कि जहां भारत सरकार का दखल नहीं है वहां 105 बिड्स—

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो पूरी डिबेट ही आपने भारत सरकार की तरफ डाइवर्ट कर दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अपनी तरफ ही कर रहा हूं। यह तो आपने जो कहा है कि कौन-कौन से इश्यू हो सकते हैं जिनको लेकर मैं और परसराम जी दिल्ली जाएं, वह एजेण्डा मैंने आपके सामने रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : एजेण्डा आप दोनों बैठकर बना लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने एजेण्डा रखा है, और कुछ नहीं किया। और मैंने एजेण्डा इसलिये रखा है कि एजेण्डा का आपका एप्रूवल हो जाएगा तो सदन की ताकत कम नहीं होती है, उस ताकत को लेकर हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। जब ताकत विधान सभा की होगी तो हमारी मांग निश्चित रूप से मंजूर की जाएगी इस विश्वास के साथ हम वहां पहुंचेंगे। अध्यक्ष महोदय, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जहां 100-100 मेगावाट के छह टेंडर आमंत्रित किये थे तो सात आये और 25-25 मेगावाट के किये तो क्योंकि भारत सरकार के सी. ई. ए. के पास नहीं जाना है, हिन्दुस्तान के बिडर्स हैं, बाहर के भी बिडर्स हैं, 105 बताये, 105 आये हैं। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार के दखल की ज्यादा जरुरत नहीं है और भारत सरकार को इस दखल को समाप्त करना चाहिये। करेंगे सही, चल नहीं सकता। जो भी विदेशी कम्पनियां आ रही हैं, वे विदेशी कम्पनियां गारंटी चाहती हैं। गारंटी किस बात की? कि भारत सरकार से हमारा क्लीयरेंस एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में हो जाए, एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस हो जाए। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है। विश्नोई साहब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के एन्वायर्नमेंट में राजस्थान को शिक्षा देने के लिये भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जिस प्रकार एन्वायर्नमेंट के बारे में लोगों में जागरूकता है और एन्वायर्नमेंट की स्थिति में जिस प्रकार का विश्वास है उसमें केन्द्रीय सरकार हमको क्या सलाह देगी? इसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केन्द्रीय सरकार ने हमको सलाह दी थी कि पावर प्रोजेक्ट यदि धौलपुर में लग गया तो ताजमहल काला पड़ जाएगा। अब वहीं पर मंजूरी आ गयी। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि एन्वायर्नमेंट के नाम से कितने रोड़े अटकाये जा सकते हैं। चित्तौड़ में पावर प्रोजैक्ट केवल एन्वायर्नमेंट के नाम से रुका हुआ है। आज नयी-नयी टेक्नोलोजी डवलप हो गयी है उसमें एन्वायर्नमेंट की व्यवस्था की जा सकती है, उसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए यह सारी व्यवस्था उसमें हो सकती है। लेकिन वह व्यवस्था आज मैं भी नहीं चाहता, आप में से कोई मुख्य मंत्री बन जाए तो वह भी नहीं चाहेगा कि ताज काला हो जाए। आप यह भी नहीं चाहेंगे कि चित्तौड़गढ़ का किला उससे नष्ट हो जाए। कोई ऐसी चीज नष्ट नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आज उन्हीं बातों को लेकर दो वर्ष पहले बंद कर दिया, परमीशन नहीं दी। अब परमीशन नहीं दी, इसलिये मैं कहता हूं कि इन चीजों में ज्यादा दखल भारत सरकार का रहेगा तो पावर के प्रोडक्शन में हम जितनी प्रगति कर सकते हैं वह प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसी आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि एन्वायर्नमेंट का चक्कर हो चाहे सी. ई. ए. का चक्कर हो, ये जितनी जल्दी समाप्त हो, कानूनों को जितना सरल बनाया जाए, उसी आधार पर चलेगा।

हमने इस सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक से पूछ कर कंसल्टेंट किया। हमने दो तरह की कंसल्टेन्सी की, एक तो बिजली उत्पादन में जो पावर प्रोजैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उनके रिकमंडेशन से हमने 2 कंसलटेंट मंगाये, खर्चा भी हुआ। वर्ल्ड बैंक ने हमारी सहायता की और उस खर्चे के आधार पर हमने कंसलटेंसी की। दूसरी कंसलटेंसी हम इस बात की कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन हो, उसके साथ-साथ बिजली लाने की हमारी क्षमता हो, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने की हमारी क्षमता बने। ट्रांसमिशन सिस्टम किस प्रकार से इम्प्रूव हो, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का परिणाम क्या निकला है वह आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं इसी आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के कारण से जो कमी हो रही है, वह उस कमी की पूर्ति करे और भारत सरकार जो अनावश्यक रूप से राज्य सरकार पर कंट्रोल लगाये बैठी है उस कंट्रोल को हटाए। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करे कि भारत सरकार यदि राय देना चाहे और अगर कंसलटेंसी हो तो उस कंसलटेंसी के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, आज जितने भी इण्डस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। वे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि कितनी बिजली राजस्थान में अगले साल उपलब्ध होगी, उसके नैक्स्ट ईयर कितनी बिजली उपलब्ध होगी और उसके बाद में कितनी बिजली उपलब्ध होगी। उस उपलब्धि के साथ अपने प्रोग्राम को सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि उनको अभी इतनी बिजली उपलब्ध हो जाए कि उनके कंस्ट्रक्शन में जितनी बिजली की आवश्कयता है, उसकी पूर्ति हो और बाकी की समय-समय पर होती रहे। आज इन पावर प्रोजैक्ट्स से लोगों में और इण्डस्ट्रिलस्ट में यह विश्वास पैदा हुआ है कि सीरियसली इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। अटैम्प्ट के विश्वास के साथ ही राजस्थान में औद्योगीकरण का वातावरण भी बन रहा है और उद्योग नये-नये स्थापित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां उन बातों का जिक्र करना चाहूंगा जिन बातों को लेकर यह कहा

(116)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया कि हमारी सरकार किसान विरोधी है, हम बिजली किसान को नहीं देते हैं, हम बिजली समय पर नहीं देते हैं, हम बिजली पूरे समय पर नहीं दे रहे हैं। ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की है जिस पिक्चर से केवल एक ही बात निकलती है कि हम किसान विरोधी हैं। मैं सदन में आंकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं कि हम कितने विरोधी हैं और कितने किसान के पक्ष में हैं।

(15.45)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)...दिल तो आप जानते हो और मैं समझता हूं कि आपका और मेरा दिल दोनों का खुला हुआ है। वो तो वही खुला मिलेगा, बंद क्या मिलेगा? ...(व्यवधान)... इसलिये मैं समझता हूं कि खेतसिंहजी का भी दिल खुला हुआ है, मेरा भी दिल खुला हुआ है, पूनमचन्दजी का भी दिल खुला हुआ है...(व्यवधान)...मैं बढ़ी हुई पापुलेशन से सबसे ज्यादा चिंतित हूं इसलिये कई बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरा सहयोग करो।

अध्यक्ष महोदय, 1952 से 1977 तक 4294, यह एवरेज आता है प्रति वर्ष कनेक्शन देने का। 1977 से लेकर 1980 तक एवरेज आता है 25663 कनेक्शन देने का, 1980 से लेकर 1990 तक एवरेज आता है 16599 और जिस राज का आप जिक्र कर रहे हैं कि किसान विरोधी हैं, 1990 से 1995 तक पांच वर्ष में 26943 कनेक्शन देने का एवरेज आता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कौन किसान विरोधी हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह राज बी. जे. पी. का नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह राज बी. जे. पी. का ही था...(व्यवधान)...1990 से लेकर 1995 तक बी. जे. पी. का राज था। एक वर्ष को छोड़ दीजिये जिसमें आप लोगों ने बैक डोर से एंट्री कर ली थी। वह भी छुट्टी हो गयी। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा लें।

अध्यक्ष महोदय, यह विचार करना पड़ेगा कि कई बार हम कनेक्शन लेकर के कहते हैं कि किसान विरोधी हैं। मेरा अनुमान है, पिछले दो-एक वर्षों में सर्वे कराया है, राजस्थान में लगभग साढ़े नौ लाख कुओं से सिंचाई होती है। साढ़े नौ लाख में साढ़े चार लाख में बिजली के आधार पर सप्लाई होती है, साढ़े तीन लाख डीजल से सप्लाई होती है और लगभग एक लाख 50 हजार लाव और चरस से सिंचाई होती है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चिन्ता व्यक्त की गयी बिजली वाले काश्तकारों के ऊपर। यह भूल गये डीजल वाले काश्तकारों को, वे भी साढ़े 3 लाख हैं। ये भूल गये राजस्थान में लाव-चरस वाले काश्तकारों को, वे भी डेढ़ लाख हैं। केवल बिजली-बिजली-बिजली करते हैं। और बिजली का आपको पता होगा कि जो किसान फ्लैट रेट से बिजली ले रहे हैं वे भी कम नहीं हैं। जिन किसानों को बिजली उपलब्ध हो रही है उनमें 40 प्रतिशत बिजली फ्लैट रेट वालों को मिलती है। यदि उनको मायनस कर दें तो आप किस आधार पर कहते हैं कि उनको बिजली नहीं मिल रही? अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 25 हजार का हमने वादा किया, पूरा करेंगे...(व्यवधान)...यह वादा पूरा करेंगे, इसलिये आज इस बात पर चर्चा करना कि किसानों को बिजली नहीं मिली, यह हुआ, यह नहीं हुआ ...(व्यवधान)...

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब किसानों के हिमायती हैं...(व्यवधान)...विष्णु मोदी तो हैं ही, और कोई हो या नहीं हो विष्णु मोदी तो किसान समर्थक हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डीजल से जिन कुओं में सिंचाई होती है और पम्प लगाये हुए हैं वे पम्प महंगे हो गये और जो डीजल 1989 में 3 रुपये 80 पैसे से 3 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर मिलता था, 3 रुपये प्रति लीटर मिलता था, 1995 में 7 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर डीजल मिलता है। आपने मांग क्यों नहीं की कि डीजल सस्ता किया जाए? अगर किसानों को डीजल महंगा मिलता है तो साढ़े 3 लाख किसान जो डीजल सैट के आधार पर काम करते हैं उनके लिए आपने क्यों नहीं मांग की? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां मांग करेंगे भारत सरकार के सामने तो लताड़ पड़ेगी। किसान जाए भाड़ में हमें उसकी चिन्ता नहीं लेकिन दिल्ली वाले की लताड़ नहीं खानी। इसलिये आपने इन साढ़े 3 लाख किसानों को भुला दिया...(व्यवधान)...वह भी शिवनाथसिंह जी ने मेरी मदद कर दी जो मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज कोयले के अभाव की स्थिति है। पिछले पांच वर्षों में दो से ढाई गुना वृद्धि कोयले के भाव में हो गयी। अब कोयले के भावों में वृद्धि हो गयी, यदि कोयला पावर जनरेशन के काम आता है तो निश्चित रूप से वह महंगा होगा। इसी प्रकार रासायनिक खाद की बात कहता हूं। ये जो किसान के हितचिंतक हैं, तथाकथित हितचिंतक हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी. ए. पी. का पांच वर्ष पूर्व मूल्य 192 रुपये प्रति बैग था और अब 530 रुपये है। इस सदन के किसी माननीय सदस्य को मैंने बोलते हुए नहीं देखा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, आज जैसा विपक्ष के नेता ने कहा कि चौमूं में किसान जाग्रत हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी चर्चा की गहराई में क्या है यह शायद आपको भी मालूम नहीं होगा लेकिन किसानों को अच्छी तरह से मालूम है कि यह लिप सिम्पैथी है, मन में इनके कुछ नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : आप मांग करके 192 में दिला दो, ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब रहा प्रश्न कि किसानों को आप सस्ती बिजली दें। सस्ते के मदेरणा साहब ने भी कुछ आंकड़े बताये और कुछ और माननीय सदस्यों ने भी आंकड़े बताये कि हम 50 पैसे प्रति यूनिट में किसान को बिजली देते हैं। मैं आपका कहा हुआ मान लूं कि 117 पैसे प्रति यूनिट की कास्ट आती है, यह तो कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। लेकिन 67 पैसे की सब्सिडी है या नहीं है? क्या इसको कोई इन्कार करता है कि किसान को प्रति यूनिट 67 पैसे की हम सब्सिडी देते हैं? एक रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। मैं आज आप को फिर कहता हूं कि मैं सब्सिडी के पक्ष में हूं। कोई दुनिया की ताकत मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती कि मैं किसानों को मिलने वाली बिजली में सब्सिडी खतम करूं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस समय डंकल के प्रस्ताव आये और जिस समय सब्सिडी का प्रोवीजन खतम करने की मांग की गयी यही कांग्रेस पार्टी है जिसने डंकल के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : कहां ले गये? ...(व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : डंकल में सब्सिडी कहां खतम करने की बात है ?—(व्यवधान)— जबरदस्ती ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब्सिडी एक रुपये की किसान को दे रहे हैं, हिन्दुस्तान की सरकार 10 हजार करोड़ रुपये सालाना की किसान को सब्सिडी देती है। डंकल प्रस्ताव में सब्सिडी कहीं कम नहीं की गयी है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ आप। मैं फिर आपको कह रहा हूं—(व्यवधान)—

श्री चन्दनमल बैद : ये तो बैठ जाएंगे लेकिन डंकल प्रस्ताव में सब्सिडी खतम करने की बात कहां है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं है। आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आप इस तरह से बराबर जिद करते हैं और गलत बात कहने के आदी हैं।—(व्यवधान)—

श्री विष्णु मोदी : आप खाली यह सर्टीफिकेट लेना चाहते हैं कि आपका आर. एस. ई. बी. तो बहुत अच्छा है, आपकी सरकार तो बहुत अच्छी है लेकिन भारत सरकार के कारण—(व्यवधान)—

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुखबन्द का समय 4 बजे का था उसको बढ़ाकर 6 बजे का कर दिया जाए, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मुखबन्द का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

मुखबन्द का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

राज्य में विद्युत की स्थिति पर चर्चा

श्री चन्दनमल बैद : 9 साल हो गये डंकल को छोड़े हुए आपको और आपकी पार्टी को। आप फिर डंकल उठा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाराज मत होइये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि डंकल प्रस्ताव और वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेन्ट सब्सिडी के बारे में यह है कि 10 परसेन्ट आफ जी. डी. पी. से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। आप फर्टीलाइजर और अनाज पर सब्सिडी दे रहे हैं, आप बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं। यह हिन्दुस्तान के अन्दर ढाई परसेन्ट या 3 परसेन्ट है। 7 परसेन्ट जी. डी. पी. की सब्सिडी आप दे सकते हैं। यह डंकल को कैसे अंकल में डाल दिया यहां आपने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं कि डंकल में सब्सिडी का कोई प्रोवीजन नहीं है—(व्यवधान)—

श्री चन्दनमल बैद : जहां तक हिन्दुस्तान का सन्दर्भ है डंकल में सब्सिडी हटाने का कोई प्रोवीजन नहीं है, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं आप चाहें तो दिखा लें।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब लीडर आफ अपोजीशन में—(व्यवधान)— मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता ने बात कही उसको तारानगर से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) आने वाले माननीय सदस्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं स्वीकार कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं आप ? आप गलत क्यों बयानी कर रहे हैं ? अपनी गलतबयानी की आदत को छोड़िये आप। मैं यह कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान के सन्दर्भ में डंकल प्रस्ताव में सब्सिडी खतम करने का कोई सन्दर्भ या प्रोवीजन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, जो परसराम जी ने बात की है वह सही है।

श्री चन्दनमल बैद : यह सही है कि हिन्दुस्तान में सारी सब्सिडी जो एग्रीकल्चर को दी जाती है वह 3 परसेन्ट से कम है और डंकल में यह प्रावधान है कि 10 परसेन्ट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही बात तो मैं कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : सब्सिडी कहां खतम हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी-सी बात कह रहा हूं—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।—(व्यवधान)— आप विराजें—(व्यवधान)—विराजिये आप।—(व्यवधान)— आपको कोई बात पूछनी है तो आप बाद में पूछें। एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिये।—आप विराज जाएं।—(व्यवधान)—

श्री राधेश्याम : एक मिनट सुनिये—(व्यवधान)—मैं क्यों बैठूं, चुनकर आया हूं।—आखिर क्यों मैं बैठूं ? मैं अपनी बात कहूंगा। अपनी भाषा में कहूंगा, क्यों बैठूं—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राधेश्याम : क्या मैं सदन का सदस्य नहीं हूं ? मुझे अधिकार नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बहुत सम्माननीय सदस्य हैं, पर समय-समय, सुन्दर, सबै, रूप कुरूप—समय पर बोलना ही अच्छा लगता है। बिना समय पर बोलने में गड़बड़ हो जाती है—(व्यवधान)—विराज जाएं आप।

श्री राधेश्याम : मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि आप कोई बात पूछें तो मैं जवाब देने को तैयार हूं लेकिन डिस्टर्ब नहीं करें। आखिर मेरा भी सीक्वेन्स टूटता है। आप बैठ जाएं—(व्यवधान)—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डंकल प्रस्ताव मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं—धनखड़ साहब, विराजें आप। यह टोकाटोकी ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो मैं बोल रहा हूं उससे उनको बुरा लगता है। और कोशिश यह कर रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाऊं। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे तो इस सदन में छान-बीनकर जो निष्कर्ष निकलेगा उसका लाभ राजस्थान को होगा। इसलिए आप मुझे राजस्थान के हित में बोलने दीजिये। भूल जाइये थोड़ी देर के लिये कि कांग्रेस पार्टी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी सब्सिडी का क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, शायद मदेरणा साहब ने डंकल प्रस्ताव और बाकी का आगे जो सारा प्रोसेसिंग हुआ है उन प्रस्तावों को और ट्रेड आर्गेनाइजेशन से अपना एग्रीमेंट हुआ है उन सब चीजों को देखा होगा। यह सही है कि हम 10 परसेन्ट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह बात मैं कहता ही नहीं हूं। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये की हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब इन्होंने जैसा बम्पर मारा है, मैंने उस आधार पर यह बात कही है। मैं इतना कह सकता हूं कि सारे देश में विदेशी कम्पनियों से पावर प्रोजैक्ट में जो समझौते चल रहे हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न आया है सब्सिडी का। ये पहले नहीं मानते थे। मेरे से कई कम्पनियों ने चर्चा की। मैंने कहा कि मैं सब्सिडी दूंगा। पावर प्रोजैक्ट मंजूर हो या नहीं हो, मैं काश्तकारों को निश्चित रूप से सब्सिडी दूंगा। अब दूसरा रास्ता निकाला है कि आप सब्सिडी देंगे तो राजस्थान के बजट के अन्दर कितना अमाउन्ट सब्सिडी का है उसका प्रोवीजन करें।

(16.00)

और कितना टैरिफ होना चाहिये, यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये, एक हाई पावर आथोरिटी बने उस आथोरिटी को दिया जाए। यह आथोरिटी यदि यह कहती है कि आप सब्सिडी दो तो क्रास सब्सिडाइजेशन नहीं होना चाहिये। अब यह उलझनपूर्ण मामला है। क्रास सब्सिडाइजेशन का मतलब यदि हमने उद्योगों की बिजली बढ़ा दी और काश्तकार को कम पैसों पर दी तो वह क्रास सब्सिडाइजेशन मानते हैं। हमने उस चीज को भी नहीं माना। हमने इस चीज को भी नहीं माना कि हम क्रास सब्सिडाइजेशन के रूप में जो बात है इसको स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे और हमने इस बात को भी स्वीकार किया है कि किसानों को सब्सिडी देंगे। ऊपर की आथोरिटी बनाने का जो क्वेश्चन है वह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार उसके ऊपर फैसला करेगी कि क्या इस प्रकार की कोई कमेटी या आर्गेनाइजेशन बनना चाहिये जिसके आधार पर टैरिफ को किस प्रकार से रैगुलेट किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स हमको इस प्रकार की राय दें।

अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं, जैसा मदेरणा साहब कह रहे थे मैं भी महसूस करता हूं कि यदि हमारे पावर प्रोजैक्ट्स जल्दी गति से चालू नहीं हुए तो डिमाण्ड और सप्लाई का गैप बढ़ता जाएगा। उसकी चिन्ता आपको जितनी है उतनी चिन्ता मुझे है। अध्यक्ष महोदय, यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चार्ज लगा। पर मुझे खुशी है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों की इन्टीग्रिटी के ऊपर किसी ने चार्ज नहीं लगाया। यह सोच हो सकता है कि किसी ने भी चार्ज नहीं लगाया। इतना चार्ज जरूर लगाया है कि चुनाव तक मैं भण्डारी जी को रखूं तो भण्डारी जी के कारण से आप लोगों को फायदा हो जाए। मैं आपको विश्वास से इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी ईमानदार अधिकारी कहीं भी रहेगा तो सारे राजस्थान की जनता को उससे फायदा होगा, एक सैक्शन को उससे फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अब आप अन्दाजा लगाएं, 1990-91 में 1114 करोड़ यूनिट उपलब्ध थी और 1995-96 के बजट एस्टीमेट्स के हिसाब से 1768 करोड़ यूनिट हमें उपलब्ध थी। इसका मतलब यह उपलब्धि 1114 से 1768 करोड़ यूनिट तक बढ़ी है। यह बिजली कहीं न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहीं से तो आयी है। यह तो नहीं है कि बिजली कागजों में ही आयी है। आखिर इस विजली का हमने पेमेंट किया है और पेमेंट किया है तो बिजली आयी है। 1995-96 के सितम्बर माह तक 820 करोड़ यूनिट हमें उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसान को इस बात के लिये डराएं नहीं कि राजस्थान में बिजली ही नहीं है, यह नहीं कहें कि बिजली केवल शहरों में खर्च हो रही है, शहरों में जगमगाहट है और गाँवों में नहीं है। मैं उन मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि आज शहरों की आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुए लोगों की है। उस आबादी में किसान भी हैं, उस आबादी में मजदूर भी हैं। आज वे बिजली का उपभोग करते हैं तो उसके कारण से आपको चिन्ता हो रही है कि सारी बिजली शहरों में चली गयी। पहले एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जो खम्भे लगे हुए हैं उनमें दिन में रोशनी दिखती है। मैं ऐसा समझता हूं, मोदी जी, कि दिन में रोशनी हमने भी देखी है जब उधर बैठे थे, अब मैं आपको दिन में रोशनी दिखा रहा हूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं इसलिये कह रहा था कि आज़ इस सिस्टम में भी सारी जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी की है और म्युनिसिपैलिटी से हमने रिक्वैस्ट की है कि आप हमारे और विद्युत बोर्ड के बीच में पूरा फैसला कर लें जिसके आधार के ऊपर क्या सिस्टम एडाप्ट किया जाए जिससे बिजली के कन्जंप्शन पर किसी न किसी प्रकार से रोक लगे।

यहां एक जिक्र आया था, अध्यक्ष महोदय, उसी सन्दर्भ में एक बात कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजली के सम्बन्ध में हमने राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। राष्ट्रीय नीति बनाने की मैं लगातार कई वर्षों से मांग कर रहा हूं कि सारे देश में जो हाइडल पावर है, देश में कोयला और लिग्नाइट के बेस के ऊपर जितने भी पावर प्रोजैक्ट्स हैं उनका एक पूल सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बनाए और बनाकर बिजली की सप्लाई करे। राज्य सरकारों के पास साधन कम हो सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार यदि इस प्रकार की योजना लेकर चले तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। इसी आधार पर मैंने कहा है कि राष्ट्रीय नीति में तीन-चार चीजें होनी चाहिये। एक फैमिली प्लानिंग का क्वेश्चन आये, एक वाटर के कन्जर्वेशन का क्वेश्चन आये, एक पावर के कन्जर्वेशन का क्वेश्चन आये। स्टेट्स के बीच में सब्सिडी और इन्सैन्टिव के मामले को लेकर जो एक टैक्सेशन वार चल रही है उस वार को खतम किया जाए। ये कुछ बातें लेकर मैंने कहा है और आज भी कहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई लीडरशिप ले। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि इन चारों चीजों का हिन्दुस्तान में कोई पोलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करेगी। न कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, न भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई पार्टी विरोध करने वाली नहीं है। इसका एक डिटेल प्रोग्राम बनाकर इनीशिएटिव लेकर इस प्रोग्राम को हम हिन्दुस्तान में लागू करें तो कई समस्याओं का इससे समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बुराई तो की गयी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक-एक उपलब्धि मैं गिनाऊंगा। एक उलब्धि यह है कि पहले प्रशासनिक खर्चा था 20.16 प्रतिशत। टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में खर्चा होता है उसका 20.16 प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट कास्ट आती थी इसको घटाकर हम 12.92 पर ले आये। इससे बड़ी कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि चेयरमैन की इस मामले में जितनी तारीफ की जाए। गालियां

(122)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको खानी पड़ती हैं, यह बात सही है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लाइनमैन नहीं हैं, हैल्पर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्युत चोरी के मामले में। विद्युत चोरी में 1989-90 में केवल 91 लाख 44 हजार की इनकम हुई थी और विद्युत चोरी के मामले में अब 1994-95 में 368.24 लाख की आमदनी हुई है और चोरी के ऊपर नियंत्रण हुआ है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : चोरी ज्यादा हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लक्ष्मण सिंह जी, आप इस सदन के पुराने सदस्य हैं बिजली की चोरी का जिक्र हमेशा होता रहा है लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं है। अब रोकने की कोशिश की जा रही है और रोकने की कोशिश इसलिये कर रहा हूं, मैं केवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हित में नहीं कर रहा हूं। डेढ़ लाख किसान जो लाव चड़स पर चलाते हैं उन डेढ़ लाख किसानों को बिजली जल्दी से जल्दी किस प्रकार से मिले उनके लिये बिजली उपलब्ध कराने की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं कि बुलक कार्ट से, बैलों से सिंचाई करते हैं तो 38 रुपये की कास्ट आती है, डीजल से सिंचाई करते हैं तो 19 रुपये की कास्ट आती है और इलेक्ट्रिक पम्प से करते हैं तो दो रुपये की कास्ट आती है। आज उन काश्तकारों को रिलीफ मिलता है। मैं समझता हूं कि यदि चोरी रोक दी तो काफी मेगावाट की बचत होगी और चोरी से परेशान होकर जिन काश्तकारों को बिजली नहीं मिलती उनको बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। आज मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तारीफ करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या-क्या काम किये हैं और क्या नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज बिजली बोर्ड की व्यवस्था हमने डीसेन्ट्रलाइज करने की कोशिश की है। उपखण्ड स्तर पर और जिला स्तर पर अधिकार सम्पन्न समिति बनायी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चेयरमैन की कल जो आप बात कर रहे थे वह कल मैंने सुन ली। वह सुन भी ली और जो किताब आप बता रहे थे वह किताब मैंने पढ़ भी ली। अभी नहीं है मैं मंगवा दूंगा। आप जो हुक्म दोगे वही काम होगा। अध्यक्ष महोदय, राशि जमा कराने के एक माह बाद स्वतः लोड एक्सटेंशन मान लिया जाएगा। 6 एस. ई. आफिस, 20 एक्स. ईएन. आफिस तथा 80 ए. ईएन. आफिस नये खोले हैं। यह नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कास्ट कम की है तो जहां आवश्यकता है इंजीनियर्स की और आफिसेज की, वह व्यवस्था हमने नहीं की। इतने अधिक नये कार्यालय आर. एस. ई. बी. में कभी नहीं खोले गये। अब आप तो कह रहे हैं हैल्पर नहीं हैं, कितने हैल्पर भेजने हैं, बता दो। आपको जितने चाहिये उतने हैल्पर भेज दूं, कहां ले जाओगे? कहां जाना चाहते हो जो हैल्पर चाहिये? अभी, अध्यक्ष महोदय, सभी संभागीय मुख्यालयों पर चीफ इंजीनियर के कार्यालय खोले गये हैं जहां अधिकांश मामले निपटाये जा सकें। एक एल. टी. रहित प्रणाली 100 के. वी. ए. तथा 63 के. वी. ए. के स्थान पर अब 40 के. वी. ए. एवं 25 के. वी. ए. के ट्रांसफार्मर्स लगाये जा रहे हैं। इससे कृषकों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राहत मिलेगी। अविद्युतीकृत गांवों में भी कृषकों को कनेक्शन दिये जा सकते हैं और उनसे वसूल की गयी राशि पांच वर्षों में वापस कर दी जाएगी। समझौता समितियां बनायी जाएंगी। बिजली के मामले में कई विवाद हो जाते हैं, मीटर के कारण से इतना खर्चा हुआ, इतना नहीं हुआ। उन समस्याओं में एक्स. ईएन. के स्तर पर 10 हजार रुपये तक के मामले, एस. ई. के स्तर पर 50 हजार रुपये तक के मामले, चीफ इंजीनियर के स्तर पर ढाई लाख रुपये तक के मामले और चेयरमैन के स्तर पर ढाई लाख रुपये से ऊपर के मामले निपटाये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में यह नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने काम नहीं किया। मैं यह मानता हूं समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जितने लिक्विड फण्ड्स होने चाहिए वह फण्ड्स नहीं हैं। भण्डारी जी ने यह रुपया लेकर अपनी जेब में रख लिया हो या जोधपुर ले गये हों, इस तरह की बात नहीं है। मैटीरियल चाहिये, आज खम्भे चाहिये, तार चाहिये, कण्डक्टर चाहिए, बाकी की सब व्यवस्थाएं चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पैसे नहीं हों तो हालत यह होगी कि बिजली तो हमारे पास उपलब्ध है पर हम कनेक्शन दे ही नहीं पाते। इसलिए कोई इस भ्रान्ति में रहे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो पैसा लिया वह राज्य सरकार के खजाने में जमा हो गया या भण्डारी जी ने अपनी जेब में रख लिया हो, इस प्रकार की बात नहीं है। मैं उसके बारे में पहले से ही स्पष्ट कर चुका हूं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार न तो किसान विरोधी है और न ग्रामीण क्षेत्र की विरोधी है। आप तो फिर नाराज होंगे लेकिन अगर किसान विरोधी होती तो 1990 में 318 करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ नहीं करती। अगर किसान विराधी सरकार होती तो बारानी जमीनों का लगान माफ नहीं करती। यदि किसान विरोधी सरकार होती तो निश्चित रूप से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और छोटी जोत वाले किसानों का कुओं से सिंचाई का शुल्क माफ नहीं करती। यदि किसान विरोधी सरकार होती तो खालों की कीमत वसूली को मैं नहीं रोकता। अगर किसान विरोधी सरकार होती तो बैटरमेंट लेवी माफ नहीं करती और यदि किसान विरोधी सरकार होती तो अब तक सब्सिडी का एलिमेंट कटकर 117 तक पहुँच जाता। आप जैसे किसान नहीं हैं आज। लेकिन यहां सामने कुछ किसान बैठे हुए हैं, वैसा ही किसान मैं हूं। किसान को पीड़ा होती है तो आप तो मजाक करते हैं, मुझे दर्द होता है। अब ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की सरकार को कहें कि यह किसान विरोधी है। मैं आज आपको इतनी जानकारी दे सकता हूं, अभी समय नहीं है लेकिन आप अगर चाहें तो राजस्थान की सरकार ने किसानों के हित में जितना काम किया है, कांग्रेस ने 30 वर्षों के राज में नहीं किया है। मुझे खुशी इसी बात की है कि चन्दनमलजी और मोदीजी, दो ही ताली बजा रहे हैं और कोई नहीं बजा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों में केवल प्रचार करने से काम नहीं चलेगा, भाषण देने से काम नहीं चलेगा कि यह पार्टी किसान विरोधी है। यह पार्टी किसान विरोधी नहीं है। किसान विरोधी अगर हम होते तो पंचायतों के चुनावों में आपका जिस प्रकार से सफाया किया है, राजस्थान के इतिहास में कभी सफाया होगा।

(124)

श्री चन्दनमल बैद : हम आपसे ज्यादा सीटें जीते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में बड़ा दर्द है पंचायतों का। पंचायतों का दर्द इतना है कि मार खा गये। अब जा जाकर सरपंचों को और पंचायतों को भड़का रहे हैं कि तुम्हें मिला क्या है, क्या मिला है।

श्री चन्दनमल बैद : आप उप मुख्य मंत्रीजी से पूछिये कि उनकी क्या हालत हुई है। राजेन्द्र जी राठौड़ को पूछिये, क्या हालत है उनकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शायद चूरू जिले में आपको सफलता मिली है। यह आपकी तरह से बाकी के क्यों नहीं बोलते ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बोल रहा हूं। ललित जी का मैं बोल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : बोलना जरूरी है क्या? आप कह रहे हो कि दूसरे नहीं बोलते, जोधपुर डिवीजन में आपका सफाया हुआ है यह तो आप भी बोल रहे हैं। आज खुद जानते भी हैं और महसूस भी कर रहे होंगे। रिजल्ट्स कई जगह से किस तरह से रहे, क्या नहीं रहे पर उसके बाद में आपने जिस तरह से कम्प्रोमाइज किया है। 73वें कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंड के बाद सैक्शन 243 में एक्ट में जो पावर्स थे इलेक्शन कमिश्नर के वह गवर्नमेंट ने ले लिये और आखिर में प्रमुख और उप प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान से लेकर के जो होर्स ट्रेडिंग आपने किया है वह आपका जी जानता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं मेरा जी जो जानता है वही बात कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कहता कि सारे ही राजस्थान में आपका सफाया हो गया है। यह मैंने नहीं कहा। कुछ क्षेत्र बच गये जहां आप बचे हुए हैं। मैं आपको यह विश्वास से कहता हूं कि आप किसान विरोधी होते हुए, न कि भाजपा का प्रचार करें, लोक सभा में सफाया करके ऐसा छोडूंगा कि लोग याद रखेंगे कि क्या हुआ। आप यही कहते रहेंगे, नाम लेवा नहीं मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद : लोक सभा चुनावों के बाद यहीं मिलेंगे और आपने चुनौती दी है वह बताएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं कि ऐसा सफाया होगा कि कहीं पता नहीं लगेगा, कौन कहां गया और कौन कहां नहीं गया, यह आप ध्यान रखकर चलिये। आज भी मैं कहता हूं। यहां माननीय सदस्य बोलते हैं, आलोचना करते हैं, उनका अधिकार है। वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जनता में हम भी जाते हैं। हम भी जनता में आप जितने मास्टर नहीं हैं लेकिन पल्सेज मैं भी देखता रहता हूं। पल्सेज से अन्दाजा लगता है कि जनता बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी कर रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : जनता बघेला, बघेला कर रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की जनता को जब पता चलता है कि कोई आपका आदमी है तो चाहे धौलपुर से आप लोक सभा के सांसद को चुनाव लड़ाएं, चाहे राज्य सभा के सांसद को आप बयाना से लड़ाएं, जनता को सिर्फ इतना पता चलना चाहिये कि आपका उसके ऊपर हाथ है, जनता उसका सफाया कर देती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है। सफाया कर देगी वह देख लेंगे। अगर सफाया करने की जनता की स्थिति नहीं होती तो झुंझुनूं छोड़कर किशनगढ़ क्यों जाते।

श्री जगदीप धनखड़ : राधेश्याम जी यहां बैठे हैं, आप दूसरे नम्बर पर नहीं आये, तीसरे नम्बर पर आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धनखड़ जी! आप जैसे सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में जहां आपकी धाक थी, हाई कोर्ट में जहां धाक थी, यह विधान सभा में आने के बाद में वहां भी धाक खतम हो गयी और यहां भी सफाया हो गया। अध्यक्ष महोदय, यहां किसान विरोधी बताते हैं और अभी मदेरणा साहब ने कहा था कि किसानों ने कर्जा ले लिया, स्कूटर ले लिया, मोटर साइकिल ले ली, जीप ले ली उसके कारण से एक्सीडेंट होते हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस शासन में 1989-90 में 60 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण की तुलना में 1994-95 में 330 करोड़ रुपये का कर्जा दिया। यह सरकार कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है, यह किसानों के लिये कमिटेड है।

श्री हरजीराम बुरडक : बिजली के बारे में बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली का पहले ही बता दिया, आप आये नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आज यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, मैं समझता हूं आप किसान को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं दें। उसको मौका नहीं दें, वह नहीं मानेगा आपकी बात। अखबार में पढ़ो, चाहे कोई हो, किसान को जितना आप समझते हो, किसान उससे ज्यादा कहीं इंटेलीजेंट है। यह सही है न। वह इतना इंटेलीज़ेंट है कि वह धनखड़ साहब को भी पहचानता है, वह मोदी जी को भी पहचानता है। वह और सबको पहचानता है कि कौन आदमी हमारे हित में बोल रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपको नहीं पहचाना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। आप मुझे नहीं पहचान पाये और मैं समझता हूं, न पहचानो तो ही अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में जो भी चर्चा हुई है, एक आस्पैक्ट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। धनखड़ साहब ने कल वह मामला उठाया। यहां एमको एनरान कम्पनी का जिक्र आया। एमको एनरान का सोलर एनर्जी के लिये भारत सरकार ने दो रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमको लिखा था, हमने उसको स्वीकार नहीं किया और इंटरनेशनल बिडिंग की। आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स का मैं को-आर्डिनेटर या कन्वीनर हूं, आपने तय किया। मैं आपकी जानकारी के लिए धनखड़ साहब कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के पार्टी के इलेक्शन मेनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि एनरान कम्पनी के साथ जो समझौता किया है उस समझौते को हम रद्द करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : वापस क्यों किया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जिज्ञासा सब समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब वैसी स्थिति में जो हमने कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट के नाते रिजैक्ट किया। आप अब कहेंगे कि रिजैक्ट क्यों किया। यह कल का हिन्दुस्तान टाइम्स है, उस हिन्दुस्तान टाइम्स का एक पैराग्राफ पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं। "This follows careful examination of the testimony provided to a U. S. Senate Committee by a representative of

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Enron. The full details of the testimony reveals that Enron had gone much further than simply admitting that it had spent 20 million dollar on educating Indians about utility of granting the project an Enron backed enterprise - Dabhol Power Company."

20 मिलियन डालर, आगे सीनेट में कहा है :

"The Senate noting, according to sources, state that the money was spent in winning local support as well as the support of State officials. Also the sum shown by Enron was not part of the project cost of the proposed power project at Dabhol in Maharashtra. This makes the money unaccountable." (व्यवधान) अब आप कह रहे हैं नैगोशिएशन क्यों किया जाए। यह भी कह रहे हैं लेकिन—

श्री लक्ष्मण सिंह : मुरली मनोहर जोशी ने इस बात का खण्डन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात का तो सीनेट खण्डन करेगी। (व्यवधान) मेरी सुनिये। मैं एक और कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स में कोट की है सीनेट की कमेटी की मीटिंग्स की प्रोसिडिंग्स, वह अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब आप खण्डन करो या हिन्दुस्तान टाइम्स खण्डन करे, उससे काम नहीं चलेगा, खण्डन करना पड़ेगा सीनेट को। सीनेट ने नहीं किया। 20 मिलियन डालर्स यह हिन्दुस्तान की जनता को एजुकेट करने के लिये (व्यवधान) धनखड़ साहब, थोड़ा बैठ जाओ। यह हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर रिफ्लेक्शन है, हिन्दुस्तान की इंटिग्रिटी के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है। हिन्दुस्तान को कमजोर मुल्क मानने का उनका दुस्साहस है कि 20 मिलियन डालर खर्च करके हिन्दुस्तान की जनता को एजुकेट करेंगे। हिन्दुस्तान की जनता इतनी एजुकेटेड है वह अमेरिका की इस नीयत को समझती है कि 20 मिलियन डालर खर्च करके वह हिन्दुस्तान के कंजूमर से बिजली की ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है और कैपिटल कास्ट बढ़ाकर 18 प्रतिशत की काउन्टर गारंटी भारत सरकार से लेकर कोई घाटे का सौदा नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान में इस प्रोजैक्ट के मामले में जो समझौता हुआ है, संसार में कहीं नहीं हुआ होगा जिसमें गारंटी दी गयी कि आप इतना इन्वैस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा तो इतने मुनाफे की गारंटी होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा तो मुनाफे की रेट बढ़ती जाएगी और सारा पेमेंट फोरेन एक्सचेंज में किया जाएगा। यह हिन्दुस्तान के हित में नहीं था। इसलिए आपने रिजेक्ट किया, खूब अच्छा काम किया। आज वे कह रहे हैं नैगोशिएशन क्यों, तो आपने देखा होगा कि यही महाराष्ट्र की सरकार है जहां दोनों बातें चल रही हैं। आर्बट्रिशन के मामले में आप तो एक्सपर्ट हैं। आजकल जाते हैं या कोई बुलाता है आपको, मुझे पता नहीं लेकिन कहते हैं कि आर्बट्रिशन में आप एक्सपर्ट हैं, आज आर्बट्रिशन के दरवाजे खुल रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं—

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरे ऊपर भाषण दे रहे हैं या एनरान पर दे रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। (व्यवधान) नहीं, आप बैठ जाओ।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी आप थक गये होंगे, थोड़ी देर बैठिये। मुख्य मंत्रीजी जब बात कहते हो तो सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिये।

आप यह मत समझिये, आप यहां खड़े होकर सदन के नेता होने का दुरुपयोग नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं नहीं कर रहा।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठिये एक बार।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : इधर-उधर मत देखिये। यह बताइये कि कारवां क्यों लूटा? आपने एमको एनरान से क्यों बात की?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपने एमको एनरान से क्यों बात की? आपने क्यों आइडेन्टिफाई किया यहां पर?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ।

श्री जगदीप धनखड़ : क्यों महाराष्ट्र की सरकार ने रद्द किया? यह तो बताते नहीं हो, हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार ले लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ।

श्री जगदीप धनखड़ : और कहने लगे कि आप आर्बीट्रेशन के मामले में एक्सपर्ट हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : इनको छोड़कर सीधा जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक मैं यह समझता था कि इस आर्बीट्रेशन की कार्यवाही में धनखड़ साहब का सहयोग लूंगा, लेकिन आज मन बनाया कि सहयोग की बात तो खतम करूं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी स्तर को नीचा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : वहां व्यक्तिगत बातें नहीं हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी। कृपा करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिबेट के स्तर को नीचा मत कीजिये। जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने कल कहा था कि कोई बातचीत नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : वह आपका असत्य वाचन था, आप स्पष्ट कीजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : यह कोई एनरान कम्पनी में खराबी नहीं है जो...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ आप, मैं ही जवाब दे दूंगा एनरान का। अध्यक्ष महोदय, मैं कल से लगातार कह रहा हूं एमको एनरान की कम्पनी से मेरी बात नहीं हुई, नम्बर एक। अगर बात करने आता तो मैं मिलता। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बात करते ही मैं उसका कहना मान लूं। कोई भी कम्पनी का आदमी आएगा तो मैं उससे मिलूंगा या मिलकर जो

(128)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान की जनता के हित में होगा, वह करूंगा। वह अगर मंजूर नहीं करता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कम्पनी आ जाए, उसकी डिक्टेशन में भैरोंसिंह शेखावत नहीं चलेगा, यह मैं बता दूं। (व्यवधान) सरकार और वह एक ही बात है—

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार तो चल रही है। अधिकारियों से बात हुई होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकारियों से हुआ होगा तो इसमें बात क्या है?

श्री जगदीप धनखड़ : आपको जानकारी नहीं दी गयी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे जानकारी है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप यह क्यों कहते हैं कि—(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई वह नहीं हुआ।

श्री जगदीप धनखड़ : अचानक आपने यह—(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या बात कर हैं, अध्यक्ष महोदय, इनको क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं तो इसलिये बैठ जाता हूं कि आपका पारा ऊपर नहीं जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) कोई भी कम्पनी वाला आएगा, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आपको यदि यह दर्द हो रहा है कि कृष्ण कुमार जी की सिफारिश पर एमको एनरान आया और रुपये 2.25 पर बिजली देने की बात हमसे करके मंजूर करवाना चाहते थे तो मैं आज आपको बता दूं, डिटेल तो चार दिन बाद में मैं आपको बता दूंगा, जिस समय लैटर आफ इन्टेन्ट पर दस्तखत हो जाएंगे, कि जो समझौता वे रुपये 2.25 पर करवाना चाहते थे, वह रेट रुपये 1.97 पर ले आया हूं। ऐसी स्थिति में (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप —(व्यवधान)— यह आरोप नहीं है। रुपये 2.25 से बात चली थी, यूं कह रहे हैं आप, विराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : सुनिये आप। वे बैठ गये हैं, मेरी बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय। सदन के नेता ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं एमको एनरान से रुपये 2.25 में सौदा कराना चाहता था और ये अपने विवेक से रुपये 1.97 पर कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सदन के नेता से कि मेरी क्या भूमिका है इस मामले में?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं कब बीच में रहा? मैं कौनसे एमको एनरान से मिला?

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : I have a right to seek information. It is a serious allegation by the Leader of the House. I cannot suffer such an allegation.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने लगाया नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : Mr. speaker, give me protection.

श्री अध्यक्ष : हां, प्रोटेक्शन दे रखा है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह सब मुख्य मंत्रीजी ने मल्टीनेशनल के प्रेशर में किया है, इस प्रकार की खबर छपी है राष्ट्रीय सहारा में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप भी एक अखबार का सहारा लेते हैं, मैं भी लेता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इन्डिविजुअली कुछ नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब फालतू अंकित नहीं करें।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : बार-बार इन्टरवीन करने से चर्चा__विराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात खतम होने के बाद कोई बात कहना चाहें तो__

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हो गयी बात। अध्यक्ष महोदय, आजकल हिन्दुस्तान में कई बीमारियां नयी-नयी पैदा हो रही हैं। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। आजकल एड्स की बीमारी पैदा हुई, कभी टी. बी. की बीमारी पैदा हो गयी। अब एनरान की बीमारी पैदा हुई है और इससे लोग पीड़ित हैं। मैं उनकी पीड़ा को जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन मैं उसका इलाज करना भी जानता हूं।

श्री जगदीप धनखड : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कनेक्शन की बात और कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। मैं सारे राज्यों की तुलना नहीं करना चाहता कि उनके फाइनेंशल रिजल्ट्स क्या हैं, उनकी परफारमेंस क्या है। परफारमेंस तो मदेरणा साहब के पास भी है, मेरे पास भी है, उस परफारमेंस को दिखाकर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस के एक मुख्य मंत्री ने कहा, एस. ई. बीज परफारमेंस होपलेस। वह तो कांग्रेस का राज है, हिमाचल प्रदेश है जहां सारी पावर हाइडल है, कम कीमत पर बिजली पैदा होती है वहां पर। मुख्यमंत्री कहते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत बिलकुल खराब है। बाकी पर भी सुनना चाहते हो तो बता दूं। लेकिन मैं__

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विषयान्तर नहीं हों, विषय पर आ जाएं ताकि हम लोग कुछ बात कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, अब नहीं हो रहा हूं। आपका हुक्म मान रहा हूं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(130)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा की गयी, एस. सी. और एस. टी. के मामलों पर__

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : बराबर उधर से आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं वे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ रहा हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात का अध्ययन करा रहा हूं और बहुत जल्दी ही फैसला कर देंगे कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं कुओं के कनेक्शन के लिये और ट्राइबल सब प्लान में जितने भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं इनको प्रायोरिटी के आधार पर बिजली दी जाए। सामान्य कैटेगरी में भी दूंगा और प्रायोरिटी के आधार पर दूंगा। मैं समझता हूं आप लोगों ने जो मांग उठाई थी मैंने स्वीकार कर ली। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब__(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मांग खाली उन्होंने उठायी है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इन लोगों ने मांग उठायी, आपने नहीं की मांग। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी__

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें माडा योजना के ट्राइवल्स को शामिल कर लीजिये, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो इन्डिपेन्डेंट हैं। आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं रिप्रजेन्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं खत्म कर रहा हूं__(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह अभी क्या शब्द इस्तेमाल किया था आपके बारे में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे के लिये ?

श्री परसराम मदेरणा : यों बैठे सिक्सर ठोक रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, मैंने नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कहा कि क्या कर दिया इन्होंने__(व्यवधान) मैंने आपको एक बीस तारीख के सर्कुलर का उल्लेख किया, आपने सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट की और उसमें भी ट्राइब्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया। इनकी गरीबी की क्या स्थिति है और उनको आप महरूम रख रहे हैं, यह बात मैंने कही थी। अब यों ही आप यहां पोलिटिकल भाषण दे रहे हैं खड़े-खड़े। उधर आप लोगों ने कहा और कांग्रेस वाला कोई बोला नहीं। आप सीरियसली बात कीजिये। इस तरह से आप इस डिबेट के स्टैण्डर्ड को don't dilute.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं तो चाहे कहा हो या नहीं कहा हो, मैं आपका नाम भी कहा हुआ मान लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : क्या नहीं कहा ? फिर राइडर लगा दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बिजली का दर्द उनको है, उन्होंने दर्द प्रकट किया। दर्द कमी के कारण से मुझे भी है और हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकें, इस समाधान की चेष्टा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सबको धन्यवाद देकर अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो सवाल पाइंटेड पूछूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक रिक्वैस्ट करूंगा मैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अब क्वेश्चन पूछने दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक सवाल मैं पाइंटेड पूछना चाहूंगा। सदन के नेता महोदय कृपया ध्यान दें, मैं आसन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। हमारा एरिया टेल एण्ड पर आया हुआ है, वोल्टेज के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने आठ घण्टे की तो बात कह दी लेकिन हमारे मुख्य समस्या वोल्टेज की है, एक। उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। दूसरा नर्सरी के बारे में कहा। नर्सरी जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था, सब से महंगी होते हुए भी सब से सस्ती बिजली है इसलिये नर्सरी योजना अगर उसमें कोई कनेक्शन लेना चाहता है तो वह चालू रहनी चाहिये। तीसरा सवाल यह है कि जो लोग पचास मीटर से ज्यादा की गहराई से निकालते हैं, एक जगह तो उतना ही पानी निकालने के लिये पांच हार्स पावर का पावर काम में आता है, हमारे वहां पर 25 का आता है और उतनी ही जमीन सिंचित होती है तो जो लोग पचास मीटर से ज्यादा गहराई से पानी निकाल रहे हैं और डैजर्ट में हैं उनको आपको कुछ रियायत देनी चाहिये। और आखिर में एक बात, मुख्य मंत्रीजी, आपने प्रेम दिखाया। बीजेपी ने जो किसानों के लिये दिया, वह प्रेम दिखाया, उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है, हिस्टोरिकल ईवेन्ट पर कमेंट है, कि आपकी पार्टी का किसान के प्रति वही व्यवहार है जो औरंगजेब का हिन्दुओं के प्रति था। औरंगजेब ने सब बादशाहों से ज्यादा मंदिरों और अखाड़ों, मठों को सर्वाधिक जागीर दी थी क्योंकि उसको यह भय था या यह वह मन में जानता था कि मैं एंटी हिन्दू हूं, इसलिये उनको राजी करने के लिये कुछ न कुछ देता रहूं। सर्वाधिक दिया है लेकिन फिर भी यह नहीं कह सकते कि वह सब धर्मों में बराबर आस्था रखने वाला था।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : बिजली से भ्रष्टाचार तो उठ गया। भ्रष्टाचार का जिक्र आप करते थे—

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक रिक्वैस्ट करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

डॉ. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी, भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ कहो।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। एक माननीय सदस्य खड़े होकर के कोई बात पूछें तो समझ में आता है, एक साथ—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली की डिबेट समाप्त हो गयी। आज सारा दिन दूसरे विषय पर लिया जाएगा, वह चालू की जाए।

डॉ. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी, भ्रष्टाचार के बारे में क्या ख्याल है आपके बिजली बोर्ड में, बिजली डिपार्टमेंट में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने मना नहीं किया, हरिसिंह जी, मैंने यह कहा है कि आपको कोई शिकायत हो तो मुझे दीजिये मैं एक्शन—

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : आपने कहा था बाद में पूछ लेना।

डॉ. हरिसिंह : नहीं, आपने तो क्लीन चिट दे दी भण्डारीजी को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है।

डॉ. हरिसिंह : बोर्ड को ही क्लीन चिट दे दी।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने कहा बाद में पूछ लेना आप, बीच में नहीं बोलें, इसलिये हम बीच में नहीं बोले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब।

डॉ. हरिसिंह : आप तो एक काम कर दीजिये, मुख्य मंत्रीजी__

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया।

श्री लक्ष्मण सिंह : दो-चार मिनट में क्लैरीफिकेशन__

श्री अध्यक्ष : पूरे तीन घण्टे हो गये हैं, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आठ घण्टे बिजली देने की बात कह रहे हैं, हमारे न तो पिछले साल आठ घण्टे बिजली मिली और न इस साल मिलेगी__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल भी आठ घण्टे और आज तीन घण्टे, ग्यारह घण्टे हो गये। वित्तीय कार्य।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के कंजर्वेशन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1995-96 (प्रथम संकलन) पर विचार एवं मतदान। श्री नाथू सिंहजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गयी बात, बाद में कर लेंगे। __(व्यवधान)__कर लेंगे। मैं आपका जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : सिर्फ एक मिनट। एक रिक्वैस्ट है, मुख्य मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : अब विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : यह इन्होंने कहा था कि आप बाद में पूछ लेना, हम पूछ रहे हैं__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया। विराजें आप।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न कि ये जो डी. सी. कनेक्शन हैं उनमें भी__

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे को कल भी बोलने का मौका नहीं मिला__

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं। कृपा करके विराजें अब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया आपका तो। आप और औरंगजेब से__

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक ही रिक्वैस्ट है कि ये जो डी. सी. कनेक्शन हैं, जिन किसानों ने दस-दस साल से लाइन में लगकर कनेक्शन लिये थे उन पर भी दो साल की पाबंदी लगा दी कि दो साल से पहले__(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो चर्चा हुई उन मुद्दों पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पाइंटेड प्रश्न पूछे हैं, सारगर्भित हैं, उनकी आपने अवहेलना की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप देखिये, एक बार डिबेट समाप्त हो गयी। और डिबेट कर लेंगे, आप खूब सवाल कर लेना। अध्यक्ष महोदय, अब वह लीजिये

श्री अध्यक्ष : कृपा करके बैठें आप। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मेरी बात पूरी सुन लें। ये जो डी. सी. कनेक्शन हैं...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : सारा दिन चलाएंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : जो आपने पाबंदी लगा रखी है दो साल वाली, उसको हटाइये और उनको कनेक्शन दीजिये, मेरी यह प्रार्थना है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं। 12 घण्टे से ज्यादा चर्चा हो चुकी...

श्री जगदीप धनखड़ : I am on a point of order. आप मेरा पाइंट आफ आर्डर तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : बात-बात पर क्या पाइंट आफ आर्डर सुनूं, समझ में नहीं आता। अब आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अन्डर रूल 294 मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : यह इस पर चर्चा की जाए सामुदायिक विकास, मांग संख्या–41।

श्री जगदीप धनखड़ : My point of order under rule 294.

श्री रामप्रताप कासनियां : आज आपका पाइंट कमजोर हो गया।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, मांग संख्या–41. सामुदायिक विकास प्रस्तुत करेंगे...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप। किस बात का पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगदीप धनखड़ : आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। नाथू सिंहजी।

अनुपूरक अनुदान की मांग (प्रथम संकलन) वर्ष 1995-96

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री नाथू सिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1 करोड़ 93 लाख 85 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : I am raising a point of order.

श्री अध्यक्ष : अब वाद-विवाद चालू हो रहा है, आप बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ : No. No. I am raising a point of order.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा जी।

श्री शिवनाथ सिंह : कट मोशन्स सर।

श्री रामनारायण चौधरी : कट मोशन है इनका।

(34)

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास, पंचायती राज।

श्री शिवनाथ सिंह : कट मोशन है मेरा।

श्री रामनारायण चौधरी : कट मोशन है शिवनाथ सिंहजी का।

श्री अध्यक्ष : आपका एक ही है, विराजें। श्रीमती ताराजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं नहीं बोलना चाह रही।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले मैं बोल रहा हूं कट मोशन पर।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं-नहीं, मैं अकाल पर बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मैं कट मोशन मूव कर रहा हूं। अध्यक्षजी, यह जो मांग पेश की गयी है इस पर मेरा कट मोशन निम्न प्रकार है : मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए—(व्यवधान) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 पर विचार

मैं, अध्यक्ष जी, एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि यह मांग जो सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में है बहुत अहम मुद्दा सदन के सामने है। अभी पिछले दिनों पंचायत संस्थाओं के चुनाव हुए। चलते-चलते अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक नक्शा खींचा और इस बात की बहुत उनको चिन्ता हुई कि कांग्रेस पार्टी का इन पंचायतों में सफाया हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी कुत्ते एक जगह भिड़ते हैं और एक कुत्ता जग जाता है तो ज्यादा भौं-भौं करता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। किसका सफाया हुआ, किसका सफाया नहीं हुआ, यह आप जानते हैं, दिल से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य भी जानते हैं।

अध्यक्ष जी, पंचायती राज के सम्बन्ध में अभी संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में राजस्थान में पंचायत संस्थाओं का गठन हुआ लेकिन जिस आशा से इस प्रदेश की जनता ने इन चुनावों में भाग लिया हम यह आशा लेकर आये थे कि इन पंचायत संस्थाओं को सरकार शक्ति देगी, अपने कार्यक्रम देगी, उससे बहुत बड़ी निराशा हुई है। आज जिला परिषद्, पंचायत समितियां दोनों निष्क्रिय हैं। पंचायत समिति को क्या करना है, जिला परिषद् को क्या करना है, कोई दिशा निर्देश नहीं। न ही कोई रूल्स बने हैं और न ही कोई किसी को अधिकार है। आज एक पंचायत समिति कोई काम करना चाहती है, जिले पर बैठा हुआ अधिकारी रोकता है, प्रान्त पर बैठे हुए अधिकारी रोकते हैं। मेरी यह मान्यता है कि ये संस्थाएं स्वायत्तशासी हैं और पंचायत समिति, जिला परिषद् उनके अधिकार के जो काम हैं उनको करने के लिये स्वतंत्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार से एक आदेश हुआ कि पंचायत समिति सर्विसेज के लोग चाहे ग्राम सेवक हैं, चाहे अध्यापक, उन पर नियंत्रण पंचायत समितियों का होगा, जिला परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण उनका होगा। लेकिन सरकार ने उसके नीचे इस प्रकार के जोड़ दिये प्रावधान कि वे पंचायत समितियां यह आदेश होने के बाद भी, यह अधिकार होने के बाद भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

कोई काम नहीं कर सकतीं और अभी 3-4 रोज पहले एक आदेश और चला गया कि कोई भी पंचायत समिति अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले कर्मचारियों का कोई ट्रांसफर नहीं करेगी। आज, अध्यक्ष जी, यह बात देखने की पंचायत समिति को जरूरत है कि वह अपने अध्यापक को किस स्कूल में लगाए, वह अपने व्यवस्थापक को, ग्राम सेवक को कहां लगाएं, कहां उससे काम ले। मैं इस बात के लिये अफसोस जाहिर करता हूं कि पंचायत समिति के काम के लिए कर्मचारी हैं उन पर पंचायत समिति का नियंत्रण नहीं होगा। सैक्रेटेरिएट में बैठे हुए अधिकारियों और डाइरेक्टर के चलते इस प्रकार के आदेश होंगे तो फिर पंचायत समिति और जिला परिषद काम नहीं कर पाएंगी। तो एक आई. ए. एस. आफिसर, एक आर. ए. एस. आफिसर कहां एस. डी. ओ. लगे, कहां कलेक्टर लगे, दिल्ली से इस प्रकार के आदेश आने लग जाएं तो राज्य सरकार की क्या स्थिति होगी ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के जो अधिकार हैं, पंचायत सर्विसेज के जो लोग उनके नीचे हैं उनका पूरा नियंत्रण पंचायत समिति और जिला परिषद का होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ ये पंचायत समितियां पंगु बनी हुई हैं। एक साल के बाद भी कोई रूल्स नहीं बनाये हैं। पुराने रूल्स काम करेंगे लेकिन नये एक्ट के सन्दर्भ में पुराने रूल्स बिलकुल बेकार हो गये हैं और उनका कहीं मेलजोल नहीं बैठता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे ताकि पंचायत समितियां और जिला परिषद् अपने काम को सुचारु रूप से चला सकें।

अध्यक्ष जी, मैं बहुत समय नहीं लूंगा 2, 3, 4 मिनट में खतम कर देना चाहता हूं। आज पंचायत समितियों के सदस्यों को क्या करना है। पंचायत समिति की मीटिंग में आ जाओ, वापस चले जाओ। कोई भी काम आज पंचायत समितियों के सदस्यों, जिला परिषदों के सदस्यों के पास नहीं है। किस प्रकार का सहयोग यह सरकार इस ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं से लेना चाहती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं, अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के जिम्मे कुछ काम सौंपे जाएं, जो मेरे कट मोशन से भी सम्बन्धित हैं, गैर-पाम्परिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा पैदा की जाए। आपने उन्नत चूल्हे का काम उनको दिया। यह एक ही विषय इसमें दिया हुआ है। उसी पर निवेदन करना चाहूंगा। आप जबरन लोगों को पाबन्द कर रहे हैं कि आपको चूल्हा खरीदना होगा। मुझे पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है पर मैंने उन चूल्हों को देखा है। कोई भी आदमी उनको लोहे के भाव भी लेना नहीं चाहता है। उनकी कीमत ऊँची है, 50 प्रतिशत सब्सिडी है उसके बाद में भी लोग लेना नहीं चाहते हैं। इसलिये नहीं लेना चाहते हैं कि वे उपयोगी नहीं हैं। फिर भी पंचायत समितियों को पाबन्द किया जाता है। आज ग्राम सेवक परेशान हैं कि आपको इतने चूल्हे बेचने पड़ेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं जिला परिषद झुंझुनूं का। चूल्हे खरीदने की बात आयी हमने इस बात को वहां रखा कि आप चूल्हे खरीदने की बात करते हो, पहले मालूम करो पंचायत समितियों में कितने चूल्हे पड़े हुए हैं और कोई पंचायत समिति चूल्हे लेने को तैयार है क्या। सभी पंचायत समितियों से यही रिपोर्ट आयी कि जो पहले आपने दिये थे वे हमारे यहां पड़े हुए हैं, बेकार हैं, हम उनको बेच

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं सकते हैं। फिर भी यह कहा गया कि हमारे ऊपर दबाव है आपको चूल्हे खरीदने पड़ेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था आप पंचायत समितियों के माध्यम से करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार पंचायत समितियों को स्वायत्तशासी बनाने का जो हमारा स्वप्न था इस राज्य सरकार ने उसको बिलकुल समाप्त कर दिया है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, 2-3 बात उनसे निवेदन करना चाहूंगा। पंचायत समिति सर्विसेज पर उनका ही नियंत्रण आप रहने दीजिये। कहां ट्रांसफर करना है, कहां उसको बदलना है, कहां उससे काम लेना है, इस अधिकार को आप अपने हाथ में मत लीजिये। यह सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा काम पहले किया गया था जब श्री दामोदरजी व्यास ने अपने हाथ में लिया था। पंचायत समिति का कर्मचारी, वह उसको नौकरी देता है, उसको रिक्रूट करता है और उसके अन्दर ट्रांसफर का अधिकार आप ले रहे हैं। यह बहुत नाजायज है। इन पंचायत समितियों को आपने कुछ दिया नहीं है, न इनको कोई साधन दिये हैं। इनके पास आफिसेज का काम चलाने के लिये साधन ही नहीं हैं इसलिये मेहरबानी करके अपने अंकुश से उनको बरी कीजिये।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायत समितियों के स्टाफ में बहुत कमी है। आज से 30-40 साल पहले एक स्टाफ पैटर्न तैयार किया गया था कि कितना स्टाफ होना चाहिये, कितने बाबू हों, कितने एक्सटेंशन आफिसर हों। उनमें आज वे ही बाबू हैं। दो-तीन बाबू वहां हैं, काम चलता नहीं है। उनके पास काम इतना बढ़ गया है कि आज सम्पूर्ण साक्षरता उनके जिम्मे, ये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र उनके जिम्मे, जो प्राइम मिनिस्टर की योजना है तीन किलो अनाज देने की, वह उनके जिम्मे और कर्मचारी उनके पास हैं नहीं, इसलिये पंचायत समितियों में जो स्टाफ है उसको आप बढ़ाइये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि सरकार का नियंत्रण, विभाग का नियंत्रण पंचायत समितियों और जिला परिषदों से आप हटाइये, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास पर आप बोल रहे हैं ?

श्री अरुण सिंह : वहां भरतपुर के बाढ़ पीड़ित हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास की मांग है आप उस पर बोल रहे हैं ? श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सामुदायिक विकास की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स लेकर पंचायती राज मंत्रीजी सदन में आये हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या आज की कार्य सूची में बाढ़ और अकाल सारा है? (व्यवधान) कार्य सूची में वह भी शामिल है। आप स्पष्ट करें कब तक? केवल डिमाण्ड्स तक बढ़ाना है या आज की कार्य सूची पूरी करनी है?

श्री रामनारायण चौधरी : आप स्पष्ट करें, ऐसा नहीं। हमसे अंधेरे में आप करवाना चाहते हैं (व्यवधान) नहीं, नहीं, अंधेरे में न रखें आप__(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है, अकाल और बाढ़ के ऊपर __

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो कार्य सूची तक ही है।

एक माननीय सदस्य : कार्य सूची में तो अकाल और बाढ़ दोनों पर है। __(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अकाल और बाढ़ पर कल चर्चा रखी जाए, कल। __(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बाढ़ और अकाल पर आज चर्चा करेंगे या कल करेंगे आप?

श्री अध्यक्ष : अभी तो यही है।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तक नहीं, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो कार्य सूची है वह तो यही है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो उनसे कहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय और सदन के नेता महोदय विचार कर रहे हैं__(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, कार्य सूची मत कहो। आप एक घण्टे का समय बढ़ाइये फिर। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : एक घण्टे के समय का प्रस्ताव ले आइये। (व्यवधान) आप एक घंटा बढ़ा लीजिये तब तक तय हो जाएगा__(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एक घण्टे का प्रस्ताव रखिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है कि अकाल और बाढ़ पर कल चर्चा होगी। अभी (व्यवधान) चल रही है, मैं अभी बता देता हूं एक मिनट में।

श्री अध्यक्ष : अभी तो 6 बजे तक तो मुखबंद का पहले से ही ले रखा है।

श्री परसादीलाल मीणा : ठीक है, वह मंजूर है।

श्री अध्यक्ष : 6 बजे मुखबंद का वैसे ही ले रखा है, आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : समय तो बढ़ाएंगे आप।

श्री अध्यक्ष : मुखबंद के लिये था, आप विराजें। हरिसिंहजी बोलिये।

मांग संख्या 41 पर विचार

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का जब नया अधिनियम लेकर मंत्रीजी आये थे तो हमने भी सोचा था कि मंत्रीजी की बहुत डायनामिक पर्सनल्टी हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, राजस्थान के लिये कुछ नया करके देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज के बिजनस से सम्बन्धित मेरी और खेतसिंहजी की बात हुई है और यह निर्णय लिया गया कि आज बाढ़ की चर्चा होगी, एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा होगी और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंचायती राज सिस्टम के बारे में चर्चा होगी। अकाल के लिये जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको कल बोलने की व्यवस्था होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बाढ़ पर आज है? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, टाइम नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, प्राकृतिक आपदाओं को एक साथ ले लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, टाइम नहीं है। आप बोलिये न बाढ़ पर। आप तो तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो, हो गयी इसलिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं, बाढ़ पर साथ-साथ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास की मूल कड़ी है पंचायत और पंचायत समितियां। सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि पंचायत का चुनाव हुए बहुत लम्बा समय हो गया। मंत्रीजी ने उस समय भी यहीं पर सदन में यह विश्वास दिलाया था सभी माननीय सदस्यों को और सदस्यों के थ्रू सभी पंचायतों को कि हर पंचायत पर अलग से एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। लम्बा समय हो गया, राजस्थान की 9000 पंचायतें हैं और 3500 सैक्रेटरी। एक सैक्रेटरी के हिस्से में 3 पंचायतें आती हैं और हकीकत यह है कि वह सैक्रेटरी किसी भी पंचायत में कोई भी काम आज तक नहीं कर पा रहा है। कई जगह तो एक-एक सैक्रेटरी 5-5, 6-6 पंचायतें लेकर बैठा है। उसमें भी जो और दुर्गति है वह यह कि माननीय मंत्रीजी ने आदेश दिया कि सचिवों के ट्रांसफर नहीं किये जाएं। माननीय मंत्रीजी के और राज्य सरकार के आदेश ताक पर उठा कर रख दिये और जिला परिषदों में जिला प्रमुख जो बैठे हुए हैं उन्होंने राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए सैक्रेटरीज के ट्रांसफर किये, पंचायतें आज तक खाली पड़ी हुई हैं। मंत्रीजी, आपकी जानकारी में यह बात व्यक्तिशः मेरे द्वारा लायी गयी लेकिन आपने उन अनुशानहीनता करने वाले लोगों के खिलाफ, आपके आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। यह पोल खाता पूरी पंचायती राज व्यवस्था का जो दिखाया है यह आपकी कमजोरी का प्रतीक है।

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज गांव की जो स्थिति बन गयी है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने आ गयी है। पर्यावरण की बात कर रहे हैं और पर्यावरण की जब बात कर रहे हैं तो कारखानों से धुआं निकलने वाली बात है, मोटर वाहनों से धुआं निकलने वाली बात है। शहरों तक हम पर्यावरण की बात सुनते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज सामुदायिक विकास की यह आती है, अध्यक्ष महोदय क्योंकि आज गांव नर्क बन रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा पर्यावरण कहीं दूषित हुआ है तो वह गांव में हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि गांव में कोई सेनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं इसलिये अनुरोध कर रहा हूं कि सामुदायिक विकास में इसके लिये फण्ड्स निश्चित कर रखे हैं, कई लेटरिंस बनाने के लिए इन्होंने पैसे दे रखे हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि आज गांवों में हमारी बहन-बेटियां, सड़कों के किनारे, आम रास्तों के किनारे पर बैठती हैं। जब भी कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको 6-6 बार खड़ा होना पड़ता है। एक नारकीय जीवन वे जी रही हैं। आज सामुदायिक विकास विभाग की तरफ से गांव

(श्री हरिसिंह)

में इस व्यवस्था को सुधारने के लिये, गांव में जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको ठीक करने के लिये कोई उपाय नहीं किया गया। अगर उपाय किया गया है तो सिर्फ इतना कि दक्षिण भारत का एक एन. जी. ओ. यहां पर आया हुआ है जो लगातार पिछले 4 सालों से करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग कर रहा है और फर्जी हिसाब किताब सामुदायिक विकास विभाग में पेश कर पैसे का गोलमाल कर रहा है। मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूं कि आपको गांव की स्थिति सुधारनी है, वाकई गांव को आपको स्वर्ग बनाना है, वाकई गांव में रामराज्य लाना है तो आपको खुले दिल से काम करना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्रजी, जो वित्त मंत्री भी हैं उनसे आप अनुरोध करिये, वे गांव के विकास की बात करते हैं, किसान के भले की बात करते हैं लेकिन देने के लिये उनके पास कुछ नहीं है, सिवाय भाषण के। अच्छा भाषण दे देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अखबारों के माध्यम से गांव का विकास कर रहे हैं लेकिन गांव में विकास नहीं दिखाई देता है। आपने पंचायतों को बिलकुल निर्जीव बना दिया है, पंचायतों में कोई सक्रियता नहीं है। विकास के काम हो नहीं पा रहे हैं। पंचायतों के जो कुछ प्रस्ताव पंचायत समितियों में जा रहे हैं, पंचायत समितियां उनको आगे नहीं बढ़ा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इन्दिरा आवास का पूरा पैसा सैण्ट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक-एक माननीय सदस्य से आप ईमानदारी से पूछ सकते हैं, किसी भी गरीब आदमी को जिसको सरकार छप्पर की व्यवस्था कर रही है, बिना रिश्वत लिये इन्दिरा आवास स्वीकृत नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति और क्या होगी? जिसका सेण्ट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सिर छिपाने को झोंपड़ा बनाने की बात कर रही है, उस गरीब के हलक में भी हाथ डालकर के रिश्वत के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है। जे. ईएन. उसका तख्मीना बनाकर नहीं देता और उसको पूरा पेमेण्ट नहीं मिलता। दस हजार आठ सौ में से उसको 2000-2500 रुपये रिश्वत के खर्च करने पड़ रहे हैं। मंत्रीजी, मैं इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कम से कम उस गरीब पर आप दया कीजिये और अपने स्टाफ का बंदोबस्त कीजिये।

मैं इसके साथ ही मंत्रीजी, एक और अनुरोध करना चाह रहा हूं कि कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जो आज तक बिना विकास अधिकारी के चल रही हैं। अब पता नहीं आपने यह विकास अधिकारी कहां इधर-उधर कर दिये हैं। या तो आपके पास कमी है। कई-कई महीनों से विकास अधिकारी—(व्यवधान) नहीं, मेरे महुआ में तो एक महीने से नहीं है और महुआ की स्थिति में आपको क्या बताऊं? आपके बी.जे.पी. के प्रधान हैं लेकिन यह कहते हैं प्रधान महोदय, जब कोई काम के लिये पहुंचता है, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रमुख साहब से जाकर पूछो प्रमुख साहब वहां पहुंचते हैं, ट्रांसफर प्रधानजी से जबरदस्ती करवाते हैं और इस कदर ट्रांसफर करवाते हैं कि मैं आपसे निवेदन करूं एक अध्यापक का ट्रांसफर किया। वह गरीब, उसके रिटायरमेंन्ट में मात्र दो साल और थे। उसने अधिकार मांगा सरकारी नियम के तहत कि दो साल रिटायरमेंट में बचे हैं, मेरा आप ट्रांसफर न करें। उसके थप्पड़ तो नहीं मारा पर उसको ट्रांसफर के लिये

(श्री हरिसिंह)

मना कर दिया और उसका हार्ट अटैक हो गया। अध्यापक खत्म हो गया, उसकी डैथ हो गयी।

(17.00)

और सबसे ज्यादा तकलीफ यह है कि यह अध्यापक भी अनुसूचित जनजाति का था। यह व्यवस्थाएं चल रही हैं आज सामुदायिक विकास विभाग में। मैं आपसे अधिकार मांगने की बात तो कर नहीं रहा कि आप पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को कोई अधिकार दें, जिस ढंग का लाट वहां है उसे देखते हुए। कांग्रेस वालों पर तो मुझे भरोसा है कि आप अधिकार देंगे जिला परिषदों में तो कांग्रेस के जिला प्रमुख उनका सदुपयोग करेंगे, वे अच्छे ढंग से जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को चलाएंगे। लेकिन आप लोगों में तो अभी तक कुर्सियों में बैठने तक की तहजीब नहीं है, जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को चलाने की बात तो दूसरी है। (व्यवधान) अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में—

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, मंत्रीजी, आप में हम लोगों ने विश्वास किया था, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, कि आपके व्यक्तित्व में चुम्बकीय शक्तियाँ हैं, आप उसका सदुपयोग करें और पंचायती राज व्यवस्था की जो बिगड़ी हुई स्थिति है, उसको आप सुधारें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन जी खैरथल।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभायी है वह सराहनीय है। उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष में 2500 प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत खोले गये थे और उनमें से पूरे 2500 के 2500 स्कूल खुल चुके हैं गत वर्ष के बजट में करीब 500 नये विद्यालय खोलने की मांग की गयी थी, उसमें से 318 विद्यालय अब तक खोले जा चुके हैं और लगभग 172 बकाया हैं। माननीय सदस्यों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं आपने अभी तक अपने क्षेत्रों की जहां पर स्कूल खोलने की गुंजाइश थी, रिपोर्ट आज तक नहीं दी और जो 172 रहे वे केवल कांग्रेस के कुप्रशासन की वजह से रहे, कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस ने आज तक केवल बुराई का ही कार्य किया, ग्रामीण विकास में योगदान नहीं किया। मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह ये अपनी लगन से कार्य करते हैं उस से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितनी भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं— जवाहर रोजगार योजना, निर्धूम चूल्हा योजना, 30 जिले 30 काम योजना, उनमें से जितनी भी आज तक मेरी सैंक्शन हुई लगभग सभी पूर्ति की तरफ बढ़ी हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अलवर जिले में डी.आर.डी.ए. में सन् 1991-92 से 1995-96 तक आज तक का बजट बकाया पड़ा है। 1995 के बजट में तो मात्र पच्चीस हजार रुपये खर्च हुए हैं। यह जो प्रशासनिक ढांचा है, इसे आपको सुधारने की जरूरत है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अलवर जिले का प्रशासन जिस तरह से आज राज्य सरकार को गुमराह करने की कोशिश करता है, उस कारण ग्रामीण विकास में वह बाधक बन रहा है। उसमें

(श्री मदनमोहन)

आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अपने विभाग की ओर से ग्रामीण लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिये, सड़क और पेयजल की जो व्यवस्था होती है, शाला के भवनों का निर्माण, जो पंचायतों द्वारा कराया जाता है, उसमें स्वयं के योगदान में जितनी लापरवाही और उदासीनता प्रशासन बरत रहा है, उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये। जहां तक बी. डी. ओ. की कमी का प्रश्न है, उसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में करीब 45 बी. डी. ओ. की कमी है, उसकी पूर्ति करें जल्दी से जल्दी। ग्राम सेवक यहां पर विकास के कार्यों में बाधा डालते हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ग्राम सेवक पहले तो सरपंच को साथ लेकर जाता है, कहता है कि हमारे तीस जिले तीस काम योजना के अन्दर आप पैसा जमा करा दीजिये। लेकिन उस गांव के पैसे जमा कराने के बाद में भी, मैटीरियल डलवाने के बाद में भी उनको मना कर देते हैं और गांव के लोग उसी आधार पर पिछड़े रह जाते हैं।

मैं, माननीय, आज आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज विभाग के अन्दर प्रशासन में जो खामियां हैं, उनके ऊपर आपको सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी यह ग्रामीण विकास सम्भव होगा। जो भी बजट ग्रामीण विकास के लिये पास किया जाता है, उसका वे सदुपयोग नहीं करते हैं। उन बी. डी. ओ. और उन सैक्रेटरीज के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पेयजल के लिये हैंडपम्प्स की व्यवस्था की गयी है, हैंडपम्प्स के जो स्थान तय हो जाते हैं वे उसी जगह पर लगने चाहिये। गांवों में लोग पार्टियां बनाकर, झगड़ा करके हैंड पम्प को नहीं लगने देते हैं। उसके जो जो पाइंट तय हो गये, आप बी. डी. ओ. और जेईएन. को पाबन्द करें कि वे उसी पाइंट पर जाकर वह हैंडपम्प लगाएं, जिससे गांव में जो मनमुटाव और भेदभाव पनपता है वह समाप्त हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर माननीय मंत्रीजी ने जितना ध्यान दिया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बीजी। (अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विकास की जो डिमाण्ड है—

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी बाढ़ ला रहे हैं — (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये सामुदायिक विकास पर बोल रहे हैं अभी।

श्री अमराराम : आज एक्ट में संशोधन होकर चुनाव हुए सात महीने हो गये। अभी तक कानून के बाई लाज बनने थे, वे नहीं बने और उसके कारण जहां विधायक अपनी पंचायत समिति और विधान सभा क्षेत्र में आने वाली म्यूनिसिपैलिटी में मेम्बर हैं, वे बैठ सकते हैं जिला परिषद का मेम्बर अपनी आने वाली ग्राम पंचायत, अपनी आने वाली पंचायत समिति में नहीं बैठ सकता। इसके कारण बहुत ही विस्तृत हैं। यहां मैं विशेष तौर से धोद पंचायत समिति का जिक्र करना चाहूंगा। मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, कि राजस्थान की 237 पंचायत समितियों में से मात्र एक धोद पंचायत समिति ऐसी है, जिसका भवन नहीं है,

(142)

(श्री अमराराम)

जिसका कार्यालय आज भी बदल-बदल कर किराये पर चलता है। 236 पंचायत समितियों के भवन हैं लेकिन धोद ऐसी पंचायत समिति है। बार-बार सरकार के ध्यान में लाने के बाद में भी आज तक न तो उसका मुख्यालय धोद किया गया है। बारबार बदल दिया जाता है, और न ही उसका भवन बनाया गया है, जिससे पूरी पंचायत समिति के क्षेत्र के लोगों को बराबर दुविधा का सामना करना पड़ता है उसका समाधान मैं समझता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिये। जहां तक पंचायत स्कूलों की बात है, आज ब्रांच स्कूल तमाम जगह पंचायती राज विभाग ने शायद समाप्त कर दी हैं लेकिन उसी पंचायत समिति, धोद में आज भी, पांच ब्रांच शालाएं, पिछले कई सालों से रन कर रही हैं। मेरा अनुरोध है पंचायती राज मंत्रीजी से कि वैसे आर्डर के हिसाब से तो पूरे राजस्थान में शायद समाप्त कर दिया है कि कोई ब्रांच स्कूल नहीं चलाए, लेकिन दूसरी शालाएं जो तीन कन्या ब्रांच शालाएं हैं और दो दूसरी शालाएं जो ब्रांच शाला के रूप में रन कर रही हैं उनको रेगुलर स्कूल करवाने की आप व्यवस्था करिये।

एक पाइंट मजदूरों से सम्बन्धित है। शाहपुरा इन्दिरा आवास 1987 में स्वीकृत हुआ था, स्वीकृत होने के बाद शाहपुरा ग्राम पंचायत ने उस पर निर्माण कार्य शुरू किया। वह आज भी अधूरा है और उस 1987 में जिस मजदूर ने वहां मजदूरी की, 22 रुपये में आठ घंटे वहां काम किया, उसको 1995 तक, आज तक मजदूरी नहीं दी। मजदूरी के लिये वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, पंचायत समिति और कलेक्टर के चक्कर काट रहा है। मैंने भी दो दफा यहां सत्र में उठा दिया, उसके बाद भी उत्तर यह मिलता है कि उस पंचायत के सरपंच के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गयी है। मुझे कोई हर्ज नहीं, आप एफ.आई.आर. दर्ज करवाइये चाहे जांच कीजिये। जांच चल रही है, 1987 से और आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है। मेरी सरकार से यह मांग है, पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन है कि 24000 रुपये, जिनका मैं समझता हूं कि 1987 से लेकर 1995 तक का अगर ब्याज जोड़ा जाए तो वह एक लाख रुपये हो जाएगा, सरकार उन मजदूरों का पेमेंट कब तक कर देगी ? गरीब को गणेश मानते हैं, वह बारबार चक्कर लगा रहा है, बारबार इसमें आ रहा है। सरकार मान रही है कि 24,000 रुपये आज भी बकाया हैं, लेकिन उनको पेमेंट नहीं हो रहा। एफ.आई.आर. दर्ज करने से तो पेमेंट नहीं होगा, अगर आपका पैसा आपकी गलती से किसी सरपंच ने दे दिया और उसने गबन कर लिया तो उससे रिकवर कीजिये लेकिन उन मजदूरों को, जिन्होंने 22 रुपये में सुबह से शाम तक काम किया, पेमेन्ट होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा है। पहले आप यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी तक आया नहीं आपका।

श्री अरूण सिंह (डीग) : हां, मैं तो बाढ़ पर बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपके नाम किसी के आये नहीं। यह तो हरिसिंहजी ने हाथ खड़ा किया, जो मैंने कहा। अच्छा आप बोल दीजिये (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : हमारा था।

श्री अध्यक्ष : किस पर ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सामुदायिक विकास पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा भी था उस पर।

श्री अध्यक्ष : केवल शिवनाथ सिंह जी का ही था, विराजें आप। मैं बुला लूंगा।

एक माननीय सदस्य : दोनों का कम्बाइन कर दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका कट मोशन अस्वीकार हो गया।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा भी अस्वीकार हो गया क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो आप लिस्ट दे दो।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक नयी परिकल्पना के साथ राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गयी। संविधान संशोधन के बाद नया कानून बन कर यह आशा और अपेक्षा की गयी थी, कि इससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नयी क्रांति आएगी, नये अधिकार, संसाधन के साथ पंचायती राज संस्थाएं स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में मजबूत बनेंगी मगर इस अधिनियम के आने के बाद लगभग डेढ़ वर्ष होने आया, उसके न तो कोई नियम बने न उसकी प्रक्रियाओं में कोई विशेष उत्साहजनक वातावरण निर्मित हो पाया है। हालत तो यह है कि एक ओर पंचायती राज संस्थाओं में पिछले कई वर्षों से काम और योजनाओं में वृद्धि हुई है, दूसरी ओर उन संस्थाओं के प्रशासनिक स्तर का अवमूल्यन हुआ है। इन संस्थाओं में घपलेबाजी, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का जो एक वातावरण बना है उसके पीछे मेरी यह मान्यता है कि जब से यह अध्यापकों से बने हुए या पशुपालन के डाक्टरों से बने हुए अधिकारियों को इतनी बड़ी संस्थाओं में आपने लगाया है तब से पंचायती राज संस्थाओं का निश्चित रूप से अवमूल्यन हुआ है, अनियमितताएं बढ़ी हैं और धन का दुरुपयोग इसमें ज्यादा बढ़ा है।

मेरा सबसे पहले यह अनुरोध है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी जब तक इन पंचायती राज संस्थाओं में नहीं लगाये जाएंगे तब तक इनका गरिमामय स्थान नहीं बन पाएगा। इनके प्रति जन आस्था निश्चित रूप से कम होती जा रही है।

पंचायती राज मंत्रीजी ने पंचायती राज सेवा के नाम से कोई प्रस्ताव किया है। अब उस सेवा का क्या स्तर होगा, कैसा होगा यह मैं नहीं कह सकता। पर मैं स्वयं पंचायत समिति का 13 वर्ष तक प्रधान रहा था। उस 13 वर्ष के समय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों के माध्यम से जो कामकाज होता रहा है वह मानचित्र मेरे मानस में देखता हूं और आज के हालात देखता हूं तो रात-दिन का बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए पंचायती राज को यदि मजबूत बनाना है तो इसमें इंटीग्रिटी के अच्छे अधिकारी लगाएं जो नीचे से चल कर आगे बढ़े हैं। राज्य सेवा से नीचे के अधिकारी प्रशासन में लगाना इन पंचायती राज संस्थाओं के साथ खिलवाड़ होगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आज पंचायती राज संस्थाओं की हालत यह हो गयी नये

144

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चुनावों के बाद कि आरक्षण के बाद महिला वर्ग एस.सी., एस.टी. बैकवर्ड क्लास के सरपंचों के साथ जिस तरह का व्यवहार मैं देखता हूं, ढाई-तीन वर्ष तक रहने वाले प्रशासकों ने अपनी दुनिया, अपने तौर-तरीके अलग ढंग से चलाये हैं। पंचायती राज के कंसेप्ट के खिलाफ सारा काम हुआ है आज जो नये चुन कर आये हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ समन्वय नहीं है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता है। वे महिलाएं आये दिन फिरती रहती हैं और जगह-जगह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग जैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पढ़े-लिखे इसमें आवश्यक नहीं हैं तो बिना पढ़े हुए भी आ गये। कई जगह उन्हें कोई गांठता ही नहीं है, उनका स्थान उनको ठीक ढंग से नहीं मिलता, उनकी बातचीत को कोई अहमियत नहीं दी जाती है इसलिए आज की स्थिति बहुत दयनीय है। हालात इस प्रकार के हैं कि प्रशासक और सचिव पांच-पांच, सात-सात वर्षों से वहीं जमे हुए हैं। पंचायती राज मंत्रीजी ने कहा था दो-तीन वर्ष पहले कि जो तीन-तीन, चार-चार वर्ष से अधिक समय से हैं उन सब का परिवर्तन होगा। मैं समझता हूं यह परिवर्तन कहीं हुआ नहीं है। उसके आधार पर पंचायती राज संस्थाएं बहुत गड़बड़ा रही हैं, जगह-जगह हालात खराब हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी तीन-चार पंचायतों पर बल्कि कहीं-कहीं पांच-पांच पंचायतों पर एक-एक सचिव है। न उनकी नियमित बैठकें होती हैं न उनका कोई कार्यक्रम होता है। ग्राम सभाओं के नाम से आपने बहुत बड़ा प्रावधान किया, लेकिन केवल रजिस्टर्स में दस्तखत कराये जा रहे हैं, और कायदे से ग्राम सभाएं होती नहीं हैं। अधिकारी कोई पहुंचता नहीं, कर्मचारी उसमें पहुंचते नहीं और ये ग्राम सभाएं खानापूर्ति के रूप में हो जाती हैं जिनको ग्राम की विधान सभा के रूप में स्थापित करने की बात कही गयी थी। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कानून जो भी बनाया वह सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से भी हमारी एक बार चर्चा हुई थी, वे कहते हैं और पंचायत मंत्रीजी ने भी मुझे बताया कि राजस्थान का कानून सारे देश में सबसे अच्छा कानून है और जिसका सबसे अच्छा अनुसरण हो रहा है। अगर ऐसे कानून का ही सारे देश में अनुसरण हो रहा है तो पंचायती राज की महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और जय प्रकाश जी नारायण ने जो कल्पना की थी वह नेस्तनाबूद हो गयी है यह मेरी मान्यता है। वर्तमान हालत को देखते हुए तो सबसे पहले नियम बनाने बहुत आवश्यक हैं। इस पंचायती राज का एक्ट भी बनाया गया। सब लोगों के साथ बैठ कर चर्चा की गयी, उस समय कई प्रकार के सुझाव दिये गये पर उन सुझावों को इस समय कोई मान्यता नहीं दी और कहा कि यह ठीक नहीं वह ठीक नहीं। आज पंचायती राज मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी मेरे ख्याल से मानते होंगे कि उनकी आवश्यकता है। इस तरह की स्थितियां हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आज पंचायतों में योजनाएं बराबर नहीं चल रही हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। आज जंचे जिस ढंग का काम हो रहा है। न वहां के प्रतिनिधियों को पूछा जाता है न कोई बात हो रही है। आपने कोई निर्देश निकाल रखा है कि प्रति सप्ताह विधायकों को सात दिन जीप मिलेगी। वह आदेश अपने आप में इतना अस्पष्ट है, आज राजस्थान के लगभग सभी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विधायकों को पूछ लीजिये आप, उसकी कोई परिपालना नहीं हो रही है। ऐसा आदेश निकाला गया कि पंचायत समिति के प्रधान से अनुमति ली जाए, वे आपके दौरे का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर वे किसी प्रसार अधिकारी को साथ भेजेंगे। क्यों आप अपमान करवाते हो? ऐसे आदेश को या तो वापस लीजिये या स्पष्ट तौर से आदेश दीजिये कि सप्ताह में दो दिन विधायकों को जीप उपलब्ध हो ताकि वे उसके माध्यम से विकास कार्यों का नियंत्रण और देखरेख कर सकें। तब तो कुछ काम होंगे वरना तो कागजों में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी कई जगह मस्टररोल भर-भर कर दे दिये जाते हैं, देने के बाद मौके पर जाकर देखते हैं तो काम नजर नहीं आता है। इनके लिये करोड़ों रुपये भारत सरकार से भी आ रहे हैं और राज्य सरकार की योजनाओं से भी जा रहे हैं पर उनके मुकाबले गुणात्मक ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। उनका भुगतान 6-6 महीने से नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में आठ-आठ, दस-दस महीने से पेमेंट बाकी है। पिछली विधान सभा में मैंने उठाया तो कुछ पेमेंट हो गया, उसके बाद पेमेंट कोई नहीं करते, ओवरसियर का तालमेल नहीं बैठता। रोज ट्रांसफर्स, पोस्टिंग होते रहते हैं। ओवरसियर्स नहीं होने से काम की नपती नहीं होती है, भुगतान नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि पंचायत राज को चाहे अधिकार कम दो पर सही मंशा के साथ ऐसे अधिकार दो, संसाधन दो ताकि वे लागू हो सकें।

आपने वित्त आयोग बनाया। वित्त आयोग की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं कि क्या-क्या संसाधन देंगे, कब देंगे, क्या देंगे। यह कार्यकाल तो मैं समझता हूं प्रायः समाप्त हो जाएगा।

पिछली विधान सभा में घोषणा की गयी थी कि पंचायती राज पर विधायकों की या सब तरह के लोगों की एक कमेटी बनायी जाएगी। वह न तो आज तक कमेटी बनी न उसके बारे में किस तरह की प्रक्रिया आगे रखनी है, क्या नियम बनने हैं वे बने। अध्यक्ष महोदय, भूमि विक्रय की स्थिति इतनी गम्भीर है कि बड़े-बड़े गांवों में लाखों रुपये की जमीनों को मामूली पैसे में मनमाने ढंग से विक्रय कर कागज तैयार कर लिये जाते हैं और उसके बाद अतिक्रमण बड़ी तादाद में हो जाते हैं। इनको देखने के लिए अधिकारी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कानूनों में जब कोई समस्या आती थी तो जिला कलेक्टर्स को कई धारा में अधिकार थे पर इस नये एक्ट में, जिला कलेक्टर के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे कोई पावर नहीं, आप किताब देख लो और जिला परिषद में जाते हैं तो वे कहते हैं हमें भी कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है तो जनता की शिकायतें कौन सुने? लोग एफीडेविट लेकर घूमते हैं, प्रमाण लेकर घूमते हैं। जहां कहीं आवश्यकता हो यह व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जहां का तहां काम सही ढंग से हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, नया कानून ऐसी विसंगतियों का है कि जहां दीवानी और फौजदारी मामलों के छोटे-छोटे अधिकार न्याय पंचायतों या पंचायतों को हुआ करते थे, इस नये कानून में नदारद हैं। कोई 446 का मुकदमा या 323 में मारपीट के मुकदमे होंगे, वे कहां जाएंगे? सीधे कोर्ट में जाओ, यह व्यवस्था है आपकी। न्याय व्यवस्था को आपने इसमें कहीं लिया नहीं।

मंत्री महोदय बारबार कहते हैं सुझाव दो। सुझाव इस विधान सभा में देने बैठे तो घंटाभर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लग जाएगा इसलिए कृपा करके आप और बैठिये, सुझाव भी लीजिये। इसमें मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। पंचायती राज आज जनता का कार्यक्रम होना चाहिए। इसका आप जितना राजनीतिकरण करेंगे उतना ही पंचायती राज का कंसैप्ट समाप्त हो जाएगा। हमारे यहां का मैं उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे जो चुनाव हुए उन चुनावों की मैं समझता हूं, मंडी की जो स्थिति होती है वह स्थिति हो गयी। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को जिसको सिम्बल दिया गया, एक वोट आया था और जो निर्दलीय व्यक्ति कांग्रेस के सिम्बल पर जीतकर गये, निर्दलीयों के साथ जुड़ गये वह प्रधान बन गये। यह क्या व्यवस्था है आपकी? इस तरह से खरीद फरोख्त का धंधा बहुत बढ़ा है।

हमने यह सोचा बाड़ेबंदी समाप्त होगी पर (व्यवधान) आप सुनिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं बाड़ेबंदी समाप्त नहीं हुई है। लाखों रुपये चुनाव की दरें हो गयीं। एक-एक जिला परिषद के मैम्बर की रेट दो-दो तीन-तीन लाख रुपये हो गयी। एक-एक पंचायत समिति के मैम्बर की रेट डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये हो गयी। उप मुख्य मंत्री भाभड़ा साहब अपने कलेजे पर हाथ रखकर देख लें, आपने राजस्थान में देखा होगा, सुना होगा इस पंचायती राज व्यवस्था का क्या हश्र हो गया। आज पंचायती राज में भ्रष्टाचार कैसे नहीं होगा? लोग पैसों के बल पर चुनकर जा रहे हैं और वहां जाने के बाद _(व्यवधान)।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सब गड़बड़ी निर्दलीय लोग करते हैं। ये निर्दलीय लोग खड़े हो जाते हैं और सब पार्टियों को बिखेर देते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे भाभड़ा जी कह रहे हैं, निर्दलीय करते हैं गड़बड़ी। रतन लाल ताम्बी तो वह उदाहरण है _(व्यवधान)।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके लिये नहीं कह रहा हूं, पंचायत के लिये कह रहा हूं – (व्यवधान)।

श्री रतनलाल ताम्बी : अच्छा, वहां कह रहे हैं? भाभड़ा जी, आप भी मुख्य मंत्रीजी की लाइन पर चलने लगे? एक बार मुख्य मंत्रीजी ने निर्दलीयों के लिये कुछ कह दिया था पर मुख्य मंत्रीजी को भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि सरकार किससे चल रही है। निर्दलीयों की बैसाखियों पर सरकार चल रही है और आप उन बैसाखियों के बारे में ऐसा कहेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। निर्दलीयों को जनता कब चुनती है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक मिनट, मुझे बीच में सुन लीजिये। आपने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई में इस पंचायती राज व्यवस्था से गांवों का वातावरण अत्यन्त विषाक्त हो गया है इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सारे सिस्टम को जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक गांव में रीयल पंचायती राज नहीं आएगा। वहां पर जो चुनकर आ गये, तिकड़म से आ गये। वे मनमानी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। इतने झगड़े हो गये हैं कि जहां गांवों में यह हालत थी कि बाहर से कोई आदमी आता था तो सारा गांव उसको अपना आदमी समझता था, आज किसी के घर में आप चले गये तो दूसरे घर वाले वैसे ही नाराज हो जाएंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बिलकुल सही

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

है मगर इसमें पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

अब पंचायत की सारी व्यवस्था संवैधानिक हो गयी है। उस व्यवस्था को बदलना किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इसलिये वह तो केन्द्र से ही बदली जाएगी।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भाभड़ा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि पंचायत व्यवस्था का स्वरूप जो बिगड़ा है वह पहले तो सेण्ट्रल एक्ट से हुआ। सेण्ट्रल एक्ट के बाद में आपने पंचायत एक्ट का इतना सत्यानाश कर दिया है कि सारी व्यवस्था गड़बड़ा गयी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ था, केन्द्रीय सरकार ने भी उस संविधान में काफी विसंगतियां रखी हैं और उन विसंगतियों के कारण बहुत बड़ी विकृति आयी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन विकृतियों के साथ में प्रदेश की सरकार को भी जहां-जहां अधिकार था, उन खिड़की-दरवाजों में जहां-जहां पोल नजर आयी उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी। मतलब लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का कन्सैप्ट और मंशा थी पर ज्यादा इसमें केन्द्रीयकरण किया गया और ज्यादा अंकुश रखने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : बस कर रहा हूं। उससे पंचायती राज कमजोर हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पंचायती राज बी.जे.पी. और कांग्रेस का मत बनाइये, पंचायती राज को राजस्थान की जनता का रखिये। इसको बिना दलीय आधार पर रखिये। आपने दलीय टिकट देने और दलीय आधार पर चुनाव लड़ाने की जितनी परम्परा निकाली इससे राजस्थान का पंचायती राज नेस्तनाबूद हो गया। इसलिये मेरा यह आग्रह है कि चाहे म्युनिसिपैलिटी हो चाहे पंचायती राज हो, इनको आप दलदल में मत डालिये। वरना विकास तो होता नहीं है, रोज झगड़े होते हैं म्यूनिसिपैलिटियों में, आप रोज अखबारों में देख रहे हो, क्या हो रहा है। पंचायत समितियों में झगड़े रोज किस प्रकार के हो रहे हैं, जिला परिषदों में किस प्रकार के हो रहे हैं? इस आधार पर यह सारी व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। इससे हमारा समग्र विकास रुक गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पंचायती राज के सिस्टम में सुधार किया जाए। मंत्रीजी की मंशा है, कई बार चर्चा भी होती है उस मंशा को बैठकर बात कीजिये और सब लोगों से मिलकर इस पंचायती राज का नया स्वरूप ऐसा बनाइये जिससे राजस्थान के जन जीवन की पूरी खुशहाली हो, उसका विकास हो। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष जी, आज सामुदायिक विकास पर चर्चा हो रही है। सामुदायिक विकास का संबंध सीधा गांवों से है। पिछले वर्ष पंचायती राज की सभी संस्थाओं के चुनाव हुए और लोगों ने बहुत आशा और विश्वास के साथ यह सोचा था कि नया एक्ट आने के बाद पंचायती राज संस्थाएं ज्यादा काम करेंगी। पर, अभी भाभड़ा जी भी कह रहे थे, ठीक उसका उलटा हुआ। लोग आज यह कहने लग गये कि विकास के लिये पहले का पंचायती राज का सिस्टम बहुत बढ़िया था। खूब नीलामियां हुईं, जो होना था वह सब कुछ हुआ। आज ग्राम

(श्री परसादीलाल मीणा)

पंचायतों के पास, सरपंचों के पास विकास के पूरे काम हैं। जे.आर.वाई. का पैसा, इंदिरा आवास का पैसा सारा ग्राम पंचायत के पास है। पर आज ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यह अधिकार नहीं है कि पंचायत समिति में जाकर उसको कहीं बैठने की जगह मिल जाए। पंचायत समिति में लोग आ गये अपनी तिकड़म से, पैसे भी जिनके पास और विकास नाम की कोई जिम्मेवारी नहीं, जिनके पास कोई काम नहीं है। सरपंच को न वहां पर जे.ई.एन. गांठता है, न बी.डी.ओ. गांठता है और न अकाउंटेंट गांठता है। उनको हर कदम पर हर अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है। जे.आर.वाई. का काम हो चाहे दूसरे काम हों यह सही है, आज सरपंच जितने परेशान हैं इतने परेशानी में कभी भी नहीं आये। जबकि उलटा किया है कि सारे विकास की जिम्मेदारी सरपंच पर है। आज ग्रांच पंचायतों का जो अस्तित्व है वह एक तरह से समाप्त होने को जा रहा है। जो नया एक्ट आया, चाहे वह सेण्ट्रल ने बनाया वह पूरा का पूरा उलटा है। यह सिस्टम ही गलत है। जिन लोगों के पास अधिकार होना चाहिये आज उन लोगों के पास नहीं है। पंचायत समिति में प्रधान उनकी सुनता नहीं है। प्रधान कहता है मुझे तो इन लोगों ने बनाया है ये जो कहेंगे वहीं मैं करूंगा। कहीं पंचायत समिति का मैम्बर कौन आ गया, सरपंच कौन आ गया। आपस में ऐसा विरोधाभास है कि जिससे गांवों के विकास का सत्यानाश हो रहा है।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि आज जो महिलाएं आयी हैं चुनकर, कहीं अशिक्षित भी आ गयीं, कहीं हरिजन भी आयी हैं, सब तरह की महिलाएं आयी हैं। सैक्रेटरी लोग आज ग्राम पंचायत में मीटिंग होती है तब भी वहां पर नहीं जाते हैं। सैक्रेटरी जहां रहता है हैडक्वार्टर बनाकर वहां पर सरपंचों को जाना पड़ता है। वह कहता है मेरे पास में तो तीन पंचायतें हैं। कई सैक्रेटरियों के पास जो बी.डी.ओ. और प्रधान के अति निकट हैं, 7-7, 8-8 पंचायतें हैं, 10-10 पंचायतें हैं। ऐसी हालत में गांवों का विकास कैसे होगा? मंत्रीजी यहां हैं नहीं, भाभड़ा जी, सुन रहे हो? आज आपको एक ग्राम पंचायत में एक सैक्रेटरी लगाना चाहिये अगर गांवों में विकास चाहते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले सरपंचों के पास कोई काम नहीं होता था, केवल पट्टा बनाने का काम होता था। आज इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं चाहे केन्द्र की हों चाहे राज्य की हों। सारा उसका एग्जीक्यूशन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, सारी जिम्मेदारी सरपंचों की होगी। सरपंच के पास सैक्रेटरी नहीं है, सरपंच के पास कागज के लिये बजट ही नहीं है, आखिर होगा कैसे विकास? आज हम सब कहते हैं कि गांवों को यह पैसा दें, यह विकास कराओ पर सरपंच कराएगा कहां से जब उसके पास में सैक्रेटरी नहीं होगा? अगर उसके पास सही साधन नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? सैक्रेटरी वहीं बैठकर मस्टररोल भरेगा। आज कहते हैं हम गांवों को रोजगार देंगे और वहां सैक्रेटरी बैठकर 10 पंचायतों की एक साथ मस्टररोल भरता है। आधी फर्जी हाजरियां होती हैं, आधी सही होती हैं। पता नहीं क्या गोलमाल हो रहा है? गांवों के विकास का जो पैसा सही रूप में आ रहा है उसका 80 प्रतिशत पैसा आज भ्रष्टाचार में जा रहा है। चाहे जे.आर.वाई. का पैसा हो, चाहे इंदिरा आवास का। आज सर्वे करा ले गवर्नमेंट, एक भी इंदिरा आवास का आवासी यह नहीं कहेगा कि मुझे

(श्री परसादीलाल मीणा)

बिना पैसे दिये मिला। सैक्रेटरी को पैसा देना पड़ता है, जे. ईएन. को पैसा देना पड़ता है और आपके अकाउंटेंट बिना पैसे दिये उसका बिल पास नहीं करते। आज पंचायत समिति में हालत देखो, भीड़ लगी रहती है। साहब, हमको पेमेण्ट करने के लिये कहा था, आज वह अकाउंटेंट नहीं आया, बी.डी.ओ. नहीं आया, फलां नहीं आया। रोज भीड़ लगी रहती है। हम पंचायत समितियों में जाते हैं, जब तक अकाउंटेंट को, बी.डी.ओ. को और दूसरे संबंधित अधिकारियों को उसकी किश्त में से उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक उसको पेमेण्ट नहीं होता है। इस तरह के हालात हैं, इस सरकार को सही विकास करने के लिय इन हालात को ठीक करना चाहिये। आज गांवों की प्राइमरी स्कूलों में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। एक अध्यापक है, महीने में गया कि नहीं गया उसका कोई पता नहीं है। आज गांवों में प्राइमरी स्कूल खोल दिये पर वहां पर भवन नहीं है, उनके लिये दरी पट्टी नहीं हैं, नीचे बैठते हैं बच्चे, जबकि कहते हैं कि हम सब स्कूलों में ब्लैक बोर्ड आपरेशन के तहत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मंत्रीजी हैं नहीं, भाभड़ा जी, आपने भी देखा होगा आपकी कांस्टीट्युएन्सी में कि बच्चे नीचे मिट्टी में बैठते हैं। आज हम उनको दरी-पट्टी नहीं दे सकते, आज हम उनके लिये व्यवस्था नहीं कर सकते। स्कूल हम खोल देते हैं। पर आज उनको यही पता नहीं है कि साल में कितने दिन हमारा स्कूल चलता है। हालात इस तरह के हैं आज गांवों का विकास हो, चाहे स्कूल हो चाहे दूसरी योजनाएं हों। मेरे कहने का अर्थ यह है, अध्यक्ष जी, कि गांवों के विकास के लिये हम जो यह अमेण्डमेंट लाए हैं नयें पंचायत एक्ट के तहत उससे गांवों का सत्यानाश हो गया। आज प्रधान को जिला परिषद में अपनी बात कहने का मौका नहीं है। प्रधान और जिला परिषद के मैम्बर उनकी बात मानते नहीं, जिला परिषद के पास कोई जिम्मेदारी नहीं विकास की। ये सारी बातें इस तरह की हैं कि जिनमें आपस में विरोधाभास है। आज गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हरिसिंह जी कह रहे थे, ट्रांसफरों में मनमर्जी हो रही है, जिसका कर दिया उसका कर दिया। दादागीरी हो रही है, नहीं किया तो नहीं किया। इस तरह का जो वातावरण बना है गांवों में, आज उस वातावरण को ठीक करने की आवश्यकता है। इस कानून में जो आप नियम बना रहे हैं और जो नये एक्ट में आप नियम बनाने की सोच रहे हैं कि नियम बनाएंगे, वे नियम बनाने के पहले आप विधान सभा में लाएं, हमारी पार्टी के नेता को या हमारे सदस्यों को बताकर ताकि पहले जैसी खामियां नहीं रह जाएं। उनको ठीक करने के लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के जो मैम्बर बने हैं असलियत तो, अध्यक्ष जी, यह है कि वे यह कहते हैं कि हमारे 1-1, 2-2 लाख रुपये लग गये। ये पैसे कैसे निकलेंगे, हमारे पास कोई काम ही नहीं है? किसने कहा था कि आप एक लाख-दो लाख-तीन लाख रुपये चुनावों में लगवाओ ? किसने कहा था ? वे कहते हैं कि एम. एल. एज. को भी तो तनख्वाह मिलती है हमारी भी पे वगैरह कराओ। यह ऐसा भ्रष्टाचार है। सरपंचों को वे लोग खाने को दौड़ रहे हैं, कि सरपंच को खा जाएं। हमारी बिना सलाह के हमसे बिना पूछे सरपंच का पंचायत समिति में कोई काम नहीं हो, जिला परिषद में कोई काम नहीं हो। यह विरोधाभास पैदा होकर आया है। मास्टरों के ट्रांसफर इधर के उधर कर दिये। ठीक है, प्रधान को अधिकार है, जिला प्रमुख को अधिकार है

(150)

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर, जैसा हरिसिंह जी कह रहे थे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी, चाहिए कि जिसका एक साल बकाया है उसका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद उसकी डैथ हो गयी। ऐसे अमानवीय कार्य आज जिला परिषदें और पंचायत समितियां कर रही हैं, बहुत ही दुखदायी घटना है।

माननीय मन्त्री जी अब आये हैं, मैं इनको बधाई दूंगा। बहुत यंग हैं। एक्ट के समय भी ये बहुत एक्टिव थे और आज भी पंचायती राज संस्थाओं के प्रति इनका लगाव है। मेरी ओर से, मन्त्री जी, आज आपके बी.डी.ओ., अकाउन्टेंट, जो दो-दो चार-चार साल से बैठे हैं इनको सबको एक बार इधर से उधर कर दो। अकाउन्टेंट दो साल से बैठा है पंचायत समिति में, उसने खूब कमा लिया। खूब लखपति हो गया। जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे आज वे मोटर साइकिल पर चलते हैं। आज अकाउन्टेंट और दूसरे जो पंचायत समितियों में बैठे हैं उन्होंने अपनी जागीर समझ रखी है। आज उन्होंने भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे हैं। जितने भी अकाउन्टेंट हैं सबको आप विभाग में भेजकर नये अकाउटेंट वहां पर अपाइन्ट कराइये, आपका आधा भ्रष्टाचार तो इससे दूर हो जाएगा। जो आपने बी.डी.ओ. लिए हैं डाक्टर और एनिमल हस्बेंड्री से, आप इन सबको वापस भेज दो। क्या जरूरत है डॉक्टर की यहां, यहां तो गांवों का विकास करना है। आज डवलपमेंट का आदमी, कोई भी रैंक का आदमी गांवों के विकास को समझता हो। इन बी.डी.ओज की क्या जरूरत है? एक डाक्टर को बी.डी.ओ. बना दिया आपने। जो आपका पंचायत प्रसार अधिकारी है, गांवों के विकास में जिसका जुड़ाव है, एक्सटेंशन ऑफिसर है जो गांवों के विकास से जुड़ा हुआ है, चाहे वह सैक्रेटरी ही क्यों नहीं हो, उसका प्रमोशन कर आप उनको लगाइये जो विकास में समझते हों। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर यह नहीं समझते कि जे.आर.वाई क्या होती है, इन्दिरा आवास क्या होती है। ये योजनाओं को जानते नहीं। आज आई.आर.डी.पी. के तहत ये यह नहीं जानते कि इनको क्या दिलाना है क्या नहीं। उनका काम है कमीशन खाना। वे कहते हैं कि हम 200-300 रुपये तो प्रैक्टिस करते हैं तब ही कमा लेते हैं, हम पंचायत समिति में आकर क्या लेंगे। अगर कमाएंगे नहीं तो हम करेंगे क्या यहां? इस इन्ट्रेस्ट से लोग आए हैं कि पंचायत समिति में कमाई होगी इसलिये एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स आपने बी.डी.ओ. के पद पर लगाये हैं आप सबको हटाइये।

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी, समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : अगर इस व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो आप सरकार से कहिये कि सभी जगह आर.ए.एस. अधिकारी लगा दो। आर.ए.एस. अधिकारी लगा दें तो यह सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। आपके सामने भी मजबूरी है कि बी.डी.ओ. को आज हटा दो, कल हटा दो, फिर उसको लगा दो, इसको लगा दो। आर.ए.एस. अधिकारी आधी पंचायत समितियों में तो आपके हैं ही और आधी पंचायत समितियां जो बची हैं उनमें भी आप सरकार से कहकर चाहे आर.टी.एस. लेवल के हों, चाहे आर.ए.एस. लेवल के हों, पर लगाइये प्रशासनिक अधिकारी। इन बी.डी.ओज को इनके असल डिपार्टमेंट में वापस भिजवा दो। भ्रष्टाचार का अड्डा खोला है तो ये डॉक्टर जो पंचायत समिति में आये हैं इन्होंने खोला है। इनका कहना है, मन्त्री जी, आपको तो कहते नहीं पर जब लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि पांच सौ रुपये रोज की

(श्री परसादीलाल मीणा)

तो हमारी प्रैक्टिस है। अगर पंचायत समिति में काम नहीं करने आये हो तो क्या भाड़ झोंकने आये हो? ऐसी जिनकी सोच है वे लोग, मन्त्री जी, गांवों का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। मेहरबानी करके आप प्रशासनिक अधिकारी लगाइये। सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। आज सरपंचों को पंचायत समिति में कोई बैठने नहीं देता है, बी.डी.ओ. उनको फटकने नहीं देता है। सरपंच कहता है कि वह पंचायत समिति का मैम्बर, जिला परिषद का मैम्बर, वह कहेगा तो काम होगा नहीं तो सरपंच वन, टू, थ्री। इस तरह के हालात पैदा हो गये। आप सिस्टम को देखिये, जो पंचायत एक्ट की भावना है अगर इसमें कहीं कमी आये तो आप नियम बनाइये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्रीमती मनोरमा जी।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार राजस्थान में पंचायती राज की सभी संस्थाओं के चुनाव हो गये। आज राजस्थान में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा प्रमुख के रूप में राजस्थान की 38 हजार के लगभग महिलाएं चुनाव जीतकर आयी हैं। इतना ही नहीं, आज सभी वर्गों एवं जातियों की महिलाओं को पंचायती राज में कार्य करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी तथा पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र की 15 पंचायतें पंचायत समिति धौलपुर में आती हैं तथा धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की सात पंचायत समितियां राजाखेड़ा में आती हैं। इससे विकास की दृष्टि से समन्वय नहीं हो पाता और विकास कार्यों को अपेक्षित अंजाम नहीं मिल पाता। इसलिये पंचायती राज मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि विधान सभा के आधार पर पंचायत समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री जी से मेरा एक और निवेदन है कि जिन व्यक्तियों के पास पचास-पचास बीघा जमीनें हैं उनका नाम चयनित में लिखा हुआ है और जिन व्यक्तियों के पास एक बीघा भी जमीन नहीं है उनका नाम चयनित परिवार में नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन कामों में सहयोग करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आप सामुदायिक विकास कर रहे हैं, बाड़मेर जिले का हमेशा नक्शा देखते हैं तो जो शिक्षा का प्रतिशत है उसमें राजस्थान में सबसे पीछे हैं हम और खास तौर से जो महिलाओं की शिक्षा है वह सात प्रतिशत है। अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि 165 स्कूल अभी खोलने बाकी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का रेशो क्यों रखते हैं कि सबको बराबर बांटें? बाड़मेर जो सबसे पीछे है उसको भी आप दो स्कूल ही देते हैं और दूसरे जो आपसे मांग ही नहीं कर रहे हैं प्राथमिक पाठशालाओं की–हाई स्कूलों की करते होंगे, वहां भी आप वह का वह रखते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, सदन के नेता विराजमान हैं, जिस प्रकार उड़ीसा के अन्दर आठ जिलों का चयन किया

(श्री अमराराम चौधरी)

गया और चार सौ करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री ने घोषणा की वहां, बाड़मेर जिला भी वैसा ही एक बैकवर्ड जिला है। पाटौदी गांव 29 किलोमीटर की सरहद में है, गांव चार बने हैं, पंचायतें चार बनी हैं लेकिन, आपको मालूम है पांच-पांच किलोमीटर से लड़के आते हैं। कालाथल है वहां स्कूल है तो लखाणियां जहां दर्जियों के डेढ़ सौ घर हैं वहां स्कूल नहीं है। आज पचास-साठ ऐसे स्थान हैं, ऐसी ढाणियां हैं जहां स्कूलों की आवश्यकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि दो-दो, तीन-तीन सौ लड़के स्कूलों के अन्दर आएंगे। अभी तक आपने दो स्कूल खोले हैं उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन आप बाड़मेर जिले में जहां शिक्षा का सवाल है विकास करें। पंचायतों में आपके जो महिला प्रतिनिधि आएंगी, गांवों में जो महिलाएं सरपंच बनी हैं करीब-करीब अंगूठा छाप हैं। आप ताज्जुब करेंगे, पंचायत समिति बालोतरा में ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ चार प्राइमरी स्कूल हैं। एक पाटौदी में है, एक जसोल में है, एक पचपदरा जसोल और पचपदरा ये दोनों शहर टाइप ही हैं और एक असाड़ा में है, बाकी पूरे क्षेत्र के अन्दर कोई कन्या पाठशाला नहीं है। एक पाठशाला पहले करवायी थी 1984 में। इसके अलावा मैं मांग कर रहा हूं कि बजट में जो एक-दो स्कूल आप दे सको तो एक रेवेन्यू गांव है जिसमें एक भी स्कूल नहीं है, वह है गोदावास खुर्द वहां आप कन्या पाठशाला दे दें। हमें जरूरत नहीं है कि आप बायज के लिये दो। आप कन्या पाठशाला दे दो। वहां की सरपंच भी स्त्री है और अंगूठा छाप है। यह कहेंगे कि बाई ये जब लड़कियों की स्कूल खुली है तो तू और पढ़। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह सरकार सम्पूर्ण-साक्षरता का जो अभियान चला रही है, लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, जन विकास शिविर लग रहे हैं लेकिन सबसे जो कंस्ट्रक्टिव काम है, रचनात्मक कार्य हैं—

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें अब। मुख बंद का समय 6 बजे के लिये कहा हुआ है।

श्री अमराराम : ऐसे क्षेत्रों में आप ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्कूल खोलें। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, इस साल पहले शुरू में तो अतिवृष्टि हुई। मेरा कुछ लूणी का है। बाढ़ की बात है, गोलसोड़ा गांव बिलकुल ही किनारे पर आ रहा है। उसकी तटबंदी कराना बहुत जरूरी है। दूसरा भी लूणी नदी का अधूरा कार्य आपका जो है तटबंदी का वह तटबंदी का कार्य करवाया जाए ताकि भविष्य में लूणी नदी पर जो पानी आने पर है उससे किनारे के जो गांव हैं, किनारे पर जो काश्तकार बसे हुए हैं उनके खेत नहीं कटें। मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री हरजीराम जी।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को पंचायती राज व्यवस्था पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : 6 बजे मुखबंद है, इसके पहले मंत्रीजी को इसका जवाब भी देना है।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं तो दो ही मिनट लूंगा। ये दोनों तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें सेन्ट्रल एक्ट डिफैक्टिव है, यह कह कर हर बात को टाला जा रहा है। मेरा इसमें निवेदन है कि सेन्ट्रल एक्ट इस बात में आड़े नहीं आता कि आप विकास अधिकारी किस सेवा का लगाएंगे। आपने विकास अधिकारी इतनी हल्की सेवा के अधिकारियों को लगाया

(श्री हरजीराम बुरडक)

है- कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर है, डॉक्टर है, कि इससे सारे पंचायती राज का सत्यानाश हो गया। आपको चाहिये कि कम से कम आर.ए.एस. अधिकारी को पंचायतों में विकास अधिकारी लगाएं। इसमें कहीं सेन्ट्रल एक्ट आड़े नहीं आता। दूसरा, ग्राम सेवक हर पंचायत में हो इसमें कहीं सेन्ट्रल एक्ट आड़े नहीं आ रहा। एक-एक ग्राम सेवक को आपने पांच-पांच पंचायतें दे रखी हैं तो कहां ग्राम सेवक आएगा और कैसे पंचायत का काम होगा? इसके अलावा पंचायत समिति का जो स्टाफ है मास्टर, ग्राम सेवक और लिपिक, पंचायत समिति उनकी अपाइन्टिंग आथोरिटी है लेकिन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में उनका कोई हाथ नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि उस अपाइंटिंग आथोरिटी को स्टाफ को चेतावनी तक का दंड देने का अधिकार नहीं है। इसमें भी आपका सेन्ट्रल एक्ट कहीं आड़े नहीं आ रहा है। जब तक आप इसमें कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक पंचायती राज का नाम मात्र होगा। इसके अलावा मास्टरों के चयन की जो प्रक्रिया बना रखी है उसमें इतना लम्बा चलता है कि गांवों में 21 जिलों में आज हजारों मास्टरों की जगह खाली पड़ी है लेकिन मास्टरों का चयन नहीं होता। स्कूलों की दुर्दशा हो रही है और कई पंचायत समितियों में स्कूलें बंद पड़ी हैं। आपने यह भी बना रखा था कि कम से कम दो मास्टर होंगे, सिंगल टीचर कोई स्कूल नहीं होगी। लेकिन आज हालत ऐसी है कि कई स्कूलों में एक भी मास्टर नहीं है। इसमें कहीं आपका सेन्ट्रल एक्ट आड़े नहीं आता। दूसरा यह है कि कलेक्टर को इस एक्ट में आपने कोई अधिकार नहीं दिया लेकिन कलेक्टर हस्तक्षेप करके चाहे जो आर्डर पास कर देता है। राज्य सरकार की तरफ से उस आर्डर को कैंसिल करने का या हस्तक्षेप करने का आपने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। इस एक्ट के अनुसार कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चाहे जहां हस्तक्षेप करके कलेक्टर चाहे जो आर्डर पास कर देता है और आपकी तरफ से उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका सेन्ट्रल एक्ट से कोई लेना देना नहीं है इसलिये आप इस पर विचार करें। दूसरा यह कि कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें 80-80, 90-90 पंचायतें हैं और कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें 30 पंचायतें हैं इसलिये सब में पंचायतों की संख्या बराबर हो इस प्रकार की कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। — (व्यवधान)— 6 बजे मुखबंद का समय दिया हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट हमारी भी बात सुन लें। एक-एक मिनट दें, सुझाव की ही बात है, साहब, सुझाव है — (व्यवधान) — एक मिनट।

श्री विष्णु मोदी : एक -एक मिनट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो सुझाव हमको देने हैं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सेन्ट्रल एक्ट के डिफेक्टिव होने की बात करके आपने यह बात कही है, मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी भी कोई पापुलरिटी हो नहीं रही है और पंचायती राज बिलकुल डूब रहा है। आपने सरपंच को मैम्बर नहीं रखा पंचायत समिति का और प्रधान को मैम्बर नहीं रखा जिला परिषद का। जब तक प्रधान जिला परिषद का मैम्बर नहीं होगा, जब तक सरपंच पंचायत समिति का मैम्बर नहीं होगा तब तक यह पंचायती राज क्या रहा और यह चलेगा कैसे? समस्याएं गांव की लाएगा कौन और

154

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कौन पंचायत समिति में पेश करेगा ? जितने ये मैम्बर्स आये हैं ये तो टू, थ्री ग्रेड के लोग हैं। पंचायत समिति के अन्दर फर्स्ट ग्रेड का आदमी हो तो सरपंच बनाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं आपसे केवल एक ही जानकारी करना चाहूंगा, जिस समय कानून बना उस समय आपकी तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया—

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त हमें ध्यान नहीं था। अब आपको भी प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : कोऑर्डिनेशन रखा जाए। ...(व्यवधान)... सुझाव आये थे उनको आपने रिजेक्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : विराजें। ...(व्यधवान)...

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सजेशन दिये और कुछ वे अपने सुझाव दे रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गम्भीरता से विचार करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, यह पलट कर जो आरोप लगाते हैं, मैं आपकी स्मृति को वापस ताजा करना चाहता हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी आप सलेक्ट कमेटी बनाइये और म्यूनिसिपैलिटी की बन गयी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको इस सदन में ही पास किया जाए। इसको डिटेल में देखना चाहिये। आपने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, इन बातों में जिस तरह से आपकी अभिव्यक्ति रहती है आर्बिट्रिरी। हमने कोशिश की कि आपसे बात करें। दो दिन तक आप जयपुर में बैठे रहे फिर आप दिल्ली में पधार गये थे। हम आपके घर पर भी आये। आर्डिनरी में मैं आता नहीं हूं आपके घर पर। (व्यवधान) दो सालों में तो शायद एक या दो दफा आया होऊंगा, एक दफा ही बल्कि उसी दिन गया था।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह सलेक्ट कमेटी नहीं होने की वजह से जल्दी में जिस तरह से बिल पास हो गया, आप भी खुद उसको महसूस करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मैं उसको आधार नहीं मानता। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम विचार कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री परसराम मदेरणा : करनी चाहिये थी आपको।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री विष्णु मोदी : पंचायती राज का गांधी जी ने ...

श्री अध्यक्ष : मुख बंद होना है, आपको जवाब देना है।

श्री विष्णु मोदी : यह सपना दिया था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और पंचायती राज की व्यवस्था हो। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोलें। आप चालू करें। मेरी मजबूरी है, आप विराजिये। ... (व्यवधान) आप विराजिये, मोदी जी, आप कोई नहीं थे। मुझे जबरदस्ती हरिसिंह जी को बुलाना पड़ा फिर परसादी लाल जी को बुलाना पड़ा। आपकी तरफ से कोई नाम नहीं आये

(श्री अध्यक्ष)

थे। _ (व्यवधान) _ विराजिये आप। मंत्रीजी, बोलें आप।

श्री विष्णु मोदी : गांधी जी का जो सपना था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो_ (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय_(व्यवधान)_हमारी पंचायत नहीं_

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट, साहब।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट का ही झगड़ा है यहां पर। आप विराज जाइये, आपकी तरफ से कोई नाम नहीं आये थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके पास मौजूद है मेरा नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पंचायत समिति में दो महीने हो गये, कोई बी.डी.ओ. नहीं है। पंचायत समिति चल रही है _ (व्यवधान) _

श्री नाथू सिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान) जिसमें स्टाफ कम होने की बात कही है और पावर के फंक्शन्स की बात कही है। जब से यह नया कानून बना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह बात कही गयी है कि—

श्री अध्यक्ष : राम स्वरूप जी का अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। इनका अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री नाथू सिंह : जो 73वां अमेंडमेंट किया है इसमें वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण ख़ामियां रही हैं। इसको माननीय सदस्यों ने_(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी और विधान सभा में कुछ नहीं है, आप में चक्का जाम करने का दम है क्या?

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल चक्का जाम करने का दम है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये आपका चक्का जाम करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : बैठ जाएं आप। तो आपको उस तरह से जनता को भागीदार बना कर जो आपका इश्यू है वह रखना चाहिए।

श्री नाथू सिंह : परसों जैसे आपका चक्का जाम किया था।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप चालू रखें। बोलें।

श्री नाथू सिंह : 73वें अमेंडमेंट में कुछ बेसिक_

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मुखबंद का समय माननीय मंत्रीजी का भाषण समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : ये जब उस बिल के प्रभारी थे उस समय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया और अनंग कुमारजी को आपके पीछे हनुमान बना दिया, अब न तो बिल के प्रभारी रहे, न इनको प्रोवीजन का पता है। अभी सात

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनट हैं, सात मिनट बहुत हैं, इनका जवाब तो पांच मिनट का ही है।

श्री अध्यक्ष : बोलें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पंचायती राज सुधारने के लिए जो बातें हम कहना चाहते हैं वे सुनना नहीं चाहते तो वैसे ही कर लो आप।

श्री नाथू सिंह : अब आप विराज जाइये। आज यह वस्तुस्थिति मैं स्वीकार करता हूं कि सरपंच पंचायत समिति का सदस्य नहीं है, प्रधान जिला परिषद का सदस्य नहीं है ...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : डिपार्टमेन्ट का एक आर्डर गया, प्रमुख को सात दिन गाड़ी दी जाएगी और बी.डी.ओ. इन सब को पूरे महीने गाड़ी दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अब यह क्या मनमानी कर रहे हैं आप? पहले किसी ने नाम नहीं दिये। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदस्यों को आप गाड़ी नहीं दे सकते जो चुन कर आये हैं?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। आपकी तरफ से नाम ही नहीं आये। वही बोल रहे हैं। मंत्रीजी, आप बोलें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, त्रिस्तरीय रचना में एक दूसरे से तालमेल इसलिये नहीं है कि उनको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बीच में नहीं बोलें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमने जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने बैठक ली पंचायत मंत्रियों की, उसमें बहुत जोर शोर से उठाया है कि 73वें अमेंडमेंट में कुछ खामियां ऐसी रह गयीं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने एक रिकमण्डेशन बनायी, रिकमण्डेशन में राजस्थान सरकार ने जो सुझाव दिये उसको उन्होंने शामिल किया। राज्य सरकार ने कोशिश की है...

श्री परसराम मदेरणा : उस रिकमण्डेशन को आगे किस को भेजा है? राष्ट्रपति को भेजा क्या?

श्री नाथू सिंह : ऐसा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं तो फिर क्या है?

श्री नाथू सिंह : कामन कमेटी बनी हुई है वह फिर रिकमण्ड करके सारी स्टेट्स को भेजती है। केन्द्र सरकार के इस 73वें अमेंडमेंट में जो खामियां रही हैं उनको ठीक करने के लिये जो रिकमण्डेशन पंचायती राज मंत्रियों की तरफ से केन्द्र सरकार को गयी हैं उसमें उन्होंने उसको सम्मिलित किया, जो केन्द्र सरकार को भी जाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएंगी। उसमें हमने कहा कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कोआर्डिनेशन नहीं है इसलिये कोआर्डिनेशन बढ़ाया जाए। राजस्थान में पहले स्थिति अच्छी थी कि कोआर्डिनेशन था, अब यह कोआर्डिनेशन टूट गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो मान लिया कि आपके राज से पहले अच्छा था।

श्री नाथू सिंह : मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ... (व्यवधान) आपने नहीं दिल्ली वालों ने + + + बैठाया है। आपको पता ही नहीं है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

अब आपको पंचायत समिति से क्या लेना देना है? (व्यवधान) आप भी उनके भाई हैं। आपको क्या पता?

श्री विष्णु मोदी : ग्रामीण क्षेत्र से जीत कर आये हैं और कोटा जैसे इलाके के प्रमुख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : बिल्ली के भाग को छींको टूट गयो। कोई बड़ी बात कोनी प्रमुख रहना।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। समय लिमिटेड है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने फिल्मों में एक्टिंग नहीं की है, पंचायती राज में काम किया है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार इसमें कोई परिवर्तन करे, अन्यथा राज्य सरकार इसमें किस तरह से कोआर्डिनेशन बैठा सकती है उसमें हम गम्भीरतापूर्वक स्टडी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस कोआर्डिनेशन के नहीं होने की वजह यह है कि आज जो 73वां अमेंडमेंट हुआ है इसमें पंचायत समिति के सदस्य नये क्रीएट कर दिये गये, जिला परिषद के सदस्य नये क्रीएट कर दिये गये। अब उनका फंक्शन क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समिति के सदस्य कहते हैं कि पंचायत में बैठें, सरपंच कहते हैं कि हम पंचायत समिति में बैठें और जिला परिषद के सदस्य कहते हैं कि हम ग्राम पंचायत में बैठें, पंचायत समिति में बैठें और जिला परिषद में बैठें, हम क्या करें? सरपंच को पावर दे रखे हैं, प्रधान को पावर दे रखे हैं, मेरा क्या काम है? यह सब जो हुआ है यह राज्य सरकार ने कानून बनाया है उसके आधार पर नहीं हुआ। उस मीटिंग में मैंने तो यह कहा कि 73वां अमेंडमेंट जिसने भी ड्राफ्ट किया है उस आदमी ने हिन्दुस्तान के गांवों को नीचे से नहीं देखा और यह फैक्ट है। उन्होंने हवाई जहाज से गांवों को देखा, गांवों की प्रैक्टिकल प्राब्लम को नहीं समझा। यह लेकूना छोड़ दिया जिसके कारण राजस्थान ही नहीं दूसरे प्रदेश भी इससे परेशान हैं और उन्होंने मांग की है कि इसको ठीक किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 73वें अमेंडमेंट के कारण जो परिणाम हो सकते थे राजस्थान में और जो कानून बनाया जा सकता है बैस्ट पॉसिबल वह बनाया है। जिसमें माननीय लीडर आफ अपोजीशन और अन्य माननीय सदस्यों के सुझाव लिये हैं, एक्सपर्ट्स के सुझाव लिये हैं। आज भी कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं और उसमें कोई ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं स्वीकार करने में लेकिन आप पाजिटिव सुझाव दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तैयार हूं।

श्री नाथू सिंह : आप लिखित में दे देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर प्रधान जिला परिषद की बैठक में विशेष आमंत्रित होगा।

श्री नाथू सिंह : अब आप लिखित में दे देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पंचायत समिति की हर बैठक में विशेष आमंत्रित होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री नाथू सिंह : आप लिख कर दे देना। बाद में बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लिख कर क्या दें, आप प्रेम पत्र के अलावा और कोई दूसरे पत्र ही नहीं पढ़ते हो। 50 पत्र लिखे आपको, सारे कचरे में डाल दिये।

श्री नाथू सिंह : आपको आदत है प्रेम पत्र पढ़ने की।

श्री अध्यक्ष : आपस में एक दूसरे की बात नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धारीवालजी और सब कुछ करो लेकिन विष्णु मोदीजी की संगत छोड़ दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर यह छोड़ दूंगा तो बड़ा अज्ञानी हो जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री नाथू सिंह : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या हो सकता है—

श्री परसराम मदेरणा : पुरजोर शब्दों में आपने वहां पर क्या कहा, वह बता दें।

श्री नाथू सिंह : हमने पुरजोर शब्दों में यह बात कही कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : कैसे ?

श्री नाथू सिंह : वह ऐसे होना चाहिये—

श्री परसराम मदेरणा : आप बैठिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, कांस्टीट्यूशन पढ़ा नहीं। सैपरेट टेरिटोरियल कांस्टीट्युएंसी जो बनायी है that is the root cause. अगर इस लैंग्वेज में नहीं देखें तो भारत के लोग हैं उनके ग्रे मैटर ज्यादा हैं, कोआर्डिनेशन यह कोआर्डिनेशन नहीं, आयरन कर्टेन खड़ा हो गया है, वाटर टाइट कम्पार्टमेंट हो गया है। सैक्शन 43 (1) के अन्दर जो अमेंडमेंट किया है उसमें अपने ग्रामीण क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति मैम्बर्स और जिला परिषद के मैम्बर्स की सैपरेट टैरिटोरियल कांस्टीट्युएंसी रख दी है। अगर आप इतना नहीं कहेंगे कि इस बात का कोआर्डिनेशन नहीं है, बेसिक गलती क्या रही, मुख्य मंत्रीजी, आपने पिछली दफा जवाब भी दिया था ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा-सा।

श्री परसराम मदेरणा : जिस वक्त 25 अप्रेल को डिमाण्ड नम्बर 41 पर चर्चा हुई थी और माननीय प्रभारी मंत्रीजी बीमार थे तो आपने उस डिबेट की यहां पर रिप्लाई दी। उस डिबेट की रिप्लाई के वक्त पर प्रश्न टैरिटोरियल कांस्टीट्युएंसी का खंड़ा किया था और आपने कहा था कि यह जो लेकूना रह गया है, इस संबंध में हम भारत सरकार को लिखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पंचायत कानून जो बना है उस कानून के संबंध में सदन के सभी पक्षों से विचार विमर्श किया। 73वें अमेंडमेंट की मूल भावना के अनुसार कानूनन पाबंदी नहीं है मैं आज भी मानता हूं और टेरिटोरियल कांस्टीट्युएंसी और पंचायत समिति का जो डीलिंक हो गया उसको भी ठीक कर सकें। लेकिन उस समय जिस प्रकार का विचार आया उस विचार के आधार पर मैं समझता हूं कि इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा सरपंच पंचायत समिति के मैम्बर्स हो सकें और पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य हो जाएं, उनको वोटिंग राइट नहीं मिले। वह एक क्लाज उसमें रहेगा...(व्यवधान)...

(18.00)

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रधान हो जाए जिला परिषद का —

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, प्रधान जिला परिषद के मैम्बर हो जाएंगे, सरपंच पंचायत समिति के हो जाएंगे। उस समय इस प्रश्न पर विचार यह आया, जब यह चर्चा हुई, कि अगर पंचायत समिति में मैम्बर्स अलग चुने गये तब यह सब इतनी बड़ी असैम्बली हो जाएगी जिसके कारण से कोई बात का निर्णय नहीं होगा और पंचायत समिति के प्रशासन के सामने कन्डक्ट करने तक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन सारे मसलों पर विचार कर रहे हैं। विचार करने के बाद में आपसे भी सलाह कर लेंगे कि क्या उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। पंचायत राज के हित में होगा तो निश्चित रूप से करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : रोटेशनल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, एक्चुअल में रोटेशनल का ही है विचार।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पंचायत समितियों के स्टाफ पैटर्न के बारे में भी एक बात कही गयी। वहां का स्टाफ पैटर्न 1959 के बाद आज तक —

सदन की कार्यवाही
मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, 6 बज गये हैं इन पर गुलोटिन लगाइये आप।

श्री नाथू सिंह : नहीं, नहीं, समय बढ़ा दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : समय बढ़ा दिया गया।

श्री नाथू सिंह : समय बढ़ा दिया गया, अब आपने पूछ लिया तो जवाब तो दूंगा —

श्री अध्यक्ष : इनके जवाब तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 41 पर विचार

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1959 के बाद आज तक पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायतों का जो स्टाफ पैटर्न है उसके बारे में विचार नहीं किया गया। पहली बार हमने इस पर विचार किया। करीब 6-7 महीने हुए होंगे हमने विभाग में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने थोरोली आज की आवश्यकता के अनुरूप जो पैसा पंचायत समिति के थ्रू गांवों में जा रहा है विकास का, उसको मैनेज करने के लिए, विकास करने के लिए ढंग से किस तरह का स्टाफ कितना चाहिए, कितना ग्राम पंचायत लेवल पर चाहिए, कितना पंचायत समिति लेवल पर चाहिये, कितना जिला परिषद लेवल पर चाहिये, उस पर एक्सरसाइज की।

लेकिन इसके लिए संसाधन की भी आवश्यकता होगी। इसलिये स्टाफ को ज्यादा कम कुछ किया जा सकता है इस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो तात्कालिक प्रशासनिक कठिनाई पंचायत समितियों, जिला परिषदों और पंचायतों में है, जो कमी है उसके सम्बन्ध में मुझे खुशी है जानकारी देते हुए। आज तक ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की जो कमी चली आ रही है, मेरे पास आंकड़े हैं पिछले सालों के, आप जिस साल का कहें उस साल का दे दूंगा, जितने ग्राम सेवक ग्राम पंचायतों में थे, आधे से भी कम ग्राम सेवक वहां कार्यरत थे। इतने सारे खाली पद शुरू से ही चले आ रहे हैं। यह कोई हमारी सरकार के आने के बाद कम हो गये हों, ऐसी बात नहीं है। ये बढ़ गये लेकिन पंचायतें बढ़ गयीं, इसके कारण और कमी हो गयी क्योंकि कई प्रमोशन होकर चले गये, रिटायर

(श्री नाथू सिंह)

हो गये। उसके बाद भी बढ़ोतरी होती जा रही है। नयी पंचायतें बन गयीं ... (व्यवधान) ... आज हमारे पास करीब 6896 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें मैं स्वीकार करता हूं कि ग्राम सेवकों की कमी है, वहां कार्यरत नहीं हैं। पहले क्राइटेरिया बनाया गया था कि दो ग्राम पंचायतों पर एक होगा, सैंक्शन ही इतनी दी जाती थी अलग-अलग से। पहली बार ...

श्री परसराम मदेरणा : वह तो समझ गये, पर पद खाली हैं क्या ग्राम सेवकों के ?... (व्यवधान) ... नहीं, नहीं यह छह हजार नहीं खाली, छह हजार नहीं होते हैं।

श्री नाथू सिंह : सैंक्शन छह हजार नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, छह हजार होने से क्या होता है ? आपके पद कितने खाली हैं ?

श्री नाथू सिंह : यह मैं बता रहा हूं न पद खाली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितने भी पद खाली हैं ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं मिनिस्टर से बात कर रहा हूं और आप खड़े हो रहे हैं, आप ऐसा कीजिये यह सब मामला ठेके पर दे दीजिये।

श्री नाथू सिंह : हमने परसों ही जितनी भी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक नहीं हैं, एक ग्राम पंचायत में एक ग्रुप सचिव का काम करने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों को जहां-जहां कृषि पर्यवेक्षक हैं, चार्ज दिया जाए, इस तरह के आदेश दिये हैं। इसलिए अब एक ग्राम पंचायत में एक ग्रुप सचिव काम कर सकेगा। इसी तरह से यहां पर (व्यवधान) ...।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौनसे डिपार्टमेंट से लाओगे ?

श्री नाथू सिंह : हमने कृषि पर्यवेक्षकों को जो कार्यरत हैं ग्राम सेवकों का चार्ज दिलाने के आदेश दिये हैं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उनकी सर्विस कृषि डिपार्टमेंट की होगी, वे क्या काम करेंगे ? उन पर नियंत्रण कैसे होगा ? वह न विकास अधिकारी होगा, न जिला परिषद का होगा, न पंचायत का होगा, आप कैसे काम कराएंगे ?

श्री नाथू सिंह : ऐसा नहीं है। उस पर सारा नियंत्रण पंचायत समिति का होगा, जब वह ग्राम सेवक की तरह काम करेगा। इसी तरह से और स्टाफ के बारे में चिंता आपने जतायी। हमारे पास एस.डी. आइज. कम थे। हमने एस.डी. आइज. की करीब-करीब पूर्ति अभी शिक्षा विभाग से लेकर कर दी है। अब जितनी भी एस.डी.आइज. की कमी है, सारी पूर्ति कर दी जाएगी।

इसी तरह से बी.डी. ओज. कम थे। ये इसलिए कम थे, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, बड़ी संख्या में शिकायतें हमारे पास बी.डी.ओज. की आयीं, हमने कई लोगों को निकाला, कइयों के खिलाफ कार्यवाही की। इससे और कमी हो गयी। लेकिन इसके साथ-साथ अभी और बी.डी.ओज. को ले रहे हैं ... (व्यवधान) ... एक मिनट सुन लीजिये, बीच-बीच में बोलेंगे तो क्या बोलूंगा ? इन बी.डी.ओज को लेकर के कमी पूरी हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। अगले कुछ ही दिनों में इस बात के प्रयास किये जाएंगे कि ... (व्यवधान) ... कुछ ही दिनों में ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ... का गठन करो...

श्री नाथू सिंह : आप सुनिये तो सही। आप बात-बात पर खड़े हो रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : ओसियां पंचायत समिति में 67 पंचायतें हैं, एक साल से बी.डी.ओ. नहीं है।

श्री नाथू सिंह : माननीय सदस्य, विराजें। अगर आप पूरी बात सुन लेंगे और बाद में कोई रह जाए तो क्वेश्चन पूछ लेना, बीच में न बोलिये।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके मंत्रीजी को बात पूरी करने दें, उसके बाद में बात होगी।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जेईएन. की कमी हमारे पास थी। माननीय सदस्यों ने जैसा सुझाव दिया कि ज्यादा समय से पंचायतों में बैठ जाते हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, हमने लगभग 10 साल से ऊपर के जितने भी जेईएन. थे पंचायत समितियों में, सबको हटा दिया और नये जेईएन. लिये हैं जिनकी एसीआर. अच्छी है। इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं हर कैडर के मामले में कि एक लिमिटेड टाइम रख दिया जाए उसके बाद वह एक सीट पर नहीं रहे। इस तरह की एक फूल प्रूफ व्यवस्था हम करना चाहते हैं।

टीचर्स की कमी थी, मैं बताना चाहता हूं कि टीचर्स के लिए जितनी स्कूल हमने खोली हैं, पिछली बार शिक्षा के क्षेत्र में, पहली बार हमने गांवों में शिक्षा देने का प्रयास किया। सरकार ने पिछली साल जितने प्राथमिक स्कूल खोले टीचर्स भी हाथ के हाथ हमने लिये। इस बार____(व्यवधान)____

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, बात पूरी करने दें इन्हें।

श्री नाथू सिंह : टीचर्स की है, मैं भी 10 साल तक इस सदन में रहा हूं, कई साल नहीं जाता था। जब उन टीचर्स की कमी की बात नहीं उठती थी। अब तक जितने स्कूल खोले उनमें कितने टीचर्स हैं __

श्री परसादीलाल मीणा : स्कूलों में दरी-पट्टी की तो व्यवस्था कराओ।

श्री नाथू सिंह : हमने आदेश दिये हैं कि उन सारे टीचर्स की भर्ती कर ली जाए। उसके बाद कोई टीचर्स की कमी नहीं रहेगी।

इसी तरह से स्कूल भवनों की बात आयी। आज तक यह होता था कि बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते रहते थे, स्कूल खोल दिया जाता था, भवन नहीं दिया जाता था। हमने ज्यों ही स्कूल खोला उसके साथ-साथ हम स्कूल भवन भी देने जा रहे हैं। इसी तरह से नयी ग्राम पंचायतें बनीं, हमने उनको____(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके पास कौनसा फण्ड है जिससे ये बनवा रहे हो?

श्री नाथू सिंह : हमारे पास विशिष्ट योजना संगठन का फण्ड है जिससे बनवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बात पूरी करने दें, कृपा करके।

श्री अमराराम (धोद) : धोद पंचायत समिति का तो कार्यालय____

श्री अध्यक्ष : हां, धोद में बाकी है पंचायत समिति कार्यालय। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : इसी तरह से प्रशासन ढांचा ठीक करने के लिए पहली बार व्यावहारिक कदम उठाये हैं और उसके परिणाम आएंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार के मामलों की बात है, पहली बार हमने जनता को सूचना का अधिकार दिया है। किसी को भी कोई शिकायत हो कि यह काम हुआ है तो आप लिखित में कुछ फीस जमा कराकर उसके डाक्यूमेंट्स ले सकते हैं,

(श्री नाथू सिंह)

उसकी शिकायत कर सकते हैं। आफिशियल एण्ड नॉन आफीशियल जितने भी मामलों में भ्रष्टाचार की, अनियिमितताओं की विभाग के पास शिकायतें आयीं, मुझे कहते हुए खुशी है कि नॉन ऑफिशियल्स से 1 करोड़ 80 लाख रुपये अभी तक हमारे पास जमा हो चुके हैं। ब्याज वसूल किया है हमने। यह हिन्दुस्तान में पहला स्टेट है जहां 20-20 साल, 15-15 साल से विकास का जनता का पैसा खाये बैठे थे, कई माननीय सदस्य ब्याज की बात कर रहे थे, ब्याज सहित वसूल करके हमने जमा किये हैं।

इसी तरह से ऑफिशियल चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे बी.डी.ओ. हो चाहे कोई और अधिकारी हो, उन्होंने भी कोई गड़बड़ की है तो इसके लिए भी हमने विभाग में एक कमेटी बनायी है। वह इन सारे मामलों की जांच करके तुरंत इस पर कार्यवाही करेगी। यह भी कि आगे के लिए भ्रष्टाचार की जो भी शिकायत सरकार के पास आएगी, एक महीने में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी पूरी हो, तीन महीने के अंदर उसकी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी पूरी हो और उसका निपटारा हो जाए। आज के पहले होता ऐसा आया है कि साल-साल भर की 2-2, 3-3 5-5 साल की शिकायतें पड़ी हुई रहती थी और उनकी जांच रिपोर्ट होकर, जांच होकर नहीं आती थी। हमने एक सिस्टम बनाया विभाग में इसका कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और गांवों का विकास हो। जहां तक लोग काम कर सकें—

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री विषयान्तर हो रहे हैं। आपका मैंने पंचायत चुनाव के बाद में कम से कम 7-8 जगह का भाषण पढ़ा है कि मैं सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति लाया हूं। यह माओ त्से तुंग ने भी कहा था कि बेरल में से पावर फ्लो होती है, क्रान्ति उससे आती है। यह क्रान्ति तो आई है लेकिन आगे बहुत डिससेटिस्फाइड हैं। इस मशीनरी की जो आप बात कर रहे हैं, ग्राम सेवक उसको घास डाल रहा है, बी. डी. ओ. उसको ह्यूमिलियेट कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, आप समझोगे या नहीं समझोगे कि ये वाकले श्मशान में बिखेरना आसान है लेकिन भूत जो है क्रान्ति का यह आपको डेबोर नहीं कर जाए कहीं।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने यहां पर विभिन्न तरह से सवाल उठाये हैं कि पंचायत समितियों में हमारे पास जीपें नहीं। हमने 40 जीपें पिछली साल दीं और 40 जीपें अब दे रहे हैं ताकि हर पंचायत समिति में जीप रहे तो प्रशासन ठीक कर सकें और काम कर सकें। हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है। उस क्राइटेरिया के आधार पर कोई जीप कन्डम होकर आ जाती है तो तुरन्त जीप हम वहां प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमने सारी व्यवस्था कर रखी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं—

श्री राजेन्द्र पारीक : कृपया यह बता दें कि जिला प्रमुख कितने दिन जीप काम में ले सकता है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : इसी तरह से यहां पर अधिकारियों के स्तर के बारे में और विकास अधिकारी के स्तर के बारे में बात की गयी। हम विचार कर रहे हैं कि विकास अधिकारियों का स्तर कैसे सुधरे। उसके लिये विकास सेवा के गठन का भी सरकार विचार कर रही है। हम उसको बहुत ही थारोली एग्जामिन कर रहे हैं

(श्री नाथू सिंह)

कि किस तरह की सर्विसेज हों, किस तरह से क्या-क्या इनकी क्वालिफिकेशन हो, किस तरह से इनका कार्य हो, आगे प्रमोशन किस तरह से हों इनके। पंचायत समितियों में कार्य का स्तर सुधारने की दृष्टि से यह किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों पावर्स एण्ड फंक्शन्स पर बहुत बातें की गयीं। राज्य सरकारों ने डिफरेन्ट स्टेट्स में क्या-क्या पावर्स दी हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं, और हमारा स्टेट फाइनेन्स कमीशन भी अपनी रिपोर्ट देने वाला है थारोली स्टडी करके इन सारी चीजों का समावेश करके इन पंचायतों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को क्या-क्या अधिकार दिये जा सकते हैं इस पर स्टडी करवा रहे हैं। जहां तक अधिकारों का सवाल है अगर राजस्थान में आप देखें तो बहुत सारी स्टेट्स ने जो अधिकार दिये हैं वह ऐसे नहीं हैं कि हमने नहीं दिये हों। हमने लिया कौनसा अधिकार वापस है? जो अधिकार पहले पंचायतों के पास थे वे तो हैं ही, हमने लिया कुछ नहीं है, उसके बजाय कुछ नये अधिकार जो नया एक्ट बना है उसके तहत हमने दिये हैं। अब चूंकि समय इतना नहीं है, कुछ नयी चीजें हमने दी हैं—

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को मिसगाइड कर रहे हैं। इस राजस्थान पंचायत एक्ट, 1994 के अन्तर्गत रूल्स जो नहीं बने हुए हैं। राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट, 1953; पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद एक्ट, 1959 दोनों के नीचे 450 रूल्स बने हुए थे। कुछ रूल्स तो आब्सोलीट हो जाएंगे, रिडन्डेन्ट हो जाएंगे लेकिन यह एक्ट आया है शायद 20 मई, 1994 को। जब यह फोर्स में आ गया एक्ट, राजस्थान के लैजिस्लेटिव इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिस एक्ट के अन्तर्गत आपने 54 सेक्शन के अन्दर डेलीगेटेड पावर्स ली हैं उसके तहत रूल्स अभी तक नहीं बना सके। इससे ज्यादा इनकाम्पीटेन्स किसी सरकार की हो सकती है?

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर आफ अपोजीशन बहुत भलीभांति परिचित हैं कि 2 एक्ट हैं हमारे और दोनों एक्ट में बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। अब नया कानून आ गया है, इस नये एक्ट में बहुत सारे नये प्रोवीजन्स हैं। अब जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई अलग-अलग स्तर पर तो हमें देखना है कि उनमें क्या-क्या कठिनाइयां हमें आ रही हैं, पुराने रूल्स किस तरह के बने हुए थे और उन में क्या-क्या अमेन्डमेन्ट करने हैं, क्योंकि एक्ट तो बन गया लेकिन एक्ट में जो कार्यवाही होगी, क्रियान्विति होगी वह रूल्स के द्वारा होगी। रूल्स बनाना कोई आसान काम नहीं है, एक्ट से ज्यादा कठिन कार्य है। रूल्स बनाने का काम 80 प्रतिशत करीब-करीब कम्प्लीट कर लिया है और बहुत जल्दी ही रूल्स बना लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस उलझन से हमें बचाओ।

श्री नाथू सिंह : हमने रूल्स बनाने का काम 80 प्रतिशत पूरा कर लिया है और जो बाकी रहा है रूल्स बनाकर हम जल्दी ही कम्प्लीट कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन किया जा सकता है वह किया जाएगा।

मांग संख्या 41 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 – सामुदायिक

(श्री अध्यक्ष)

विकास के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,93,85,000 (एक करोड़ तिरानवे लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3–सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,72,000 (पांच लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 – न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,60,57,000 (एक करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 –निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,22,51,000 (एक करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12–अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 81,00,000 (इक्यासी लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 – बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,61,000 (अट्ठावन लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16–पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1996

(श्री अध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,00,000 (बीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17–कारावास के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,29,000 (दस लाख उन्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 - लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,30,000 (एक करोड़ सत्ताइस लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,12,66,000 (एक करोड़ बारह लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23-श्रम तथा रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,00,000 (पच्चीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,64,04,000 (नौ करोड़ चौसठ लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25-कोषागार एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,32,49,000 (एक

(श्री अध्यक्ष)

करोड़ बत्तीस लाख उन्चास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,01,000 (दस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,61,44,000 (सत्रह करोड़ इकसठ लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,62,32,000 (तीन करोड़ बासठ लाख बत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,42,74,000 (पांच करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,80,000 (सैंतीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,30,000 (दो

(श्री अध्यक्ष)

लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,73,82,000 (बाहर करोड़ तिहत्तर लाख बियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,60,05,000 (दो करोड़ साठ लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,80,02,000 (चार करोड़ अस्सी लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45–राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,00,000 (तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,50,30,000 (सात करोड़ पचास लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48–विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,00,000 (तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,41,47,000 (तीन करोड़ इकतालीस लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या – 4) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे यह बात समझ में नहीं बैठी, पांच महीने पूर्व तो हमने बजट पास किया। आम तौर से फाइनेंशल ईयर के प्रारम्भ के तीन चार महीनों में सरकार की आमदनी कम होती है और अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर और मार्च के अन्त में वसूलियां अपने पीक पर होती हैं। कोई ऐसा तो है नहीं पुराना जमाना कि गडिड्यों या रुपयों का ढेर खजाने में रखा हुआ है, वह खत्म हो गया इसलिए क्या करेंगे, कहीं से उधार मंगाने पड़ेंगे। वह बात तो आजकल है नहीं, बैंकों के अन्दर हिसाब रहता है। अब आपको यह क्या मालूम पड़ गया कि फलां मद में इतनी वसूली होगी और फलां में इतना खर्च होगा ? अध बीच में आपको कैसे मालूम पड़ गया ? सही बात है, वह एमाउंट भी अब दो लाख, कहीं दो करोड़, कहीं करोड़ है तो सरकार

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

की इतनी भी साख नहीं है ? बजट है, बैंकों से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, उसका वे कायदे से ब्याज लेते हैं, लेते रहते हैं। तो आप कृपया हमको समझाइये कि आपने अधबीच में ऐसा क्यों किया ? साल के अन्त में तो काफी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आम तौर से यह होता है दिन गुजारने के लिये, या कैसे क्या किया, यह तो बताओ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पास हुआ था उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी को कुशल वित्तीय प्रबन्ध और उसके लिये इस सदन में बहुत सुनने को मिला था। यह भी सुनने को मिला था कि भारत सरकार ने भी सर्टिफिकेट दिया है वहां के मंत्री भी सर्टिफिकेट दे गये हैं कि राजस्थान का जो वित्तीय प्रबन्धन है वह बड़ा एफीशिएंट है, बड़ा परफैक्ट है और मुख्य मंत्रीजी तो वित्तीय प्रबन्धन में माहिर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पास किया था तो —

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात तो आपने कही थी।

श्री विष्णु मोदी : आप सुन लें, समझ लें। मैंने तो नहीं कही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी सरकार बजट के साथ-साथ एक्सेस डिमाण्ड लेकर आयी थी और एक्सेस डिमाण्ड के वक्त पर मैंने यह निवेदन किया था, पार्लियामेण्ट्री प्रेक्टिस बाई मे (May) के अनुसार एक्सेस डिमाण्ड और सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड, they are considered as bad budget.

माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 विभागों में से सप्लीमेंट्री डिमाण्ड 40 विभागों की आयी है। मतलब किसी एक विभाग का ही तखमीना सही नहीं था कि उसका बजट किस तरह से होगा। मुझे यही निवेदन करना है। एक सप्लीमेंट्री डिमाण्ड तो अभी आप पास करा रहे हैं लेकिन क्या आप इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि अगले 5-6 महीनों में जब यह वित्तीय साल पूरा होगा तो एक्सेस डिमाण्ड पास नहीं करनी पड़ेगी या दूसरी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड पास नहीं करनी पड़ेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आएगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड कोई हाउस में पहली बार आयी हो, ऐसा तो नहीं है और यह कोई नयी परम्परा नहीं डाली जा रही है। लेकिन फिर भी इस बार जो हमने सप्लीमेंट्री डिमाण्ड की है, आप उसका अनुपात देखेंगे तो केवल 184 करोड़ रुपये की हमने मांग की है, जो हमारे टोटल बजट 11 हजार एक करोड़ 48 लाख 96 हजार का 1.47 प्रतिशत होता है। वह अभी बता रहा हूं, अभी तो मैंने एक बात कही है। अब ये जो 184 करोड़ एक लाख 30 हजार रुपये हैं इसमें 100 करोड़ रुपये तो वेज एण्ड मीन्स के हैं जो हम रिजर्व बैंक से समय-समय पर उठाते हैं, उसमें जमा कराते हैं। इसका पहले से बजट में एस्टीमेट होना सम्भव नहीं है। अभी हमारे पास रिजर्व बैंक का कोई कर्जा बाकी नहीं है, हमने 100 करोड़ रुपये उससे लिये हैं और वापस भी कर दिये हैं। बाकी रहता है 84 करोड़। उसमें 58 करोड़ रुपया वह है जो केन्द्र सरकार ने बजट पास होने के बाद हमको भेजा है, जिसमें 55 करोड़ रुपया आ चुका है, बाकी आ रहा है। इसको खर्च करना है। यह बजट के पहले आया नहीं था, बजट पास होने के बाद में आया है। यह रुपया इसी साल में खर्च हो इसलिए विधान सभा की मोहर लगवाना जरूरी है। और 4 करोड़ 49 लाख 43 हजार रुपया इसमें वह है जो हमारी

(170)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आकस्मिक निधि 35 करोड़ में से हमने उठाया है। इन आंकड़ों से एक बात साबित है कि माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठायी है कि यह प्रबन्धन की कमी से हुआ है, वह नहीं हुआ है। प्रबन्धन तो वाकई में कुशल है ही, उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि राजस्थान राज्य का वित्तीय प्रबन्धन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है। इसमें आप कहीं भी आपत्ति नहीं कर सकते। हमारी इस सम्बन्ध में क्रेडिट भी बहुत अच्छी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको पास करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार

राज्य में अकाल एवं बाढ़ की स्थिति पर विचार रखा गया था, उसमें आज मात्र बाढ़ पर रखा है और अकाल पर कल विचार होगा। माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

श्री सांवर लाल जाट (अकाल एवं सहायता राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अगस्त व सितम्बर माहों में राज्य के विभिन्न भागों में आयी बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति के बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

इस वर्ष राज्य में मानसून देरी से आया। 10 जुलाई को मानसून ने राज्य में प्रवेश किया और 16 जुलाई तक ही मानसून से सम्पूर्ण राज्य में बरसात हुई। लगभग एक सप्ताह तक वर्षा होने के बाद मानसून कुछ कमजोर पड़ा और 2 अगस्त के बाद पुनः वर्षा का दौर प्रारम्भ हुआ। 6 अगस्त से 11 अगस्त, 1995 के बीच पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा हुई। कई स्थानों पर 150 से 250 मिलीमीटर तक वर्षा रिकार्ड की गयी और कुछ स्थानों पर तो 400 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा हुई। इस अतिवृष्टि से अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर व सवाई माधोपुर जिलों में गम्भीर स्थिति बनी। अधिक पानी के प्रवाह से अनेक स्थानों पर बांध तथा छोटे-छोटे गंवाई तालाब टूटे। भरतपुर, अलवर व दौसा जिलों में कई स्थानों पर नदियों व नालों ने अपना मार्ग बदला व बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। 3 सितम्बर, 1995 से अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली व हिण्डौन क्षेत्रों में पुनः भारी वर्षा का दौर प्रारंभ हुआ। इससे अलवर, भरतपुर व धौलपुर जिलों में दुबारा बाढ़ आयी व भारी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए। सामुदायिक परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई, सड़कें जगह-जगह से टूट गयीं, बांध व तालाब टूट गये। कुछ जगहों पर नदियों व नालों ने अपना रास्ता बदला जिससे लोगों के खेत कट गये या उन पर मिट्टी आ गयी। कुछ स्थानों पर कुएं आदि भी ढह गये।

1 जून से 30 सितम्बर, 1995 की अवधि में सामान्य वर्षा से 20 प्रतिशत से अधिक वर्षा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, पाली, अजमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर व जैसलमेर में रिकार्ड की गयी।

बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति से राज्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर व कोटा जिले प्रभावित हुए हैं। इन 11 जिलों में से 5 जिले-भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर व हनुमानगढ़ गम्भीर बाढ़ की स्थिति से प्रभावित

(श्री सांवरलाल जाट)

हुए। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व दौसा जिलों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति गम्भीर उत्पन्न हुई। विशेषकर अलवर व भरतपुर जिलों में दो बार बाढ़ का दौर आया जिससे अत्यधिक नुकसान हुआ। हरियाणा व पंजाब में अत्यधिक वर्षा होने के कारण घग्घर नदी में बहुत ज्यादा पानी काफी समय तक आ जाने के कारण हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ की स्थिति हुई।

दिनांक 7.8.95 को अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर व दौसा में विभिन्न स्थानों पर लगातार अत्यधिक वर्षा हुई और कई स्थानों पर 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। रूपवास कस्बे में 490 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटे के भीतर हुई। इस अत्यधिक वर्षा के कारण तालाबों व बांधों में चादर चलने लगी और बाणगंगा व गंभीरी नदियों में अत्यधिक पानी आने के कारण भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी। भरतपुर में 150 से भी अधिक गांव जलमग्न हो गये तथा भरतपुर नगर में पानी भर गया। दौसा जिले के भी 30 से अधिक गांव जलमग्न हुए। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण सवाई माधोपुर एवं अलवर जिले में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस समूचे क्षेत्र को बाढ़ विभीषिका ने घेर लिया परन्तु भरतपुर जिले में स्थिति अत्यधिक गम्भीर थी। 7 अगस्त को पांचना काफर डैम के ओवर टाप हो जाने के कारण भी भारी मात्रा में पानी भरतपुर जिले में गया। बाढ़ से बचाव कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किये गये एवं पानी से घिरे लोगों को वहां से निकालकर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया गया तथा पानी में फंसे हुए लोगों के लिए भोजन सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी। बचाव कार्यों के लिए भरतपुर में सेना की भी मदद ली गयी तथा वायु सेना के हैलीकाप्टर द्वारा भरतपुर व दौसा जिलों में भोजन सामग्री वितरित की गयी।

बाणगंगा, गंभीरी व रूपारेल नदियों में अत्यधिक पानी आने के कारण नदबई, कुम्हेर, बयाना व रूपवास तहसीलों तथा नगर, डीग, भरतपुर आदि कस्बों में पानी भर गया।

भरतपुर जिले में बाढ़ से बचाव हेतु रियासत के जमाने का बना इर्रिगेशन सिस्टम इस बार अत्यधिक वर्षा के पानी की आवक के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ।

पंजाब व हरियाणा में हुई अत्यधिक वर्षा का पानी ओटू हैड से होकर घग्घर साइफन में आता है और उसके बाद घग्घर कैनाल के माध्यम से नाली में व घग्घर एस्केप में छोड़ा जाता है। 6 सितम्बर को ओटू हैड में निरन्तर पानी बढ़ता गया। जहां (पांच) सितम्बर को ओटू हैड में 17089 क्यूसेक्स पानी था वहां 6 सितम्बर को यह बढ़कर 22997 क्यूसेक्स, 13 सितम्बर को यह पानी 33443 क्यूसेक्स हुआ, 16 सितम्बर को 39863 क्यूसेक्स पानी आया और 17 सितम्बर तक यह पानी 40413 क्यूसेक्स हो गया। पानी की अधिक आवक को देखते हुए नाली बैड में लगभग 15,500 क्यूसेक्स पानी 15 व 16 सितम्बर को छोड़ा गया जबकि जी. डी. सी. में क्रमश 15,000 व 16,000 क्यूसेक्स पानी इन दिनों में छोड़ा गया। 16 सितम्बर को नाली में पानी की अधिक आवक से हनुमानगढ़ में बाढ़ से सुरक्षा हेतु बनाया गया उत्तरी रक्षक तटबंध टूट गया और इससे हनुमानगढ़ जंक्शन पर स्थित आबादी क्षेत्र में पानी आना शुरू हुआ जो 18 सितम्बर की शाम तक आता रहा। इस क्षेत्र की आवासीय कालोनियों में जल प्रवाह से

(श्री सांवरलाल जाट)

3-6 फीट तक पानी भर गया। यह क्षेत्र नाली बैड के प्रवाह के स्तर से नीचा होने के कारण जलमग्न हुआ।

कोटा शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों में दिनांक 26.8.95 की करीब 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण कोटा शहर के पूर्वी पठार क्षेत्र का पानी कोटा शहर में अत्यधिक मात्रा व वेग से आया। उसके कारण कोटा शहर की अनेक आवासीय कालोनियां जैसे विज्ञान नगर, महावीर नगर, दादाबाड़ी क्षेत्र में 2 से 5 फीट पानी भर गया। नालों में व उसके आसपास बसी कच्ची बस्तियों में पानी भरा व मकानों को नुकसान हुआ। शहर का काफी भाग अत्यधिक पानी के कारण कुछ समय के लिए जलमग्न हो गया परन्तु शीघ्र नालों आदि से चम्बल नदी से निकाला गया। भारी बरसात से आसपास के कुछ गांव भी प्रभावित हुए। चम्बल कमांड सिंचाई की नहरें भी क्षतिग्रस्त हुई। बूंदी जिले में तालेड़ा के समीप स्थित बरघा डैम भी टूट गया जिससे भी कुछ गांवों में क्षति हुई। कोटा क्षेत्र का माननीय उप मुख्य मंत्रीजी एवं अन्य-अन्य मंत्रियों ने दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया व बचाव व राहत हेतु उचित निर्देश दिये जिससे स्थिति सामान्य हुई।

जून माह में भी बरसात होने से पूर्व ही राज्य सरकार ने पहली बार सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देशों सम्भावित बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने हेतु दे दिये थे। साथ ही राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न जिलों में वरिष्ठतम अधिकारी भी नियुक्त किये।

सभी जिला कलेक्टरों व विभागों को जिन्हें बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति में तत्काल सहायता देने की कार्यवाही करनी होती है, पांच करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत कर दी गयी थी ताकि वे जहां आवश्यक हो, सामग्री, उपकरण, दवाइयां आदि भी समय पर खरीद कर रखें ताकि स्थिति आने पर तुरन्त उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को सहायता व अनुग्रह राशि स्वीकृत करने की शक्तियां भी जिला कलेक्टरों को दे दीं ताकि सर्वे होने के तुरन्त पश्चात् सहायता राशि वितरित की जा सके और इसमें होने वाली देरी को खत्म किया जा सके।

करीब 3500 गांवों की 30 लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई व 1,32,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए। जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ। सिंचाई विभाग के भी 28 बांध व 125 तालाब टूटे। पंचायतों के भी बहुत सारे तालाब, एनीकट क्षतिग्रस्त हुए। मोटे अनुमान के अनुसार बाढ़ से और भी परिसम्पत्तियों व फसलों को क्षति हुई।

राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता राशि में पिछले पांच वर्ष में दो बार वृद्धि की है जबकि इस प्रकार की वृद्धि पहले नहीं की गयी थी।

दसवें वित्त आयोग की सिफारिश और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह अनुभव किया है कि देय सहायता की दरों का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। अतः सहायता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को देय सहायता के मानदण्डों का पुनरावलोकन कर अपनी रिपोर्ट देगी। तत्पश्चात् राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से सहायता हेतु भारत सरकार को दिनांक

(श्री सांवरलाल जाट)

28.9.95 को एक ज्ञापन दिया। भारत सरकार द्वारा उस ज्ञापन का अध्ययन करने के बाद 15, 16 व 17 अक्टूबर को अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ व दौसा जिलों का दौरा किया गया और 18 अक्टूबर को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जयपुर में विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा कोष से बाढ़ से हुई क्षति के पुनरावलोकन व तात्कालिक सहायता हेतु 236 करोड़ रुपये की मांग की है।

अब तक बाढ़ से प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों व सम्बन्धित विभागों को तात्कालिक सहायता व बचाव कार्यों हेतु राशि 13.54 करोड़ रुपये दी जा चुकी है। करीब-करीब सभी स्थानों पर तात्कालिक सहायता वितरित की जा चुकी है। केवल अलवर, भरतपुर जिलों में कुछ कार्य बाकी हैं जो त्वरित गति से पूर्ण किये जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लघु और सीमान्त किसानों को 90 लाख रुपये के बीजों के मिनी किट्स वितरित किये गये।

गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को जिनके मकान पूर्णतया बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गये हैं, इन्दिरा आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे सभी गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को जिनके मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हैं, इन्दिरा आवास स्वीकृत करेगी।

जिन लघु व सीमान्त कृषकों के कुएं, पम्पसैट व खेत खराब हो गये हैं उन्हें मेसिव योजना के अन्तर्गत, यदि वे बैंकों से ऋण लेकर उनका पुनर्निर्माण करते हैं तो, 25 से 33 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु सभी जिला कलेक्टरों को कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। बाढ़ से प्रभावित किसानों को यह सुविधा यदि वे डार्क जोन में भी होंगे तो भी वन टाइम एक्सैप्शन के रूप में उपलब्ध होगी।

बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु सर्वे व आंकलन की कार्यवाही की जाकर आवश्यक स्वीकृतियां धनराशि की उपलब्धता के आधार पर जारी की जाएंगी। यदि राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से इस हेतु धनराशि उपलब्ध हो जाती है तो यह कार्य सुगमता से हो सकेगा।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने भरतपुर, अलवर और दौसा जिले के अन्दर दो बार हवाई सर्वेक्षण किया और वहां पर पहुंच कर स्थिति की जानकारी ली।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली, पानी आदि का पुनर्निर्माण कर लिया गया है और सड़कों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें चालू हालत में ला दिया गया है ताकि आवागमन चालू रह सके।

18.44

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : आपने अपने स्टेटमेंट में यह नहीं बताया कि टोटल कितनी क्षति हुई है।

श्री सांवर लाल जाट : हां, मैं बता दूंगा। बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : भाषण होने के बाद बता देंगे। जवाब हो जाए।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, बता दो। वे तो बता रहे हैं।

श्री सांवरलाल जाट : 704 करोड़ रुपये के लगभग क्षति।

श्री परसराम मदेरणा : सब है न फसल वगैरह और?

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आपने गंगानगर का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलो। बोलो, बोलो। आप बोलो ना। आप नाम ले लो।

श्री सांवरलाल जाट : पहले एक था न इसलिए।

श्री राधेश्याम : गंगानगर जिले में बाढ़ आयी, इसका पता है आपको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलो।

श्री राधेश्याम : नहीं, हम तो बोलेंगे ही। नहीं तो आप बताओगे तब पता लगेगा? आपको मालूम नहीं है क्या?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्रीजी ने अपने स्टेटमैंट में हनुमानगढ़ का नाम लिया है। लेकिन गंगानगर की तीन तहसीलें—पीलीबंगा, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ का जिक्र भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : नहीं, नहीं, यह आपके द्वारा दी गयी लिस्ट है मेरे पास। (व्यवधान) मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था तो आपने ही लिस्ट दी है यह, आज ही दी है। आज ही मेरा प्रश्न था 148 नम्बर पर और उसमें आपने सिर्फ यह कहा है कि हनुमानगढ़ के नुकसान का तखमीना नहीं आया और गंगानगर के नुकसान का आ चुका है। वह आपने दे दिया है और आपके मंत्रीजी को यह पता है। यह आपकी दी हुई सूचना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में बाढ़ से जो तबाही हुई है, उसमें सरकार ने मुस्तैदी से काम लिया, नहीं तो हनुमानगढ़ से लेकर सीमावर्ती क्षेत्र तक तबाही हो जाती। हां, कुछ जगह नुकसान जरूर हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अन्दर मकान तबाह हो गये, खड़ी फसल नष्ट हो गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुछ एरिया में फसल तबाह हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तबाही कोई इस वर्ष हुई हो, ऐसी बात नहीं है। यह तबाही कई बार हो चुकी है और इस तबाही का कारण है, नाली बैड के अन्दर बड़े-बड़े लोगों ने अवैध बांधों का निर्माण कर रखा है। उन बांधों के निर्माण के कारण यह तबाही हर वर्ष मचती है। पानी इससे भी ज्यादा चला है नाली बैड में परन्तु न कोई आबादी का नुकसान हुआ, न किसी के खेत नष्ट हुए, न ट्यूबवैल नष्ट हुए, न मकान नष्ट हुए। यह 20 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं। इन वर्षों में ज्यों ज्यों लोग साधन-सम्पन्न होते गये, ट्रेक्टरों का साधन हो गया, अच्छी फसल हुई, पैसा हो गया बड़े लोगों ने अवैध बांध निर्माण करके जो कमजोर लोग हैं उनके खेत हर वर्ष नष्ट करने शुरू कर दिये एक किस्म से। उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है। जब नाली बैड के अपने फ्लो क्षेत्र हैं कम से कम 1000 फीट जगह सरकार या तो एक्वायर करे या कोई दूसरा रास्ता निकाले, किसानों को मुआवजा दे। एक फसल तक उसमें काश्त हो सकती है। किसान कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था किये बिना इस तबाही को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। 1000 फीट के लगभग एरिया तय कर दिया जाए और उसमें यह पाबन्दी होनी चाहिए कि कोई भी किसान उसके अन्दर बांध नहीं बना सकता। इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ तो कभी-कभी आती है परन्तु इस घग्घर बैल्ट के पानी से तबाही स्थाई रूप से हो रही है जिसकी चर्चा इस हाउस में मैं कई बार कर चुका हूं। यह जो जी.डी.सी. से पानी छोड़ा जाता है, 15000-16000-17000 क्यूसेक्स पानी डिप्रेशनों में भर दिया जाता है। डिप्रेशनों में से पानी की निकासी नहीं होने के कारण डिप्रेशनों के इर्द-गिर्द के गांव सीमसे बरबाद हो गये। यह स्थायी समस्या इस बाढ़ के अलावा है। कुछ समस्या नहरों के कारण भी हो सकती परन्तु ज्यादा योगदान इस घग्घर नदी के पानी का है। डिप्रेशनों में तीस-तीस, चालीस-चालीस फीट तक पानी भरा पड़ा रहता है। बाढ़ के लिए तो हम सभी लोग बोलते हैं परन्तु इस समस्या पर भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह समस्या बाढ़ से ही संबंधित है। इन डिप्रेशनों के इर्द-गिर्द लोगों की हालत दयनीय है, वहां खेत नष्ट हो गये। रहने के लिए मकान नहीं है, पशुओं के लिये चारा नहीं है और खाने के लिए अनाज भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले पांच-छह वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस समस्या का समाधान भी करना चाहते हैं परन्तु यह रोड़ा कहां अटक रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। कभी तो कोई टेक्नीकल कमेटी, और इस क्षेत्र का मौका__

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह आपके लोग अटका रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपको पता नहीं है इस पीड़ा का। आप, माननीय सदस्य___

श्री हीरालाल इन्दौरा : रोड़ा काट दो, मैं बता दूं आपको।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपके किये हुए खोटे तो हैं ही, और हम काहे के लिए + + + रहे हैं? यह आपकी देन है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मुख्य मंत्रीजी जो करना चाहते हैं, जहां रोड़ा अटका हुआ है, वह मैं आपको बता दूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जितना किया है वह मैं आपको बताऊंगा। गांव रंग महल के पास एस्केप बन रहा है जिसकी करोड़ों रुपये लागत है, उसका काम दो वर्ष में होना चाहिए था। यह हमारी सरकार के वक्त मंजूर हुआ है परन्तु वह काम धीमी गति से चल रहा है। आज चार वर्ष होने को जा रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : क्यों चल रहा है?

श्री रामप्रताप कासनियां : खर्चा बढ़ा है। उस एस्केप के बनने से डिप्रेशनों का पानी नाली बैड में खाली होना चाहिए था। जिस तरह से अब की बार नाली बैड के अन्दर पानी काफी लेट आया, उस समय उस एस्केप के जरिये पानी नाली बैड में खाली किया जा सकता था। तो एक तो डिप्रेशनों में फसल काश्त होती और दूसरे आगे नाली बैल्ट के जो काश्तकार हैं उनको चावल की फसल लगाने के लिये पानी मुफ्त में मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई शौकिया नहीं + + + रहा हूं, मेरी हालत बहुत दयनीय है। मैं इस हाउस में दूसरी बार आया हूं। मैंने गांवों में यही कहा है कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूं, मेरी स्वयं की जमीन इस क्षेत्र में है और मैं आपकी समस्या का समाधान हर हालत में करवाऊंगा। अब मेरी बड़ी अजीब परिस्थिति है। जब मैं गांवों में जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं भैयाजी, आप वापस आ जाओ हमारे बीच में। या तो आप

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हमारी समस्या का समाधान करवाओ, नहीं तो हम आपके जूतों की माला डालेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वे मुझे यहां तक कहते हैं कि आप विधान सभा से इस्तीफा देकर वापस आओ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : फिर आपने क्या कहा?

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं तभी बोल रहा हूं, आप सुनते जाइये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मेरे दिल की पीड़ा है, कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं विधान सभा से इस्तीफा भी दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : दे देना चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : परन्तु इसको मैं कोई धमकी के रूप में नहीं, पीड़ा के रूप में कह रहा हूं। जिस व्यक्ति के पीड़ा होती है वह इस्तीफा तो क्या, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। मैं यह सारी की सारी बात :–

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप इस्तीफा दे दो, हम आपके साथ हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : अभी इस्तीफा नहीं दूंगा, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें, बीच में नहीं बोलें।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रयास कर रहे हैं और पांच तारीख की बैठक भी रखी है परन्तु मेरा विश्वास इन अधिकारियों की तरफ से गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की तरफ देखिये, आप इधर देखिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : इस समस्या का मौका देखने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो गये। करोड़ों रुपये इस समस्या को देखने के लिए सरकार ने खर्च किये हैं, केन्द्र से भी कई बार टोलियां आयी हैं। राजस्थान से हर दसवें दिन, पन्द्रहवें दिन वहां अधिकारी मौका देखने जाते हैं और लाल बत्तियों की कारें पन्द्रह-पन्द्रह लाईन में चलती हैं। मैंने स्वयं देखा है, उपाध्यक्ष महोदय। पिछले बीस वर्ष से मैं यह देख रहा हूं। इतना पैसा अगर इस समस्या के समाधान पर खर्च किया जाता तो आज तक वहां के किसान आबाद हो जाते और सरकार को आवियाना और माली रकम और दूसरे दुनिया भर के टैक्स मिलते। किसान वहां सरकार का जितना पैसा खर्च होता है वह टैक्स के रुप में आज तक चुका देते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी अजीब परिस्थिति है। अब वहां हालत यह है कि रहने के लिए मकान नहीं है। अनाज भी नहीं है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने सन् 1977 में जब जनता पार्टी का राज बना था उस वक्त कुछ मकानों का मुआवजा जरूर दिया था। आज हमारे गांवों की हालत यह है कि वहां स्कूल ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, बच्चें कहां पढ़ें? यहां तक कि उन गांवों में हम लेट्रिन नहीं बना सकते क्योंकि नीचे पानी है। बाहर घूमने के लिए जगह नहीं है। जिस व्यक्ति ने वहां का दृश्य देखा है वह इस बात से भली-भांति परिचित है कि वाकई में यह समस्या बहुत गम्भीर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस समस्या का जल्दी से कोई स्थाई समाधान करें, नहीं तो पब्लिक मुझे जूते मारेगी। जूते मारने के बाद में मैं आत्महत्या ही कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा। ... (व्यवधान) ... कृपया विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : आत्म हत्या का मतलब जो मैंने पूर्व में बताया वह है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, कासनियां साहब।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस वाले जो + + + आंसू बहा रहे हैं, इन लोगों ने तो हमको बरबाद करके रख दिया है। ये अपनी राजनीतिक + + + अब भी मुझे कह रहे थे आप इस्तीफा दे दो, हम आपके साथ हैं। तो आप पूर्व में कहां गये थे? आपका राज था, आप सब कुछ करवाने में सक्षम थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा। कृपया विराजें, कासनिया साहब।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हम तो आपके साथ ही थे।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपने समस्या का समाधान नहीं करवाया, उलटे समस्या पैदा की है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

(19.00)

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के 31 जिलों में से सात जिलों में तो गम्भीर रूप से बाढ़ आयी और चार जिलों में कम बाढ़ आयी। इस तरह से 31 जिलों में से 11 जिलों में बाढ़ आयी है, यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात न करें, काफी गम्भीर मसले पर विचार हो रहा है।

श्री आर.पी. शर्मा : दुखद घटना सिर्फ इसलिए नहीं है कि 31 जिलों में से 11 जिलों में बाढ़ आई। दुखद घटना इसलिए भी है कि हमारे राजस्थान का जो नुकसान हुआ 705 करोड़ रुपये का, वह हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए जो आर्थिक रूप से अविकसित स्थिति में है, गम्भीर बात है। जैसा कि माननीय मंत्रीजी से पूछा था हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने, कि कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ, माननीय मंत्रीजी ने बताया-705 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन मैं उसका बाइफरकेशन बताना चाहता हूं। उसमें से 374 करोड़ रुपये जो किसानों ने अपनी फसल बोयी हुई थी वह किसानों की खरीफ की फसल बरबाद हो गयी। 134 करोड़ रुपये के हमारे जो गरीब मजदूर किसान और ग्रामवासियों के मकान हैं कुछ क्षतिग्रस्त हो गये, कुछ पूर्णतया बरबाद हो गये। 68 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का नुकसान हुआ, 83 करोड़ रुपये का सिंचाई विभाग का नुकसान हुआ और बाकी 68 करोड़ रुपये का अन्य सामुदायिक सेवाओं कहीं स्कूल, कहीं बिजली का नुकसान हुआ। इस तरह से हमारे राजस्थान को 705 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, यह राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत ही सोचने की बात है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि एक तो बाढ़ आये और एक बाढ़ मैन मेड हो, उसको हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चूंकि मैं भरतपुर जिले का रहने वाला हूं, कि इस 705 करोड़ रुपये में से भरतपुर जिले में लगभग सौ करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। हमारे जिले में 197 जो बांध थे उनमें से सौ बांध तो पूर्णतः टूट गये, 54 बांध क्षतिग्रस्त हो गये। 61 हमारी नहरें बरबाद हो गयीं, सौ हमारे ग्राम पंचायतों के जो बांध थे वे टूट गये। 13 लोगों की जान

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(178)

(श्री आर. पी. शर्मा)

गयी और मवेशी इत्यादि भी काफी मारे गये। ये सब बातें राजस्थान प्रदेश के लिए, मैं कहता हूं, सोचने का विषय है। जब 26 अक्टूबर को विधान सभा शुरू हुई थी और शोकाभिव्यक्ति हो रही थी, मैं सोच रहा था कि यह सरकार जो कि अपने को संवेदनशील कहती है उन सौ व्यक्तियों के लिए भी जिनकी राजस्थान में जानें गयी हैं संवेदना व्यक्त करेगी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने जिन व्यक्तियों की बाढ़ में जानें गयीं उनके लिए संवेदना की कोई बात अपने शुरूआत के भाषण में नहीं कही।

मुख्य मंत्रीजी के नाम से कहना चाहता हूं। जब भरतपुर में मुख्य मंत्री जी गये, उन्होंने कहा कि इस बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ। हम सब उस वक्त उपस्थित थे। हमारे एक कहावत है—"जाके फटी न पांव बिवाई वह क्या जाने पीर परायी।" No one knows the fale of other person. एक किसान इस उम्मीद से अपनी फसल बोता है कि इस फसल को बोकर मैं अपने बच्चों का लालन-पालन करूंगा, आगे आने वाली फसल से जो इनकम होगी उससे नैक्स्ट फसल का काम चलाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमारे भरतपुर में कुल एक लाख 39 हजार 470 हैक्टेयर भूमि में से 84 हजार हैक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल पूर्णतः बरबाद हो गयी तो आप सोचिये कि हमारे भरतपुर के किसान के ऊपर क्या बीती होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ की समस्या के लिए मैं जो अपना मन है, सोच है, इसको चार भागों में बांटता हूं। एक बाढ़ का आना, दूसरा बाढ़ आने के बाद सरकार द्वारा हमारे किसानों के साथ और बाढ़ पीड़ितों के साथ क्या-क्या सुरक्षा सम्बन्धी कार्य या राहत कार्य किये गये; तीसरा, सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्षतिपूर्ति और राहत पहुंचायी गयी और चौथी बात, भविष्य में बाढ़ नहीं आये उसके लिए क्या योजना बनाने की सरकार मंशा रखती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर पर भरतपुर की बात कहना चाहता हूं। भरतपुर में पूर्व में भी बाढ़ आती रही है। 1967, 1972, 1975 में बाढ़ आई। हमारे यहां तीन नदियां हैं, गम्भीरी नदी, बाणगंगा और रूपारेल। भरतपुर चूंकि लो लेवल पर बसा हुआ है, जब कभी भी एक्सेस बरसात होती है तो तीनों नदियों के पानी से भरतपुर तबाह होता है। उसके लिए हमारे राजा-महाराजाओं ने, पूर्व शासकों ने एक इर्रिगेशन सिस्टम बनाया है। जैसा कि मैंने कहा था 197 बांध हैं, उन बांधों में एक बांध में पानी अगर ज्यादा होता है तो दूसरे बांध में उसको ट्रांसफर करके, इस तरह से प्लावन सिस्टम से हम सिंचाई करते हैं। और फिर भी अगर अधिक पानी होता है तो खारी नदी के जरिये यू.पी. में जमुना में वह पानी चला जाता है। लेकिन चूंकि हमारे जिले में हमेशा बाढ़ आती रही है जिला प्रशासन महोदय पहले से बाढ़ के सम्बन्ध में क्या क्या तैयारी करें, उसके लिए जिले में बरसात आने से पहले मीटिंग किया करता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जिला प्रशासन की कार्यवाही बताना चाहता हूं। 7-6 को हमारे जिला कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में ये सभी आफिसर्स बुलाये गये। इसमें 37 हैं, उसमें अध्यक्ष जिला भरत मीणा, ओ.पी. गहलोत एस.पी. साहब, इस तरह से सभी डिपार्टमेंट्स को एकत्रित किया गया। उन्होंने एक कागजी कार्यवाही की। मैं कहना चाहता हूं बाढ़ आये चाहे न आये लेकिन हम जब कागजी कार्यवाही करें तो उसके इम्प्लीमेंटेशन

(श्री आर. पी. शर्मा)

की तरफ भी हमको देखना चाहिए था। एक लिस्ट है मेरे पास उन्होंने सबसेपहले कहा कि भाई, कण्ट्रोल रूम की स्थापना करेंगे, फिर आपकी दूरभाष की व्यवस्था होगी, वायरलैस है। इसके बाद चयनीकरण होगा कि कौन कौन से गांव बाढ़ से पीड़ित रहे हैं। इसके बाद वर्षा की सूचना कौन देगा, इसके बाद जन साधारण को सूचना, एक कार्यालय मुख्यालय पर उपलब्ध रहना।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह व्यवस्था अनावश्यक थी ?

श्री आर.पी. शर्मा : मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, मैं बैठना पसन्द करूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन ने कागजी कार्यवाही की। 37 आफिसर्स को इकट्ठा करके जब कागजी कार्यवाही की तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने क्या किया भरतपुर में मैंने आपको पहले ही कहा 197 बांध हैं। हमारे जो बांध हैं उनके गेट्स को अगर हम ठीक ढंग से साफ करें, हैड रैगुलेटर के जल को साफ करें, उसमें ग्रीस-आइलिंग कर लें और इस तरह उस सिस्टम को अगर हम ढंग से कर लेते हैं बांधों के रख-रखाव को पूर्णतः कर लेते हैं तो हमारे भरतपुर में कहीं बाढ़ नहीं आ सकती। लेकिन इस सिस्टम में केवल कागजी कार्यवाही का जो एक्शन होना चाहिए था वह आफ्टर चैकिंग होनी चाहिए थी वह नहीं की। मैं **आपको अब** कहना चाहता हूं कि भरतपुर में जो पानी आया वह खास तौर से रूपारेल, गम्भीरी और बाणगंगा से आया। हमारे यहां बाणगंगा के सैडल तीन हैं। कि तीन सैडल में से जैसा मैं कह रहा था, उन्होंने निश्चित किया है कि कौन-कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जहां खतरा हो सकता है। सैडल दो पर अगर यह विभाग पूर्व से ही एक यूनी चैनल बनाकर तैयार कर लेता तो जो पानी सैडल दो के ऊपर से निकलकर कुम्हेर, नदबई गया वह नहीं जाता। यह सैडल इन्होंने पूर्व में नहीं बनाया इसकी वजह से पानी भरतपुर में गया। दूसरी बात, चूंकि भरतपुर में पहले भी बाढ़ आई थी, एक कमेटी ने मास्टर प्लान भरतपुर का बनाया सिंचाई सम्बन्धी। भरतपुर के महाराजा हमारे यू.पी. के चीफ सैक्रेटरी, यू.पी. के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सैक्रेटरी ने एक मास्टर प्लान बनाया, उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह तय किया गया कि जो बाणगंगा नदी है उसकी राइट साइड़ में मार्जिनल बैंक में कोई भी कन्स्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग ने जाने में या अनजाने में, मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन राइट साइड आफ मार्जिनल बैंक में गेवर वेयर बनाये रमेश स्वामी कैनाल पर गुल्लुपुरा में, लालपुर कैनाल पर गेवनवेयर बनाये। और जो पानी 1993 तक सीधा नेकपुर हैड के लिए रमास में होकर जाता था उस पानी को रोककर घरसोनी होकर पानी के निकास के लिए रास्ता किया। उसके कारण सैडल कुछ टूटा और पानी उसमें गया। इन्हीं शब्दों के साथ में, खास तौर से जो मैने बताया था आपको.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरूण सिंह।

श्री आर.पी. शर्मा : एक सैकिण्ड, मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव मेरा यह है कि भविष्य में बाढ़ न आए उसके लिए हमको निश्चित समय में नहर इत्यादि की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसा मिले, बांढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये पैसा मिले

(श्री आर. पी. शर्मा)

जैसा कि अभी कह रहे थे कि हरियाणा में बाढ़ आयी, हरियाणा में प्रति बीघा तीन सौ रूपये उसी वक्त, जैसे ही बाढ़ आयी थी उनको पेमेंट कर दिया। जिस किसान का नुकसान हुआ, जिसकी झौंपड़ी बह गयी उसके लिए उन्होंने—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री आर.पी. शर्मा : एक मिनट में करता हूं।

झोंपड़ी का नुकसान हुआ उनके लिये पांच हजार रुपये और जिनके मकान टूटे थे उनको दस हजार रुपये जैसा मैंने कहा, हमारी परामर्श समिति जो चल रही है उसमें आप विचार करें। जिस तरह से हरियाणा में सहायता दी है, जो मृतक आदमी हैं उनके लिये प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये हमें सहायता के रूप में सरकार से दिलवाएं और जो जानवर मरे हैं उनका भी पता लगाकर आर्थिक सहायता दी जाए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इतने बांध टूटे लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 197 बांधों में से मात्र 8 बांध ही भरे गये हैं। हमारा जो सिस्टम था सिंचाई का, पानी सिंचाई के काम आया नहीं, वह हमारा पानी यू.पी. में चल गया। जहां एक बूंद की आज जरूरत है वहां इतना पानी बेकार गया और बांध टूटने की वजह से हमें भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भरतपुर में जो बाढ़ आई। इसके ऊपर एक कमेटी विधायकों की बनायी जाए और विधायकों की कमेटी रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट के बाद जो दोषी व्यक्ति इसमें हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हों या कोई हों उनको सजा मिलनी चाहिए अन्यथा इसी तरह से लोगों के साथ, हमारे जिले के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। धन्यवाद।

श्री अरूण सिंह (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बाढ़ दो भागों में आयी दो फैजों में आयी। एक पांच अगस्त को आयी और एक चार सितम्बर को आयी। भरतपुर में 1924 के बाद इतनी भयंकर बाढ़ 1995 में आयी और इस बाढ़ का मुख्य दोषी सिंचाई विभाग को मैं मानता हूं। सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय का मैं बहुत आभारी हूं, श्री देवीसिंह जी भाटी का मैं बहुत आभारी हूं। सिंचाई विभाग के सीनियर सैक्रेटरी हैं वे भी भरतपुर के हैं। मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं पर सबूत दूंगा। बाणगंगा ने अपना रास्ता क्यों बदला,

यह जांच का विषय है। बाणगंगा ने अपना रास्ता बदलकर वैर, रूपवास, नदबई, कुम्हेर और सेवर को तबाह किया है, यह जांच का विषय है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी आग्रह किया है, सिंचाई मंत्रीजी को भी आग्रह किया है कि वे या तो खुद जांच करें, सिंचाई मंत्री सक्षम हैं या 5 विधायकों की एक टीम बनवाओ। भरतपुर के इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने तबाह किया, इसकी जांच होनी चाहिए उन इंजीनियरों को जो तबाही के रेस्पोंसिबल हैं, हथकड़ी लगानी चाहिए, मुकदमे होने चाहिये। यह नहीं कि सस्पैण्ड हो जाएं। आदमी मरे हैं, प्रोपर्टी डेस्ट्राय हुई है। बाण गंगा नदी पर दो साल का बजट एक गेवन वेयर है, 6 फीट का पानी ज्वार आया, पानी टकराया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह कागज भी पेश कर रहा हूं, + + +

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप नाम न लें।

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अरूण सिंह : सिंचाई सचिव ने हाल में सौ बीघा जमीन वहां खरीदी। (व्यवधान) मैं सबूत दे रहा हूं आपको। यह हाउस की प्रोपर्टी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपने स्पीकर साहब को सूचना दी है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मंत्रीजी जवाब नहीं दे सकेंगे। आप मानहानिकारक मामले उठा रहे हैं, पूर्व सूचना नहीं है।

श्री राधेश्याम : उसकी जमीन है, उसका क्या लेना देना है तो ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप नियमों का पालन करें।

श्री अरूण सिंह : 4 सितम्बर को सैकिण्ड फेज बाढ़ का आया। रूपारेल या अलवर से पानी सीकरी सिस्टम में आया। सीकरी सिस्टम एक बड़ा यूनिक सिस्टम है। मेरे पूर्वजों ने यह इर्रिगेशन सिस्टम बनवाया। यह सिस्टम ओवर फ्लो हुआ, ब्रीच हुआ। यह भी सिंचाई विभाग की नेग्लिजेंस से। मेरे क्षेत्र डीग कस्बे में 8-8 फीट पानी, 25 वार्डों में से 24 वार्डों में पानी, 36 पंचायतों में से 34 में 4-4 फीट पानी आया। एक सिस्टम है केपी ड्रेन, यह ड्रेन ओवर फ्लो हुआ। आज की तारीख में भी 8 पंचायत और कामां पंचायत समिति में 25 गांवों में ढाई-ढाई फीट पानी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरी मुख्य मांग यह है कि सिंचाई मंत्री इसकी जांच करवाएं। दस हजार हैक्टेयर भूमि बरबाद हो गयी, कैंटल का लॉस हुआ। मैं जरूर आभारी हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का जो तीन दफे भरतपुर आये। श्री देवीसिंह जी भाटी का, प्रोफेसर सांवरमल का, राजेन्द्रसिंह राठौड़ का, जिनकी मेडिकल टीम ने दिन-रात काम किया। श्री अर्जुनसिंह देवड़ा का जिनके पशुपालन विभाग ने दिन-रात काम किया और मेरे मित्र रोहिताश्व कुमार जी का जिन्होंने अपने सहयोग और दोस्तों से 10 लाख रूपये भरतपुर को दिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा मुझे नियमों का पता नहीं था। (व्यवधान) मुख्य मांग माननीय सिंचाई मंत्री से यह है कि आप खुद ही इंक्वायरी करवाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम हो या न हो, मेरे यहां भी बहुत नुकसान हुआ है, कृपया मुझे मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से, मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि बाढ़ क्यों आयी और भविष्य में नहीं आए इसको रोके जाने के लिये निश्चित उपाय कर लेने चाहिए। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां चर्चा कर रहे थे कि बाण गंगा ने रास्ता क्यों बदला और बाढ़ क्यों आयी। हम भी बहुत दुखी हैं कि बाणगंगा ने रास्ता क्यों बदला और बाढ़ क्यों आयी। हम भी बहुत दुखी हैं कि बाणगंगा ने रास्ता क्यों बदला और रामगढ़ में पानी क्यों नहीं आया। अगर यह बाण गंगा का रास्ता फिर से नहीं मोड़ा गया तो भविष्य में जमवा रामगढ़ के बंधे का क्या होगा ? और फिर भरतपुर जिले का क्या होगा ? इस सब पर चिन्तन करना बेहद जरूरी है। फिर यह बाढ़ आती क्यों है ? जब मार्ग में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अवरोध पैदा होता है तब नदियां रास्ता बदल लेती हैं, यह सर्वविदित बात है। इसको समय रहते हुए जितना कुछ करना चाहिए, उतना कर लेना चाहिये। आपको इसका अनुमान नहीं कि पीड़ा क्या होती है। मेरे यहां तो ईश्वर की कृपा से ताला नदी में बादल फट गया और वह बादल फटने से जमुवा रामगढ़ में पानी आ गया। उन अवरोधों को हटाये जाने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे यहां पहले आश्वस्त किया था। मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि वे अवरोध जल संग्रहण क्षेत्र से हटाये जाने चाहिये या फिर बांध को नष्ट करके कोई और बांध का निर्माण कहीं और करने के लिये हमको जगह देख लेनी चाहिए। अगर पेयजल की व्यवस्था करनी है और सिंचाई की व्यवस्था भी रखनी है तब फिर हमको इसका चिन्तन करना चाहिए क्योंकि हमारा एक-एक बूंद पानी कीमती है।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, यह चर्चा बाढ़ से जो क्षति हुई है उसके ऊपर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी उसी बात पर आ रही हूं। (व्यवधान) मान्यवर, तीन बातें होती हैं–बाढ़, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। यह आपात स्थिति है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से सम्बन्धित लोग हैं उनको तो बोलने का टाइम नहीं दे रहे हैं—

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे बोलने देंगे या मैं आपको बंद करूं?

मान्यवर, कहीं से पानी आया और पानी आकर पीछे से जो ढूंढ नदी है, उसके बहाव से मेरे यहां के 4 बंधे एक रात्रि में इस तरह फूटे कि अन्य बांधों को ले डूबे। 30 बांध इस प्रकार फूटे। आपको तो कभी इनका अहसास होगा नहीं। आप घूमते नहीं, कहीं जाते नहीं, किसी से मिलते नहीं, संवेदनशील नहीं, आपको क्या अहसास होगा? मैं जब आयी, बड़े कष्ट से बंधे बनाये गये थे। मैं जानती हूं, पिछले दिनों में कांग्रेस की सरकार रही तब दाढ में से पैसे मैंने निकालकर उन बांधों को बनवाया था। इसका अनुमान मैं कर सकती हूं आप नहीं। मेरी सरकार ऐसी नहीं है। वह चारों तरफ काम करने वाली है। अगर हनुमानगढ़ का कष्ट है तो वह करेगी, अगर भरतपुर में कष्ट है तो वह करेगी, धौलपुर में कष्ट है, सवाई माधोपुर में कष्ट है और अन्य जगह कष्ट है तो उसकी सारी व्यवस्था सैनिकों को लगाकर करायी है। पैकेट भिजवाकर करायी है। यहां से स्वयं जाकर दौरा करके, सारा कुछ देखकर, सारी सुविधा मुहैया करवायी है। तात्कालिक रूप से पैसा मुहैया करवाया है।

जिस समय जयपुर में बाढ़ आयी 1981 में (व्यवधान) लोगों ने उस समय हवाई जहाज से दौरा किया था, यहां पर 45 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया था। मैं यह कहना चाहूंगी कि उसके प्रबन्ध के लिये आप लोगों ने कुछ नहीं किया। यह तो हम हैं कि किन्हीं भामाशाहों को तलाश करके, किसी दयावान को तलाश करके उन क्षेत्रों में काम करवाते हैं और अब तो हमारी सरकार सीधा काम कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इन बड़े खतरों से प्रदेश को बचाया जाना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो बाढ़ का पानी दूसरे प्रदेश हमको दे देते हैं और दूसरी तरफ हमको तड़पा देते हैं। हनुमानगढ है, कामां है इस प्रकार की चीजों पर उन लोगों से समय पर बातचीत करके हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिये, जिससे भविष्य में हमें इस प्रकार की स्थिति का मुंह नहीं देखना पड़े। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

छोटे सा छोटा जल संग्रहण क्षेत्र भी यदि हमने बचा लिया तो हमारा यह हैण्डपम्प जो 45000 में लगता है उसकी जरूरत नहीं होगी। कुओं में सीम होगी और जो हैण्डपम्प नाकारा हो गये उनमें भी पानी होगा। अगर जिलाधीश के हाथ में अग्रिम राशि रहे तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस साल में हमको एक ही योजना हाथ में लेनी चाहिये कि हम अपने पानी को बचाएंगे। अगर पानी बचेगा तो निश्चित रूप से गांवों में बहबूदी होगी और आगे आने वाले समय में हम सब इन खतरों से दूर रहेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ये पी.एच.ई.डी. पर बोल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त ही कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। वह यह है कि न केवल जल संग्रहण क्षेत्रों के बंधों पर मरम्मत करानी चाहिये बल्कि जिन अरावली क्षेत्रों में बहाव से कटाव होकर भूमि नष्ट होती है, जमीन की किस्म बदलती है, पानी के हिसाब से, उन पर भी हमें काम करना चाहिये। मैं नहीं चाहती दो तरह के बयान सदन में आएं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। श्री जुबेर खान।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां पर डेढ़ अरब रुपये का नुकसान हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कहा गया, मंत्री महोदय अपने आपको करेक्ट करें, कितना नुकसान हुआ। अब नुकसान नहीं हो इसकी व्यवस्था करें और अग्रिम राशि अपने पास संग्रहित रखें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये मैं अपने आपको अलवर तक ही सीमित रखकर निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर में दो बार वर्षा से बाढ़ आयी। चार और पांच अगस्त को तो कठूमर क्षेत्र में बाढ़ आयी और चार और पांच सितम्बर को कोटकासिम, किशनगढ़वास, रामगढ़, गोविन्दगढ़, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर में दुबारा से बाढ़ आयी और राजगढ़ के कुछ हिस्से में भी आयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस सदन में बहुत होश-हवाश, अनुभव और देखने के आधार पर कि अलवर में अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है बाढ़ आने के लिये तो सिंचाई विभाग दोषी है। मैं माननीय मंत्रीजी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जब बजट सत्र यहां पर चल रहा था, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने विधान सभा परिसर में एम.एल.ए. और उच्चाधिकारियों की डिवीजनवाइज मीटिंग ली थी। उसमें मैंने आगाह किया था माननीय मंत्री महोदय को और अधिकारियों से भी कहा था कि रामगढ़ के पास एक डाइबर्जन बांध है अतरिया, रामगढ़ के सुनेड़ा गांव के पास एक नहर है, चैरोली का बांध है, जिनको मरम्मत की आवश्यकता है। माननीय मंत्रीजी ने मुझसे ज्ञापन लेकर तीन या चार बार लिखा कि तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर इसको करवा कर मुझे सूचित करें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह से बेलगाम अधिकारी हो रहे हैं। चीफ इंजीनियर से मैं व्यक्तिगत जाकर चार बार मिला। अनेकों बार चिट्ठी लिख दी कि कोई प्रावधान नहीं है, पैसे नहीं है, क्राइटेरिया में नहीं आता। उसके कारण, माननीय मंत्री महोदय जाकर आये हैं, वहां नौगावां के आस-पास और सुनेड़ा के आठ-दस गांवों में इतना पानी भरा इस अतरिया बांध और चैरोली

(श्री जुबेर खान)

बांध के टूटने से कि वहां सेना की नावें चलीं, पैकिटों से खाना डाला गया। स्थिति यह है कि आज भी उस गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश अलवर में हुई है इस साल। यदि आप पिछली तुलना में देखें; उपाध्यक्ष महोदय, तो 1987 में अलवर में 222 एम.एम. बारिश हुई, 1988 में 732 हुई, 1989 में 407 हुई, 1990 में 575 हुई, 1991 में 363 हुई, 1992 में 680 हुई, 1993 में 675 हुई, 1994 में 454 हुई और 1995 में जस्ट डबल 897 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह, उपाध्यक्ष जी, पांच तारीख को अकेले मुण्डावर में 266, रामगढ़ में 188 हुई, नीमराना में 156 हुई। यह सारा पानी बहकर किशनगढ़वास होता हुआ, रामगढ़, गोविन्दगढ़ होता हुआ, सीकरी होता हुआ भरतपुर के लिये गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ से मौतें हुईं। अलवर जिले में टोटल 25 आदमियों की तो आधिकारिक तौर पर, आफिशियल कन्फर्मेशन हुआ है कि जिनकी डैथ हुई है और जिनको दस-दस हजार रूपये मुआवजा दिया गया है। कितना ही ऐसी और मौतें हुई हैं जिनके बारे में प्रशासन को जानकारी नहीं है और प्रशासन ने कोई उनके लिये व्यवस्था नहीं की। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपके ही विधान सभा क्षेत्र का गांव है लपाड़ा, वहां का एक मवाशी पुत्र धूप बहा, रूपारेल नदी में। मवाशी पुत्र धूपू ग्राम लपाड़ा .. (व्यवधान) .. अब कोई था, एक मानव था। उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच ने लिख दिया, जिला परिषद ने लिख दिया, जिला परिषद के सदस्य ने लिख दिया, गांव वालों ने लिख दिया, यहां के एस.डी.ओ. राजगढ़ भी जानते हैं कि यह आदमी बहकर गया लेकिन सरकार उसके परिजनों को ऊंट के मुंह में जीरे के समान मदद देती है, दस हजार रुपये। वह भी नहीं दी गयी कि उसकी लाश ढूंढ कर लाइये। उसकी लाश ढूंढ कर लाइये तब उसको मदद, मुआवजा दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग पीड़ित हैं कि उनका आदमी बह गया। किसको चिन्ता नहीं होती? लोग विदेशों से भी अपने परिजन का शव मंगाते हैं कि हमारे यहां उसका दाह-संस्कार हो लेकिन जब नदी में बहकर चला गया रूपारेल में, न जाने कहां चला गया तो वे कहां से ढूंढ कर लाएं? मेरा अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस गरीब परिवार को जितनी भी आप सहायता दे रहे हो वह दिलवायी जाए।

एक मेरा और निवेदन है, दस आदमी रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बहकर मरे। कुछ बाढ़ में डूबे, कुछ रूपारेल नदी में बहे, कुछ अतिवृष्टि से मकान गिरे, उनके नीचे दबकर मर गये। दस आदमी कठूमर में, इसी तरह से डूबकर मरे। कुल 25 आदमी मरे सरकारी तौर पर मेरा यह दावा है कि कम से कम दस आदमी ऐसे मरे हैं, जिनकी सरकार को जानकारी नहीं है। गरीब लोग बह गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनके नाम बता दीजिये।

श्री जुबेर खान : अभी बता दूंगा नाम तो मगर आप वादा कीजिये कि उनके मुआवजे की घोषणा करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि प्रमाण सहित बता देंगे तो कर देंगे।

श्री जुबेर खान : आप लीजिये कलम और कागज और लिखिये नाम।

एक महावीर प्रसाद जैन, निवासी नौगाबां, जिला अलवर बहा।

श्री उपाध्यक्ष : नाम आप दे दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रमाणित कर दो। _(व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खान जी, आगे बढ़िये।

श्री जुबेर ख़ान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में मकानों की भारी क्षति हुई है। कच्चे मकान पूर्णतया गिरे 9174, पक्के गिरे पूर्णतया 148, कच्चे आंशिक रूप से गिरे 23,055 और पक्के आंशिक रूप से गिरे 2011। ये तो उपाध्यक्ष महोदय वे मकान हैं, जिनको कि सरकार ने माना है कि इतने गिरे हैं और जिन लोगों को मुआवजा दिया है। मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन-तीन बार तहसील में मकानों की सूचियां बदलवायी गयीं, पटवारियों और तहसीलदारों से कहकर। जिला प्रशासन ने कहा कि कम करिये, इतनी राशि नहीं दे पाएंगे, राज्य सरकार से दबाव आ रहा है कि कम करिये। तीन-तीन बार सूची काटी गयी कि इतनी लाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलों में रिकार्ड है कि प्रथम सूची में कितनी सूचना थी, दूसरी बार सूची बनी उसमें कितने लोग थे और तीसरी बार की फाइनल सूची बनी उसमें कितने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कच्चे मकान गिरने पर हरियाणा और पंजाब में दस हजार देते हैं, हमारे यहां पक्के मकान के सिर्फ 3500।

श्री रोहिताश्व कुमार : जन-प्रतिनिधियों के कहने से एड किये गये हैं, एक भी नाम कम नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है।

श्री जुबेर ख़ान : हर चीज में तो सरकार और खास तौर से मुख्य मंत्रीजी कह देते हैं कि वहां पर यह नहीं हो रहा है और हमारे यहां पर हो रहा है। अगर आपको तुलना करनी है तो यहां क्यों नहीं करते ?

आदमी मरने पर हरियाणा और पंजाब में 50 हजार रुपये देते हैं, आपके यहां 10-10 हजार देते हैं। डिसएबल होने पर वहां 20-20 हजार देते हैं और आपके यहां जीरो देते हैं। पक्का मकान गिरने पर वहां पर 10-10 हजार रुपये देते हैं, आप 3,500 देते हैं। कच्चा गिरने पर वहां 5-5 हजार देते हैं, आप एक हजार देते हैं। आप इसमें क्यों नहीं वाहवाही लूटते ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। जहां फसलें बोयी गयी थीं 2 लाख 55 हजार हैक्टेयर में, वहां 92 हजार हैक्टेयर की फसलें नष्ट हो गयीं और 2 लाख 30 हजार एकड़ भूमि अलवर जिले में जिस पर फसल थी, चौपट हो गयी। इसी तरह से खरीफ की फसल का रुपयों में आंकलन करें अलवर जिले में तो 45 करोड़ 32 लाख के उत्पादन का नुकसान हुआ है अकेले अलवर जिले में। टार्गेट था कि सीरियल का एक लाख 84 हजार रुपये का, पल्स का एक हजार का, आयल सीड का 3 हजार का प्रोडेक्शन होना चाहिए। सीरियल का 92 हजार का हुआ, लास हुआ 92 हजार का। इस तरह टोटल 45 करोड़ 32 लाख का नुकसान अकेले अलवर जिले में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इर्रिगेशन में आप देखें तो अकेले अलवर जिले में नुकसान हुआ है 6 करोड़ 27 लाख का जिसमें 9 तो बांध टूटे जो इर्रिगेशन के बांध हैं। मैं नाम बताना चाहता हूं पर समय कम है।

एक माननीय सदस्य : अलवर का मामला है, बोलिये।

श्री जुबेर ख़ान : जयरोली, गरगड़, माचरोली, इस तरह 9 बांध टूटे। डाइवर्जन बांध टूटे, 130 छोटे-छोटे बांध क्षतिग्रस्त हुए जिनका करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये का खर्चा आएगा। सावी नदी क्षतिग्रस्त हुई 97

(श्री जुबेर खान)

लाख की। इसी तरह से रूपारेल की हालत हुई और एक करोड़ 65 लाख का आकलन है कि नहरें टूटीं।

उपाध्यक्ष महोदय, नदियां और नहरें क्यों टूटीं? पिछले 10-12 साल से बारिश कम हो रही थी, सिंचाई विभाग जाकर सो गया, किसी को परवाह नहीं थी नहरों की। आपको ज्ञात है, उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट के टाइम में हर साल नहरों और नदियों की छंटाई होती थी, उनकी सफाई होती थी। लेकिन यह सिंचाई विभाग जब से आ रहा है, पिछले 10-12 साल से कोई सफाई नहीं हो सकी, कोई छंटाई नहीं हो सकी। इसकी वजह से नदियां भर गयीं, अतिक्रमण नहरों पर हो गये। वहां पेड़ उग गये, लोगों ने दबा लिया क्योंकि पानी का निकास नहीं हुआ। वरना अलवर जिले में स्टेट टाइम से इस तरह का इरिगेशन का सिस्टम डवलप है कि अगर उसको प्रोपर मेन्टन किया जाए तो अलवर जिले का पानी का स्तर कभी नीचे नहीं जा सकता और कभी बाढ़ नहीं आ सकती। सिर्फ इसलिए कि उनका रख-रखाव नहीं किया गया वे भर गयीं, पानी को जाने का रास्ता नहीं मिला, जमा होने का रास्ता नहीं मिला, यह बाढ़ आयी।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके अनेकों मंत्री वहां जाकर आये और हिन्दुस्तान के नक्शे में उसका नाम आया क्षतिग्रस्त होने में ग्राम सुन्हेड़ा, जहां आर्मी की नाव चली है। वहां 13 लाख का एस्टीमेट बना कर भेजा है कि जो सरकारी नहर है इरिगेशन रिकार्ड में इसकी छंटाई की जाए। आप कहां से देंगे 13 लाख रुपये? एक तरफ हम उनसे कहते हैं, दिल्ली देगी तो हम दे देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि 15 नवम्बर तक सारे काम करवा दिये जाएंगे। इसी तरह से सड़कों की भारी क्षति हुई है।

श्री सांवर लाल : यह तो मैंने ही बता दिया कि क्षति हुई।

श्री जुबेर खान : आपने क्षति का बता दिया लेकिन इनकी मरम्मत कौन कराएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करिये अब।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी को, कृषि विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितनी भी सड़कें टूटी थीं मार्केटिंग बोर्ड की, कृषि उपज मंडी ने जो बनवायी थीं, उन्होंने सैंक्शन भी जारी कर दी। अलवर में एक करोड़ 44 लाख की सड़कों की क्षति हुई, उन्होंने आज से तीन दिन पहले 70 लाख की सैंक्शन कर दी। लेकिन एक पी.डब्ल्यू.डी. है, माननीय चतुर्वेदी जी हर जगह कह तो देंगे कि कोई संसाधन की कमी नहीं आएगी, 15 नवम्बर तक कर दी जाएगी। एक ललावंडी के पास भारी क्षति हुई है, 200 मीटर पूरी सड़क बह गयी, पुलिया बह गयी, 23 लाख का एस्टीमेट आया है और आज एक सवाल का जवाब दिया है कि क्षति तो हुई है, एस्टीमेट भी आ गया है लेकिन संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी। देखिये, कितना विरोधाभास है। _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में, जैसा कि आपको विदित है, दो ही पंचायत समिति ऐसी हैं जो डार्क जोन में नहीं हैं। 14 में से 12 पंचायत समिति डार्क जोन में हैं। बाढ़ से नुकसान तो हुआ लेकिन जल स्तर कहीं-कहीं

(श्री जुबेर खान)

8 से 12 फीट तक ऊंचा हुआ है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एक री-सर्वे कराया जाए और डार्क जोन खोला जाए। क्योंकि माननीय मंत्रीजी महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जिन लोगों के पम्पसैट और कुएं ढह गये हैं उनको हम मैसिव से पैसा देकर बनवाएंगे। जब डार्क जोन है तो आप कुओं के लिए 'मैसिव' में सहायता दे ही नहीं सकते।

दूसरा मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आर.एस.ई.बी. ने कानून बना रखा है कि जिन लोगों के दो साल से पुराने डी.सी. कनेक्शन हो गये हैं उनको फिर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अलवर में ऐसा हुआ है कि पिछले 10-15 साल से बारिश नहीं होने से जल स्तर काफी नीचे चला गया था और कुआं का पानी सूख गया था इसलिये लोगों ने कनेक्शन कटवा दिये थे। अब क्योंकि जल स्तर ऊंचा हो गया है, कुओं में पानी आ गया है इसलिए विशेष प्रावधान करा कर आर.एस.ई.बी. के कानूनों में परिवर्तन करा कर उन कुओं में कनेक्शन दिये जाएं। दो साल से पहले जिनमें कनेक्शन थे लेकिन पानी सूखने की वजह से कटवा दिया था कनेक्शन, अब उन्हें पुनः बिजली दिलाने का प्रावधान किया जाए। वहां हम कहते हैं कि दो साल से ज्यादा का प्रावधान नहीं है लेकिन अगर आप लोगों के हितैषी हैं तो आप आर.एस.ई.बी. से प्रावधान कराइये कि उनको कनेक्शन मिले।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : अंत में मेरा एक निवेदन है, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आप जाकर आये थे जब पानी आ रहा था। अब आप क्षेत्रों का दौरा करिये जहां-जहां क्षतिग्रस्त हैं। खास तौर से पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने एस्टीमेट भेज दिये, मार्केटिंग बोर्ड ने भेज दिये, इरिगेशन ने भेज दिये लेकिन उन कामों का क्या होगा जो "30 जिले 30 काम" के अन्तर्गत हुए हैं, पंचायत समितियों ने कराये हैं, "अपना गांव अपना काम" के अन्तर्गत हुए हैं। छोटी-छोटी पंचायतों ने अपने खाते से कराये हैं उनकी मरम्मत कौन कराएगा? उनके लिए भी आप प्रावधान रखिये, वे काम जो किसी विभाग ने नहीं किये लोगों ने जन सहयोग से कराये हैं या विशिष्ट योजनाओं के तहत कराये हैं उनकी भी मरम्मत कराइये। मेरा आप से अंतिम निवेदन है कि आप ही पी.डब्ल्यू.डी. और इरिगेशन वालों को कहिये कि अपनी चीज को ये समय-समय पर संभालते रहें। सड़कों के नीचे ब्रिज बन रहे हैं, मिट्टी जमा हो रही है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। पानी ज्यादा आया तो वह पुल तो छोड़ा दूसरी जगह से गड्ढा कर के चला गया। आप इनको कहिये, इसकी देख-रेख कराया करें। यहां तक कि आपकी एक रेल्वे लाइन अलवर-मथुरा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : रेलवे लाइन का तो यह हाल हुआ है, उन्होंने सोचा था कि यहां पानी नहीं आता, बारिश नहीं होती, लेकिन उसकी यह स्थिति हुई है कि लटक रही थी। नीचे से सारी मिट्टी खिसक आयी, नाले पड़ गये और रेलवे लाइन हैंग कर रही थी, लक्ष्मण झूला बनी हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर सिंह डांगावास।

श्री जुबेर खान : तो आप या तो रेलवे मंत्रालय को लिखिये कि आप जहां-जहां भी पानी का निकास बन सकता है, बनाइये। इससे कस्बा गोविन्दगढ़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया है उसके बारे में सोचिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : अंत में मेरा निवेदन है कि आप कुछ करिये, खाली + + + भाषण मत करिये। क्योंकि आपको तो अब राहत देनी है। जिन विभागों की लापरवाही की वजह से बाढ़ आयी है, माननीय मंत्रीजी, मैं आदर के साथ कहता हूं, और आप तो खुद गये थे, कि आपका एक्स. ई.एन. वहां मौजूद नहीं था। आपने कहा नोटिस दीजिये, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। दो दिन बाद में आपने मालूम किया, कि प्रमोशन करा कर पोस्टिंग ले रहा था। कितनी + + + की बात है। केबिनेट मंत्री कह दे कि इस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसकी प्रमोशन हो जाए। इसका मतलब यह है कि आप लोगों की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन स्थितियों को सुधारिये तभी आप लोगों का भला कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी स्थिति तो ऐसी है कि किसी गांव में डकैती हो जाए और गरीब के बरतन भी उठा कर ले जाएं लखपतियों का माल भी चला जाए। इतनी बाढ़ बाहर आयी कि मेड़ता क्षेत्र को किसी ने संभाला नहीं। मेड़ता में पादू गांव में एक छोटा बांध टूटा, पादू गांव में पानी आया।

श्री उपाध्यक्ष : बाढ़ आयी थी क्या वहां ?

श्री भंवर सिंह डांगावास : बाढ़ की ही बता रहा हूं। उस बंधे के टूटने से बाढ़ आयी और उसने पादू से लगे 27 किलोमीटर तक की सड़कों को डैमेज किया। आखिर में जाकर वह पानी कुंडल के एक बंध में गिरा। वहां से मेड़ता से 25 गांवों की सड़क बनी हुई थी, उसके ऊपर चार-चार फीट तक पानी रहा। आज तक वह रास्ता बंद है, उसमें आज भी दो फीट पानी है। इन सड़कों का किसी ने एस्टीमेट नहीं दिया, किसी ने गिना नहीं कि बाढ़ भी आयी है क्या? मेरी ये चार सड़कें हैं—अजमेर से मेड़ता स्टेट हाइवे, मेड़ता से जैतारण स्टेट हाइवे, मेड़ता शहर की सड़कें और मेड़ता से लाडवा रोइसा की सड़कें। इन में एक छोटी सड़क और थाता फण्टा है उसके ऊपर भी सड़क आधी डेमेज हो गयी है। इन पांच सड़कों का आप एस्टीमेट मंगवाइए कि कितना नुकसान हुआ है।

इसके साथ-साथ बात तो फैमिन की है, अकाल की है लेकिन कल बोलने का इतना मौका नहीं मिलेगा। मेरे इलाके में साबनू साक को बोने का मौका नहीं मिला, उन खेतों में कभी भी हल जोतने का मौका नहीं मिला। अकाल की स्थिति है वहां पर, कृपया उसको भी ध्यान में रखें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, इसके बाद में दो मिनट मुझे भी देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : तीसरे नम्बर पर है आपका नाम।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट हमको भी देना।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष बाढ़ से 11 जिले चपेट में आए उन 11 जिलों में सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक बाढ़ का तांडव नृत्य भरतपुर जिले में हुआ और भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा अगर बाढ़ ने किसी को व्यथित किया है, पीड़ित किया है, नुकसान किया है तो वह मेरे क्षेत्र कुम्हेर को किया है। अभी मेरे भाई जुबेर खान बोल रहे थे, इनके पूरे अलवर जिले के रूपारेल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

का पानी कुम्हेर में आया, हमने उसको बर्दाश्त किया। सवाई माधोपुर जिले का पानी कुम्हेर में आया, उसको बर्दाश्त किया। भाई अरूण सिंह जी बोल रहे थे, उनका पूरा पानी कुम्हेर में आया, बर्दाश्त किया। आर.पी. शर्मा जी, अभी कह रहे थे, इनका पूरा पानी कुम्हेर में आया उसको बर्दाश्त किया। श्रीमान एक बार नहीं पांच बार बाढ़ कुम्हेर के अंदर आयी और लगातार दो महीने तक कुम्हेर के गांवों में पानी भरा रहा। कुछ ऐसे गांव हैं, एक नहीं बीसियों गांव, जो दस-दस दिन तक पूरे संसार से कटे हुए थे। अगर हैलिकाप्टर नहीं होते सेना के तो वहां आदमी भूखे मर जाते। प्रशासन के पास नाव तक नहीं थी वहां पहुंचाने के लिये। इतना भंयकर तांडव नृत्य था कुम्हेर का कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को राहत पहुंचाने के लिये, जायजा लेने के लिये तीन बार भरतपुर जिले जाना पड़ा। He raised to the occasion. I am obliged. लेकिन आपको निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की भंयकर बाढ़ कुम्हेर के अंदर आयी कि मुख्यतया जो गांव अनुसूचित जाति के थे उनमें दस-दस दिन तक कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। पीने का पानी नहीं था वहां। आप पानी की बात कर रहे हैं कि चारों तरफ तो पानी भरा हुआ था लेकिन कुओं में पानी आ गया था, पानी पी नहीं सकते थे। उनके लिये भोजन पहुंच नहीं सकता था। उनके पास जो आटा था उससे वे रोटी नहीं बना सकते थे क्योंकि जलाने के लिये कोई लकड़ी नहीं थी उनके पास। इस प्रकार की भंयकर हालत में से होकर मेरा क्षेत्र कुम्हेर निकला है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाढ़ से जन की हानि भी हुई है। लोग जलमग्न हो गये, लोगों की समाधि जल के अंदर बन गयी। इसके अलावा सम्पत्ति की हानि हुई। इसके अलावा फसल की हानि हुई। भरतपुर जिले में आप जाकर देखें करीब दो लाख दस हजार एकड़ भूमि के अंदर किसान की फसल समाप्त हो गयी। इसका कम से कम आंकलन लगाएंगे तो 75 करोड़ की हानि किसानों की फसल की हुई है।

भरतपुर जिले के अंदर, श्रीमन्, जिसमें मुख्यतया कुम्हेर आता है, करीब 30 हजार मकान पूर्णतया ध्वस्त हो गये और करीब 60 हजार मकान आंशिक रूप से ध्वस्त हो गये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन मकानों का सर्वे कराने के लिये प्रशासन ने केवल मात्र एक पटवारी को ही जिम्मेदार समझा। उन्होंने सर्वे किया जिसके आधार पर लोगों को राहत मिली। केवल पटवारी के माध्यम से दी। हमने अनेक बार कहा कि गांव में चुनी हुई पंचायतें हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, वे भी अगर आपके पास आकर यह कह दें कि हमारे गांव के फलां आदमी का मकान ढह गया, मकान गिर गया तो उसके लिये राहत देने की कोशिश करें। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है श्रीमन कि आज तक उन लोगों की दरख्वास्तें प्रशासन में पेंडिंग पड़ी हैं, उन्हें राहत नहीं मिली। आप यह देखें इतनी हालत होते हुए भी हमारे क्षेत्र के लिये क्या लिखा है—बाढ़ से मकान गिरे नहीं बल्कि आधे से ज्यादा मकान अतिवृष्टि से गिरे हैं। अतिवृष्टि क्या होती है? तीन जिलों का पानी कुम्हेर आ रहा है, चारों तरफ से घिर रहा है, मकान गिर रहे हैं और फिर बाढ़ से मकान नहीं गिर रहे हैं, अतिवृष्टि से गिर रहे हैं। आप देखें, क्यों, ऐसा क्यों किया गया? इसलिये किया गया कि बाढ़ से गिरने पर तो 1500 रुपये मिलते हैं राहत के और अतिवृष्टि से गिरने पर 500 रुपये मिलते हैं। हजारों परिवारों के साथ भेदभाव

190

(श्री हरिसिंह)

करके नुकसान पहुंचाया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय, इस बात के लिये जांच करवाइये। क्या वहां कोई ज्यादा पानी पड़ा है ? अतिवृष्टि क्या होती है ? वहां तो बाढ़ का पानी आया है चारों तरफ से। दो महीने तक लगातार इस क्षेत्र के अन्दर पानी रहा है। उनके मकान बाढ़ से गिरेंगे या अतिवृष्टि से गिरेंगे ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, मैं आपको बताऊं जो मकान गिरता है उसका पैसा बराबर मिलता है। आप बताइये, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कौन कहता है ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं रूल्स हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : विराजिये आप और सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, वहां का रिप्रजेंटिटिव हूं। बाढ़ से गिरने वालों के लिये 1000 रुपये या 1500 रुपये दिये गये हैं और अतिवृष्टि से गिरने वालों को 500 रुपये दिये गये हैं। आप जांच कर लीजिये इस बात की। आप स्वयं जाकर देख लें, माननीय सदस्य। जो आप इतना + + + न, आप जाकर वहां देख लें। अवगत करा देना, हुआ क्या है और किस प्रकार से दिया गया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या दिया गया है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 400 रुपये, 500 रुपये। (व्यवधान) मेरे पास आंकड़े हैं। यहां का दिया हुआ मेरे पास जवाब है असैम्बली का।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में किसान के कुएं खत्म हो गये। किसानों के कई हजार कुएं पानी आने से समाप्त हो गये। उन कुओं का नुकसान होने वाले किसानों के लिये एक पैसा, राहत मंत्रीजी, अभी तक नहीं मिला है। आपके उसमें देने का कोई प्रावधान है भी अथवा नहीं ? अगर नहीं है तो, श्रीमन मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस किसान का कुआं समाप्त हो गया, जिसका ट्यूबवैल चला गया, जिसका डीजल इंजन समाप्त हो गया, ट्यूबवैल में रखा हुआ था, उसके लिये कुछ देने के लिये आप विचार करते हैं या नहीं करते हैं ? अभी आपने सर्वे कराया है या नहीं कराया, मुझे पता नहीं लेकिन सर्वे कराकर उसका प्रबन्ध करिये। इसके अलावा श्रीमन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पशु मर गये, जिनके मवेशी बह गये उनके लिये कुछ राहत आप देने की सोचते हैं या नहीं सोचते ? कीजिये न, क्योंकि हमारे पड़ौसी राज्य हमें तो पता है हम हरियाणा से लगे हुए हैं, हरियाणा के अंदर एक आदमी के गुजरने पर 50 हजार रुपया दिया गया है, हमारे यहां 10 हजार रुपया दिया गया है। हरियाणा के अंदर एक पक्का मकान गिरने पर 10 हजार रुपये दिया जाता है, हमारे यहां साढ़े तीन हजार रुपये दिये जाते हैं। बड़ा फर्क है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पास में लगा हुआ है इसलिये वहां की सुनते हैं। वहां तो फसल के लिये 300 रुपये एकड़ दिया गया है हमारे यहां नहीं दिया गया।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यह तो हुई अकाल की बात। जो राहत मिली है वह एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ क्यों आयी। भरतपुर जिले का सिस्टम अब से ही

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

नहीं 250 वर्षों से पानी आने के लिये सक्षम बना हुआ है, कितना ही पानी आये। (व्यवधान) पानी आया नहीं क्या? अभी भी बहुत ज्यादा पानी पड़ गया। बीसियों साल से पानी आता रहा है। चार दिन पानी आए हमारे यहां लेकिन सिस्टम कोलैप्स हो गया।

श्रीमन् अब से पहले यानि बाढ़ के आने से कोई महीना भर पहले एक्स. ई.एन. को बदल दिया गया, ए.सी. को बदल दिया गया, ए. ई.एन. वहां के रिटायर हो गये तो नया स्टाफ पहुंच गया। हमने एक्स. ई.एन. साहब से कहा कि ह्यूम्स कैनाल के अंदर फलां मोरी बंद है तो वे कहने लगे, ह्यूम्स कैनाल कहां हैं। हमने कहा कि अजान बंध टूट गया तो वे कहने लगे कि अजान बंध किधर है, साहब।

अब कहें कि फलां फाटक खुलवा दो तो वे कहते हैं कि कहां पर है। यानि स्थिति यह हो गयी कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का पानी आने पर, उसके पास, आप रिकार्ड दिखवा लेना न तो बोरा थे, न बांस थे, न बल्ली थी, न फावड़े थे, न ढकोले थे। कुछ भी उस समय नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। एक स्पेक्टेटर के नाते खड़े थे पानी जिधर से आ रहा है जिधर जा रहा है, अपने आप चला जाए। वरना हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि कितना भी पानी आए उसको हम आगे फसल के लिए इकट्ठा कर लेंगे और पानी को यू.पी. में निकाल देंगे। इसकी वजह यह हो गयी कि एक तो नया आपका स्टाफ पहुंच गया और पहले से तैयारी नहीं थी। जो मोरियां थीं उनको खोलने के लिए क्रेन मांगी गयीं। बहुत से क्रेन्स के तख्ते खींचे गये और खींचते समय कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया। तो पहले से तैयारी इस बात की तो की नहीं इन्होंने। जुलाई के महीने में कुछ तेल खरीदा बताया इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने। अब पता नहीं तेल खरीदा तो लुब्रीकेशन किया कि नहीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तैयारी नहीं थी।

दूसरी बात, बाणगंगा के अन्दर बाढ़ क्यों आयी? बाणगंगा के अन्दर पानी आया लेकिन जहानपुर से उसने कोर्स बदल दिया। कोर्स बदलकर वह नदबई में आयी और नदबई के बाद कुम्हेर में आ गयी। तो जो आरिजिनल कोर्स था मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा भी पानी आएगा तो कोर्स नदी इतनी आसानी से नहीं बदलती। बिलकुल इस ढंग से कि उत्तर से इधर चली आए फैलकर। वजह सिर्फ यह हुई कि उसके कोर्स में अवरोध है, पानी रुका, बैक वाटर हुआ। एक तो आपके मोरबनी को बंध पर जो पुल है उसके मोरे भर गये और उससे पानी रूका। आठ-आठ फीट बैक वाटर हुआ है, उससे कोर्स बदला जहानपुर पर और जहानपुर के लोगों ने पानी को खींचने के लिए खोदा-खादी कर रखी थी, कुम्हेर में पानी आया। मैं इसका सुझाव देना चाहता हूं कि आप जहानपुर में हैड बना दें, भाटी साहब, और दूसरा, जरूरत जितनी पड़े उतना पुराने कोर्स में ले जाएं और जितनी जरूरत पड़ेगी हम कुम्हेर में ले आएंगे उतने पानी को। हम चाहते हैं, कैनाल खोल दीजिये वहां से आप, पानी आ जाएगा। हमको एतराज नहीं है आप पानी लाएं।

दूसरी बात, मैं रूपवास के अन्दर पानी पड़ा है। कुकुन्द नदी रूपवास की इतनी सिल्ट हो चुकी है कि उसमें पानी जाने का है ही नहीं। उसमें अब भी पानी निकल रहा है। बाहर से बंध का जो पानी है। रिसाव का अब भी उसके अन्दर जाता है।

तीसरा, आपका जो रूपारेल का पानी है

(श्री हरिसिंह)

हमारे यहां पर आया ह्यूम्स कैनाल के मत्थे। ह्यूम्स कैनाल अंग्रेजों के जमाने में, आज से दो सौ साल पहले रूपारेल के पूरे पानी को यू.पी. में जाने के लिए बनी हुई थी, आज पता ही नहीं ह्यूम्स कैनाल कहां पर है, क्या है। एक नाली-सी बन गयी है। डी-सिल्टिंग कभी नहीं किया, खुदाई कभी की नहीं उसकी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इसमें जरूरत इस बात की है कि आप पूरे सिस्टम को ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं तो तबाह हो गया श्रीमान् परेशानी हो गयी। मैं तो बाढ़ के ऊपर ही बोल रहा हूं।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि मेरे इलाके के कितने ही बांध टूट गये। वैसे तो भरतपुर के अन्दर 170 बांध टूटे हैं लेकिन आजऊ, सह गौरई हूसना, हेलक, पाहुआ, अजान, कलसाड़ा, घुरेरी, माबली, बयाना का पुरा बांई खेड़ा, सिंघाडा इत्यादि बांध बिलकुल टूट गये हैं। इनकी मरम्मत करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाटी साहब से और अपने मंत्री महोदय, जो राहत कार्य के हैं, कि आप उसमें कुछ प्रबन्ध करें।

इसके अलावा मेरे यहां की तमाम सड़कें टूट गयीं और महीने भर तक यातायात बन्द रहा। किसान के लिए यह मुश्किल हो गया कि वह कैसे अपने गांव से आए। आज हालत यह है मेरे क्षेत्र के अन्दर कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। मंत्री महोदय गये थे वहां पर, इन्होंने टीम भी भेजी थी लेकिन उसके बाद भी आवश्यकता है। क्योंकि मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया बीमारी फैल रही है। डीडीटी. का स्प्रे, बी.एच.सी. का स्प्रे कराने का प्रबन्ध सरकार करे, यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप एस्टीमेट बना लें। जितनी भी मोरी इत्यादि हैं उन सबकी मरम्मत करने पर एक बार आप पैसा खर्च कर देंगे तो उतना तो आपको इर्रिगेशन के ड्यूज में मिल जाएगा। मुझे एक दिक्कत और नजर आ रही है, पहले हमारे बाढ़ का पानी आया था उस वक्त इन्होंने हमसे इर्रिगेशन के ड्यूज और वसूल किये थे। हम तो बाढ़ से तबाह हुए और इर्रिगेशन वालों ने हम पर ड्यूज कायम कर दिये। कहीं फिर ऐसा न हो कि हमारी तबाही के साथ साथ उस इलाके पर इर्रिगेशन ड्यूज भी कायम कर दें। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिये, आपने कितना फायदा पहुंचाया है। एक काश्तकार के लिए एक किलो सरसों का बीज आपने तय किया है। एक किलो तेरह रुपये का और बहुत अच्छा हो तो 19 रूपये का। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कम से कम हमें खाद पर तो कुछ सब्सिडी दें। आने वाले समय के अन्दर राहत कार्य खोलें आप। हमारे यहां इतना पानी आया, इतनी धूप पड़ी कि दो-दो बार किसानों ने सरसों बो दी। सरसों उड़ जाती है, पता नहीं क्या प्रकृति प्रकोप है। सरसों बोयी, उड़ गयी।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राहत कार्य आप मेरे क्षेत्र में खोलने की व्यवस्था करें। इसके अलावा ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुकन्द नदी है उसकी डी-सिल्टंग कराएं और बंध के रिसाव को आप बंद करें। हमारे यहां पर स्कूल की बिल्डिंग्स जहां पर हैं वे तमाम बहुत ही डेंजरस हो गयी हैं। हाई स्कूल की बिल्डिंग, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग और सब सेण्टर्स की

(श्री हरिसिंह)

बिल्डिंग बड़ी डेंजरस हो गयी हैं। उनमें अगर बच्चे बैठकर पढ़ेंगे, और कभी भी कोई बच्चा गिर गया तो मारा जाएगा। इसलिए उन बिल्डिंग्स की रिपेयर का आप प्रबन्ध करें। आपने जो राहत दी है उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं लेकिन वह राहत बहुत कम है, उस राहत को आप बढ़ाएं। हरियाणा क्षेत्र में जो राहत है वैसी राहत दें, हम आपका धन्यवाद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की जो स्थिति राजस्थान के ग्यारह जिलों में हुई है उससे कोटा भी अछूता नहीं रहा। खासकर मेरा विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा क्योंकि कोटा के बिलकुल निचले हिस्से में बसा है, वहां पर बाढ़ का प्रकोप बहुत है। मान्यवर, संसार में मेरी दृष्टि में तीन प्रकार के कष्ट हैं व्यक्ति को दैहिक, दैवीय और भौतिक। दैहिक कष्टों में तो केवल मात्र मैं उन कष्टों को मानता हूं जैसे मुझे बुखार हो गया, मैं कहीं गिरा मेरे फ्रैक्चर हो गया। भौतिक कष्ट मैं उनको मानता हूं जो भौतिक जगत में सारे साधुओं को भोगने पड़ते हैं। कभी पति-पत्नी की आपस में नहीं बनती, कभी भाई-भाई आपस में टकरा जाते हैं, कभी बाप-बेटे का वैमनस्य हो जाता है, ये भौतिक कष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बाढ़ पर बोलिये।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं उसी पर आ रहा हूं। तीसरे कष्ट दैवीय कष्ट होते हैं, जो समाज के व्यक्ति को भी भोगने पड़ते हैं, परिवार को भी भोगने पड़ते हैं, और समाज को भी भोगने पड़ते हैं। बाढ़, भूकम्प कष्ट ऐसे हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिसके ऊपर चर्चा अपन कर रहे हैं उसमें तीनों कष्टों का समावेश है। व्यक्ति भी इसमें कष्ट पाता है, परिवार भी इसमें कष्ट पाता है, और समाज भी इसमें कष्ट पाता है।

जब बाढ़ आयी, मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोटा की स्थिति को सभी लोगों ने देखा है जाकर। कोई ऐसा मंत्री विशेष नहीं बचा जो इससे सम्बन्धित था और वह कोटा की धरती पर न गया हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जितना उसका समाधान करने के लिए प्रयास होने चाहिये थे वे प्रयास निश्चित रूप से नहीं हो पाये हैं। बाढ़ तो 1986 में भी आयी थी कोटा में और दुबारा आयी है 26 अगस्त, 1995 को लेकिन दोनों विभीषिकाओं के सम्बन्ध में इतना कह सकता हूं कि 1986 में आने वाली बाढ़ में भी जो सरकार ने राहत कार्य दिये और जो जो विश्वास दिये उनकी भी पूर्ति नहीं हुई और 1995 में जो बाढ़ 26 अगस्त को आयी है उसमें भी अभी किसी प्रकार की पूर्ति नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उप मुख्य मंत्री श्री भाभड़ा साहब भी वहां पर पधारे थे और यह विश्वास देकर आये थे कि एक नवम्बर तक हम सारे कार्य प्रारम्भ कर देंगे। मैं बहुत गम्भीरता से आपसे निवेदन कर रहा हूं सदन में, और यह मानियेगा कि जब आप किसी बात का विश्वास देते हैं तो आदमी आखिर विश्वास के ऊपर जिन्दा रहता है। यह मैं नहीं कहता कि काम नहीं हुए। काम निश्चित रूप से होंगे, मुझे विश्वास है कि होंगे।

(20.00)

लेकिन जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि :

"का बरखा जब कृषि सुखाने।
समय चूकि पुनि का पछताने।"

खेती मेरी सूख जा[illegible]

(श्री अर्जुनदास मदान)

रहें तो, मान्यवर, मेरे किसी काम के नहीं हैं। मेरे को तो आवश्यकता आज है, यदि आप उसकी पूर्ति बाद में करना चाहें तो उससे अभिप्राय क्या है? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो स्थिति आयी है उसमें आप मदद करें। सड़कें टूट गयी हैं, सारी की सारी अव्यवस्था है। मान्यवर, विश्वास करें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पैकेट भेजे गये लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये वे नावों के माध्यम से भेजे गये। मिलिट्री की नावें मंगवायी गयीं और कोटा जैसे शहर में नावों के अन्दर भोजन सामग्री लाद करके जगह-जगह पहुंचायी गयी। ऐसे-ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपनी बेटी के ब्याह के लिये पूरा दहेज तैयार कर रखा था, वे अपनी बेटी का तो पाणिग्रहण नहीं कर सके लेकिन कष्टों का ग्रहण तो उनके जीवन में लग ही गया। वे उसका समाधान कैसे करेंगे? आप कल्पना कीजिये, जिस परिवार ने अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिये साधन जुटाये होंगे, जिस परिवार ने न जाने कहां कहां से इकट्ठा करके यह सोचा होगा कि मैं मेरी बेटी का विवाह पूरी सम्पन्नता के साथ में करूंगा उस परिवार में विषमता आ जाए तो वह साधन कहां से जुटा पाएगा। मैं निवेदन आपसे केवल मात्र इतना करना चाहता हूं कि भोजन की सामग्री दी गयी बहुत कम, जो साधन जुटाये गये उसमें भी बहुत न्यूनता और जो कार्यक्रम किये गये उसमें भी निश्चित रूप से शिथिलता रही है। जिस गति से होना चाहिये था उस गति से नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन जिन मंत्री महोदय ने दौरा किया। सहायता मंत्री भी वहां पर पधारे थे, पुनर्वास मंत्री, जाट साहब भी वहां पधारे, दूसरे मंत्री भी वहां पर पधारे, ज्ञानसिंह जी चौधरी भी वहां पर गये लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति बननी चाहिये थी वह आज भी नहीं बन पायी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी इसमें आप करें उसमें जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी करें जैसे कासनियां जी ने कहा था कि जब आदमी कष्ट में होता है, दुःख में होता है, दारूण स्थिति में होता है या व्याधियां उसको घेर लेती हैं उस वक्त वह अपने-पराये का ध्यान भी नहीं रखता। मुझे तो केवल मात्र इतना ही याद आता है, मैं आपको फिर चौपाई सुना देता हूं। जब भरतजी महाराज आगे प्रयाग जा रहे थे, उन्होंने यही कहा प्रयागराज से कि :

"मांगहु भीख छोड़ निज धरमु,
आरथ काहे न करे कुकर्मु।"

कि मैं आरथ हूं, प्रयागराज, मैं क्षत्रिय हूं। मेरा काम भीख मांगना नहीं है, दान देना है। लेकिन चूंकि आज मैं पीड़ित हूं, उत्पीड़ित हूं, व्याधियों में हूं, कष्टों में हूं इसलिये मैं अपने धर्म का परित्याग करके तुमसे भीख मांग रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य केवल मात्र इतना है, मान्यवर, कि अपने-पराये का मान भी नहीं रहता उस व्यक्ति को जो कष्टों में रहता है। वह अपनों से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। जब एक आदमी जन प्रतिनिधि के रूप में पीड़ित लोगों के बीच में जाता है तो कोपभाजन बनता है, कभी-कभी उपहास भी हो जाता है उसका। मैं उस क्षेत्र से सम्बन्धित हूं जहां पर बहुत ज्यादा विपदा हुई है। कोटा में बाढ़ आयी है लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़ मेरे ही क्षेत्र में है। मैं कोटा के विधायक से अपने आपको ऊंचा नहीं मानता हूं, वहां भी नीचा हूं और मेरा क्षेत्र भी नीचे है। इसलिये उसमें तो जितनी सहायता आप कर सकें उतनी करने के लिये मेरा आपसे निवेदन है। इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं और चूंकि राहत मंत्री, पुनर्वास मंत्री, सहायता मंत्री भी सुन रहे हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अर्जुनदास मदान : धन्यवाद तो मैं लूंगा आपसे, बस डेढ़ मिनट में।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जितना बाढ़ का पानी आता है वह चम्बल में डाल दिया जाए तो कोटा के कष्टों की आधी व्याधियां तो समाप्त हो सकती हैं। योजना निश्चित रूप से बड़ी है लेकिन कोटा जैसे शहर के लिये तो बड़ी नहीं है। कोटा आज बहुत बड़ा शहर है, तीसरे नम्बर पर राजस्थान में स्थान है उसका। अगर निगम तीन हैं तो कोटा में भी निगम है। ऐसे शहर में हर सात साल बाद, आंठ साल बाद बाढ़ अगर आती रही तो लोगों की भावनाओं के ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसकी केवल मात्र आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं उन भावनाओं को मेरे शब्दों की परिधि में मान्यवर, नहीं बांध पाऊंगा। राहत मंत्री महोदय, इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करके इस बाढ़ के पानी को चम्बल में डालें ताकि उससे कुछ राहत मिल सके।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि तालाब जितने भी हैं कोटा के आस-पास, आखिर कोई आज तो कोटा बसा नहीं है। कोटा सौ दो सौ साल से बसा होगा, पहले भी बाढ़ आयी होगी। आज दूसरी बार बाढ़ आयी है तो सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिन्तन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्या आ गयी जिसके कारण से पिछले 10 वर्षों में दो बार बाढ़ आ गयी। तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जितने तालाब हैं उनकी आप सफाई करवा दें, मरम्मत करवा दें ताकि पानी के भराव की क्षमता ज्यादा हो। पानी अगर तालाबों में भरा होगा तो कुओं का जल स्तर भी ऊंचा आएगा और इसके साथ-साथ पर्यावरण के ऊपर भी निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है कि जितने तालाब हैं उनको आप निश्चित रूप से भराएं।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि अतिक्रमण बहुत हो चुका है। अतिक्रमण की स्थिति यह हो गयी कि लोगों ने तालाब के ऊपर भी बना दिया और जहां पानी का बहाव था वहां भी कर लिया उन्होंने अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने में यदि किसी को कष्ट होता है तो होने दीजिये। आपने देखा होगा, मान्यवर, जब किसी मां का बेटा किसी फोड़े से पीड़ित हो जाता है तो डाक्टर के पास जाकर के वह चीरा लगवा देती है। जानती है कि मेरा बच्चा कष्ट में है लेकिन दूरगामी परिणामों को देख करके, बच्चे की अस्वस्थता को समाप्त करने के लिये यदि मुझे चीरा भी लगवाना पड़े और मेरा बेटा स्वस्थ हो जाऐ तो डाक्टर के पास जाकर चीरा भी लगवाती है। अगर एक आदमी की दुविधा अनेक व्यक्तियों की सुविधा का कारण बनती है तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा आज सदन से कि इसके ऊपर हमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिये।

अगला सुझाव मेरा इसमें यह है कि जितनी भी सड़कें टूटी हैं, बांध टूटे हैं उनमें यथाशीघ्र कार्यवाही चूंकि करनी चाहिये। सहायता मंत्री महोदय, आप भी पधारे थे। मैं आपसे बहुत अनुनय पूर्वक आग्रह करूंगा कि कोटा के इस क्षेत्र में आप जितना शीघ्र मरम्मत करवा सकते हैं उसको करवाएं। _ (व्यवधान) _मंत्रीजी मेरी तो सुन रहे हैं, आपकी न सुनें तो आप देखें।

मेरा इसमें निवेदन यह भी है कि मुआवजा राशि जितनी जल्दी आप दे सकें वह आप दे दें। मुआवजा राशि है भी बहुत कम, जैसा लोगों ने कहा था। जो भी है। आखिर आज मैं तो कोई बढ़ा नहीं पाऊंगा, यह तो सदन ही

(श्री अर्जुनदास मदान)

कभी बढ़ाएगा, लेकिन इतना जरूर निवेदन करता हूं कि जो कुछ मुआवजा देना है उसमें शीघ्रता बरती जाए। मान्यवर, जब देर हो जाती है तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था समय के बाद जब कोई चीज होती है तो उसका इतना महत्त्व भी नहीं रहता। विशेषकर जब उप मुख्य मंत्रीजी जाकर किसी स्थान पर घोषणा करते हैं तो कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं करता। एक बार मेरी बात का कुछ अर्थ निकले न निकले लेकिन जब आप जैसा कोई व्यक्ति बात करता है तो उसका कुछ अर्थ होता है। वह बात अर्थहीन नहीं होनी चाहिये। जब बड़े-बड़े लोगों की बात में निरर्थकता समाज को दिखती है तो लोगों की आस्थाएं टूटती हैं, विश्वास टूटता है। उसको बना सकें, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तो इस साल राजस्थान में सबसे कम, यानि 60 परसेन्ट डैफिसिट बरसात हुई है, कम हुई है। मतलब 40 परसेन्ट ही हुई। लेकिन मैं दो-तीन मिनट में ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि बाढ़ जब आ जाए तो उसके बाद तो सरकार के पास एक तो हैलीकॉप्टर से कुछ खाना डाल देना और एक मिलिट्री की नाव में सफर कराना, इतना ही काम बाकी रह जाता है। इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाढ़ क्यों आती है और बाढ़ को रोका कैसे जा सकता है नुकसान से कैसे बचा सकता है इसका काफी सरल तरीका है कि इसकी विभीषिका को कम किया जाए। बाढ़ का कारण यह है कि जगह-जगह पानी के अटकाव कर दिये। एक तालाब बनाया था खेत को बांध दिया या दूसरे को बांध दिया या तीसरे को बांध दिया। जब एक टूटता है तो एक का पानी दूसरे भरे हुए में आता है तो दो तालाब का पानी, और दो का होता है तो फिर चार, पांच, आठ होते होते फिर वह बाढ़ का रूप धारण कर लेता है इसलिये जो भी बाढ़ प्रोन एरियाज हैं, वाटर शेड्स हैं क्योंकि पहाड़ों में या कठोर जमीन पर ज्यादा बरसात होने से ही बाढ़ आती है। जितने भी वाटर शेड्स हैं और जो प्रोन एरियाज हैं, 100 साल का इतिहास आपने सामने है कि कब आई है कब नहीं आयी है। सड़क बनाएंगे तो उसमें रपट नहीं बनाएंगे, ऊंची बना देंगे ताकि वह तालाब भरेगा वह फिर टूटेगा, सड़क को नुकसान करेगा, आगे और नुकसान करेगा। इसलिये जितने भी निर्माण कार्य हों-चाहे बांध हों चाहे सॉयल कन्जरवेशन वर्क्स हों या नालों के बहाव का रूकाव हो तो उसका बाकायदा आप पहले सर्वे करें। उसमें ज्यों ही पानी ज्यादा आये, निकलने की व्यवस्था करनी चाहिये, चाहे छोटे बांध हों, चाहे खेत का बांधना हो और चाहे तालाब हो।

दूसरी बात यह है कि इंजीनियरों को और प्रशासनिक अधिकारियों को, बहुत कटु अनुभव है इसलिये मैं कह रहा हूं, जियोग्राफी का कुछ भी अनुभव नहीं है, चाहे कलेक्टर बैठा हो चाहे एस.पी. हो, चाहे एस.ई. हो या चाहे पी.डब्ल्यू.डी. वाले हों, कि क्या हो सकता है, किधर से आएगा। बाढ़ की मीटिंग महज एक फार्मलिटी होती है और उसका नतीजा जनता को भोगना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं 1979 का किस्सा, उसमें मेरी सगी बहन के घर के सात जने डूब गये, बह गये। जिनमें से चार तो किसी तरह बच गये और तीन मर गये। बाढ़ 16 तारीख को सुबह 11 बजे आयी बिलाड़ा में और दूसरे दिन करीब बीस घंटे बाद

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में मेरी ढाणी के पास वह पहुंची। उसके दूसरे दिन वह गयी है बालोतरा और तीसरे दिन आयी है रणोदर और कच्छ, मतलब जहां यह यह नदी गिरती है चार दिन बाद में वहां पहुंचती है। अमरारामजी यहां बैठे हैं, जानते हैं, नदी के पास पास बवातरा तक एक सड़क बनी हुई है। एक जीप में अगर आदमी रवाना हो जाता और कह देता कि बहुत भयंकर बाढ़ आ रही है, साधारण नहीं है, आप लोग भाग जाना, अपने माल मवेशी को बचा लेना। कोई इत्तला देने वाला नहीं था। नतीजा क्या हुआ, आपको मालूम है? उस बाढ़ में 700 आदमी मरे हैं जिसमें एक-एक घर में 22-22 मरे हैं।

एक माननीय सदस्य : कौन से सन् की बात है?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह 1979 की बात है। भैरोंसिंह जी साहब के टाइम की ही बात है।

कलेक्टर साहब और इर्रिगेशन के, पी.डब्ल्यू.डी. के इंजीनियर मौजूद थे। रात को 10 बजे जब लूणी पर पहुंची और थाने के ऊपर से पानी निकल गया तो कलेक्टर साहब को इत्तला दी गांव वालों ने कि यहां पर बाढ़ जबरदस्त आयी है। वे कहने लगे, कहां से बाढ़ आयी है? बाढ़ तो आयी है पीपाड़ में और बिलाड़ा में क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? यह नहीं जानते कि पीपाड़ और बिलाड़ा वाली है। लूणी नदी तो वहां आती है वह आयी है। तो उन्होंने कहा कि साहब, आप आपके थानेदारजी से बात कर लो। थानेदार ने कहा, साहब, हमारी छत के ऊपर से पानी बह रहा है। उसके बाद में भी टेलीफोन कर देते, दौड़ा देते आगे से आगे गाड़ियां तो इतने लोग नहीं मरते। शुरू में तो बिलाड़ा के पास 50-60-100 ही मरे थे, जो 700 मरे हैं वे तीन दिन के दौर के अन्दर जाकर मरे हैं। लेकिन कोई इत्तला देने वाला नहीं था। मैं उस वक्त अर्जुन सिंह जी के गांव में था। मैं जब आया, नदी करीब एक किलोमीटर चौड़ी बह रही थी। मैं बहुत अच्छा तैरना जानता हूं, गांव वाले भी साथ में हो गये हम पार होकर घर आये तो मालूम पड़ा कि इस तरह से ट्रेजडी हो गयी है।

दूसरी बात वार्निंग सिस्टम की है। मैंने कहा पहले टोपोग्राफी तैयार करो, पानी का रूकाव मत करो। जो कोई भी खेत बांधे, तीन फीट पानी भरने के बाद उसका निकाल होना चाहिए ताकि आगे का पानी आगे चला जाएगा और पीछे का पानी बाद में आ जाएगा। लेकिन कभी भी इत्तला नहीं देते कि भंयकर बाढ़ आ रही है। कोई इत्तला देने वाला नहीं होता। बाढ़ आ गयी उसके बाद में कोई रिलीफ होती है। आप हैलीकाप्टर से पैकेट गिरा देते हो या कहीं पर एक आध फंसा हुआ है तो उसको उठा लेते हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : वह तो पानी में गिरता है, पैकेट किसी को मिलता नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, कहीं भी गिरता होगा लेकिन होता असल में यह है इसलिये प्रशासन को दो बातें खासकर करनी चाहिये एक तो पूर्व सर्वे डिपार्टमेंट से कराओ और ऐसे अटकाव वाले स्थल हों उन सब को ऊंचा करवा दो। मैं धन्यवाद देता हूं उस इंजीनियर को जिसने जसवंत सागर बांध बनाया है। अर्थन डैम है, वह सब जानते हैं। अगर उस बांध की वह टेक्नोलोजी, वह तीन फीट पत्थर की दीवार बीच में नहीं होती तो कम से कम पांच लाख आदमी मरते क्योंकि वह बांध 27 फीट ऊंचा है। उसके टूटने के बाद में बालोतरा,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

समदड़ी और लूणी के पास जितने गांव हैं उनमें 10-10, 15-15 फीट ऊपर से पानी बहता। लेकिन दूरदर्शी था बनाने वाला। इसलिए, महोदय, आप इस दृष्टि से इसको देखिये यह ड्यूटी होनी चाहिए। नीमराणा में हुआ है, ऊपर से रूपारेल आ रही है, ये नदियां आ रही हैं। अगर कैचमेंट में बरसात हुई तो एक दिन के अन्दर भरतपुर थोड़े ही पानी पहुंचा? उसमें टाइम लगता है। भरतपुर में भी बरसात जितनी हुई और इधर भी हो रही है तो भरतपुर वाला पहले निकल जाएगा और यह बाद में निकल जाएगा। इसमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना कर काम करना चाहिए। अतिवृष्टि से नुकसान है लेकिन फायदे उससे भी ज्यादा हैं। एक विधवा का उदाहरण देता हूं,लोकोक्ति है। "सौ सांड़ियां सौ किरसला पूत निपूती होय, मेह-सड़ला बूठा भलां चाहे वो दुखयारण होय।" एक विधवा औरत के एक ही लड़का था और धन के नाम पर 100 उसके ऊंटणियां थीं, 100 उनके बच्चे थे। नदी के पास नर्म जगह होती है वहां रात को उन्होंने बासा किया था। नदी आयी तो सब बह गया, उसका पुत्र भी चला गया। लोगों ने आकर कहा, बरसात हुई बहुत बुरा हुआ। धन, एक बेटा सब खत्म हो गया। उसने कहा, बरसात बुरी हुई है यह मत कहो, चाहे मैं दुखयारण हो जाऊं लेकिन यही नारा लगाऊंगी कि बरसात हुई है, उसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। इसमें जैसे उनके पानी ऊपर आ गया, सब के पानी ऊपर आएगा तो वह दूसरे तरीके से री-कम्पेनसेट भी हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाया। तत्परता से कार्य करते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने अलवर और भरतपुर दोनों जिलों का दो बार हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों को सांत्वना देते हुए यह कहा कि आपको धन की कमी किसी प्रकार से नहीं आने दी जाएगी। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि मेरे क्षेत्र के लगभग 50 गांव पानी के अन्दर डूब चुके थे। पर उनमें से करीब 25 गांवों की रिपोर्ट तो आज तक नहीं हुई। पटवारी और तहसीलदार केवल हैड-क्वार्टर पर बैठ कर बनाते हैं, उन्होंने वहां क्षेत्र में जाकर नहीं देखा। इसकी सारी जिम्मेदारी यदि है तो केवल सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग के करीब 20 बांध टूटे हैं। उन बीस बांधों में से एक-एक कर बांध टूटते गये, सूचना दी गयी लेकिन कोई भी प्रशासन का आदमी उस समय जांच करने तक नहीं पहुंचा। बांध टूटा है उस समय पूरे अलवर जिले का प्रशासन वहां पर मौजूद था । गांव वालों ने कहा कि हम आपको हर तरह से मदद करेंगे, आप कट्टे मंगवा दो हम भर कर लगा देंगे। प्रशासन के सामने वह बांध टूटता है, 12 घंटे तक उस बांध के ऊपर पूरा प्रशासन खड़ा रहता है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिंचाई विभाग के जो जो बांध टूटें हैं उनकी पूर्ण रूप से मरम्मत करके उन्हें दुबारा बंधवाएं और जो ओवर फ्लो होता है उसको थोड़ा नीचे किया जाए। उनके ऊपर एक-एक चौकीदार की व्यवस्था कर देनी चाहिये जिससे समय पर फौरन आपको सूचना मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना सिंचाई विभाग का दोष है उसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग भी दोषी है। इस विभाग ने जितने भी पुल बनाये हैं वे किसी भी

(श्री मदन मोहन)

मेजरमैंट के आधार पर, किसी जगह को देख करके नहीं बनाये गये। जहां इनको लगा वहीं बना दिये, जिसकी वजह से एक भी पुल के नीचे से पानी नहीं गया, सड़क को तोड़ा गया। कम से कम 40-40 फीट गहरे गड्ढे हो गये, आज तक उनको भरा नहीं गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भादोरी गांव से लेकर पुणसर गांव के बीच में 40 फीट गहरे गड्ढे हैं लेकिन अभी तक उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उसमें एक बच्चा डूब कर मरा था, उसको चार दिन बाद गांव के लोगों ने पम्प लगा कर निकाला था लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम अलवर डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर से भेजी गयी, उसने पूरे जिले में ढंग से काम किया। किशनगढ़ में जो रैफरल हास्पिटल है वह पूरा भरा हुआ था। पूरा हॉस्पिटल टपकता है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दारू के नशे में वहां घूम रहे थे, लोगों से मजाक करते हुए घूम रहे थे। जब लोग इलाज के लिये वहां पहुंचे तो उनकी जेब में से किसी ने 50 रूपये तो किसी ने 100 रूपये निकाल लिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। आप चाहें तो जांच करवा लें, मैं दावे से कहता हूं कि आपको रात्रि के समय उसी हास्पिटल के अन्दर शराब, मुर्गे और दारू पीते हुए लोग मिल जाएंगे। वहां के सी.एम.एच.ओ. ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, बड़े दुःख की बात है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने बाढ़ और अकाल के संबंध में इन पांच वर्षों के दौरान दो बार मापदण्ड तय किये लेकिन उनमें आवश्यक संशोधन करके जो सहायता दी है उस सहायता को भी बढ़ाएं क्योंकि वह सहायता पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि उस सहायता राशि को और बढ़ाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के ट्यूबवैल और इंजन दबे हुए हैं, उनके ऊपर करीब 20-20 फीट मिट्टी चढ़ी हुई है, राज्य सरकार ने उनको निकालने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। उनको निकालने के और भी दुबारा से अपने ट्यूबवेल लगाने के लिये आवश्यक ऋण की सुविधा भी देनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये 90 लाख के मिनी किट्स की व्यवस्था की गयी है, जबकि 90 लाख के मिनी किट्स की जगह कम से कम एक करोड़ 90 लाख रुपये की व्यवस्था होनी चाहिये। अलवर जिले में करीब पौने दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पूरे राजस्थान में 704 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ उसकी एवज में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र की सरकार से मात्र 236 करोड़ रुपये की मांग की है जो भी अभी तक किसी भी रूप में प्राप्त नहीं हुई है। सेंटर से टीम आयी थी उसने प्रशासन को दोषी पाया लेकिन प्रशासन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पटवारी और तहसीलदार ने जो रिपोर्ट भेजी है उसका दुबारा से सर्वे कराकर वास्तविक रूप से जो मुआवजा मिलना चाहिये वह मुआवजा दिलाना चाहिये। किसानों की जो

(श्री मदन मोहन)

फसल बरबाद हो गयी, उसका भी उचित मुआवजा दिलाना चाहिये। इसके साथ ही मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदय ने हाउस में रिपोर्ट पेश की है। बड़े दुःख की बात है, कितने अनुभवी मंत्री सूची पढ़ रहे थे 11 जिलों की लेकिन उसमें गंगानगर का नाम अंकित नहीं था। उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराज रहे थे। संयोगवश मेरा तारांकित क्वेश्चन लगा रखा था, उसका जवाब भी मुझे आज ही मिला है जिसमें जवाब है कि 125 किसानों का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपये की क्षति हुई। आप कहते हैं कि वहां बाढ़ आयी ही नहीं और आपने ही कुछ और लिख कर दिया है। मैं आपका लिखा हुआ वह जवाब पढ़ता हूं ताकि मंत्रीजी को पता लग जाए। श्री गंगानगर में अनूपगढ़, बीजानगर, सूरतगढ़ ....

श्री सांवर लाल : मैंने यह थोड़े ही कहा था कि बाढ़ नहीं आयी?

श्री राधेश्याम : यह हो सकता है, भूल गये हों तो मैं नहीं कहता लेकिन उस वक्त आपने कहा, आपने फरमाया कि आप बता दो, हमारी सूची में तो नहीं है। सी.एम. साहब ने खुद कहा फिर कि साहब, आप कह दें तो हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं अर्ज करता हूं, ऐसा है कि राजस्थान में यह भीषण बाढ़ जो आयी और इसमें 705 करोड़ रुपये का सारे राजस्थान में जो नुकसान हुआ इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का हुआ। हनुमानगढ़ जिला जो एक तरह का जंक्शन था हनुमानगढ़ का, उसका बिलकुल विनाश हो गया। 7-7 फीट पानी था एडमिनिस्ट्रेशन के, और कलेक्टर के और एस.पी. के घरों में लोग। मैं अपने रिश्तेदारों के यहां गया था ट्रेक्टर पर बैठ कर के तो लोग टट्टी प्लास्टिक के लिफाफे थे अंदर कर रहे थे।

वे गरीब लोग जिनके सैंकड़ों, हजारों मकान टूट गये, सड़कों पर भटक रहे थे। ऊपर कुछ ओढ़ने को नहीं था, न नीचे बिछाने को था। पशु धन का नुकसान हुआ, किसान बरबाद हुए, करोड़ों रुपये की फसल किसानों की बरबाद हो गयी और बात करते हैं तो उनके मुआवजे का नाम नहीं। कि यह अगर कुदरत की विपदा होती तो मिलता। यह कुदरत की विपदा नहीं है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मालूम है, मंत्रीजी गये थे। मैं उनसे मिला भी था। हमारी एक मीटिंग में भी बात हुई। चेयरमैन, इंदिरा गांधी कैनाल और इर्रिगेशन के उच्च अधिकारियों से चर्चा करने के बाद यह मालूम हुआ कि इर्रिगेशन वाले जो टैक्निकल लोग थे उनका मानस इसको तोड़ने का नहीं था। लेकिन हमारे मंत्रियों के कारण उनके अपने दोस्तों की जमीन बचाने के कारण उन्होंने इन हनुमानगढ़ को ऐसा डुबोया है जो मेरे ख्याल में 25 साल तक उबर नहीं सकेगा। इस तरह का अन्याय मैंने नहीं देखा।

मेरे पास मानचित्र है, प्रस्तुत करूंगा मैं अभी मंत्रीजी को, कि कहां-कहां बंधे थे, क्यों टूटे। जब भाभड़ा साहब पधारे थे, उप मुख्य मंत्री महोदय, तो ये वहां से नाराज होकर के आ गये थे मंत्रियों की लड़ाई के कारण वहां से आ गये 14-15 को, नहीं तो ये वहां रहते 16 तारीख तक। फिर जब मैंने सुना यहां–

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री राधेश्याम : मैं अपनी बात ही कह रहा हूं। उसमें आगे यह तो शामिल है ही। मैं अपनी बात ही कह रहा हूं और कुछ नहीं कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं मंत्रीजी से कि आप इस बात की जांच कराइये किसी जुडीशियल अधिकारी से, आपको वे चीजें सामने आएंगी कि यह भगवान की दी हुई विपदा नहीं थी, मंत्रीजी फरमा रहे हैं कि उस तारीख को 40 हजार क्यूसेक्स पानी था। मंत्रीजी बड़े अफसोस की बात है। आप दुबारा अपने अधिकारियों से पता कीजिये, उसमें 33 हजार क्यूसेक्स पानी था। आप जो 16 हजार की बात करते हो, उससे कहीं अधिक पानी हनुमानगढ़ में कई बार आ चुका है लेकिन इस तरह का विनाश कभी भी नहीं हुआ। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का विनाश और इस तरह की हालत अगर आप देखते तो आपको रोना आ जाता। मैं हाउस में तस्वीर पेश करूं, अगर आज वे फोटो होते। मैं कहता हूं कि इर्रिगेशन के अधिकारी जितने बैठे हैं, छाती पर हाथ रखें, इनका मन नहीं था उस बंधे को तोड़ने का! फिर क्यों तुड़वाया गया? और हनुमानगढ़ को क्यों बरबाद किया गया? इसके अंदर किसकी चाल थी? कहीं तो जिम्मेवारी आयद कीजिये। आप किसी को बचाने की कोशिश मत कीजिये। कितना बड़ा अन्याय है। आप राजस्थान के मालिक हो, आपको लोगों ने राज दिया है अपनी बेहतरी के लिए कि आप हमारी रक्षा करें। मगर आप रक्षक की जगह भक्षक बन गये और आप उन्हीं लोगों की वकालत करने लग गये। मंत्री महोदय, यह काम नहीं चलेगा, भगवान भी नाराज हो जाएगा। कभी तो आप कह दो कि गंगानगर में कुछ नहीं हुआ, हनुमानगढ़ की तो लिस्ट ही नहीं दी आपने। इतना भारी नुकसान किसानों का हुआ है कि जिसकी मेरे ख्याल से 10 साल तक पूर्ति नहीं हो सकती है।

फिर उससे आगे आप चलिये। हमारे बिरदवाल हैड के आगे अनूपगढ़ ब्रांच जाती है, उस अनूपगढ़ ब्रांच में पीछे ज्यादा पानी आ जाने के कारण पंजाब वालों ने इंदिरा गांधी कैनाल को तोड़कर उसमें पानी डाला। तीन बार पानी नहीं लगा। छत्तरगढ़ और सूरतगढ़ के एरिये में! नरमा और कपास की करोड़ों रुपयों की फसल खत्म हो गयी और किसी को कोई बात की चिंता नहीं।

मेरे को एक बड़ी खुशी हुई कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, हमारे कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे भरतपुर वाले कि तीन बार हवाई सर्वेक्षण किया। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि गंगानगर का नम्बर एक बार भी नहीं आया, और जब कभी हम अपनी बात कहने के लिये खड़े होते हैं तो मेरे बड़े भाई, मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान में अपना पूरा अधिकार रखने वाले एकदम नाराज हो जाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्य मंत्री महोदय गये थे।

श्री राधेश्याम : आपको यह बात उनको कहनी चाहिये, मैं बड़े भाई की तरह आदर करता हूं उनका और उनको भी ...

श्री सांवरलाल : एक मिनट मेरी सुन लीजिये आप। माननीय मुख्य मंत्रीजी उस समय अस्वस्थ थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेता अलवर, भरतपुर, दौसा, किसी जिले में गये हों तो बता दीजिये।

श्री राधेश्याम : हां जी, हम गये। भरतपुर, अलवर गये और कहीं नहीं गये।

श्री सांवरलाल : मैं तो प्रतिपक्ष के नेता की पूछ रहा हूं। वैसे तो मैं भी जाकर आया हूं।

श्री राधेश्याम : इंदौराजी और हम दोनों गये थे, भरतपुर . . . (व्यवधान) . . . और हमारी जिम्मेदारी आपसे कम थी, जिम्मेदारी आपकी थी। हमारे लोगों ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनायी और वह कमेटी . . . (व्यवधान) मुझे सुन लीजिये, आप अगर हुक्म करो तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बोलने दीजिये। आप, राधेश्याम जी, इधर देखिये।

एक माननीय सदस्य : बड़े भाई की वजह से कह रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े भाई हैं।

श्री राधेश्याम : मुख्य मंत्रीजी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके अपमान की कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि . . . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राधेश्याम जी, इधर देखिये।

श्री राधेश्याम : उनको मेरे से प्यार करना चाहिए। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। एक-दो मिनट अपनी बात तो कहूं, साहब। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय मंत्री महोदय . . . (व्यवधान) . . .

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय राधेश्याम जी संसदीय भाषा में बोल रहे हैं, कोई गाली तो दे नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ देखें।

श्री राधेश्याम : आपकी बात ठीक है, साहब, वैरी सॉरी। आपकी तरफ ही देखना चाहिए, बिलकुल ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अन्याय और ऐसा स्टण्ट जो हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराने की सरकार को घोषणा करनी चाहिये। अगर सरकार वास्तव में सही है तो किसी को बचाने से सरकार को क्या लाभ मिलेगा? मैं कहता हूं कि राजस्थान कैनाल का चेयरमैन शपथ लेकर के यह कह दे, वहां इर्रिगेशन के सब अधिकारी-चीफ इंजीनियर, एसई., एक्सई.एन. तक कोई भी व्यक्ति यह कह दे कि यह बंध टूटने वाला था। उसको तोड़ा गया, हनुमानगढ़ को बरबाद किया गया। 25 साल तक हनुमानगढ़ रोता रहेगा। और यह बात मैं अगर आपको नहीं कहूं तो किसको कहूं? मेरे को इस बात का पूरा यकीन है कि आप इसकी जुडीशियल इंक्वायरी करवाएंगे। जो दोषी लोग हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप दोहरा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़िये।

श्री राधेश्याम : चाहे वे सरकार के मंत्री हो। मैं अर्ज यह करता हूं कि हमारे यहां, मंत्रिमंडल के सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता था, डॉक्टर राम प्रताप ने इस्तीफा दिया इस बात पर कि सी.एम. साहब यहां नहीं आये और हमारी बात नहीं सुनी क्योंकि उन्होंने अपने आदमियों के बचाने के लिए हनुमानगढ़ में बंधे तोड़ दिये। या तो हनुमानगढ़ में कभी गंगा लाये थे भागीरथ या श्री रामप्रताप जी डाक्टर लाएंगे! क्या कहने हैं इस बात के गुरजन्ट सिंह जी ने अपनी सफाई कई बार दी है लेकिन मेरा इल्जाम डॉक्टर रामप्रताप पर ज्यादा है जिन्होंने इस्तीफा दिया। वह इस्तीफा कहां है? अखबारों में आया है, सारी दुनिया ने पढ़ा है। क्या हुआ उस इस्तीफे का? अब मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके वहां कम से कम हमारे इर्रिगेशन मंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं और गंगानगर से उनको काफी लगाव है। श्रीमान् भाटीजी को ही हवाई जहाज मिल जाता तो वे कभी पैकेट गिरा देते, कोई दवाई गिरा देते। एक बार को यदि सी.एम. साहब की तबीयत खराब भी थी तो भी प्लेन में जाते तो लोग कहते कि राजा आ गया हमें

(श्री राधेश्याम)

संभालने आ गया। महाराजा गंगासिंह जी का गंगानगर रो रहा है, इसे बचाओ। पुनः इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी हो, मेरी एक ही मांग है। जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाओ और लोगों को मुआवजा दो। हरियाणा ने 700 करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लिया। आप भी गरीबों को दो। मैं नयी बात बताऊं आपको उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में गंगानगर के अंदर बड़ी भारी बारिश हुई थी। 780 मकान टूट गए, रिपोर्ट आ गयी। मैं यहां बोला। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मंगाइये। रिपोर्ट में पढ़ा कि इतने मकान तो टूटे हैं लेकिन इनके पट्टे नहीं थे इसलिये मुआवजा नहीं दिया जा सका, मेरे सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पट्टे पेश कर दिये इतने लाकर मैंने। पट्टे थे लेकिन कलेक्टर ने रिपोर्ट गलत दी, सदन को गुमराह किया। विधान सभा अध्यक्ष को मैंने सौंपे, आज तक उसका कोई जवाब नहीं है और कहते हैं कि ये तो नाजायज कब्जे थे। जब कि उनके पट्टे आज से 40 साल पहले के हैं। ऐसा अन्याय सिर्फ इसलिये कि वह गंगानगर है। अगर इतनी कोई नाराजगी है तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप गंगानगर की परिस्थिति का मुआयना कीजिये मैं हाउस से चला जाऊंगा। नहीं आऊंगा अगर आपको इस तरह से मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगता है। जब भी में कभी आपके सामने बात रखता हूं तो पूरा सुना नहीं जाता। मेरे इलाके को बिलकुल बरबाद करके रख दिया, किसी भी मामले को लें। सड़कें पड़ी रो रही हैं। आप चलकर देखें, आपको खुद रोना आ जाएगा। गरीब आदमियों को कोई संभालता नहीं है। कहते हैं कि कृषि भूमि पर हरिजन गरीबों को मुआवजा नहीं देते, कृषि भूमि पर यदि बस गये। 1985 और 1986 में चीफ सैक्रेटरी ने कहा था कि 5 रुपये गज में सब के पट्टे को नियमित कर दो। आज जो स्लम्स हैंआप उनके लिये कहते हैं कि वे तो कृषि भूमि पर बन गये। अब 50 साल पहले बन गये, 30 साल पहले बन गये उन गरीबों को 5 रुपये गज में पट्टा दो, पैसे सरकार के घर में आएंगे। बिजली आपने ला दी, आप वहां पर राशनकार्ड बना रहे हैं। आपने वहां तेल दिया है, आप वहां पानी देते हैं। सड़कें बनी हुई हैं, नाली है। फिर अनआथोराइज्ड को तोड़ा क्यों नहीं? 40 साल, 30 साल या 10 साल के हैं तो बनने क्यों दिये? वे पट्टे पेश किये हुए हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि और भी लोग बोलने वाले हैं। आपने मुझे समय दिया मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनकी दुविधा तो यह है कि बाढ़ में तो मुख्य मंत्री जी पहुंचें नहीं और चुनाव लड़ने पहुंच जाएं। यह है दुविधा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरचन्द मिड्ढा।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ के ऊपर जो वार्ता हो रही है इसके विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। यह जो बाढ़ है यह मेरे क्षेत्र में होकर गुजरती है और पाकिस्तान को चली जाती है। इस बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। जो डिप्रेशन बनाये हुए हैं, मैंने पिछली दफा भी सिंचाई मंत्री महोदय से कहा था कि हमारे पी.बी.एम. नहर बनी हुई है पानी डालने के लिये उसको अगर 12 नम्बर कट से जोड़ दिया जाए तो उसमें पानी जा सकता है और उसके पानी का उपयोग गंगानगर और श्रीकरणपुर में हो सकता है। अभी तक तो उसको जोड़ा नहीं गया है। 16 नम्बर कट से जोड़ा हुआ है, उसमें पानी जाता

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

नहीं है इसलिये उस नहर में पानी चलता नहीं है। सौ या सवा सौ क्यूसेक्स की नहर हरम के लिये बनी हुई है उसकी भी थोड़ी बहुत कसर है और उसमें भी अभी तक पानी नहीं चलाया गया है। उसके बावजूद 22 टीवी के पास में अगर इस फ्लड का पानी लो लेवल ब्रांच में डाल दिया जाए तो लगभग 2000-2200 क्यूसेक्स पानी उसमें जा सकता है और काश्तकार को उसका फायदा हो सकता है, काश्तकार उससे आगे सिंचाई कर सकते हैं। यह अभी तक चालू नहीं हुई है। उसके बावजूद जो 6 बीघे का यह सरकार रख रही है इसके अन्दर बांध नहीं बाधा जाए। इसमें भी सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर नोटिफिकेशन हुआ है। इसका कोई सर्वे नहीं किया गया है, न कभी इसको देखा गया है। आज भी जहां बंधे बंधे हुए हैं उनको तो तोड़ने के लिये कह दिया गया है पर जो आज पानी चल रहा है उस मौके पर कई जगह ऐसे पाइन्टस हैं जिनका गलत सर्वे कराकर बंधों को तोड़ने के लिये लिखा जा रहा है। इसलिये मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी दुबारा चैकिंग कराएं और उसका रिकार्ड देखें। 20-25 साल से बंधे बंधे हुए हैं उनको तो तोड़ने के लिये नोटिफिकेशन किया गया है और जो प्लेन जगह पड़ी है, इस साल भी नाली में पानी गया है उस जगह को सूखा रखा गया है। एक जो डिप्रेशन है इसके अन्दर 40-45 फीट पानी खड़ा रहता है और इससे पानी रिसता है, सेम हो रही है। अगर कभी यह टूट गया तो सूरतगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक किसी गांव का कोई नामोनिशान नहीं रहेगा। इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिये ताकि पानी हर साल निकलता रहे। यह पानी पहले पाकिस्तान में चला जाता था पर अब पाकिस्तान वालों ने बंधा बना लिया है। उन्होंने उसके ऊपर साइफन कर लिये हैं, जैसे-जैसे उनको पानी की जरूरत होती है उतने पानी का उपयोग कर लेते हैं वरना साइफन बन्द कर देते हैं। आगे कई जगह नहर के ऊपर जाकर अगर सरकार वहां से दो-चार बीघे हैं उनमें पानी काट दें तो भी नहर में पानी पड़ सकता है। उससे सिंचाई भी हो सकती है और पानी का उपयोग भी हो सकता है। उसके बाद में फिर यह पानी जाता है 23 के.डी. में रावला से आगे खाटू वाली साइड में। उधर भी नाली का पानी चला जाता है। अगर इन्जीनियर्स सर्वे करके देखें तो उस पानी का भी उपयोग हो सकता है। जी.बी. नहर के एक तरफ घग्घर फ्लड चलता है और दूसरी तरफ सूखा रहता है। अगर ऐसी कोई स्कीम बना दी जाए और उस तरफ भी अगर पानी दिया जाए तो लोग काश्त कर सकते हैं और जो यह पानी पाकिस्तान में जाता है उसका अपने यहां उपयोग हो सकता है। एक बिंजोय गांव है बिलकुल पाकिस्तान के बार्डर पर जब घग्घर फ्लड आता है तो वह बिलकुल कट जाता है अनूपगढ़ से इसलिये उसकी भी सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोगों का आना-जाना रहे। या तो उसके ऊपर कोई पुल बनाएं या कोई दो-तीन किलोमीटर की सड़क बना दें। वहां जितने भी गांव हैं सब हरिजनों के गांव हैं इसलिये सरकार को इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिये। मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि इसका दुबारा सर्वे कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ों का इतिहास मनुष्यों के इतिहास से भी पुराना है। साहित्य में मिलता है कि 3500 साल पहले नील नदी में बाढ़ आयी थी और मनुष्य बाढ़ों को रोकने के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लिये नये-नये तरीके के उपाय हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। कोटा शहर में . . . (व्यवधान) बाढ़ का समय भी निश्चित होता है, करीब करीब वही डेढ़-दो महीने का पीरियड होता है जब बाढ़ आती है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष हर जगह बना हुआ है और अभी हरिसिंह जी कुम्हेर ने सारी बात बता दी कि बाढ़-नियंत्रण कक्ष क्या करता है, किस तरीके से आपरेट होता है। रही सही विश्नोई साहब ने बता दी इसलिये डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। कोटा शहर में 1979 में बाढ़ आई, 1977 में बाढ़ आयी, 1980 में बाढ़ आयी, 1982 में आयी, 1984 में आयी, 1986 में आयी, 1992 में आयी, 1994 में आयी और इस साल फिर बाढ़ आयी। 1986 में जो बाढ़ आयी उस वक्त के जिला प्रशासन ने उस बाढ़ को किस तरीके से रोका जाए उसके लिये एक नक्शा बनाकर के राजस्थान सरकार को भेजा। कुल मिलाकर के नक्शा यह है कि अगर इन दोनों-तीनों बांधों धर्मपुरा, रामपुरा, और लखावा- ये तीन बड़े तालाब थे बन्धे बोलते हैं, अगर उनका पानी डाइवर्ट करके कोई डाइवर्शन कैनाल बनाकर चम्बल नदी में डाल दिया जाए तो यह बाढ़ रूक जाए। लेकिन 1986 से लेकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, मेरी कुल मिलाकर शिकायत यह है इसी वजह से, मंत्री महोदय मैंने एक स्टार्ड क्वेश्चन लगाया था लेकिन कल भाभड़ा साहब ने बहुत लम्बा जवाब दे दिया, प्रधान मंत्री रोजगार योजना वाला मामला था और मेरा सवाल लग नहीं पाया। सवाल मेरा यह था, मैंने आपसे यह पूछा था, मैं आपको इसलिये बताना चाहता हूं कि जवाब दो तो कायदे का दो नहीं देना आता है तो सीखो लेकिन + + + यह जो आपको जवाब दिलवाने वाले + + + बनवाते हैं इनके हाथों में मत खेलो।

श्री उपाध्यक्ष : यह + + + शब्द एक्सपंज किया जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आई एम सारी। मेरा सवाल यह था, क्या यह सही है कि कोटा शहर में इस वर्ष बाढ़ से जान-माल निधि की हानि हुई थी तथा सार्वजनिक चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो जान-माल-निधि और सार्वजनिक चल व अचल सम्पत्ति के नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखिये। "आपने इसका जवाब दिया, जी हां, कोटा शहर में दिनांक 26-8-95 को बाढ़ आयी। एक व्यक्ति मर गया, 71 लाख रुपये का नुकसान हुआ और नुकसान का विवरण अ और ब . . . ।" यह नुकसान का विवरण आपने दिया है। अब आप एक बात समझा दो मुझे कि जिला प्रशासन के अलावा भी कोई एजेन्सी है आपके पास जहां से नुकसान की किसी तरीके की आपके पास रिपोर्ट आती है।

श्री सांवरलाल : अभी तो आप ही हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं ही हूं तो मेरी बात को मानो।

आपने जो पेश की है, मैं आपको बताता हूं, इसमें आपने नुकसान कोटा शहर के सिर्फ महावीर नगर, विज्ञान नगर, अनन्तपुरा, दादाबाड़ी, श्रीनाथपुरम्, संजयनगर पंचवा, नयापुरा और रामचन्द्रपुरा में माना है जबकि जिला प्रशासन की रिपोर्ट कहती है कि केशवपुरा भी शामिल है और बसन्त विहार,

---

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

तलवण्डी इन्सट्रूमेन्टेशन, छतरपुरा, छावनी, रायपुरा, इन्दिरा गांधी नगर, प्रेम नगर, गोविन्द नगर वाला कुण्ड, आर ए सी कमाण्डेंट ऑफिस, अमर निवास वगैरह वगैरह सब शामिल हैं। आपने अपने जवाब में ये सब बातें लिखी नहीं हैं। आप नुकसान को कम दिखाना चाहते हैं? सदन को + + + करना चाहते हैं?

दूसरा सवाल मेरा, इसी में बी पार्ट था कि क्या कोटा शहर में बाढ़ से हुई जान-माल व निधि व अचल सम्पत्ति के नुकसान की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? और यदि की गयी है तो किस-किस व्यक्ति को तथा प्रतिष्ठान को किस-किस रूप में क्षति पूर्ति करवायी है? आपने यह लिखा कि एक व्यक्ति की मौत हुई और उसको कुल मिलाकर के इतना पैसा दे दिया गया। आपने जो रिपोर्ट बतायी है उसमें कुल मिला कर 76 मकानों का नुकसान बताया है जबकि प्रशासन बताता है 284 मकान और उसकी लिस्ट आपको देता है लेकिन वह लिस्ट आपने यहां पर पेश नहीं की। आप कहते हैं कि 64450 रुपये हमने क्षति पूर्ति के लिये चुका दिये और जिला प्रशासन कहता है 2,10,358 रुपये दिये हैं। अब आप यह बताओ कि आपकी बात को सही मानें या जो कुछ वहां हो रहा है उसको सही मानें? उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मेरा मतलब था...........

श्री उपाध्यक्ष : कभी कभी इधर भी देख लिया करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब इनसे तो कोई काम रहा नहीं इनको तो कल अकाल में निपटेंगे। सारा निवेदन मेरा भाटी साहब पर है। सिंचाई मंत्री जी पर इसलिये है कि सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं ने ही यह प्लान तैयार किया है। उप मुख्य मंत्री जी वहां पर पधारे और उनके सामने बैठक भी हुई, मैं शामिल नहीं हो सका लेकिन यह तय हुआ कि यह जो नक्शा है इसको लेकर तीन काम अगर करवा दिये जाएं...

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : इसकी प्रति कृपया मेरे को दे दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके पास आ गयी होगी साहब। आप दिखवाएंगे तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। नहीं आयी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तीन काम बताये गये, तीन कामों का आपसे निवेदन करता हूं। हर दूसरे वर्ष 1977 से तो मैं देख रहा हूं बाढ़ आती है। ये वहां के विधायक हैं इन्होंने कंजूसी कर दी, इन्होंने दो साल ही बतायें हैं। लेकिन हर दूसरे साल बाढ़ आयी है और हर साल कम से कम 40 करोड़ का नुकसान होता है। आपकी प्रापर्टीज का भी होता है। प्रापर्टीज की जो लिस्ट इन्होंने दी है मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ व्यापारियों का, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छोटे-गरीब लोगों का 40-50 करोड़ का हर तीसरे वर्ष नुकसान होता है। आपका खर्चा कुल मिला कर दस करोड़ का है। अगर आप इस दस करोड़ के प्लान को इम्प्लीमेंट करवा दें तो कोटा शहर, देवी सिंह जी, आपका ऋणी रहेगा। मदान साहब तो रहेंगे रहेंगे, साथ में मैं भी रहूंगा। तीन काम हैं सिर्फ। उप मुख्य मंत्री महोदय ने मुझ से एग्री किया कि हां, वाकई ये काम जरूरी हैं। कोटा शहर में जो पानी आता है वह रानपुर बन्धे का, धर्मपुरा बन्धे का और लखावा बन्धे का आता है। अगर इन तीनों

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बांधों का अतिरिक्त पानी एक डैम बनाकर एक डाइवर्शन चैनल के माध्यम से चम्बल नदी में डाल दिया जाए तो यह हिस्सा जिसमें हमेशा बाढ़ आती है और हर दूसरे साल नुकसान करती है, वह बच जाएगा।

दूसरा काम है अतिक्रमण का। अतिक्रमण के लिये पहले भी बात हो चुकी है, लोगों ने नालों पर अतिक्रमण करके मकान बना लिये हैं। वे न आपके हैं न मेरे हैं, वे तो मतलब के हैं। कृपया आप इन अतिक्रमणों को आंख मींच करके तुड़वाइये और उन नालों को साफ करवाइये, चौड़ा करवाइये। अगर यह काम आपने कर दिया तो यह कोटा शहर आपका हमेशा आभारी रहेगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस प्लान को बस्ता-ए-खामोशी में न डाल कर उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें।

एक माननीय सदस्य : अगर नहीं करें ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। धन्यवाद। श्री हरिसिंह महुआ।

(20.50)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य अभी राजस्थान का नक्शा ही नहीं जानते, उन्हें जानकारी नहीं है। कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में तो बिलकुल जानकारी नहीं है। भरतपुर में तबाही मचाने वाली दोनों नदियां गम्भीरी और बाणगंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर ही निकलती हैं और यह बिलकुल रिकार्ड पर है, अखबारों के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि दोनों नदियों में ही बाढ़ आयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि सन् 1978 से पांचना डैम आपने शुरू किया है पर इतने लम्बे समय बाद भी आपका यह डैम पूरा नहीं हुआ। इसका वैस्ट वियर नहीं बन पाया। आपने वैस्ट वियर की जगह पर टैम्परेरी बांध बना रखा था। वह टूट गया। उसके टूटने के साथ ही गम्भीरी नदी में जितना भी पानी इकट्ठा हुआ था एक साथ निकलकर उसने बाढ़ का रूप धारण कर लिया। पर उससे हम लोग भी प्रभावित हुए। मेहरबानी करके आप वार फुटिंग पर काम करवाकर, पांचना डैम को पूरा करवाएं तो भरतपुर भी बाढ़ की चपेट में आने से बच जाएगा।

मैं दूसरा, आपको बाणगंगा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा फिर मैं महुआ की बात करूंगा। बाणगंगा ने जहानुपर से अपना बहाव बदल लिया और बदल कर के उधर गयी जहां कभी बाणगंगा नहीं जाती थी। दोनों तहसीलों नदबई और कुम्हेर में जलप्लावन जैसी स्थिति पैदा हो गयी और जन-धन की हानि हुई, पशुधन की हानि हुई, फसलें बरबाद हो गयीं। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के पूर्व महाराजाओं ने बाणगंगा और गम्भीरी नदी, दोनों के पानी को चैनलाइज करने के लिये वहां पर इर्रिगेशन का एक सिस्टम डवलप किया था। सबसे पहले बाणगंगा को ही मैं लेता हूं। उसमें शायद आजादी के बाद की है रमैसामी नहर जिसका मूडिया के बन में पानी जाता है। उसके बाद पथेनका नहर है, फिर हलेनिका नहर है। वे बांध बनाकर एक के भरने के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, इस प्रकार से दोनों नदियों का पानी कण्ट्रोल होता हुआ लास्ट तक

(श्री हरिसिंह)

जो भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है उसमें जाता है। ओणिया बांध, जिसका आप सिंचाई विभाग वाले ने कोई दूसरा नाम दे रखा है अजान बांध। उसके बाद खारी नदी होकर वह पानी आगे जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूं, बाणगंगा पर मोरोनी गांव के पास में पुल था ओवर पुल, वह पुल कोई काम का नहीं रहा इसलिए पी.डब्ल्यू.डी. ने एक और बड़ा पुल बना दिया। वह पूरा का पूरा मिट्टी से भर गया। 8-9 फीट उसकी ऊंचाई हो गयी, नदी का बहाव उसने बिलकुल रोक दिया। नदी का बहाव रोकने से यह स्थिति पैदा हुई कि मेरे एक ओर भरतपुर की सीमा जहां जहानपुर गांव है, वहां से पूरी नदी डाइवर्ट हो गयी। आपका विभाग पहले कल्पना नहीं कर सका। उस पुल को हटाने के सम्बन्ध में कि इसकी कोई कार्यवाही करें, नहीं तो नदी अपना रुख बदल देगी और आज भी शायद आपका कोई प्लान उसको हटवाने का नहीं है। उसको हटवा रहे हैं ? बहुत मेहरबानी होगी आपकी।

इसके साथ ही मेरे यहां बाढ़ ने भयंकर रूप धारण किया। महुआ कस्बा मेरा तहसील हैडक्वार्टर है। जहां पर आपका नेशनल हाई-वे नम्बर 11 जाता है, वहां आप भरतपुर-आगरा की साइड में पधारें तो दो किलोमीटर रोड का आज भी निशान है, उसके नीचे की सोलिंग निकल आयी। उस सड़क में कम्प्लीट चार-चार, पांच-पांच फीट तीन दिन तक लगातार पानी रहा। महुआ में जन-धन की हानि हुई। पूरी महुआ तहसील के 152 गांवों में से 130 गांव बाढ़ की चपेट में थे। मैंने पिछले साल विधान सभा में आपसे अनुरोध किया था कि मेरे यहां दो गांवों के बीच में नाका है। कोंडला मध्यम सिंचाई परियोजना का सर्वे हो गया है, सर्वे होकर आपके पास आ गया। आपके विभाग वाले एक्स ईएन. और ए ईएन ने, मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे यह कह दिया कि उससे पानी गांव और उसके बाद में हाड़ा और समस्तीपुर के बांधों को जाता है। सिंचाई मंत्री महोदय, अगर मेरा अनुरोध आपने पहले मान लिया होता तो मेरे ये तीन-चार बांध नहीं टूटते। बड़ा गांव बांध टूट गया, उसके टूटने के बाद में नहाड़े का बांध टूट गया और उसके टूटने के बाद समस्तीपुर का बांध टूट गया। मेहरबानी करके आप उन बांधों की तो तुरन्त कार्यवाही करवाएं। लगता ऐसा है कि पिछले 10 साल से वर्षा नहीं होने के कारण आपका विभाग बिलकुल शांतिपूर्वक सो रहा था, उनको परवाह ही नहीं थी। बांधों के पाल थे उनकी देखरेख बिलकुल नहीं हुई और वे पानी के पहले झटके को भी नहीं झेल पाये और बड़ी आसानी से टूट गये। आज नहरें सब बरबाद हो गयीं। बयाना से टोडाभीम जाने वाली सड़क आज तक बरबाद है, ट्रेफिक बन्द हो गया। रोडवेज बस चलती थी, डेढ़ माह हो गया। आई जगह से सड़क टूटी हुई है उस सड़क पर आज भी एक छितरी मिट्टी नहीं डाली गयी, एक छबड़ा मिट्टी का नहीं डाला गया, जैसे की जैसे टूटी हुई अवस्था में पड़ी है। पी डब्ल्यू डी कुछ करता नहीं, सिंचाई विभाग बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में कुछ करता नहीं। अकाल राहत का जब आ जाता है, मंत्री महोदय, हमारे यहां तो प्रशासन ने बड़ा अन्याय किया, आपका नाम लेते रहे कि आपने निर्देश दिये। हजारों की तादाद में मकान आपके नार्म्स के मुताबिक पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए। सम्पूर्ण जो कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए, मेरे यहां पूरी तहसील में 500 रूपये से ज्यादा किसी को भी नहीं दिये। किसी को भी नहीं दिया गया।

(श्री हरिसिंह)

इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके प्रशासन ने सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मेरे यहां एक भी मकान को नहीं माना। आप मेहरबानी करके इसकी जांच करवा लें और जो सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान हुए हैं, ज्यादा चाहे नहीं दे पाएं, आप अपने नार्म्स के मुताबिक उन सब लोगों को अनुग्रह राशि का भुगतान करवाइये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगा, वैसे आप जवाब में कहेंगे और मुख्य मंत्रीजी होते तो वे बड़े जोर लगाकर कहते कि कांग्रेस वाले जो दे रहे थे उससे हमने दुगना कर दिया। बड़ा जोर लगाकर कहते इस बात को और शायद आप भी कहेंगे, दोहराएंगे क्योंकि आप उन्हीं से तो सीखे हो।

श्री सांवरलाल : आपकी इच्छा हो तो कह दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप कह दीजिये लेकिन उस समय मनी वैल्युएशन क्या था? उस समय रुपये की वैल्यू क्या थी? उस समय जो दे रहे थे उससे ज्यादा काम हो रहा था और आज आप जो कुछ दे रहे हो उसमें कुछ नहीं हो रहा है।

श्री सांवरलाल : इन्डेक्स नम्बर सहित बता दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तात्पर्य यह है कि आपने कुछ नहीं बढ़ाया, आपने कुछ नहीं बढ़ाया है। आप दूसरे स्टेट को ले लीजिये, उतना नहीं दे पाएं तो कुछ कम दे दीजिये। आप हरियाणा को लो, आप पंजाब को लो। पशुधन का नुकसान हो गया आप कुछ नहीं देते। मेरे यहां तो बाढ़ से, मंत्रीजी, मैं आपसे अनुरोध करूं, हजारों कुएं और ट्यूबवैल्स बरबाद हो गये। उन ट्यूबवैल्स की जो कच्ची कुई खोद रखी थी उसमें उनका इंजिन और बिजली की मोटर तक चली गयी। आज तक नहीं निकल पायी। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था, आपने जवाब दिया है कि वर्तमान में बाढ़ से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए सिंचाई के कुओं या नलकूप के स्वामी किसानों के लिये सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के कार्य, मापदण्ड आदि के पुनर्निर्धारण के लिये राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो क्या आपकी इस समिति से उम्मीद करें कि किसानों को आप राहत देंगे? अगर यह राहत आप देंगे तो मैं आपको अग्रिम धन्यवाद पेश कर देता हूं और अगर न दो तो फिर आप सॉरी फील कर देना फिर कभी मुलाकात करेंगे तो। और तो कोई इसकी सजा, जुर्माना तो होता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समय नहीं लेकर सिर्फ एक निवेदन करूंगा, विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी शायद यहां नहीं हैं लेकिन इन्दिरा आवास के लिये विशिष्ट योजना संगठन में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं। हमारी सरकार ने उन सबको उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने उसमें आर्डर आफ मैरिट्स तय किया हुआ है कि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये चाहे वे चयनित हों या नहीं हों, फिर मैं जोर लगाकर कह रहा हूं, चाहे वे चयनित हों या नहीं हों—आप ध्यानपूर्वक सेन्ट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों को पढ़िये, चाहे वे चयनित हों या नहीं हों, आप चयनित परिवारों से भी पहले उन लोगों को इन्दिरा आवास स्वीकृत करेंगे जिनके अग्नि से या बाढ़ से मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मेहरबानी करके अपने एस.एस.ओ. से बात

(श्री हरिसिंह)

करके जिलों में सभी जगह आप ये निर्देश जारी करवाइये कि सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के इस सम्बन्ध में जो निर्देश हैं, उनकी अनुपालना की जाए। (व्यवधान)

(21.00)

श्री किशन गोपाल कोगटा : टार्गेट्स नहीं हों तो पूरा कैसे करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री नहीं हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, लेकिन टार्गेट पूरे नहीं हों वे तो करें। (व्यवधान) अब मैं थोड़ा-सा निवेदन हमारे हैल्थ मिनिस्टर से भी करना चाहूंगा। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : वैसे भी बहुत ले लिया है आपने।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हैल्थ मिनिस्टर साहब, आपने अपने विभाग में यह नार्म्स तय कर रखे हैं कि जहां मलेरिया के पाजिटिव केस होंगे, वहां आप डी.डी.टी. का स्प्रे करवाएंगे। लेकिन जहां बाढ़ आयी है, पानी इकट्ठा हुआ है और मच्छर बहुत ज्यादा फैल गये, आप क्या उसमें तब डी.डी.टी. करवाएंगे जब 10-5 आदमी मर जाएंगे? (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इन नार्म्स का पुनर्निर्धारण करवाइये। जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, जहां पानी इकट्ठा हुआ है, जहां मच्छर पैदा हो गये हैं, आप मेहरबानी करके वहां डी.डी.टी. का प्रयोग करवाइए। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल जी।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भरतपुर में बाढ़ बनी, उसके कारण को बताना चाहूंगा। माननीय हरिसिंहजी ने बताया, उससे पहले डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था और इसी बाढ़ के कारण की पिछले बजट सत्र में मैंने आपको कैसेट लाकर दिखायी थी। अगर उसका समाधान हो जाता तो भरतपुर जिले में बाढ़ नहीं बनती। बाणगंगा नदी के ऊपर उनापुर गांव में माननीय + + + सैक्रेटरी, इर्रिगेशन, ने सिर्फ अपने खेत को भरने के लिये नदी को बन्द कराया। उस वजह से जहानपुर से रास्ता बदला है नदी का। अगर वह नदी में बांध नहीं होता तो जहानपुर से नदी नहीं टूटती। कुम्हेर, नदबई तहसीलें तबाह नहीं होतीं और पानी का रास्ता अपने-आप सीधा निकल जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल का बजट वहां लगाया गया, क्योंकि सिल्ट आयी है गम्भीर नदी और बाणगंगा में, उसके बाद में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने भरतपुर जिले में एक पैसे का काम नहीं किया तीन साल तक। अगर यह नदी की सिल्ट निकली होती, तो आज यह हालत नहीं होती गम्भीर नदी और बाणगंगा दोनों से। गम्भीर नदी के पुल पर मैंने तुरन्त एक्स. ईएन साहब को फोन करके कहा था कि एक्स. ईएन साहब आप ये मोरियां खोलें जिससे नदी में पानी जाए लेकिन इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हम मोरे नहीं खोलेंगे और भरतपुर डूबेगा। लिहाजा पानी रूका और चौखण्डा गांव पड़ता है मीणा समाज का, पूरा गांव तबाह हो गया, 2-3 आदमी उस गांव में मरे। वहां से बांध टूटकर पूरी रूपवास तहसील में कम से कम 10 फीट पानी खड़ा चला था जिसका इर्रिगेशन डिपार्टमेंट पूरा हर्जाना देने की जिम्मेदारी रखता है। कलेक्टर महोदय ने जब देख लिया कि बाढ़ से बुरी हालत हो गयी है तो क्षेत्र में मेरे साथ में भागदौड़ की। और भी तहसीलों में की

+ + + **शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।**

(श्री मोतीलाल)

लेकिन पैसे का बंटवारा जहां तक भरतपुर जिले में हुआ उसमें घपला हुआ। उसकी आप जांच करवाइये, मैं आपसे कहूंगा। मेरी तहसील में करीब 22 लाख रुपये मैंने दिलाये हैं। नुकसान का जायजा पूरे तौर से पटवारी और तहसीलदार ने भेजा नहीं है। फसल जो इस साल खड़ी है, करीब 5 लाख बीघा जमीन में रूपवास तहसील में फसल खड़ी है और 5000 बीघा जमीन में मिर्च खड़ी है जो पिछली साल एक ही गांव में 50 करोड़ की मिर्चें हुई थी मुंडेरा गांव में। इस साल 2000 बीघा उस अकेले गांव की मिर्चें खड़ी हैं। इस हिसाब से 10,000 बीघा के करीब जमीन, जो गम्भीर नदी और बाणगंगा से कटी है, जिसमें रेत गया है ऐसी हो गयी कि नहर के बहुत-से लोग तो बिलकुल खत्म हो गये। वे अपने जीवन के 10वें साल में भी उस जमीन को सुधार नहीं पाएंगे। अगर इन नदी की सिल्टें निकल जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। इससे पहले मैंने पिछली साल सिंहावली डैम में सिल्ट निकलवाने का ठेका करवाया था। माननीय मंत्रीजी ने उसके आदेश दिये पर उन आदेशों में काम दो पैसे का नहीं हुआ। इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैंने पिछले सत्र में प्रश्न किया था कि उस पर 67,000 रुपये की पेमेंट फर्जी उठा ली गयी, घपला करके। रूपवास से लाकर जे. ईएन. को सस्पैण्ड करो पर आप स्वयं उससे बचकर निकल गये। ऐसे घपले अगर चलते रहेंगे तो मैं कहता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी को + + + बात राजस्थान में हो रही है, यह हाल हो रहा है। सरकार पैसा देती है पर वे पैसे खा जाते हैं और इसका कोई जवाब नहीं देती सरकार हमें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वैस्ट करूंगा कि इसकी जांच करायी जाए। मैंने गम्भीर नदी ड्राप करवाकर बाणगंगा में लाने के लिये पानी का जो नक्शा बनवाया है, वह नक्शा मैंने अप्रेल में दिया था लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मान लो, सैक्रेटरी महोदय का काम होता और इसके बजाय एक-दो करोड़ रुपये लगते तो मंजूर हो जाता वह काम। मैं दुबारा आज फिर मंत्री महोदय को कह देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया।

(माननीय सदस्य द्वारा मंत्री महोदय को नक्शा दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ आयी। दौसा से शुरू होकर अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर तक बाढ़ ने तबाही मचायी। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा थी और इसको रोक पाना किसी के हाथ में नहीं था। यह सब प्रकृति का प्रकोप था, हुआ। पर सरकार ने बाढ़ जहां पर आयी, लोग जहां पर प्रभावित हुए उनके लिये क्या किया? करने के नाम का कुछ नहीं है। इनके दौसा के कलेक्टर को तो यह भी पता नहीं कि किस-किस गांव में बाढ़ आयी, कहां-कहां लोग प्रभावित हुए। उनको कोई पता नहीं था, न उन्होंने कोई सर्वे करवाया जबकि दौसा से आगे ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारों तरफ पानी ही पानी था। दौसा में कहीं पानी का निकास नहीं। दौसा के चारों तरफ के गांव, लालसोट के गांव, सिकराय के गांव तबाही के कगार पर खड़े थे क्योंकि प्रशासन के अधिकारी गांवों में नहीं जा सकते थे क्योंकि रास्ते सारे अवरुद्ध हो गये थे, सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं। सरकार के

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

212

(श्री परसादीलाल मीणा)

आदमी जिनके पास हैलीकॉप्टर था केवल उन्होंने गांव की तबाही देखी है या जिस गांव के लोग प्रभावित हुए उन्होंने तबाही देखी है। इनका प्रशासन कहीं भी तबाही के स्थान पर नहीं पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, नुकसान बहुत हुआ। कुएं, ट्यूब वैल, इंजिन, मोटरें, सारी बोरिंग जहां थे, सब डूब-डाब गये। उसके बाद जब सहायता की बात करें तो हैलीकॉप्टर से कहीं भाभड़ाजी ने या पता नहीं किस-किस मंत्रीगण ने 2-4 जगह पैकेट्स गिराये।

मैं, मंत्रीजी, आपको कहना चाहूंगा, 1994 में अपन यहां विधान सभा में चुनकर आये थे तब मेरे क्षेत्र में ओलों से 30-40 गांव प्रभावित हुए थे। आपने देखा था कि फसल किस तरह नष्ट हो गयी थी लेकिन उससे ज्यादा नुकसान गांवों में इस बाढ़ से हुआ। आपने आंखों से देखा था और मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर ओलावृष्टि पर जब स्टेटमेंट दिया था, अध्यक्ष महोदय, तब यह कहा था हमको कि एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। नार्म्स के हिसाब से सहायता कम है, इसको हम जल्दी ही बदलकर उन गांवों में सहायता देंगे जहां के किसान प्रभावित हुए। आज फिर अकाल राहत मंत्रीजी ने या सहायता मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट पढ़ा, वह का वह स्टेटमेंट पुराना अब दिया है। हमने एक कमेटी गठित कर दी वह इन नार्म्स को बदलेगी। 1994 का स्टेटमेंट है यह आपका या यह अब का स्टेटमेंट है? माननीय मंत्रीजी, वह कमेटी उस समय भी गठित की गयी थी, क्या हुआ उस कमेटी का? कितने नार्म्स बढ़ाये आपने? कितनी सहायता राशि बढ़ायी? यह स्टेटमेंट देकर अपना पीछा मत छुड़ाइये। यह बहुत गलत बात है। अगर करनी है तो आप कहिये, नहीं करनी है तो आप मना कर दीजिये कि हम नहीं बढ़ा सकते, हम नहीं कर सकते। इस तरह की बातें उस समय कही थीं, आपको याद होगा। आपके सैक्रेटरी साहब से पूछ लीजिये। मेरे साथ आप गये थे, एक गांव में कह आये कि यहां पर अकाल राहत में यह सड़क यहां से यहां बना देंगे। बहुत तबाही हुई थी, आपने स्वयं देखा था। एक दाना भी किसान को नहीं मिला। आपके साथ मैं भी था सड़क की आपसे स्वीकृति नहीं हो सकी। आपके सैक्रेटरी साहब के यहां प्रस्ताव आये, कलेक्टर साहब ने कहा कि राहत सचिव स्वीकृति दें तो मैं इन गांवों में सड़क करूंगा। एक भी जगह आपने स्वीकृति नहीं दी। मेरे आप मित्र हैं इसलिये मैंने उस सड़क को आपकी बात रखने के लिये 39 लाख मण्डल समिति से कराये। आपके पास लेने-देने को कुछ नहीं है, किसान को कौड़ी की आप मदद नहीं कर सकते। आप फालतू स्टेटमेंट देते हैं, फालतू कमेटी बनाते हैं। आपके पास कौड़ी नहीं है देने को। सिंचाई मंत्रीजी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आप बिलकुल एक पैसा नहीं दे सकते राहत मंत्री के नाम पर, कहीं पर आप हजार रुपये किसी को सहायता नहीं दे सकते, किसी को दी है आपने?

श्री सांवरलाल : आपके अलावा सब को दी है।

श्री परसादीलाल मीणा : जो नार्म्स आपने बना रखे हैं, जिनसे हाथ-पैर आपके बांध रखे हैं उस नार्म्स के मुताबिक कलेक्टर्स ने दी है। आपको कुछ नहीं केवल गाड़ी-घोड़े दे रखे हैं। इसके अलावा, राहत मंत्रीजी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने स्टेटमेंट दे दिया, कमेटी गठित कर दी, क्या हुआ 94 की कमेटी का? क्या हुआ उसका आज तक? कितने नार्म्स बढ़ाये आपने? आप जब अपना जवाब दें तो

(श्री परसादीलाल मीणा)

1994 की कमेटी का हवाला दीजिये कि वही कमेटी है या दूसरी बनायी है अभी। मैं विशेषकर सिंचाई मंत्रीजी से कहूंगा कि हमारा पूरा दौसा जिला बाढ़ की तबाही की गिरफ्त में है। किसानों को बड़ी परेशानी है। आज वहां पर एक तहसील को छोड़ कर सारा जिला डार्क ज़ोन में घोषित है। अध्यक्ष महोदय, कौन से मंत्री इसको करेंगे मैं नहीं जानता, पर अगर हमारे जिले को डार्क जोन से मुक्त कर देंगे तो यह भी हम इस सरकार की बहुत बड़ी सहायता मान लेंगे। पर इनके हाथ में नहीं है, करेंगे नहीं। कह जाएंगे कि हम देखेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। दौसा जिले का अगर भला करना है, बाढ़ से लोगों को राहत देनी है और मंत्रीजी, आपके हाथ में हो, आपकी चलती हो या भाटीजी की चलती हो तो आप हमारा केवल एक काम कर दीजिये। आप हमको यह + + + मत दीजिये, आप हमको डार्क जोन से मुक्त कर दीजिये। हमारा सेंटर से जो पैसा आया है मैसिव में और दूसरी योजनाओं में, वह सारा पैसा हमारा चार साल से ऐसा पड़ा हुआ है। हम एक कुएं के लिये, एक ट्यूबवैल के लिये, एक इंजन के लिये, किसी के लिये भी एक भी किसान को लोन नहीं दे सकते। लोन नहीं दे सकते तो किसान कैसे ऊपर उठेंगे? हमारा यह एक ही काम आप कर दीजिये मुख्य मंत्रीजी से बात करके, आपकी चलती हो तो। प्रैस नहीं है, विशेष आग्रह नहीं है, आपकी कोई मानता हो इस सरकार में तो।

श्री सांवरलाल : मेरे अलावा किस की चलती है, यह मालूम किया क्या आपने?

श्री परसादीलाल मीणा : तो आप हमको डार्क जोन से मुक्त करा दो, यह आपका बहुत बड़ा अहसान होगा। आप मत दीजिये हमको सौ-सौ, दो-दो सौ, पांच-पांच सौ रुपये, हम केवल डार्क जोन से मुक्त होना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ आती है, बाढ़ पर भी लोग राजनीति करने लग जाते हैं। बाढ़ पर भी लोग राजनीतिक भाषण देने लग जाते हैं। पता नहीं सरकार के मंत्रियों को क्या हो रहा है, मौका नहीं देखते हैं। कोई कलेक्टर, भरतपुर पर आरोप लगा रहा है, कोई सैक्रेटरी इर्रिगेशन पर आरोप लगा रहा है। क्या इन्होंने तबाही मचायी थी वहां? ऐसे + + + आरोप, इस तरह के आरोप + + + लगाये। कलेक्टर का ट्रांसफर कर दो, क्या उससे बाढ़ रुक जाएगी? क्या उससे समाधान हो जायेगा? सैक्रेटरी + + + के लिये कहते हैं कि उन्होंने बाढ़ बुलायी। वे कहीं पानी लेकर के एकदम गिर गये भरतपुर में? ऐसे लोग राजनीति करते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, जिनका नुकसान हुआ है, उनको आप राहत देने की बात करें। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि उप मुख्य मंत्रीजी ने कलेक्टर, भरतपुर के ट्रांसफर की सिफारिश की है और उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। कलेक्टर, भरतपुर हो चाहे कोई और कलेक्टर हो, किसी के ट्रांसफर से कोई समाधान नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह दावे से कहता हूं कि जो + + + कलेक्टर, भरतपुर पर या इर्रिगेशन सैक्रेटरी पर या नमोनारायण मीणा पर कोई आरोप लगाते हैं वे अपने आप में + + + हैं, उनको कोई कहने का अधिकार नहीं है। इनके पूरे सर्विस जीवन में कभी इनके खिलाफ किसी ने एक कौड़ी का आरोप नहीं लगाया। ऐसे + + +

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

जिनका पूरा राजनीतिक जीवन छोटा हो चाहे बड़ा हो, आरोपों के घेरे में पड़ा है? मैं यही कहना चाहता हूं आपको इस सदन के माध्यम से कि अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई और मामला हो, ऐसी + + + राजनीति नहीं करनी चाहिये। उप मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूं, यह डार्क जोन में कर रहा हूं, यहां पर बांध टूट गया उसकी मरम्मत होगी, यहां पर किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा होगा, पर देने के नाम पर आपके पास कौड़ी नहीं है। बात करने के लिये आपके पास सारी दुनिया है, सारे अखबार हैं, सब कुछ है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे एक ही बात कहूंगा कि किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, फसलें चौपट हो रही हैं और लोग तबाही से ग्रस्त हैं। राहत मंत्रीजी, आपके हाथ में कोई हो तो आप राहत के कार्य चलाएं क्योंकि बरसात बीच में छोड़ गयी, फसल बिलकुल नष्ट हो गयी। दौसा जिले में, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि दस प्रतिशत फसल भी किसानों के पल्ले नहीं पड़ी है। किसानों के खाद और बीज के पैसे भी पल्ले नहीं पड़े। क्या राहत देंगे आप? आप अपने जवाब में बताइये कि क्या किसानों को राहत देंगे? आपके पास कुछ नहीं है, देंगे क्या आप? कुछ नहीं है आपके पास। फसलें नष्ट हो गयीं, उनको देने के लिए कुछ नहीं है। स्टेटमेंट है जो अभी दे देंगे आप। क्या देंगे आप, यह बताएं। आप वहां पर राहत कार्य चलाएंगे? किसी के बिजली कनेक्शन कराएंगे या क्या राहत देंगे आप? आप तो मेहरबानी करके, आपकी चलती हो तो मुख्य मंत्रीजी से बात कर आओ और हमको डार्क जोन से मुक्त करा दो। यही बहुत बड़ा अहसान दौसा जिले के लोग मान लेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, इस साल राजस्थान के कुछ हिस्सों में अप्रत्याशित रूप से अधिक बरसात के कारण बाढ़ का माहौल बना। हमारा झुंझुनूं जिला उन जिलों में से है जहां औसत से डेढ़ी और दुगनी बरसात हुई। खासतौर से मेरा निर्वाचन क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां बरसात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक काटली नदी है जो सीकर-झुंझुनूं होते हुए चूरू जिले में एन्टर होती है, इसने चूरू में कम तबाही की होगी पर हमारे जिले में और खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सात या आठ जगह जो रपटें बनी हुई थीं, सड़क की पुलिया बनी हुई थी, सब को बहा ले गयी। आज वे रास्ते बंद हैं, उन रास्तों से होकर आवागमन नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं राहत मंत्रीजी को रिपोर्ट मिली या नहीं मिली, पी. डब्ल्यू. डी. ने जरूर अपने मंत्रीजी को रिपोर्ट दी है। कब तक उनका निराकरण होगा, कब तक उनकी मरम्मत होगी, मैं नहीं कह सकता।

अध्यक्षजी, इसी तरह से बहुत-से लोगों के मकान ढह गये। मकान ढहने के बाद आपने एक तारीख निश्चित की कि 30 अक्टूबर तक हम कम्पनसेशन या जो राहत देनी है दे देंगे। मेरा आपसे निवेदन है, राहत मंत्रीजी कि इसमें सर्वे ठीक तरह से नहीं हुआ है। बहुत-से लोग ऐसे बच गये हैं जिनके मकान ढहे पर पटवारियों ने सही नहीं की और वे वंचित रह गये। इस तारीख को आप बढ़ाइये और फिर पंचायत समिति के माध्यम से या जो भी आप एजेन्सी ठीक समझें उसके माध्यम से दूसरा सर्वे कराकर जिन लोगों के मकान ढह गये हैं उनको राहत दीजिये। आप उस वक्त भी पधारे थे जब ओलावृष्टि हुई थी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ओले तो बहुत हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या, साहब ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ओला बहुत है अपने यहां।

श्री शिवनाथ सिंह : एक ही है उससे आप क्यों डरते हैं ?

ओलावृष्टि के टाइम आप गये थे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मैं आपका आभार मानता हूं कि वहां गये। आपके जाने से सर्वे दुबारा किया गया और लोगों को राहत मिली। तो मैं आपसे इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आप दुबारा जांच करवाएं। हो सकता है आपको प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दी हो। अध्यक्षजी, मेरे यहां के, मेरे जिले के बहुत से लोग हनुमानगढ़ में जाकर बसे हुए हैं__

श्री किशनगोपाल कोगटा : इसीलिये बाढ़ आयी है।

श्री शिवनाथ सिंह : और वहां उन लोगों को बहुत पीड़ा हुई है, बहुत सम्पत्ति उनकी बरबाद हो गयी। हमारे सिंचाई मंत्रीजी और राहत मंत्रीजी दोनों से निवेदन करना चाहूंगा, आप दोनों का को-आर्डिनेशन होना चाहिये। हनुमानगढ़ जंक्शन तबाह हो गया, हनुमानगढ़ टाउन भयंकर रूप से बाढ़ से घिर गया। उस सबका कारण यह था कि जो नाली का बैड है, नाली का जो का फ्लो है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी को पूरी जानकारी है और यदि कम जानकारी होगी तो मैं नक्शा अपने साथ लाया हूं, आपको पेश कर दूंगा। वहां एक भद्रकाली का मंदिर है, वह एक स्थान है उसके पास, आस-पास के एरिया में आपके विभाग के अधिकारियों ने, हो सकता है आपके दबाव के कारण से हो या हो सकता है अपने हिसाब से हो, इस पानी के बहाव को बदलने के लिये लोगों को तबाह कर दिया। पानी का एक नैचुरल फ्लो होता है और मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि पानी अधिक आता है तो नैचुरल फ्लो को चौड़ा किया जाए लेकिन माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि__

श्री देवीसिंह भाटी : इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि किस प्रकार सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने संकड़ा कर दिया है। बाढ़ की स्थिति थोड़ी मैं समझ लूं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं समझता रहा हूं, यहां ही समझा रहा हूं।

अध्यक्षजी, एक लाइन है वहां 263 नम्बर की, इस लाइन पर लोगों ने चन्दा दिया है, फाइनेंस किया है और सरकार ने, सरकार के अधिकारियों ने वहां एक बांध डोला बांधा। पानी का जो फ्लो है वह इसके दक्षिण की साइड में होकर बहता है, हमेशा से बहता आया है। माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि कुछ प्रभावी लोगों ने इस पानी को डाइवर्ट किया। डाइवर्ट किया पर पूरा डाइवर्ट नहीं हो पाया, डाइवर्ट किया उधर पानी रह नहीं पाया इसलिये इकट्ठा होकर वह सब कुछ तोड़कर चला गया। आज आपके अधिकारी यह चाहते हैं, किस कारण से चाहते हैं यहां नहीं कहूंगा। आप कहोगे तो मैं आपको अलग से कह दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, बिलकुल ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : वे 261 की एक लाइन है उस लाइन पर उस पानी को डालना चाहते हैं। कितनी दूर, एक किलोमीटर में जो 263 की लाइन है, उस 263 की लाइन को डाइवर्ट करके पानी को 261 की लाइन पर ले जाना चाहते हैं

(श्री शिवनाथ सिंह)

और एक किलोमीटर जाकर पुनः उसी 263 पर लाना चाहते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा नहीं होने दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : यह हुई न मर्दों की-सी बात।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : अब तक क्या समझ रहे थे आप ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आप इस बात को समझते हैं, आपके पास बहुत आये हैं। यह मामला हाई कोर्ट तक भी गया है। हाई कोर्ट ने अपने जजमैंट में डाइरेक्शन दिया है, वहां चीफ इंजीनियर मौजूद थे, एडीशनल चीफ इंजीनियर हाई कोर्ट में मौजूद थे, 31.8.95 को कि इस रास्ते को कहां चौड़ा किया जाए, कितना किया जाए, किस लाइन पर किया जाए। एक कमेटी बनायी जाए, स्थानीय विधायक उसमें मैम्बर हों, अपने इंजीनियर्स उसमें मैम्बर हों और प्रभावित गांवों के सरपंच उसमें मैम्बर हों। माननीय अध्यक्षजी, मुझे पता नहीं उस कमेटी का अभी तक क्या हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब भी मौके पर गये थे, मौके पर जाने के बाद उन्होंने सब कुछ देखा। उस बहाव के पास ये खड़े हुए और उन्होंने कहा, सही काम तो यह है कि जहां से नेचुरल फ्लो हो रहा है उसको चौड़ा किया जाए। मुख्य सचिव महोदय अभी कोई 10-5 रोज पहले गये हैं और आज स्थिति वहां यह है कि लोगों को नोटिस दिये जा रहे हैं, यह डोला तोड़ो, वह डोला तोड़ो। उससे लोगों में बेचैनी छायी हुई है। अध्यक्षजी, उससे काम नहीं चलेगा। जैसा आपने कहा, अपनी जुबान पर कायम रहकर जो नैचुरल फ्लो है उसी को चौड़ा कर दीजिये। हम आपका बहुत आभार मानेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन जी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं और निवेदन कर दूं, कृपया ऐसे बंधुओं को आप भी हमारी तरफ से सूचित कर दें कि यदि कहीं ऐसा लगता हो कि मुख्य धारा को बदलने का कहीं कुप्रयास हो रहा है किन्हीं विशेष व्यक्तियों के द्वारा तो वे सूचित करें। जो नैचुरल उसका फ्लो होगा उसी पर यह घग्घर फ्लड की अलाइन चलेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कह दिया वह सब जगह चला गया इसी वक्त। मुझे इत्तला करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन जी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खांजी। (व्यवधान)

इस तरीके से करेंगे तो I will never allow you.

बैठ जाइये आप + + +

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी, I don't want you to disturb. (व्यवधान) मुझे सपना नहीं आ रहा है कि इनकी पार्टी के लोग नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप : सवाईमाधोपुर में बाढ़ आयी है भयंकर, सवाईमाधोपुर का नम्बर नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे फिर कह रहा हूं + + +। उप मुख्य सचेतकजी, इनको चुप कराइये। यह क्या मजाक है ? जिनके नाम हैं आपकी लिस्ट में दिये हुए हैं। सचेतकजी ने दी है उस लिस्ट को पूरा करूंगा मैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

श्री शेखावत साहब।

श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों राजस्थान के विभिन्न जिलों में बाढ़ आयी। मैं हनुमानगढ़ घग्घर नदी में जो बाढ़ आयी उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। घग्घर नदी में बाढ़ का जो प्रकोप आया, यह कोई अचानक नहीं आया। यह पहले से ही जानकारी में था कि घग्घर नदी में वर्षा के दिनों में जब इसका सीजन होता है तो पानी का बहाव बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। 1964 में अक्टूबर में बाढ़ आयी उसमें दोनों शहरों को नुकसान नहीं हुआ लेकिन हनुमानगढ़ टाउन के रास्ते टूट गये थे। 1988 में बाढ़ आयी, 1993 में बाढ़ आयी, 1993 की बाढ़ में टाउन के कुछ इलाकों में पानी भरा और जो किनारे-किनारे इण्डस्ट्रीज थीं, डूब गयी थीं। लेकिन इस बार जो बाढ़ आयी वह बाढ़ सम्भावना से दूर आदमी महसूस नहीं कर सकता था कि जंक्शन में पानी चला जाएगा। लेकिन राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी यह भली-भांति जानते थे, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे थे हरियाणा में, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाढ़ आ जाएगी भिवानी में, लेकिन भिवानी के क्षेत्रों में बाढ़ आयी उससे अन्दाजा लगता था कि राजस्थान की इस घग्घर नदी में भी बाढ़ आएगी। ओटू हैड जो हरियाणा में है सरसा के पास उसकी क्षमता को देखते हुए मालूम था और जहां-जहां भी हरियाणा से यह गुजरी और वहां जिस प्रकार का उसने कहर ढाया उससे साफ जाहिर था कि इस बार बाढ़ घग्घर नदी में आएगी। औरों की तरह से मैं इसको देवी प्रकोप नहीं मानता। देवी प्रकोप तो वह होता है, जैसे—बाणगंगा अपने निश्चित स्थान पर आ रही थी और बदल गयी, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन यह अपने रैगुलर सिस्टम से बिल्कुल निश्चित स्थान से गुजरती है और निश्चित स्थान में जाकर वह पानी पाकिस्तान में चला जाता है। यह मालूम होने पर राज्य सरकार के अधिकारी और मंत्रीगण वहां डेरा डाले हुए बैठे रहे लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाये। जोर लगाते रहे टाउन की तरफ, यह नहीं सोच पाये कि पानी जंक्शन में जा सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे मंत्री जो वहां से चुनकर आते हैं उनकी हठधर्मी से कुछ ऐसे बांध जो नहीं टूटने चाहिये थे वे तो टूट गये और जो टूटने चाहिये थे वे टूटे नहीं। (व्यवधान) हठधर्मी थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गये, उनकी बात सुनी नहीं। आपस में इस्तीफा देने की बात हुई, इस्तीफा दे दिया गया। भाभड़ा जी वहां से चलकर वापस आ गये पर निर्णय नहीं ले पाये। बाढ़ आने के बाद भी जब बहाव तेजी से जंक्शन की तरफ बढ़ता गया। जो लो लेवल पर पानी था वह पांच-छः और सात फीट के बहाव में चलने लगा। उसके बाद भी सरकारी मशीनरी, सरकारी आफिसर वहां बैठे सोचते ही रहे कि इस बहाव को कैसे रोका जाए। और असमर्थ हो गये। लेकिन एक वहां की जाति रायसिख जो पंजाब के फिरोजपुर के बैल्ट में दरियाओं के बार्डर पर रहती है। उनको इस बात का तजुर्बा है कि बहाव दरिया में बन जाए पंजाब में पांचों आब में जिस प्रकार से पानी बहता था उसको किस प्रकार से रोका जाए। उन्होंने बार-बार आग्रह किया कि हमको तीन लाख रुपये आप दे दीजिये और मिट्टी लाकर दे दीजिये। राजस्थान के सारे टैक्निकल आफिसर खड़े-खड़े देखते रहे, राजस्थान की सरकार का सारा मंत्रिमण्डल वहां खड़ा देखता रहा, सारे सरकारी आफिसर जो हायर रैंक के वहां लगे हुए हैं देखते रहे इस पानी को हम रोकेंगे। वह डिसीजन भी नहीं हो पाया। पर अन्ततोगत्वा वह डिसीजन लेना पड़ा और उसी समाज के

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

लोगों ने पानी रोका। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मालूम है कि आये बार घग्घर में पानी आता है जो बरसात पर निर्भर है, पीछे कितनी बरसात होती है, उसका बहाव कितना तेज आता है और जितने भी उस बैल्ट में बसे हुए गांव हैं हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, सूरतगढ़, जयसर, विजय नगर, अनूपगढ़, उन बहुत-से गांवों के अन्दर से घग्घर नदी का रास्ता है। इसके बावजूद भी हम आधी दफा बाढ़ का इंतजाम नहीं कर सके। यह सबसे बड़ी बात है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य को थोड़ा इंटरप्ट करूं मैं। शायद आपको याद हो, 1993 में थी उससे घग्घर नदी का अलाइनमेंट जगह-जगह से टूटा था। उस समय भी रायसिख थे, उस समय भी राष्ट्रपति शासन था, उस समय भी सारे इंजीनियर थे और प्रशासन था लेकिन आप यह सुझाव दें कि इस साल जो हमने सामूहिक निर्णय लिया उसमें कहां तो खामी थी और आप होते तो क्या कर लेते? (व्यवधान) थोड़ा सुझाव दे दें। आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, वह सामूहिक निर्णय तो लिया लेकिन आपने यह निर्णय नहीं लिया। उस समय एक कमेटी नहीं आयी थी, इस दफा बात रायसिखों की आयी है। इस बार ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम बांध सकते हैं। पहले कभी नहीं आये। पहले इतना प्रकोप मान लीजिए—

श्री देवीसिंह भाटी : टूटने से पहले—

श्री हीरालाल इन्दौरा : हनुमानगढ़ टाउन की बैल्ट में स्वायत्तशासी संस्थाओं ने, स्वयंसेवी दलों ने, और वहां के लोगों ने मदद करके उस बांध को बांधा। इतना वह पानी तेज नहीं था।

श्री देवीसिंह भाटी : टूटने के बाद में। टूटने से पहले क्या करते?

श्री हीरालाल इन्दौरा : टूटने से पहले? टूटने से पहले जिनके रिश्तेदारों के, भाई-बंधों के बंधे थे वे उसको सिस्टमेटिक ढंग से सुरक्षित रखते तो पानी जंक्शन में नहीं आता। उधर आपकी बैल्ट लगी हुई थी।

श्री देवीसिंह भाटी : तो सारा पता है आपको कि सारा यह प्रयास हुआ था।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इस प्रकार से आपकी जो बात है, आप इस बात को कहें कि किस प्रकार से करें। कोई पुख्ता इंतजाम आज तक आप इसका नहीं कर पाये। दो महीने हो गये अभी तक आपने सर्वे नहीं करवाया है। तीन तहसीलों का सर्वे करवाया है जिसमें आपने 125 किसानों का नुकसान बताया है लगभग 62 लाख रुपये का। क्या पूरी बैल्ट में 125 किसानों का नुकसान हुआ है? विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ तहसील में 150 किलोमीटर की रेंज में 125 किसान रहते हैं?

श्री सांवरलाल : अगर आपकी जानकारी में (व्यवधान) आप सुन लीजिये, माननीय सदस्य। अगर आपकी जानकारी में इससे ज्यादा है तो बताइये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं कहता हूं, मेरा उसमें है। (व्यवधान) हां, मेरी जानकारी में है। जो मेरी जमीन है 91 जीबी में, वह उस बाढ़ की चपेट में आयी है, इस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। उस सूची को मैं क्या समझूं जो आपने आज जवाब दिया है।

श्री सांवरलाल : किसी ने जानबूझकर रखा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, कार्यवाही कीजिए। और जो लोग बहुत-से रह गये उनके

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

साथ क्या करेंगे ? यह तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं।

श्री सांवरलाल : आप सभी की दे दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बहुत से ऐसे लोग रह गये 91 जीबी के जिनको मैं जानता हूं जिनके नाम नहीं आये।

श्री सांवरलाल : जोड़कर दे दीजिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हनुमानगढ़ के कितने लोग पीड़ित हैं, उनका सर्वे नहीं करवा पाये। दो महीने हो गये पूरे।__(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : जो सर्वे हो रहे हैं, वह जवाब में दे दूंगा आपको।

श्री हीरालाल इन्दौरा : दूसरी बात यह है कि उस समय तो आपने कहा राशन भेजो, यह व्यवस्था करो, वह व्यवस्था करो, लेकिन जो बेचारे पीड़ित हैं__

श्री नरेन्द्र बुडानिया : ये तो लिस्ट दे ही देंगे, आप तो दुबारा सर्वे की बात करवाओ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं, जे. जे. कालोनियों में पड़े हुए हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है।

श्री सांवरलाल : वह सब जवाब दे देंगे, आप अपनी बात करो__(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मुआवजा राशि देने का तो प्रोविजन नहीं है लेकिन सहायता राशि क्या है आपकी ?__(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्यों से मेरा सुझाव है कि, यहां की परम्परा रही है कि अपनी जायदाद, अपनी जमीन की बातें यहां नहीं की जा सकती हैं।__(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने तो एक उदाहरण के तौर पर कहा।

श्री देवीसिंह भाटी : वह आ गयी, बात आ गयी आपकी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बहुत से ऐसे किसान हैं लेकिन यदि मेरी बात नहीं करता तो मानते भी नहीं। बहुत से किसान हैं, जो 91 जीबी में मेरी जमीन है__

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, आप वे नाम दे दें।

श्री गुरजंट सिंह : नुकसान आप बता दीजिये, कितना हुआ है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : नुकसान आप लगा दीजिये (व्यवधान) 2 किलोमीटर की रेंज में__

श्री गुरजंट सिंह : हुआ नहीं है, हुआ होता तो जरूर नुकसान बताते। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, आपके अनूपगढ़, गंगानगर जिले में पानी बढ़ते ही, जो हमारी नाली का बहाव था, वहीं पानी गया है और दूसरी जगह पानी दाखिल नहीं हुआ है। किसानों के जो बंधे बने हुए थे, नाली का बहाव छोड़ा हुआ था उसी में पानी गया है। जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नुकसान बताओ, उसमें हमने कुछ बोया ही नहीं तो नुकसान बताएं क्या ? (व्यवधान) वैसे हमारे माननीय सदस्य, एक मिनट__

श्री हीरालाल इन्दौरा : सर्वे रिपोर्ट क्या है फिर ? (व्यवधान) फिर यह आपका रिप्लाई क्या है ? फिर आपने किसका सर्वे करवाया ? आपने सर्वे किसलिये करवाया ? यह गवर्नमेंट का रिप्लाई है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : नुकसान हुआ, मेरी सुन लीजिये आप__

श्री हीरालाल इन्दौरा : यदि ये 125 लोग पीड़ित नहीं हैं तो इस सूची में देने का फायदा क्या है फिर?

श्री सांवरलाल : जितना नुकसान हुआ है यह हमने आपको जवाब दिया है। इससे ज्यादा अगर अब आप बताते हैं तो आप लिस्ट दे दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि रैगुलर बहाव में (व्यवधान) वहां नुकसान नहीं हुआ है।

श्री सांवरलाल : मंत्रीजी सही कह रहे हैं बिलकुल कि उस एरिये में नाली में पानी गया और बहुत कम लोगों को नुकसान हुआ फसल का। वह आपको जवाब दे दिया गया। जिस तरह से व्यापक करके आप बता रहे हो, ऐसा कोई नुकसान गंगानगर जिले में नहीं हुआ है। यह माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं यह कहता हूं कि एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है और आप चाहेंगे तो मैं लिस्ट और दे दूंगा आपको बनाकर।

श्री सांवरलाल : दें आप, मना कौन करता है?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : ज्यादा का दे देंगे तो आप देंगे क्या उनको?

श्री हीरालाल इन्दौरा : लेकिन माननीय उप मंत्रीजी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ। (व्यवधान) नुकसान नहीं हुआ तो यह सूची तो आप ही की थी और जवाब भी आप ही का है।

एक माननीय सदस्य : आगे बढ़ो अब। __(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : दूसरा मेरा एक सुझाव यह है__(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + (व्यवधान) देने के नाम पर कुछ नहीं है इन + + +......(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, घग्घर नदी का जो पानी है, आप 6 बीघा जमीन में इसका एक बैल्ट रेंज बनाने जा रहे हैं उसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन इसके साथ-साथ एक काम और कीजिये, इस पानी को आगे जाकर__(व्यवधान) 91 जीबी के बाद में बिंजोड़ के बाद में जमीन लेकर वहां वाटर स्टोर कीजिये जिससे वहां के लोगों को भी पानी मिलेगा। जो पानी पाकिस्तान में वेस्ट जाता है, उसकी कोई योजना बनाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : विचाराधीन है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ये योजनाएं हैं इनको लागू करें। बार-बार फ्लड आता है, बार-बार लोगों को नुकसान होता है। जो पीड़ित लोग पड़े हुए हैं रेलवे कालोनियों में हैं, ढाणक बस्ती में हैं, जिनके मकान गिर गये, जो आज अनाज से वंचित हैं, एक बार तो आपने उनको राशन दे दिया 10 दिन के लिये, 15 दिन के लिये__

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उनके मकान गिरे हुए हैं, वे बाहर पड़े हुए हैं। उनकी तरफ भी देखिये आप और सहायता राशि को बढ़ाइये।

श्री राधेश्याम : सरकार के विधायक हैं मिड्ढा साहब।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सरकार के विधायक बैठे हैं, इनसे पूछिये इनके इलाके में क्या है।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाशजी शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री रामनारायण चौधरी : ये तो अकाल पर बोलेंगे, बाढ़ पर नहीं।

श्री अध्यक्ष : मुझे इससे मतलब नहीं कि वे किस पर बोलेंगे, पार्टी की तरफ से जो सूचना दी गयी है, जो लिस्ट दी गयी है उसी के अनुरूप मैं बोलूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो नान पार्टी हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों पार्टी की कह रहा हूं। मैं आपकी पार्टी की भी कह रहा हूं। (व्यवधान) आपकी पार्टी में जो आपका क्रम होगा, उसी क्रम से मैं आपका नाम बोलूंगा। विराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आप नान पार्टीमैन की हैसियत से जाने जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप डिस्टर्बेंस नहीं करें। विराज जाएं आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह पावर तो आपके अन्दर है।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों ही चीफ व्हिप साहिबान का पूरा आदर करता हूं। उसके बाद कोई एडजेस्ट हो जाएंगे और कोई बोलना चाहेंगे, फिर बुलवाऊंगा। आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन का क्या निर्णय है, प्रकट नहीं होता है। वे किसको बुला रहे हैं, हर आदमी को उत्सुकता रहनी चाहिये। प्रयत्न करके, आपकी नजर में नजर मिलाकर कोई अपना टाइम ले तो वह उसकी काबलियत है। (व्यवधान) आपका डिसीजन पहले किसी को मालूम नहीं होना चाहिये कि कौन कॉल होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : फिर सचेतकजी से नाम लेने का कोई मतलब भी नहीं है, तुक भी नहीं है। विराजिये आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमान् मैं इतना ही जानता हूं कि चित्तौड़ जिले में अधिकांशतः सूखा पड़ता है फिर भी कभी-कभी बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कुछ कारण हैं। मेरे क्षेत्र के चंदेरिया कस्बे में सीमेंट के 2 कारखाने लगे हुए हैं बी. सी. डब्ल्यू. और सी. सी. डब्ल्यू.। बी. सी. डब्ल्यू. कारखाने के पश्चात बेड़च नदी बहती है और वहां पर गम्भीरी नदी भी मिलती है। उस नदी के पास में ही उस कारखाने की माइनिंग लीज है। कारखाने के मैनेजमेंट ने सारे का सारा मलबा बेड़च नदी में डाल दिया है और वहीं पर एक कच्ची पुलिया बना दी है। 10 वर्षों से यह पुलिया बनी हुई है लेकिन उस मिट्टी और पुलिया को हटाने के लिये कोई तैयार नहीं है। उस कारण से पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 बार बाढ़ आयी है चित्तौड़ में। अप्सरा टाकीज और कलेक्टरी चौराहे के ऊपर 5-5 फुट पानी भरा हुआ था लेकिन प्रशासन उस कच्ची पुलिया को तोड़ने में सक्षम नहीं रहा है। जिला कलेक्टर को बार-बार लिखा है फिर भी जिला कलेक्टर उसको नहीं तुड़वा रहा है। दस साल से जो यह पुलिया बनी हुई है, वह क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? एक गरीब किसान जो थोड़ी-सी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेता है, उस पर 91 की कार्यवाही करके उसे तीन

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

महीने की सजा दी जाती है और सीमेंट के कारखाने ने जो अवैध रूप से गैरकानूनी तरीके से मलबा डाल दिया तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार—

श्री अध्यक्ष : सफाई होनी चाहिये। विराजिये आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : सरकार कब तक इसको तुड़वा देगी ?

श्री अध्यक्ष : हो गया, विराजिये आप। श्री मुल्कराजजी थिंद।

श्री हीरालाल इन्दौरा : थिन नहीं है, थिंद है।

श्री अध्यक्ष : थिंद ही कह रहा हूं। आपने क्या सुना ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : थिन।

श्री मुल्कराज थिंद (रायसिंहनगर) : **अध्यक्ष** महोदय, आज बाढ़ पर चर्चा चल रही है, गंगानगर में और हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी ने जो नुकसान किया है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राधेश्यामजी ने और माननीय इन्दौराजी ने बहुत विस्तार से हनुमानगढ़ के बारे में कहा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग महकमों के अधिकारियों का आपस में मेलजोल नहीं होने से हनुमानगढ़ का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने में काफी अरसा लगेगा। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, वह उसका एक बहुत बड़ा कारण था। अभी इन्दौराजी चर्चा कर रहे थे, यह बात सही है कि जो लिस्ट दी गयी है, गंगानगर जिले की तीनों तहसीलों में उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। लिस्ट में 51 लाख 62 हजार समर्थिंग है लेकिन करोड़ों का वहां पर नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया, कि आप लिस्ट दीजिये, आपकी यह जो लिस्ट बनी है, यह रेवेन्यू एजेन्सी की थी, जहां तक मेरा ख्याल है, आयी है। आपके पास और बहुत-सी एजेंसीज हैं। एक एम. एल. ए. से आप यह एक्सपैक्ट करें कि हम लिस्ट दें, इसके बजाय सरकार को चाहिये कि वह दूसरी एजेन्सी से दुबारा इसकी लिस्ट तैयार करवाए, दुबारा इसका सर्वे कराए। किसानों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। सेण्ट्रल की टीम भी आयी थी, मुझे पता नहीं सरकार ने गंगानगर का और हनुमानगढ़ का कितना नुकसान उसके अन्दर शो किया है। यह पहली दफा गंगानगर में और हनुमानगढ़ में नुकसान हुआ है। मैं दो बातों के बारे में, माननीय मंत्री महोदय भाटीजी से जो इर्रिगेशन के हैं, निवेदन करना चाहता हूं। जो बाढ़ आयी है घग्घर नदी की, यह कोई पहला मौका नहीं है। तारीख इस बात की गवाह है, जब कालीबंगा किसी वक्त कस्बा हुआ करता था, वह घग्घर नदी से आज से सैंकड़ों वर्ष पहले तबाह हुआ था। तारीख इस बात की गवाह है कि नदी बहुत अरसे से चलती आयी है, लेकिन बीच में सूखा पड़ने की वजह से, बारिश कम होने की वजह से इस नदी में पानी बहुत कम आना शुरू हो गया। लेकिन अब लगभग दस वर्षों से लगातार इस नदी में पानी आ रहा है और बहुत मिक्दार में आ रहा है। हमारे गंगासिंहजी ने जहां गंग नहर लाकर लोगों को बसाया, मैं माननीय भाटीजी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको ईश्वर ने मौका दिया है, वे इस पर बांध बनाएं। गंग कैनाल में एक रायसिंहनगर और एक सूरतगढ़ क्षेत्र ऐसा है, जहां हजारों बीघा बारानी अनकमाण्ड जमीन पड़ी हुई है। आर. सी. पी. एरिये में भी बहुत-सी जमीन पड़ी है। जो पानी हमारा पाकिस्तान को फिजूल जा रहा है, उस पानी को

(श्री मुल्कराज थिंद)

यूटिलाइज करें एक बहुत बड़ा बांध बनाकर एक योजना अपने सिंचाई महकमे के द्वारा बनवाएं ताकि यह पानी सही यूटिलाइज हो। भाटीजी को इस बात का इल्म है, दो साल पहले मेरे क्षेत्र में एक चीफ इंजीनियर साहब ने एक आदेश दिया। भोमपुरा नहर के लिये जमींदारों से कहा गया कि आप बनाइये। जमींदारों ने कुछ अरसे में ही अपनी मेहनत से वह नहर बना ली, क्योंकि वे बहुत अरसे से तंग थे। अनकमाण्ड जमीन है, अनाज होता नहीं है। ईश्वर की कृपा से बारिश पर जीवित रहते हैं, बारिश हो जाए तो खाने-पीने के लिये मिल जाता है। आज माननीय भाटीजी उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं। दो साल से नहर बनी हुई है, जो जमींदारों ने अपने खर्चे से बनायी है। आर. सी. पी. का अनकमाण्ड एरिया और सूरतगढ़ में जो गंग कैनाल का एरिया है, वहां इस पानी का, जो पाकिस्तान को फिजूल जा रहा है, सही इस्तेमाल हो जाएगा। मैं इतना ही निवेदन करता हुआ आशा करता हूं कि इस बात पर गौर फरमा कर माननीय मंत्रीजी लोगों को राहत देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाली पर काफी घण्टे से बहस चल रही है, बाढ़ के ऊपर। सन 57 से, जब से यहां पर गढ़ के पास से नाली जाने लगी, समय-समय पर इसका अध्ययन किया गया और जितने रचनात्मक सुझाव अधिकारी और मंत्रीगण उस समय दे सकते थे, दिये। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं उन अधिकारियों को, माननीय सिंचाई मंत्रीजी और माननीय उप मुख्यमंत्रीजी को, जिन्होंने पिछले चालीस वर्षों से सर्वाधिक पानी आने के बावजूद, दिन-रात मेहनत करके उस चीज को कण्ट्रोल किया और नुकसान होने से बचाया। बधाई के पात्र हैं चिकित्सा मंत्रीजी कि हनुमानगढ़ के हर घर में पानी जाने के बाद भी एक भी रिपोर्टेड केस नहीं है वाटर बोर्न डिजीज का। (व्यवधान) जिन-जिन को दिलवाना है मैं दे दूंगा, अब आप तो प्रसाद मत लो बीच में।

श्री अध्यक्ष : पारीकजी, बोलने दीजिये। अब समय ज्यादा हो रहा है।

श्री नरपतसिंह राजवी : प्रश्न सिर्फ इतना-सा है, अध्यक्ष महोदय कि नाली इतने वर्षों से आ रही है फिर भी अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं। मास्टर प्लान बनाने के लिये आज पूर्व मंत्रीजी ने कहा, वे भी काफी वर्षों तक मंत्री रहे हैं, उस जिले को रिप्रजेंट किया है, उस क्षेत्र को रिप्रजेंट किया है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन था आप स्वयं अपने + + + कर देखें। प्रश्न सिर्फ इतना नहीं है कि साइफन के नीचे या नाली बैड में कितना पानी छोड़ा जाता है या घग्घर डाइवर्शन चैनल में कितना छोड़ा जाता है। प्रश्न इतना है कि इस टोटल सिस्टम में पानी की आवक कितनी है और हमने कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तक डवलप किया है। आज भी अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुत-सी जगह ऐसी हैं, जहां पर हमारा आकलन नहीं है कि पानी कितना आ रहा है और कहां से आ रहा है। पंचकुला के पास से पानी रवाना होकर गिलाचुका नाम का स्थान है, वहां पर इकट्ठा होता है और वहीं से ज्यादातर पानी डाइवर्ट होकर राजस्थान में आ रहा है। डांगरी एक स्थान है, वहां से लगभग चालीस हजार क्यूसेक्स इस वर्ष पानी आया। वह भी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

224

(श्री नरपतसिंह राजवी)

गिलाचुका क्षेत्र में जाकर इकट्ठा होता है। मारकंडा भी एक अन्य स्थान है, वहां से भी गिलाचुका में पानी जाकर इकट्ठा होता है। पटियाला की चौह है, उसमें लगभग पचास परसेंट पानी गिलाचुका में आता है। 1993 की बाढ़ का जो कारण था, वह पटियाला की चौह के पानी का कारण था। इस बार जो अधिक पानी आया है वह डांगरी क्षेत्र से आया है लेकिन पिछले चालीस वर्षों में कोई भी वहां पर गेजिंग सिस्टम या मानिटर करने के लिये डिवाइस डवलप नहीं कर पाये, जो अब करें। उसके बाद भी गिलाचुका से खनौरी और खनौरी से चांदपुर और चांदपुर से ओटू, चांदपुर, ओटू और खनौरी इन तीन जगह के गेजेज हमारे यहां पर आते रहे हैं, उससे ऊपर की गेजिंग हमारे पास नहीं है। यह सिस्टम जब तक हम डवलप नहीं कर पाएंगे हमारे को यह पता ही नहीं रहेगा कि वास्तव में पानी कितना आ रहा है। साइफन के नीचे से कितना पानी निकलता है, वह कैपेसिटी से बियोंड तो निकल नहीं पाएगा, ड्यूरेशन का अन्तर आ सकता है। 1993 में जहां साइफन में दशमलव 60 एम. ए. एफ. पानी आया था, 1995 में 1.224 मिलियन एकड़ फीट पानी आया, करीब-करीब दुगना पानी। नाली बैड में 1993 में दशमलव 345 मिलियन एकड़ फीट पानी था, 1995 में दशमलव 608 मिलियन एकड़ फीट पानी था।

अब मेरे बड़े भाई राधेश्यामजी ने फर्माया कि 33 हजार क्यूसेक्स पानी आया। ओटू का 33 हजार आप कहते तो समझ में आता या साइफन का कह देते। लेकिन साइफन के पीछे के क्षेत्र में—

श्री राधेश्याम : नहीं, ओटू का कहा है आपने सुना नहीं।

श्री नरपतसिंह राजवी : 40 हजार का गेज आपको देखना है दिखवा देंगे गेज भी। ओटू में 40 हजार क्यूसेक्स पानी था।

श्री राधेश्याम : नहीं, बिलकुल नहीं, चलो आप।

श्री नरपतसिंह राजवी : बिलकुल। आज भी आपको चुनौती के साथ कहता हूं, दुबारा चैक कर लें। इसमें कोई आपत्ति क्यूसेक्स पानी की नहीं।

ये गलतियां हमारे पहले की सरकार की रही हैं, उस व्यवस्था में सुधार करने के लिये माननीय मंत्रीजी ने कदम उठाना भी शुरू कर दिया। मैंने चर्चा की थी, उन्होंने बताया था।

यह सारा पानी इकट्ठा होकर अगर घग्घर में आएगा तो पानी बढ़ेगा। पिछले 40 साल में नहीं आया उससे ज्यादा अगर एक साल में आता है तो नैचुरल कैलेमिटी के अलावा उसको कुछ नहीं कह सकते। यह भी एक बात है कि प्राइवेट बंधे बंधते गये। जो पहले अनअलोटेड गवर्नमेंट लैण्ड थी वह अलाट होती गयी और नाली का बैड संकड़ा होते-होते कई-कई जगह 150-160 फीट ही रह गया। इसको चौड़ा करने के लिये मंत्रीजी ने प्रयास किया, लोग हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गये। अब हाई कोर्ट के भी शायद आदेश आ गये। लेकिन उस पर कमेटी कब बैठेगी, क्या रिकमंडेशन प्राप्त हुए हैं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, माननीय मंत्रीजी बता पाएंगे। इतनी बात जरूर कहूंगा कि पहले नाली गढ़ के पास से जाती थी वहां पर आजकल घनी आबादी का क्षेत्र है और जैसे-जैसे प्राइवेट बंधे बंधते गये नैचुरल फ्लो उसका चेंज होता गया। 1965 में टाउन से लेकर अबोहर तक एक सड़क बनायी हुई थी, उसके बीच में पुलिया बनाने का प्रयास किया गया। पिलर्स आज भी खड़े हैं स्लैब नहीं

(श्री नरपतसिंह राजवी)

डाला। आज अगर वे पिलर्स खड़े कर दें तो 60 हजार रुपये से कम की लागत उन पिलर्स पर नहीं आएगी। लेकिन उनकी जगह आज पानी बह रहा है कम से कम 300-350 गज नोर्थ में। वह नोर्थ में किसलिए बह रहा है? कि एक पूर्व उप जिला प्रमुख हैं गंगानगर के, उन्होंने बंधा बांध लिया। उससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो एक पूर्व सिंचाई मंत्री ने भी बंधा बांध लिया। सरकार उसको मेन्टेन करती है, आजकल वह एक प्रोटेक्शन बंध के रूप में प्रयोग में आता है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था, हमारे मंत्रियों पर आरोप लगाये गये। जो आरोप लगाये गये उनमें से एक भी मंत्री से किसी का नजदीक का भी कोई रिश्ता हो तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करने को, दुबारा इस हाउस के अन्दर बहस करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य के अनुसार 263 की लाइन पर बंधा बनाने का और काश्तकारों से कुछ पैसा वसूल करके उन्हीं से बंधा बंधवाया, यह बात मैं स्वीकार करता हूं। 263 की लाइन बतायी थी उन्होंने लेकिन उसी के थोड़ी-सी पहले 261 की लाइन है, वहां पर भी सरकार ने मंजूर किया है। यह + + + वर्षों से होता आया है, हम उसको रोकना चाहते हैं, हम उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि नैचुरल फ्लो चेंज होते-होते स्थिति यहां तक आ गयी कि सेण्टर लाइन भी अगर कई जगह से लेंगे तब भी अलाइनमेंट आपको लेने ही पड़ेंगे। कंटूर और नैचुरल फ्लो का जब तक हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे तब तक पाकिस्तान में पानी जाता रहेगा, हम उसका समुचित उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। मैंने माननीय मंत्रीजी से चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि घग्घर डाइवर्शन चैनल को और पानी झेलने की स्थिति में बनाना चाहते हैं। मैं यह भी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके दोनों ओर रहने वाले काश्तकारों को सिंचाई की सुविधाएं आप मुहैयां करा दें। आज की तरीख में 4 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी होता है पर पानी उनको लेने नहीं देते हैं। हजारों क्यूसेक्स पानी का उपयोग काश्तकार अपने खेतों में अपने चावलों की फसल पैदा हो उसमें कर सकता है लेकिन जब तक उसका पक्का सिस्टम नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक वह कच्चा रहने की स्थिति में टूटने का खतरा रहता है और बार-बार अधिकारियों पर दोषारोपण होगा। उसको स्टडी कर के अवर पत्थर लाइन पर हर मुरब्बा लाइन पर देना है तब भी पानी अगर ड्रा होता है, फ्लड से हम बच सकते हैं। उसका प्रयास किया जाना चाहिए। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, विजयनगर के पास भी ऐसा स्थान है जहां पर अनूपगढ़ शाखा में कम से कम 2000 से 2300 क्यूसेक्स तक पानी डाला जा सकता है। डिप्रेशन नम्बर 16 से पानी विथड्रा करके अनूपगढ़ शाखा को साल में कम से कम तीन महीने तक चलाया जा सकता है। लेकिन वह इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में सरकार को कुछ समय तो लगेगा। स्टडी चल रही है। माननीय मंत्रीजी ने इतना ही अभी तक बताया उसके बाद में बीमार होने के कारण वे नहीं आ पाये।

अब मैं क्रिटिकल पाइंट्स जो 26 तय किये हैं उनमें से तीन का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो क्रिटिकल पाइंट नम्बर 6, जितनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिये उससे कहीं कम है। अब इसका दोषारोपण किसी मंत्री पर करें, यह समझ में नहीं आता है। क्रिटिकल पाइंट नम्बर 6 में

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

किसी की भी जमीन का इस राजनीतिक दल के किसी आदमी का कोई लेना-देना नहीं। वहां पर जोरासिंह सन आफ बूटा सिंह, मुरब्बा नम्बर 115/259......

श्री परसादीलाल मीणा : ये बूटासिंह सरदार है क्या ?

श्री नरपतसिंह राजवी : यह 7 नम्बर है, दूसरा 6 नम्बर पर कोई दलबीर सिंह है। क्रिटिकल पाइंट नम्बर 8 पर महेन्द्र सिंह वगैरह और नौरंगलाल हिसारिया वगैरह हैं। इन तीन क्रिटिकल पाइंट्स को वास्तव में चौड़ा करना पड़ेगा। यहां पर अगर पूरी नहर चौड़ी हो जाती है, नदी का बैड चौड़ा हो जाता है तो हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब इस बीच में रंजीत सिंह सन आफ गुरजंट सिंह की जमीन पड़ती है, उनके बहाव क्षेत्र के अन्दर पड़ती है उसको भी जबरदस्ती घसीटा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये गुरजंट सिंहजी अपने वाले ही हैं क्या ?

श्री नरपतसिंह राजवी : हां, अपने वाले ही हैं। लेकिन मैं तथ्य बता रहा हूं, अखबार पढ़कर नहीं कह रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रामप्रताप जी का क्या किस्सा था ? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ?

श्री नरपतसिंह राजवी : वह भी बता दूंगा।__(व्यवधान)__वह बाढ़ से इफेक्टेड नहीं था, अभी बता दूंगा मैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कायदे से तो रामप्रतापजी का स्टेटमेंट यहां पर होना चाहिए था।

श्री नरपतसिंह राजवी : आप सुन लें, वह भी बता दूंगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने नाम ले दिया बहुत-बहुत धन्यवाद, हम तो कहना नहीं चाहते थे।

श्री नरपतसिंह राजवी : नाम ले लिया, अखबार में दिया है, आज पत्र भी बांटा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजवीजी आखिर कुछ तो है जिसकी परदेदारी है ?

श्री नरपतसिंह राजवी : कोई परदेदारी नहीं है, सब पारदर्शी है बिलकुल संवेदनशीलता है। आप आराम से विराजें। हम कहेंगे, सुनते जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप वह कारण तो बताइये।

श्री नरपतसिंह राजवी : अभी बताते हैं__(व्यवधान)__

श्री अध्यक्ष : धारीवालजी, विराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी : वह बाढ़ से सम्बन्धित नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप वे कारण तो बता दें जिनके कारण उनसे इस्तीफा मांगा।

श्री नरपतसिंह राजवी : वे स्वयं बोल लेंगे ऐसी क्या स्थिति है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनको नहीं बोलने दोगे आप।

श्री नरपतसिंह राजवी : नहीं, नहीं, बोलने तो देंगे। हम बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो फिर बोलने दें आप।

श्री नरपतसिंह राजवी : अच्छा ठीक है, बोल लेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ इतना है यह पानी अच्छी तरह से फ्लो करें, फ्री फ्लो करें। पाकिस्तान में पानी जा रहा है, इस पर राज्य सरकार को, यहां के मुख्यमंत्रीजी को और इस सदन में बैठे 200 सदस्यों को अपना-अपना सहयोग देना चाहिये। भेड़ताल के बाहर पाकिस्तान ने बंधा बांध लिया जो बांधने का अधिकारी वह नहीं था। वह बंधा बांधने के कारण बिजोर एक छोटा सा गांव बोर्डर पर आता है, चारों तरफ पानी से घिर जाता है। भेड़ताल में पानी के अलावा कुछ आजकल दिखता नहीं है। घास नाम की चीज ही नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाकिस्तान से निपटना है न? वह तो निपट लेंगे।

श्री नरपतसिंह राजवी : निपट लेंगे। अपन दोनों ही निपटेंगे दूसरा थोड़े ही निपटेगा।

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको चैनलाइज करने के लिये, पानी को यूटिलाइज करने के लिये काफी अच्छे प्रयास चल रहे हैं। सिंचाई मंत्रीजी इसके लिये बधाई के पात्र हैं। लेकिन बाढ़ की जो स्थिति पैदा हुई है वह आज की नहीं है, पेट में गड़बड़ तो शुरू से चली आ रही थी लेकिन यह भांडा जो फूटना था वह इसी साल फूटना था।

(22.00)

रायसिखों की बात कही। बधाई के पात्र हैं वे जिन्होंने मेहनत करके उस बहते हुए पानी में, उस पानी की वैलोसिटी इतनी थी कि साधारण तौर पर अच्छा तैराक भी उस पानी के अन्दर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, इतने तेज पानी में उसको बांधा। वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। (व्यवधान) मैं नियमों से चलने वाला आदमी हूं और ये बहुत जल्दबाजी करते हैं हर मामले में। यह ठीक भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिये आपको धन्यवाद दूंगा, चाहे सबसे आखिर में आपने नम्बर दिया इसमें लेकिन फिर भी आप धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आपने यही कहा। (व्यवधान) कल आखिरी दिन है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पूरे पावर हैं, आप न्याय करने के लिये यहां बैठे हो। कोई अगर मेरा नाम पहले नहीं देता है तो आप भी उसका नाम पहले ले सकते हैं। लोग सदन से चले गये पर मैं सुबह 11 बजे आता हूं और रात्रि को चाहे आपकी 2 बजे भी विधान सभा होती हो पूरी, मैं 2 बजे तक बैठता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड। मैं आपको कोई ताड़ना देने के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। पता नहीं यहां बैठे हो, मैं उनका नाम नहीं पुकारूंगा तो मैं उनके साथ इनजस्टिस करूंगा। बाई दी वे अन्दर आ जाएं। जो लिस्ट दी है, सोच-समझकर दी है माननीय सचेतकों ने। इसलिये मैंने उनका नाम पुकारा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे वाले बोल देंगे (व्यवधान) विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) कल मैं धुआंधार बोलूंगा। इनको दस मिनट टाइम देने के बाद में, अखबार में कल नाम छपेगा नहीं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। इनको बोलने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी कांस्टीट्युएंसी के लोग इतने + + + हैं कि इनको पीटने तक पर उतारू हो जाते हैं। कई बार हमें छुड़वाना पड़ता है इनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका निर्णय बहुत सही था। आपने हमारी टीम का जो बैटिंग आर्डर तय किया है न हमें सिर्फ एक छक्के की जरूरत है। छक्का यही लगा सकते हैं लास्ट बैट्स मैन। ठीक किया आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपका दोष नहीं, मेरा दोष नहीं यह तो प्रकृति का ही दोष है कि हमने मीणा जाति में जन्म लिया और हमको पिछड़ी जाति में रखा गया। मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने समर्थ मीणा जाति में जन्म लिया है, हमारे उदयपुर जैसे मीणा जाति में जन्म नहीं लिया नहीं तो + + + ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की मेरी रिजर्व सीट है (व्यवधान) जिला सवाई माधोपुर जहां से मैं आया हूं उस जिले की सीट भी अनुसूचित जनजाति की है। आज मेरा यह फर्ज बनता है इस सदन में आने के बाद में कि मेरे जिले सवाई माधोपुर में जहां भयंकर बाढ़ आयी हो, प्राकृतिक प्रकोप आया हो उसके बारे में मैं अपनी मांग रखूं। आपने जो अवसर दिया उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मेरे जिले सवाई माधोपुर में जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान के कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़े जो आये हैं वे वास्तव में सही नहीं हैं। उसका कारण है। जिस समय बाढ़ आयी हुई थी चारों तरफ से गांव घिरे हुए थे, पानी ही पानी चारों तरफ नजर आता था। माननीय मंत्री महोदय, आपका दोष नहीं है, अधिकारियों का भी दोष नहीं है क्योंकि कोई ऐसे साधन नहीं थे सिवाय हैलीकाप्टर के जिससे कि वहां जाकर देखा जा सके कि कितने मकान टूटे, कितने लोग मरे, कितने जानवर मरे, क्या स्थिति उन गांवों की है। यह वास्तव में सत्य था कि लोग छतों पर बैठे हुए थे और छतों पर बैठने वाले आदमी ही खाली नजर आते थे हैलीकाप्टर से बाकी कोई नजर नहीं आया इसलिये सही आंकड़े आपके सामने पेश नहीं हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगा मेरे क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में।

जिला सवाई माधोपुर में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां दो हजार मकानों का नुकसान हुआ। 4500 मकान क्षतिग्रस्त हुए। दो हजार बिलकुल टूट गये। इसके साथ-साथ जो वहां पर फसल थी उसमें बीस करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हमारे यहां हमेशा सरसों की बुवाई जल्दी हो जाया करती थी लेकिन अब की बार पानी भरा होने के कारण अभी तक बुवाई नहीं हो पायी है। उसका परिणाम यह हुआ कि 20 करोड़ रुपये का नुकसान इसके कारण हुआ है। किसान के घर के अन्दर

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जो चारा था उसमें बाढ़ का पानी भरने के कारण वह भी नष्ट हो गया और जो अनाज था खाने और बेचने का वह भी नष्ट हो गया। जन-धन की हानि हुई।

उसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे माड एक क्षेत्र आता है जिसके अन्दर सबसे ज्यादा बांध हैं, बांध के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसमें नादौती क्षेत्र है मेरा, जिसको आपका पाचना बांध सिंचाई देता था। पाचना बांध का सबसे ज्यादा सदुपयोग अगर कहीं होता था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के नादौती इलाके में, माड एरिये में होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाचना बांध जब बना उसके बाद से लगातार यही शिकायतें होती रही थीं कि इस बांध में कमी है, यह बांध टूट सकता है, यह इस हालत में नहीं कि पानी को रोक सके। पिछली बार भी मैंने सदन में तीन बार यह मामला लगातार उठाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मुझे स्वीकृति मिली थी। मैंने बार-बार कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इस बांध की हालत खराब है, अब की बार इस बांध में पानी डाला गया तो यह टूट सकता है। मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि इसकी हम जांच करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा सारा प्रशासन सतर्क होता इस बात के लिये तो ये दुर्दिन हमको नहीं देखने पड़ते।

आज पाचना बांध के अन्दर एक भी इंच पानी नहीं। आप सोचो, जब उसके अन्दर पानी रुका नहीं तो वहां के किसानों पर क्या बीतेगी। जिस बांध पर किसानों का सारा जीवन आधारित हो वही बांध टूट जाए तो हमारे भी धैर्य का बांध टूट जाता है।...(व्यवधान)...आज वहां का किसान पिछली फसल ले नहीं सका और अगली फसल पानी न होने के कारण कर नहीं सकता, पानी का स्तर रहा नहीं। पीने के कोई तालाब नहीं, दूसरा साधन नहीं है हमारे पास में। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वह माड एरिया जो जिला सवाई माधोपुर के पाचना बांध के अधीन था, आज अकाल की चपेट में आ चुका है। पहले बाढ़ की चपेट में आया था, अब अकाल पड़ चुका है क्योंकि पानी के साधन नष्ट हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, हमारे क्षेत्र के अन्दर न तो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैलीकाप्टर लेकर पधारे, न आप स्वयं ही वहां कोई साधन लेकर पधारे, न कोई और पधारा। इतना हमारा जरूर सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर अच्छे आफिसर बैठा रखे हैं उनकी नजरें जरूर हमारे क्षेत्र पर हैं जो ईमानदार भी हैं। इसी ईमानदारी के कारण वे लोग आगे बढ़े हैं और कोई दूसरा कारण उनके आगे बढ़ने का नहीं है, चाहे कोई कितनी ही बुराई करे उनकी। हमारे जो सैक्रेटरी बैठे हुए हैं सिंचाई विभाग के * उनका नाम भी लूंगा। उन्होंने हमारे साथ न्याय किया है। हम जब भी उनसे जाकर मिले उन्होंने कहा, आपके साथ न्याय होगा।

इसके साथ-साथ मैं भरतपुर में गया था, बाढ़ की निरीक्षण कमेटी में मुझे लगाया गया था। सरकार ने सहायता दी नहीं लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो सहायता सरकार ने दी है, वहां भरतपुर कलेक्टर ने ईमानदारी से काम किया है। यह बात मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूं। मीणा जाति के लोगों की बुराई करें, शिकायत करें, लोग लगातार हम मीणा जाति के लोगों की सब की शिकायत करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मर्जी आवे सो, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अच्छे को अच्छा कहूंगा और बुरे को बुरा कहूंगा।

---

* नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मंत्री महोदय, आपने मेरे सवाई माधोपुर जिले में कितने दौरे किये यह बता दें आप? कितनी बार आप हैलीकाप्टर से गये? कितनी बार आप नाव में बैठे? कितनी बार माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे क्षेत्र के अन्दर गये? क्या मेरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आयी थी? आपने सबने बखान किया बाढ़ आयी थी, फिर ऐसा क्या अन्याय मैंने कर दिया था? मेरे क्षेत्र ने आपके साथ क्या बुरा कर दिया? एक मीणा जाति की रिजर्व सीट है, मीणा बहुल क्षेत्र है इसलिये आपने उस पर ध्यान नहीं दिया।

मुझे विश्वास है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ न्याय करेंगे। आप सदन में इस बात के लिये मंत्री महोदय को पाबन्द करेंगे कि अब दुबारा मेरे क्षेत्र में जाएं और मैं स्वयं आपके साथ होऊंगा। स्वयं चलकर देख लें, कितने मकान वहां टूटे हैं, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने जानवर मरे हैं। आज भी कंकालों के ढेर लगे हैं। (व्यवधान) आप आज यहीं सदन में इस प्रकार की घोषणा करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की घोषणा करेंगे कि आप कब मेरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कब आप इस बात के लिये कार्यक्रम बना रहे हैं। इस बात की घोषणा करिये।

दूसरा, मेरा निवेदन है, पाचना बांध हमारा टूटा है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, बहुत अच्छे मंत्री हो आप, हमेशा समस्याओं पर ध्यान देते आये हो। लेकिन यह क्या बात है कि हमारा इतना बड़ा बांध टूट गया और उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला इस सदन में। आप इस बांध को कब तक बना रहे हैं? इसके क्या कारण हैं, किन कमियों के कारण टूटा, किसने इसमें भ्रष्टाचार किया? यह सारी जांच कराकर आप दोषी अधिकारियों को दण्डित करें और अच्छे अधिकारियों को पुरस्कृत करें।

अन्त में एक मिनट में अपनी बात समाप्त करते हुए एक ही बात कहूंगा। बाढ़ के बाद हमारे यहां पर महामारी फैली, स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा, जैसे ही मैंने आपसे मांग की कि मेरे क्षेत्र में भयंकर बीमारी फैल गयी है, चिकित्सा मंत्रीजी ने वहां एक टीम भेजी और वह टीम आज भी वहां पर कायम है।

श्री अध्यक्ष : आज भी 15 लाख रुपये दिये हैं। (व्यवधान) 15 लाख रुपये लिये हैं आपने आज। विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे रामप्रताप जी बैठे हैं, ऐसे हैं जो बहुत निष्पक्ष आदमी यहां हैं। उन्होंने बाढ़ के बारे में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। ऐसे मंत्री होने चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, सवाई माधोपुर के बारे में आप इस प्रकार की घोषणा करें कि सवाई माधोपुर जिले का पुनः निरीक्षण कराएंगे। बाढ़ से जो वास्तविक क्षति हुई है, उसका आप आंकलन करेंगे और मेरे क्षेत्र को सहायता देंगे। आपने मुझे जो समय दिया, अध्यक्ष महोदय, उसका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, विराजिये। डॉ. रामप्रताप जी। (व्यवधान) मैं हमेशा पूरी लिस्ट एग्जास्ट करने का आदी हूं, जो भी भाई लोगों ने दी है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

डॉ. रामप्रताप, राज्य मंत्री का स्पष्टीकरण

डॉ. रामप्रताप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ पर

(डॉ. रामप्रताप)

चर्चा के दौरान हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में आयी बाढ़ के बारे में चर्चा हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे इस्तीफे की बात भी कही। कुछ सीधे या टेढ़े तरीकों से मुझ पर या मेरे साथियों पर कुछ आरोपों की बात भी सामने आयी, उसके बारे में मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा दिया था क्या आपने ?

डॉ. रामप्रताप : इस्तीफा दिया था। इस्तीफा इसलिये दिया था—

श्री परसादीलाल मीणा : कौनसी तारीख को दिया था और इस्तीफे में—

श्री अध्यक्ष : वह सब आ जाएगा। कृपया बोलने दें। बहुत देर हो गयी, भूख भी लग रही है—(व्यवधान)—

डॉ. रामप्रताप : मेरा क्षेत्र भी बाढ़ से बार-बार प्रभावित हुआ है। मैं भी इन्सान हूं, पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। मेरी भी कुछ भावनाएं हैं और उसी के वशीभूत होकर नैतिकता के आधार पर मैंने मेरा इस्तीफा दिया था। जो कुछ मैं कह रहा हूं वही शब्द मैंने मेरे इस्तीफे में लिखे थे।

यहां पर इस किस्म की बात कही गयी कि मंत्रीगण का आपस में सामंजस्य नहीं था, लड़ाई थी। मेरे इस्तीफे के पीछे किसी किस्म की लड़ाई का कोई कारण नहीं था। माननीय भाभड़ा जी वहां पधारे थे, मेरे एक साथी ने यह कहा कि वहां से नाराज होकर आये। क्या वे साथ में थे ? नाराजगी उनके सामने प्रकट की थी क्या उन्होंने ?

श्री राधेश्याम : वह तो भाभड़ा जी बताएंगे।

डॉ. रामप्रताप : मैं बता रहा हूं। मेरा स्पष्टीकरण लीजिये आप, मुझे मौका दिया गया है—(व्यवधान)—जब आप बोले थे तो मैं सुन रहा था और अब जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप सुनने का मादा रखें।

माननीय भाभड़ा जी वहां पधारे थे तब मैं मेरे क्षेत्र में बंधों के ऊपर घूम रहा था। अधिकारीगण उनके साथ थे, सारी स्थिति की उनको जानकारी दी गयी। इसके अलावा भाभड़ा जी से नाराजगी या झगड़े की कहीं कोई बात नहीं थी। इसके अलावा इसी तरीके से यह भी कहा गया कि जहां बंधा तोड़ना था वहां नहीं तुड़वाया है और जहां नहीं तोड़ना था वहां तुड़वाया गया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दो-चार बंधे जो तोड़े गये हैं उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी कहीं भी अगर ऐसा शामिल होना या मेरे साथियों का शामिल होना आप साबित कर देंगे तो मैं यहां ही नहीं, जहां कहीं भी आप कहोगे वहां जाकर के जो सजा आप दोगे वह सजा लेने के लिये तैयार हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही अपेक्षा रखता हूं, आपने इस किस्म का लांछन लगाया है तो कृपया थोड़ी-सी अपने अन्दर चेतना करके सोचें, इस किस्म के आरोप आपको नहीं लगाने चाहिये थे। रिश्तेदारों के बंधों का सवाल है, Sir, I am widening your scope of allegation. मेरे क्षेत्र की बात मैं नहीं कहता, जीरो आर. डी. से लेकर जहां से हरियाणा से राजस्थान में घग्घर नदी आती है, पाकिस्तान की बोर्डर तक अगर मेरे किसी रिश्तेदार का कोई बंधा निजी हो तो मैं उस चीज के लिये जो सजा आप दोगे उसको लेने के लिये तैयार हूं। Sir, I am further

(डॉ. रामप्रताप)

widening your scope of allegation here. इसके अलावा मैंने किसी मेरे रिश्तेदार को जाने या जनजाने में एक कट्टा या एक बल्ली की भी कहीं मदद की है तो मैं उसके लिए भी जिम्मेवारी मानूंगा अपने आपकी। आप बंधे की क्या बात कर रहे हो ?

इसके अलावा जो भी किसान चाहे वह किसी भी पार्टी से बिलोंग करता था, मेरे पास आया मैंने उसकी पूरी मदद की है। आप इलाके में जाकर पूछिये। एलीगेशन लगाना आसान है, काम करने में दिक्कत आती है। यहां तक कि मेरे कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था वहां पर भी जाकर मैंने कट्टे, बल्लियां और यहां तक कि मजदू पहुंचाये, यहां तक कि लाइट की व्यवस्था की है। आप कहां से इस किस्म के एलीगेशन लगा रहे हो ?

इसी तरह से राहत के बारे में कोताही बरतने की बात कही गयी। राहत के बारे में एलीगेशन लगाते वक्त अगर उनकी मानसिकता हरियाणा की तरफ थी तब तो वे सही कह रहे हैं लेकिन हनुमानगढ़ के बारे में राहत के बारे में अगर वे यह बात कहते हैं तो शायद वे गलत सोच रहे हैं। बार फुटिंग पर रिलीफ दिया गया और इस चीज के लिये मैं माननीय लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर, पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर का विशेष तौर से यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने पानी को ड्रेन आउट करने के लिये बीकानेर के सूर सागर में चलते हुए दो सिस्टम निकालकर हमें दिये। ईंधन बांसवाड़ा जो हमारे से 800 किलामीटर दूर है, वहां से ड्रेनेज सिस्टम निकालकर हमें दिया। इसी तरीके से पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर ने अपने मातहत अधिकारियों को हिदायत दी कि इस किस्म की स्थिति पैदा नहीं हो कि पानी की वजह से कोई बीमारी फैले। जो पानी की व्यवस्था की गयी टैंकर्स से या दूसरे साधनों से, वह रोजाना साढे दस लाख गैलन की व्यवस्था की गयी और एक सिंगल केस वाटर डिजीज का नहीं आया। यह अपने आप में एक छोटी चीज नहीं है। No doubt I have lost my city's beauty. यह मेरे लिये कन्सोलेशन की बात नहीं है। लेकिन मैं यह फख्र के साथ कहता हूं। 1993 से 8800 हैक्टेयर लैण्ड सब मर्ज हुई है। उसमें किसानों का और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा है।

दूसरी तरफ मैं आपका पहलू भी सामने रखना चाहता हूं। आप आपकी पार्टी को सुचारू रूप से चलाएं, यह मैं सुझाव नहीं देना चाहता लेकिन जिस किस्म का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं उससे आने वाली जनरेशन को, उसकी संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है, उसके संस्कार को प्रभावित किया जा रहा है। मैं यहां उदाहरण देना चाहूंगा यहां से आपके पधारे हुए नेतागण का। मुझे अफसोस इस बात का है कि वह आदमी हाउस में नहीं है। मैं आपसे माफी चाहूंगा जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वे हैं डॉक्टर चन्द्रभान जी। He was junior to me. मैं कालेज टाइम से उस आदमी को जानता हूं। जिन संस्कारों में वह रहा है कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस त्रासदी के समय—

श्री परसादीलाल मीणा : वह हाउस का मैम्बर नहीं है।

डॉ. रामप्रताप : मैं माफी मांगते हुए कह रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : फिर भी नहीं कहें तो अच्छा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो हाउस का मैम्बर नहीं है उस पर बोला जाता रहा है। आप सफाई दे सकते हो_(व्यवधान)

डॉ. रामप्रताप : मेरा व्यक्तिगत दोस्त है, ठीक है। बाकी के दो और थे। मैं एलीगेशन नहीं लगा रहा। मैं मेरा दोस्त है इसलिये थोड़ा अफसोस जाहिर कर रहा हूं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के टाइम पर वे लोग झकाझक करते हुए कमीज और पायजामा पहनकर ट्रेक्टर के ऊपर स्माइलिंग देते हुए वहां से गुजर रहे थे। इससे ज्यादा बुरी बात कोई और हो नहीं सकती। इतनी भारी तबाही मची हुई थी और उस टाइम आप हंसते हुए निकल रहे हैं। पत्रकार भी उनके साथ थे। मैं हकीकत ही बयान करूंगा, असत्य बात नहीं कहूंगा। सबूत के साथ कहना चाहता हूं। उन्होंने वापस जाकर के अपने साथियों को कहा कि वहां तो निकरिये ही निकरिये खड़े थे, कम से कम दो-चार बैनर तो यूथ कांग्रेस के लगा दो। इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती है। _(व्यवधान)_और जो बात आप कह रहे हो कि व्यवस्था में कमी थी, मैं मानता हूं 15-20-30 हजार आदमियों को संभालना, आपके यहां मेहमान आ जाएं पचास तो नहीं संभाल सकते, हो सकता है कभी रही हो लेकिन इससे बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। ला आर्डर की प्राब्लम थी, चोरियां हो रही थीं। हमने या तो पंजाब के उग्रवाद के टाइम पर ट्रेक्टर माउटेड फोर्स लगायी थी या हनुमानगढ़ में अब हमने लगायी थी और उस व्यवस्था को संभाला था। जहां जहां पांच-पांच फीट डीप पानी था वहां पर ट्रैक्टर के जरिये फोर्स को लगाकर इस व्यवस्था को संभाला था।

मैं यह भी दावे के साथ कहता हूं, बीस-बीस किलोमीटर रात के वक्त में कृपया आप पैदल चलकर सड़क पर देख लें, सांप और बिच्छुओं के अन्दर चलना आसान काम नहीं है। वहां पर जाकर काश्तकारों से आप पूछ लें मैं इस वक्त हाउस में हूं। Hon'ble Leader of Opposition is not there, still I have to say, कि तीन घण्टे का प्रवास आपका वहां पर रहा, तीन घण्टे के अन्दर नीचे उतरकर जाना तो दूर की बात है, उन्होंने जीप की सीट से अपने शरीर को एक इंच भी अलग किया हो तो मैं जहां कहोगे वहां माफी मांगने के लिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी सड़क से डेढ़ फुट ऊपर चल रहा हो वह सड़क के किनारे पड़े हुए गरीब की हालत को नहीं समझ सकता। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गरीब की सूखी आंतड़ियों में से आपको राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा था। मैं यहां फख्र के साथ कह रहा हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने रात और दिन एक किया था।

अब आपके यूथ के बारे में सुन लो, जो यूथ का सरताज इन्होंने बनाकर बैठा रखा था। हमारा इंन्सटालेशन तीन सौ हार्स पावर का था पानी ड्रेन आउट करने के लिये। हमारे कार्यकर्ता वहां रात-दिन लगे हुए थे और श्रीमान जी आते हैं फोटोग्राफर को साथ में लेकर डिलीवरी पाइंट पर जैसे कोई फिल्म का वहां पर सीन लिया जा रहा है, इस तरीके से इस हालत में आप बिहेब करते हैं। दूसरा एलीगेशन, मैं स्पष्ट तौर से आरोप लगाता हूं सन् 1983 में जी.डी.सी. ब्रीच हुई थी nobody was there. The Leader of the Opposition was at the helms of the affair of Irrigation Department at that time.

जी.डी.सी. ब्रीच की गयी, दो जगह से ब्रीच हुई। जनवरी का महीना था When the crop was in its full bloom. 17 हजार

(डॉ. रामप्रताप)

बीघा जमीन में खड़ी फसल थी उसको तबाह किया गया और हमारी कश्ती को बिना पानी डुबोया गया। 5656 क्यूसेक्स पानी था उसके अन्दर। क्या किया आपने? नैतिकता की दुहाई देते हो आप लोग। नैतिकता की दुहाई दो जो तो सबसे बड़ा आदमी आपका है, आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे सिंचाई मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है, तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते। अगर वे इस किस्म की कंवेंशंस लगाते तो मैं शायद सबसे पहला आदमी होता जो उनके पैर चूमता और आज आप इस्तीफे की बात करते हो? इस्तीफा नहीं देते तो जो नुक्स था, जो कमी थी जिसकी वजह से जी.डी.सी. ब्रीच हुई थी कम से कम उसको तो ठीक कर लेते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई सिस्टम बाइफरकेट होता है तो दोनों का रेगुलेशन वही होना चाहिये, यह एक सिद्धांत रूप की बात है। इनसे कोई पूछने वाला हो, जब जी.डी.सी. और नदी को अलग किया गया तो 24 आर.डी. से अलग होती है, 24 आर.डी. पर आपने नाली के बैड का रेगुलेशन बनाया और 42 आर.डी. पर जाकर आपने जी.डी.सी. का रेगुलेशन बनाया। इस वजह से दोनों साइड से गेट डाउन होने की वजह से 5656 क्यूसेक्स के पेटे 17 हजार बीघा में खड़ी फसल को लील लिया गया। हम आपसे इस्तीफा भी नहीं मांगते हम आपसे मुआवजा भी नहीं मांगते लेकिन कम से कम उस बीमारी का रेक्टिफिकेशन तो करना चाहिए। आज वह एक रोड की स्ट्रक्चर है, कौन से अधिकारी उसके लिए दोषी थे? क्यों नहीं उसको ठीक किया गया? आज भी हम सूली पर लटके हुए बैठे रहते हैं। 24 आर.डी. से रेगुलेशन होता है, 42 आर.डी. में अगर आपका वायरलैस सिस्टम खराब हो जाए तो किस तरीके से रेगुलेट करेंगे? और उसका नतीजा था कि 1983 में ब्रीच हुई, लैफ्ट में 20 फीट में और राइट में 45 फीट में।

दूसरा मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं पधारे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उप मुख्य मंत्रीजी को भेजा था वहां पर। वे आना चाहते थे किसी और से नहीं, मेरे खुद से बात हुई थी, and I was the first man who refused, कि अभी आपके लिए आने का वक्त नहीं है। हम राहत कार्यों में लगे हुए हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। अगर आपको आना है तो निश्चित तौर पर आना है और एक, दो, तीन दिन लगा कर इस समस्या को गहराई से देख कर इसका समाधान करें। इस वजह से नहीं आये, बाकी और कोई ड्रामेबाजी वाली बात नहीं थी, जिस तरीके से आप तो यहां घूम कर चले गये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इस्तीफे का क्या हुआ?

डा. रामप्रताप : इस्तीफा, क्या बात कर रहे हो? यह पूछना हो तो बैठक कर पूछ लेना। यह 17 तारीख की बात है, मैंने इस्तीफा 14 तारीख को दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ बातें मैं और कहना चाहूंगा। यह भी एक मुद्दा उठाया गया कि जी.डी.सी. के 40 गांवों को डॉ. रामप्रताप ने डुबोने के कगार पर ला दिया। मेरे साथी माननीय नरपतसिंह जी ने बताया कि पानी की क्वांटिटी कितनी थी, कितना क्वांटम था और किस तरीके से लोगों ने प्राइवेट बंधों को मजबूत किया। नैचुरली पानी ज्यादा था इसमें किसी को शक नहीं है। पीछे से जो सिस्टम बताया इन्होंने, वह भी सभी को पता है कि इस वजह से ज्यादा पानी था

(डॉ. रामप्रताप)

और नैचुरली जीडीसी. में पानी उस हिसाब से ज्यादा छोड़ा गया। उधर तो आप कहते हो कि नाली बैड में पानी ज्यादा था, वहां पर सम्भाल नहीं किया, वे तो डूब गये और इधर आप कहते हो कि जीडीसी. में मत छोड़ो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भागीरथ तो हूं नहीं जो मेरे पैर से छू कर पानी वापस चला जाएगा या मैं कोई शिवजी हूं नहीं कि उसको मैं जटा में समा लूं। उनसे पूछने वाला हो, वे कौन से 40 गांव हैं, एक गांव का नाम तो बता कर देखें। मैं यहां दावे के साथ कहता हूं कि जीडीसी. आगे जाकर डिप्रेशन में जाती है और दूसरी तरफ सूरतगढ़ ब्रांच को फीड किया जाता है। श्रीमान् जी वहां पर 4.4 फीट का क्रैश आपने क्यों बनाया 94.4 फीट का क्रैश उसके अन्दर बना हुआ है, पानी लेवल गेन करे उसके बाद में ब्रांच में जाएगा। छह फीट पानी खड़ा हुआ है, पीछे मुण्डा गांव तक कितने गांव आप तबाह कर रहे हो लगातार जब से जीडीसी. बनी है? उसका औचित्य क्या है क्रैश के लेने का, कभी आपने सोचा आप लोगों में से विधायक भी आप रहे हैं, आप लोगों में से पहले मंत्री भी रहे हैं —

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने पिछले 6 साल में क्या सोचा?

डॉ. रामप्रताप : किसने? मैं आपको बता रहा हूं। पहले मेरी सारी बात पूरी होने दीजिये उसके बाद पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : हां, यह सब सोच लेंगे, अभी आप विराजें। कृपया संक्षिप्त करें।

डॉ. रामप्रताप : संक्षिप्त नहीं करूंगा, मैं मेरी बात को कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। आप सुनिये, मैं आपको बता रहा हूं।

नरपत सिंह जी ने अभी आपको बताया है, वहां पर इन्होंने 65 के आसपास में एक ब्रिज बनाया हनुमानगढ़ टाउन से अबोहर रोड के लिये। ब्रिज बना होगा तो नैचुरली वहां पर धार ही होगी, ब्रिज ऐसे तो नहीं बनता। आज की तारीख में वह एक मोन्यूमेंट खड़ा हुआ आंसू बहा रहा है आप लोगों को देख कर। 60 लाख का स्ट्रक्चर है। हंसने वाली बात नहीं है, मजाक करने वाली बात नहीं है। उधर 300 गज की धार नोहर साइड में पानी की चल रही है, उस पानी का बहाव बदलने — (व्यवधान) आपकी बारी आएगी, दुबारा बोल लेना, तिबारा बोल लेना। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं और बाद में भी देने के लिए तैयार हूं।

300 गज नोर्थ में उस धार को ले जाने वाला और कोई आदमी नहीं है, आपकी पार्टी का उप प्रधान है जो उसको 300 गज नोर्थ साइड में लेकर चला गया। आज हमारे लिये वह 60 लाख का स्ट्रक्चर एक मोन्यूमेंट बना खड़ा है। कम से कम उसके जाकर के धोक तो मार आया करो। उप प्रधान का नाम है चरण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सहयोग किया गया है....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप भी तो हमारे यहां मंत्री रहे हो।

डॉ. रामप्रताप : महामंत्री रहा हूं तो मैं, श्रीमान् जी, इस वक्त हाउस में कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी का पिछलग्गू नहीं बना। फख्र के साथ कहता हूं, जहां मेरे मतभेद थे उसी मतभेद के आधार पर मैं आपसे अलग हुआ। मैं आज इस चीज का दावा करता हूं कि मैं निश्चित तौर पर जहां बैठा हूं रूखी-सूखी खा लिया करता हूं मैं, बिलकुल सही हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : भाभड़ा जी से मतभेद नहीं थे क्या?

श्री मुल्कराज खिंद : एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। अभी आपने जो प्रतिपक्ष के नेता पर इल्जाम लगाया है, उनके बैठे हुए आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा।

डॉ. रामप्रताप : I am subject to correction.

श्री मुल्कराज खिंद : आपको उस वक्त कहना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

डॉ. रामप्रताप : अगर यह लोगों को पता है कि ड्यूटी पर कौन थे _ (व्यवधान) अब मैं बोल रहा हूं, मेरे पर आरोप लगाये गये हैं। मैं वहां मौजूद था क्या, मेरे पर जब आरोप लगाये उस वक्त ? क्या बात कर रहे हो आप।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से और जिस तरह से हमने पानी को ड्रेन आउट किया, मैं हरियाणा में भी गया हूं, आज की तारीख में लोग 20-20 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। मेरे साथी डॉक्टर एमडी. हैं, कोई ऐसे-वैसे डॉक्टर नहीं हैं, वे इस तरीके से असहाय हैं कि न तो उनके मलेरिया है, न टाइफाइड है, किस किस्म का बुखार है। जगह जगह लोग हजारों की तादाद में बीमार पड़े हैं। आज की तारीख में हनुमानगढ़ में कम से कम वाटर बोर्न डिजीज या मलेरिया की वो स्थिति जो पिछले साल थी वह भी पैदा नहीं हुई। एक्सपर्ट की टीम, 40 डॉक्टर रात दिन एक करके लगातार वहां जुटे रहे। मैं मेरे साथी मंत्री का इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरीके से प्रयास किये गये हैं।

बीच में जो रायसिखों की बात कही गयी है, वे आज पैदा नहीं हुए। रायसिख कोई आज पैदा नहीं हुए हैं, वहां पर रायसिख पुराने हैं और रायसिखों को लाने वाला आपके बीच में खड़ा है। यहां मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उन लोगों को यहां तक बहकाने का प्रयास किया गया कि सौ रूपये की दिहाड़ी मत लो, इनसे 500 रुपये लो। यह तरीका था इन लोगों की सोच का, इन लोगों की सेवा करने का। यहां तक ही नहीं, जब हमने बंधा बांधने का प्रयास किया था तो हमारे सामने मिट्टी की समस्या आयी। मिट्टी देने वाले आदमी तैयार हुए तो इनका एक सज्जन आकर कहता है कि इनको मिट्टी मत दो। इससे कोई घृणित बात हो सकती है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : कौन सज्जन थे ?

डॉ. रामप्रताप : मैं बता दूंगा। मैं कोई बिना सबूत के बात नहीं करना चाहता स्पष्ट कह दूं आपको। आगे और सुन लो। बंधा जब बनने के किनारे पर आया उससे पहले वे माला फेर रहे थे कि बंधा नहीं बंधे और जब बंधा बनने की स्थिति में पूरा हो गया तो वहां पर हजारों लागों को बहकाया गया कि आप लोगों को दिहाड़ी दी 100 रुपये और इन्होंने चार लाख रुपये के अन्दर ठेका लिया है। तब उन गरीब लोगों ने जो कि आत्मा से करोड़पति हैं, अमीर हैं, जवाब दिया कि हम यहां पर शहर को बचाने के लिये आये हैं मजदूरी करने के लिये नहीं आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ को 25 साल या 32 साल पीछे करने की लोग सोच रहे हैं पर मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में I have full confidence, जिन्होंने लगातार रोजाना हमारे से सम्पर्क करके हमें उत्साहित किया, काम करने के लिये प्रेरणा दी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इन लोगों के काले कारनामे हैं उनसे हम पीछा छुड़ाएंगे। हमारी सिंचाई व्यवस्था को ठीक करेंगे और साथ में नाली के बैड को भी चैनलाइज करेंगे, यह मुझे पूर्णतया विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी। ... (व्यवधान) विराजें आप, पहले शैलेन्द्रजी को बोलने दें ... (व्यवधान) मैं बीच में अलाउ नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मैं लिस्ट के हिसाब से चलूंगा। पहले शैलेन्द्रजी का नाम है। अब बैठें आप।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, एक बात का जवाब पूछना चाहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, किस कारण से इस्तीफा दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में झगड़ा करना हो, बाद में शैलेन्द्रजी, माननीय सदस्य, आप और शांतिकुमारजी धारीवाल ... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने पांच दिन तक इस्तीफा दिया, जबकि शासन अच्छा चल रहा था, जनता की सेवा में जुटे हुए थे ... (व्यवधान) ...

श्री राधेश्याम : ऐसा है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। श्री शैलेन्द्रजी। आप विराज जाएं, आपने बहुत ही उच्च आवाज में एक घण्टे तक भाषण दिया। इसलिये आप विराज जाएं।

श्री राधेश्याम : मेरा गला खराब है, आवाज की बात नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपने जो बातें कहीं बड़े सुन्दर तरीके से, मैं कोई बुराई करने वाला नहीं हूं ...

श्री अध्यक्ष : पहले शैलेन्द्रजी को बोलने दीजिये।

श्री राधेश्याम : आप सुनिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब आपने कह दिया कि न्यायिक जांच हो जाए, जुडीशियल जांच हो जाए तो आपको क्या तकलीफ है? आपने क्यों इस्तीफा दिया ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री राधेश्याम : xxx

श्री अध्यक्ष : क्या जोर से + + + करोगे तो अंकित हो जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं, राधेश्यामजी, अंकित नहीं हो रहा है। पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा।

श्री राधेश्याम : xxx

श्री अध्यक्ष : अब जो झगड़े हुए थे, उससे आपको क्या लेना-देना? आप तो मतलब की बात करिये, विराजिये। शैलेन्द्रजी।

श्री राधेश्याम : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : आप शैलेन्द्रजी को बोलने देना चाहते हैं या नहीं? आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री राधेश्याम : xxx

श्री अध्यक्ष : विराजिये, राधेश्यामजी, आप। यह तो घर में होता ही रहता है।

श्री राधेश्याम : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, शैलेन्द्रजी। अब ये निरर्थक बात हो रही है। यह कोई सारवान बात नहीं है ...(व्यवधान) ... कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आपने दिया ?

श्री राधेश्याम : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य सचेतक बुडानिया जी, आप अपनी पार्टी के लोगों को वर्जित करिये। मर्जी आये जिस तरह बोल लेते हैं।

श्री राधेश्याम : xxx

श्री अध्यक्ष : विराजिये, बुडानियाजी, माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री राधेश्याम : xxx

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। शैलेन्द्रजी, आप बाद में लिस्ट दे देते हैं, बुडानियाजी पहले हैं। बाद में आप लिस्ट देते हो, मुझे मजबूरी में फिर सबके नाम पुकारने पड़ते हैं और फिर यह सब निरर्थक बात हो जाती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : xxx

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका है ? माननीय सदस्य, विराज जाएं। कोई माननीय अपनी बात कहना चाहता है तो कहने दें। निरर्थक बातों में समय खराब नहीं करें। आपकी क्या शैलेन्द्रजी से दुश्मनी है ? आप उनसे भाषण क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ? आप अपनी बात कहेंगे कि शैलेन्द्रजी की सुनेंगे ? अंकित नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : xxx

श्री अध्यक्ष : आप और जोर से बोल दें, चार घण्टे तक और बोलें, शैलेन्द्रजी को रोकें आप। ...(व्यवधान) ... आप विराज जाएं। धारीवाल साहब, आप विराजें। शैलेन्द्रजी को बोलने दें। जब भी इन पीछे वालों का नम्बर आता है आप आगे वाली बैंचों वाले सब माननीय सदस्य खड़े होकर बोलना चालू कर देते हैं और पीछे वालों का नम्बर ही नहीं आता। यदि चाहें ...(व्यवधान) ... घर पर जाकर के पूछ लेना आप।

राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र दौसा जिले में आता है। दौसा जिले से क्योंकि कांग्रेस के विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक एक लाईन भी इन पौने दो साल में नहीं बोला। ऐसा जिला जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं वहां पर बाढ़ की बहुत विकट स्थिति हुई उसके बावजूद भी कोई भी नहीं बोलता है। दौसा जिले में जहां बाढ़ की बड़ी प्रलंयकारी स्थिति हुई वहां पर प्रशासन ने जानबूझकर भेदभाव बरता है, डिस्क्रिमिनेशन किया। हमारे यहां पशु-धन की हानि हुई, हमारे यहां जन-धन की हानि हुई, हमारे यहां घर तबाह हुए। लोगों के खेतों में जो इंजन लगे हुए थे वे नीचे चले गये, झेरे में चले गये। उसके बावजूद भी इस सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। केवल कार्यवाही की गयी भरतपुर जिले के लिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में बाढ़ क्यों आयी। बाढ़ की वजह थी सावा नदी और बाणगंगा नदी जिसका पानी

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मुख्यतः अलवर जिले से आता है और अलवर जिले से आने के बाद पूरे दौसा जिले में घूमकर जाता है। उस दौसा जिले के प्रत्यके गांव में छोटे-छोटे नालों के रूप में यह बाणगंगा नदी का पानी जाता है। माननीय सिंचाई मंत्री और सिंचाई विभाग, राजस्थान द्वारा इस तरह की पाबंदी लगायी गयी है, दौसा जिले को डार्क जोन किया गया है। उसके तहत दौसा जिले में आज तक एक भी एनीकट नहीं बना, जहां पर पानी पर किसी भी तरह की रोक हो।

सिंचाई मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन करना यह है कि तीन दिन पहले थानागाजी के विधायक द्वारा यह पूछे जाने पर कि मेरे 17 एनीकट कब बनेंगे, आपने कहा था कि 17 एनीकट बन गये हैं, और एनीकट बाद में बनेंगे। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है यह कहते हुए कि थानागाजी, जिसका कि 15 किलोमीटर का एरिया बांदीकुई से लगता है . .

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं, शैलेन्द्रजी, कि उस दिन अनंग कुमार जी ने जवाब दिया था डी.आर.डी.ए. के तहत कि 17 एनीकटस में से 13 बन चुके हैं। यह सिंचाई मंत्रीजी ने नहीं दिया, मैं आपको करेक्शन के लिये कह रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं जवाब के लिये नहीं कह रहा हूं। रोक किस विभाग के द्वारा लगी हुई है? थानागाजी में एनीकट बनने पर कोई रोक नहीं, दौसा जिले में संपूर्ण रोक। मेरा निवेदन करना है, माननीय मंत्री, महोदय, कि आपके विभाग द्वारा हमारे रेडिया बांध पर 24 घण्टे वायरलैस सेट के द्वारा निगरानी रखी गयी। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मान लो, अगले साल बाढ़ आती है और इससे ज्यादा भयंकर स्थिति होती है पूरे राजस्थान में तो अकाल राहत और बाढ़ राहत मंत्री जी, उसकी क्या योजना है? आप इतने पानी का बेस्ट यूटिलाइजेशन राजस्थान के इरिगेशन परपज के लिए कैसे कर पाएंगे? क्या पानी पाकिस्तान चला जाएगा? क्या बाढ़ का सारा का सारा पानी यू.पी. चला जाएगा? आपके पास इस तरह की टैक्निक होनी चाहिये, टैक्नॉलाजी डवलप कीजिये जिससे कि आप पानी को रोक सकें। आप भले ही इस बात को आज मजाक के रूप में लें, मेरा निवेदन करना यह है कि इस बाढ़ के कारण जो चारा खराब हो गया है फोडर की पूरे क्षेत्र में जो कमी आ गयी है, उस कमी की क्या आपने पूर्ति की है? पशु धन को बचाने के लिये, चारे के लिये क्या कार्यवाही की गयी है, इस बारे में बताएं।

किसानों के इंजन और मोटर जो मिट्टी में दब गये हैं और झेरा बन गये हैं कुओं में, उन कुओं को वापस खुदवाने के लिये इंजन को रेस्टोर करने के लिये किसी तरह की किसानों की कोई मदद है? माननीय मंत्री महोदय, इस बोर में भी आप विचार कीजिये और इस भेद भाव की नीति को छोड़ दौसा जिले . . .

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय मंत्रीजी।

कई माननीय सदस्य : अकाल पीड़ित विधायक हैं वे तो घर गये, आप चर्चा किससे करवाओगे?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ के चुने हुए राज्य मंत्रीजी ने . . . (व्यवधान) . . . हमारे विपक्ष के नेता के आचरण के सम्बन्ध में जो कहा है, वे सदन में उपस्थित नहीं हैं कल उनका स्पष्टीकरण आ जाए, उसके बाद में बाढ़ और अकाल का उत्तर कल दे दीजिये। . . . (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो बाढ़ की बात हो रही है, अकाल पर दे देंगे। माननीय मंत्रीजी थोड़ी बात है, कल भी बिजी-सा है थोड़ा।

श्री सांवरलाल (सहायता राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान सरकार ने आजादी के बाद पहली बार बाढ़ से बचाव करने के लिये जिला कलेक्टर्स को 5 करोड़ रुपये एडवांस दिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बुडानियाजी ने मुझे लिस्ट नहीं दी, वह तो कब ही का खत्म हो गया।

श्री सांवरलाल : रामजी की मर्जी हुई और ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, बरसात नहीं हुई। पत्रकार बन्धु और दूसरे लोग पूछा करते थे कि आप अकाल राहत कार्य कब शुरू करवा रहे हैं। आपने बाढ़ के लिये पैसा एडवांस दिया और पहली बार अकाल पड़ने की संभावना नजर आ रही है। तो मैंने कहा कि आप इंतजार करिये, 15 जुलाई तक भगवान राजी हो जाएगा। भगवान की मर्जी प्रबल है, भगवान राजी हुआ। राजस्थान के कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा राजी हुआ, इसकी वजह से हमें इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। यह आपने सीखा नहीं होगा। आप भी सीख लेते पहले। ऐसी अप्राकृतिक आपदा के समय चाहे सरकार हो चाहे स्वयंसेवी, संस्थाए हों और चाहे अपोजीशन के लोग हों सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी संकट की घड़ी में लोगों के बीच में जाएं, उनके दुखदर्द में भागीदार बनें। राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में पहुंचे और लोगों के सुखदुख के हालात जानें। जहां पर भी मैं गया लोगों ने कहा कि भैरोंसिंह जी के राज्य में आज मंत्री स्वयं सेवक बनकर जगह-जगह पर जा रहे हैं। इससे ज्यादा सुख हमें और किसी बात से नहीं हो सकता।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। . . . (व्यवधान) . . . 8 घंटे की बहस चली है उसके लिये 5 मिनट तो मंत्री जी को बोलने दें आप। . . .(व्यवधान) . . .

श्री सांवरलाल : यहां का मंत्री और एम.एल.ए. जनता के बीच में उनके दुखदर्द में भागीदार बनने के लिये कभी आ सकता है, उनको आश्चर्य होता है कि ऐसी संवेदनशील सरकार है जिसके मंत्री और अधिकारी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जा रहे हैं। 6-6 फीट पानी बह रहा था, गाड़ी चला कर मैं पहुंचा तो लोग आश्चर्य कर रहे थे कि हमारे मंत्री और एम.एल.ए. साहब हमारे दुखदर्द जानने के लिये हमारी बीच में ऐसी घड़ी में आये।

श्री अमराराम : 6 फीट पानी में गाड़ी कैसे गयी? . . . कौनसी गाड़ी से गये थे आप? . . . (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, विराजें। . . . (व्यवधान) . . .

श्री अमराराम : मंत्री जी को तैरना आता ही नहीं है फिर 6 फुट में कैसे गये? . . . (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें...(व्यवधान)... कृपया सुनें।

श्री सांवरलाल : अब की बार जब बाढ़ आए तो मेरे साथ चले चलना।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप विराजें, आप विराजें। . . . (व्यवधान) आप विराजें, विराजें। इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : . . . (व्यवधान) . . . आपने लोगों को मरने दिया . . . (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें। (व्यवधान) . . . शांति बनाये रखें आप। क्या कर रहे हैं आप ? आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो कितना बुरा लगता है। बात तो पूरी करने दीजिये मंत्री महोदय को। . . . (व्यवधान) . . .

श्री सांवरलाल : इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। यहां पर चर्चा हुई और कुछ शिकायतों की भी बात की जा रही है कि जो सहायता के लिये सर्वे किया गया उसमें मतभेद किया गया है। इस आरोप का मैं खण्डन करता हूं कहीं पर भी ऐसी शिकायत होगी तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। सैम्पल रूप में पुनः सर्वे मैं करवाऊंगा और अगर कहीं पर गलतियां आयीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

एक बात और आयी कि हरियाणा में सहायता यह है, पंजाब में यह सहायता है, और राजस्थान में बहुत कम है। मैं मानता हूं इस बात को परन्तु भैरोंसिंह जी कितने संवेदनशील हैं कि 5 साल में दो बार रिवीजन किया है। आप की सरकार ने 5 साल में दो बार किसी भी वर्षों में नहीं किया। अब हरियाणा के तो अपोजीशन के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, क्या स्थिति है आप खुद सोच लीजिये। हमारे अपोजीशन ने तो यह आफर नहीं दी कि हम इस्तीफा दे रहे हैं अगर यह नहीं बना तो। हरियाणा की स्थिति से आप तुलना क्यों करते हैं ? फिर भी संवेदनशील होकर मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी की सिफारिश जो भी होगी राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

आज किसानों के पम्पसैटों का नुकसान हुआ, हमको भी तकलीफ है, किसानों के कुएं ढह गये उसकी हमको भी तकलीफ है, जहानुपर की जमीन नष्ट हुई उसकी हमको भी तकलीफ है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कमेटी जो सिफारिश करेगी राज्य सरकार उस पर विचार करेगी और निश्चित रूप से किसानों के हक में यह सरकार फैसला लेगी। बाढ़ की जहां स्थिति होती है, नुकसान भी होता है। नुकसान होता है उनके प्रति हमारी सिम्पैथी है परन्तु उससे जो फायदे हुए हैं वे भी देखें। एक तरफ नुकसान होता है तो दूसरी तरफ बाढ़ वरदान भी है। भरतपुर वाले पानी के लिये तरसते थे वे आज कहते हैं कि आनन्द हो गया हमारे तो। दस साल का आनन्द हो गया। इस बात को भी आपको कहना चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। बोलने दें मंत्री महोदय को।

श्री सांवरलाल : सहायता विभाग ने पहली बार इस वर्ष द्रुत गति से सहायता प्रदान की। माननीय विधायक कह रहे हैं कि हवाई जहाज से सर्वे क्यों नहीं किया, सर्वेक्षण तो पानी उतरने के बाद किया जाता है। इस गलतफहमी में नहीं रहें आप कि हम हवाई उड़ान कर रहे हैं। हवाई जहाज से सर्वेक्षण करने की आश्यकता नहीं पड़ती। सर्वेक्षण तो घर घर जाकर किया है। एक एक घर को देखा है कर्मचारियों ने।

महुआ में हम गये तो लोगों ने कहा कि हमारे विधायक का तो पता ही नहीं है। शायद आपको यह मालूम होना चाहिये। मैं पहली बार स्वास्थ्य विभाग को, पशुपालन विभाग को और पी.एच.ई.डी. विभाग को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि बीमारियां कहीं नहीं फैलीं। चाहे जानवर की बीमारी हो या आदमियों की बीमारी हो। लोगों को शुद्ध पेयजल मिला। आप ताज्जुब करेंगे, लोग कह रहे थे कि गांव-गांव और घर-घर के अन्दर, मोहल्ले-मोहल्ले के

(श्री सांवरलाल)

अन्दर टैंकर्स आ रहे हैं और कांग्रेस के राज्य में तो हम दर्शन ही नहीं करते थे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बाढ़ के समय में, इस अप्राकृतिक परिस्थिति में लोगों को सहायता दी, खाने के पैकेट्स उपलब्ध करवाये। इसी प्रकार से रायसिख जिन्होंने उस बांध को ...(व्यवधान) ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप यूरिया देकर आये। ...(व्यवधान) ...

श्री सांवरलाल : ...(व्यवधान) ... आप वहां पर गये ही नहीं।

रायसिखों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अप्राकृतिक संकट की घड़ी में उस बांध को बांधने में राज्य सरकार को, और जनता को बहुत-बहुत सहयोग दिया। मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। जो भी सारी बातें आपने कही मैं उन सभी पर गहनता से विचार करूंगा और निश्चित रूप से जनहित में उन गरीब किसानों के पक्ष में फैसला यह भैरोंसिंह जी की सरकार करेगी, मैं आपके बीच में यह वादा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री सांवरलाल : एक मिनट, और निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि बाढ़ रोकने के लिये हमें प्रयास करने चाहिये। मैं घोषणा करता हूं कि सहायता सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में विभिन्न अधिकारी और विशेषज्ञ सम्मिलित किये जाएंगे। जहां-जहां की सिफारिश करेंगे उस पर सरकार विचार करेगी कि यह बाढ़ रोकने के लिये कहां पर क्या कार्यवाही हो सकती है?

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार 2 नवम्बर, 1995 के प्रात : 11 बजे तक के लिये स्थिगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.46 बजे बृहस्पतिवार ; 2 नवम्बर, 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम आवेदक
1.	कालोता	मीठालाल गूर्जर पुत्र रामसहाय गूर्जर, कालोता
2.	डूंगरावता	शम्भूदयाल मीणा पुत्र महादेव मीणा, डूंगरावता
3.	पट्टीकिशोरपुरा	रतनलाल पुत्र गंगाधर मीना, हमीरपुर
4.	दौलतपुरा	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामपाल मीणा, दौलतपुरा
5.	डीगों	छुट्टनलाल पुत्र श्योनारायण मीणा, डीगों
6.	सलेमपुर	भरतसिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी जलालपुर
7.	सलेमपुर	भगवानसिंह पुत्र हुकुमसिंह, निवासी जलालपुर
8.	सलेमपुर	शिवदयाल पुत्र मुंशीराम शर्मा, जलालपुर
9.	सलेमपुर	विक्रमसिंह पुत्र धनीराम गूर्जर, सलेमपुर
10.	बावनपाडा	दिनेशकुमार पुत्र रामकिशोर शर्मा, रायपुरा
11.	सिकन्दरा	कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द सैनी, सिकन्दरा
12.	गांगदवाडी	पुरूषोत्तम कुमार पुत्र लक्ष्मणप्रसाद, बिवाई
13.	बिवाई	रामकुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मणप्रसाद, बिवाई
14.	बिवाई	महेश कुमार हेमचन्द अग्रवाल, बिवाई
15.	बिवाई	कालूराम पुत्र गणेशनारायण शर्मा, बिवाई
16.	बिवाई	राजेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दरलाल कोली, बिवाई
17.	मूडघिस्या	रामावतार मीणा पुत्र गेन्दाराम मीणा, मूडघिस्या
18.	सार्थों	श्रीमती बीनादेवी पत्नि राजूलाल गुप्ता, सार्थों
19.	केशरा	माधोसिंह पुत्र श्योसिंह राजपूत, केशरा
20.	डूँगरपुर	चिरंजीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता, डूँगरपुर
21.	निजामपुरा	मोण्डीराम मीना पुत्र कल्याण सहाय मीना, हमीरपुर

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

प्रश्न संख्या 113

(माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

डीग (भरतपुर) में बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे

114. श्री गोपीचन्द (नगर) व श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग उपखण्ड जिला भरतपुर में इस वर्ष आई बाढ़ का सर्वे करवाया गया? यदि हां, तो बाढ़ से इस उपखण्ड के कौन-कौन से ग्राम प्रभावित हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाढ़ से हुई क्षति का ग्राम एवं व्यक्तिवार सर्वे करवाया गया? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस उपखण्ड में हुई बाढ़ से क्षति का ग्राम एवं व्यक्तिवार सर्वे

(श्री गोपीचन्द)

में सही सर्वे नहीं किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः सर्वे या पूर्व में किये गये सर्वे की जांच करवाकर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट—"क")

(2) जी हां। तहसीलवार ग्रामों एवं प्रभावित परिवारों की संख्या सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट—"क")

(3) जिले के राजस्व अधिकारियों को सर्वे के सम्बन्ध में ग्राम वासियों/जन प्रतिनिधियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनके आधार पर जांच कर पुनः सर्वे सूचियां तैयार की जाकर, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर की पेयजल योजनाएं

115. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कौन-कौन सी पेयजल योजनायें सीधी ही विद्युत फीडर से जोड़ी हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की बासुनी-खारिया-1 रतकुडिया योजना को सीधे विद्युत फीडर से जुड़ा होना स्वीकार किया था ? यदि हां, तो क्या विद्युत मण्डल ने इसे सीधे फीडर से जुड़ा नहीं माना ? क्या उपरोक्त स्थिति की विस्तार से जांच की गई ? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब वर्तमान में उपरोक्त योजना में विद्युत उपलब्धता क्या है ? क्या अब इस योजना को विद्युत फीडर से सीधे जोड़ने का विभाग विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कब तक सुविधा उपलब्ध होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में जन स्वा.अभि. विभाग द्वारा पेयजल योजना के उत्पादन एवं वितरण हेतु 30 जलप्रदाय योजना के लिये विद्युत सम्बन्ध डाईरेक्ट फीडर से लिये हुये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट—"क" पर है।

(2) जी नहीं, पेयजल योजना बासनी खारिया रतकुडिया (भोपालगढ़) की तकनीकी स्वीकृति में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्रावधान लिया गया था। तथा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात समुचित विद्युत उपलब्ध हुई थी। पिछले कुछ समय से बिजली समुचित अवधि के लिए नहीं मिलने के कारण इस योजना के ग्रामों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाने पर विद्युत विभाग को समुचित अवधि के लिये बिजली उपलब्ध करवाने के लिये निवेदन करने पर डाइरेक्ट फीडर लगवाये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) वर्तमान में इस योजना पर औसत के आधार पर करीब 8 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है , पेयजल वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु अब इस योजना को खारिया खंगार जी.एस.एस. से सीधा फीडर लगाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। धन उपलब्धता के अनुसार यह कार्य शीघ्र पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जोधपुर जिले में पेयजल योजनाओं पर डाइरेक्ट फीडरों के स्थान की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान जहां के लिये डाइरेक्ट फीडर लिया गया है	विभागीय विद्युत संबंधों की संख्या
1.	पाइप्ड बोरून्दा	बोरून्दा	1
2.	पाइप्ड आसोप	आसोप	1
3.	पाइप्ड भोपालगढ़	भोपालगढ़	3
4.	नगरीय योजना पीपाड शहर	पीपाड शहर	1
5.	क्षेत्रीय योजना रामचौकी बुचेटी	रामचौकी (बिराई)	7
6.	क्षेत्रीय योजना भावी पिचियाक एवं लाम्बा-बाला-मालकोसनी	पिचियाक	6
7.	क्षेत्रीय योजना झाक उदलियावास	झाक	1
8.	नगरीय योजना पीपाड शहर एवं क्षेत्रीय योजना जालका बोयलकापरडा	रणसीगांव	3
9.	नगरीय योजना पीपाड शहर	लटियाली	1
10.	क्षेत्रीय योजना रामडावास तिगडा	अरटिया खुर्द	2
	जिलाखण्ड-II जोधपुर		
11.	पाइप्ड बालेसर सत्ता	बालेसर	3
12.	क्षे.ज.प्र. योजना सोमेसर सुवालिया	पुंगलियां	3
13.	क्षे.ज.प्र. योजना देचू सगरा	देचू	1
14.	पाईप्ड योजना सेतरावा	सेतरावा	1
15.	पी.एण्ड.टी. बेलवा	बेलवा	1
16.	क्षे.ज.प्र. योजना केतुकला केतु हेमा	केतु कलां	1
17.	पाईप्ड चांमू	चांमू	3
18.	क्षे.ज.प्र. योजना डेरिया मोरिया	डेरिया	1
19.	पाईप्ड शेरगढ	शेरगढ	4
20.	क्षेत्रीय सोमेसर सुवालियां	सोलंकिया तलां	—
21.	क्षेत्रीय माणकलाव घड़ाव	माणकलाव	2
22.	क्षे.ज.प्र. योजना बोरानाडा शिकारपुरा	कुडीहोद	5
23.	क्षेत्रीय डोली धवा	डोली	5
24.	क्षेत्रीय खेजडली बिसलपुर	खेजडली	2
25.	क्षेत्रीय 54 मीप शेरगढ जावा	54 मील	3
26.	पीएण्ड टी गोपालसर	गोपालसर	1
27.	क्षेत्रीय सालोडी आगोलाई	बैरू	6
28.	क्षेत्रीय केरू लोरडी बम्बोर	केरू	2
29.	क्षेत्रीय सालावास लूणी	सालावास	1
30.	क्षेत्रीय दईजर बनाड	दईजर	2
			73

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

116. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील में अभी तक डॉक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स आदि के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पद अब कब तक भर दिये जायेंगे।

(2) क्या उक्त तहसील के चिकित्सालयों में दवाई भी पर्याप्त नहीं रहती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में स्थित चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स आदि के रिक्त पदों की सूची संलग्न है। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। स्टाफनर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने संभव हो सकेंगे। चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरे जाने हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तदर्थ नियुक्ति से भरे जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक का पद डाइंग कैडर होने के कारण भरने पर रोक लगायी गयी है। वीईई. एवं सेक्टर सुपरवाईजर के पद पदोन्नति से भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं कनिष्ठ लिपिक वेतन श्रृंखला 1 से 6 पर रोक के कारण भरे जाना संभव नहीं है।

(2) सभी संस्थानों में आवश्यकता एवं मांग के अनुसार दवाइयां उपलब्ध करवायी जाती हैं।

नाम संस्था	पदनाम	रिक्त पद सं.
1. सामुदायिक केन्द्र, शेरगढ़	1. क. वि. (सर्जरी)	1
	2. चिकित्सक	2
	3. लेब टेक्नीशियन	2
	4. क. लिपिक	1
	5. स्टाफ नर्स	1
	6. चश्रे. कर्मचारी	2
2. सा.स्वा. केन्द्र, बालेश्वर	1. वचि. अधिकारी (पद भरने के निर्देश)	1
	2. चश्रे. कर्मचारी	6
3.ब्लाक प्रा.स्वा. केन्द्र, सोमेश्वर	1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	2. स्वास्थ्य निरीक्षक	1
	3. सेक्टर सुपरवाईजर	1
4. प्रा.स्वा. केन्द्र, सेतरावा	1. सेक्टर सुपरवाईजर	1
	2. चश्रे. कर्मचारी	1
5. प्रा.स्वा. केन्द्र, ढेंचू	1. वीईई.	1
	2. वाहन चालक	1
	3. सेक्टर सुपरवाइजर	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

नाम संस्था	पदनाम	रिक्त पद सं.
6. प्रा.स्वा. केन्द्र, तेना	1. च. श्रे. कर्मचारी	1
7. प्रा.स्वा. केन्द्र, नापडाऊ	1. च. श्रे. कर्मचारी	1
8. प्रा.स्वा. केन्द्र, बिराई	1. लेब टेक्नीशियन	1
उप केन्द्रों पर कोई पद रिक्त नहीं है।		27

जिला भरतपुर के किसानों का मुआवजा

117. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-भरतपुर की सिंघाडा से तरसूमा, कोट से सवाई माधोपुर बोर्डर धाघरेन से ईंटखेडा सड़क का कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य क्या है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कार्य किसानों को मुआवजा न देने के कारण रोक रखा है? यदि हां, तो मुआवजा स्वीकृत होने के बाद भी मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? अब मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) इन तीनों सड़कों को पूर्ण करने का लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

1. सिंगाडा से तरसूमा सड़क : — उक्त सड़क कार्य वर्ष 1996-97 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

2. कोट से सवाई माधोपुर सीमा तक सड़क : — उक्त सड़क का कार्य वर्ष 1995-96 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

3. धाघरेन से ईंटखेड़ा : — उक्त सड़क का कार्य वर्ष 1996-97 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

(2) जी नहीं। भूमि अवाप्ति के कारण जिन सड़कों के निर्माण कार्य में व्यवधान था उनमें से एक सिंगाडा से तरसूमा के लिये स्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष के लिये भूमि अवाप्ति की राशि वर्ष 1995-96 में दे दी जावेगी।

छात्रावास भवन (अलवर) का दुर्घटना प्रकरण

118. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री-माधोपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अनुदानित एक संस्था द्वारा अलवर में चलने वाले छात्रावास की दुर्घटना में कुछ बच्चे मर गये एवं उनमें से कुछ घायल हुए? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास भवन पहले अन्य भवन में चल रहा था, जिसे दुर्घटना वाले भवन में स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या स्थानान्तरण से पूर्व नये भवन को उपयुक्त पाया गया था?

(3) उक्त नये भवन का मालिक कौन है एवं उसने कितने किराये पर यह भवन उपलब्ध कराया?

(4) क्या नया भवन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक उद्योग का भू-भाग है? यदि हां, तो क्या औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार का रिहायशी भवन किराये पर लिया जाना उपयुक्त था?

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(5) क्या यह सही है कि उक्त संस्था और इस दुर्घटना प्रकरण की जांच करवाई गई? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

(6) उक्त प्रकरण में किन-किन व्यक्तियों को दोषी मानकर उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा अनुदानित संस्था बेला स्कूल समिति, निराश्रित बालगृह, अलवर के नये भवन के दिनांक 14-7-95 की रात्रि में अक्समात ढह जाने से दुखान्तिका में 5 बालकों की मृत्यु हो गई तथा 13 बालक घायल हो गये।

(2) जी हां। संस्था द्वारा संचालित निराश्रित बाल गृह पूर्व में अन्य भवन में चल रहा था जिसे दुर्घटना वाले भवन में स्थानान्तरित किया गया। भवन परिवर्तन की जानकारी संस्था द्वारा विभाग को नहीं दी गई। परिवर्तन का निर्णय संस्था समिति के स्तर पर किया गया।

(3) संस्था सचिव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार नये भवन का मालिक श्री भारत भूषण अग्रवाल है। भवन 5500/– रुपये प्रति माह की दर पर किराये पर लिया गया था।

(4) जी हां। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) अलवर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार के रिहायशी मकान को किराये पर देना अनुचित था।

(5) जी हां। जांच करवाई गई है जांच के अनुसार मकान मालिक द्वारा नये भवन का निर्माण एवं प्रयोग में कमाई गई सामग्री निर्धारित मापदण्डों से घटिया किस्म की प्रयोग में ली गई थी जिसके कारण यह हादसा हुआ। फलस्वरूप संस्था को तत्काल बन्द कर अनुदान राशि रोक दी गई तथा संस्था की मान्यता समाप्त कर दी गई है।

(6) इस प्रकरण में थाना अरावली बिहार पर श्रीमती अन्नपूर्णा पत्नि श्री आनन्दसिंह, अधीक्षिका, बेला स्कूल, हीरावास, अलवर की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 137/95 दिनांक 14-7-95 को धारा 306, 304ए ता.हि. में दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुवीक्षण चालान जरिये चार्जशीट नम्बर 83/95 दिनांक 14-8-95 को विरुद्ध श्री भारत भूषण, श्री ओम प्रकाश, अन्नपूर्णा व टीकमचन्द का चालान किया जा कर चार्जशीट दिनांक 22-8-95 को माननीय अदालत ए.सी.जे.एम. संख्या–1 (एक) में प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

जिला भरतपुर में सिंचाई कार्यों पर व्यय

119. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष 1994-95 में भरतपुर जिले में सिंचाई कार्यों पर नवनिर्माण या जीर्णोद्वार में कुल कितनी धन राशि व्यय हुई ? तहसीलवार सूची मय नाम सिंचाई कार्य के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1994-95 में भरतपुर जिले में सिंचाई कार्यों के नव निर्माण पर 20.38 लाख रुपये, जीर्णोद्वार पर 186.83 लाख रूपये (रिनोवेशन पर एवम् बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत पर [illegible]0.01 लाख रूपये तथा रखरखाव पर 17.82

(सिंचाई मंत्री)

लाख रूपये) का व्यय किया गया। तहसीलवार सूची मय नाम सिंचाई कार्य के सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना खातोली एवं इटावा (कोटा) में दर्ज प्रकरण

120. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के थाना खातोली, इटावा में गत 1 जनवरी, 1994 से 30 सितम्बर, 1995 तक चोरी से सम्बन्धित कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए ?

(2) कुल दर्ज किये गये मुकदमों में से कितनों में चालान पेश किये गये तथा कितनों में चोरी के माल को बरामद कर फरियादी को सुपुर्द किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1994 से 30 सितम्बर, 1995 तक चोरी से संबन्धित कोटा जिले के थाना खातोली में कुल 28 मुकदमे एवं थाना इटावा में कुल 64 मुकदमे दर्ज हुए।

(2) कुल दर्ज किए गये मुकदमों में से थाना खातोली के 6 एवं थाना इटावा के 10 मुकदमों में चालान पेश किये गये। थाना खातोली के 5 मुकदमों में माल बरामद कर एक फरियादी को वापिस लौटाया एवं थाना इटावा के 11 मुकदमों में माल बरामद कर 4 मुकदमों के फरियादियों को वापिस लौटाया गया। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

जिला कोटा के थाना खातोली एवं थाना इटावा में गत 1 जनवरी, 94 से 30 सितम्बर, 95 तक चोरी से संबंधित अभियोगों का विवरण

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर./ अदमवकु/ अदम पता	माल मशरूका	माल बाजयाफ्ता	माल फरियादी को लौटाया अभियोगों की संख्या	पेंडिंग तफ्तीश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पुलिस थाना	1994	17	5	12	19,750	12,550	1	–
	खातोली	1995	11	1	10	43,850	–	–	–
2.	पुलिस थाना	1994	31	7	24	1,67,685	95,050	3	–
	इटावा	1995	33	3	29	2,30,710	48,500	1	1

जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में अतिवृष्टि से क्षति

121. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या बाढ़ व अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की किस-किस तहसील की फसल गत वर्षाकाल में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण तबाह हुई है? सरकार ने इसका आंकलन करवाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के बारे में प्रभावित किसानों की कोई सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग दो में दी गई सूची के व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए कितनी-कितनी धनराशि व अन्य सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को यदि अभी तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है, तो सरकार अब उन्हें कब तक किस रूप में क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) अतिवृष्टि और बाढ़ से किसानों को उनकी फसल नष्ट होने के अलावा पशुधन तथा जन और धन की हुई हानि का भी क्या सरकार ने कोई आंकलन करवाया है? यदि हां, तो आंकलन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) यदि अभी तक प्रश्न के भाग 5 में अपेक्षित आंकलन नहीं करवाया गया है तो अब सरकार कब तक आंकलन करवाकर क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की अतिवृष्टि और बाढ़ से निम्न तहसीलों में गत वर्षा काल में फसलों को नुकसान हुआ है :—

नाम जिला	नाम तहसील
श्रीगंगानगर	1. अनूपगढ़
	2. विजयनगर
	3. सूरतगढ़
हनुमानगढ़	1. हनुमानगढ़
	2. पीलीबंगा
	3. टीब्री.

जिला कलेक्टरों द्वारा अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है।

(2) जिला श्रीगंगानगर की सूची बन चुकी है। जिला हनुमानगढ़ के सर्वे का कार्य चालू। जिला श्रीगंगानगर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) फसलों की क्षति के लिये कोई मुआवजा राशि नियमों में देने का प्रावधान नहीं है।

(4) नियमों में फसल क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। श्रीगंगानगर जिले की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(6) श्रीगंगानगर जिले का सर्वे करवाया जा चुका है, जिला हनुमानगढ़ के सर्वे का कार्य चालू है। सर्वे के पश्चात् नियमों के अनुसार सहायता राशि जिला कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगढ़-गोविन्दगढ़ (अलवर) सड़क निर्माण

122. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़क रामगढ़-गोविन्दगढ़रोड से सैंथली (जिला अलवर) माह सितम्बर, 1995 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क की पुलिया/पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है एवं अब वहां पर आवागमन बंद हो गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क/पुल की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ? एवं इन पर कितना व्यय होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही है कि उपरोक्त सड़क पर लिलावडी के पास 200 मीटर लम्बाई में सड़क बाढ से क्षतिग्रस्त होने के साथ बनी हुई पुलिया भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई थी और आवागमन बन्द हो गया था। बाढ़ से सड़क का क्षतिग्रस्त भाग एवं पूरी तरह से टूटी पुलिया के स्थाई निर्माणों के लिये अनुमानित खर्च 23.00 लाख होगा जिसकी उपलब्धता राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

राज्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा निजी क्लिनिकों का संचालन

123. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) व **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों ने जिला मुख्यालयों/तहसील/राजधानी में अपने-अपने क्लीनिक खोल रखे हैं तथा अपनी ड्यूटी पर नहीं जाकर इन क्लीनिकों में कार्य करते हैं ?

(2) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही तजबीज की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के निजी नर्सिंग होम/क्लीनिक में कार्य नहीं करने के लिए दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दोषी पाये गये चिकित्सकों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(3) परिपत्र की प्रति संलग्न है।

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन का स्थान
1.	डॉ. सीताराम गहलोत	ब्यावर
2.	डॉ. बी.पी. अग्रवाल	अलवर
3.	डॉ. बिजेन्द्र गर्ग	अलवर
4.	डॉ. अनिल सरदाना	" "

252

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन का स्थान
5.	डॉ. टी. बनर्जी	अलवर
6.	डॉ. अशोक कुमार जैन	"
7.	डॉ. गोपाल गुप्ता	"
8.	डॉ. एच.आर. गुप्ता	"
9.	डॉ. सुरेश शर्मा	"
10.	डॉ. के.सी. गुप्ता	"
11.	डॉ. एम.आर. चावला	"
12.	डॉ. श्रीमति माधुरी गुप्ता	"
13.	डॉ. दिलीप सेठी	"
14.	डॉ. योगेश भार्गव	"
15.	डॉ. कुसुम भार्गव	"
16.	डॉ. राजीव सक्सैना	"
17.	डॉ. आर.के. अग्रवाल	"
18.	डॉ. के.के. गुप्ता	"
19.	डॉ. एस.सी. मित्तल	"
20.	डॉ. सीताराम बंसल	धौलपुर
21.	डॉ. राधेश्याम गर्ग	"
22.	डॉ. लाखन सिंह पोषवाल	"
23.	डॉ. राजेश गौड	गंगानगर
24.	डॉ. राजेन्द्र अग्रवाल	झालावाड़
25.	डॉ. श्रीमति सुधा अग्रवाल	"
26.	डॉ. एल.सी. सिंघवी	जोधपुर
27.	डॉ. आजाद सिंह	"
28.	डॉ. रोशन लाल जैन	पाली
29.	डॉ. डी.के. जैन	"
30.	डॉ. एस.सी. जैन	"
31.	डॉ. डी.के. सारडा	"
32.	डॉ. एस.आर. धारीवाल	"
33.	डॉ. प्रदीप कुमार	"
34.	डॉ. रमेश दीनकर	"
35.	डॉ. रेणु सेतिया	हनुमानगढ़
36.	डॉ. एस.सी. गर्ग	सवाईमाधोपुर
37.	डॉ. सी.पी. गुप्ता	"
38.	डॉ. सुरेश चन्द शर्मा	बूंदी
39.	डॉ. मधुसुदन शर्मा	"
40.	डॉ. अरूण गुप्ता	(चौमू, जयपुर)
41.	डॉ. अनिल ताम्बी	जयपुर

(253)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज., जयपुर

निदेशालय के पत्र क्रमांक : ई.जी./94/1412 दिनांक 22.7.94

परिपत्र

माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया है कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक प्राईवेट नर्सिंग होम/क्लिनिकों में जाकर मरीजों को देखते हैं। आपरेशन करते हैं। चिकित्सकों की इस प्रवृत्ति को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आदेश प्रसारित कर स्पष्ट निर्देश दिये गये थे किन्तु यह प्रवृत्ति अभी भी जारी है। अतः पुनः राज्य के सभी चिकित्सकों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी प्राइवेट क्लीनिक/नर्सिंग होम/अस्पताल/पैथोलोजिकल लेबोरेट्री/डायग्नोस्टिक सेन्टर आदि में जाकर किसी भी मरीज को नहीं देखेंगे, न ही कोई टेस्ट करेंगे, न ही किसी प्रकार का आपरेशन करेंगे। यदि इस प्रकार की कोई सूचना किसी चिकित्सक के सम्बन्ध में राज्य सरकार/निदेशालय को प्राप्त होती है, तो उस चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके अधीन कार्यरत समस्त चिकित्सकों से इस परिपत्र को नोट करायेंगे व उसकी सूचना निदेशालय को देवेंगे।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके अधीनस्थ कार्यरत चिकित्सकों में से यदि किसी चिकित्सक के प्राईवेट नर्सिंग होम में जाकर मरीज देखने/आपरेशन करने आदि की कोई भी सूचना उनके ध्यान में है या लाई जाती है तो उसके पूर्ण विवरण के साथ अविलम्ब निदेशालय/राज्य सरकार को सूचित करेंगे ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

इसे अति महत्वपूर्ण समझा जावे तथा प्राप्ति की सूचना भिजवाने की व्यवस्था करें।

ह.
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर।

भिवाड़ी से करोली मंडरायल सड़क निर्माण

124. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी से करोली, मंडरायल तक विश्व बैंक के सहयोग से सड़क निर्माण कार्य हो रहा है? यदि हां, तो इस सड़क निर्माण पर कितनी राशि खर्च होगी और मूल अनुमान कितने रुपयों का था?

(2) इस सड़क को निर्माण की सुविधा हेतु कितने खण्डों में विभाजित किया गया था?

(श्री हरिसिंह)

प्रत्येक खण्ड कितनी अवधि में किस महीने एवं वर्ष में पूरा होना था ? क्या निर्धारित अवधि में प्रत्येक खण्ड का कार्य पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ठेके की शर्तों के मुताबिक समयावधि में सड़क निर्माण नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा पैनल्टी दिया जाना तय था ? यदि हां, तो कितनी पैनल्टी देना तय था ? क्या ठेकेदार से पैनल्टी वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण में हुई देरी के कारण ठेकेदार को एक्सक्लेशन की राशि भुगतान करनी पड़ी है ? यदि हां, तो कितनी ? प्रत्येक खण्ड पर भुगतान की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा ठेकेदार पर निर्माण कार्य में देरी के लिये पैनल्टी इम्पोज की गई ? यदि हां तो कितनी ? क्या पैनल्टी वसूल की गई ? क्या यह भी सही है कि वसूल की गई पैनल्टी को पुनः समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सड़क के मूल अनुमान राशि रू. 40.78 करोड के विरूद्ध रू. 112.90 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

(2) निर्माण की सुविधा हेतु इस कार्य को पांच भागों में विभाजित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार निर्माण अवधि निम्न प्रकार से हैं :—

भाग संख्या	पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि	पूर्ण किये जाने का दिनांक
1	2	3
भाग ए	550 दिन	14.10.93
भाग बी	685 दिन	26.2.94
भाग सी	820 दिन	11.7.94
भाग डी	950 दिन	18.11.94
भाग ई	1095 दिन	12.4.95

अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रत्येक भाग का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है जिसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

पूरी सड़क का पुनः सर्वे करना, भूमि अवाप्ति, कोर्ट का स्टे, वर्षा ऋतु, बिजली के तार एवं खम्भे हटाना एवं इसके अलावा अतिरिक्त कार्य जो अनुबन्ध में सम्मिलित नहीं थे जैसे, बम्बोरा घाटा का सुधार, हिण्डोन रेल्वे ओवर हैड ब्रिज, लेवल क्रोसिंग आदि।

(3) जी, नहीं। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार केवल समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ही क्षतिपूर्ति वसूल करने का प्रावधान है जिसकी राशि रू. 33,000/— प्रति दिन प्रति भाग है। क्योंकि कार्य स्वीकृत समयवृद्धि में ही किया जा रहा है, अतः क्षतिपूर्ति राशि वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। सड़क निर्माण में माह 10/95 तक किये गये कार्य पर रू. 1375.73 लाख का एक्सक्लेशन का भुगतान किया गया है। यदि यह कार्य अनुबन्ध में दी गई निर्धारित समयावधि में किया जाता तो भी इस कार्य पर एक्सक्लेशन का भुगतान 1255.43 लाख रू. किया जाता अतः अतिरिक्त समय के कारण 120.30 लाख रू. एक्सक्लेशन का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिसका प्रत्येक भागवार विवरण निम्न प्रकार है :—

भाग ए	34.85 लाख
भाग बी	54.03 "
भाग सी	17.99 "
भाग डी	10.55 "
भाग ई	2.88 "
योग :—	120.30 लाख

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) जी नहीं। क्षतिपूर्ति के रूप में 40.26 लाख रूपये कुछ समय के लिये रोके गये थे जो समयवृद्धि प्रकरण विचाराधीन अथवा स्वीकृत हो जाने पर समायोजित कर लिये गये हैं।

प्रश्न संख्या 125

(स्थगित)

जिला बांसवाड़ा में तालाबों का निर्माण

126. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में सिंचाई के कितने अधूरे तालाब हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा इस वर्ष कौन-कौन से तालाब प्लान में लिये जाकर स्वीकृत कर दिये गये जावेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की अधूरी स्कीम चरकती व हिम्मतगढ़ तैयार होकर सरकार में स्वीकृति के लिये पड़ी हुई है? इन तालाबों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कुल 47 तालाब अधूरे हैं जो इस प्रकार हैं :—

1.	एन.आर.ई.पी.	8 कार्य
2.	अकाल राहत	39 कार्य
		47 कार्य

उक्त अधूरे तालाबों की सूचियां परिशिष्ट "1" व "2" पर संलग्न हैं।

(2) इस भूतपाडा तालाब का कार्य जन जाति उपयोजना के तहत स्वीकृत कर दिया गया है। चार अन्य तालावों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं इन पांचों तालाबों की सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। चरखनी एवम् हिम्मतगढी लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति इनके तखमीने तैयार होने, जांच में उपयुक्त पाये जाने एवं बजट की वांछित राशि उपलब्ध होने की स्थिति में ही की जा सकेगी।

256

परिशिष्ट-1

एन.आर.ई.पी. अधूरे कार्यों की सूची

सिंचाई खण्ड बांसवाड़

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	स्वीकृत राशि बी. एस. आर	संशोधित लागत	एनआर ई. पी. टी.ए.डी.	जेआर वाई–I	मदवार व्यय जेआर वाई (अकाल)	मदवार व्यय जेआर वाई (प्रवाह)	योग	वर्तमान स्थिति	शेष राशि	संभावित सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर)
1.	काजलिया	बागीदौरा	25.60	50.00	21.54	11.52	2.10	4.49	39.71	अपूर्ण	10.29	65
2.	करमदिया	कुशलगढ़	29.17	51.32	25.29	3.82	5.58	4.20	39.19	अपूर्ण	12.13	83
3.	चरखनी	कुशलगढ	50.92	108.52	33.08	3.33	–	8.48	44.89	अपूर्ण	63.63	139
4.	गोपालपुरा	कुशलगढ़	28.73	82.78	7.58	0.06	–	–	7.64	अपूर्ण	75.14	109
5.	चौखी	घाटोल	29.31	50.00	1.77	1.88	–	–	3.65	अपूर्ण	46.39	43
6.	करेदा	बागीदौरा	50.50	72.00	6.68	2.62	–	–	9.30	अपूर्ण	62.70	177
7.	भूतपाडा	बांसवाड़ा	55.90	95.95	29.22	1.74	1.34	7.89	40.19	अपूर्ण	55.76	184
8.	खैरवा	घाटोल	33.60	130.00	2.28	3.70	–	–	5.98	अपूर्ण	124.02	154
		योग :—	303.73	640.37	127.43	28.67	9.08	25.06	190.55		450.02	954

परिशिष्ट–2

अकाल राहत के अधूरे कार्य

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	संशोधित लागत	मदवार व्यय: एनआर ई.पी टी.ए.डी.	मदवार व्यय: जेआर वाई–I	मदवार व्यय: जेआर वाई–II (अकाल)	मदवार व्यय: जेआर वाई–II (प्रवाह) ई.ए.एस. (94-95)	योग	वर्तमान स्थिति	शेष राशि	संभावित सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर)	वि.वि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	टिम्बा महूडी	कुशलगढ़	44.84	–	1.44	36.50	–	37.94	अपूर्ण	6.90	30	
2.	वनावला	" "	32.10	–	3.65	19.74	3.71	27.10	अपूर्ण	5.00	32	
3.	पनासी पिकअप वीयर	गढ़ी	6.76	–	–	2.76	–	2.76	अपूर्ण	4.00	10	
4.	कुवाडिया पिकअप वीयर	" "	6.44	–	–	2.44	–	2.44	" "	4.00	10	
5.	बोनिया पिकअप वीयर	" "	6.69	–	–	2.69	–	2.69	अपूर्ण	4.00	10	
6.	आमजा पिकअप वीयर	" "	6.21	–	–	1.21	–	1.21	अपूर्ण	5.00	10	
7.	पटेलिया पिकअप वीयर	" "	8.04	–	–	0.86	2.18	3.04	अपूर्ण	5.00	20	
8.	नाथपुरा खरवाली	बांसवाड़ा	30.59	–	–	16.79	19.38	36.17	बांध पूर्ण है	11.21	22	वन विभाग
9.	बोरवानिया एनिकट	बागीदौरा	13.57	–	–	1.57	–	1.57	अपूर्ण	12.00	40	के विवाद
10.	भुवानपुरा	" "	31.57	3	1.55	12.43	2.91	16.89	अपूर्ण	14.68	26	के कारण
11.	शेर की रेल	बांसवाड़ा	16.23	–	–	1.91	–	1.91	अपूर्ण	14.32	23	कार्य बंद है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	चिरौली	बागीदौरा	32.62	—	1.88	12.17	—	14.05	अपूर्ण	18.57	44	
13.	बडलीपाडा मानजी	बांसवाड़ा	23.10	—	—	4.10	—	4.10	" "	19.00	46	
14.	आन्बावाडा	बांसवाड़ा	21.95	—	—	1.95	—	1.95	" "	20.00	120	
15.	खेटवा	बागीदौरा	32.00	—	0.47	4.17	—	4.64	" "	27.36	75	
16.	फेफेर	बांसवाड़ा	49.46	—	—	11.34	7.38	18.92	" "	30.54	36	
17.	नवाखेडा	बांसवाडा	47.00	—	—	2.10	5.30	7.40	" "	39.60	58	
18.	उदयगढ़ वसुनी	कुशलगढ़	30.00	—	0.72	—	—	0.72	" "	29.28	25	
19.	खेरडावरा	बांसवाडा	31.41	—	—	3.41	—	3.41	" "	28.00	24	
20.	गणेशलाल पाडला	बांसवाड़ा	43.59	—	0.71	11.02	—	11.73	" "	31.86	28	
21.	सिंगपुरा	बांसवाड़ा	40.82	—	0.85	0.17	—	1.02	अपूर्ण	39.00	51	
22.	पंथोल पिकअप वीयर	घाटोल	39.79	—	—	0.79	—	0.79	" "	39.00	40	
23.	देवकी का नाका	कुशलगढ	77.00	—	—	11.04	—	11.04	" "	65.52	43	
24.	उदयपुर वडा	बागीदौरा	57.76	—	1.42	5.54	8.69	15.65	हैडवर्क पूर्ण है	42.11	30	
25.	टिडिया देव	कुशलगढ़	111.00	—	—	11.30	—	11.30	अपूर्ण	99.70	184	टीएडी में
26.	रामगढ़	बांसवाड़ा	66.11	—	—	3.11	—	3.11	" "	63.00	73	प्रस्तावित
27.	काली घाटी	घाटोल	79.00	—	—	4.41	—	4.41	" "	74.59	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	बडलीखेडा	बांसवाड़ा	65.99	—	—	0.99	—	0.99	अपूर्ण	65.00	200	
29.	बखतौड	घाटोल	92.00	—	—	3.31	—	3.31	" "	88.69	163	
30.	सीमेला	कुशलगढ	154.30	—	—	4.21	—	4.21	" "	150.09	141	
31.	वगेरी खूंटा	कुशलगढ	138.66	—	—	0.83	—	0.83	" "	137.83	133	
32.	कुन्डा	घाटोल	66.32	—	—	4.78	—	4.78	" "	61.54	162	
33.	कमलीवाडा	बांसवाडा	80.76	—	—	1.20	—	1.20	" "	79.56	165	
34.	कोटडी बंगाइचा	कुशलगढ़	118.00	—	—	5.04	—	5.04	" "	112.96	123	
35.	महूडी खेडा	बांसवाड़ा	89.95	—	—	1.95	—	1.95	" "	88.00	165	
36.	खजूरा	कुशलगढ़	98.43	—	—	2.43	—	2.43	" "	96.00	120	
37.	हिम्मतगढ़ी	" "	188.75	—	—	10.31	1.12	11.42	" "	177.43	230	टीएडी में
38.	पिपलोन	" "	425.00	—	—	6.03	—	6.03	" "	418.97	415	प्रस्तावित
39.	बोरीवान घाटी	घाटोल	297.16	—	1.53	8.00	—	9.53	" "	287.63	354	
		योग :—	2800.97	—	14.22	234.73	50.67	299.62		2516.84	3636	

परिशिष्ट "3"

बांसवाड़ा जिले की प्रस्तावित (विचाराधीन) लघु सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	तहसील	विशेष विवरण
1.	भूतपाडा	बांसवाड़ा	वर्ष 1994-95 में प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है।
2.	चरखनी	कुशलगढ़	विचाराधीन है।
3.	हिम्मतगढ़ी	कुशलगढ़	विचाराधीन है।
4.	टिडिया देव	कुशलगढ़	विचाराधीन है।
5.	बोरी बान घाटी	पीपल खूंट	विचाराधीन है।

भरतपुर की यातायात व्यवस्था

127. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिला मुख्यालय में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रण करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु किन-किन जगहों पर कितने-कितने कर्मचारियों को कितने-कितने समय के लिये तैनात किया जाता है ?

(3) क्या अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था का मुख्य कारण पुलिस कर्मियों की संख्या कम होना है ? यदि हां, तो सरकार ने बढ़ती हुई आबादी व बढते हुये वाहनों को ध्यान में रखकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिला मुख्यालय में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से नियन्त्रण हेतु स्वीकृति नफरी सउनि.—1, मु.आ.–3, कानि–24 हैं जिन्हें यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण ट्रेफिक बिन्दुओं पर ड्यूटी हेतु लगाया जाता है।

(2) यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु भरतपुर शहर में 1—सारस चौराहा 2–बिजलीघर 3–नगर परिषद 4–गंगा मन्दिर 5–सिटी पोस्ट ऑफिस 6–लक्ष्मण मंदिर 7–विजय हनुमान तिराहा 8–कुम्हेर गेट 9–अनाहगेट 10–हीरादास 11–नई मण्डी 12—मानसिंह-सर्किल 13–चौबुर्जा 14–सर्किट हाउस तिराहा पर सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर एवं 4 बजे शाम से 8 बजे शाम तक एक-एक आरक्षी तैनात किया जाता है।

(3) जी हां। यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु ट्रैफिक पुलिस बल में वृद्धि हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बूंदी शहर में आवासीय योजना

128. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बूंदी शहर के आस पास की 2500 बीघा भूमि आवासीय कॉलोनी हेतु अवाप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(2) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या और आवासीय कोलोनी किस एजेंसी द्वारा निष्पादित की जानी है ?

उत्तर

(1) नगर पालिका, बूंदी के आबादी विस्तार हेतु ग्राम देवपुरा एवं छत्रपुरा की 2555 बीघा 13 बिस्वा निजी खातेदारी एवं राजकीय सिवाय चक भूमि की अवाप्ति कार्रवाई जैरकार है।

(2) जी हां। नगर पालिका, बूंदी द्वारा आबादी विस्तार एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित है। आवासीय कालोनी मुख्य रूप से नगरपालिका, बूंदी द्वारा निष्पादित की जानी है, परन्तु 300 बीघा भूमि आवासन मण्डल के मार्फत निष्पादित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

मेज नदी (बूंदी) पर रिटेनिंग वाल निर्माण

129. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992-93 में तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत खंटकड़ से गुलखेडी (जिला बून्दी) रास्ते के झरनियां नाले पर निर्मित पुलिया के पास मेज नदी के सहारे बनाई गई रिटेनिंग वाल वर्ष 1994 में नष्ट हो गई? यदि हां, तो सही एवं मजबूत दीवार कब तक निर्मित करवा दी जावेगी?

(2) उक्त नदी को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रिटेनिंग वाल 28 मीटर की लम्बाई में मेज नदी में अतिवृष्टि से बाढ़ आने के कारण टूट कर बह गई थी। टूटी हुई रिटेनिंग वाल (दीवार) मार्च 96 तक पूर्ण करा दी जावेगी।

(2) उक्त नदी की बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव करने के लिये संबंधित सड़कों व पुलियाओं के लिये समुचित सुरक्षात्मक उपायों के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं।

समाज कल्याण छात्रावास परसाद (उदयपुर) का भवन

130. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास परसाद किराये के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो छात्रावास भवन का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

यह छात्रावास अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित किया जा रहा है।

उक्त छात्रावास के भवन निर्माण हेतु जनजाति विकास विभाग द्वारा भूमि आवंटन हेतु सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं एवं निर्माण हेतु तकमीने तैयार करवाये जा रहे हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र भवन निर्माण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

थाना बगरू (जयपुर) में दर्ज प्रकरण

131. **श्री बाबूलाल बछेर (दूदू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 24 अगस्त, 1995 को थाना बगरू के कर्मियों द्वारा ग्राम कालवाड़ के किले से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की थी ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा उक्त लाश को अज्ञात मानकर किसी प्रकार की उचित कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या पुलिस द्वारा उक्त लाश का पोस्टमार्टम एवं मेडिकल जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण पर अन्तिम रिपोर्ट लगाकर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं। मृतक के शव एवं कपडों की शनाख्तगी कराई गई तो लाश विष्णु पुत्र हुकमा राम जाति बलाई निवासी बुगालिया हाल कालवाड़ की होना पाया गया जिस पर पहले मर्ग नं. 19/95 दर्ज कर जांच की गई तथा जाँच कर अभियोग संख्या 411/95 धारा 365, 302, 201, ताहि. में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

(3) मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम मेडिकल ऑफिसर बगरू द्वारा करवाया गया था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है। मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा मृत्यु का कारण बिसरा परीक्षण के अभाव में सुरक्षित रखा गया है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में सी.आई.डी. (सी.बी.) राज. जयपुर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सिरोही की पेयजल योजनाएं

132. **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले के कुल कितने गांवों का पानी फ्लोराइड् की अधिकता के कारण पीने योग्य नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या योजनाएं बनाई गईं एवं कितने गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया गया ?

(3) सिरोही जिले के ऐसे कितने गांव हैं, जिनके उपभोक्ताओं से नल कनेक्शन देने हेतु अग्रिम राशि विभाग द्वारा जमा करवाई गई तथा कब से ? उन लोगों को नल कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

(4) सिरोही एवं शिवगंज नगर की पेयजल योजनाएं कब प्रस्तुत हुई तथा उन्हें कब स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के 43 गांव पानी की 3 पीपीएम से अधिक फ्लोराइड की अधिकता के कारण पीने योग्य नहीं है।

सूची परिशिष्ट—1 पर है।

(2) उपरोक्त 43 ग्रामों में से 13 ग्रामों को विभागीय मापदण्डों के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है जिसका विवरण भी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। इस परियोजना हेतु बाह्य सहायता/केन्द्र सरकार से धन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है धन उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

(3) सिरोही जिले में कुल 16 ग्रामों में उपभोक्ताओं से नल कनेक्शन देने हेतु अग्रिम राशि जमा कराई गई थी जिसमें से 10 ग्रामों में जल संबंध दिये जा चुके हैं तथा शेष 6 ग्रामों में जल सम्बन्ध देने हेतु संशोधित योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिनकी स्वीकृति के पश्चात् ही इन ग्रामों में जल संबंध देना संभव हो सकेगा।

(4) सिरोही शहर की जलप्रदाय योजना स्वीकृति हेतु तकनीकी सदस्य राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज प्रबन्धक मण्डल जयपुर में दिनांक 21.10.95 को प्राप्त हुई है जिसकी तकनीकी जांचें की जा रही हैं। शिवगंज शहर की जलप्रदाय योजना जिसकी अनुमानित लागत 32.33 लाख रुपये है। तकनीकी जांच की जाकर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

3 पी.पी.एम से अधिक फ्लोराइड्युक्त गांवों की सूची जिला सिरोही

क्र.सं.	तहसील	कोड सं.	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	फ्लोराइड
1.	शिवगंज	25	सेवड़ा	790	3.60
2.	"	28	अखापुरा खारल	503	7.4
3.	"	30	रानिया खेडा	7	7.4
4.	"	45	कुकडी खेडा	52	3.3
5.	"	49	खेजरिया	1253	4.2
6.	"	69	बडाबेरा	381	7.4
7.	सिरोही	17	नवारा	1485	3.8
8.	"	18	गुडा	667	3.2
9.	"	23	खाम्बल	1441	3.4
10.	"	24	पालडी	395	3.8
11.	"	33	बेरापुरा	480	3.2
12.	"	24	सिन्दरथ	1648	3.6
13.	"	36	सिलोईया	967	3.2
14.	"	60	माकरोडा	1492	7.0
15.	पिण्डवाडा	52	यादाबेरी	96	2.38
16.	"	53	चिनियाबन्द	28	4.00
17.	"	70	काच्छोली	2004	8.2
18.	"	75	कोटडा	355	3.4
19.	"	84	ऊडबारिया	603	4.0
20.	आबूरोड	3	उतरज	251	3.4

क्र.सं.	तहसील	कोड सं.	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	फ्लोराइड
21.	"	11	आमथला	2112	7.0
22.	"	12	कदारा	211	6.5
23.	"	13	मदरला	1487	6.5
24.	"	14	किवरली	2522	3.2
25.	"	20	तलवारों का नाका	1020	4.0
26.	"	22	वागदरी	954	3.2
27.	"	29	फोरेस्ट चोटीला	107	3.2
28.	"	30	चोटीला	240	3.2
29.	"	31	माहीखेडा	1072	3.2
30.	"	32	गिरवर	2714	3.10
31.	आबूरोड़	34	अन्दालिया	507	3.2
32.	"	35	आवल	1941	3.6
33.	"	36	रेडवा खुर्द	63	3.2
34.	"	40	क्यारिया	673	3.6
35.	"	41	मानपुर (रूरल)	1291	3.6
36.	"	43	तारटोली (रूरल)	1011	4.0
37.	रेवदर	8	पन्सदेवल	28	4.0
38.	"	14	हडमरिया	80	3.2
39.	"	25	सिंगराली खेडा	349	4.0
40.	"	72	असाऊ	176	3.6
41.	"	77	करेली	534	3.2
42.	"	106	बहादुरपुरा	128	7.4
43.	"	108	मलिया खेडा	384	3.2

3 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड के ग्रामों की सूची जहां शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है।

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	तहसील	कोड नं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या 1991
1.	शिवगंज	25	सेवडा	790
2.	"	28	अखापुरा	503
3.	"	30	रानिया खेडा	7
4.	"	45	कूकडी खेडा	52
5.	"	49	खेजडिया	1253
6.	सिरोही	10	गुडा	667
7.	"	23	खाम्बल	1441
8.	"	24	पालडी	935
9.	"	36	सिलोईया	967
10.	पिण्डवाडा	70	कच्छोली	2004
11.	आबूरोड़	11	आमथला	2112
12.	"	14	किवरली	2522
13.	"	32	गिरवर	2714

राज्य में अतिवृष्टि से क्षति

133. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष वर्षा सामान्य से अधिक हुई है? यदि हां, तो ज़िलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अतिवृष्टि से राजस्थान में कोई जन-धन की हानि हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष वर्षा सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक हुई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, अतिवृष्टि से जनधन की जानि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अतिवृष्टि से सिंचाई विभाग के अनेक कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त कार्यों की जिलेवार संख्या एवम् इनके मरम्मत/जीर्णोद्वार के लिए वांच्छित राशि की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम क्यारा (अलवर) में सड़क निर्माण

134. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़क ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर एक किलोमीटर लम्बी है?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का निर्माण कार्य पिछले 14 माह से चल रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिस भूमि पर सड़क बननी है वह सिवाय चक है और उस पर किसी कर्मचारी ने अतिक्रमण कर रखा है?

(4) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला अधिकारियों ने अतिक्रमणियों की सहायता करने हेतु सड़क के निर्माण कार्य में जान बूझकर विलम्ब कर रखा है?

(5) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) यह सही है कि निर्माणाधीन सड़क की बची हुई 130 मीटर लम्बाई सड़क खसरा नम्बर 603, 602, एवं 599 में से निर्माण करना प्रस्तावित है इसमें खसरा नं. 599 सिवाय चक है। इस विभाग की जानकारी अनुसार खसरा नं. 599 सिवाय चक में ग्रामीण श्री प्रभु जय राम मीणा एवं श्री रघुनाथ पुत्र श्री गोबिन्दा मीणा ने सिवाय चक में फसल हेतु जुताई कर अतिक्रमण कर रखा है।

(4) यह सही नहीं है। विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किये हैं। एवं कार्यवाही अभी भी जारी है।

(5) निर्माण विभाग द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता।

नर्मदा योजना से सिंचाई

135. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(1) नर्मदा योजना से राजस्थान में आने वाली नहर में प्रारम्भ में राजस्थान के कौन-कौन से गांव रखे गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस योजना में वर्तमान में पुरानी योजना के कुछ गांवों को सिंचित क्षेत्र से निकाला गया है एवं कुछ नए गांव जोड़े गये हैं ? निकाले गये एवं नए जोड़े गये गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नए जोड़े गये गांव लूणी नदी के नेहड़ क्षेत्र के हैं जहां की भूमि क्षारीय है और यहां पर नहर से सिंचाई संभव नहीं होगी ?

उत्तर

(1) नर्मदा नहर योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में सिंचित क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) भाग 2 के उत्तर के परिपेक्ष में कोई जवाब अपेक्षित नहीं है।

मकराना (नागौर) में अवैध खनन प्रकरण

136. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में थाना मकराना में खानों पर अवैध कब्जे, जबरन पत्थर उठाने तथा मूल्यवान जमीनों पर अवैध कब्जे किये जाने के प्रकरण दर्ज हुए थे ? यदि हां, तो कितने व उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त में से वर्ष 1994-95 में कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया ? विवरण मासिक आधार और निस्तारित प्रकरण के अनुसंधान की शुरूआत का वर्ष महीने को दर्शाते हुए कितने केसों में एफ.आर. लगाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मकराना में खानों पर अवैध कब्जे, जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया गिरोह को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वांछित सूचना परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(3) जी, हां। पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "क"

पुलिस थाना मकराना पर वर्ष 1994 एवं 95 में खानों पर अवैध कब्जे जबरन पत्थर उठाने व मूल्यवान जमीनों पर अवैध कब्जे करने से सम्बन्धित दर्ज प्रकरण व पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :—

(गृह मंत्री)

क्र.	शीर्षक	वर्ष 1994 दर्ज प्रकरण	एफ आर	चालान	अन्वेषणाधीन	वर्ष 1995 दर्ज प्रकरण	एफ आर	चालान	अन्वेषणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	खानों पर अवैध कब्जे	4	1	2	1	5	1	2	2
2.	जबरन पत्थर उठाने	5	5	–	–	10	4	2	4
3.	मूल्यवान जमीनों पर अवैध कब्जे	1	–	1	–	2	–	–	2

(2) पुलिस थाना मकराना पर वर्ष 1994-95 में खानों पर अवैध कब्जे, जबरन पत्थर उठाने, मूल्यवान जमीनों पर अवैध कब्जे करने से सम्बन्धित दर्ज प्रकरण व उनके निस्तारण की मासिक तालिका—

क्र.	शीर्षक	वर्ष 1994 अभियोग संख्या	अभि. दर्ज की दिनांक	नतीजा	दिनांक	वर्ष 1995 अभियोग नम्बर	अभि. दर्ज की दिनांक	नतीजा	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	खानों पर अवैध कब्जे	1. 14/94	23.1.94	चालान/31.1.94		15/95	30.1.95	चालान	31.3.95
		2. 123/94	16/6/94	चालान/30-6-94		147/95	18/6/95	एफ आर	24-9-95
		3. 194/94	8.8.94	एफ. आर/31.8.94		240/95	7.9.95	चालान	24.9.95
2.	जबरन पत्थर उठाने	1. 48/94	11/3/94	एफ आर/7/4/94		18/95	30.1.95	एफ आर	30.6.95
		2. 215/94	2/9/94	एफ आर/30.9.94		22/95	2.2.95	एफ आर	30.6.95
		3. 217/94	2/9/94	एफ आर/30.9.94		40/95	21.2.95	चालान	24.9.95
		4. 263/94	20/10/94	एफ आर/31.10.94		170/95	13.7.95	एफ. आर	30.9.95
		5. 291/94	18/11/94	एफ आर/31.12.94		237/95	26.9.95	चालान	30.9.95
3.	मूल्यवान जमीनों पर अवैध कब्जे	29/94	18/2/94	चालान/28/2/94		–		–	–

जोधपुर की महामंदिर सीवरेज योजना

137. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में सीवरेज लाइन की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा एवं कार्य कब तक प्रारम्भ करने व पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

(2) प्रस्तावित सीवरेज लाइन कहां से कहां तक डाली जायेगी? इसमें कौन-कौनसी बस्तियों को जोड़ा जायेगा व इसमें किस साइज के पाइप का उपयोग किया जायेगा?

(3) इसमें बी.जे.एस. कॉलोनी, लक्ष्मीनगर, शक्तिनगर, इमरितीया, बेरा को जोड़कर नागरिकों को सुविधा देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या महामंदिर सीवरेज लाईन के द्वितीय चरण में भदवासिया, मदेरणा कॉलोनी व मगरा पूंजला को जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1)महामंदिर सीवरेज योजना (प्रथम चरण) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.5.95 को जारी की जा चुकी है। योजना की अनुमानित लागत 507.62 लाख रुपये है। कार्य इसी वर्ष 1995-96 में प्रारम्भ किया जाकर वर्ष 1998-99 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उल्लेखित बस्तियों में वर्तमान में सीवर लाइन डालने का कोई प्रावधान नहीं है। इन बस्तियों के गंदे सीवेज डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट साईट तक ले जाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत डाले जाने वाले आउट फाल सीवर में प्रावधान लिया गया है।

(4) महामंदिर सीवरेज की द्वितीय चरण की योजना का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। भदवासिया एवं मदेरणा कॉलोनी के संभावित सीवेज डिस्चार्ज को इस योजना के अन्तर्गत जाने वाली आउट फाल सीवर में सम्मिलित किया गया है।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	क्षेत्र/बस्ती	सीवर लाइन का विवरण	साइज/टाइप
1	2	3	4
1.	महामंदिर तीसरी पोल (गेट) से शक्तिनगर गली नं. 1 तक	मैन सीवर	300 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
2.	शक्ति नगर गली नं. 1	मैन सीवर	400 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
3.	शक्ति नगर व लक्ष्मीनगर के बीच का क्षेत्र से (पावटा सी रोड़)	मैन सीवर	400 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
4.	शक्ति नगर व बी.जे.एस. कॉलोनी के बीच का क्षेत्र में	मैन सीवर	400 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
5.	लक्ष्मीनगर व बी.जे.एस. कॉलोनी के बीच का क्षेत्र में	मैन सीवर	500 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
6.	बी.जे.एस. कॉलोनी मैन रोड़ से रसाला रोड़ रेल्वे फाटक तक (बी.जे.एस. स्कूल)	मैन सीवर	600 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
7.	लाल मैदान (पावटा क्षेत्र) से लक्ष्मी नगर मोड़ तक (ज्ञानेन्दा पब्लिक स्कूल)	मैन सीवर	300 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाईप

1	2	3	4
8.	लक्ष्मीनगर मोड़ से राजपूत सभा भवन के पीछे से होते हुए जालम निवास रेल्वे लाईन तक।	मैन सीवर	400 मिमि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
9.	जालम निवास के बाहर से रसाला रोड़ रेल्वे फाटक (बी.जे.एस. स्कूल) रेल्वे लाईन के समानान्तर	मैन सीवर	500 मिमि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
10.	रसाला रोड़ रेल्वे फाटक से नटिया बस्ती (रेल्वे लाईन के समानान्तर)	मैन सीवर	700 एवं 8000 मिमि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
11.	नटिया बस्ती से बनाड़ रोड होते हुए बनाड चुंगी चौकी के पीछे दो किलोमीटर तक	आउट फाल सीवर	900 मिमि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
	<u>महामंदिर चारदीवारी एवं आस-पास का क्षेत्र</u>		
12.	नया बास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
13.	पाली बाजार	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
14.	घाचियों का बास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
15.	जाटा बास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
16.	बूनी बागर	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू, पाईप
17.	घारीवालों का बास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
18.	खटीकों का बास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप

1	2	3	4
19.	घडीवास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास, एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप
20.	महामंदिर मुख्य बाजार से धानमण्डी होते हुए झालरा	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप
21.	मान सागर	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास, एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
22.	गहलोतों का बास	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास, एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप
23.	ब्रह्मपुरी	लेटरल सीवर	230 मिमि. व्यास, एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप
24.	आसन	लेटरल सीवर	230 मिमि. व्यास, एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप
25.	झालरा	लेटरल सीवर	250 मिमि. व्यास आर.सी.सी. पाईप
26.	महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे का क्षेत्र	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप
27.	महामंदिर पुलिस थाने के पास से पावटा सी रोड (रेलवे लाइन के समानान्तर)	लेटरल सीवर	150 मिमि. व्यास एस.जी.एस.डब्ल्यू. पाईप
28.	रेडियो स्टेशन व आस-पास का क्षेत्र	लेटरल सीवर	150, 230 व 250 मिमि. व्यास, एस.जी.एस.डब्ल्यू. एवं आर.सी.सी. पाइप
29.	मसाणिया गेट के बाहर से शक्ति नगर गली नं. 1 तक वाया शिव शक्ति नगर।	लेटरल सीवर	230 मिमि. व्यास एस.जी.एस. डब्ल्यू. पाईप

जिला झुंझुनूं के उपस्वास्थ्य केन्द्र

138. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले में किस-किस स्थान पर "सब सेंटर" मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं के आदर्शों से किन किन आधारों पर खोले गये हैं या स्थान परिवर्तित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन सब सेंटरों को खोले जाने से सम्बन्ध में जिला परिषद्, पंचायत समितियों, जन प्रतिनिधियों से कोई रायमशविरा नहीं किया गया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी स्वेच्छा से स्थानों का चयन कर सब सेंटर खोलने के आदेश जारी कर दिये ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में दोहरे स्वीकृत उपकेन्द्रों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं ने विधायक, सरपंच, ग्रामवासियों के प्रस्तावों तथा उपादेयता के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुमति पर स्थान परिवर्तन की स्वीकृति जारी की है। सूची संलग्न है।

(2) उप केन्द्रों के स्थान परिवर्तन जन प्रतिनिधि, संबंधित चिकित्सकों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर किये गये हैं।

दो या दो बार से अधिक स्वीकृत उपकेन्द्रों के नाम मय प्रा. स्वा. के.		स्थान जहाँ पर उप केन्द्र स्थानान्तरण करना है मय प्रा. स्वा. के.	
1. अजाड़ी खुर्द	(बहादुरवास)	1. खाजपुर नया	(बहादुरवास)
2. चुडीचतरपुरा	(बहादुरवास)	2. लालपुर	(बहादुरवास)
3. ख्याली	(महनसर)	3. भूतिया का वास	(महनसर)
4. बघेरा	(खिरोड़)	4. कानकावाली ढाणी	(खिरोड़)
5. राणासर	(खिरोड़)	5. किरोड़ी	(खिरोड़)
6. बिदानिया	(सुलताना)	6. घुमनसर खुर्द	(सुलताना)
7. भौबिया	(सूरजगढ़)	7. श्यामपुरा	(सूरजगढ़)
8. बनगोठड़ी	(सूरजगढ़)	8. पिलोद	(सूरजगढ़)
9. बनगोठडी	(सूरजगढ़)	9. बिगोदना	(सूरजगढ़)
10. भगीना	(सूरजगढ़)	10. पिचानंवा	(सूरजगढ़)
11. महपलवास	(सूरजगढ़)	11. चोराड़ी	(सूरजगढ़)
12. भली	(बुहाना)	12. ढाणा	(बुहाना)
13. खान्दवा	(बुहाना)	13. झारोड़ा	(बुहाना)
14. भिर्र	(बुहाना)	14. धुलवा	(बुहाना)
15. मंडी ढाका	(बुहाना)	15. डुमोलीकलां	(बुहाना)
16. पालोता	(बुहाना)	16. माजरी	(बुहाना)
17. कलाखरी	(बुहाना)	17. नानवास	(बुहाना)
18. भोजगढ़	(उदयपुरवाटी)	18. गोदारा की ढाणी	(उदयपुरवाटी)
19. जहाज	(उदयपुरवाटी)	19. किरपुरा उर्फ कश्यपपुरा	(उदयपुरवाटी)
20. केड मय गोपालपुरा	(उदयपुरवाटी)	20. पोषाणा	(उदयपुरवाटी)
21. इन्द्रपुरा	(उदयपुरावाटी)	21. गढला केम्प	(उदयपुरवाटी)
22. गुडा	(उदयपुरवाटी)	22. मंझाऊ	(उदयपुरवाटी)
23. बागोली	(उदयपुरवाटी)	23. मैनपुरा	(उदयपुरवाटी)
24. बागोली	(उदयपुरवाटी)	24. बलुका की ढाणी	(उदयपुरवाटी)
25. जगदीशपुरा	(उदयपुरवाटी)	25. जैतपुरा	(उदयपुरवाटी)

परिशिष्ट–3

(अंताराकित प्रश्न संख्या 180 की सूची)

जयपुर नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों की वार्डवाइज सूची

माह सितम्बर

वार्ड नं.	कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी		वार्ड नं.	कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी	
1	–	10	36 (ए)	–	30
2	–	60	36	–	10
3	–	50	37	–	10
4	(15 + 30)	45	38	–	30
5	–	30	39	–	10
6	–	20	40	–	12
7	–	20	41	–	10
8	–	20	42	–	10
9	–	20	43	–	10
10	–	10	44	–	10
11	–	20	45	–	8
12	–	25	46	–	3
13	–	40	47	–	15
14	–	35	48	–	2
15	–	35	49	–	20
16	–	30	50	–	2
17	–	30	51	–	10
18	–	20	52	–	25
19	–	30	53	–	20
20	–	30	54	–	27
21	–	20	55	–	
22	–	35	56	–	
23	–	20	57	–	5
24	–	45	58	–	10
25	–	5	59	–	10
26	–	5	60	–	10
27	–	25	61	–	15
28	–	30	62	–	10
29	–	25	63	–	30
30	–	10	64	–	20
31	–	10	65	–	30
32	–	10	66	–	10
33	–	10	67	–	10
34	–	10	68	–	30
35	–	20	69	–	10
			70	–	30

परिशिष्ट—4

(अतरांकित प्रश्न संख्या 186 की सूचना)

परिशिष्ट "क"

क.सं	गांव का नाम	योजना का नाम जिससे गांव लाभान्वित है	वर्तमान सर्विस लेवल (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	सुधार के उपाय	सुधार कब तक प्रस्तावित है
1.	मोरोली कलॉं	क्षेत्रीय जलयोजना जघीना मोरोली खुर्द	10 लीटर	अभिवृद्धि जल योजना जघीना मोरोली खुर्द रू. 21.14 लाख की प्रस्तावित है।	प्रस्ताव वित्त समिति में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
2	नगला हरचन्द	—"—	शून्य	—"—	—"—
3.	सोगर	क्षेत्रीय जलयोजना भाण्डोर टोटपुर	शून्य	अभिवृद्धि जलयोजना भाण्डोर टोटपुर रु. 24.00 लाख प्रस्तावित है।	—"—
4.	तालफरा	क्षे. जलयोजना करबा गुंसारा	शून्य	अभिवृद्धि योजना करवा गुंसारा रू. 4.97 लाख स्वीकृत हो चुकी है	ग्रीष्म ऋतु 96 से पूर्व कार्य पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
5.	धानोता	क्षे. जलयोजना नगला भाट	शून्य	अभिवृद्धि योजना मोरोली नंगला भाट रू. 3.90 लाख की स्वीकृति की जा चुकी है।	—"—
6.	पाडोला	हैण्डपम्प योजना	मापदण्ड के अनुरूप लगे हुए तीनों हैण्डपम्प कार्यरत हैं।	—	—

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 191 का विवरण)

परिशिष्ट—"क"

क.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	1-ए	157	8	हेण्डपम्प
2.	3-ए	158	267	,,,,
3.	1-ई	143	397	,,,,
4.	5-ई	187	1149	,,,,
5.	6-ई	156	42	,,,,
6.	7-ई	186	1032	,,,,
7.	1-एफ	184	512	,,,,
8.	1-जी	232	468	,,,,
9.	2-एच-एच-2	234	22	,,,,
10.	1 एल-एन-पी	109	282	,,,,
11.	3 एलएनपी	333	304	,,,,
12.	4 एलएनपी	150	287	,,,,
13.	5 एलएनपी	145	459	,,,,
14.	7 एलएनपी	149	548	,,,,
15.	8 एलएनपी	146	384	,,,,
16.	9 एलएनपी	148	397	,,,,
17.	10 एलएनपी	147	385	,,,,
18.	12 एलएनपी	193	352	,,,,
19.	13 एलएनपी-2	236	51	,,,,
20.	15 एलएनपी-1	285	8	,,,,
21.	16 एलएनपी	287	77	,,,,
22.	17 एलएनपी	289	60	,,,,
23.	18 एलएनपी	288	737	,,,,
24.	21 एलएनपी	312	128	,,,,
25.	22 एलएनपी	240	130	,,,,
26.	1 एमएल	144	928	,,,,
27.	2 एमएल	188	1775	,,,,
28.	3 एमएमल	189	740	,,,,
29.	4 एमएल	185	932	,,,,
30.	21 एमएल	292	501	,,,,
31.	22 एमएल	294	489	,,,,
32.	15 एलएनपी-II (ए)	286	5	सैनट्री डिग्गी
33.	15 एलएनपी-II (बी)	239	15	,,,,
34.	6 एमएल	279	76	,,,,
35.	28 एलएनपी-I	309	28	,,,,

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	वर्तमान जनसंख्या	सप्लाइ पानी की मात्रा कि. ली."ख"	सर्विस लेवल ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	क्षेत्रीय 23-24 एलएनपी	23 एलएनपी	284	395	476	30	63
		24 एलएनपी	283	1606	1927	121	63
		20 एमएल-ए	281	382	458	29	63
2.	पाइप्ड गणेशगढ़	गणेशगढ़	310	6578	7894	283	36
		26 एलएनपी	291	20	24	1	36
		27 एलएनपी	293	77	92	3	36
		28 एलएनपी–II	308	139	167	6	36
3.	क्षेत्रीय डब्ल्यू एस एस 15 एमएल	15 एमएल	152	446	535	40	75
		6 एलएनपी	151	1151	1381	100	75
4.	क्षेत्रीय 11 एलएनपी	11 एलएनपी	192	1653	1984	159	80
		श्यामसिंह वाला	194	138	166	13	80
		16 एमएल	191	62	74	6	80
5.	क्षेत्रीय 19-20 एलएनपी	19 एलएनपी	290	192	230	17	74
		20 एलएनपी	311	351	421	31	74

(23[illegible])

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	क्षेत्रीय 17 एमएल	17 एमएल	190	935	1122	95	85
		पट्टीशिया	196	527	632	54	85
7.	क्षेत्रीय 2 एच एच–1	2 एचएच–1	233	3821	4585	200	44
		5 एमएल	198	265	318	14	44
		1 एचएच	242	79	95	4	44
8.	पनघट 2 एलएनपी	2 एलएनपी	110	1045	1254	31	25
9.	क्षेत्रीय 3-ई-4ई	2-ई	154	811	973	63	65
		2-ई	155	2310	2772	180	65
		4-ई	153	520	624	40	64
10.	क्षेत्रीय डब्ल्यू एस.एस.	501 एलएनपी	238	1033	1240	109	88
	501 एल एन पी	14 एलएनपी	237	19	23	2	88

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 192 का विवरण)

प्रपत्र "1"

संवर्धन जल प्रदाय योजना गोविन्दगढ़ जिला अलवर

(सामान्य अनुमानित लागत)

(वार्षिक दर वृद्धि सम्मिलित करते हुए)

क्रमांक	विवरण	राशि (लाखों में)
1.	नलकूलप निर्माण व स्विच बोर्ड रूम इत्यादि का निर्माण	14.46
2.	पम्प व मशीनरी	4.02
3.	राईजिंग मेन	18.60
4.	स्वच्छ जलाशय व पम्प हाऊस निर्माण कार्य	2.75
5.	उच्च जलाशय निर्माण कार्य	8.40
6.	वितरण पाईप लाईनें	10.59
7.	विद्युत कनेक्शन इत्यादि	11.00
8.	आफिस बिल्डिंग, क्वार्टरस, इत्यादि	9.10
9.	भूमि अवाप्ति	3.30
10.	टेलीफोन कनेक्शन	0.78
11.	क्लोरीनेटर, टूल्स व प्लान्ट्स इत्यादि	0.39
		83.39
	5% कन्टीजेन्सी चार्जेज	4.17
		87.56
	11% प्रोरेटा चार्जेज	9.63
		97.19

परिशिष्ट—7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 193 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (GR. 2) DEPARTMENT

ORDER

No. F1 (47) FD (Gr. 2)/82 Dated, Jaipur, the 22.2.1986

Sub : – Transfer of Government Servents/on Deputation/Foreign Service to other Government, Public undertakings, autonomous Bodies and other bodies, Government Companies, Corporations Etc. Grant of Deputation (Duty) Alllow.

1. The Governor has been pleased to order the revision of the existing terms and conditions of deputation of State Government employees under Rule 144 a of Rajasthan service rules who go on depution or on foreign service to ex-carde posts in Central Government or other State Govt. Public undertakings or Government Companies or Corporations or Autonomous Bodies (Incorporated or not) and other Bodies etc. Wholly or substantially owned or controlled by the Govt. as contained in the following paragraphs.

2. The terms 'deputation' will cover only appointments made by transfer on atemporary basis. It does not cover permanent appointment made by transfer or final absorption or by direct recruitment in comptition with open market candidates to the aforresaid bodies.

3. (i) The deputation (Duty) Allowance shall be @ 10% of the basic pay of the employee subject a maximum of Rs,. 200/–p.m.

(ii) The 'basic pay' for the above purpose shall been pay drawn in the scale of pay of the substantive appointment held or the pay in the scale of pay of the officiating appointment in an employee's parent carde provided that it is certified by the appointment authority that but for the deputation the employee would have continued to held of officiating appointment indefinitely.

(iii) The special pay shown in Schedule II (Special Pay) to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983 as may basic pay provided it

has been drawn continuously for more than two years at the time of deputation. Personal pay, if any, drawn by an employee in his parent department may be allowed in addition. This will not be absorbed in deputaiton (Duty) allowance but will be obserbed in other increases of pay, for example, increment or increase if pay be promotion or for any other reason.

(iv) The officers and staff of the Government Secretariate, Governor's Secretariate, Rajasthan Public Service Commission/Rajasthan Legislative Assembly on deputation shall not be entitled to get Special pay attached to ther posts (vi) Secretariate allowanc during the period deputaion allowance or deputation pay is paid. However, if the deputation period is extended, with the sanction of the competent authority beyond the maximum period (4 years) for which deputation (duty allowance or higher pay is not permissible, special pay as would be admissible on repatriation to the parent department shall be allowed for the extended period.

4. Pay and D.A. on Deputation

(i) An employee sent on deputation/foreign service shall be allowed his basic pay in the pay scale of the parent deptt. plus personal pay, if any, plus deputation (duty) allowance at the rates mentioned in para 3 above.

(ii) Dearness Allowance will be regulated under the rules of the parent department.

EXCEPTION

Pay and Dearness Allowance to the State Govt. servants sent on deputation/foreign serice to Bhakra Beas Management Board, water & Power Consultancy Services (India) Ltd. and other Central and Interstate organisiataions shall be allowed as under, namely : –

(1) I. Government servents on deputaion foreign service may elect to draw pay in the pay scale of the post of deputation to which he is deputated as may be fixed under Rule 26 of R.S.R.

ii. With a view to ensuring that a government servent on deputation does not get abnormal increase in the pay because of the option excersied as that clause (i) above, it has been decided that where the minimum of the saccle of pay of the deputation post is substanially in excess of the deputationist basic pay plus deputation (duty) allowance @ 10% the appointing authority may restrict the pay of the deputationist even blow the minimum of the deputaion post under Rule 36 of R.S.R. In such a can the pay Allowed under Rule 36 of Rajasthan Service Rules she not exceed the basic pay of the deputationist by more that the amount shown below : –

(a) For employees in receipt of (basic pay above Rs. 1550/- p.m.)15% of basic pay or Rs. 225/- whichever is more.

(b) For employees in receipt of basic pay of and below Rs. 1550/-p.m.15% of basic pay.

(2) Dearness Allowance will be regulated under the rules of the parent Govt. or under the rules of borrowing Government/Foreign employer accoridng as pay is drawn in the parent pay scale or in pay scale of the post held on deputation.

5. OTHER ALLOWANCE AND CONCESSIONS : (i) HOUSE RENT ALLOWANCE : –

House Rent Allowance shall be admisssible according to the rules of the bhorrowing Government/foreign employee or under the rules of the parent Govt., whichever is more beneficial.

(ii) Travelling Allowance : – Travelling allowance shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./foreign employer or under the rules of parrent govt. whichever is more beneficial.

(iii) compensatory (city) Allowance : – Compensatory (City) allowances shall be admissible accoriding to the rules of the parent Govt. or borrowing authority, whichever is more beneficial.

(iv) Medical concession : Medical concession shall be admissble according to the rules of the borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of the parent Govt., whichever is more beneficial.

(v) Project Allowance : Project Allowance (including desert allowance) admissible in a project area shall be admissible in to deputation (duty) allowance in accordance with rules of the State Government.

6. GENERAL CONDITION

(i) joining time pay and transfer, Travelling Allowance :

He will be entitled to travelling allowance and joining time both on joining the post on deputation or an reversion there from to the parent department under the rules of the Govt./Foreign employer to which he is deputed. The expenditure on this account shall be borne by the borrowing authority/foreign employer.

(ii) Leave and pension contribution : – During the period of deputation, he will be governed by lave and pension rules of the leading autority parent employer applicable to him before such transfer.

The pension contribution shall be paid by the borrowing authority/foreign employer in accordance with the provisions containted in the Raj. Service Rules.

Payment of leave salary during foreign service and the payment of Leave Salary constribution, if any, shall be regulated in accordance with Finance at order No. f 7 (a) (Rules) 58, dt. 21.1.81 amended from time to time.

(iii) Beginning and end of deputation : – The deputation will commence from the date on which he hands over the charge of the post under the Government and shall end on the date he assumes charge of the post under the Government.

(iv) Payment of Bonus or ex-gratia : –

a. A Government servant drawing pay not exceeding Rs. 1600/–p.m. on depuation to public Sector Undertaking or Cooperative Society/Institution etc. which is legally required to pay bonus under the payment of bonus, ACt,1965, may be allowed to accept bonus declared by such Undertaking, Cooperative Society/Institution etc. but he shall be required to credit the amount of bonus payment so received to the Govt., account. The authority making payment of bonous shall also ensure that the amt. of bonous admissible to him is credited by the Govt. servent to the Govt. account.

b. Where payment of bonus is not a legal obligation under the payment of bonous act, 1965 and public section Undertaking or Cooperative Society/Institution declares bonus/ex-gratia, such award shall not be admissible to the deputationist.

c. For the purpose of facility, it is clarified that payment of bonous is not a legal obligation in Rajasthan Financial Corporation, Rajasthan State Electiricity Board and Raj. State Road Transp. Corporation.

7. DURATION OF DEPUTATION

The maximum period for which a govt. servant may remian on deputaiton shall in no case exceed four years, provided that in case where it is considered absolutely necessary in public interest and in special circumstances to extend the period of deputation on foreign service beyond the maximum period of four years, the period concurrence of Finance Deptt. would be necessary and that : –

(a) No deputation allowance or deputation pay shall be payable for the extended period;

(b) No proposal for extension in the period of deputation shall be considered even without deputation allowance/deputation pay, if the proposal for extension in the existing terms of deputation is not moved at least two months before the expiry of the terms of deputation giving full justification; and

(c) If no request is recd. with in the time limit prescribed in (b) above, the competent authority should issue the posting order at least 30 days before the expiry ot the period of deputation. The Govt. servant on deputation will seek permission 30 days before the expiry of period of deputation from the lending authority for recording back to the parent department and shall act according to the directions received.

NOTE :

Government servants who are already on deputation beyond the period of three years with the approval of competent authority and deputation allowance from 1.2.1986 to the date they would complete four years period of deputation including the period for which no depuation allowance was admissible to them in accordance with the provisions in force at that time.

CLARIFICATION

(1) The maximum ceiling of 4 years deputation would be for at a time for one or more than on organisation. No deputation allowance beyond this period would be admissible in any case.

(2) Continued deputation even on promotion in parent cadre will be considered as part of the total maximum period or 4 years on deputation at a time.

EXCEPTION

Extension for one year in the period of deputation beyond the maximum period of 4 years can be made by the Secretary, Special schemes organisation without Deputation an allowance in Respect of Government Servants on deputation in District Rural Development Agencies.

8. A Govt. Servant who has already served on deputation/foreign service to other Governments, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies, Corporations etc. shall not be allowed except in very exceptional circumstances with the prior concurrence of Finance Deptt., to proceed on deputation to some other Govt./Foreign organisation again unless he has worked for a minimum period of one year on a post in his parent deptt. subsequent to reversion.

9. A Government servant on deputation shall only draw pay and allowance as permitted by the lending authority in accordance with the and condition of deputation prescribed in his case; and any payment in the nature of pay or allowances or remuneration or fee or compensation etc. by whatever name called, which is not authorised by his terms and conditions of deputation, shall not be received by him without prior sanction of the Government in the Finance Deptt.

10. NON-APPLICABILITY

These orders shall not apply to : –

(i) Government servants sent on deputation to Panchayat samities and Zila parishad.

(ii) A Govt. Servant who is appointed by the govt. as an Administrator/Executive Officer/Munciapal Commissioner or in any other capacity or whose services are placed on deputation to a superseded Muncipal Council or Board;

(iii) Government servants of Cooperative Deptt. Sent on deputaton to cooperative Institutions registered in the State;

(iv) Government Servants sent on deputation whose terms are regulated under specific statutory rules or orders;

11. This order will take effect from 1st Feb. 1986 and shall also apply to Govt. Servants already on deputation.

sd/-
(S.S. Parnami)
Dy. Secretary to Govt.

MNR Nair/19-2

Copy forwarded to : 1. All Secrataries to Government.

2. All P.S. to Ministers/State Ministers/Deputy Ministers.

3. All Sections of the Secretariat.

4. All Heads of Department.

5. All Treasury Officers.

6. Codification section (O & M) with 7 copies.

7. Accountatnt General, Rajasthen Jaipur (150 copies).

8. Vidhi Rachana Sangthan for Hindi Translation. Copy also to the;

1. Secy. R.L.A. Jaipur (2) Secy., RPSC Ajmer (3) Registrar, R.H.C. Jodhpur, (4) secy. Lokayukth sachivalaya Jaipur (5) secy. R.L.S. Jaipur with 25 extra copies for subordinate Legislative Committee.

sd/-
(S.S. Parnami)
Deputy Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (GR. 2) DEPARTMENT

NO. F.1 (47)/FD/(Gr. 2)/82. Dt. Jaipur 9.11.92

ORDER

Sub : —TRANSFER OF GOVERNMENT SERVANTS ON DEPUATION/FOREIGN SERVICE TO OTHER GOVERNMENT, PUBLIC UNDER TAKINGS, AUTONOMOUS BODIES AND OTHER BODIES, GOVT. COMPANIES, CORPORATIONS ETC. GRANT OF DEPUTATION (DUTY) ALLOWANCE.

The Governor is pleased to order that the existing para 7 of the Finance Department order of even number dated 22.2.86 AS AMENDED FROM TIME TO TIME SHALL BE SUBSITTED BY THE FOLLWING NAMELY : —

7. Duration of Depuation

The maximum period for which a Government servant may remain on deputation shall in no case exceed four years, provided that in cases where it is considered absoulutely necessary in public interest and in special circumstances, to extend the period of deputation of foreign service beyond the maximum period of four year, the Administrative Department shall be competent to extend the period of deputation upto one year more i.e. upto 5 years in all without any prior reference to the Finance Department. But, for the period execeding fifth year, prior permission of finance Department for extension in deputation period would be necessary and that : —

(a) No deputation allowance or deputation pay shall be payable for the extended period beyond four years.

(b) No proposal for extension in the period of deputation five year shall be considered even without deputation allowance/deputation pay, if the proposals for extension in the existing term of deputation is not moved at least two months before the expiry of the term of deputation giving full justification; and

(c) If no request is received will in the time limit prescribed in (b) above the competent authority should issue the posting order atleast 30 days before the expiry of the period of deputation.

The Government servant on the expiry of period of deputation from the leading authority for reporting back to the parent department and shall act according to the direction received.

CLARIFICATION :

(1) The maximum ceiling of 4 years deputation would be for at a time for one of more than one Organisations. No deputation allowance beyond this period would be admissible up act case,

(2) Continued depuation even on promotion in parent cadre will be considered as part of total maximum period of 5 years on deputation, at a time.

sd/-

DY. SECRETARY TO GOVT.

परिशिष्ट "ब"

पिछले तीन वर्षों से सहायक अभियंता प्रतिनियुक्त पर भेजे गये हैं उनकी सूची

क्र.सं.	नाम	कहां पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया	प्रतिनियुक्ति को जाने की दिनांक	प्रतिनियुक्ति से लौटने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री जयदीप दुल्लर	राज. आवासन मंडल जयपुर।	14.8.87	17.4.93
2.	संजीवलोचन माथुर	" " "	9.12.87	15.3.93
3.	अशोक कुमार माथुर	" " "	27.11.87	29.9.93
4.	उमेश कुमार धींगरा	" " "	20.10.89	लौटे नहीं हैं।
5.	इन्द्र सिंह वर्मा	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली	2.9.89	18.3.94
6.	एल.के. मिश्रा	नगर परिषद, जयपुर	6.4.90	10.12.92
7.	एस.डी. विजयवर्गी	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	18.3.91	2.1.93
8.	चमन बाबू माथुर	नगर विकास न्यास, अलवर	19.7.91	28.1.93
9.	अनिलकुमार शर्मा	राज. आवासन मंडल, जयपुर	9.9.92	लौटे नहीं हैं।
10.	आर.के. जैन	नगर विकास न्यास, कोटा	25.11.92	2.1.93
11.	के.के. व्यास	राज. आवासन मंडल, जोधपुर।	26.12.92	13.9.94
12.	जी.के. मूर्ती	" " "	26.12.92	लौटे नहीं हैं।
13.	एम.ए. जमील खां	राज. आवासन मंडल, जयपुर	17.2.92	12.7.94
14.	आर.आर. शर्मा	" " "	21.4.93	लौटे नहीं हैं।
15.	आर.एस. शर्मा	नगर परिषद, जयपुर	10.12.92	लौटे नहीं हैं।
16.	हेमन्त कुमार जोशी	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवायें लि., नई दिल्ली	21.3.94	" " "
17.	आर.सी. गुप्ता	राज. आवासन मंडल, जयपुर	12.7.94	13.10.95
18.	राजेश माथुर	राज. आवासन मंडल, जोधपुर	13.9.94	लौटे नहीं हैं।
19.	आई.सी. कुमार	जयपुर विकास प्राधिकरण	12.8.94	" " "
20.	जयदीप दुल्लर	" " "	12.8.94	" " "
21.	आर.पी. माथुर	नगर परिषद, जयपुर	23.9.94	" " "
22.	विरेन्द्र कुमार शर्मा	नगर विकास न्यास, अजमेर	10.10.94	" " "
23.	राजेश लुहाड़िया	विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग—I) जयपुर।	20.7.95	" " "

परिशिष्ट–8 –

(अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची)

क्वारी लाइसेन्स क्षेत्र ऑडिट तहसील लाडनूं की सूची

क्र.सं.	पार्टी का नाम	खान नम्बर	क्षेत्र	स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री राधाकिशन पुत्र श्री रामाराम	1	50 x 25 फीट	17.12.77
2.	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	1-ए	10 x 10 मीटर	4.9.85
3.	श्री पूर्णाराम पुत्र श्री जगनाथ	2	25 x 25 फीट	8.1.73
4.	श्री भंवरसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	2-ए	25 x 25 फीट	4.9.85
5.	श्री पूर्णाराम पुत्र श्री जगनाथ	3	25 x 25 फीट	7.9.60
6.	श्री उदयसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह	5	10 x 10 मीटर	7.2.85
7.	श्री उदयसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह	5-ए	10 x 10 मीटर	7.2.85
8.	श्री रामसिंह पुत्र श्री उदयसिंह	5-बी	10 x 10 मीटर	8.8.86
9.	श्री रामसिंह पुत्र श्री उदयसिंह	5-सी	10 x 10 मीटर	8.8.86
10.	श्री पैमाराम पुत्र श्री भैराराम	6	25 x 25 फीट	19.2.69
11.	श्री जैसाराम पुत्र श्री भैराराम	6-ए	25 x 25 फीट	11.2.85
12.	श्री जैसाराम पुत्र श्री भैराराम	7	25 x 25 फीट	5.10.84
13.	श्री मोहनराम पुत्र श्री प्रतापराम	8-ए	25 x 25 फीट	17.9.80
14.	श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री गिदाराम	9	50 x 50 फीट	24.4.81
15.	श्रीमती राजूड़ी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र	12	50 x 50 फीट	2.3.78
16.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मंगलाराम	13	25 x 25 फीट	3.10.73
17.	श्री हजारीराम पुत्र श्री कालूराम	14	25 x 25 फीट	18.5.82
18.	श्री किशनाराम पुत्र श्री हुक्माराम मेघवाल	15	25 x 25 फीट	17.3.78
19.	श्री परशुराम पुत्र श्री बालूराम मेघवाल	16	25 x 25 फीट	3.10.73
20.	श्री आसूसिंह पुत्र श्री बख्तावरसिंह	17	25 x 25 फीट	19.12.73
21.	श्री रामदेवराम पुत्र श्री चेतनराम मेघवाल	21	25 x 25 फीट	17.4.67
22.	श्री किशोरसिंह पुत्र श्री आसूसिंह राजपूत	19	25 x 25 फीट	21.9.82
23.	श्री परशुराम पुत्र श्री बालूराम मेघवाल	20	25 x 25 फीट	17.4.67
24.	श्री आसूसिंह पुत्र श्री बख्तावरसिंह	18	25 x 25 फीट	24.12.63
25.	श्री केशराराम पुत्र श्री हुक्माराम	22	25 x 25 फीट	31.3.73
26.	श्री लालाराम पुत्र श्री टीकूराम दरोगा	23	25 x 25 फीट	8.1.73
27.	श्री ताराचन्द पुत्र श्री किशनाराम	24-ए	25 x 25 फीट	19.12.73
28.	श्री नाथूराम पुत्र श्री किशनाराम	24	25 x 25 फीट	3.10.73
29.	श्री उदयसिंह पुत्र श्री गोर्धनसिंह	25	50 x 25 फीट	9.4.80
30.	श्रीमांगीलाल पुत्र श्री आसूसिंह नब्का	26	10x10 मीटर	11.2.85
31.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री पूर्णाराम	निल	25 x 25 फीट	2.3.78
32.	श्री भगवानाराम पुत्र श्री पूर्णाराम	2-बी	10 x 10 मीटर	4.9.85

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची)

नाम	पद	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत चिकित्सकों के नाम
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5	
	मेडिसन		1. डा. जे.सी. गहलोत
	सर्जरी		2. डा. बी.एस. बावेल
	गायनी		3. डॉ. (श्रीमति) रश्मी राजवंशी (कनिष्ठ विशेष पद विरूद)
	पेडेटिक्स		4. डॉ. एन.वी. सक्सेना
	नेत्र		5. रिक्त
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	9	
	मेडिसन		1. डॉ. एस.सी. जैन
	मेडिसन (आई.सी. युनिट 1.7.95 से स्वीकृत)		2. रिक्त
	सर्जरी		3. डॉ. नीलम रानी चुग
	निश्चेतन		4. डॉ. बी.एस. व्यास
	अस्थि रोग		5. डॉ. आर.एस. गुप्ता
	रेड़ियोलोजी		6. डॉ. राजेश बोहरा
	पैथोलोजी		7. डॉ. सी.बी. गुप्ता
	क्षय		8. डॉ. वी.के. वार्ष्णेय
	ई.एन.टी.		9. डॉ. वी.एस. शर्मा
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	1. डॉ. जी.एल. राजोरा 2. डा. एस.वी. माथुर
	उप नियंत्रक	1	रिक्त
	चिकित्सा अधिकारी	10	1. डॉ. देवेन्द्र स्वर्णकार 2.डॉ. दिलीप कुमार 3. डॉ. एच.डी. ग्यावली 4. डॉ. वी.के. निगम 5. डॉ. रामाअवतार शर्मा 6. डॉ. पी.सी. सोनी 7. डॉ. राकेश गुप्ता 8. डॉ. आर.एस. शर्मा 9. डॉ. एस.के. छाबड़ा 10. विष्णु कुमार गांधी
दन्त चिकित्सक		1	1. डॉ. सुरेश नारायण सिमलोट

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची)

क्र.सं.	घायल व्यक्ति का नाम	पता
1.	श्री घोघरिया पुत्र रमा	सिंगली
2.	भारत पुत्र गजेंग	टिमेड़ावड़ा
3.	घारसिंह पुत्र रामसिंह	घाटा
4.	लालु पुत्र पीथा	घाटा
5.	कलजी पुत्र बाबरा	गडली
6.	पीथा पुत्र गोगजी	निश्नावट
7.	रामलाल पुत्र नाथु	रामगढ़
8.	मेहजी पुत्र हुरजी	निश्नावट
9.	लावाजी पुत्र मड़िया	निश्नावट
10.	देवीसिंह पुत्र हिरजी	टिमेड़ा छोटा
11.	रणजीत पुत्र कोमला	भॅवरकोटा
12.	कान्तीलाल पुत्र कला	चन्देरी
13.	कालू पुत्र जोखा	गड़कार
14.	धुलजी पुत्र जैथा	मकनपुरा, सोडलिया
15.	हुरजी पुत्र लिमजी	निश्नावट
16.	हकजी पुत्र भेसी	बस्सी
17.	जाला पुत्र देवा	टिमेड़ाबड़ा
18.	हरदार पुत्र जीथा	निश्नावट
19.	दुता पत्नि धुलजी	सब्बलपुरा
20.	हरिया पुत्र नाथा	छोटी पड़वा,
21.	जाला पुत्र हीरा	कुशलगढ़
22.	छगन पुत्र जवता	मोनीपाड़ा
23.	गलिया पुत्र हुरजी	कंचनपाड़ा
24.	हकसी पुत्र वरसिंह	गडली
25.	कालू पुत्र परथा	गड़ली
26.	विजयसिंह पुत्र मडिया	निश्नावट
27.	ओंकारलाल पुत्र राजींग	टिमेड़ा छोटी
28.	कोदरलाल पुत्र भेमा	सिंगली
29.	पुनिया पुत्र वीरा	भरतगढ़
30.	सोनिया पुत्र खातिया	घाटा
31.	बदिया पुत्र वीरा	घाटा
32.	गोबरीया पुत्र दीपा	रणजीतगढ़
33.	हसनखान पुत्र मोहसीन खान	रामगढ़
34.	भीमा पुत्र हीरा	सिंगली
35.	चरणसिंह पुत्र भेरजी	घाटा

क्र.सं.	घायल व्यक्ति का नाम	पता
36.	रमा पुत्र धीरा	टिमेड़ा छोटा
37.	भूरजी पुत्र जोहरिंग	कलिंजरा
38.	खातु पुत्र दितिथा	टिमेड़ाबड़ा
39.	पीथा पुत्र रमा	सन्नलई
40.	तोला पत्नि नाथू	झिकली
41.	खातु पुत्र दल्ला	घाटा
42.	श्री हुरजी पुत्र धुलजी	घाटा
43.	पारू पुत्र मोती	कुशलगढ़
44.	अर्जुन पुत्र देवा	घाटा
45.	खोतरी पत्नि लाला	घाटा
46.	खातरा पुत्र लालेंग	चन्दलाई
47.	मकजी पुत्र नगजी	चन्दलाई
48.	फूलजी पुत्र धूलिया	कोटड़ा दिनांक 10.7.95 को मृत्यु हो गई है।
49.	छगन पुत्र जोरजी	काछला
50.	भरत सिंह पुत्र मानसिंह	निश्नावट
51.	बरसिंह पुत्र धारजी	धरतारा
52.	जोहरींग पुत्र धारजी	धरतारा
53.	जोगजी पुत्र जीथा	कोठारिया
54.	बाबूलाल पुत्र तेजीग	काटनवाड़ी
55.	नरेन्द्र पुत्र भीमा	निश्नावट
56.	फूरजी पुत्र रीमजी	निश्नावट
57.	पुरजी पुत्र धुलजी	सबलपुरा
58.	कलसिंह पुत्र बाबुरिया	सबलपुरा
59.	कोशल्या पति मदनसिंह	बड़वास छोटी
60.	कैलाश पुत्र फुरजी	बड़ी सरवा
61.	बालू पुत्र भीमा	टीमेड़ा बड़ा
62.	राजल पुत्र परसिंह	धरतारा
63.	बलवन्त पुत्र कैलाश	खेड़पुर
64.	बरसिंह पुत्र रामजी	सिंगली
65.	छीतरा पुत्र मानजी	निश्नावट
66.	शम्भू पुत्र फुलजी	रूहानिया
67.	धरसिंह पुत्र दुलजी	धरतारा
68.	हुरजी पुत्र श्याम जी	सन्दलाई
69.	शम्भू पुत्र टीटा	सहारण
70.	बाला पुत्र बालू	मोनीपाड़ा
71.	श्यामा पति ठोकान	घाटा

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 213 का विवरण)

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृति का दिनांक	वर्ष 95-96 हेतु प्रावधान	सितम्बर 95 तक की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	बागोली से जोधपुरा सड़क का निर्माण किमी. 0/0 से 3/0	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	9.00	7.6.95	—	कार्य की निविदायें दिनांक 30.11.95 को प्राप्त की जानी है।
2.	पौंख से नेवरी सड़क का निर्माण कार्य किमी. 0/0 से 2/0	संसदीय क्षेत्र विकास योजना	4.00	15.4.95	4.00	कार्य संवेदक को आवंटित है, जो काश्तकारों द्वारा दबाई गई भूमि की फसल काटे जाने के बाद नवम्बर 1995 में प्रारम्भ किया जाना संभव होगा।
3.	खण्डेला उदयपुरवाटी सड़क किमी. 49/0 से 54/0 (एस. एच. नं. 37) पर पेवर द्वारा 13 एम. एन. पी. एस. सी. का कार्य।	सड़क मरम्मत कार्यक्रम	4.00	30.6.95	2.40	कार्य की निविदायें अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर से आमंत्रित हैं जो दिनांक 15.11.95 को प्राप्त होनी है।
4.	उदयपुरवाटी—चला कोटपूतली सड़क किमी. 24/0 से 26/0 एम.डी. आर संख्या 25 पर पेवर द्वारा 13 एम.एम पी. एम.सी. का कार्य।	—"—	2.00	—"—	1.20	—"—

1	2	3	4	5	6	7
5.	मेनकलास बागाली सड़क पर रिमेटलिंग एवं बी.टी. का कार्य।	सड़क मरम्मत कार्यक्रम	10.00	30.6.95	6.00	निविदायें प्राप्त कर ली गई हैं, स्वीकृति जारी की जा रही है।
6.	बागोली-सराय सड़क पर सी.डी. कार्य की मरम्मत का कार्य।	सड़क मरम्मत कार्यक्रम	6.00	30.6.95	3.60	कार्य संवेदक को आवंटित किया हुआ है, जो वर्षा के समय में प्रारम्भ किया जाना संभव नहीं था व अब प्रगति पर है।
7.	पौंख-मनकसास सड़क पर डिप्स को काजवे में परिवर्तन एवं मौजूदा काजवे की मरम्मत का कार्य।	सड़क मरम्मत कार्यक्रम	1.00	30.6.95	0.50	कार्य संवेदक को माह सितम्बर 95 में आवंटित किया गया है।

291

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 217 का विवरण)

परिशिष्ट—"अ"

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध सं./ वर्ष	अनुबन्ध की राशि	एक्स्ट्रा आईटम राशि जो भुगतान की गयी
1	2	3	4	5
1.	माही सागवाड़ा नहर की खुदाई का कार्य आरडी. 5 से 6 किमी.	64/93-94	23, 84, 886/-	2,06,350/-
2.	–"–6 से 7 किमी.	67/93-94	18,64,127/-	16,537/-
3.	–"–7 से 8 किमी.	63/93-94	14,18,143/-	69,391/-
4.	–"–8 से 9 किमी.	68/93-94	19,18,712/-	1,54,158/-
5.	–"–9 से 10 किमी.	81/93-94	10,26,720/-	–
6.	–"–10 से 11 किमी.	48/93-94	39,40,250	36,17,942
7.	–"–11 से 12 किमी.	65/93-94	14,03,724/-,	86,631/-
8.	–"–12 से 13 किमी.	80/93-94	14,33,558/-	–
9.	–"–13 से 14 किमी.	66/93-94	18,70,842/-	16,08,119/-
10.	–"–14 से 15 किमी.	73/93-94	8,17,819/-	32,99,258/-
		योग :—	1,80,78,781/-	90,58,386/-

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की प्रति)

माननीय राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति की सूची में अंकित गली, गरूडा, गरोरा शब्द साथ गुरू शब्द भी सम्मिलित किये जाने हेतु जारी किये गये निर्देश क्रमांक—631/रामं/सकवि/95 दिनांक 6.5.95 की प्रतिलिपि

आज दिनांक 5.5.95 को विधान सभा में श्री रामपाल उपाध्याय, मा. सदस्य राज. विधान सभा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा करने के दौरान श्री जोगेश्वर गर्ग, माननीय सदस्य, राज. विधान सभा एवं श्री पूनमचन्द विश्नोई, माननीय सदस्य, राज. विधान सभा द्वारा सरकार से मांग की गई कि भारत की जनगणना—1961 के खण्ड—14 में राजस्थान में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की सूची के क्रम संख्या 27 पर उल्लेखित जाति गरो, गरूडा, गुरड़ा, और गरोडा के साथ गुरू शब्द को भी सम्मिलित किया जाये।

उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि इस जाति के लोग बाम्बी, मेघवाल, हरिजन एवं अन्य निम्न जातियों के ब्राम्हण के रूप में काम करते हैं तथा उनके शादी, जन्म मरण एवं अन्य सामाजिक कार्यों में पुजारी एवं धर्मगुरू की हैसियत से उपस्थित रहते हैं।

इस जाति के लिये प्रयुक्त उपरोक्त चारों नाम राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में अलग-अलग रूप से प्रयुक्त होते हैं। माननीय सदस्यों के अनुसार अनेक जिले ऐसे हैं जिनमें उपरोक्त चारों में से एक भी नाम व्यवहार में प्रचलित नहीं है। इसकी बजाय उन जिलों में इस जाति के लोगों को गुरू अथवा गुरु नाम से जाना जाता है। किन्तु ये नाम अनुसूचित जाति की सूची में शामिल न होने के कारण इन्हें न केवल अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है, अपितु अन्य मामलों में भी अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं। माननीय सदस्यों का आगह था कि इस समस्या का निराकरण तभी हो सकता है, जब गुरू अथवा गरु शब्द अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 27 सम्ममिलित कर लिया जाये।

उपरोक्त माननीय सदस्यों की इस मांग के मद्देजनर मैंने विधान सभा में यह आश्वासन दिया है कि इस सन्दर्भ में आवश्यक जांच पूरी करने के पश्चात् भारत सरकार को यथोचित अनुशंसा की जायेगी। उक्त आश्वासन की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि आप अविलम्ब समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करें कि वे इस जाति के बारे में तथ्यात्मक एवं व्यावहारिक सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करे ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।

परिशिष्ट—14

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची)

राज्य में भंगी कष्ट मुक्ति छात्रावासों की सूची वर्ष 1994-95

क्र.सं.	जिला	नाम छात्रावास	वर्ष	स्वीकृत छात्र	प्रवेषित छात्र सं.
1.	अजमेर	1. अजमेर	1981-82	25	बंद है।
		2. ब्यावर	1981-82	25	17
2.	अलवर	1. अलवर अखैपुर	1981	25	18
		2. अलवर हजूरी गेट	1981	25	21
		3. लक्ष्मणगढ़	1969-70	25	19
3.	बाड़मेर	1. बाड़मेर	1981	25	20
4.	भीलवाड़ा	1. भीलवाड़ा मार्लाखेड़ा	1981-82	25	11
		2. भीलवाड़ा	1981	25	11
5.	बीकानेर	1. बीकानेर	1981	25	बंद है।
		2. बीकानेर गोगागेट	1981	25	25
6.	धौलपुर	1. धौलपुर	1982-83	25	25
7.	बूंदी	1. बूंदी	1981	25	22
		2. देई	1983	25	25
		3. कापरेन	1991	25	25
8.	चित्तौड़गढ़	1. चित्तौड़गढ़	1981-82	25	14
		2. डूंगला	1989-90	25	14
9.	चूरू	1. चूरू कन्या	1981	25	24
		2. रतनगढ़	1981	25	25
10.	गंगानगर	1. गंगानगर	1981-82	25	15
		2. रायसिंहनगर	1981-82	25	25
		3. सार्दुलशहर	1981-82	25	25
		4. नोहर	1981-82	25	बंद है।
		5. 365 हैड	1981-82	25	23
11.	जयपुर	1. जयपुर हीदा की मोरी	1981	25	मर्ज बापू आश्रम
		2. जयपुर आदर्श नगर	1981	25	25
		3. जयपुर (मानसिंहपुरा)	1981	25	20
		4. जयपुर	1981	50	41
		5. रूण्डल	1986	25	25
		6. अमरसर	1986	25	25

क्र.सं.	जिला	नाम छात्रावास	वर्ष	स्वीकृत छात्र	प्रवेषित छात्र सं.
.	जयपुर	7. तुंगा	1986	25	25
		8. फुलेरा	1993-94	25	बंद है।
12.	दौसा	1. दौसा	1989	25	25
		2. लवाण	1985	25	25
13.	जोधपुर	1. जोधपुर	1981	25	23
		2. जोधपुर नागौरी गेट	1981	25	10
		3. जोधपुर कन्या	1981	25	25
14.	झालावाड़	1. भवानीमंडी	1991	25	25
15.	झुंझुनूं	1. झुंझुनूं	1982-83	25	25
		2. खेतड़ी	1985-86	25	25
		3. मण्डावा	1985-86	25	19
16.	जालौर	1. जालौर	1982	25	20
		2. सायला	1986	25	21
17.	कोटा	1. कोटा कंसुऊ	1981	25	25
		2. कोटा तलवंडी	1981	25	25
18.	बारां	1. अन्ता	1986	25	25
		2. अटरू कन्या	1989	25	25
19.	नागौर	1. नागौर	1981	25	25
20.	पाली	1. पाली	1981	25	18
		2. मारवाड़ जक्शन	1981	25	बंद है।
		3. देसूरी	1989	25	25
21.	सवाईमाधोपुर	1. स. माधोपुर	1981	25	22
		2. बोली	1989	25	20
22.	सीकर	1. सीकर	1982	25	25
		2. दातारामगढ	1987	25	25
		3. सीकर कन्या	1988	25	25
		4. अजीतगढ	1991	25	21
23.	टोंक	1. टोंक	1981	25	24
24.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर कन्या	1989	25	24
25.	भरतपुर	1. बयाना	1991-92	25	24
26.	सिरोही	1. सिरोही	1991-92	25	25
27.	उदयपुर	1. उदयुपर	1981	25	4
		2. उदयपुर	1981	25	25
28.	राजसंमद	1. राजसंमद	1991	25	—
		2. देवगढ़	1983	25	21

विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावासों की सूची वर्ष 1994-95

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	नाम जिला	नाम छात्रावास	वर्ष	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.
1.	अजमेर	1. ब्यावर	1965	50	34
		2. केकड़ी	1962	60	54
2.	बाडमेर	1. पचपदरा	1964	30	30
3.	भीलवाड़ा	1. पडेर	1961	71	71
		2. बागौर	1985-86	25	25
4.	भरतपुर	1. भरतपुर	1955	35	33
		2. भरतपुर कन्या	1963	40	40
		3. कुम्हेर	1971	30	30
		4. डीग	1961	40	24
5.	बूंदी	1. बूंदी	1956	50	37
		2. देवपुरा हिंडोली	1964	45	11
6.	गंगानगर	1. श्रीकरणपुर	1960	35	28
		2. रायसिंह नगर	1964	50	44
		3. मुकलावा	1985-86	35	30
7.	जोधपुर	1. जोधपुर	1993	25	19
		2. पीपाड़ शहर	1961	50	50
8.	जयपुर	1. जयपुर	1986	25	बंद
9.	झालावाड़	1. झालारापाटन	1960	40	40
		2. पीपहला	1964-65	30	30
10	बांरा	1. छबड़ा	9/61	40	40
		2. पाली	7/91	25	25
11.	टोंक	1. देवली	1985	25	16
12.	नागौर	1. लाडनूं	1981	50	46
		2. बहूपरबतसर	1/86	25	20
13.	पाली	1. पाली	1955	60	53
		2. पाली	1964	50	44
		3. सोजत	1973	25	25
14.	बीकानेर	1. बीकानेर शहर	1986	25	25
15.	झुन्झुनूं	1. उदयपुरवाटी	1990-91	25	25
16.	चित्तौड़गढ़	1. राशमी	7/91	25	16

परिशिष्ट—"स"

अनुदानित विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास—

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित
1.	राजस्थान विद्या मन्दिर विमुक्त जाति छात्रावास, नीमकाथाना, जिला सीकर	42	42
2.	गाड़िया लौहार सेवा संघ विमुक्त जाति छात्रावास चित्तौड़गढ़	126	33

परिशिष्ट "द"

बन्द अनुदानित छात्रावासों की सूची—

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	बन्द होने की दिनांक	कारण
1.	अनुदानित छात्रावास, पीसांगन (अजमेर)	अनु. जाति	405-92/30.6.94	अनियमितताओं के कारण
2.	" " भिनाय (अजमेर)	" "	3764-52/21.7.92	" " "
3.	बापा भील छात्रा. डूंगरपुर	अनु. जनजाति	" " "	" " "
4.	बापा आदिवासी छात्रा. डूंगपुर	अनु. जनजाति	1.7.91	संस्था द्वारा स्वयं की इच्छा से।
5.	अनुदानित छात्रावास, बिच्छीवाड़ा (डूंगरपुर	" " "	" " "	" " "
	6 से 9 तक अनुदानित छात्रा. कनवा एवं करावड़ा सीमलवाड़ा	" " "	" " "	
10.	अनुदानित छात्रावास शाहपुरा (जयपुर)	" " "	3114/17.1.94	भवन खराब होने के कारण आदेश की पालना नहीं की जा सकी।
11.	अनु. छात्रा. मुकुन्दगढ़ (झुझुनूं)	अनु. जाति	47175/5.9.91	गम्भीर अनियमितता के कारण मान्यता रद्द की।
12.	अनु. छात्रा. ऋषभदेव (उदयपुर)	" " "	37645-52/21.7.92	अनियमितताओं के कारण
13.	अनु. छात्रा. टीडी, उदयपुर	" "	" "	" "
14.	अनु. छा. बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ	" "	91-92	भवन जीर्णशीर्ष होने के कारण, संस्था द्वारा बन्द किया।
15.	पिलानी (झुन्झुनूं)	" " "	91-92	विशेष निरीक्षण के द्वारा अनियमितता पाये जाने के कारण।
16.	लक्ष्मणगढ़, सीकर	" " "	91-92	—
17.	रामगढ़, शेखावटी	" " "	" " "	—
18.	नीमकाथाना	" " "	" " "	—
19.	लालसोट (दौसा)	" " "	91-92	संस्था द्वारा मना करने के कारण

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	बन्द होने की दिनांक	कारण
20.	अनु. जाति अनुदानित छात्रा. भीम, राजसमन्द	अनु. जाति	40592/30.6.94	संस्था द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण राजकीय छात्रावास खोला जाकर मान्यता समाप्त कर दी।
21.	वनवासी कल्याण परिषद खैरवाड़ा, उदयपुर	अनु. जनजाति	40592 30.6.94	संस्था द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण राजकीय छात्रावास खोला जाकर मान्यता समाप्त कर दी गई।
22.	आदर्श छात्रावास निवाई, टोंक	" " "	94-95	अनियमितता पाई जाने के कारण प्रशासक नियुक्त किया गया। वर्तमान में छात्रावास संचालित नहीं है।
23.	बापू छात्रावास चिड़ावा, जिला, झुन्झुनूं	" " "	1995-96	अनियमितताओं के कारण अनु-दान बन्द किया गया। अंकेक्षण कराया जा रहा है।

2५7

298

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 226 का विवरण)

FLOOD DAMAGE (1995)

S. No.	Name of District	Population affected.	Damage to Crop (Hec.)	Loss of human lives: Flood heavey rain	Loss of human lives: House collapse & Ors.	Loss of cattles	No. of house damaged
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	0.01	18840	—	4	—	155
2.	Alwar	5.58	11370	5	18	74	44000
3.	Banswara	—	—	6	—	—	9
4.	Baran	—	—	—	—	—	—
5.	Barmer	0.10	—	—	1	242	1740
6.	Bharatpur	2.57	65700	8	4	451	38600
7.	Bhilwara	—	—	—	—	—	—
8.	Bikaner	—	—	—	—	—	2848
9.	Bundi	0.02	—	1	—	16	197

299

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Chittorgarh	–	–	–	–	–	–
11.	Churu	6.20	–	–	16	66	5000
12.	Dausa	7.47	11100	6	4	70	13588
13.	Dholpur	3.27	38325	4	2	14	5534
14.	Dungarpur	–	–	–	–	–	–
15.	Ganganagar	0.02	–	–	1	–	1303
16.	Hanumangarh	0.60	–	1	–	–	–
17.	Jaipur	1.75	85866	3	6	141	7781
18.	Jaisalmer	–	–	3	–	–	–
19.	Jalore	–	101900	2	–	43	32
20.	Jhalawar	–	–	1	1	–	49
21.	Jhunjhunu	–	–	1	2	–	887
22.	Jodhpur	0.07	32260	–	–	–	107
23.	Kota	1.24	2800	1	–	175	669
24.	Nagaur	0.13	111200	2	4	12	3371
25.	Pali	–	55650	–	–	–	–
26.	Rajasamand	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Sikar	–	–	–	3	8	93
28.	Sirohi	–	5120	–	–	–	–
29.	S. Madhopur	1.24	33500	6	5	193	6210
30.	Tonk	–	17230	–	2	–	–
31.	Udaipur	–	–	–	–	–	–
	Total	30.27	590861	49	73	1505	132173